G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

# बैंक ऑफ महाराष्ट्र
# Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

*एक परिवार एक बैंक*

आज़ादी का अमृत महोत्सव

## सरल बैंकिंग का विस्तार, समृद्ध जीवन का आधार
## Enhancing ease of Banking & Empowering Lives




## वार्षिक रिपोर्ट 2023
## ANNUAL REPORT 2023



आज़ादी का अमृत महोत्सव

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

# पुरस्कार व सम्मान
# AWARDS & ACCOLADES

**Best Bank Award**
by BT_KPMG 2023

**Best Public Sector Bank**
by SFBCK 2023

**National MSME Awards 2022** by Hon'ble Prime Minister of India

**Best Technology Talent & Runner Up in Best Financial Inclusion**
by IBA 2022

**Best Nationalised Bank** by Agri Finance 2022

**Agri Infra Fund Award**
by Govt. of India

**Kirti Puraskar**
For Implementation of official language 2022

**Lead Performer**
Dun and Bradstreet PSU & Govt. Summit 2022

**MSME Banking Excellence Award**
by CIMSME

**EASE Award**
Smart Lending for Aspiring India 2022

**Best Fintech Adoption**
By IBA 2022

**Best Bank 2021**
by Govt. of Kerala

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

# अनुक्रमणिका INDEX


| क्र. No. | विषय सूची | Contents | पृष्ठ क्र. Page No. |
|---|---|---|---|
| 1. | निदेशक मंडल | Board of Directors | 2 |
| 2. | सीवीओ और महाप्रबंधक | CVO & General Managers | 3 |
| 3. | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन | Statement of Managing Director & CEO | 4 |
| 4. | बैंक एक नज़र में | Bank at a glance | 8 |
| 5. | मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक | Key Performance Indicators | 17 |
| 6. | प्रगति एक नज़र में | Progress at a glance | 18 |
| 7. | निदेशकों की रिपोर्ट | Directors' Report | 19 |
| | - प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण | - Management Discussion and Analysis | 19 |
| | - वर्ष 2022-23 का कार्य निष्पादन | - Performance Highlights 2022-23 | 19 |
| | - बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं / परियोजनाएं | - Important Schemes/Projects of the Bank | 37 |
| | - निगमित सामाजिक दायित्व | - Corporate Social Responsibility | 40 |
| | - अग्रणी बैंक योजना | - Lead Bank Scheme | 42 |
| | - सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं | - Subsidiaries/Joint Ventures and Sponsored Institutions | 43 |
| | - राजभाषा नीति का कार्यान्वयन | - Implementation of Official Language Policy | 44 |
| | - निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन | - Directors' Responsibility Statement | 47 |
| | - निदेशक मंडल में परिवर्तन | - Changes in the Board of Directors | 48 |
| | - बीआरएसआर रिपोर्ट | - BRSR Report | 48 |
| | - आभार | - Acknowledgements | 48 |
| 8. | कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट | Corporate Governance Report | 54 |
| 9. | तुलनपत्र | Balance Sheet | 95 |
| 10. | लाभ व हानि लेखा | Profit & Loss Account | 96 |
| 11. | महत्वपूर्ण लेखा नीतियां | Significant Accounting Policies | 106 |
| 12. | खातों पर टिप्पणियां | Notes on Accounts | 114 |
| 13. | नकदी प्रवाह का विवरण | Cash Flow Statement | 159 |
| 14. | लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | Auditors' Report | 161 |
| 15. | बेसल III प्रकटन | Basel III Disclosures | 175 |
| 16. | समेकित वित्तीय विवरण | Consolidated Financial Statements | 177 |


## 20वीं वार्षिक साधारण बैठक का नोटिस संलग्न
## NOTICE FOR 20TH ANNUAL GENERAL MEETING ENCLOSED

## सांविधिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

**कृते मै. रोडी डबीर एंड कंपनी**
एफआरएन – 108846W
सनदी लेखाकार

**For M/s. Rodi Dabir & Co.**
FRN – 108846W
Chartered Accountants

**कृते मै. एस भंडारी एंड कंपनी एलएलपी**
एफआरएन – 000560C/C400334
सनदी लेखाकार

**M/s. S Bhandari & Co LLP**
FRN – 000560C/C400334
Chartered Accountants

**कृते मै. कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
एफआरएन – 105215W/W100057
सनदी लेखाकार

**For M/s. Kirtane & Pandit LLP**
FRN – 105215W/W100057
Chartered Accountants

**कृते मै. सुंदरम एंड श्रीनिवासन**
एफआरएन – 004207S
सनदी लेखाकार

**For M/s. Sundaram & Srinivasan**
FRN – 004207S
Chartered Accountants

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

(**प्रधान कार्यालय :** 'लोकमंगल', 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005)
**(Head Office:** 'Lokmangal', 1501, Shivajinagar, Pune - 411 005)

# निदेशक मंडल/ BOARD OF DIRECTORS

31-03-2023 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2023



**श्री ए. एस. राजीव**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
**Shri A. S. Rajeev**
Managing Director & CEO



**श्री ए. बी. विजयकुमार**
कार्यपालक निदेशक
**Shri A. B. Vijayakumar**
Executive Director



**श्री आशीष पाण्डेय**
कार्यपालक निदेशक
**Shri Asheesh Pandey**
Executive Director



**श्री प्रशांत कुमार गोयल**
सरकार नामित निदेशक
**Shri Parshant Kumar Goyal**
Government Nominee Director



**श्री एम. के. वर्मा**
आरबीआई नामित निदेशक
**Shri M. K. Verma**
RBI Nominee Director



**श्री राकेश कुमार**
शेयरधारक निदेशक
**Shri Rakesh Kumar**
Shareholder Director



**श्री शशांक श्रीवास्तव**
अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
**Shri Shashank Shrivastava**
Part time non-official Director



**श्री एस. बलजीत सिंह**
अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक
**Shri S. Baljit Singh**
Part time non-official Director

# सीवीओ और महाप्रबंधक / CVO AND GENERAL MANAGERS

31-03-2023 की स्थिति के अनुसार / As on 31-03-2023



**श्री अमित श्रीवास्तव (सीवीओ)**
Shri Amit Srivastava (CVO)



**श्री वी. पी. श्रीवास्तव**
Shri V. P. Srivastava



**श्री प्रशांत आर. खटावकर**
Shri Prashant R. Khatavkar



**श्री उन्नम आर. राव**
Shri Unnam R. Rao



**श्री संजय रुद्र**
Shri Sanjay Rudra



**श्री विजय एन. कांबळे**
Shri Vijay N. Kamble



**श्रीमती चित्रा दातार**
Mrs. Chitra Datar



**श्री ए. एफ. कबाडे**
Shri A. F. Kabade



**श्री दिवेश दिनकर**
Shri Divesh Dinkar



**श्री दिनकर बाबुराव संकपाळ**
Shri Dinkar Baburao Sankpal



**श्री मनोज धर्मराज करे**
Shri Manoj Dharmaraj Kare



**श्री सूर्यकांत ए. सावंत**
Shri Suryakant A. Sawant



**श्री राजेश कुमार सिंह**
Shri Rajesh Kumar Singh



**सुश्री अपर्णा जोगळेकर**
Ms. Aparna Joglekar



**श्री के. राजेश कुमार**
Shri K. Rajesh Kumar



**श्री अतुल चिंतामण जोशी**
Shri Atul Chintaman Joshi



**श्री देवदत्त विठ्ठल रोकडे**
Shri Devdatta Vitthal Rokade



**श्री अमित कुमार शर्मा**
Shri Amit Kumar Sharma



**श्री मिलिंद बाबाराव घारड**
Shri Milind Babarao Gharad



**श्री दिनेश सुरेश तांबट**
Shri Dinesh Suresh Tambat



**श्री ए. एस. राजीव**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**Shri A. S. Rajeev**
Managing Director & CEO

## प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का कथन

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपके बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं आपके समक्ष रखते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं आपके बैंक की 20वीं वार्षिक साधारण बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।

**आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य**

विगत वर्ष सामान्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था और विशेषत: बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। कोविड-19 के प्रभाव के अलावा, विश्व भू-राजनीतिक शत्रुता, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और खाद्य, ऊर्जा और वस्तु में मुद्रास्फीति का साक्षी रहा। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सतर्क बने रहे और उन्होंने नपे-तुले तरीके से अपने उदार रुख पर नियंत्रण जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक बाजारों में तरलता में कसाव बना रहा और ब्याज दरों में वृद्धि हुई। वैश्विक वृद्धि पर इन मैक्रो-इकॉनॉमिक और भू-राजनीतिक कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। अभी हाल ही में, देश के बाहर कुछ बैंकों के पतन ने दुनिया भर के बाजारों में भारी हलचल मचा दी तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता और प्रणालीगत जोखिम के बारे में चिंताएं बढ़ा दीं।

वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली ने उल्लेखनीय रूप से लचीलापन प्रदर्शित किया। भा.रि.बैं. के अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 23 के लिए भारत की अनुमानित विकास दर 6.5% रही, जिसने हमें दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाया। सुदृढ़ घरेलू संचालक और मैक्रो-इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत करना यह प्रदर्शित करता है कि हम आने वाले वर्षों में अपने विकास पथ को जारी रखने के लिए अपने डेमोग्राफिक प्रतिफल का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं।

सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश, अभूतपूर्व डिजिटाइजेशन पहल, व्यापक शिक्षा और कौशल विकास रणनीतियों तथा गरीबी उन्मूलन के लिए गहन एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता, राष्ट्र और उसके नागरिकों पर वैश्विक फोकस का प्रतिबिंब है।

पिछले एक दशक में किए गए व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, बैंकों की बैलेंस शीट को व्यापक रूप से क्लीन करना, डिजिटाइजेशन हेतु अभूतपूर्व प्रयास और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण मौद्रिक नीति उपायों, जिनका उद्देश्य मुद्रास्फीति और विकास को संतुलित करना है, ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय बैंक भारत की विकास महत्वाकांक्षाओं में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं।

## STATEMENT OF MANAGING DIRECTOR & CEO

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to place before you the highlights of your Bank's performance during the Financial Year 2022-23. I would also like to take this opportunity to extend a warm welcome to each one of you to the 20th Annual General Meeting of your Bank.

**Economic and Banking Overview**

The year gone by has been a challenging year for the global economy in general and the banking industry in specific. In addition to COVID-19's lingering impact, the world witnessed geopolitical hostilities, supply chains disruptions and inflation in food, energy and commodity. Central Banks across the world remained cautious and continued to withdraw their accommodative stance in a calibrated manner which led to tightening of liquidity across global markets and an increase in interest rates. These macroeconomic and geopolitical factors had significant ramifications on global growth. More recently, the fall of a few banks outside the country sent shockwaves across world markets and heightened concerns about global financial stability and systemic risk.

Despite the global uncertainty, the Indian economy and banking system exhibited remarkable resilience. As per RBI estimates, India's projected growth rate for FY23 stood at 6.5%, making us one of the fastest growing large economies in the world. Strengthening macroeconomic fundamentals and strong domestic drivers suggest that we are poised to leverage our demographic dividend to continue on our growth trajectory over the coming years.

The Government is focussed on spurring growth through large-scale investments in building infrastructure, ground-breaking digitisation initiatives, comprehensive education and skill development strategies and massive integrated programmes to alleviate poverty. India's G20 presidency is a reflection of the global focus on the nation and her citizens.

The expansive financial sector reforms undertaken over the last decade, re-capitalisation of public sector banks, extensive clean-up of the balance sheets of banks, unprecedented efforts at digitisation and prudent monetary policy measures by the RBI that are aimed at balancing inflation and growth have ensured that Indian banks are well positioned to support India's growth ambitions.

### आपके बैंक का वित्तीय कार्य-निष्पादन

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आपके बैंक ने सभी व्यवसाय कार्य पद्धति और परिचालन मानकों पर उल्लेखनीय प्रगति करना जारी रखा। विकास, लाभप्रदता और पोर्टफोलियो गुणवत्ता के मामले में बैंक का कार्य-निष्पादन व्यापक रणनीतिक परिवर्तन कार्यक्रम का परिणाम है, जिसे हमने पिछले कुछ वर्षों से कार्यान्वित किया है और यह विश्व स्तरीय बैंकिंग फ्रेंचाइजी निर्मित करने की हमारे कर्मचारियों की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

#### व्यवसाय

- बैंक का कुल व्यवसाय 31.03.2022 के रु.3,37,534 करोड़ से 21.23% की सुदृढ़ वृद्धि के साथ 31.03.2023 को बढ़कर रु.4,09,202 करोड़ हो गया।
- कासा जमाराशियां 31.03.2022 के रु.1,17,035 करोड़ से 6.77% बढ़कर 31.03.2023 को रु.1,24,961 करोड़ हो गईं।
- बैंक की कुल जमाराशियां 31.03.2022 के रु.2,02,294 करोड़ से 15.71% बढ़कर 31.03.2023 को रु.2,34,083 करोड़ हो गईं।
- सकल अग्रिम 31.03.2022 के रु.1,35,240 करोड़ से 29.49% की वृद्धि के साथ 31.03.2023 को रु.1,75,120 करोड़ हो गए। आपके बैंक ने कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स और सेवाओं के माध्यम से रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई खंडों हेतु अग्रिमों के हिस्से में वृध्दि जारी रखी।

#### लाभप्रदता

- आपके बैंक का निवल लाभ वित्तीय वर्ष 22 के रु.1,152 करोड़ की तुलना में दुगने से अधिक बढ़कर वित्तीय वर्ष 23 में रु.2602 करोड़ हो गया।
- परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 22 के रु.4848 करोड़ से 25.81% बढ़कर वित्तीय वर्ष 23 में रु.6,099 करोड़ हो गया।
- निवल ब्याज आय (एनआईआई) वित्तीय वर्ष 22 के रु.6,044 करोड़ से 28.07% बढ़कर वित्तीय वर्ष 23 में रु.7741 करोड़ हो गई।
- निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) वित्तीय वर्ष 22 के 3.15% से 41 आधार अंकों की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 23 में 3.56% हो गया।

#### दक्षता अनुपात

- आपके बैंक का लागत से आय अनुपात वित्तीय वर्ष 22 के 44.26 से सुधरकर वित्तीय वर्ष 23 में 39.14 हो गया है।
- प्रति कर्मचारी कुल व्यवसाय वित्तीय वर्ष 22 के रु.26.53 करोड़ से सुधरकर वित्तीय वर्ष 23 में रु.31.53 करोड़ हो गया।

#### आस्ति गुणवत्ता

पोर्टफोलियो गुणवत्ता में सुधार हेतु बैंक के व्यापक प्रयासों ने सुनिश्चित किया है कि अब हमारे एनपीए अनुपात उद्योग में सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में हैं।

- सकल एनपीए 31.03.2022 के 3.94% से घटकर 31.03.2023 को 2.47% हो गए।
- निवल एनपीए 31.03.2022 के 0.97% से घटकर 31.03.2023 को 0.25% हो गए।
- प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2022 के 94.79% की तुलना में 31.03.2023 को 98.28% हो गया।

#### पूंजी पर्याप्तता

आपके बैंक ने सुदृढ पूंजी स्थिति बनाए रखी और हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात न्यूनतम नियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर रहा। कुल बेसल III पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) सुधरकर 18.14% और कॉमन इक्विटी टियर 1 अनुपात सुधरकर 12.66% रहा, जो कि पिछले वर्ष क्रमशः 16.48% और 12.17% था।

#### लाभांश

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके बैंक ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निवल लाभ में से पूर्णतः प्रदत्त रु.10/- प्रति इक्विटी शेयर रु.1.30 (अर्थात 13%) लाभांश का प्रस्ताव किया है।

### Financial Performance of Your Bank

I am happy to report to that during the Financial Year 2022-23, your Bank continued to make remarkable progress across all business functions and operating parameters. The Bank's performance in terms of growth, profitability and portfolio quality is a result of the comprehensive strategic transformation programme that we have implemented over the past few years and reflects the commitment of our employees towards building a world-class banking franchise.

#### Business

- The Total Business of the Bank grew at a healthy 21.23% from Rs 3,37,534 Cr. as on 31.03.2022 to Rs 4,09,202 Cr. as on 31.03.2023.
- CASA Deposits grew at 6.77% over the year from Rs 1,17,035 Cr as on 31.03.2022 to Rs 1,24,961 Cr as on 31.03.2023.
- Total Deposits of the Bank grew at 15.71 % from Rs 2,02,294 Cr as on 31.03.2022 to Rs. 2,34,083 Cr as on 31.03.2023.
- Gross Advances grew at 29.49% from Rs. 1,35,240 Cr as on 31.03.2022 to Rs. 1,75,120 Cr as on 31.03.2023. Your Bank continues to increase share of advances to the Retail, Agriculture and MSME segments through customised products and services.

#### Profitability

- The Net Profit of your Bank has more than doubled to Rs. 2,602 Cr in FY23 as against Rs. 1,152 Cr in FY22.
- Operating Profit increased by 25.81% to Rs. 6,099 Cr in FY23 from Rs. 4,848 Cr in FY22.
- Net Interest Income (NII) grew by 28.07% to Rs. 7,741 Cr in FY23 as against Rs. 6,044 Cr in FY22.
- Net Interest Margin (NIM) grew by 41 basis points to 3.56% in FY23 from 3.15% in FY22.

#### Efficiency Ratios

- Cost to Income Ratio for your Bank has improved to 39.14 in FY23 from 44.26 in FY22.
- The Total business per employee improved to Rs. 31.53 crore in FY23 as against Rs. 26.53 crore in FY22.

#### Asset Quality

The Bank's comprehensive efforts at improving portfolio quality have ensured that our NPA ratios are now comparable to the best in the industry.

- Gross NPA declined to 2.47 % as on 31.03.2023 against 3.94 % as on 31.03.2022.
- Net NPA declined to 0.25 % as on 31.03.2023 against 0.97% as on 31.03.2022.
- Provision Coverage Ratio stands at 98.28 % as on 31.03.2023 as against 94.79% as on 31.03.2022.

#### Capital Adequacy

Your Bank maintained a strong capital position and our capital adequacy ratios were well above the minimum regulatory requirements. Total Basel III Capital Adequacy Ratio (CRAR) improved to 18.14% and the Common Equity Tier 1 Ratio improved to 12.66 % as against 16.48% and 12.17% respectively for the previous year.

#### Dividend

I am happy to inform you that your Bank has proposed a dividend of Rs. 1.30 per each fully paid-up equity share of Rs. 10/- (i.e., 13%) from the Bank's net profit for the financial year ended March 31st, 2023.

### डिजिटल ट्रांस्फॉरमेशन

आपके बैंक का मानना है कि बैंकिंग को सुलभ, आसान, सुरक्षित, वैयक्तिक और सहज बनाकर डिजिटल रूप से सक्षम बैंकिंग सोल्यूशन ग्राहकों को सशक्त कर बैंकिंग के भविष्य को परिभाषित करेंगे। हमारी बहु-आयामी डिजिटल ट्रांस्फॉरमेशन रणनीति के भाग के रूप में, जिसमें ग्राहक-उन्मुख उत्पाद, प्लेटफार्म व सेवाएं तथा बैंक के बैक-एंड परिचालन दोनों शामिल हैं, हमने वर्ष के दौरान कई तकनीकी पहलें की।

- बैंक ने वीडियो केवाईसी लॉन्च किया है जो ग्राहकों को किसी शाखा में भेंट दिए बिना अथवा बैंक के कर्मचारियों से मिले बिना अपने घर या कार्यालय में सहजता से बैंक खाता खोलने में सक्षम बनाता है।
- वर्ष के दौरान अत्याधुनिक यूजर इंटरफेस और संवर्धित उपयोगकर्ता अनुभव के साथ बैंक के मौजूदा मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन का एक नया संस्करण शुरू किया गया।
- बैंक ने मृतक के परिवार के सदस्यों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु सुविधा पोर्टल लॉन्च किया जो एक स्वचालित डीसीएसएस (मृतक दावा निपटान प्रणाली) है।
- बैंक द्वारा ग्राहक प्रतिक्रिया समय में सुधार करने और परिचालन दक्षता संवर्धन की दृष्टि से विभिन्न मैनुअल परिचालनों को स्वचालित करने के लिए अधिक संख्या में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स नियोजित किए जा रहे हैं। वर्ष के दौरान, हमने कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता निर्माण, वाहन पोर्टल पर कार ऋण दृष्टिबंधक खोज और सभी पात्र प्लेटफार्मों पर डिफॉल्टर सूची की खोज जैसे कार्यों को स्वचालित करने के लिए 3 रोबोटिक प्रक्रियाएं शुरू कीं।
- दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन के लिए समन्वित डैशबोर्ड उपलब्ध कराने के लिए अर्जुन (दबावग्रस्त आस्तियों की निगरानी के लिए स्वचालित रिमोट जंक्शन) नामक एक अनूठा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया।
- बैंक के निजी क्लाउड नक्षत्र का अनावरण किया गया जो बैंक के अनुप्रयोगों को होस्ट करने के लिए उच्च कार्यक्षमता डिजिटल अवसंरचना प्रदान करता है।
- बैंक के सुरक्षा आर्किटेक्चर के संवर्धन के लिए बैंक ने एक अत्याधुनिक प्रोग्राम - कवच को लॉन्च किया।

### रणनीतिक विकास की पहल

बैंक का विजन है कि देश के सभी क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में एक शाखा स्थापित कर अपने फुटप्रिंट का विस्तार किया जाए और उभरते उत्पाद खंडों में टैपिंग द्वारा अथवा मौजूदा राजस्व पूल में उपस्थिति को मजबूत करके नई राजस्व स्ट्रीम की संभावना पर कार्य किया जाए।

- वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा अपने शाखा नेटवर्क को बढ़ाकर 2,203 शाखाएं कर दिया।
- बैंक ने क्षेत्र में उभरते स्टार्ट-अप इको-सिस्टम तंत्र को सहयोग प्रदान करने के लिए पुणे में स्टार्ट-अप को समर्पित अपनी पहली शाखा का अनावरण किया।
- बैंक ने सातारा, औरंगाबाद और पुणे में 3 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का परिचालन किया।
- इन बढ़ते ग्राहक सेग्मेंट्स तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपनी आवास वित्त शाखाओं, एमएसएमई शाखाओं और मिड-कॉर्पोरेट शाखाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी की।
- आपका बैंक ईको-सिस्टम प्लेयर्स के साथ साझेदारी करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी पहुंच में संवर्धन के लिए औद्योगिक निकायों, को-लेंडिंग मॉडल के अंतर्गत उधारी हेतु अग्रणी एनबीएफसी, डिजिटल परिवर्तन में तेजी के लिए फिनटेक प्लेयरों और अन्य के बीच एसएचजी वित्तपोषण के संवर्धन हेतु सामूहिक रुप से सहयोग किया।

### पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासनात्मक (ईएसजी) पहलें

आपका बैंक समाज के सभी वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति अपने व्यवसाय का जिम्मेदारी के साथ नियोजन करने हेतु कृत संकल्प है। पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासनात्मक उद्देश्यों को सुदृढ़ करने की दिशा में कई पहलें की हैं।

- बैंक ने पर्यावरण-अनुकूलित क्षेत्रों में उधारी को बढ़ावा देने की दृष्टि से रिटेल आवास एवं वाहन ऋण संविभाग के अंतर्गत 'महाबैंक ग्रीन फाइनेंसिंग' आरंभ किया है।
- नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के सतत प्रयासों के एक भाग के रूप में हमने बैंक के प्रधान कार्यालय एवं बैंक के अपने स्वामित्ववाले परिसरों पर सौर पैनल स्थापित किए हैं।

### Digital Transformation

Your Bank believes that digitally enabled banking solutions that empower customers by making banking accessible, easier, safer, personalised and intuitive are going to define the future of banking. As part of our multi-pronged digital transformation strategy which encompasses both customer facing products, platforms and services and the Bank's backend operations, we undertook a series of technological initiatives during the year.

- The Bank launched Video KYC which enables customers to open bank accounts digitally from the comforts of their home or offices without meeting the bank's employees or visiting a branch.
- A new version of the Bank's existing Mobile Banking Application with a state-of-the-art user interface and enhanced user experience was released during the year.
- The Bank launched the Suvidha portal which is an automated DCSS (Deceased Claim Settlement System) to simplify the claim settlement process for the family members of the deceased.
- The Bank is increasingly deploying software robotics to automate various manual operations with a view to enhance operational efficiency and improve customer response time. During the year, we launched 3 Robotic Processes to automate tasks like Corporate Internet Banking User Creation, Hypothecation Search of Car Loan at VAHAN portal and searching of defaulter lists across all eligible platforms.
- A unique mobile app called ARJUN (Automated Remote Junction for Monitoring of Assets Under Stress) was launched to provide an integrated dashboard for managing stressed assets.
- The Bank's private Cloud Nakshatra which provides high-performance digital infrastructure for hosting the Bank's applications was unveiled.
- The Bank launched Kavach – a state-of-the-art programme to enhance the Bank's security architecture.

### Strategic Growth Initiatives

The Bank's stated vision is to expand its footprint across the length and the breadth of the country by establishing a branch in every district and to unlock new revenue streams either by tapping into emerging product segments or by strengthening presence in existing revenue pools.

- During the year, the Bank expanded its branch network to 2,203 branches.
- Unveiled first ever branch dedicated to start-ups at Pune to support the burgeoning start-up ecosystem in the region.
- The Bank operationalised 3 Digital Banking Units at Satara, Aurangabad and Pune.
- Increased the number of Housing Finance Branches, MSME Branches and Mid-Corporate Branches to cater to these growing customer segments.
- Your Bank is committed to growing its business by partnering with ecosystem players across its areas of endeavour. During the year, the Bank entered into collaborations with industry bodies to extend reach, leading NBFCs to lend under the Co-Lending Model, fintech players for accelerating digital transformation and collectives for enhancing SHG financing among others.

### Environmental, Social and Governance (ESG) Initiatives

Your Bank is committed to conduct its business in a responsible manner and to contribute towards the socio-economic development of all sections of society. Over the year, we launched an array of initiatives to strenghten our ESG goals.

- The Bank introduced 'Mahabank Green Financing' under the retail housing and vehicle Loans portfolio in order to promote lending to environment-friendly sectors.
- As part of our ongoing efforts to adopt renewable energy, we installed solar panels at the Bank's Head Office and Bank-owned premises.

- बैंक ने देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर बहुविध वृक्षारोपण अभियान चलाए।
- बैंक ने अपनी ईएसजी रणनीति के एक भाग के रूप में अपने परिचालन के प्रत्येक पहलू में वेस्ट रिडक्शन और उसके प्रबंधन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। वर्ष के दौरान, हमने पर्यावरण-अनुकूलित रूप से ई-वेस्ट के पुनः प्रयोग के उपाय किए तथा एकल उपयोग वाले प्लास्टिक व प्लास्टिक फोल्डरों के उपभोग को कम किया।
- बैंक अपने कार्पोरेट सामाजिक दायित्वों (सीएसआर) की पूर्ति हेतु शिक्षा एवं कौशल विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य एवं कल्याण के व्यापक कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। वित्तीय वर्ष 23 में हमने अपनी पहलों के माध्यम से 3.5 लाख से अधिक वंचित एवं हाशिए के नागरिकों तक अपनी पहुँच बनाई है।

**वित्तीय समावेशन**

आपका बैंक देश के सभी भारतीयों को उनके द्वार पर बैंकिंग उत्पाद व सेवाएं प्रदान करते हुए वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के राष्ट्रीय एजेंडा के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान बैंक और इसकी अनुषंगी संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक ने 10.85 लाख नए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) खाते खोले तथा सभी आबंटित लक्ष्यों को पूरा किया या उसे पार कर लिया।

**पुरस्कार और मान्यता**

बैंक ने विगत वर्ष में कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये पुरस्कार ग्राहकों एवं हितधारकों द्वारा हम पर व्यक्त किए गए विश्वास को मान्यता देते हैं।

- बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मिड साइज़ श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित बीटी-केपीएमजी बेस्ट बैंक इन इंडिया पुरस्कार प्राप्त किया है।
- बैंक को नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार व विकास के लिए हमारे सहयोग हेतु आपके बैंक को अवार्ड प्रदान किया।
- बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी में फाइनान्शियल एक्सप्रेस - इंडियाज बेस्ट बैंक्स अवार्ड वित्तीय वर्ष 2022 प्राप्त किया।

**भविष्य की ओर**

हमारी धारणा है कि आपका बैंक अपने समर्पित और सर्वश्रेष्ठ टैलेंट पूल, मजबूत पूंजी पर्याप्तता और सुदृढ़ वित्तीय मेट्रिक्स के साथ विकास हेतु तत्पर है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि क अनुरूप अपने बाजार के हिस्से को हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। हम अपने शाखा नेटवर्क के विस्तार, इको-सिस्टम प्लेयर्स के साथ सहयोग और अपने ग्राहकों की उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नए उत्पाद और सेवाओं का आरंभ कर अपनी भौगोलिक पहुंच और कस्टमर रीच को बढ़ाना जारी रखेंगे। बैंक एक विश्व स्तरीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने, परिचालन क्षमता में संवर्धन करने और ग्राहक सुविधा में बढ़ोत्तरी तथा बैंकिंग में सरलता के संवर्धन हेतु टर्न-अराउंड टाइम को कम करने का प्रयास करेगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, हम सभी हितधारकों के मूल्यसंवर्धन हेतु जोखिम सुविचारित तरीके से अपने फ्रैंचाइजी की लाभप्रद रूप से वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा आपके निरंतर संरक्षण और सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

**ए. एस. राजीव**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

- The Bank undertook multiple tree plantation drives at over 50 locations across the country.
- The Bank is focussed on waste reduction and its management in every aspect of its operations as part of its ESG Strategy. During the year, we undertook measures to recycle of e-waste in an eco-friendly manner and reduced our consumption of single-use plastic and plastic folders.
- The Bank supports a wide gamut of programmes across education and skill development, science and technology and health and wellness in order to fulfil its Corporate Social Responsibility (CSR) objectives. In FY23, we touched the lives of over 3.5 lakh underprivileged and marginalised citizens through our initiatives.

**Financial Inclusion**

Your Bank is committed to the national agenda of ensuring financial inclusion of all Indians across the country by providing them access to banking products and services at their doorstep. During the year, the Bank and its subsidiary – Maharashtra Gramin Bank opened 10.85 lakh new Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) accounts and met or exceeded all allocated targets.

**Awards and Recognition**

Your Bank won several laurels and awards in the year gone by. These awards are a recognition of the trust that our customers and stakeholders reposed in us.

- Bank of Maharashtra won the prestigious BT-KPMG Best Bank in India Award in the Mid-Sized Bank category.
- The Bank was honoured at the National MSME Awards 2022. The Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi presented an Award to your Bank for our contribution towards the promotion and development of the MSME sector.
- Bank bagged Financial Express- India's Best Banks award FY 2022 in Public Sector Banks' category.

**Looking Ahead**

We believe that your Bank with its dedicated and best-in-class talent pool, robust capital adequacy and strong financial metrics is uniquely positioned to grow and gain market share as the Indian economy expands. We will continue to increase our geographical and customer reach by expanding our branch network, collaborating with ecosystem players, and introducing new products and services to meet the emerging needs of our customers. The Bank will endeavour to build a world-class digital infrastructure, increase operational efficiencies and reduce turn-around times to enhance ease of banking and increase customer convenience.

At Bank of Maharashtra, we are committed to profitably growing our franchise in a risk calibrated manner to create value for all stakeholders and look forward to your continued patronage and support.

**A. S. Rajeev**
Managing Director & CEO

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

# बैंक एक नज़र में
# BANK AT A GLANCE

**4,09,202 Cr**
Total Business
(21.23% Growth Y-O-Y)

**2.96 Cr**
Customers

**2,203**
Branches

**12,977**
Employees

**57.15%**
RAM Advances

**53.38%**
CASA Ratio

**3.56%**
Net Interest Margin (NIM)

**0.25%**
Net NPA

**39.14%**
Cost to Income Ratio

**2,602 Cr**
Net Profit
(125.96% Growth Y-O-Y)

**18.14%**
CRAR

**1.10%**
Return on Assets




# एमएसएमई का सशक्तिकरण



बैंक का मानना है कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक विकास संचालक हैं और उन्होंने अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। वर्ष के दौरान, कुल एमएसएमई अग्रिमों में 26.50% की वृद्धि हुई और 31.03.2023 को यह रु.33,244 करोड़ हो गए। बैंक ने 68,220 नई सूक्ष्म इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की और एमएसएमई के लिए महाबैंक जीएसटी क्रेडिट योजना के अंतर्गत वित्तपोषण में 53% की वृद्धि हुई।

हमारी कुछ प्रमुख पहलों में, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए देशभर में आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन, सेवा दक्षता में सुधार के लिए केंद्रीकृत ऋण प्रोसेसिंग, अनुमोदन, संवितरण और निगरानी, एमएसएमई को सेवा प्रदान करने के लिए नए डिजिटल उत्पादों के विकास हेतु डिजिटल ऋण विभाग की स्थापना तथा सह-ऋण मॉडल (सीएलएम) के माध्यम से एनबीएफसी उधारी और उद्योग निकाय सहित विभिन्न प्लेयर्स के साथ सहयोग शामिल हैं।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार द्वारा एमएसएमई उधारकर्ताओं के लाभार्थ विभिन्न राहत उपाय योजनाओं का कार्यान्वयन और संवर्धन किया, जिनमें अन्य योजनाओं सहित मुद्रा, ईसीएलजीएस, पीएम-स्वनिधि योजना, कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) और एसयूआई शामिल हैं। बैंक ने सेवा क्षेत्र, कॉन्ट्रैक्टरों, पेशेवरों, डॉक्टरों और जीएसटी पंजीकरण के साथ एमएसएमई को ऋण संवर्धन के लिए विशेष योजनाएं भी तैयार की हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक ने 'सामाजिक योजनाओं के संवर्धन' के लिए 'चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज' का पुरस्कार जीता। बैंक को 'सीएसआर इनीशिऐटिव बैंक' और 'एमएसएमई फ्रेंडली बैंक' श्रेणियों में 'रनर-अप' भी घोषित किया गया।





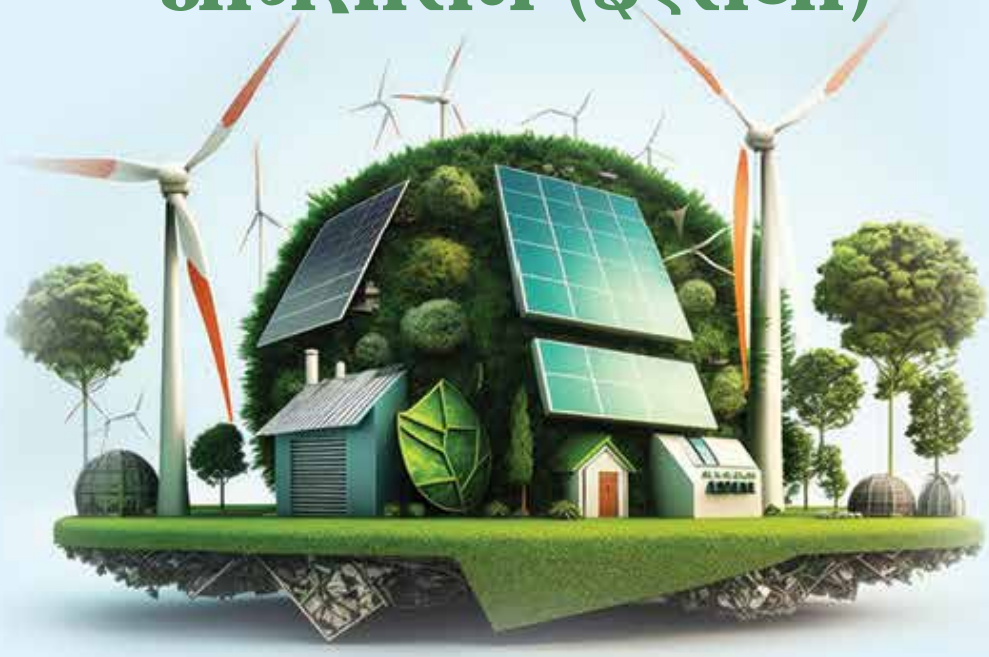

The Bank believes that MSMEs are the primary growth drivers of the Indian economy and has taken a comprehensive approach to service their financing needs. During the year, Total MSME Advances grew by 26.50% and stood at Rs.33,244 Cr as on 31.03.2023. The Bank extended financial assistance to 68,220 new Micro Units and financing under the Mahabank GST Credit Scheme for MSMEs increased by 53%.

Some of our key initiatives include conducting of outreach programmes across the country to increase efficiencies, centralised loan Processing, approval, disbursal and monitoring to improve service efficiency, creation of Digital Lending Department for developing new digital products to serve MSMEs and collaborations with multiple players including industry bodies and leading NBFCs to lend via the Co-Lending Model (CLM).

The Bank has leveraged and implemented various schemes relief measures extended to MSME borrowers by the Government of India and Reserve Bank of India including MUDRA, ECLGS, PMSVANIDHI scheme, Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors (LGSCAS) and SUI among others. The Bank has also designed special schemes to enhance lending to MSMEs with GST Registrations, doctors, professional, contractors and the hospitality sector.

During the year, the Bank won the Chamber of Indian Micro Small & Medium Enterprises' award for 'Promoting Social Schemes'. The Bank was also declared the 'Runner-Up' in 'CSR Initiative Bank' and 'MSME Friendly Bank' categories.

# पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (इएसजी)

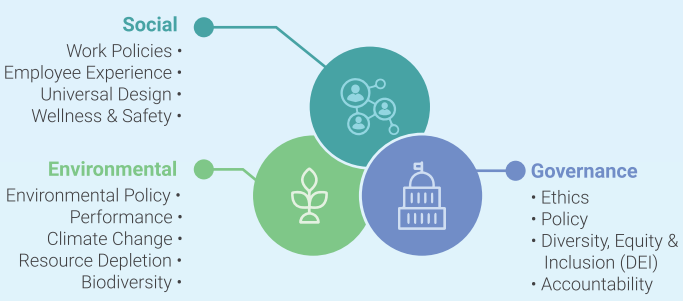


बैंक स्थायी और सतत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए समर्पित है। इएसजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न नीतियां/ प्रक्रियाएं मौजूद हैं। बैंक की इएसजी पहल 'महा ग्रीन पहल' का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल पद्धति से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। बैंक उन गतिविधियों को बढ़ावा देता है जो पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव को कम करती हैं।

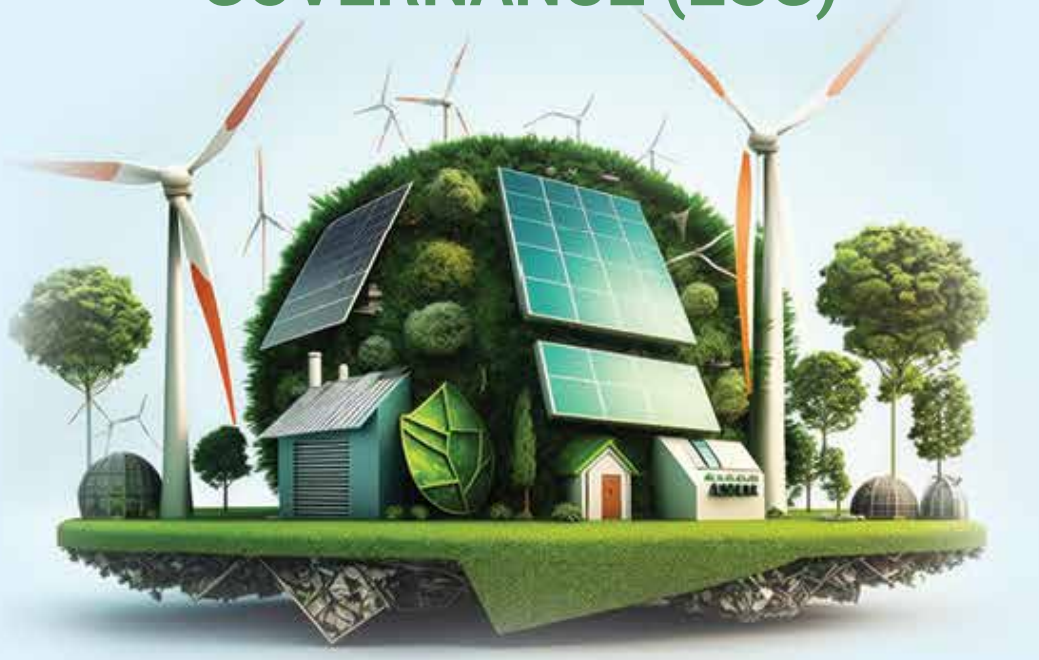
बैंक ने विविध उपायों जैसे विभिन्न गतिविधियों का डिजिटलीकरण, ई-मीटिंग आदि के माध्यम से कागज के उपयोग को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बैंक ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रकाश उपकरण. एसी आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के दौरान ऊर्जा दक्षता मानकों पर विचार किया जाए। हरित ऊर्जा की दिशा में एक पहल के रूप में, बैंक ने अपने स्वामित्व वाले परिसरों में सौर पैनल स्थापित किए हैं। बैंक ने ईवी वित्तपोषण, सौर वित्तपोषण और ग्रीन हाउसिंग परियोजनाओं के लिए अग्रिम उत्पाद आरंभ किए हैं। बैंक ने इको-फ्रेंडली तरीके से ई-वेस्ट को प्रबंधित करने की पहल की है।

बैंक अपने ग्राहकों की भलाई सुनिश्चित करता है जिसके लिए जीवन बीमा, चिकित्सा बीमा, किफायती बीमा (पीएमएसबीवाय, पीएमजेजेबीवाय), आदि जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ग्राहकों के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए भी शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। समावेशी वृद्धि और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं आरंभ की हैं, साथ ही बैंक के पास हाशिए के/ कमजोर समूह वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देने के लिए अधिमानी खरीद नीति विद्यमान है।

बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए उचित आचार संहिता को अपनाने के प्रति बैंक समर्पित है। भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वतखोरी की रोकथाम के लिए बैंक की एक सुपरिभाषित नीति मौजूद है। शीर्ष प्रबंधन और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए बैंकिंग में नैतिकता तथा नैतिक और पारदर्शी अभिशासन के माध्यम से कारोबार संचालन पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।



# ENVIRONMENT, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG)

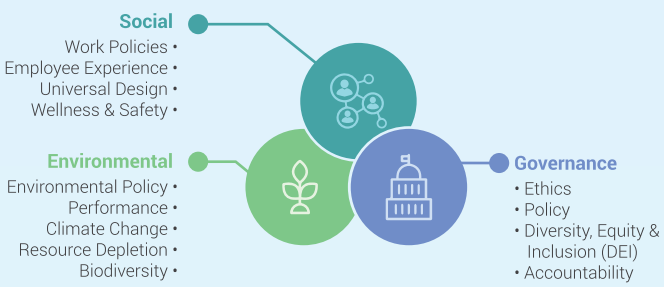


Bank is dedicated towards providing the sustainable banking services. Various policies/ processes are in place to achieve ESG goals. "MAHA GREEN PEHAL" an ESG initiative by Bank, aims to provide banking services in environment friendly manner. Bank promotes the activities which reduces the detrimental effect on the environment.

Bank has taken various step to reduce the usage of paper through various means such as digitalization of various activity, e-meeting etc. Bank has restricted the single use plastics. Bank ensures that energy efficiency standards are considered during the purchase of electronic equipment such as computers, laptops, lighting devices, AC's etc. As an initiative towards Green energy, Bank has installed solar panels in owned premises. Bank has introduced the advances products for EV financing, Solar financing and Green housing projects. Bank has taken initiative to carry out the E-Waste Management in an eco-friendly manner.

Bank ensure the well-being of its customers for which various facilities like life insurance, medical insurance, affordable insurance (PMSBY, PMJJBY), etc are provided. Grievance redressal mechanism is in place for the customer concern as well as employees. To promote inclusive growth and equitable development, bank has taken various CSR projects as well as Bank has preferential procurement policy to give preference to purchase from suppliers comprising marginalised/vulnerable group.

Bank is dedicated towards adoption of fair practices code of providing banking services. Bank has a well-defined policy for prevention of anti-corruption or anti-bribery. Training programs for Top Management and key Managerial personnel has been conducted on Business conduction through ethical and transparent governance and Ethics in Banking.





# कृषि में वृद्धि उत्प्रेरण

बैंक अपने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा 606 ग्रामीण व 602 अर्ध–शहरी शाखाओं के अपने नेटवर्क के माध्यम से अपने उन ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न हैं। हम न केवल सरल कृषि–सावधि ऋण, नकदी ऋण समाधान और महाबैंक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि ऋण प्रदान करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वेयरहाउस रसीद वित्तपोषण, खाद्य और कृषि आधारित उद्योगों के लिए महा कृषि समृद्धि योजना और महाबैंक गोल्ड लोन योजना–कृषि जैसे विशेषीकृत ऋण समाधान भी प्रदान करते हैं।

वित्तीय वर्ष 23 के दौरान बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र और कृषि के अंतर्गत उप–लक्ष्यों सहित सभी अनिवार्य लक्ष्यों (तिमाही औसत आधार पर) को प्राप्त करना जारी रखा। पिछले 2 वर्षों में बैंक के कृषि क्षेत्र के लिए कुल बकाया अग्रिमों में 40% से अधिक की वृद्धि हुई और यह 31.03.2023 को रु.23,400 करोड़ रहे। वित्तीय वर्ष 23 के दौरान, बैंक ने कृषि के अंतर्गत निवेश ऋण और कृषि स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें क्रमशः 35.28% और 72% की वृद्धि हुई।

बैंक स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण देने को उत्प्रेरित करने तथा कृषि इको–सिस्टम में स्वयं को स्थापित करने के लिए गठजोड़ और साझेदारी विकसित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान, हमने श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (एसकेडीआरडीपी) और ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल (जीएमबीवीएम) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जिससे हमें 54,000 नए एसएचजी खाते खोलने में सहायता मिली। एसएचजी पोर्टफोलियो रु. 577 करोड़ से वर्ष–दर–वर्ष आधार पर 261.58% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2023 को बढ़कर रु. 2,086.33 करोड़ रहा।





# CATALYSING GROWTH IN AGRICULTURE

The Bank serves the financial requirements of its customers who are primarily engaged in agriculture and allied activities in a hassle-free manner through its network of 606 rural and 602 semi-urban branches and digital infrastructure. We not only provide farm credit through simple agri-term loans, cash credit solutions and the Mahabank Kisan Credit Card but also offer products like Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and specialised credit solutions like warehouse receipt financing, Mahabank Gold Loan Scheme - Agriculture and Maha Krishi Samruddhi Scheme for food and agro-based industries.

The Bank continued to achieve all mandatory targets (on a quarterly average basis) under Priority Sector and Agriculture including sub-targets during FY23. The Total Outstanding Advances to the agriculture sector by the Bank have grown by 40%+ over the last 2 years and stood Rs. 23,400 Crs. as on 31.03.2023. During FY23, the Bank focussed on enhanching Investment Credit under Agriculture and the Agriculture Gold Loan portfolio which grew by 35.28% and 72% respectively.

The Bank is also committed to developing alliances and partnerships to entrench itself into the agricultural ecosystem and to catalyse lending to Self Help Groups (SHGs). During the year, we signed MOUs with Shri Kshethra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP) and Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMBVM) which helped us in opening 54,000 new SHG accounts. The SHG portfolio increased from Rs. 577 Cr to Rs. 2,086.33 Cr as of 31.03.2023 registering a growth 261.58% on Y-o-Y basis.



# डिजिटल रूपांतरण

## लाभ

- ग्राहक सेवा
- 24X7 उपलब्धता
- तत्काल बैंकिंग सेवाएं
- कम ओवरहेड्स
- बैंकिंग लाभ



बैंक का मानना है कि डिजिटल रूप से सक्षम बैंकिंग सॉल्यूशन हमारे ग्राहकों को सशक्त करेंगे और हमारे हितधारकों के लिए मूल्य निर्मित करेंगे। बैंक के डिजिटल रूपांतरण को संचालित करने के लिए हमने एक समन्वित रणनीति अपनाई है, जिसमें अत्याधुनिक ग्राहक–उन्मुख चैनल, उत्पाद व सेवाएं निर्मित करना तथा एक सुदृढ़, लचीला और प्रतिक्रियाशील प्रौद्योगिकी बैकबोन की स्थापना शामिल है।

हम बैंकिंग को आसान, सुरक्षित, अधिक व्यक्तिगत तथा अधिक सुलभ बनाने के लिए अपने ग्राहक–उन्मुख डिजिटल चैनलों के माध्यम से अपनी पैठ और आकर्षण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, हमारे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग चैनल के ग्राहकों की संख्या में 24% की बढ़ोत्तरी हुई और इनकी संख्या क्रमशः 24.13 लाख ग्राहक और 23.46 लाख ग्राहक हो गई। बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप का अधिक भविष्योन्मुख और ग्राहक–अनुकूल संस्करण – महामोबाइल प्लस ऐप लॉन्च किया और वॉट्सएप बैंकिंग सेवाओं में संवर्धन किया। हमने अनुमोदन पूर्व वैयक्तिक ऋणों और मुद्रा ऋणों के लिए ग्राहकों को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) प्लेटफॉर्म और अपने घरों से सहजता से ऋण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाने हेतु एक ऑनलाइन ऋण आवेदन मॉड्यूल वीडियो केवाईसी का भी कार्यान्वयन किया है।

बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी डिजिटल अवसंरचना को सशक्त करने और अपनी परिचालन क्षमता में बढ़ोत्तरी करने हेतु कई पहलें की हैं। हमारी कुछ प्रमुख पहलों में रोबोटिक ऑटोमेशन प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन, रिटेल ऋणों के लिए ई–हस्ताक्षर और ई–स्टांपिंग सुविधाओं हेतु एनईएसएल के साथ समन्वित ऋण लाइफसाइकल प्रबंधन प्रणाली (एलएलएमएस) का शुभारंभ, सुविधा पोर्टल (एक स्वचालित डीसीएसएस – मृतक दावा निपटान प्रणाली) को लॉन्च करना, मोबाइल पर अर्जुन नामक एक समन्वित डैशबोर्ड का अनावरण (दबावग्रस्त आस्ति की निगरानी के लिए स्वचालित रिमोट जंक्शन), बैंक के निजी क्लाउड होस्टिंग सॉल्यूशन – नक्षत्र का शुभारंभ और बैंक के सुरक्षा आर्किटेक्चर को बढ़ाने के लिए कवच – एक अत्याधुनिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है।

हम अगले 1.5 से 2 वर्षों में डिजिटल रूपांतरण हेतु प्रक्रियारत हैं। प्रस्तावित डिजिटल रूपांतरण निम्नलिखित स्तंभों पर आधारित है:

- आस्तियों, देयताओं, संपत्ति और शुल्क आय उत्पादों में ग्राहक यात्रा का डिजिटलीकरण।
- डिजिटाइजेशन के लिए फिनटेक कंपनियों और पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों की ऑनबोर्डिंग।
- रोबोटिक्स के माध्यम से बैक–ऑफिस प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन।
- बैंक में विशेष रूप से अनुपालन वर्टिकल की सुरक्षा की दूसरी और तीसरी श्रृंखला की प्रभावशीलता का संवर्धन। आंतरिक और बाह्य विनियामक अनुपालन के लिए प्रौद्योगिकी पहल/ ऑटोमेशन।
- बैंक की डिजिटल रूपांतरण यात्रा को सहयोग प्रदान करने के लिए बैंक के प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर और अवसंरचना के संवर्धन के लिए रणनीति।
- बैंक के लिए 'भविष्य का डिजिटल संगठन' डिजाइन करना और उसे कार्यान्वित करना।

हम अपनी डिजिटल रणनीति के बेहतर संवर्धन के लिए भागीदारियों का एक नेटवर्क भी बना रहे हैं, जिसमें फिनटेक प्लेयर्स, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां (सीआईसी) यथा एक्सपेरियन और सीआरआईएफ और कॉरपोसिटरी तथा क्रिसिल के संगठन शामिल हैं।

# TRANSFORMING DIGITALLY



## Benefit

- Customer Service
- 24X7 Availability
- Instant banking services
- Lower overheads
- Banking Benfits

The Bank believes that digitally-enabled banking solutions will empower our customers and create value for our stakeholders. We have adopted an integrated strategy that encompasses creating state-of-the-art customer-facing channels, products and services and building a robust, resilient and responsive technology backbone to drive the digital transformation of the Bank

We are focussed on driving increased penetration and engagement through our customer-facing digital channels to make banking easier, safer, more personalised and more accessible. During the year, both our internet banking and mobile banking channels grew by over 24% to 24.13 lakh customers and 23.46 lakhs customers respectively. The Bank launched a more futuristic and customer-friendly version of its mobile banking app – the Mahamobile Plus App and enhanced banking services on WhatsApp Banking. We also implemented Video KYC, an online loan application module to enable our customers to apply for loans from the comfort of their homes and Straight Through Processing (STP) platforms for pre-approved personal loans and MUDRA loans.

The Bank undertook a series of initiatives to strengthen its digital infrastructure and augment its operation efficiency during the year. Some of our key initiatives included implementation of Robotic Automation Processes, launch of an integrated Loan Lifecycle Management System (LLMS) with NeSL for e-signing and e-stamping facilities for retail loans, launch of the Suvidha portal (an automated DCSS - Decease Claim Settlement System), unveiling of an integrated dashboard on mobile called ARJUN (Automated Remote Junction for Monitoring of Assets

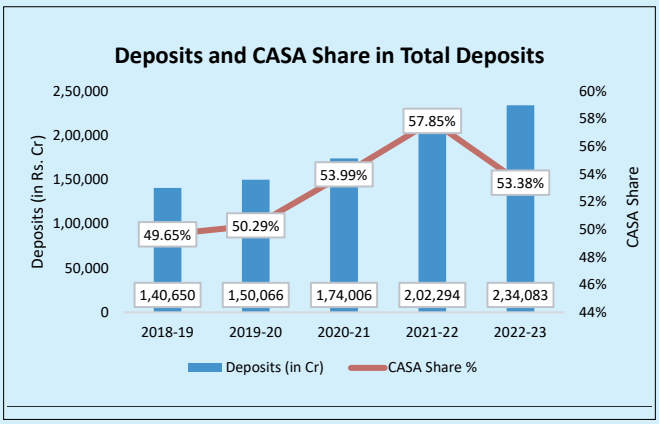
Under Stress), launch of the Bank's private cloud hosting solution - Nakshatra and the implementation of Kavach – a state-of-the-art programme to enhance the Bank's security architecture.

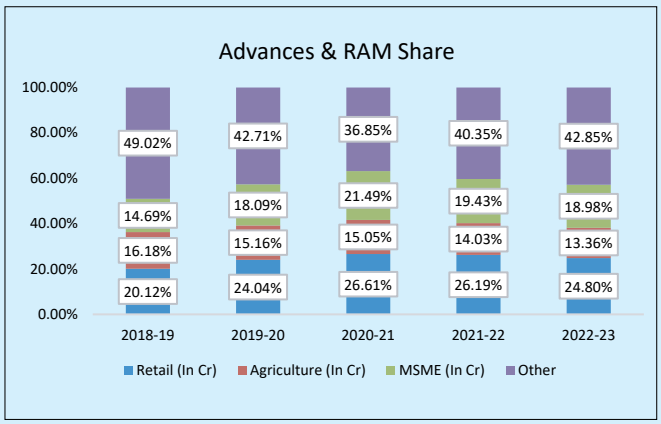
We are in the process of undergoing a Digital Transformation within next 1.5 to 2 years. The proposed digital transformation is based on following pillars:

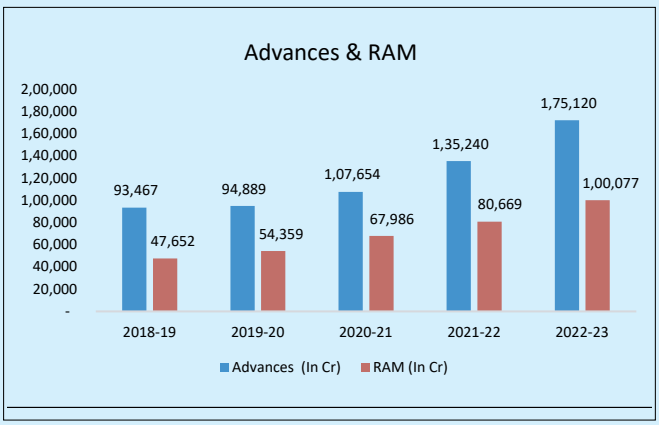
- Digitalization of customer journeys across assets, liabilities, wealth & fee income products.
- Onboarding of Fintech companies and ecosystem partners for digitization.
- Automation back-office processes through Robotics.
- Enhancing effectiveness of 2nd and 3rd line of defence in the Bank especially compliance vertical. Technology initiatives/ Automation for internal and external regulatory compliances.
- Strategy for augmenting the technology architecture and infrastructure of the Bank to support digital transformation journey of the Bank.
- Designing and implementing "Digital Organization of the Future" for the Bank.

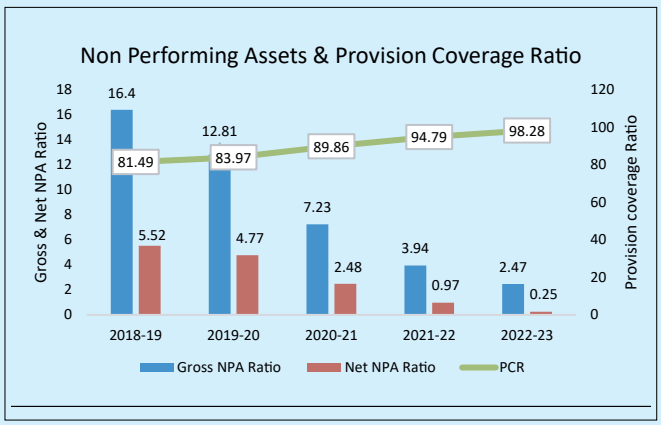
We are also building a network of partnerships which includes fintech players, Credit Information Companies (CICs) like Experian and CRIF and organisations to CRISIL and Corpository to further augment our digital strategy.

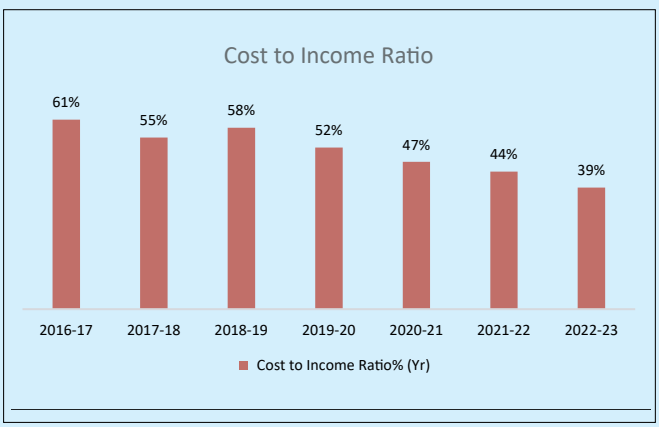
# मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक / KEY PERFORMANCE INDICATORS

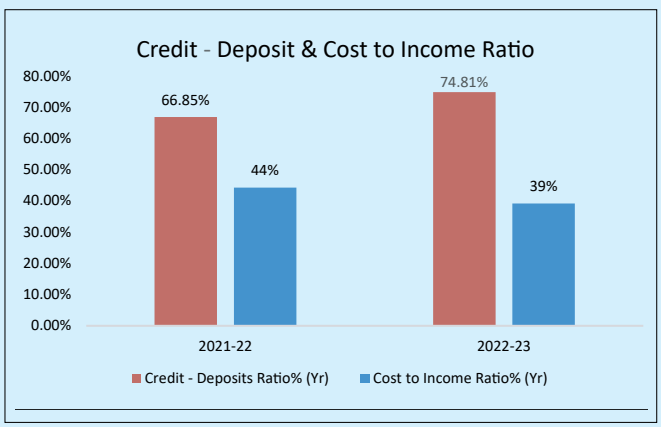


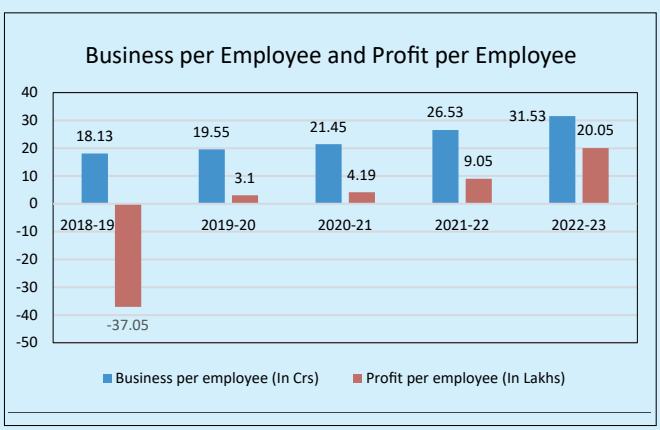



# प्रगति एक नजर में Progress at a Glance

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

| | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रदत्त पूंजी Paid up Capital | 1168 | 2598 | 2753 | 5824 | 6560 | 6731 | 6731 |
| आरक्षितियां Reserves | 6211 | 7346 | 2986 | 4931 | 5573 | 7154 | 8880 |
| **कुल जमाराशियां Total Deposits** | 139053 | 138981 | 140650 | 150066 | 174006 | 202294 | 234083 |
| वृद्धि % Growth % | 0.05 | (0.05) | 1.20 | 6.69 | 15.95 | 16.26 | 15.71 |
| कुल जमाराशियों में कासा का अंश CASA Share in Total deposits | 44.89 | 47.74 | 49.65 | 50.29 | 53.99 | 57.85 | 53.38 |
| **अग्रिम Advances** | 101537 | 94645 | 93467 | 94889 | 107654 | 135240 | 175120 |
| वृद्धि % Growth % | (8.72) | (6.79) | (1.24) | 1.52 | 13.45 | 25.62 | 29.49 |
| रिटेल अग्रिम Retail Advances | 15792 | 16547 | 18805 | 22810 | 28651 | 35422 | 43433 |
| **प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances** | 40388 | 40709 | 35426 | 38,900 | 49109 | 42640 | 66844 |
| कृषि Agriculture | 15291 | 17199 | 15120 | 14385 | 16202 | 18968 | 23400 |
| **सूक्ष्म व लघु उद्यम Micro and Small Enterprises** | 20419 | 15940 | 13727 | 17164 | 23133 | 26279 | 33244 |
| अल्पसंख्यक वर्ग को अग्रिम Advances to Minority Sections | 2921 | 2887 | 2923 | 3017 | 3814 | 4481 | 5723 |
| अजा/अजजा वर्ग को अग्रिम Advances to SC / ST Sections | 1738 | 2333 | 2317 | 2530 | 2911 | 4234 | 5442 |
| निर्यात ऋण Export Credit | 1213 | 1210 | 1200 | 1167 | 1311 | 1385 | 1715 |
| कुल आय Total Income | 13570 | 12602 | 12397 | 13145 | 14494 | 15672 | 18179 |
| कुल व्यय Total Expenditure | 11743 | 10411 | 10199 | 10298 | 10536 | 10824 | 12080 |
| परिचालन लाभ Operating Profit | 1827 | 2191 | 2198 | 2847 | 3958 | 4848 | 6099 |
| निवल लाभ Net Profit | (1373) | (1146) | (4784) | 389 | 550 | 1152 | 2602 |
| शाखाओं की संख्या Number of Branches | 1897 | 1846 | 1832 | 1833 | 1915 | 2022 | 2203 |
| एटीएम की संख्या Number of ATMs | 1878 | 1864 | 1858 | 1851 | 1950 | 2128 | 2330 |
| **प्रमुख निष्पादन अनुपात (%) Key Performance Ratios (%)** | | | | | | | |
| पूंजी पर्याप्तता अनुपात-बेसल II (%) Capital Adequacy Ratio- Basel II (%) | 11.18 | 11.00 | 11.86 | 13.52 | 14.49 | 16.48 | 18.14 |
| प्रति शेयर आय Earning Per Share | (11.75) | (8.98) | (14.26) | 0.67 | 0.88 | 1.72 | 3.87 |
| प्रति शेयर बही मूल्य Book Value Per Share | 46.96 | 23.73 | 10.24 | 11.99 | 12.22 | 15.12 | 18.97 |
| प्रति कर्मचारी व्यवसाय Business Per Employee | 18.54 | 18.07 | 18.13 | 19.55 | 21.45 | 26.53 | 31.53 |
| प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में) Profit Per Employee (₹ in lakhs) | (10.58) | (8.86) | (37.05) | 3.10 | 4.19 | 9.05 | 20.05 |
| औसत आस्तियों पर आय Return on Average Assets | (0.86) | (0.73) | (3.01) | 0.23 | 0.30 | 0.55 | 1.10 |
| लागत आय अनुपात Cost to Income Ratio | 60.98 | 55.24 | 58.39 | 51.97 | 47.39 | 44.26 | 39.14 |
| सकल अनर्जक आस्ति अनुपात Gross NPA ratio | 16.93 | 19.48 | 16.40 | 12.81 | 7.23 | 3.94 | 2.47 |
| निवल अनर्जक आस्ति अनुपात Net NPA ratio | 11.76 | 11.24 | 5.52 | 4.77 | 2.48 | 0.97 | 0.25 |
| प्रावधान कवरेज अनुपात Provision Coverage Ratio | 44.48 | 58.71 | 81.49 | 83.97 | 89.86 | 94.79 | 98.28 |
| समायोजित निवल बैंक ऋण से प्राथमिकता ऋण Priority Credit to Adjusted Net Bank Credit | 34.99 | 38.63 | 40.70 | 42.47 | 54.23 | 40.89 | 56.77 |

# निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र, लाभ व हानि खाते और व्यवसाय एवं परिचालन पर रिपोर्ट के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

## 1. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

### आर्थिक और बैंकिंग परिदृश्य 2022-23

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने सकारात्मकता दर्शाना जारी रखा है। बदलते वैश्विक परिदृश्य के कारण उत्पन्न हुई अनिश्चितता दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण पर दबाव बना रही है। इन सबके बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थान पर बनी हुई है और यह 2022-23 में 7% की दर से वृद्धि हेतु तत्पर है, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई है।

भारत में बैंकिंग क्षेत्र ने ऋण की मांग के अनुरूप प्रतिसाद दिया है। बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ऋण की तीव्र आपूर्ति, कॉर्पोरेट्स के अनुरूप, उनकी बेहतर वित्तीय सुदृढ़ता के कारण संवर्धित हुई है, जिसे पर्याप्त बजटीय सहयोग के माध्यम से सरकार द्वारा समर्थन दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण जोखिम के लिए किए गए मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट से यह स्पष्ट होता है कि बैंक बेहतर रूप से पूंजीकृत हैं और प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों में भी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का पालन करने में सक्षम होंगे।

निजी खपत, अधिक पूंजीगत व्यय, सुदृढ़ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, लघु उद्यमों के लिए वित्त पोषण में वृद्धि और शहरों में प्रवासी श्रमिकों की वापसी जैसी सभी बातों ने विकास में योगदान दिया।

### दृष्टिकोण

महामारी से रिकवरी अपेक्षाकृत तेज रही और आगामी वर्ष में ठोस घरेलू मांग और पूंजी निवेश में गति से वृद्धि को समर्थन मिलेगा। सरकार के सुधार-उन्मुख दृष्टिकोण के साथ मजबूत मैक्रो-इकोनॉमिक फंडामेंटल संयुक्त रूप से भारत का आर्थिक विकास पथ निर्मित कर रहे हैं।

ऋण वृद्धि व्यापक रूप से सभी क्षेत्रों पर आधारित रही है, जिसमें रिटेल ऋण विकास को गति दे रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित रियायती संस्थागत ऋण और उच्च कृषि ऋण लक्ष्य के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों को गति मिली। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के प्रभावी कार्यान्वयन से अर्जित लाभों और सरकार की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के समर्थन से एमएसएमई को ऋण में तेजी से औद्योगिक ऋण वृद्धि में संवर्धन हुआ है।

क्रेडिट ऑफ-टेक में वृद्धि के सतत बने रहने की उम्मीद है और निजी कैपेक्स में गति के साथ संयुक्त रूप से एक परिपूर्ण निवेश चक्र की शुरुआत होगी। विनियामकों द्वारा वित्तीय प्रणाली में जोखिमों की सतत निगरानी और उन्हें नियंत्रित करने के उनके प्रयासों से भी क्रेडिट अपसाइकल को सहायता मिलेगी। एक बार अनिश्चितता का कोहरा छंटने के बाद सुदृढ़ मैक्रो-इकॉनॉमिक फंडामेंटल्स पुनः भारत में वैश्विक पूंजी प्रवाह को मजबूती प्रदान करेंगे।

## 2. वर्ष 2022-23 का कार्य निष्पादन

i. बैंक का कुल व्यवसाय 31.03.2022 के रु.3,37,534 करोड़ की तुलना में 31.03.2023 को रु.4,09,202 करोड़ रहा। बैंक के कारोबार में 21.23% की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित हुई।

ii. कुल जमाराशियां 31.03.2022 के रु. 2,02,294 करोड़ की तुलना में बढ़कर 31.03.2023 को रु. 2,34,083 करोड़ रही। कुल जमाराशियों में 15.71% की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित हुई।

iii. कासा जमाराशियां 31.03.2022 के रु.1,17,035 करोड़ की तुलना में 6.77% की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित करते हुए 31.03.2023 को बढ़कर रु.1,24,961 करोड़ रही।

iv. सकल अग्रिम 31.03.2022 के रु.1,35,240 करोड़ की तुलना में बढकर 31.03.2023 को रु. 1,75,120 करोड़ रहा। सकल अग्रिमों में 29.49% की वार्षिक वृद्धि प्रदर्शित हुई।

# DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the Annual Report of the Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2023.

## 1. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

### Economic and Banking Scenario 2022-23

Indian economy continues to show resilience amid global uncertainties. The uncertainty caused by the evolving global scenario is weighing heavily on the outlook for economies across the globe. Amidst this, the Indian economy remains a bright spot and has positioned itself to grow at 7% in 2022-23, making it the fastest growing major economy in the world.

The banking sector in India has responded in equal measure to the demand for credit. The aggressive supply of credit by the banking sector has been triggered by their improved financial health as that of the corporates, well supported by the government through adequate budgetary support. Macro-stress tests conducted by RBI for credit risk reveal that the banks are well-capitalized and would be able to comply with the minimum capital requirements even under adverse stress scenarios.

Private consumption, more capital expenditures, a stronger corporate balance sheet, increased financing to small enterprises, and the return of migrant workers to cities all contributed to growth.

### Outlook

The recovery from the pandemic was relatively quick, and growth in the upcoming year will be supported by solid domestic demand and a pickup in capital investment. Strong macro-economic fundamentals, combined with reform-oriented approach of the Government are building India's economic growth trajectory.

Credit growth has been broad-based across sectors, with retail credit driving the growth. Credit to agriculture and allied activities gained momentum through concessional institutional credit and higher agricultural credit target set by the government. Industrial credit growth has been buoyed by a pick-up in credit to MSMEs, assisted by the benefits accrued from the effective implementation of the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) and the support provided by the government's production-linked incentive scheme.

The growth in credit offtake is expected to sustain, and combined with a pick-up in private Capex, will usher in a virtuous investment cycle. The credit upcycle will also be aided by constant monitoring of the risks in the financial system by the regulators and their efforts to contain them. Strong macroeconomic fundamentals will underpin the return of global capital flows to India once the fog of uncertainty lifts.

## 2. PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2022-23

i. Total Business of the bank has increased from Rs.3,37,534 Crore as on 31.03.2022 to Rs.4,09,202 Crore as on 31.03.2023. Business of the Bank showcased annual growth of 21.23%.

ii. Total deposits of the bank increased from Rs. 2,02,294 crore as on 31.03.2022 to Rs. 2,34,083 crore as on 31.03.2023. Total deposits have showcased annual growth of 15.71%.

iii. CASA deposits have increased from Rs. 1,17,035 crore as on 31.03.2023 to Rs.1,24,961 crore as on 31.03.2022 showcasing annual growth of 6.77%.

iv. Gross advances have increased from Rs.1,35,240 crore as on 31.03.2022 to Rs.1,75,120 crore as on 31.03.2023. Gross Advances have shown year on year growth of 29.49%.

v. परिचालन लाभ 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के रु.4847.87 करोड़ से 25.81% बढ़कर 31.03.2023 को समाप्त वर्ष में रु.6099.21 करोड़ हो गया। इसी अवधि के दौरान निवल लाभ रु.1151.54 करोड़ से 125.96% बढ़कर रु. 2602.03 करोड़ हो गया।

### 2.1 ऋण का क्षेत्रवार विनियोजन

| कुल बकाया में प्रतिशत | 31.03.2023 को बकाया | कुल बकाया में प्रतिशत | 31.03.2022 को बकाया | कुल बकाया में प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| **उद्योग** | 59,295.32 | 33.86% | 44,045.15 | 32.57% |
| इसमें से | | | | |
| i. अवसंरचनात्मक | 34,127.30 | 19.49% | 21,643.82 | 16.01% |
| ii. रसायन व रासायनिक उत्पाद | 1,376.06 | 0.79% | 1,357.02 | 1.00% |
| iii. पेट्रोलियम (प्राकृतिक गैस सहित) | 1,973.91 | 1.13% | 600.74 | 0.44% |
| iv. लोहा व स्टील | 1,304.40 | 0.74% | 566.80 | 0.42% |
| v. एनबीएफसी | 16,909.57 | 9.66% | 11,132.79 | 8.24% |
| vi. इंजीनियरिंग | 1,935.22 | 1.11% | 1,235.38 | 0.91% |
| vii. निर्माण | 650.90 | 0.37% | 128.57 | 0.10% |
| viii. अन्य उद्योग | 1,017.96 | 0.58% | 7,380.03 | 5.46% |
| कृषि | 23,399.66 | 13.36% | 18,968.15 | 14.02% |
| एमएसएमई | 33,243.62 | 18.98% | 26,279.08 | 19.43% |
| आवास | 25181.06 | 14.38% | 21103.06 | 15.60% |
| शिक्षा | 1828.64 | 1.04% | 1458.85 | 1.08% |
| निर्यात | 1,715.19 | 0.98% | 1,385.01 | 1.02% |
| वाणिज्यिक भूसंपदा | 2,247.53 | 1.28% | 1,253.84 | 0.93% |
| सकल अग्रिम | 1,75,120.00 | | 1,35,240.00 | |

### 2.2 आस्ति गुणवत्ता और एनपीए प्रबंधन

- बैंक ने सभी अंचल कार्यालयों में ''**आस्ति वसूली कक्षों** (**एआरसी**)'' की स्थापना की है ताकि उन्नयन और एनपीए वसूली के लिए ध्यान केंद्रित करने के प्रयास सुनिश्चित किए जा सकें।
- बैंक ने अपने अंचलों में बड़े एनपीए खातों, विशेषकर जहां कानूनी कार्रवाई चल रही है तथा जहां बैंक को अनुवर्तन की दृष्टि से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, के लिए तेरह **आस्ति वसूली शाखाएं** (**एआरबी**) भी स्थापित की हैं, ताकि अनुवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
- इसके साथ ही बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक अलग विभाग के माध्यम से **दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल** की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत बैंक ने दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे में 4 (चार) दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन (एसएएम) शाखाओं की स्थापना की हैं, जहां रु.5 करोड़ और उससे अधिक के शेषवाले एनपीए की निगरानी की जाती है। एनपीए वसूली में सुधार हेतु केन्द्रित अनुवर्तन किया जाएगा।
- **लोन ट्रैकिंग कक्ष** की स्थापना की गई है, जहां बैंक स्लिपेजेस/ दबावग्रस्त खातों के उधारकर्ताओं के साथ दैनिक आधार पर टेलिफोन से अनुवर्तन करता है और अतिदेयों के पुनर्भुगतान पर जोर दिया जाता है। ऐसा अपेक्षित है कि इसके परिणामस्वरूप वसूली में सुधार और एनपीए में कोटि उन्नयन होगा।
- **इरादतन चूककर्ताओं** की पहचान हेतु डीआरटी/ सरफेसी अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई को गति प्रदान करने के लिए बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय में अलग कक्षों की भी स्थापना की है।
- बैंक स्वप्रेरणा से गैर भेदभावपूर्ण और गैर विवेकाधीन एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजनाओं को लागू कर रहा है। योजना के अंतर्गत कार्य-निष्पादन की निगरानी दैनिक आधार पर प्रधान कार्यालय के वसूली विभाग द्वारा की जाती है। वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने ऐसी निम्नलिखित ओटीएस योजनाओं की शुरूआत की है :

v. Operating Profit increased 25.81% to Rs.6099.21 crore in year ended 31.03.2023 from Rs. 4847.87 crore in year ended 31.03.2022. During the same period Net Profit increased 125.96% to Rs.2602.03 crore from Rs. 1151.54 crore.

### 2.1 Sectoral Deployment of Credit

(Amt. in Rs. crore)

| Percentage to Total Outstanding | O/s as on 31.03.2023 | Percentage to total O/s | O/s as on 31.03.2022 | Percentage to total O/s |
|---|---|---|---|---|
| Industry | 59,295.32 | 33.86% | 44,045.15 | 32.57% |
| Of which | | | | |
| i. Infrastructure | 34,127.30 | 19.49% | 21,643.82 | 16.01% |
| ii. Chemicals & Chemical Products | 1,376.06 | 0.79% | 1,357.02 | 1.00% |
| iii. Petroleum (Including Natural Gas) | 1,973.91 | 1.13% | 600.74 | 0.44% |
| iv. Iron and Steel | 1,304.40 | 0.74% | 566.80 | 0.42% |
| v. NBFCs | 16,909.57 | 9.66% | 11,132.79 | 8.24% |
| vi. Engineering | 1,935.22 | 1.11% | 1,235.38 | 0.91% |
| vii. Construction | 650.90 | 0.37% | 128.57 | 0.10% |
| viii. Other Industries | 1,017.96 | 0.58% | 7,380.03 | 5.46% |
| Agriculture | 23,399.66 | 13.36% | 18,968.15 | 14.02% |
| MSME | 33,243.62 | 18.98% | 26,279.08 | 19.43% |
| Housing | 25181.06 | 14.38% | 21103.06 | 15.60% |
| Education | 1828.64 | 1.04% | 1458.85 | 1.08% |
| Exports | 1,715.19 | 0.98% | 1,385.01 | 1.02% |
| Commercial Real estate | 2,247.53 | 1.28% | 1,253.84 | 0.93% |
| Gross Advances | 1,75,120.00 | | 1,35,240.00 | |

### 2.2 Asset Quality and NPA Management

- The Bank has set up **"Asset Recovery Cells (ARC)"** at all zonal offices to ensure focused efforts for upgradation and NPA recovery.
- Thirteen **Asset Recovery Branches (ARBs)** have also been set up across the Bank's Zones for large NPA accounts, more particularly where legal actions are in progress so as to make focused follow up.
- Further, Bank has established **Stressed Assets Management Vertica**l by way of a separate department at Head Office under which Bank has started 4 (four) Stressed Assets Management (SAM) branches in Delhi, Mumbai, Hyderabad and Pune, where NPAs with balance of Rs.5 crore and above are monitored. Focused follow up is undertaken to improve NPA recovery.
- **The Loan Tracking Cell** has been established where Bank undertakes telephonic follow up on daily basis with borrowers of stressed accounts / slippages and repayment of overdues is insisted. This will result in improving recovery and upgradation of NPAs.
- The Bank has also set up separate Cells at its Head Office for identification of **Wilful Defaulters**, gearing up the actions under DRT / SARFAESI Acts.
- Bank has been implementing Suo Motu non-discriminatory and non-discretionary One Time Settlement (OTS) Schemes. Monitoring of the performance under the schemes is undertaken from Recovery Department, Head Office on daily basis. During FY 2022-23 the Bank introduced following such OTS schemes:

1. **महा सहयोग 2022-23**: संदिग्ध- I, संदिग्ध- II, संदिग्ध- III, हानि और 31.03.2022 को रु.1 करोड़ तक के खाता बही शेष वाले तकनीकी बट्टाकृत एवं नियमित बट्टाकृत (टीडब्ल्यूओ एंड आरडब्ल्यूओ) खातों के निपटान की योजना । यह योजना 01.06.2022 से प्रभावी है।

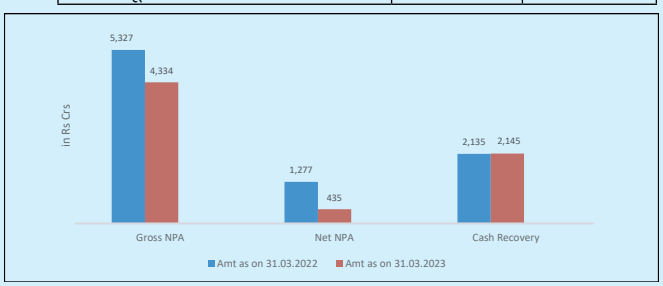
2. **महा संधि 2022-23** : संदिग्ध- I, संदिग्ध- II, संदिग्ध- III, हानि और तकनीकी बट्टाकृत एवं नियमित बट्टाकृत (टीडब्ल्यूओ और आरडब्ल्यूओ) श्रेणी में एनपीए खातों के निपटान के लिए योजना, जिनमें 31.03.2022 को लेजर बैलेंस रु.1.00 करोड़ से अधिक और रू.50.00 करोड़ तक है और योजना 01.06.2022 से प्रभावी है।

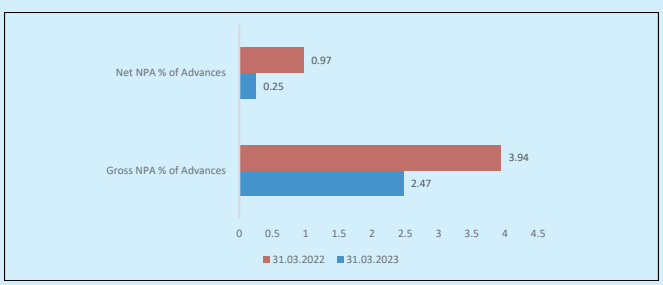
3. **महा संवेदना 2022-23 :** उप मानक, संदिग्ध- I, संदिग्ध- II, हानि और बट्टाकृत एवं नियमित बट्टाकृत (टीडब्ल्यूओ /आरडब्ल्यूओ) श्रेणी के सभी एनपीए खातों के लिए योजना जहां लेजर बैलेंस रु.50.00 लाख तक है और उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता /स्वामी की मृत्यु हो गई हो। यह योजना 01.06.2022 से प्रभावी है।

बैंक ने दौरों, पत्र, नोटिसों, वसूली शिविरों, लोक अदालतों, महबैंक अदालतों, सरफेसी/ डीआरटी अधिनियम के माध्यम से चूककर्ता उधारकर्ताओं पर गहन अनुवर्ती कार्रवाई की है। रिज़ॉल्यूशन एजेंटों/ वसूली एजेंटों की सेवाएं ली जाती हैं, ताकि शीघ्र निपटान हो सके। बैंक ने दिवाला और दिवालियापन कोड 2016 के प्रवाधानों के अंतर्गत भी विभिन्न बड़े एनपीए उधारकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की है।

अनर्जक आस्तियों की स्थिति निम्नानुसार है: (रु.करोड़ में)

| ब्यौरा | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| सकल अर्नजक आस्तियां (एनपीए) | 4334 | 5327.21 |
| अग्रिमों से % | 2.47% | 3.94% |
| निवल अर्नजक आस्तियां (एनपीए) | 435.18 | 1276.57 |
| अग्रिमों से % | 0.25% | 0.97% |
| नकदी वसूली | 2145.01 | 2134.73 |




## 2.3 विदेशी मुद्रा कारोबार

फिलहाल मुंबई में क श्रेणी के रुप में खजाना व अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग शाखा (टीआईबीबी) के अलावा अतिरिक्त बैंक के ग्राहकों की अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के पास वर्तमान में देश भर में 50 बी श्रेणी की शाखाएं हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मर्चेन्ट व्यवसाय रु.43,075.85 करोड़ रहा। वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यनिष्पादन निम्नानुसार दर्शाया गया है।

1. **Maha Sahyog 2022-23 -** Scheme for the settlement of NPA accounts in Sub Standard (for Agri Loans only), Doubtful-I, Doubtful-II, Doubtful-III, Loss, TWO and RWO accounts having Ledger Balance up to Rs.1.00 crore as of 31.03.2022. This scheme is effective from 01.06.2022.

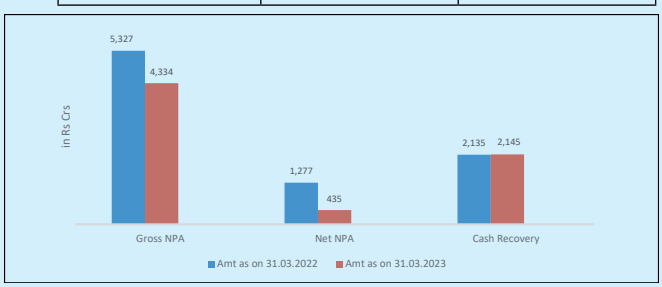
2. **Maha Sandhi 2022-23 -** Scheme for the settlement of NPA accounts in Doubtful-I, Doubtful-II, Doubtful-III, Loss, TWO and RWO accounts having Ledger Balance above Rs.1.00 crore and up to 50.00 crore as of 31.03.2022 and effective from 01.06.2022.

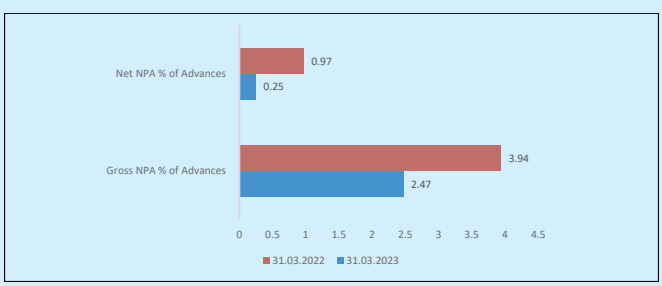
3. **Maha Samvedna 2022-23** - Scheme for the settlement of NPA accounts in Sub Standard, Doubtful-I, Doubtful-II, Doubtful-III, Loss and TWO accounts having Customer Ledger Balance upto Rs. 50.00 Lakhs where Individual Borrower/ Co-Borrower/ Proprietor is deceased. This scheme is effective from 01.06.2022.

Bank has also made intensive follow up with the defaulting borrowers through visits, letters, notices, Recovery Camps, Lok Adalats, Mahabank Adalats, actions under SARFAESI/ DRT Act. Services of Recovery Agents / Resolution Agents are engaged so as to have an early resolution. The Bank has also initiated action under the provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code 2016 against various large NPA borrowers.

Position of Non- Performing Assets was as under: (In Rs.Crore)

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Gross NPA | 4334.00 | 5327.21 |
| % to advances | 2.47% | 3.94% |
| Net NPA | 435.18 | 1276.57 |
| % to advances | 0.25% | 0.97% |
| Cash Recovery | 2145.01 | 2134.73 |




## 2.3 Foreign Exchange Business

Currently, the bank has 50 “B” Category Branches across the country catering to the international business needs of the customers of the Bank apart from Treasury and International Banking Treasury and International Banking Division (TIBD) at Mumbai as “A” category Branch. The Merchant Business for FY 2022-23 stood at Rs. 43,075.85 crore. The performance during FY 2022-23 can be seen below:

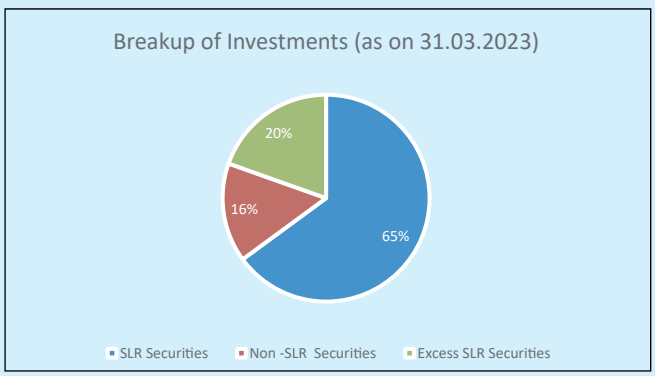
(रू. करोड़ में)

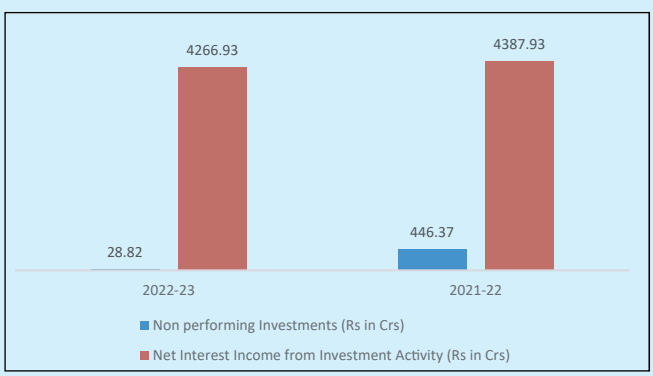
| विवरण | 2022-23 | 2021-22 | प्रतिशत (+/-) |
|---|---|---|---|
| कुल एफईएक्स व्यवसाय टर्नओवर | 6,37,690.36 | 5,55,982.93 | 14.70% |
| व्यापारी व्यवसाय टर्नओवर | 43,075.85 | 34,251.01 | 25.77% |
| एफईएक्स व्यवसाय में लाभ | 79.42 | 129.48 | (38.66%) |

### 2.4 निवेश

एसएलआर और गैर-एसएलआर निवेश में निवेश का ब्रेकअप निम्नानुसार दिया गया है:

- 31.03.2023 को सकल निवेश रू.69,215.26 करोड़ रहा, जिसमें से रु.55,866.92 करोड़ एसएलआर प्रतिभूतियां और रू.13,348.35 करोड़ गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां हैं। 31.03.2023 को अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियां रू.16,837.79 करोड़ रही।
- निवल निवेश (प्रावधानों का निवल) 31.03.2022 के रू.68,589.97 करोड़ की तुलना में 31.03.2023 को रु.68,866.95 करोड़ रहा। परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत निवेश का 74.90% शामिल है, जबकि विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) में 31.03.2023 तक कुल निवेश पोर्टफोलियो का 25.10% शामिल है। निवेश गतिविधि से निवल ब्याज आय पिछले वर्ष के दौरान रू.4,387.92 करोड़ से घटकर रू.4,226.92 करोड़ रही। (2.76% की कमी)
- 31.03.2023 को गैर-निष्पादन निवेश रु.28.82 करोड़ रहा।




### 2.5 व्यापारी बैंकिंग :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट (आईपीए) के रूप में अपने ग्राहकों के लिए रू.29,920 करोड़ (पिछले वर्ष रु.30,950 करोड़) के वाणिज्यिक पत्र के 23 मामले (पिछले साल 30 मामले) का संचलन किया है।

### 2.6 उधारियां :

दिनांक 31 मार्च, 2023 को बैंक की उधारियां रू. 10,765.66 करोड़ रहीं जिसमें निम्नानुसार पुनर्वित्त शामिल है :

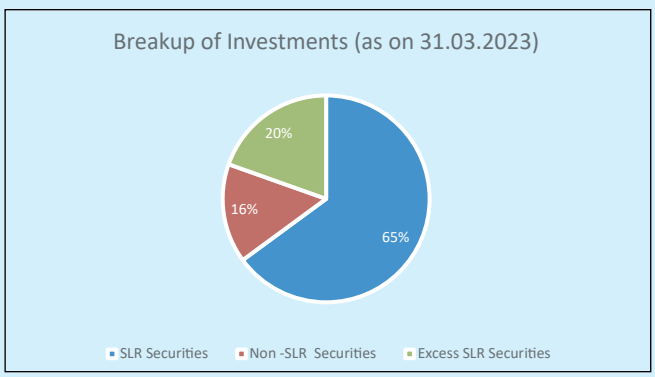
(In Rs. Crore)

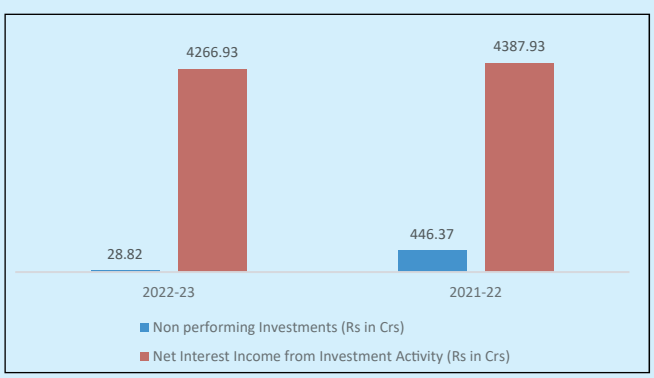
| Particulars | 2022-23 | 2021-22 | Percentage of (+/-) |
|---|---|---|---|
| Total FEX Business Turnover | 6,37,690.36 | 5,55,982.93 | 14.70% |
| Merchant Business Turnover | 43,075.85 | 34,251.01 | 25.77% |
| Profit in FEX Business | 79.42 | 129.48 | (38.66%) |

### 2.4 Investment

The breakup of Investments into SLR & Non-SLR investments is given below:

- The Gross Investments as on 31.03.2023 stood at Rs 69,215.26 crore, of which Rs 55,866.92 crore are SLR securities and Rs. 13,348.35 crore are Non-SLR Securities. The excess SLR securities as on 31.03.2023 stood at Rs 16,837.79 crore.
- The net investments (net of provisions) stood at Rs 68,866.95 crore as on 31.03.2023 as compared to Rs 68,589.97 crore as on 31.03.2022. Investments under Held to Maturity (HTM) category consist of 74.90%, while Available for Sale (AFS) & HFT comprised of 25.10% of total investment portfolio as of 31.03.2023. The net interest income from investment activity decreased to Rs 4,266.92 crore from Rs 4,387.93 crore during the last year (down by 2.76%).
- The Non-Performing Investments stood at Rs 28.82 crore as on 31.03.2023.




### 2.5 Merchant Banking

The Bank handled 23 issues (previous year 30 issues) of Commercial paper amounting to Rs 29,920 crore (previous year Rs 30,950 crore) for its clients as an Issuing and Paying Agent (IPA) during FY 2022-23

### 2.6 Borrowings

The borrowing of the Bank as on March 31, 2023 stood at Rs. 10,765.66 crore including re-finance as under:

(रू. करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 को राशि | 31.03.2022 को राशि |
|---|---|---|
| कुल उधारियां | **10,765.66** | **7,746.74** |
| जिनमें से एलएएफ के अंतर्गत भारिबैं उधारियां | 500.00 | 500.00 |
| जिनमें से बाजार आरईएफओ उधारियां | 0.00 | 0.00 |
| जिनमें से टीआरईपीएस (जी-सेक) उधारियां | 3,997.76 | 3,194.64 |
| जिसमें से पुन:वित्त | | |
| नाबार्ड | 0.00 | 0.00 |
| एक्जिम बैंक | 0.00 | 0.00 |
| एनएचबी | 0.00 | 0.00 |
| मुद्रा | 242.94 | 139.00 |
| सिडबी | 1,155.24 | 17.35 |
| जिनमें से बॉण्ड्स और डिबेंचर पूंजी लिखतों के रूप में उधारियां | 4,833.70 | 3,895.70 |
| भारत से बाहर उधारियां | 36.02 | 0.00 |
| अन्य | 0.00 | 0.05 |

### 2.7 निक्षेपी सेवाएं

- बैंक सितंबर 1999 से ही भारतीय केंद्रीय निक्षेपी सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) का निक्षेपी सहभागी (डीपी) है।
- बैंक बुनियादी सेवाएं डीमैट खाता सुविधा (बीएसडीए) भी प्रदान कर रहा है।
- बैंक नेट-बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से एएसबीए की सुविधा प्रदान कर रहा है।

### 2.8 बैंकएश्योरेन्स

- बैंकएश्योरेंस व्यवसाय करने हेतु बैंक सभी तीनों सेग्मेंट अर्थात जीवन बीमा, गैर-जीवन बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा हेतु कॉर्पोरेट एजेंट है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यनिष्पादन :

(रू. करोड़ में)

| बीमा | पॉलिसियों की संख्या | प्रीमियम | कमीशन |
|---|---|---|---|
| जीवन | 12,284 | 83.06 | 18.45 |
| सामान्य | 1,51,459 | 55.63 | 7.39 |
| स्वास्थ्य | 50,467 | 68.50 | 9.85 |
| **कुल** | **2,14,210** | **207.19** | **35.69** |

- 01.04.2022 से 31.03.2023 तक कंपनीवार बीमा व्यवसाय (रू. करोड़ में)

| श्रेणी | बीमाकर्ता | एनओपी | प्रीमियम | कमीशन |
|---|---|---|---|---|
| जीवन बीमा | जीवन बीमा निगम | 1,107 | 10.62 | 1.46 |
| | अवीवा लाइफ इन्श्योरेंस | 10,622 | 70.35 | 16.99 |
| | अवीवा लाइफ इन्श्योरेंस - ग्रुप क्रेडिट | 555 | 2.09 | |
| सामान्य बीमा | यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी | 19,784 | 9.97 | 1.81 |
| | फ्यूचर जेनराली | 1,31,675 | 45.66 | 5.58 |
| स्वास्थ्य बीमा | यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी | 14,427 | 24.80 | 3.86 |
| | मणिपाल सिग्ना हेल्थ इन्श्योरेंस | 36,040 | 43.70 | 5.99 |

(Rs in Crore)

| Particular | Amount as on 31.03.2023 | Amount as on 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Total Borrowing | **10,765.66** | **7,746.74** |
| of which Borrowing RBI under LAF | 500.00 | 500.00 |
| of which Borrowing Market REPO | 0.00 | 0.00 |
| Of which Borrowing TRePS (G-Sec) | 3,997.76 | 3,194.64 |
| Of which Refinance from | | |
| NABARD | 0.00 | 0.00 |
| EXIM BANK | 0.00 | 0.00 |
| NHB | 0.00 | 0.00 |
| MUDRA | 242.94 | 139.00 |
| SIDBI | 1,155.24 | 17.35 |
| Borrowings in the form of Bonds & debentures capital instruments | 4,833.70 | 3,895.70 |
| Borrowings outside India | 36.02 | 0.00 |
| Others | 0.00 | 0.05 |

### 2.7 Depository Services

- Bank is Depository Participant (DP) of Central Depository Services of India Ltd. (CDSL) since September 1999.
- The Bank is also providing Basic Services DEMAT Account Facility (BSDA).
- Bank is providing ASBA through net-banking and UPI.

### 2.8 Bancassurance

- Bank is corporate agent for carrying out Bancassurance business under all three segments i.e. Life Insurance, General Insurance and Health Insurance.
- Performance during FY 2022-23

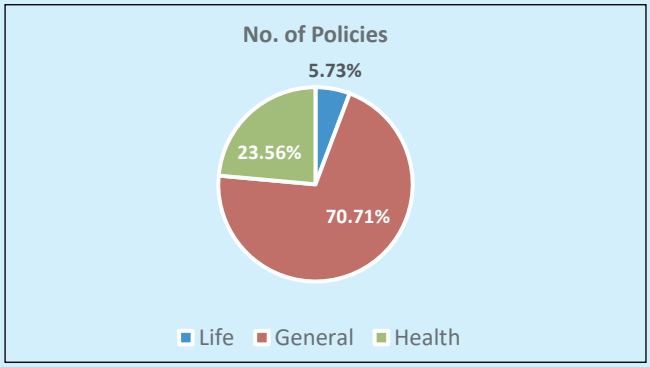
(Amt. in Rs. Cr.)

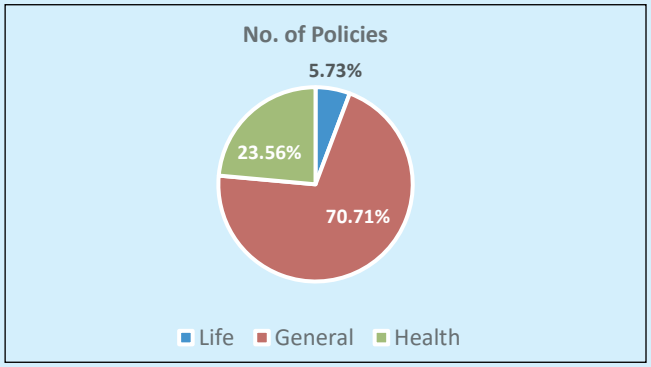
| Insurance | No. of Policies | Premium | Commission |
|---|---|---|---|
| Life | 12,284 | 83.06 | 18.45 |
| General | 1,51,459 | 55.63 | 7.39 |
| Health | 50,467 | 68.50 | 9.85 |
| **Total** | **2,14,210** | **207.19** | **35.69** |

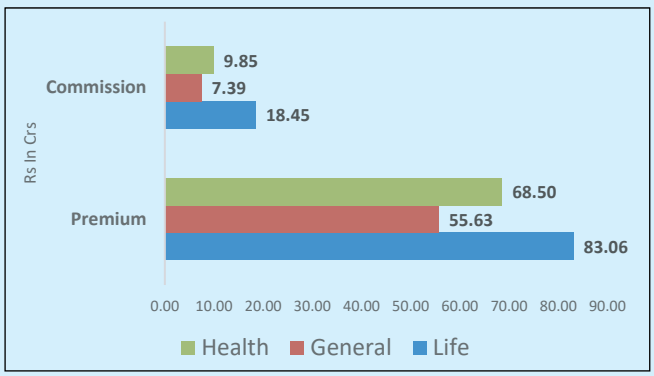
- Company wise insurance business from 01.04.2022 to 31.03.2023:

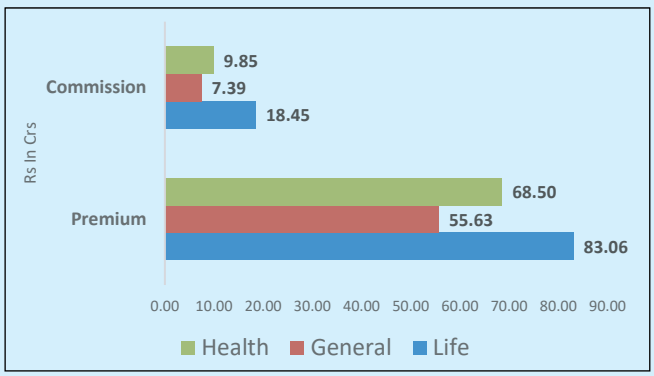
(Rs. In Crore)

| | Insurer | NOP | Premium | Commission |
|---|---|---|---|---|
| Life Insurance | Life Insurance Corporation | 1,107 | 10.62 | 1.46 |
| | Aviva Life Insurance | 10,622 | 70.35 | 16.99 |
| | Aviva Life Insurance - Group Credit | 555 | 2.09 | |
| General Insurance | United India Insurance Company | 19,784 | 9.97 | 1.81 |
| | Future Generali | 1,31,675 | 45.66 | 5.58 |
| Health Insurance | United India Insurance Company | 14,427 | 24.80 | 3.86 |
| | Manipal Cigna Health Insurance | 36,040 | 43.70 | 5.99 |




### 2.9 सरकारी कारोबार

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, शाखाओं द्वारा कुल 5,00,644 प्रत्यक्ष कर चालान और 27,030 अप्रत्यक्ष करों के चालान वसूले गए। चालू वर्ष के दौरान केंद्र/ राज्य सरकार से कर वसूली व्यवसाय और अन्य व्यवसाय से रु.0.58 करोड़ का कुल कमीशन प्राप्त हुआ।
- वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के रूप में, बैंक केन्द्रीय पेंशन प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीपीसी) पुणे में केन्द्र सरकार, रक्षा, रेलवे और टेलिकॉम के पेंशनरों की मासिक पेंशन की गणना कर उसे खाते में जमा करने का कार्य कर रहा है। वर्ष 2022-23 के लिए सरकारी व्यवसाय (पेंशन) पर रु.10.03 करोड़ का कमीशन रहा।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक द्वारा 2,08,286 नए पीपीएफ खाते, 16,690 नए एससीएसएस खाते और सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 19,370 नए खाते खोले गए। वर्ष 2022-23 के लिए बैंक द्वारा अर्जित कमीशन रु.4.49 करोड़ है।

### 2.10 आय, व्यय और लाभप्रदता

बैंक की कुल आय वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु.15,671.70 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु.18178.73 करोड़ रही। विस्तृत आय/ व्यय घटक निम्नानुसार है:

(रु.करोड़ में)

| ब्यौरा | 2022-23 | 2021-22 | अंतर (% में) |
|---|---|---|---|
| अग्रिमों/ बिलों पर ब्याज/ छूट | 11,485.82 | 8,231.56 | 39.53 |
| निवेशों पर आय | 4,266.92 | 4,384.69 | (2.69) |
| अंतर बैंक उधारी पर ब्याज एवं अन्य ब्याज | 145.72 | 402.97 | (63.84) |
| **कुल ब्याज आय** | **15,898.46** | **13,019.22** | 22.12 |
| गैर ब्याज आय | 2,280.27 | 2,652.48 | (14.03) |
| **कुल आय** | **18,178.73** | **15,671.70** | 16.00 |
| जमा पर ब्याज | 7,186.44 | 6,458.17 | 11.28 |

### 2.9 Government Business

- During FY 2022-23, 5,00,644 challans of Direct Taxes and 27,030 challans of Indirect taxes were collected by the branches. Total commission to the tune of Rs 0.58 crore was received on tax collection business in current year.
- As a service to senior citizens, the Bank is processing and crediting monthly pension payments to Central Government, Defence, Railway and Telecom pensioners at Central Pension Processing Cell (CPPC), Pune. The commission on Government Business (Pension) for the Year 2022-23 is Rs. 10.03 crore.
- Bank has opened 2,08,286 new PPF accounts, 16,690 new SCSS accounts and 19,370 new accounts under Sukanya Samruddhi Scheme in FY 2022-23. Commission earned by the bank for the year 2022-23 is Rs. 4.49 crore.

### 2.10 Income, Expenditure and Profitability

The total income of the Bank stood at Rs. 18178.73 crore in FY 2022-23 as compared to Rs. 15,671.70 crore in FY 2021-22. The detailed income/expenditure components are as under:

(Rs. in Crore)

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 | Variation (in %) |
|---|---|---|---|
| Interest / discount on advances / bills | 11,485.82 | 8,231.56 | 39.53 |
| Income on investments | 4,266.92 | 4,384.69 | (2.69) |
| Interest on interbank lending & other Interest | 145.72 | 402.97 | (63.84) |
| **Total interest income** | **15,898.46** | **13,019.22** | 22.12 |
| Non-interest income | 2,280.27 | 2,652.48 | (14.03) |
| **Total Income** | **18,178.73** | **15,671.70** | 16.00 |
| Interest on deposits | 7,186.44 | 6,458.17 | 11.28 |

| ब्यौरा | 2022-23 | 2021-22 | अंतर (% में) |
|---|---|---|---|
| उधारी पर ब्याज | 59.77 | 30.91 | 93.37 |
| अन्य ब्याज व्यय | 911.47 | 485.74 | 87.65 |
| कर्मचारी व्यय | 2,058.28 | 2,070.59 | (0.59) |
| अन्य परिचालनगत व्यय | 1,863.56 | 1,778.42 | 4.79 |
| **कुल गैर ब्याज व्यय** | **3,921.84** | **3,849.01** | 1.89 |
| **कुल व्यय** | **12,079.52** | **10,823.83** | 11.60 |
| परिचालनगत लाभ | 6,099.21 | 4,847.87 | 25.81 |
| प्रावधान एवं आकस्मिकताएं | 3497.17 | 3,696.33 | (5.39) |
| निवल लाभ | 2602.03 | 1,151.54 | 125.96 |

### 2.11 वित्तीय अनुपात :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के विभिन्न वित्तीय मानकों को निम्नानुसार देखा जा सकता है:

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| प्रति शेयर आय (ईपीएस) (रु.) | 3.87 | 1.72 |
| आय से लागत का अनुपात (%) | 39.14 | 44.26 |
| आस्तियों पर आय (%) | 1.10 | 0.55 |
| इक्विटी पर आय (%) | 20.38 | 11.45 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (रु.) | 18.97 | 15.12 |
| प्रति शाखा लाभ (रु.लाख में) | 118.11 | 56.95 |
| प्रति कर्मचारी लाभ (रु.लाख में) | 20.05 | 9.05 |
| प्रति शाखा कारोबार (रु. करोड़ में) | 185.29 | 166.65 |
| प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. करोड़ में) | 31.53 | 26.53 |
| औसत कार्यशील निधियों से प्रतिशत के रूप में ब्याज आय | 6.70 | 6.26 |
| औसत कार्यशील निधियों से प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय | 0.96 | 1.27 |
| निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)* | 3.56 | 3.15 |
| औसत कार्यकारी निधियों से प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ | 2.57 | 2.33 |
| औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में स्टाफ खर्च | 0.87 | 1.00 |
| लाभांश (प्रतिशत) | 13.00 | 5.00 |
| नेटवर्थ (रु. करोड़ में) | 12,765.19 | 10,175.85 |
| सीआरएआर (%) | 18.14 | 16.48 |
| जिसमें से टियर - I सीआरएआर | 14.25 | 12.38 |

### 2.12 पूंजी

- बैंक ने दो चरणों में रु.1590 करोड़ जुटाए, सितंबर 2022 माह में टियर 1 बांड की राशि रु.710 करोड़ और दिसंबर 2022 माह में टियर 1 बॉन्ड की राशि रु.880 करोड़।
- बैंक ने दिसंबर 2022 माह में टियर 2 बॉन्ड रु.348 करोड़ जुटाए।

### 2.13 नेटवर्थ

बैंक का नेटवर्थ 31.03.2022 के रु.10,175.85 करोड़ की तुलना में 31.03.2023 को रु.12,765.19 करोड़ रहा।

### 2.14 पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बेसल-III मानदंडों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा न्यूनतम निर्धारित 11.50% (सीसीबी सहित) के पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तुलना में 31.03.2023 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.14% रहा। सामान्य इक्विटी टियर-1 पूंजी अनुपात 12.66% रहा।

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 | Variation (in %) |
|---|---|---|---|
| Interest on borrowings | 59.77 | 30.91 | 93.37 |
| Other Interest expenditure | 911.47 | 485.74 | 87.65 |
| Staff expenses | 2,058.28 | 2,070.59 | (0.59) |
| Other Operating expenses | 1,863.56 | 1,778.42 | 4.79 |
| **Total Non-interest expenses** | **3,921.84** | **3,849.01** | 1.89 |
| **Total Expenses** | **12,079.52** | **10,823.83** | 11.60 |
| Operating Profit | 6,099.21 | 4,847.87 | 25.81 |
| Provisions and Contingencies | 3497.17 | 3,696.33 | (5.39) |
| Net Profit | 2602.03 | 1,151.54 | 125.96 |

### 2.11 Financial Ratios

The various financial parameters of the Bank during FY 2022-23 can be seen below:

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| EPS (Rs) | 3.87 | 1.72 |
| Cost to Income Ratio (percent) | 39.14 | 44.26 |
| Return on assets (percent) | 1.10 | 0.55 |
| Return on equity (percent) | 20.38 | 11.45 |
| Book value per share (Rs) | 18.97 | 15.12 |
| Profit per Branch (Rs.in lakh) | 118.11 | 56.95 |
| Profit per employee (Rs.in lakh) | 20.05 | 9.05 |
| Business per Branch (Rs.in crore) | 185.29 | 166.65 |
| Business per employee (Rs.in crore) | 31.53 | 26.53 |
| Interest income as per cent to Average working funds | 6.70 | 6.26 |
| Non-Interest income as per cent to average working funds | 0.96 | 1.27 |
| Net Interest Margin (percent) | 3.56 | 3.15 |
| Operating Profit as per cent to average working Funds | 2.57 | 2.33 |
| Staff expenses as a percent to average working funds | 0.87 | 1.00 |
| Dividend (percent) | 13.00 | 5.00 |
| Net worth (Rs. in crore) | 12,765.19 | 10,175.85 |
| CRAR (%) | 18.14 | 16.48 |
| Of which, Tier I CRAR (%) | 14.25 | 12.38 |

### 2.12 Capital

- Bank has raised Rs.1590 Crore in two tranches, Tier 1 Bond amounting to Rs. 710 Crore in the month of September 2022 & Tier 1 Bond amounting to Rs. 880 Crore in the month of December 2022.
- Bank has raised Rs. 348 Crore, Tier 2 Bond in the month of December 2022.

### 2.13 Net worth

The Bank's Net Worth stood at Rs. 12,765.19 crore as on 31.03.2023 as against Rs. 10,175.85 crore as on 31.03.2022.

### 2.14 Capital Adequacy Ratio

The Capital Adequacy ratio stood at 18.14% as on 31.03.2023, against the minimum requirement of 11.50% (including CCB) prescribed by RBI in terms of Basel III norms. The Common Equity Tier 1 capital ratio stood at 12.66%.

**2.15 लाभांश**

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी पर रु.10/- प्रत्येक प्रति इक्विटी शेयर पर रु.1.30 (अर्थात 13%) के लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम दिनांक 23 मई 2023 को व्यवसाय समय के अंत में एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई लाभकारी स्वामित्व स्थिति के साथ-साथ सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित होते हैं।

बैंक के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक दिनांक 24.04.2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर प्रति शेयर रु.1.30/- (अर्थात् 13%) लाभांश की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया गया है कि इक्विटी शेयरों पर लाभांश प्राप्त करने के हकदार सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने का रिकॉर्ड दिनांक मंगलवार, 23 मई 2023 है। यदि बैंक के शेयरधारकों द्वारा लाभांश को अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो एजीएम के बाद उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम शुक्रवार, दिनांक मंगलवार, 23 मई 2023 को व्यवसाय समय के अंत में डिपॉजिटरी यथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामित्व रजिस्टर/ बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित होते हैं।

**3. संसाधन : बैंकिंग आउटलेट, मानव संसाधन, आईटी अवसंरचना, ग्राहक अनुक्रियाशीलता और अन्य**

**3.1 शाखा आउटलेट / एटीएम नेटवर्क**

31.03.2022 को 2,072 की तुलना में 31.03.2023 को, बैंक के 2,263 बैंकिंग आउटलेट सभी राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए थे। बैंकिंग आउटलेट्स में 2,203 शाखाएं और 60 फिक्स्ड पॉइंट आउटलेट्स शामिल हैं, जिन्हें बैंक मित्र द्वारा सेवा प्रदान की जाती है, जिन्हें ग्राहक सेवा बिंदु (सीएसपी) नाम दिया गया है।

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने 199 नई शाखाएँ खोली और ग्राहक सेवा प्वाइंट (सीएसपी) के नाम से बैंक मित्र द्वारा 10 फिक्स्ड पॉइंट आउटलेट सेवा प्रदान किए गए। इसी अवधि में 10 शाखाओं को सीएसपी में परिवर्तित किया गया और 8 शाखाओं को दूसरी शाखा में मिला दिया गया। शाखा परिवर्तन और विलय के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरती गई कि ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में कोई असुविधा न हो।

बैंक शाखा नेटवर्क में विदेशी मुद्रा, सरकारी कारोबार, खजाना एवं अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, औद्योगिक वित्त, सूक्ष्म, लघु व माध्यम उद्योग तथा उच्च तकनीक कृषि इत्यादि विशेषीकृत शाखाएं शामिल हैं। दिनांक 31.03.2023 को शाखाओं का क्षेत्रवार वर्गीकरण नीचे सारणी में दिया गया है:

| क्र. | वर्गीकरण | 31.03.2023 को | 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामीण | 606 | 611 |
| 2 | अर्ध-शहरी | 602 | 511 |
| 3 | शहरी | 476 | 412 |
| 4 | महानगरीय | 519 | 488 |
| | **कुल** | **2,203** | **2,022** |

**एटीएम / सीआरएम नेटवर्क**

31.03.2022 को 2,128 की तुलना में 31.03.2023 को बैंक के पास 2,330 स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) और कैश रिसाइकलर मशीन (सीआरएम) थे।

| | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| ऑफसाईट | 420 | 429 |
| ऑनसाईट | 1,910 | 1,699 |
| कुल | 2,330 | 2,128 |

**2.15 Dividend**

The Board of Directors of your Company has recommended a dividend of Rs.1.30 per equity share (i.e.13%) of Rs. 10/- each on the paid-up Share Capital of the Bank for the financial year 2022-23. The dividend shall be paid to the members, whose names appear in the Register of Members as well as the Beneficial Ownership Position provided by NSDL/CDSL as at the close of business hours on 23rd May, 2023.

The Board of Directors of the Bank in their meeting dated 24.04.2023 has recommended dividend of Rs. 1.30/- (i.e., 13%) per share on equity shares of the Bank for the Financial year 2022-23. Further it is informed that the Record Date for determining the eligibility of members entitled to receive dividend on equity shares is Tuesday, 23rd May, 2023. Dividend, if approved by the shareholders of the Bank, shall be paid after the AGM to those shareholders, whose names appear in the Bank's Register of Members/ Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories viz., National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited as at the close of business hours on Tuesday, 23rd May, 2023.

**3. RESOURCES: BANKING OUTLETS, HUMAN RESOURCES, IT INFRASTRUCTURE, CUSTOMER RESPONSIVENESS AND OTHERS:**

**3 .1 Banking Outlet/ ATM Network**

As on 31.03.2023, the Bank had 2,263 banking outlets spread across all the States and six union territories as compared to 2,072 as on 31.03.2022. The banking outlets comprised of 2,203 branches and 60 fixed point outlets served by Bank Mitras, named as Customer Service Point (CSP).

During the year ended 31.03.2023 the Bank opened 199 new branches and 10 fixed point outlets served by Bank Mitras, named as Customer Service Points (CSP). In the same period, 10 branches were converted into CSP and 8 branches were merged with another branches. During the branch conversion and merger utmost care was taken to ensure that customers are not put into any inconvenience in availing banking services.

The branch network includes specialized branches in the area of Foreign Exchange, Government Business, Treasury and International Banking, Industrial Finance, Micro Small and Medium Enterprises, Hi-tech agriculture etc. Area wise classification of branches as on 31.03.2023 is as under:

| Sr. No. | Classification | As on 31.03.2023 | As on 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rural | 606 | 611 |
| 2 | Semi-Urban | 602 | 511 |
| 3 | Urban | 476 | 412 |
| 4 | Metro | 519 | 488 |
| | **Total** | **2,203** | **2,022** |

**ATM / CRM Network**

The Bank had 2,330 automated teller machines (ATMs) and cash recycler machines (CRM) as on 31.03.2023 as compared to 2,128 as on 31.03.2022.

| | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Offsite | 420 | 429 |
| Onsite | 1,910 | 1,699 |
| Total | 2,330 | 2,128 |

### 3.2 मानव संसाधन प्रबंधन

महाबैंक अपने वर्तमान और भविष्य के संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपने कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका में विश्वास करता है और समर्थन करता है। बैंक अपनी मानव पूंजी को मजबूत करने और विकसित करने के लिए लगातार कई पहलें करता रहता है। बैंक ने व्यापक मनुष्य बल नीति लागू की है जिसमें उपयुक्त और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों को नियुक्त/तैयार करने, प्रशिक्षण, कार्यसंवर्धन, बेहतर कार्यनिष्पादन की पहचान व पुरस्कार, कैरियर निर्माण, कल्याण के माध्यम से कर्मचारियों को संस्था में बनाए रखने तथा उनके विकास हेतु योजना दी गई है।

**(i) कर्मचारियों की संख्या:**

31 मार्च, 2023 को बैंक का कुल मानव बल 12,977 था। कर्मचारियों की श्रेणी का विवरण निम्नानुसार है:

| संवर्ग | अधिकारी | लिपिक | सब-स्टाफ | पीटीएस | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| काउंट | 7358 | 3648 | 1964 | 7 | 12977 |

**(ii) लैंगिक विविधता :**

कुल कार्यबल में से, महिलाओं का प्रतिनिधित्व 27.10% है जो सभी भौगोलिक क्षेत्रों और पदानुक्रम के स्तर पर फैली हुई हैं।

| संवर्ग | अधिकारी | लिपिक | सब-स्टाफ | पीटीएस | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| पुरुष | 5324 | 2384 | 1745 | 7 | 9460 |
| महिला | 2034 | 1264 | 219 | 0 | 3517 |
| कुल | 7358 | 3648 | 1964 | 7 | 12977 |

**(iii) भर्ती :**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने 1034 कर्मचारियों की भर्ती की है, जिसमें स्केल I में 443 अधिकारी, स्केल II में 333 अधिकारी, स्केल III कैडर में 54, स्केल V कैडर में 2 अधिकारी और 191 लिपिक शामिल हैं। इन भर्तियों के साथ, कर्मचारियों की औसत आयु घटकर 38 वर्ष होने के साथ बैंक युवा हो गया है। मौजूदा आंतरिक लोकपाल (आईओ) के कार्यकाल के पूरा होने पर, बैंक ने आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए (आईओ) नियुक्त किया है।

**(iv) पदोन्नति:**

पदोन्नति कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख प्रेरक कारक है क्योंकि इससे उच्च जिम्मेदारियां, मौद्रिक लाभ और प्रतिष्ठा मिलती है। यह पदोन्नति प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पदोन्नति नीति के आधार पर की जाती है जो भारत सरकार और अन्य नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार की जाती है तथा पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता के साथ-साथ बैंक की व्यावसायिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। उच्च स्तर पर जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कर्मचारी। बैंक ने पदोन्नति प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा किया है। पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:

| जेएमजीएस-I से एमएमजीएस-II | एमएमजीएस-II से एमएमजीएस-III | एमएमजीएस-III से एसएमजीएस-IV | एसएमजीएस-IV से एसएमजीएस-V | एसएमजीएस-V से एसएमजीएस-VI | एसएमजीएस-VI से टीईजीएस- VII | लिपिक से जेएमजीएस-I | सब-स्टाफ/ पीटीएससे लिपिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 408 | 76 | 41 | 18 | 6 | 203 | 36 |

**(v) आरक्षण कक्ष:**

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान किया जाता है। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पदोन्नति में एससी/ एसटी के लिए

### 3.2 Human Resources Management

MAHABANK believes in and acknowledges the critical role of its employees in achieving its present and future organizational goals. The Bank continuously undertakes multiple initiatives for strengthening and developing its human capitals. The Bank has put in place comprehensive HRM Policies that provides the road map for acquiring appropriate & need based human resources, its development through training, job enrichment, reward and recognition for better performance, career progression, welfare and retention.

**(i) Manpower Strength:**

The total Manpower of the Bank as on March 31, 2023 stood at 12,977. The following are the details of category of employees.

| CADRE | OFFICERS | CLERK | SUBSTAFF | PTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| COUNT | 7358 | 3648 | 1964 | 7 | 12977 |

**(ii) Gender Diversity:**

Out of the total workforce, the representation of women is 27.10% spread across all geographies and levels of hierarchy.

| CADRE | OFFICERS | CLERK | SUBSTAFF | PTS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MALE | 5324 | 2384 | 1745 | 7 | 9460 |
| FEMALE | 2034 | 1264 | 219 | 0 | 3517 |
| TOTAL | 7358 | 3648 | 1964 | 7 | 12977 |

**(iii) Recruitment :**

During FY 2022-23 the Bank has recruited 1034 employees comprising of 443 Officers in Scale I, 333 officers in Scale II, 54 in Scale III cadre, 2 officers in Scale V cadre and 191 Clerks. With these recruitments, Bank has become younger with average age of employee coming down to 38 years. Upon completion of tenure of existing Internal Ombudsman (IO), Bank has appointed (IO) to strengthen the Internal Grievance Redressal Mechanism.

**(iv) Promotion:**

Promotion is one the key motivating factors for the employees as it brings higher responsibilities, monetary benefits and status. This promotion process is carried out every year based upon Board approved Promotion policy which is formulated in line with GOI & other regulatory guidelines and ensuring availability of adequate employees at each level keeping in view the business growth of the Bank along with availability of sufficient number of employees for shouldering responsibilities at higher levels. Bank completed the promotion process in a fair & transparent manner. The number of employees promoted are as under

| JMGS-I TO MMGS-II | MMGS-II to MMGS-III | MMGS-III TO SMGS-IV | SMGS-IV TO SMGS-V | SMGS-V TO SMGS-VI | SMGS-VI TO TEGS-VII | Clerical to JMGS-I | Sub-Staff / PTS to Clerical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 408 | 76 | 41 | 18 | 6 | 203 | 36 |

**(v) Reservation Cell:**

As per Government of India's guidelines, reservations are provided to Scheduled Castes (SCs), Scheduled Tribes (STs), Other Backward Classes (OBCs) and Persons with Disability (PWD) candidates in Direct Recruitment. Reservations for SC/STs in promotions are provided as per

आरक्षण प्रदान किया जाता है। आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और एससी/ एसटी/ ओबीसी और दिव्यांग कर्मचारियों के साथ-साथ भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रधान कार्यालय और सभी अंचल कार्यालयों में विशेष कक्ष कार्य कर रहे हैं। बैंक ने प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी नामित किए हैं और सभी अंचल कार्यालयों में एससी/ एसटी कक्ष की स्थापना की है।

| जाति/ संवर्ग | सामान्य | ओबीसी | एससी | एसटी | ईडब्ल्यूएस | कुल | दिव्यांग | भूतपूर्व सैनिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकारी | 3467 | 2065 | 1176 | 546 | 104 | 7358 | 176 | 38 |
| लिपिक | 1759 | 923 | 618 | 317 | 31 | 3648 | 102 | 152 |
| सब-स्टाफ | 638 | 471 | 657 | 198 | 0 | 1964 | 17 | 123 |
| पीटीएस | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| कुल | 5868 | 3461 | 2452 | 1061 | 135 | 12977 | 295 | 313 |

विभिन्न आरक्षित श्रेणियों की सभी शिकायतों का समाधान करने और उनके साथ सौहार्द्रपूर्ण संबंध बनाए रखने के अतिरिक्त उनके कैरियर की प्रगति में सहायता करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाते हैं।

**(vi) प्रमुख मानव संसाधन पहलें:**

क) **ऑनलाइन कर्मचारी शिकायत निवारण मॉड्यूल:** कर्मचारियों की समुचित शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए और नियोक्ता-कर्मचारी के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए, एक कर्मचारी शिकायत निवारण ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया जो कर्मचारियों से संबंधित टी+2 दिनों में लाभ, सेवा विनियम आदि से संबंधित शिकायतों के निवारण में सहयोगी होगा। एचआरएम विभाग द्वारा एचआरएमएस में न्यूनतम समय के भीतर शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित और एकीकृत सॉफ्टवेयर विकसित करने के प्रयास किए गए हैं।

ख) **बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और स्टाफ पेंशनधारक अदालत के संचालन के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति:** सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, बैंक ने प्रधान कार्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उपरोक्त के अलावा, शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए, बैंक ने स्टाफ पेंशनरों की अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया, जो स्टाफ पेंशनरों के लिए उनके मुद्दों को निपटाने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगा। यह हर माह के पहले शुक्रवार को आयोजित किया जाता है।

ग) **कर्मचारी योजनाबद्ध ऋण और अन्य लाभों में सुधार:**

- **कर्मचारियों के आवास और वाहन ऋण को मार्केट के अनुसार और कर्मचारियों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया।** पूर्व बैंकिंग अनुभव वाले स्केल II और उससे ऊपर के कैडर में नए शामिल अधिकारी बैंक में शामिल होने के दिनांक से स्टाफ आवास ऋण और स्टाफ वाहन ऋण के लिए पात्र हैं और जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है, उन्हें भी 75 वर्ष की आयु तक स्टाफ आवास ऋण जारी रखने की अनुमति है।
- **ई-वाहनों** को बढ़ावा देने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए बैंक ने मौजूदा स्टाफ वाहन ऋण योजना के अनुसार समान नियमों व शर्तों पर ई-वाहन खरीदने को स्वीकृति प्रदान की है। कर्मचारी रियायती ब्याज दर (वाहन ऋण पर लागू 0.50% से कम) के साथ इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बैंक द्वारा घोषणा के आधार पर ई-वाहन के रखरखाव की प्रतिपूर्ति भी कर रहा है।

Government guidelines. Special Cells at Head Office and all Zonal Offices are functioning to monitor the implementation of the reservation policies and to redress grievances of SC/ST/OBC & Physically challenged employees as well as ex-servicemen. The Bank has designated Chief Liaison Officers at Head Office and has set up SC/ST Cells at all Zonal Offices.

| Caste / Cadre | GEN | OBC | SC | ST | EWS | TOTAL | Differently abled | Ex-Serviceman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officers | 3467 | 2065 | 1176 | 546 | 104 | 7358 | 176 | 38 |
| Clerks | 1759 | 923 | 618 | 317 | 31 | 3648 | 102 | 152 |
| Sub-Staff | 638 | 471 | 657 | 198 | 0 | 1964 | 17 | 123 |
| PTS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Total | 5868 | 3461 | 2452 | 1061 | 135 | 12977 | 295 | 313 |

Necessary efforts were continued to be made to resolve all the grievances of the various reserved categories and to maintain a cordial relation with them as also to assist in their career progression.

**(vi) Major HR initiatives:**

a) **Online Employee Grievance Redressal Module:** For prompt settlement of genuine grievances of employees and to maintain a healthy employer-employee relationship, an Employee Grievance redressal on-line portal was developed which will facilitate resolving the grievances in T+2 days related to employee benefits, service regulations etc. Efforts has taken by HRM Department to develop a dedicated and integrated software to resolve the grievances within minimum time in HRMS.

b) **Appointment of Nodal Officer for Bank's retired staff & Conducting Staff Pensioners Adalat :** In order to resolve the grievances & respond to the queries of retired employees, Bank has appointed a nodal officer at Head Office level. In addition to the above, for speedy disposal of grievances, bank decided to conduct Staff Pensioners' Adalat which will act as platform, for Staff pensioners, to settle their issues. It is conducted on the 1st Friday of every month.

c) **Improvisation of Staff Schematic loans & other Benefits:**

- **Staff Housing & Vehicle Loan was amended as per market practice & to provide more benefits to employees.** The newly joined officers in scale II & above cadre with prior banking experience are eligible for staff housing loan & staff vehicle loan from the date of joining in the Bank and employees who opted voluntary retirement are also allowed to continue staff housing loan upto the age of 75 years.
- To promote **e-vehicles** and to reduce the carbon foot print Bank has also considered purchase of e-Vehicles on the same terms and conditions as per existing staff vehicle loan scheme. Employees can avail this facility with concessional rate of interest (less than 0.50% as applicable to vehicle loan). Bank is also paying reimbursement towards maintenance of E-vehicle on declaration basis.

घ) **अधिकारी के लिए आवासीय लीज सुविधा में संशोधन:** आवास के किराये में वृद्धि को देखते हुए और बैंक के स्वामित्व वाले आवास की कमी से उत्पन्न होने वाले संकट को कम करने तथा अधिकारियों द्वारा वहन किए जाने वाले वित्तीय बोझ के एक हिस्से को साझा करने के लिए बैंक ने मेजर-ए शहरों और एरिया- I स्थानों के मौजूदा क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों/ केंद्रों के लिए मौजूदा किराये की सीमा को बढ़ाया है और शाखा प्रबंधक/ अंचल प्रमुख के रूप में काम करने वाले अधिकारियों के लिए लीज्ड आवास के किराए की अतिरिक्त सीमा, सोसाइटी के रखरखाव शुल्क और ब्रोकरेज सुविधा में बढ़ोत्तरी की है।

ङ) **कर्मचारियों को मकान के रखरखाव व्यय की प्रतिपूर्ति:** कर्मचारियों को मकान के रखरखाव करने में सक्षम बनाने के लिए, बैंक ने कर्मचारियों को मकान के रखरखाव व्यय की प्रतिपूर्ति की एक योजना शुरू की है।

च) **उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु योजना:** तीव्र संप्रेषण को सक्षम बनाने के लिए कर्मचारियों द्वारा उनके मोबाइल बिल प्रतिपूर्ति के अलावा उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन के लिए किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति नामक योजना शुरू की गई थी।

छ) **कर्मचारी कल्याण योजनाएँ:** यूनियन के पदाधिकारियों सहित शीर्ष प्रबंधन की एक कल्याण समिति गठित की गई है, जिसमें कर्मचारियों के कल्याण के लिए निधि (वित्तीय वर्ष के निवल परिचालन लाभ का 3%) आवंटित किया जाता है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपयोग किया जाता है।

- **क्रेच सुविधा के लिए किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु योजना की शुरुआत:** बैंक ने कर्मचारी कल्याण उपाय के अंतर्गत घोषणा के आधार पर बैंक की सभी महिला कर्मचारियों को क्रेच सुविधा के लिए किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु एक योजना की शुरूआत की है। वे सभी महिला कर्मचारी जिसके बच्चे की उम्र 6 माह से अधिक और 3 वर्ष से कम हो, घोषणा के आधार पर प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए पात्र हैं।
- **कर्मचारी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना नीति का आरंभ** : कल्याणकारी उपाय के रूप में बैंक के सभी सेवारत कर्मचारियों के लिए कर्मचारी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना योजना का आरंभ किया गया था। योजना के तहत कर्मचारियों को दुर्घटना मृत्यु बीमा के लिए रु.40 लाख, स्थायी कुल विकलांगता के लिए रु.40 लाख, स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए रु. 20/- लाख एवं हवाई दुर्घटना बीमा मृत्यु के लिए रु.1 करोड़ का बीमा कवर किया गया है।
- बैंक ने सभी कर्मचारियों को **कैंटीन सब्सिडी और मनोरंजन भत्ता** का भुगतान किया है।
- **स्व-देखभाल और भलाई के लिए प्रतिपूर्ति:** कर्मचारियों की स्व-देखभाल और भलाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जो एक स्वस्थ और खुशहाल कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करने के कारकों में से एक है, बैंक ने ''स्वयं की देखभाल के प्रति प्रतिपूर्ति'' की योजना आरंभ की है।

ज) **कर्मचारी जुड़ाव - कर्मचारी जुड़ाव बढ़ाना और खुशी सूचकांक में सुधार करना:** कर्मचारियों के बीच संपर्क बढ़ाने और कर्मचारियों के बीच खुशी सूचकांक में सुधार करने के लिए, बैंक ने सभी प्राधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों की भलाई के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, सभी स्तरों पर कुछ कदमों का पालन करने के लिए उपयुक्त संप्रेषण जारी किया है, जैसे कर्मचारी की समय पर लाभ / छुट्टी का अनुमोदन, शिकायतों/ कठिनाइयों का त्वरित

d) **Revision in residential leased accommodation Facility to Officer :** In view of rise in rental value of residential accommodation and with a view to ease the distress arising out of scarcity of bank's owned accommodation and financial burden borne by the officers due to sharing a portion of leased rent, Bank has enhanced the existing rental limit and enhanced the additional limit of rent for leased accommodation to the officers working as Branch Managers / Zonal Heads over and above the ceiling, Society Maintenance charges and brokerage facility is extended to all areas / centers in addition to the existing areas of Major-A cities and Area-I places.

e) **Reimbursement of House Maintenance Expenses to Employees:** In order to enable the employees to maintain the house, Bank has introduced a scheme of Reimbursement of House Maintenance Expenses to Employees.

f) **Scheme for reimbursement of expenses incurred by the employees towards high speed internet Connection**: With a view to enable faster communication, a scheme named reimbursement of expenses incurred by the employees towards high speed internet connection over and above their mobile bill reimbursement was introduced

g) **Staff Welfare Schemes:** A welfare committee has been constituted among top Management along with union office bearers, wherein fund (3% of net operating profit of the financial year) is allocated for welfare of the employees & is utilized through various schemes.

- **Introduction of Scheme of reimbursement towards expenses incurred to avail Crèche Facility:** Bank has introduced a scheme for reimbursement of the expenses incurred towards crèche facility to all female employees of the Bank on declaration basis under staff welfare measure. For all women staff having child above 6 months & below 3 years of age are eligible to claim the reimbursement on declaration basis.
- **Introduction of Employees Group Personal Accidental Policy:** The scheme of Employees Group Personal Accidental Policy was introduced for all the serving employees of the Bank as a welfare measure. Under the scheme, Employees are covered accidental death insurance of Rs 40 Lakhs**,** Permanent Total Disability of Rs 40 Lakhs**,** Permanent Partial Disability up to of Rs 20 Lakhs & Air Accident Insurance Death of Rs 1 Crore.
- Bank has paid **canteen subsidy** & **Entertainment allowance** to all employees
- **Reimbursement towards Self-care and Well-being:** Considering the importance of Self-care and well-being of the employees which is one of the factors towards ensuring a healthy and happy workspace, Bank has introduced the scheme of 'Reimbursement towards Self-Care'.

h) **Employee Engagement - Enhancing Employee Connect & Improving Happiness Index :** In order to enhance the employee connect & to improve the happiness index amongst employees, bank has issued suitable communication for all authorities & employees to follow certain steps at all levels to ensure a conducive environment for well-being of

निवारण, कर्मचारी हर महीने में एक दिन बैंकिंग घंटों के बाद /दोपहर के भोजन के घंटों के दौरान कनेक्ट सत्र आयोजित करते हैं, जिसमें कर्मचारियों को अपने विचार / चिंताओं / मुद्दों / सुझावों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है, अनौपचारिक घटनाओं की व्यवस्था या कर्मचारियों के परिवारों को शामिल करके समय-समय पर छोटे समूहों में मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ या मिल-जुलकर रहना, शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करना आदि। हमारे संप्रेषण के जवाब में, विभिन्न अंचलों ने कर्मचारियों के सदस्यों बीच खेल गतिविधियों, टाउन हॉल बैठकों का आयोजन किया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के लिए पुरस्कार और मान्यता समारोह, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मनोरंजक गतिविधियाँ, आवश्यक प्रशिक्षण हस्तक्षेप/ अभिप्रेरक सत्रों आदि का आयोजन किया है।

employees such as timely approval of employee benefits / leave, quick redressal of staff grievances / complaints, scheduling employee connect sessions on a day in every month post banking hours/during lunch hours wherein employees are to be motivated to express their views/concerns/issues/ suggestions, arranging informal events or re-creational activities or get-together periodically in small groups by involving families of the employees, rewarding top performers etc. In response to our communication, various zones have arranged sports activities among staff members, town hall meetings, reward & recognition ceremonies for the best performers, recreational activities with staff & their family members, requisite training interventions / motivational sessions etc.

झ) **अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की योजना की समीक्षा और अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के बदले परिवार के आश्रितों को देय अनुग्रह राशि में संशोधन :** बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की योजना को संशोधित किया है। अनुकंपा नियुक्ति के एवज में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए योजना का संशोधित मॉडल जिसे बैंक द्वारा आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 19 जुलाई, 2007 को अपनाया गया था उसे परिवार के अर्जक व्यक्ति की असमय मृत्यु से उत्पन्न संकट से परिजनों को उबारने तथा मृत कर्मचारी के परिवार को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया है। उपर्युक्त संशोधन हमारे कर्मचारियों, जिन्होंने बैंक की सेवा की है, के परिवारों को लाभान्वित करने में काफी मददगार साबित होंगे और अर्जक सदस्य के निधन के कारण परिवार के सामने आ रहे वित्तीय बोझ से उबरने में उन्हें सहायता मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान की गई अनुकंपा नियुक्तियों की संख्या इस प्रकार है -

| संवर्ग | कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|
| लिपिक | 27 |
| अधीनस्थ कर्मचारी | 07 |
| कुल | 34 |

i) **Review of Scheme for appointment on Compassionate grounds & revision in the ex-gratia amount payable to the family dependent/s in lieu of appointment on compassionate ground :** Bank has revised the scheme of appointment under compassionate ground in line with regulatory guidelines .The revised model of scheme for payment of ex-gratia amount in lieu of compassionate appointment which was adapted by the Bank as per IBA guidelines dated 19th July, 2007 has been revised in order to provide financial relief to the family of the deceased employee and tide over the crisis brought about by the pre-mature death of the bread earner of the family. The above modifications will go a long way in benefitting the families of our employees, who have served the Bank and help them to tide over financial burden being faced by the family in view of the demise of the earning member. No. of compassionate appointments made during FY 2022-23 is as under –

| Cadre | No. of Employees |
|---|---|
| Clerk | 27 |
| Substaff | 07 |
| Total | 34 |

**सीखना और विकास:**

हमेशा बदलते और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में फलने-फूलने के लिए, लचीला और चुस्त होना और सभी कर्मचारियों के कौशल स्तर को लगातार उन्नत करना महत्वपूर्ण है। बैंक ने इस सोच पर गहराई से विचार किया है और वित्त वर्ष 2022-23 में एक नया सीखना और विकास (L&D) वर्टिकल बनाया है। सीखना और विकास वर्टिकल हमारे बैंक में सीखने की संस्कृति पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के विचार के साथ शुरू हुआ है कि हमारे कर्मचारी अत्यधिक कुशल, प्रवीण और नवीनतम रुझानों और तकनीकों से लैस हैं। लर्निंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक के विकास पथ को तेज करने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और आत्मविश्वास और लचीलापन के साथ उन पर काबू पाने के लिए सभी कर्मचारियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की सुविधा प्रदान करता है।

पिछले वर्ष, एल एंड डी वर्टिकल, जिसमें कर्मचारी प्रशिक्षण कॉलेज शामिल हैं, ने हमारे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विश्लेषण, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन किया है। नियमित प्रशिक्षण क्षेत्रों के अलावा, बैंक ने कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रबंधन, नकद प्रबंधन, कानूनी वसूली के लिए कार्यक्रम, जेडवीओ के लिए कार्यक्रम, नए एएफओ, माइक्रो-क्रेडिट, विदेशी मुद्रा, डीजेडएम लीडरशिप कॉन्क्लेव, क्रेडिट प्रबंधन और बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, क्रेडिट मॉनिटरिंग, जोखिम, व्यवसाय विकास, आईटी प्रशिक्षण, ईएसजी आदि में कई विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। भौगोलिक क्षेत्र में भागीदारी का विस्तार करने के लिए कई स्थानीय प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं और लगभग 3,500 कर्मचारियों संवर्गों- अधीनस्थ कर्मचारियों, कैशियर, दिव्यांग कर्मचारियों को एलएलएमएस, गोल्ड लोन आदि के लिए प्रशिक्षित किया गया था।

**LEARNING & DEVELOPMENT:**

In order to thrive in the ever-changing and competitive landscape, it is important to be resilient and agile and to constantly upgrade the skill-sets of all the employees. Bank has delved deeper into this thought and created a new Learning and Development (L&D) vertical in FY 2022-23. L&D vertical has come into inception with the idea of instilling a culture of learning in our bank and ensuring that our employees are highly skilled, proficient and equipped with the latest trends and technologies. The learning infrastructure facilitates personal and professional development of all the employees in accelerating growth trajectory of the Bank and to meet the future challenges and overcoming them with confidence and resilience.

In the previous year, L&D Vertical, comprising of the Staff Training Colleges, has undertaken analysis, design, development, implementation and evaluation of the training programs for our employees. In addition to the regular training areas, Bank has conducted multiple specialized trainings for employees in security management, cash management, program for legal recovery, program for ZVO's, new AFOs, micro-credit, Forex, DZM Leadership Conclave, credit management and infrastructure financing, credit monitoring, risk, business development, IT trainings, ESG etc. Numerous locational trainings have been conducted to expand the participation across geography and nearly 3,500 employees were trained across cadres-sub-staff, cashiers, differently-abled employees, for LLMS and gold loan etc.

बैंक में नेतृत्व की एक सुदृढ़ श्रंखला के निर्माण की अनिवार्यता को समझते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंक के अधिकारियों (सहायक महाप्रबंधक और उप महाप्रबंधक) के लिए आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इंदौर, कोझिकोड, लखनऊ एवं एक्सएलआरआई जमशेदपुर जैसे विभिन्न प्रमुख संस्थानों में प्रतिभा विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, एनआईबीएम, पुणे और स्टेट बैंक अकादमी, गुड़गांव में मुख्य प्रबंधकों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

बैंक विभिन्न पॉडकास्ट, वेबकास्ट, वेबिनार, ऑनलाइन क्विज आदि के माध्यम से सीखने और भागीदारी कवरेज को अधिकतम करने के लिए आईसीटी के उपयोग का अनुकूलन कर रहा है ताकि हमारे कर्मचारियों को बैंक के नवीनतम तकनीकी परिवर्तनों और पेशकशों पर लगातार अपडेट किया जा सके।

**01.04.2022 से 31.03.2023 की अवधि के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का संवर्गवार विवरण निम्नानुसार है-**

| संवर्ग | कार्यक्रमों के संख्या | प्रशिक्षण कार्यक्रम के कुल दिन | प्रशिक्षित कर्मचारियों के संख्या |
|---|---|---|---|
| अधिकारी | 172 | 570 | 5856 |
| लिपिक | 88 | 225 | 2624 |
| अधीनस्थ कर्मचारी | 58 | 109 | 1456 |
| **कुल** | | | **9,936** |

### 3.3 प्रौद्योगिकी पहल:

**क. <u>ग्राहक केंद्रित पहलें:</u>**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए उन्हें सेवा प्रदान करने की दिशा में कई पहल की हैं:

- आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने **अकाउंट एग्रीगेटर** सुविधा शुरू की है जो ग्राहकों को आसानी से डिजिटल स्पेस में अपने वित्तीय डेटा तक पहुंचने और साझा करने में सक्षम बनाती है, निर्बाध लेनदेन सुनिश्चित करती है और वित्तीय डेटा से संबंधित धोखाधड़ी की संभावना को समाप्त करती है।
- बैंक ने **600 कैश रिसाइकलर्स** का आदेश दिया है जो शाखाओं में मौजूदा ओपेक्स एटीएम को प्रतिस्थापित करेंगे और बैंक की एबीईपी (वार्षिक शाखा विस्तार योजना) के तहत शाखाओं को खोलने में मदद करेंगे।
- **''सुविधा'' नामक स्वचालित डीसीएसएस (मृत्यु दावा निपटान प्रणाली) पोर्टल** लॉन्च किया गया था जो ग्राहक केंद्रित है और प्रत्येक चरण में बेहतर और मापने योग्य टीएटी (टर्न-अराउंड-टाइम) दावों का तेजी से निपटान, ग्राहकों द्वारा मृत दावा आवेदन की ट्रैकिंग आदि जैसे लाभ प्रदान करता है।
- बैंक ने **वीकेवाईसी और री-केवाईसी सुविधाओं** को लागू किया जो ग्राहकों को शाखाओं में भेंट दिए बिना और लंबी कतारों में प्रतीक्षा किए बिना अपने केवाईसी को डिजिटल रूप से अपडेट करने का लाभ देती है।
- **ऑनलाइन भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ईपीएफओ** का कर्मचारी पेंशन निधि संगठन को पेंशन निधि अंशदान के भुगतान के लिए कॉर्पोरेट ग्राहकों को सुविधा प्रदान की गई थी।
- **बैंक ने प्रकल्प परियोजना के तहत टीआईएन 2.0 (कर सूचना नेटवर्क)** लागू किया है। बैंक प्रकल्प के साथ संघटित हुआ है जो इंटरनेट बैंकिंग और ओटीसी (ओवर द काउंटर) के माध्यम से ग्राहकों को अग्रिम कर भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- बैंक, सरकारी लेन-देन सहित दैनिक समाधान सहायता हेतु **एसएनए खातों में पैरेंट-मल्टीचाइल्ड और पैरेंट-ग्रैंडचाइल्ड कार्यक्षमता** लागू कर सकता है।
- **उड़ीसा सरकार एवं पश्चिम बंगाल सरकार के आइएफएमएस अनुप्रयोगों के अंतर्गत योजनावार बैंक प्रबंधन प्रणाली(एसबीएमएस)** का

Realizing the imperative of building a strong pipeline of leadership in the bank, Talent Development Programs were conducted for executives (AGMs and DGMs) of the Bank in FY 2022-23 at various premier institutions such as IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Indore, Kozhikode, Lucknow, XLRI Jamshedpur. In addition to this, Leadership Development Programs have been conducted for Chief Managers at NIBM, Pune and State Bank Academy, Gurgaon.

Bank is optimizing the use of ICT for imparting learnings and maximizing the participation coverage through various podcasts, webcasts, webinars, online quiz etc. to constantly update our employees on the latest technological changes and offerings of the Bank.

**Cadre-wise Break up of Employees trained during the period 01.04.2022 to 31.03.2023 are as under-**

| Cadre | Number of Programs | No. of Program Training Days | Number of Employees Trained |
|---|---|---|---|
| OFFICERS | 172 | 570 | 5,856 |
| CLERKS | 88 | 225 | 2,624 |
| SUB-STAFF | 58 | 109 | 1,456 |
| Total | | | **9,936** |

### 3.3 Technology Initiatives:

**A. <u>Customer Centric Initiatives</u>:**

During FY 2022-23, Bank has taken multiple initiatives toward service delivery to its customers for convenience:

- In line with RBI guidelines, Bank has launched **Account Aggregator** facility which enables customers to easily access and share their financial data in digital space, ensure seamless transactions & eradicates the possibility of frauds related to financial data.
- Bank has ordered **600 Cash Recyclers** which would substitute existing OPEX ATMs at branches and cater to branches opening under ABEP (Annual Branch Expansion Plan) of the Bank.
- The automated **DCSS (Deceased Claim Settlement System) Portal named "SUVIDHA"** was launched which is customer centric and offers benefits like improved and measurable TAT (Turn-Around-Time) at each stage, faster settlement of claims, tracking of a deceased claim application by customers etc.
- Bank had implemented **VKYC & Re-KYC facilities** that benefits customers to update their KYC digitally without visiting branches and waiting in long standing queues.
- **Online payment of EPFO through Internet Banking** was facilitated to corporate customers for payment of the pension fund contribution to Employee Pension Fund Organization.
- Bank has implemented **TIN 2.0(Tax Information Network) under PRAKALP project**. Bank has integrated with Prakalp which facilitates for advance tax payment to customers through Internet Banking & OTC (Over The Counter).
- Bank could implement **Parent-Multichild and Parent- Grandchild functionality in SNA** accounts to support Govt. transactions with daily reconciliation.
- The **Scheme-wise Bank Management System (SBMS) under IFMS applications of Odisha Govt. & West Bengal Govt.** are integrated with Bank

समन्वयन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ किया गया है ताकि स्वचालित व प्रत्याभूत चैनलों की संस्थागत एजेंसियों तथा हिताधिकारियों (बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाताधारकों) का खाता वैधीकरण किया जा सके जिससे सरकारी एजेंसियों द्वारा हिताधिकारी को तत्काल समय के आधार पर निधि निर्गमन का मार्ग प्रशस्त हो सके तथा योजनावार निधि वितरण समेत वित्तीय व्यवहारों का आसानी से अनुशीलन एवं अनुप्रवर्तन किया जा सके।

- **डिजिटल उधारी**

  बैंक ने डिजिटल विधि के जरिये ऋणों एवं अग्रिमों को मंजूर करते समय प्रभावी व तीव्र गति से निर्णय लेने हेतु भा. रि. बैंक के डिजिटल वित्तपोषण संबंधी समाधानों को लागू करने से संबंधित दिशानिर्देशों के आधार पर एक व्यापक वित्तपोषण नीति अपनायी है।

  डिजिटल वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक ने ''महाबैंक त्वरित पर्सनल ऋण'' शुरू किया है जहां ग्राहक शाखा को भेंट दिये बगैर वैयक्तिक ऋण हेतु आवेदन कर सकता है और उसकी मंजूरी एवं वितरण प्राप्त कर सकता है।

  बैंक ने लक्ष्य निर्धारण, बेहतर व्यवसाय वृद्धि, प्रतिविक्रय एवं उत्पादोन्नत विक्रय, जालसाजी के रोकथाम,गुणवत्तापूर्ण ऋण मूल्यांकन, बेहतर ऋण अनुप्रवर्तन, बेहतर ऋण वसूली, लक्ष्यपूर्ति के मुकाबले लक्ष्य का अनुप्रवर्तन करने तथा एक दर्जेदार आस्ति संविभाग सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऋण आसूचना कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।

**ख. <u>प्रक्रिया केंद्रित पहलें</u> :**

प्रोद्यौगिकी के जरिये निम्नलिखित प्रक्रिया संबंधी संवर्धन किये गये हैं:

- आंतरिक प्रक्रियाओं एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु **''महा दर्पण''** व **''टीएटी मॉनिटर''** नामक नये व्यावसायिक डाटा प्रदर्शन पटल (डैशबोर्ड) का आरंभ किया गया है।
- बैंक ने अर्जुन (**यथा तनावग्रस्त आस्तियों के अनुप्रवर्तन हेतु स्वचालित दूरस्थ जंक्शन**) (**ऑटोमेटेड रिमोट जंक्शन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ असेट्स अंडर स्ट्रेस**) नामक एक आंतरिक रूप से विकसित मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया है जो मोबाइल फोन के जरिये कर्मचारियों को सीधे ऋण अनुप्रवर्तन तथा वसूली के कार्यों में मदद करेगा।
- बैंक शाखा के कर्मचारियों के लिये तत्काल समय व त्वरित प्रतिसाद सहित छायाचित्रों के स्कैनिंग हेतु **सीकेवायसी मोबाइल एप्लिकेशन** का कार्यान्वयन कर रहा है। यह मौजूदा सीकेवायसी एप्लिकेशन का एक विस्तारित रूप होगा,जो एक वेब पोर्टल है। इस मोबाइल एप्लिकेशन को उनके मोबाइल फोन के जरिये आसानी से व सीधे एपीआइ वसीबीएस के साथ समन्वित किया जा सकेगा।

**ग. <u>मूलभूत संरचना एवं विनियामक पहलें</u>:**

- बैंक ने अपने निजी दूरस्थ परिकलन केंद्र **''प्राइवेट क्लाउड नक्षत्र''** की स्थापना अपने डाटा केंद्र में कर दी है तथा अपने 50 % अनुप्रयोगों को अपने प्राइम प्राइवेट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतरित कर दिया है। इसमें प्रतीयमान सॉफ्टवेयर व नेटवर्क संबद्ध स्टोरेज सहित दूरस्थ परिकलन अत्याभिमुखी मूलभूत संरचना (क्लाउड हायपर कन्वर्ज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विद वर्चुलायजेशन सॉफ्टवेयर एंड अटैच्ड स्टोरेज) शामिल है।
- सुरक्षा के शिल्प को मजबूत बनाने हेतु बैंक ने ''कवच'' पहलों का प्रारंभ किया है तथा डाटा क्षरण रोकथाम (**डीएलपी**) (**डाटा लीक प्रिवेंशन**), **ईडीआर** (**एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉंस**), **डबल्यूए एफ** (**वेब एप्लिकेशन फायरवॉल**), **एफ आर ए** (**फायरवॉल रूल अनालायजर**), **ईएफआरएमएस** (**इंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन**), **डिसेप्शन सोल्यूशन** (**हनीपॉट सोल्यूशन**), **डीआयसीटी, एसएसएलओ** जैसे कुछ अलग- अलग उद्योग स्थापित सुरक्षा साधनों का कार्यान्वयन किया है।

of Maharashtra for enabling Account validation of Institutional Agencies and beneficiaries (BoM Account holders) in automated and secured channel, facilitating the easy way of fund release on real time basis from Govt. Agencies to beneficiary & tracking and monitoring financial transactions including scheme wise fund disbursement.

- **Digital Lending:**

  Bank has put in place a comprehensive Digital Lending Policy based on the RBI guidelines for onboarding of Digital Lending Solutions and for making effective and faster credit decisions while sanctioning the loans and advances through digital mode.

  In order to boost Digital Lending Portfolio, Bank has launches "Mahabank Twarit Personal Loan" where customer can apply online for personal loan and get the sanction and disbursement without visiting the branch.

  Bank has formed a strategic partnership with credit Information Company to provide a comprehensive suite of products and services to achieve target setting, better business growth, cross-sell & up-sell, fraud prevention, quality credit appraisal, better credit monitoring, better recovery, monitoring of target vs achievement and to maintain quality assets portfolio.

**B. <u>Process Centric Initiatives</u>:**

Following process related enhancements have been achieved through introduction of technology:

- A new Business Dashboard named "**Maha Darpan**" and "**TAT Monitor**" has been implemented for further enhancement of efficiency in internal processes and decision making.
- Bank has developed and launched an in-house advanced Mobile Application, named as **ARJUN (i.e Automated Remote Junction for Monitoring of Assets Under Stress)**, which will serve the purpose of a handy tool to the Staff members for effective Credit Monitoring and collection actions directly through their mobile phone.
- Bank is implementing **CKYC mobile application** to provide real time and rich experience for scanning of images with quick response for branch staff. This would be an extension to on-boarded CKYC solution, which is a web portal. The mobile application can be easily and smoothly integrated with APIs and CBS.

**C. <u>Infrastructure & Regulatory Initiatives</u>**:

- Bank has completed its **Private Cloud "Nakshatra"** setup at Data Centre and has already migrated it's 50% applications to On Prim Private cloud infrastructure. It includes Cloud Hyper Converged Infrastructure with Virtualization software and Network Attached Storage.
- To strengthen the security architecture, Bank has initiated "**Kavach" initiatives,** and implemented different industry established latest security tools like **DLP (Data Leak Prevention), DAM (Database Access Monitoring), EDR (Endpoint Detection and Response), WAF (Web Application firewall), FRA (Firewall Rule Analyzer), EFRMS (Enterprise Fraud Risk Management Solution), Deception Solution (Honeypot Solution) DICT, SSLO** etc to name a few.

- **केंद्रीकृत सीबीएस में अंतरण :** बैंक ने अपनी सभी शाखाओं को B@ncs24 में सीबीएस प्रणाली में अंतरित कर दिया है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं-
  क) केंद्रीकृत शिल्प
  ख) लागत प्रभाविकता
  ग) एकाधिक ब्राउजर संगतता
  घ) संवर्धित कार्यात्मक क्षमता
  ड) संवर्धित शोध विशेषताएं
- वी सैट शाखाओं पर निर्भरता को कम करने हेतु बैंक ने वी सैट लिंक वाली अपनी कुल शाखाओं में से लगभग **4% शाखाओं में बैंडविड्थ को अद्यतन करने के लिये एक सेवाप्रदाता को नियत किया है। 512 केबीपीएस से 4 एमबीपीएस तक** कोटिउन्नयन करने से विभिन्न एप्लिकेशनों की कार्यक्षमता को सुकर बनाते हुए शाखा की क्षमता को बढ़ाया जा सकेगा।
- बैंक ने अपने द्वारा प्रारंभतः कार्यान्वित अपने **ईएफटी/ आयएसटी स्विच** के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक कोटिउन्नयन कर लिया है। कोटि उन्नत स्विच की उच्चतर प्रक्रमण क्षमता तथा कार्ड टोकनायजेशन क्षमता एवं व्यवहारों की मात्रा को आगामी 5 वर्षों से अधिक तक घटाने/ बढ़ाने की क्षमता है।
- बैंक ने एनपीसीएल के दिशानिर्देशों के अनुसार आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) सेवाओं को **आयएसओ मैसेज फॉर्मेट से हटाकर ग्राहक - अनुकूलित एपीआय आधारित एक्सएमएल मैसेजिंग** प्रणाली में अंतरित कर दिया है। नये एक्सएमएल प्लेटफॉर्म से अधिक डाटा संवहन क्षमता विकसित की जा सकेगी ताकि फिंगर इमेज रिकॉर्ड (एफआइआर) के व्यवहार किये जा सकें। इससे बैंक को एकाधिक एनपीसीएल प्लेटफॉर्मों हेतु एक सामान्य संहिता का पालन करने में मदद मिलेगी ताकि एपीआय आधारित सोल्यूशन्स के जरिये संसाधनों का ईष्टतम उपयोग किया जा सके एवं भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।
- बैंक एक ख्याति प्राप्त प्रोद्यौगिकी सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया में रत है जो **डिजिटल अंतरण** में बैंक की मदद कर सके,जिसमें क) अनुपालन ख) व्यवसाय तथा ग) ग्राहक सेवा सुविधा हेतु डिजिटल व प्रोद्यौगिक प्लेटफॉर्म का संवर्धन शामिल है।
- बैंक ने अपनी **आपदा-पुनरुद्धार साइट** को टीयर III व अधिक के डाटा केंद्र मानकों सहित अत्याधुनिक सुविधा के रूप में सफलतापूर्वक स्थलांतरित कर दिया है। इसके अतिरिक्त अपने **डाटा केंद्र व नियरसाइट डीआर** को वित्तिय वर्ष 2023-24 में टीयर III व अधिक के डाटा केंद्र मानकों वाली अत्याधुनिक सुविधा के रूप में स्थलांतरित करने की प्रक्रिया में रत है।

घ) **प्रोद्यौगिकी के मोर्चे पर पारितोषिक एवं मान्यताएं** :

- बैंक को आईबीए टेक्नालॉजी अवार्ड 2022 के दौरान 03.12.2022 को ''टेक्नॉलॉजी टेलेंट'' हेतु पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 'बेस्ट बैंक' के रूप में पुरस्कृत किया गया है।
- बैंक को आईबीए टेक्नालॉजी अवार्ड 2022 के दौरान 03.12.2022 को 'डिजिटल फाइनेन्शियल इन्क्लूजन' पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत 'रनर अप' घोषित किया गया है।

**3.4 बैंक द्वारा उठाये गये ग्राहक केंद्रित कदम:**

i. बैंक ने गोइपोरिया समिति, डॉ. एस. एस. तारापोर समिति एवं दामोदरन समिति की सभी प्रमुख सिफारिशों का वर्ष भर कार्यान्वयन करते हुए तथा ग्राहक संतोष सुनिश्चित करते हुए ग्राहक सेवा के सभी मानदंडों का अनुशीलन किया है। भारतीय बैंक संहिता व मानक बोर्ड (बीसीएसबीआय) के सदस्य के रूप में बैंक ने ग्राहकों के प्रति व सूक्ष्म,

- **Migration to Centralized CBS:** Bank has migrated all its branches on centralized CBS system in B@ncs 24 which has the following features:
  a) Centralized Architecture
  b) Cost Effectiveness
  c) Multiple Browser Compatibility
  d) Increased Operational Efficiency
  e) Enhanced Search Features
- To minimize VSAT dependent branches, Bank has on-boarded Service Provider for upgradation of bandwidth for **approx. 4% of its total branches with VSAT link. The upgrade from 512 Kbps to 4 Mbps** will enhance the efficiency of branch working by facilitating smooth functionality of various applications.
- Bank has successfully upgraded its **EFT/IST Switch**'s hardware and software which was initially implemented by the Bank. The upgraded switch is with higher processing capabilities, card tokenization and scalable to meet the transaction volume over next 5 years.
- Bank has migrated Aadhar Enabled Payment System (AePS) services from **ISO message format to more versatile with customizable API based XML messaging** as per NPCI guidelines. The new XML platform will allow more data carrying capacity to facilitate Finger Image Record(FIR) transactions. It also allows Bank to have a common code for multiple NPCI platforms, enabling optimization of resources and making the ecosystem future-ready through API based solutions.
- Bank is in the process of appointment of a reputed Technology Consultant who will assist Bank for **Digital Transformation** which includes enhancement of Digital and Technology platforms for a) Compliance b) Business Sourcing & c) Customer Service Convenience.
- Bank has shifted its **Disaster Recovery site** to state-of-the-art facility with Tier III & above Data Centre standards successfully. Further, Bank is in the process of shifting its **Data Centre** & **Near Site DR** to state-of-the-art facility with Tier III & above Data Centre standards in the FY 2023-24.

**D. Awards & Recognitions on Technology front:**

- Bank has been awarded with 'Best Bank' under award category –'Technology Talent' on 03.12.2022 during IBA Technology Awards 2022.
- Bank has been declared 'Runner up' under award category –'Digital Financial Inclusion' on 03.12.2022 during IBA Technology Awards 2022.

**3.4 Customer Centric Initiatives taken by the Bank**

i. The Bank has pursued high standards of customer service to ensure customer satisfaction throughout the year by implementing all major recommendations of Goiporia Committee, Dr. S.S. Tarapore Committee and Damodaran Committee. As a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI), the Bank has adopted Code of Bank's Commitment to Customer and Bank's Code of Commitment to MSMEs.

लघु व मध्यम उद्यमों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता को अपनाया है।

ii. ''बैंक ने जमासंग्रहण'', चेकों के संग्रहण, ''व्यथाओं के निवारण'', ''प्रतिपूर्ति'', ''मृत जमाकर्ताओं के दावों के निपटान हेतु कार्यात्मक प्रणाली'' एवं ''ग्राहक अधिकार के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित विधिवत् प्रलेखीकृत नीतियां'' अपनायी हैं।

iii. सभी शाखाओं में ग्राहक सेवा समितियों का गठन किया गया है और उनकी बैठकों का आयोजन मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। प्रधान कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के स्तर पर ग्राहक सेवा पर स्थायी समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं जिनमें सतत आधार पर विभिन्न ग्राहक संबंधी मामलों की समीक्षा की जाती है और सुधार हेतु यथावश्यक उपाय किये जाते हैं।

iv. ग्राहक सेवा पर निगरानी रखने, ग्राहकों की व्यथाओं के निवारण एवं ग्राहक संतोष सुनिश्चित करने की दृष्टि से ग्राहक सेवा पर बोर्ड की समिति की त्रैमासिक आधार पर बैठकें होती हैं।

v. ग्राहकों की व्यथाओं पर त्वरित प्रतिसाद हेतु बैंक में भारत सरकार के निदेशानुसार एक सुस्थापित व्यथा निवारण तंत्र विद्यमान है। बैंक में शिकायतें करने या ग्राहकों द्वारा सुझाव या प्रतिसूचनाएं देने हेतु तथा पावती देने व शिकायतों/ प्रतिसूचनाओं की स्थिति बताने हेतु एक इंटरनेट आधारित तंत्र मौजूद है।

vi. ग्राहक शिकायतों की स्थिति-

| क्रम सं. | विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 1 | वर्ष के प्रारंभ में ग्राहक शिकायतें | 06 | 19 |
| 2 | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें | 5609 | 3236 |
| 3 | वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतें | 5578 | 3249 |
| 4 | वर्ष के अंत में पेंडिंग शिकायतें | 37 | 06 |

### 3.5 केवायसी/एएमएल

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित केवायसी/एएमएल- सीएफटी नीति विद्यमान है। यह नीति बैंक में केवायसी मानदंडों, एएमएल मानकों तथा सीएफटी के उपायों के कार्यान्वयन का आधार है। केवायसी कसंपूर्ण अनुपालन के अंतर्गत कर्मचारी शिक्षण एवं ग्राहक शिक्षण को सुनिश्चित किया जाता है जिसके लिये बैंक नियमित आधार पर विभिन्न उपाय करता है। ग्राहकों के लाभ हेतु पात्र केवायसी के प्रलेखों की एक विस्तृत सूची बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गयी है। कर्मचारियों को अवगत रखने हेतु बैंक के प्रशिक्षण संस्थानों में केवायसी-एएमएल-सीएफटी दिशानिर्देशों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता है।

### 3.6 जोखिम प्रबंधन:

बैंक में जोखिम प्रबंधन नीतियां एवं रणनीतियां विद्यमान हैं जिनसे जोखिमों के कार्यक्षम प्रबंधन तथा बैंक के सकल जोखिम प्रवृत्ति के अनुरूप स्थापित नियंत्रण प्रणाली के अनुसार प्रभावी प्रबंधन में मदद मिलती है। बैंक ने भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिमों के अनुप्रवर्तन हेतु बोर्ड स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। बैंक ने उच्च प्राधिकारियों की अध्यक्षता में उप समितियों का भी गठन किया है।

बेसल III पूंजी आवश्यकताओं के अंतर्गत विगोपन आवश्यकताओं पर आरबीआई दिशानिर्देशों का बैंक ने अनुपालन किया है ।

### 3.7 विपणन व प्रचार:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक की विपणन व प्रचार की रणनीतियों को भारी सफलता मिली। बैंक के विपणन दल ने अपनी उपस्थिति को बढ़ाने व व्यावसायिक संवर्धन हेतु खुदरा,कृषि एवं एमएसएमई क्षेत्रों के अंतर्गत भौतिक रूप से एवं दृश्यमान रूप से आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लिया।

ii. Duly documented policies approved by the Board, on "Deposit", "Collection of Cheques", "Redressal of Grievances", "Compensation", "Operational Procedure for Settlement of Claims of Deceased Depositors" and "Customer Rights Policy" are in place.

iii. Customer Service Committees are formed at all branches and their meetings are conducted regularly on monthly basis. The Standing Committee on Customer Service at Head Office and Zonal Level Customer Service Committees at Zones, meet regularly to address and review various customer related matters and to take steps, for an improvement, on an ongoing basis.

iv. The Committee of the Board on Customer Service meets on quarterly basis to monitor the quality of the customer service, redressal of customer grievances and to ensure customer satisfaction.

v. Bank has well established grievances redressal machinery in place to respond promptly to customer grievances. The Bank has internet based mechanism, Standardized Public Grievances Redressal System (SPGRS) for lodging of complaints or to give suggestions/ feedback on services by the customers and for providing acknowledgement and status of their feedback/ complaints as per the directions of Government of India.

vi. Customer Complaint Status:

| Sr. No. | Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 1 | Customer complaints at the beginning of the year | 06 | 19 |
| 2 | Complaints received during the year | 5609 | 3236 |
| 3 | Complaints redressed during the year | 5578 | 3249 |
| 4 | Complaints pending at the end of the year | 37 | 06 |

### 3.5 KYC/ AML

The Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The Policy is the foundation on which the Bank's implementation of KYC norms, AML standards and CFT measures are based. The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the Bank takes various measures on a regular basis. A comprehensive list of eligible KYC documents is uploaded on the Bank's web site for the benefit of customers. Regular training sessions are conducted on KYC-AML-CFT guidelines at the Bank's training establishments to sensitize the employees.

### 3.6 Risk Management

The Bank has put in place Risk Management Policies and Strategies which enables it to identify, measure, monitor and manage risk efficiently and establishes control systems in line with the Bank's aggregate Risk Appetite. Bank has constituted Risk Management Committee at Board level to monitor the risk at Bank level in accordance with RBI Guidelines. Bank has also constituted sub-committees headed by Top Management of Bank.

The Bank is compliant to the RBI guidelines on disclosure requirements under Basel III Capital Regulations.

### 3.7 Marketing & Publicity

During FY 2022-23, the Bank's Marketing and Publicity strategies were a resounding success. The marketing team participated in various expos in the physical and virtual modes under the Retail, Agri & MSME sectors for increasing our presence and business mobilization.

वर्ष 2022-23 में बैंक ने टीवी, रेडियो, प्रिंट आदि माध्यमों में नये कीर्तिमान स्थापित किये। बैंक ने विभिन्न राष्ट्रीय व क्षेत्रीय टीवी, रेडियो, प्रिंट व डिजिटल चैनलों के साथ मिल कर बैंक व उसके उत्पादों वसेवाओं के प्रचार-प्रसार हेतु एवं लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु विभिन्न अभियान चलाए। मुद्रित सामग्री में बैंक ने देश भर में स्कायबस विज्ञापनों सहित विभिन्न निर्देशिकाएं एवं विज्ञापन प्रदर्शित किये। बैंक ने बाह्य श्रेणी के अंतर्गत भी देश के प्रमुख शहरों यथा मुंबई, पुणे, चेन्नई, लखनऊ, भोपाल, कोच्चि, भुवनेश्वर, कोलकाता आदि में होर्डिंग/ एलईडी संरचनाएं लगायीं।

डिजिटल विपणन के क्षेत्र में बैंक ने प्रमुख ई-कॉमर्स न्यूज पोर्टल एवं गूगल विज्ञापनों के जरिये विज्ञापन अभियान चलाये। बैंक ने अपनी संस्थागत वेबसाइट को और अधिक ग्राहकोपयोगी बनाने हेतु एसईओ पर जोर दिया।

सोशल मीडिया पर बैंक के 3 मिलियन फॉलोवर्स हो गये जो 5 प्रमुख पटलों यथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब, लिंक्डइन एवं ट्विटर पर मौजूद हैं। फॉलोवर्स/ सब्सक्राइबर्स के रूप में बैंक सर्वोच्च 3री, 4थी व 5वीं स्थिति पर है।

### 3.8 सिटीजन चार्टर:

बैंक ने वर्ष 2000-01 से सिटीजन चार्टर अपनाया है, जो ग्राहकों के प्रति बैंक के कर्तव्यों व दायित्वों से संबंधित है। यह चार्टर बैंक की सभी शाखाओं एवं वेबसाइट पर प्रदर्शित है।

## 4. सामाजिक/ सूक्ष्म आर्थिक विकास

### 4.1 प्राथमिकता क्षेत्र वित्तपोषण:

यह सतत रूप से बैंक का प्रयास रहा है कि लघु एवं सीमांत कृषकों, सूक्ष्म व लघु उद्यमों, खुदरा व्यापारियों, पेशेवरों एवं स्वरोजगार वाले व्यक्तियों, महिला उद्यमियों तथा कमजोर वर्ग के उद्यमियों को उत्पादन के प्रयोजनार्थ समय पर व निर्बाध ऋण उपलब्ध कराते हुए सम्यक व स्थायी आर्थिक विकास को सुकर बनाया जाए। **बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र का कुल वित्तपोषण (निवेश सहित व पीएसएलसी विक्रय छोड़कर) 40% के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले समायोजित निवल बैंक ऋण के 58.37% था।** प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों का स्तर दिनांक 31 मार्च 2023 को रु. 66,844.00 करोड़ (स.नि.बैंक ऋण का 56.77%) था। बैंक ने रु.700 करोड़ का पीसीएलसी बिक्री व्यवहार किया और वित्तीय वर्ष 2022-23 को दौरान रु.4.15 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त किया।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भा.रि.बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के वित्तपोषण के अंतर्गत निर्धारित सभी अनिवार्य लक्ष्यों की त्रैमासिक आधार पर पूर्ति की।

### 4.2 कृषि

बैंक ने वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि व पूरक गतिनिधियों हेतु रु.14275 करोड़ के नये ऋण मंजूर किये। दि. 31.03.2023 को कृषि क्षेत्र के बकाया अग्रिमों की मात्रा रु. 23,400 करोड़ तक पहुंच गयी। कुल कृषि अग्रिम (निवेश सहित व पीएसएलसी विक्रय छोड़ कर) समायोजित निवल बैंक ऋण के 20.82% रहे। बैंक ने वर्ष 2022-23 के दौरान रु. 200 करोड़ का पीएसएलसी विक्रय का व्यवहार किया। बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र व कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के उप लक्ष्यों सहित सभी अनिवार्य लक्ष्यों की (त्रैमासिक औसत के आधार पर) पूर्ति की।

बैंक ने वर्ष 2022-23 के दौरान कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निवेश ऋण की वृद्धि पर अपना ध्यान केन्द्रित किया और रु. 5491 करोड़ का संवितरण किया। इसके फलस्वरूप बैंक के निवेश ऋण में 35.28 % की वृद्धि हुई और बैंक के एमकेसीसी संविभाग में पिछले वर्ष के मुकाबले 1.24% की वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने कृषि स्वर्ण ऋण पर ध्यान केन्द्रित किया और रु. 1905 करोड़ का संवितरण करते हुए कृषि स्वर्ण ऋण विभाग में 72% की वृद्धि की।

In FY 2022-23, Bank created new benchmarks in all mediums like TV, Radio, Digital, Print, etc. Bank has done campaigns with various National & Regional TV, Radio, Print & Digital Channels for creating awareness about the Bank and Promotion of various products & services. In Print category, Bank has published various pointer and display advertisements including Skybus advertisement throughout the country. Under Outdoor category also, Bank has put hoardings/LED Structures at major places like- Mumbai, Bengaluru, Pune, Chennai, Lucknow, Bhopal, Kochi, Bhubaneshwar, Kolkata etc.

In Digital Marketing Bank has done advertisement campaigns in major e-commerce, news portals & Google Ads- Search and Display Campaigns. Bank emphasized SEO for making the corporate website more user-friendly.

In social media, Bank reached 3 million followers on 5 major platforms viz. Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn & Twitter. On YouTube, Facebook and Instagram Bank is at Top 3rd, 4th & 5th position respectively in terms of followers/subscribers.

### 3.8 Citizen's Charter

The Bank has adopted the Citizen's Charter since 2000-01, which details the duties and responsibilities of the Bank towards its customers. The Charter is displayed at all the branches and Bank's website.

## 4. SOCIO/MICRO ECONOMIC DEVELOPMENT

### 4.1 Priority Sector Lending

It has been the constant endeavor of the Bank to facilitate equitable and sustainable economic development by timely and hassle-free availability of credit for productive purposes to Small and Marginal Farmers, Micro and Small Enterprises, Retail Traders, Professional and Self Employed, Women Entrepreneurs and entrepreneurs from economically weaker sections. **Total Priority Sector Lending (PSL) of the Bank (including investments & excluding PSLC sale) stood at 58.37 % of ANBC as against the mandatory target of 40%**. The advances under Priority Sector (excluding investment & PSLC sale) as of 31st March 2023 stood at Rs. 66,844.00 Cr (56.77 % of ANBC). Bank has carried PSLC Sale transaction of Rs. 700 Cr and received premium of Rs. 4.15 Cr during FY 2022-23.

Bank has achieved all mandatory targets as stipulated by RBI under Priority Sector Lending during the FY 2022-23 on Quarterly Average Basis.

### 4.2 Agriculture

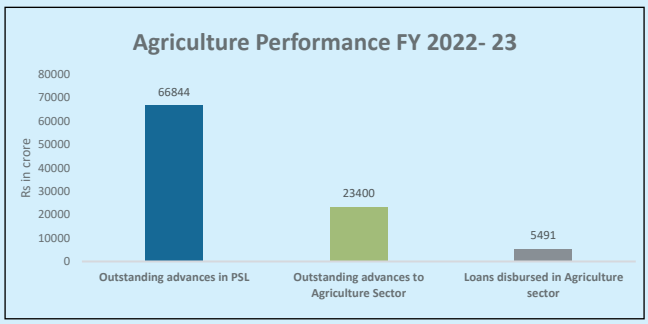
Bank sanctioned fresh loans of Rs. 14275 Crore for Agriculture and allied activities during the year 2022-23. The total outstanding advances to agriculture sector reached a level of Rs. 23400 Crore as on 31.03.2023. Total Agriculture (including investments & excluding PSLC sale) stood at 20.82 % of ANBC. Bank has carried out PSLC sale transaction of Rs. 200 Cr during FY 2022-23. Bank has achieved all mandatory targets (on Quarterly average basis) under Priority Sector and Agriculture including sub-targets during the FY 2022-23.

The bank focused on growth of Investment Credit under Agriculture during the year 2022-23 and disbursed Rs.5491 Crore. As a result, Investment Credit of Bank grew by 35.28% and MKCC portfolio of the Bank grew by 1.24 % over previous year.

During FY 2022-23 Bank has focused on Agriculture Gold Loan and disbursed Rs. 1905 Crore, thereby increased Agriculture Gold Loan portfolio by 72%.

बैंक ने स्व सहायता समूहों के वित्तपोषण हेतु श्री क्षेत्र धर्मस्थल रुरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (एसकेडीआरडीपी) एवं ग्रामीण महिला व बाल विकास मण्डल (जीएमबीवीएम) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एसकेडीआरडीपी से रु. 1103 करोड़ के स्व सहायता समूह अग्रिम प्राप्त हुए।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र पर बार-बार प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, ओला वृष्टि आदि की मार पड़ी। बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत समय-समय पर किसानों को राहत प्रदान की। बैंक ने किसानों को निर्बाध रूप से ऋण उपलब्ध करने हेतु कृषि ऋणों में वृद्धि करने हेतु शाखाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों एवं शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।




### 4.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार निर्माण में उनका सर्वाधिक योगदान रहा है। बैंक ने एमएसएमई को अपना समर्थन जारी रखा है और उसने भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के एमएसएमई के उद्यमियों को प्रदत्त विभिन्न राहत उपायों का कार्यान्वयन किया है।

i. पात्र उधारकर्ताओं को आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के अंतर्गत अतिरिक्त निधि प्रदान करना।

ii. तदर्थ ऋण कोविड-19 योजना के अंतर्गत अतिरिक्त वित्त प्रदान करना।

iii. सड़क के व्यापारियों के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पीएम-स्वनिधि योजना के द्वारा ऋण प्रदान किया गया है।

iv. कोविड 19 प्रभावित क्षेत्रों (एलजीएससीएएस) के लिए पात्र परियोजनाओं हेतु वित्त प्रदान किया गया है।

v. कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ऋण गारंटी योजना के अधीन पात्र उन यात्रा व पर्यटन हितधारको को आवश्यकता आधार पर वित्तीय सहायता के रूप में राहत प्रदान करने हेतु वित्त प्रदान किया गया है जो कोविड 19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं।

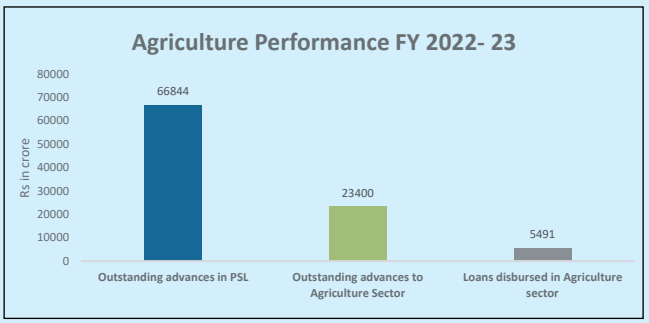
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बैंक के वित्तपोषण में मार्च 2022 के मुकाबले 26.50% की वृद्धि हुई और उसमें समग्रत: रु.6965 करोड़ की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की गई। बैंक के कुल एमएसएमई अग्रिम दिनांक 31.03.2023 को रु. 33244 करोड़ थे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में एमएसएमई संविभाग में बैंक का कार्य निष्पादन

| क्र | विवरण | वास्तविक | लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1 | समायोजित निवल बैंक जमा में सूक्ष्म उद्यमों के ऋण% | 18% | 7.50% |
| 2 | सूक्ष्म उद्यमों के अंतर्गत वर्षानुवर्ष वृद्धि | 8% | 10% |
| 3 | सूक्ष्म व लघु उद्यमियों के बकाया के अंतर्गत वर्षानुवर्ष वृद्धि | 20% | 20% |
| 4 | एमएसई बकाया के मुकाबले सूक्ष्म उद्यमों का अंश | 69% | 60% |

Bank has entered into MOU with Shri Kshethra Dharmasthala Rural Development Project (SKDRDP) and Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMBVM) for SHG Finance. Bank has received Rs. 1103 Crore SHG advances from SKDRDP, during FY 2022-23.

Over last few years, Agriculture sector has been repeatedly hit by vagaries of natural calamities like drought, flood, hailstorms, etc. Within the regulatory guidelines, Bank has extended the relief measures to farmers from time to time. The Bank undertook awareness/sensitization program and locational trainings for the branches for increasing advances to agriculture by providing hassle free credit to farmers.




### 4.3 Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

MSMEs are the growth engine for Indian economy. They have highest contribution in generating employment both directly as well as indirectly. Bank has extended support to MSMEs and has implemented various relief measures given to MSME borrowers by Government of India and Reserve Bank of India.

i. Additional Funding extended under Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) to eligible borrowers.

ii. Additional finance extended under Adhoc Line of Credit COVID-19 Scheme

iii. For street vendors, Bank of Maharashtra has extended loans via PMSVANIDHI scheme to revive their business.

iv. Finance is extended to eligible projects on the healthcare sector under Loan Guarantee Scheme for Covid Affected Sectors (LGSCAS).

v. Finance is extended under Loan Guarantee Scheme under Covid Affected Tourism Service Sector (LGSCATSS) to provide relief to eligible Travel & Tourism Stakeholders viz. by providing need based financial assistance who have been adversely impacted by the Covid-19 pandemic.

Bank's lending to Micro, Small and Medium Enterprises increased by 26.50% as compared to Mar 2022 and recorded growth of Rs. 6,965 crore in absolute terms. Total MSME advances of the bank stood at Rs.33244 crore as on 31.03.2023.

Bank's performance in MSME portfolio in FY 2022-23

| S. No | Particulars | Actual | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | % of Micro to Adj. Net Bank Credit | 18% | 7.50% |
| 2 | YOY growth under Micro Enterprises | 8% | 10% |
| 3 | YOY Growth under Micro & Small enterprises O/s | 20% | 20% |
| 4 | Share of Micro against to MSE O/s | 69% | 60% |

#### 4.3.1 मुद्रा

बैंक निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में लगे व्यवसायियों और गैर-कृषि उद्यमों की रु. 10 लाख तक की ऋण आवश्यकताओं की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पूर्ति करता है। दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने पीएमएमवाई के अंतर्गत रु. 3240 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में रु. 3995 करोड़ के ऋण मंजूर करते हुए लक्ष्य की 123% पूर्ति की है।

**अन्य प्रमुख उपलब्धियां**

- अंचलों में विभिन्न स्थानों पर एमएसएमई संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि नया व्यवसाय जुटाया जा सके और इसे ग्राहकों की ओर से सराहनीय प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।
- बैंक ने एमएसएमई के उद्यमों को अधिक बेहतर व तीव्र सेवा प्रदान करने की दृष्टि से नए डिजिटल उत्पाद लाते हुए डिजिटल वित्तपोषण विभाग का सृजन किया है।
- निर्बाध ऋण संवितरण हेतु मुद्रा ऋण की सीधी प्रक्रिया (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस) विकसित की जा रही है।
- बैंक स्टैण्ड अप इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। दिनांक 31.03.2023 को हमारे बैंक ने 4064 के लक्ष्य के मुकाबले 4123 आवेदनों को मंजूरी दी। बैंक ने मुद्रा एवं पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की।
- बैंक ने एमएसएमई के नए एवं दर्जेदार प्रस्तावों के वित्तपोषण हेतु मराठा चैंबर ऑफ कामर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर (एमसीसीआईए), एनएसआईसी, बीवाईएसटी के साथ तालमेल व्यवस्था की है।
- अच्छे दर्जेदार आस्तियों को बढ़ावा देने हेतु बैंक ने ऋण प्रस्तावों के मंजूरीपूर्ण स्तर पर ही बेहतर सतर्कता बरतते हुए समुचित सतर्कता रिपोर्ट के डिजिटल प्रवाह के लिए एक समुचित सतर्कता एजेंसी का पैनल बनाया है।

### 4.4 चुनिन्दा क्षेत्रों को बैंक ऋण

| सं. | क्षेत्र | 31.03.2023 को | 31.03.2022 को | % वृद्धि (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सूक्ष्म/ स्व सहायता समूह वित्त | 2,086 | 577 | 261.53 |
| 2 | कमजोर वर्ग | 19,187 | 12,735 | 50.66 |
| 3 | एससी / एसटी लाभार्थी | 5,442 | 4,234 | 28.53 |
| 4 | ओबीसी लाभार्थी | 11,714 | 9,108 | 28.61 |
| 5 | अल्पसंख्यक समुदाय | 5,723 | 4,481 | 27.72 |

## 5. बैंक की महत्वपूर्ण योजनाएं/ परियोजनाएं:

### 5.1 रिटेल क्षेत्र को ऋण प्रवाह

बैंक वेतनभोगी व्यक्तियों, पेशेवरों, व्यावसायिकों और पेंशनरों को आवासीय संपत्तियां/ जमीन खरीदने, घर की मरम्मत/ नवीनीकरण, उपभोक्ता वस्तुओं, दुपहिया/ चार पहिया वाहन खरीदने, शिक्षा और अन्य वैयक्तिक आवश्यकताओं आदि हेतु रिटेल ऋण उपलब्ध करा रहा है। 31.03.2023 को बैंक का कुल रिटेल पोर्टफोलियो रु.43,432.60 करोड़ है।

| क्र | योजना | संक्षिप्त विवरण | मार्च 23 को पोर्टफोलियो | एनपीए % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महा सुपर आवास ऋण योजना | आवास क्षेत्र एक प्रमुख क्षेत्र होने के कारण सभी आर्थिक खंडों की प्राप्ति हेतु बैंक के पास विभिन्न आवास ऋण योजनाएं हैं। बैंक '' वर्तमान आवास के निर्माण/ खरीदी, वर्तमान घर/ फ्लैट की मरम्मत/ नवीकरण/ तबदीली, प्लॉट की खरीदी और उस पर निर्माण'' के लिए आवास ऋण प्रदान करता है। | 25,181.06 | 0.69 |

#### 4.3.1 MUDRA

Bank is supporting credit needs of small business and non-farm enterprises engaged in manufacturing, trade and services up to Rs. 10 lakh by way of Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). During the year ended 31.03.2023 the Bank has sanctioned Rs. 3,995 crore under PMMY against the target of Rs. 3,240 crore, thereby achieving 123% of target.

**Other Major Achievements**

- MSME outreach programmes have been organized at various locations in zones to cater new business and appreciable response is received from the customers.
- Bank has created Digital Lending Department specially for bringing new digital products to serve MSME units in much better and faster way.
- Straight Through Process (STP) of Mudra Loan is under development for hassle free disbursement.
- Bank was successful in achieving Stand-Up India targets. As on 31.03.2023, our Bank had sanctioned 4123 number of applications as against target of 4064. Bank also achieved all set targets for MUDRA and PM SVANIDHI scheme.
- Bank has made tie up with Maratha Chamber of Commerce, Industries and Agriculture(MCCIA), NSIC, BYST for sourcing new and quality MSME proposals.
- Bank has empaneled Due Diligence Agency for digital flow of Due Diligence Report, for better diligence at Pre-Sanction stage of credit proposal to promote good quality assets.

### 4.4 Bank's Exposure to Select Segments

(Amt. Rs in Cr)

| Sr No | Sector | As on 31.03.2023 | As on 31.03.2022 | % increase (+/-) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micro / SHG Finance | 2,086 | 577 | 261.53 |
| 2 | Weaker Section | 19,187 | 12,735 | 50.66 |
| 3 | SC/ ST Beneficiaries | 5,442 | 4,234 | 28.53 |
| 4 | OBC Beneficiaries | 11,714 | 9,108 | 28.61 |
| 5 | Minority Communities | 5,723 | 4,481 | 27.72 |

## 5. IMPORTANT SCHEMES/ PROJECTS OF THE BANK:

### 5.1 Credit Flow to Retail Sector

Bank is providing retail loans for salaried persons, professionals, businessmen and pensioners for purchase of housing properties/ plots, repair/ renovation of house, purchase of consumer durables, two/four wheeler vehicles, education and loan for other personal needs etc. Total Retail portfolio of the Bank as on 31.03.2023 stood at Rs. 43,432.60 Crore.

| SN | Scheme | Brief Description | Portfolio as of Mar '23 | NPA % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maha Super Housing Loan Scheme | Housing Sector being the thrust area, Bank has various Housing Loan schemes in place to meet the needs of all economic segments.<br><br>Bank offers housing loan for "purchase / construction of new / existing house / flat, repairs/ renovation / alteration of existing house / flat, purchase of plot and construction thereon" | 25,181.06 | 0.69 |

| क्र | योजना | संक्षिप्त विवरण | मार्च 23 को पोर्टफोलियो | एनपीए % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | महासुपर कार ऋण योजना और महाबैंक वाहन ऋण योजना | बैंक ने व्यक्तियों (18 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए वैयक्तिक उपयोग (किराया/ यात्री आवागमन के लिए नहीं) हेतु नए फोर व्हीलर यथा कार, जीप, मल्टी यूटिलिटी वेहिकल (एमयूवी), एसयूवी के खरीदी के लिए योजनाएं आरंभ की। | 2,386.40 | 0.77 |
| 3 | मॉडल शिक्षा ऋण योजना | बैंक आईबीए के दिशानिर्देशों के अनुसार मॉडल शिक्षा ऋण योजना का कार्यान्वयन करता है और भारत एवं विदेश में उच्च शिक्षा/ अध्ययन प्राप्त करने के लिए सभी मेधावी एवं योग्य छात्रों को झंझटमुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करता है। | 1,828.64 | 0.96 |
| 4 | स्व अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण | बैंक द्वारा स्व अधिकृत संपत्तियों के बदले ऋण की शुरूआत की है जिसके अंतर्गत संपत्ति के बदले उधारकर्ता को ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण का अंतिम उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत आवश्यकताओं यथा बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, यात्रा / दौरा व्यय, वाहन या हाई-टेक गैजेट की खरीद, अन्य घरेलू आवश्यकताओं आदि की पूर्ति करना है। | 1,824.79 | 1.18 |
| 5 | महाबैंक टॉप अप ऋण योजना | वर्तमान आवास ऋण उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण सहयोग प्रदान करने के साथ-साथ टॉप अप ऋण की अतिरिक्त सुविधा के साथ अन्य बैंकों के वर्तमान आवास ऋणों का अभिग्रहण करने के लिए बैंक ने ''महाबैंक टॉप-अप ऋण योजना'' का आरंभ किया है।<br>इस योजना के अंतर्गत घर की मरम्मत/ नवीनीकरण/ फर्निशिंग, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, चिकित्सा उपचार, वाहन खरीद या हाई-टेक गैजेट व अन्य घरेलू जरूरतों की खरीद के लिए ऋण प्रदान किए जाते हैं। | 1,699.21 | 0.20 |
| 6 | महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना | आकर्षक आस्ति के रूप में स्वर्ण ऋण की संभावनाओं का लाभ उठाने और अन्य वैयक्तिक खर्चों जिसमें विवाह, उच्च शिक्षा, चिकित्सा आकस्मिकताओं, व्यवसाय यात्रा इत्यादि शामिल है, की पूर्ति के लिए बैंक ने रिटेल ऋण उत्पाद ''महाबैंक स्वर्ण ऋण योजना'' का आरंभ किया है। | 4,259.33 | 0.20 |
| 7 | महाबैंक आधार ऋण योजना | हमारे वर्तमान पेंशन खाताधारकों को उनके वैयक्तिक खर्चों, धार्मिक यात्राओं, चिकित्सा, घरेलू आवश्यकताओं इत्यादि की पूर्ति के लिए बैंक ने ''महाबैंक आधार ऋण योजना'' का पुनःआरंभ किया. | 709.05 | 0.93 |
| 8 | वैयक्तिक ऋण | वेतनभोगी व्यक्तियों और पेशेवरों के अन्य निजी खर्चों, चिकित्सा या घरेलू खर्चों आदि जरूरतों को पूरा करने के लिए। | 1381.46 | 0.40 |

### 5.2 ऋणों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग

बैंक ने समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराने के टर्नअराउंड समय (टीएटी) में सुधार के लिए अपने सभी अंचलों में वाणिज्यिक और रिटेल अग्रिमों की प्रोसेसिंग एवं मंजूरी हेतु केंद्रीकृत प्रोसेसिंग कक्ष (सीपीसी) स्थापित किए हैं।

सभी बंधक आधारित रिटेल ऋण या जहां कहीं भी अचल संपत्ति को बंधक प्रयोजन के लिए संपार्श्विक के रूप में पेश किया जाता है, भले ही सीपीसी-आर में प्रोसेस और स्वीकृत की जाने वाली ऋण राशि कुछ भी हो।

ये ऋण इस प्रकार हैं:

- आवासीय ऋण
- टॉप अप ऋण
- स्व-अधिकृत संपत्ति पर ऋण

| SN | Scheme | Brief Description | Portfolio as of Mar '23 | NPA % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Maha Super Car Loan Scheme and Mahabank vehicle Loan scheme | Bank has launched schemes for purchase of New four wheelers i.e. Car, Multi Utility vehicles (MUVs), SUV etc. for personal use (i.e. not for hiring/ ferrying passengers) for individuals (18 years and above). | 2,386.40 | 0.77 |
| 3 | Model Education Loan Scheme | Bank has implemented Model Education Loan Scheme as per IBA guidelines and provides hassle free Education loan to all meritorious and deserving students for pursuing higher studies /education in India and abroad. | 1,828.64 | 0.96 |
| 4 | Loan Against Self-Occupied Property | Bank has introduced Loan Against Self-Occupied Property in which loan is given to the borrower against the property. The end use of the loan is for meeting varied personal needs like Children's Education, marriage of children, medical treatment, travel/ tour expenses, buying vehicle or hi-tech gadgets, other domestic needs etc. | 1,824.79 | 1.18 |
| 5 | Mahabank Top up Loan Scheme | In order to extend additional credit support to existing housing loan borrower as well takeover of existing housing loans of other banks with additional facility of Top-up Loan. Bank has launched "Mahabank Top Up loan Scheme".<br><br>Under this scheme credit is extended for repair / renovation / furnishing of house, children's education, marriage of children, medical treatment, buying a vehicle or hi-tech gadgets and other domestic needs etc. | 1,699.21 | 0.20 |
| 6 | Mahabank Gold Loan Scheme | To cater to the needs of meeting personal expenses, whatsoever which include personal expenditure for varied needs like marriage, higher education, medical emergencies, and business travel etc., Bank has a retail loan product as "Mahabank Gold Loan Scheme". | 4,259.33 | 0.20 |
| 7 | Mahabank Aadhar Loan Scheme | To cater to the needs of our existing pension account holders in meeting their personal expenses, pilgrimage, medical and domestic needs etc. Bank offers "Mahabank Aadhar Loan Scheme". | 709.05 | 0.93 |
| 8 | Personal Loan | To cater to the needs od salaried individual and professionals of meeting other personal expenses, medical or domestic expenses etc. | 1381.46 | 0.40 |

### 5.2. Centralized Processing of loans

Bank has established Centralised Processing Cells (CPCs) for processing and sanctioning of commercial and retail advances at all its zones to improve the turnaround time (TAT) in facilitating timely credit.

All mortgage based Retail loan or wherever immovable property are offered as collateral for mortgage purpose irrespective of the loan amount to be processed and sanctioned at the CPC-R.

These loans are as under:

- Housing Loan
- Top up Loan
- Loan against self-occupied Property

- शिक्षा ऋण (यदि अचल संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में प्रस्ताव किया जाता है)
- वाहन ऋण (यदि अचल संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में प्रस्ताव किया जाता है)
- अन्य सभी खुदरा ऋण संबंधित शाखाओं द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।

शहरी क्षेत्र की सभी शाखाएं (स्केल-4 तक वर्गीकृत) या अन्य क्षेत्र के मामले में सीपीसी-आर के स्थान से 25 किमी से 30 किमी के दायरे के अंतर्गत की शाखाओं को (अंचल प्रबंधक के विवेकानुसार) इसके साथ मैप किया जाएगा।

पुणे स्थित सीपीसी केन्द्रों अर्थात पुणे शहर, पुणे पूर्व और पुणे पश्चिम के सीपीसी का विलय एक महाबैंक रिटेल पॉइंट में कर दिया गया है, ताकि पुणे की मैप की गई शाखाओं के सभी बंधक आधारित ऋणों और मैप नहीं की गई शाखाओं की प्रत्यायोजित मंजूरी शक्तियों से अधिक के प्रस्तावों की प्रोसेसिंग एक ही स्थान पर की जा सके।

**5.3 आवास वित्त शाखाएं:**

बैंक ने आवास और बंधक आधारित ऋणों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए पहले से ही यशोमंगल, पुणे शहर (शाखा कोड-1129) में विशेषीकृत आवास वित्त शाखा (एचएफबी) स्थापित किया हुआ है। इस प्रकार की विशेषीकृत शाखा स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य, मौजूदा संरचना में बिना कोई बदलाव किए पायलट आधार पर फोकस दृष्टिकोण को अपनाना था।

आजीविका और रोजगार के अवसरों के आधार पर, मेट्रो सेंटर आकर्षण का केंद्र बन गए हैं और बड़ी संख्या में आबादी को पलायन करने और वास्तविक महानगर में बसने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही, मेट्रो शहर घर खरीदारों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बन गए हैं।

जैसा कि स्पष्ट है, बैंक को इस प्रकार के विशिष्ट और औद्योगिक मानक के समकक्ष आउटलेट से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। अब, बैंक ने अन्य प्रमुख महानगरों यथा मुंबई, बेंगलूरु, दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई, नवी मुंबई, चंडीगढ, गुडगांव, वाकड (पुणे) और भोपाल जैसे मुख्य केंद्रों में आवास वित्त शाखा आउटलेट खोले हैं।

**5.4 स्वर्ण ऋण प्वाइंट :**

बैंक ने स्वर्ण ऋण सेगमेंट के नए कारोबार पर समवेत प्रयास करना आरंभ किया है। हमारे बैंक के स्वर्ण ऋण को लोकप्रिय बनाने और स्वर्ण ऋण उधारियों के विस्तार के लिए पूरे भारत में **महा बैंक स्वर्ण ऋण प्वाइंट** खोले गए हैं। महा बैंक गोल्ड लोन पॉइंट त्वरित, पारदर्शी और परेशानी मुक्त गोल्ड लोन मंजूरी की सुविधा प्रदान करते हैं।

**5.5 डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं**

बैंक द्वारा अपनी 546 शाखाओं के माध्यम से पहचान किए गए 100 शहरों में अपने रिटेल ग्राहकों के लिए द्वार पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। द्वार पर सेवाओं के अंतर्गत वित्तीय संव्यवहार और गैर वित्तीय संव्यवहार शामिल हैं। वित्तीय संव्यवहार यथा नकदी आहरण, निधि अंतरण। गैर वित्तीय संव्यवहार जैसे कि खाता विवरण और टीडीएस प्रमाणपत्र/ फार्म 16 पहुंचाने के साथ-साथ चेक/ डीडी, 15जी/ 15एच फॉर्म, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जीवन प्रमाणपत्र, नामांकन आदि पिक-अप सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं। पेंशनर्स अपने घर से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

**5.6 वैकल्पिक व्यवसाय माध्यम**

**5.6.1 इंटरनेट बैंकिंग**

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं में 24.93% की वृद्धि हुई। 31.03.2023 के अनुसार इंटरनेट बैंकिंग सुविधा के लिए कुल 24.13 लाख ग्राहकों ने नामांकन किया।

**5.6.2 मोबाइल बैंकिंग :**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंकिंग उपयोगकर्ताओं में 24.40% वृद्धि हुई। 31.03.2023 को कुल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 23.46 लाख है।

- Education Loan (In case immovable property is offered as collateral)
- Vehicle Loan (In case immovable property is offered as collateral)
- All other Retail Loans to be sanctioned by respective branches.

All Branches (Categorized up to Scale -4) within urban conglomerate or within 25 km to 30 km radius in other place (as per discretion of ZMs) from location of CPC-R will be mapped with it.

Pune based CPC cells i.e. Pune City & Pune East are merged into one Maha Bank Retail Point for processing all the mortgaged based loans in Pune at a single place for mapped branches and above the delegated sanctioning powers of unmapped branches.

**5.3 Housing Finance Branches:**

Bank has already in place exclusive Specialized Housing Finance Branch (HFB) at Yashomangal, Pune City (Br. Code- 1129) to capture the available opportunities in Housing and Mortgage based loans. Major vision is establishing this specialized branch was to adopt a focus approach on pilot basis without disturbing the existing structure.

Based on the employment opportunities and livelihood, Metro centers have become an attractive destination and inviting large number of populations to migrate and settle down as a true metropolitan. Also, Metro cities have become an attractive destination for home buyers.

As evident, Bank has witnessed a positive outcome with such exclusive & at par with industry standard outlet. Now, Bank has expanded its Housing Finance Branch outlets to other major centers like Mumbai, Bengaluru, Delhi, Noida, Hyderabad, Chennai, Navi Mumbai, Chandigarh, Gurgaon, Wakad (Pune) and Bhopal.

**5.4. Gold Loan Point:**

Bank has started putting concerted efforts on new business under gold loan segment. **Maha Bank Gold Loan Point** have been opened across India to popularize and enhance gold loan lending of our Bank. Maha Bank Gold Loan Points facilitate quick, transparent & hassle free Gold Loan sanctioning.

**5.5 Door Step Banking Services**

Bank is providing Door Step Banking Services for its retail customers in 100 identified cities through its 546 branches. Door Step Banking Services include financial and non-financial services. The financial services include cash withdrawal, fund transfer. Non- financial transactions like delivery of account statement and TDS certificate/ Form 16 as well as pickup service of cheque/DD, 15G/15H form, standing instructions, life certificate, nomination etc. are also made available. Pensioners can also submit digital life certificate from home.

**5.6 Alternate Delivery Channels**

**5.6.1 Internet Banking**

There was an increase of 24.93% in Internet Banking user over the previous year. As of 31.03.2023, total 24.13 lakh customers were enrolled for Internet Banking facility.

**5.6.2 Mobile Banking**

Banking users increased by 24.40% in FY 2022-23. Total enrolled users were 23.46 lakhs as on 31.03.2023.

**5.6.3 क्यूआर कोड जारी करना**

पिछले वर्ष की तुलना में क्यूआर कोड जारी करने में 151.62% की वृद्धि हुई। 31.03.2023 तक ग्राहकों को कुल 10.91 लाख क्यूआर कोड जारी किए गए।

**6. निगमित सामाजिक दायित्व :**

ग्रामीण नागरिकों, कमजोर वर्गों, वंचितों के उत्थान तथा सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने की सदियों पुरानी परंपरा की विरासत का पालन करते हुए बैंक ने सरकार द्वारा मुख्य लक्षित क्षेत्रों से संबद्ध विभिन्न गतिविधियां संपादित कीं। बैंक ने वाशिम, गढ़चिरौली और नंदुरबार जैसे संभावनाशील जिलों में भी विभिन्न गतिविधियां कीं।

**एमएसएमई को सहयोग :** बैंक ने आईडब्ल्यूईसी महिला व्यापार मेला - महिला उद्यमियों के लिए व्यापार सम्मेलन, ''स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को दर्शाने हेतु - सरस 2022 प्रदर्शनी'', सीआईआई तमिलनाडु द्वारा आयोजित ''एमएसएमई कॉन्क्लेव'' और इसी दिशा में अन्य गतिविधियां संपादित कीं और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया।

**शिक्षा और खेलों का संवर्धन :** बैंक ने आईआईटी पटना का ''डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2022 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन'' के आयोजन के लिए सहयोग किया है, सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''माइक्रोप्लांटोलॉजी के लिए 28वां कोलोक्वियम - पर्यावरण पर कार्यक्रम, माइक्रोपेलियंटोलॉजी और स्ट्रैटिग्राफी के औद्योगिक अनुप्रयोग'', वंचित बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मौजूदा सुविधाओं के विस्तार और उन्हें बेहतर बनाने के लिए प्रिज्म फाउंडेशन को सहयोग, वी4 ऑर्गन्स फाउंडेशन के छात्रों को अंगदान के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण, महाराष्ट्र एनसीसी कैडेटों के सभी सात ग्रुप मुख्यालय स्तर पर वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों के दौरान वित्तीय साक्षरता पर एनसीसी कैडेटों को शिक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद के लिए सहयोग, जरूरतमंद छात्रों को 10000 परीक्षा मार्गदर्शन प्रश्नावली पुस्तकों का दगडूशेठ हलवाई मंदिर पुणे, में निशुल्क वितरण, पिछड़े वर्ग के छात्रों और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और कमजोर समुदाय के परीक्षार्थियों की शिक्षा में मदद करने के लिए पुस्तकालय का नवीनीकरण, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए अनुसंधान परियोजना प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए कामायनी प्रशिक्षण एवं संशोधन सोसायटी को सहयोग प्रदान किया।

**स्वास्थ्य सेवा/ स्वच्छता को बढ़ावा देना:** बैंक ने करीमनगर में मुफ्त चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए बी एन राव हेल्थ फाउंडेशन को वित्तीय सहायता प्रदान की है, वृद्ध लोगों के लिए डेविड ससून इनफर्म एसायलम का नवीनीकरण, केंद्रीय विद्यालय गणेश खिंड को छात्राओं के लिए नैपकिन वेंडिंग इंसीनरेटर, आलंदी से पंढरपुर जुलूस के दौरान भक्तों को पेय जल की आपूर्ति, ''इंडिया डेवलपमेंट एंड स्कीम एक्सपो'' 19वीं रन अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड थीमैटिक एक्सपो का आयोजन, सेठ जीएस मेडिकल और केईएम अस्पताल, सीपीएए (कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन) के कैंसर रोगियों की सहायता करने हेतु आयोजित कार्यक्रम, सीएचडी ग्रुप छात्रावास के वंचित बच्चों के लिए कुर्सियों की खरीद, वंचित आदिवासी लोगों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ''मांडवी शिक्षण प्रसारक मंडल'' ट्रस्ट, के प्राथमिक विद्यालय में में वाटर प्यूरिफायर; श्री गणेश मंदिर टेकड़ी, नागपुर को सामाजिक कार्य और सामाजिक गतिविधियों के लिए और जानवरों की देखभाल के लिए वाहन की खरीद हेतु, स्तन कैंसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ''ट्रस्ट - इन रन'' नाम से मैराथन कार्यक्रम का आयोजन, ब्लाइंड ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के माध्यम से नेत्रहीनों को फोल्डिंग केन प्रदान करना, रक्तदान शिविर का आयोजन करना, मालेगांव में वृद्धाश्रम को फर्नीचर प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है।

**महिला सशक्तिकरण:** भीमथडी जत्रा (महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी) जैसे मंच प्रदान करके महिला स्व सहायता समूहों की उनके उत्पादों को दर्शाने हेतु मदद करना, आरसेटी द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं की ''महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित मंडल और राज्य स्तरीय कौशल और ज्ञान प्रतियोगिता, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम'' - मालेगांव में समाज में अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने वाली महिलाओं के प्रेरणादायक भाषण का आयोजन।

**शहरी/ ग्रामीण विकास :** बैंक विभिन्न ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा है, जैसे जनजाति कल्याण केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि समाज के वंचित समुदाय के समग्र विकास हेतु दूरदराज के। आदिवासी क्षेत्रों मे आने-जाने के लिए वाहन उपलब्ध कराया जा सके।

**5.6.3 QR Code issuance**

There was increase of 151.62% in QR code issuance over the previous year. As of 31.03.2023, total 10.91 lakh QR codes issued to customers.

**6. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

Following the legacy of the age-old convention of contributing to socio-economic advancement & underprivileged, weaker areas and rural citizens, Bank undertook various activities aligned with Govt. thrust areas. Bank also undertook, various activities in the aspirational districts like Washim, Gadhchiroli & Nandurbar.

**Empowering MSMEs:** Bank organized and participated in various events like IWEC Women Business Mela- a business conference for women entrepreneurs, "SARAS 2022 - Exhibition for products display of Self Help Groups", " MSME Conclave" organized by CII Tamilnadu and other activities in the same line.

**Promoting Education & Sports:** Bank has supported IIT Patna for organizing " International Conference on Data Science & Artificial Intelligence 2022", "28th Colloquium to Microplantology - programme on environment, Industrial applications of micropaleontology & Stratigraphy" organized by Savitribai Phule University, for expansion & improvement existing facilities for the cause of Special Education for underprivileged children to Prism Foundation, Online training for organ donation to students of V4 Organs Foundation, Maharashtra NCC Cadets for procurement of electronic equipment's to educate NCC cadets on Financial Literacy during the Annual Training Camps at all seven Group HQs level, free distribution of 10,000 exam guidance questionnaire books among needy students at Dagduseth Halwai Mandir Pune, renovating of library for helping in education of underprivileged students and exam aspirants of SC/ST and weaker community, Kamayani Prashikshan & Sanshodhan Society for carrying our Research Project Training Program for Mentally Challenged Children.

**Promoting Healthcare/Sanitation:** Bank has provided financial support to B N Rao Health Foundation for conducting free Medical Camp at Karimnagar, Renovation of David Sasoon Infirm Asylum for old age people, Kendriya Vidyalaya Ganesh Khind for purchase of Napkin Vending Incinerators for girl students, drinking water supply to devotees during Alandi to Pandharpur Procession, organizing "India Development & Scheme Expo" -19th Run against Drug Abuse & Thematic Expo, Seth GS Medical & KEM Hospital for event supporting cancer patients of CPAA (Cancer Patients Aid Association), Purchase of chairs for underprivileged children of CHD Group hostel, Installation of Water Purifier at Primary School to "Mandavi Shikshan Prasarak Mandal"; an education promoting Trust for underprivileged tribal people, Shree Ganesh Mandir Tekadi, Nagpur for purchase of vehicle for performing social work and social activities & taking care of animals, organizing an awareness program on Breast Cancer by conducting a marathon event by the name "Trust-In -Run'' Providing Folding Canes to visually Challenged through Blind Organization of India,Mumbai, organising blood donation camp, providing Furniture for Old age home at Malegaon.

**Women Empowerment:** Helping Women SHGs by providing platforms like Bhimthadi Jatra (a National level exhibition for women) to showcase their products, Divisional & State Level Skill & Knowledge Competition of RSETI trained women organized by Maharashtra State Rural Livelihood Mission (MSRLM), organizing "Women's Empowerment Event" - inspirational speeches from women who have created a mark in the society at Malegaon.

**Urban/Rural development:** Bank is undertaking various rural development activities like financial support to Janjati Kalyan Kendra, society working for overall development of the underprivileged community for providing commuting vehicle for remote tribal area.

**ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण:**

बैंक द्वारा ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी) तथा बैंक के दो ट्रस्टों यथा-महाबैंक कृषि अनुसंधान व ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) और ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल (जीएमबीवीएम) के माध्यम से कृषि, ग्रामीण विकास तथा महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

**मारडेफ की गतिविधियां:**

क) **महाबैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (एमआरसेटी) के माध्यम से गतिविधियां**

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने निर्धारित 5,685 के लक्ष्य की तुलना में 5,789 प्रशिक्षणार्थियों को ईडीपीऔर कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया।
- इन प्रशिक्षित उद्यमियों द्वारा 75.32% सेटेलमेंट अनुपात प्रदर्शित करते हुए कुल 4,360 नए व्यवसाय शुरू किए गए; क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 57.06% उपलब्धि प्रदर्शित करते हुए 2448 इकाईयां क्रेडिट लिंक की जा चुकी हैं।
- हमारे बैंक को प्रायोजित बैंक द्वारा आरसेटी के बेहतर प्रबंधन के लिए ''महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन'', मुंबई से प्रतिष्ठित राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- एनएसीईआर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हमारे बैंक के सभी आरसेटी को ''एए'' ग्रेड दिया गया है।
- वर्ष के दौरान हमारे सभी 7 एमआरसेटी के विभिन्न प्रशिक्षुओं ने मंडल स्तर और राज्य स्तर पर एमएसआरएलएम द्वारा आयोजित ''कौशल और ज्ञान प्रतियोगिता'' में भाग लिया। हमारे एमआरसेटी ने राज्य स्तर पर तीन पुरस्कार प्राप्त किए।
- एमआरसेटी ने ''आजादी का अमृत महोत्सव'' के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है जैसे फिट इंडिया फ्रीडम रन, एंटरप्रेन्योरशिप मोबिलाइजेशन कैंप, रक्तदान शिविर, योग दिवस मनाना, स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन आदि।
- एमआरसेटी ने दिव्यांगों और अनाथ महिलाओं हेतु विशेष प्रशिक्षण बैच आयोजित किए।

ख) **अन्य पहलें**

- बैंक द्वारा ग्रामीण विकास केंद्र (आरडीसी) तथा बैंक के दो ट्रस्टों यथा-महाबैंक कृषि अनुसंधान व ग्रामीण विकास फाउंडेशन (मारडेफ) और ग्रामीण महिला व बालक विकास मंडल (जीएमबीवीएम) के माध्यम से कृषि, ग्रामीण विकास तथा महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
- बैंक द्वारा शाखाओं, बीसी और अन्य डिजिटल मोड के माध्यम से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा - पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई आदि का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।
- आरडीसी ने भूतपूर्व सैनिकों, वीर माता / वीरपत्नी के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। राष्ट्र के प्रति समर्पित सेवा के लिए कृतज्ञता के प्रतीक स्वरूप इन अवसरों पर उन्हें सम्मानित किया गया।
- नए व्यवसाय शुरू करने हेतु ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जीएमबीवीएम द्वारा स्वरोजगार गतिविधियों यथा - अगरबत्ती, मोमबत्तियाँ आदि बनाने के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। ये महिलाएं स्वयं के साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अपना व्यवसाय चला रही हैं।
- जीएमबीवीएम ने विभिन्न प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न स्व-सहायता समूह के सदस्यों को मंच प्रदान किया ताकि उनके उद्यमिता कौशल को प्रोत्साहित और विकसित किया जा सके।

**Rural Development & Women Empowerment:**

Bank is undertaking various social activities through Rural Development Centre (RDCs) and two trusts of Bank i.e. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) and Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMBVM) in the areas of Agriculture, Rural development & women empowerment.

**Activities of MARDEF:**

a) **Trainings through Mahabank Rural Self Employment Training Institutes (MRSETIs)**

- During FY 2022-23 Bank imparted EDP & skill based training to 5,789 trainees as against set target of 5,685.
- A total of 4,360 new businesses were started by these trained entrepreneurs, showing settlement ratio of 75.32%; 2,448 units are credit linked, showing 57.06% achievement under credit linkage.
- Our Bank has received prestigious State Award from "Maharashtra State Rural Livelihood Mission", Mumbai for Better Management of RSETIs by sponsored Bank.
- During the FY 2022-23, all RSETIs of our Bank are "AA" Graded for FY 2021-22 by NACER.
- During the year various trainees from all our 7 MRSETIs participated in "Skill and Knowledge competition" organized by MSRLM at Divisional levels & State level. At state level three prizes owned by our MRSETIs.
- MRSETIs have organized various programmes under "AZADI KA AMRIT MAHOTSAV' like FIT India Freedom Run/rally, Entrepreneurship Mobilization camps, Blood donation camps, International Yoga Day Celebration, Health checkup camps etc.
- MRSETIs have organized special training batches for Divyang, orphan women.

b) **Other initiatives**

- Bank is undertaking various social activities through Rural Development Centre (RDCs) and two trusts of Bank i.e. Mahabank Agricultural Research and Rural Development Foundation (MARDEF) and Gramin Mahila Va Balak Vikas Mandal (GMBVM) in the areas of Agriculture, Rural development & women empowerment.
- Bank is also implementing the social security schemes of Govt. like PMJJBY, PMSBY, APY, etc. through Branches, BCs and other digital modes.
- RDC conducted special programme for Ex-army servicemen, Veermata/Veerpatni. On these occasion as token of gratitude they were felicited for their devoted service to Nation.
- GMBVM provided skill based training to rural women for self-employment activities like Cloth Bag /paper making, Agarbatti, Candles, Immitation Jewellery, preparation of value added products from fish etc. to empower them for starting new business. These women are running their business on individual as well as through SHGs.
- GMBVM provided platform to various SHG members through different exhibition so as to encourage & develop their entrepreneurship skills.

## 7. अग्रणी बैंक

### 7.1 अग्रणी बैंक योजना

महाराष्ट्र राज्य के सात जिलों यथा छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद), जालना, नाशिक, पालघर, पुणे, सातारा व ठाणे में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक के पास है। प्रत्येक वर्ष अन्य बैंकों और संबंधित जिले के जिलाधिकारियों के सहयोग से बैंक जिला ऋण योजना बनाकर कार्यान्वित करता है।

### 7.2 राज्य स्तरीय बैंकर समिति

बैंक, महाराष्ट्र राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है।

एसएलबीसी द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों, सदस्य बैंकों, नाबार्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक आदि से विचार-विमर्श कर राज्य वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र योजना **रु.5,22,073/- करोड़** की थी, जो देश में सबसे बड़ी योजनाओं में से एक थी। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न विशेष बैठक में योजना का अनुमोदन हुआ था।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति, राज्य वार्षिक ऋण योजना, प्राथमिकता क्षेत्र की उधारी और राज्य में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियमित तिमाही बैठकों का आयोजन भी करती है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की नियमित बैठकों के अलावा दिशानिर्देशों के अनुसार उप समिति की बैठकों के साथ-साथ सदस्य बैंकों, राज्य सरकार, राज्य सरकार की एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय करने के लिए अन्य विभिन्न बैठकों का आयोजन भी किया जाता है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति राज्य में **16,835** से अधिक बैंक शाखाओं के बीच समन्वय का कार्य करती है।

विशिष्ट घटनाएं यथा ऋण माफी योजना की घोषणा, महामारी के प्रकोप की स्थिति में समाज के गरीब वर्गों की सहायता के लिए राहत पैकेज के मामले में एसएलबीसी, विभिन्न उपायों/ योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सदस्य बैंकों और राज्य/ केंद्र सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करती है।

राज्य स्तरीय बैंकर समिति का समन्वयक होने के नाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) का समन्वयन महाराष्ट्र राज्य में कर रहा है। **31.03.2023 के अनुसार, राज्य में कुल 324 लाख पीएमजेडीवाई खाते** खोले गए। पीएमजेडीवाई खाता खोलने की प्रक्रिय जारी है। एसएलबीसी द्वारा राज्य में केन्द्र सरकार के अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का संयोजन भी किया जाता है। **31.03.2023 तक, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई के तहत कुल नामांकन क्रमश: 108.88 लाख, 232.61 लाख और 38.39 लाख हैं।**

### 7.3 वित्तीय समावेशन / पीएमजेडीवाई :

(राशि लाख में)

| | ब्योरे | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| एफआई योजना | बीसीए द्वारा किए गए संव्यवहार (लाख में) | 196.82 | 209.05 |
| | संव्यवहार की राशि (करोड़ में) | 14624.74 | 16332.09 |
| पीएमजेडीवाई | पीएमजेडीवाई खातों की संख्या (लाख में) | 71.64 | 70.46 |
| | उसमें से आधार सीडिंग किए गए (लाख में) | 66.55 | 66.46 |
| | आधार सीडिंग का % (लाख में) | 92.90% | 94.32% |
| | उसमें से मोबाइल सीडिंग (लाख में) | 59.56 | 59.88 |
| | मोबाइल सीडिंग का % (लाख में) | 83.14% | 84.98% |
| | उसमें से जारी रूपे कार्ड (लाख में) | 33.56 | 35.11 |
| | जारी रूपे कार्ड का % (लाख में) | 46.85% | 49.83% |
| | पीएमजेडीवाई खाते में शेष (करोड़ में) | 2617.43 | 2886.45 |
| | प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक) | 3654.00 | 4096.00 |

## 7. LEAD BANK

### 7.1 Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in seven districts of Maharashtra State viz. Ch. Sambhaji Nagar (Aurangabad), Jalna, Nasik, Palghar, Pune, Satara and Thane. Every year District Credit Plans for the districts are prepared and implemented with the cooperation of other member banks as well as in coordination with District Collectors of respective districts.

### 7.2 State Level Bankers' Committee

The Bank is the Convener of State Level Bankers' Committee (SLBC) for the State of Maharashtra.

SLBC prepares State Annual Credit Plan in consultation with Lead District Managers, Member Banks, NABARD, Reserve Bank of India, etc. The Priority Sector plan for FY 2022-23 was of **Rs. 5,22,073 Crore**, which was one of the highest credit plan in the country. The same was approved in a special meeting held under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Maharashtra.

SLBC also ensures holding of quarterly meetings regularly to review the implementation of State Annual Credit Plan, Priority Sector lending and Govt. sponsored schemes in the State. Apart from regular SLBC meetings, Sub-Committee meetings as per guidelines as well as various other meetings are also organized by SLBC to coordinate between various Member Banks, State Government, Government Agencies, Reserve Bank of India, NABARD and the Central Government. SLBC, Maharashtra is having a network of more than **16,835** bank branches in the state.

In case of specific events like announcement of Debt Waiver Scheme, Relief Package for helping poorer sections of the society in the event of outbreak of a pandemic, SLBC coordinates between Member Banks and State / Central Governments for successful implementation of various measures / schemes.

As a SLBC convener, Bank of Maharashtra coordinated for implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) in the State of Maharashtra. **As of 31.03.2023, total of 324 lakh PMJDY accounts** have been opened in the State. The process of opening of PMJDY accounts is continued. SLBC also coordinates implementation of other Social Security Schemes of the Central Government in the State. **As of 31.03.2023, total enrolments under PMJJBY, PMSBY & APY are 108.88 Lakh, 232.61 Lakh & 38.39 Lakh respectively**.

### 7.3. FINANCIAL INCLUSION / PMJDY:

(Amt in Lakhs)

| | Particular | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| FI Plan | No of Transactions by BCA (in lakhs) | 196.82 | 209.05 |
| | Amt. of Transactions (in Cr) | 14624.74 | 16332.09 |
| PMJDY | No. of PMJDY accounts (in lakhs) | 71.64 | 70.46 |
| | Of which Aadhar Seeded (in Lakhs) | 66.55 | 66.46 |
| | % of Aadhar Seeding | 92.90% | 94.32% |
| | Of which Mobile Seeding (in Lakhs) | 59.56 | 59.88 |
| | % of Mobile Seeding | 83.14% | 84.98% |
| | Of which Ru-pay card issued (in Lakhs) | 33.56 | 35.11 |
| | % of Ru-pay card issued | 46.85% | 49.83% |
| | Balance in PMJDY A/c (in Cr) | 2617.43 | 2886.45 |
| | Average Bal.per account (actual) | 3654.00 | 4096.00 |

| | ब्योरे | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|
| | पीएमजेडीवाई - ओडी संख्या (लाख में) | 1.83 | 1.39 |
| | पीएमजेडीवाई - ओडी राशि (लाख में) | 2023.48 | 1483.20 |
| | शून्य शेष पीएमजेडीवाई खाते (लाख में) | 13.51 | 4.59 |
| (सामाजिक सुरक्षा योजनाएं) | पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में) | 19.10 | 25.28 |
| | पीएमएसबीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में) | 37.90 | 47.34 |
| | एपीवाई के अंतर्गत पंजीयन (लाख में) | 4.14 | 5.80 |
| बीएसबीडी खाते | कुल बीएसबीडी खाते (लाख में) | 93.34 | 88.09 |
| | बीएसबीडी खाते में बकाया शेष (करोड़ में) | 3272.24 | 3544.95 |
| | प्रति खाता औसत शेष (वास्तविक) | 3506.00 | 4024.00 |
| | बीसी सेवाओं के लिए दिया गया कमीशन (करोड़ में) | 38.64 | 47.11 |

## 8. सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम और प्रायोजित संस्थाएं :

### 8.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन

महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जिसका प्रायोजन बैंक ने किया है और जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद) में है। दिनांक 31 मार्च, 2023 को बैंक के परिचालन क्षेत्रों में बैंक की कुल 421 शाखाएं थीं, जो महाराष्ट्र राज्य के 36 जिलों में से 17 जिलों में स्थित हैं। 7 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इन शाखाओं पर नियंत्रण रखा जाता है।

सभी 421 शाखाएं और नियंत्रक कार्यालय अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के अधीन हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की कार्य निष्पादन विशेषताएं निम्नलिखित है:

- बैंक की कुल जमाराशियां **रु.15578.76** करोड़ तथा **कासा 49.33%** रहा।
- बैंक ने **रु. 25000 करोड़ के कुल व्यवसाय का माइलस्टोन पार कर** लिया है तथा 11.33% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ **रु. 25279.52 करोड़** का स्तर हासिल किया।
- बैंक द्वारा **रु. 221.15** करोड़ का परिचालन लाभ प्राप्त किया गया।

वित्तीय सेवाएं विभाग तथा नाबार्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक तीन वित्तीय वर्षों के लिए डीवीपी लक्ष्य तैयार किए थे तथा प्रायोजक बैंक से अनुमोदित करवाया गया था। इन डीवीपी/ एमओयू लक्ष्यों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख मापदंडों के अंतर्गत बैंक की उपलब्धि इस प्रकार है -

(**रुपए करोड़ में**)

| क्र. | कार्य-निष्पादन मानदंड | 31/03/22 को वास्तविक उपलब्धि | 31/03/2023 डीवीपी/ एमओयू लक्ष्य | 31/03/2023 को वास्तविक उपलब्धि | उपलब्धि % | वर्ष दर वर्ष वृद्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कुल जमाराशियां | **14677.75** | **16000.00** | **15578.76** | **97.37** | **6.14** |
| 2. | कासा जमाराशियां | 7565.05 | 8250.00 | 7684.57 | **93.15** | **1.58** |
| 3. | कासा जमाराशियों का % | 51.54 | 51.56 | 49.33 | **95.66** | **(4.30)** |
| 4. | कुल अग्रिम | **8028.96** | **9800.00** | **9700.76** | **98.99** | **20.82** |
| 5. | कुल व्यवसाय | **22706.71** | **25800.00** | **25279.52** | **97.98** | **11.33** |
| 6. | ब्याज आय | 804.41 | 1025.00 | 1035.27 | **101.00** | **28.70** |
| 7. | गैर-ब्याज आय | **171.39** | **175.00** | **186.66** | **106.66** | **10.56** |
| 8. | परिचालनगत लाभ | 116.83 | 217.00 | 221.15 | **101.91** | **89.28** |
| 9. | बट्टे खातों में वसूली | 8.95 | 13.00 | 6.01 | **46.20** | **(32.82)** |

बैंक ने ग्राहकों को द्वार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1261 व्यवसाय प्रतिनिधि तैनात किए हैं। बैंक ने 31/03/2023 तक **26.82 लाख** पीएमजेडीवाई खाते खोले हैं और पीएमजेडीवाई खातों में 11.38 लाख डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PMJDY-OD count ( in lakhs) | 1.83 | 1.39 |
| | PMJDY-OD Amount ( in lakhs) | 2023.48 | 1483.20 |
| | Zero Bal.PMJDY A/cs (in lakhs) | 13.51 | 4.59 |
| **Social Security Schemes** | Enrolment under PMJJBY ( in lakh) | 19.10 | 25.28 |
| | Enrolment under PMSBY ( in lakh) | 37.90 | 47.34 |
| | Enrolment under APY ( in lakh) | 4.14 | 5.80 |
| **BSBD Accounts** | Total BSBD Accounts (in lakhs) | 93.34 | 88.09 |
| | O/S Balance in BSBD A/c ( in Cr) | 3272.24 | 3544.95 |
| | Average Bal.per account (actual) | 3506.00 | 4024.00 |
| | Commission paid towards BC Services (in Crore) | 38.64 | 47.11 |

## 8. SUBSIDIARIES/JOINT VENTURES AND SPONSORED INSTITUTIONS:

### 8.1 Performance of Regional Rural Bank

Maharashtra Gramin Bank (MGB) is a Regional Rural Bank sponsored by the Bank, having its Head Office at Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad), Maharashtra State. Total no. of branches as on 31/03/2023 stood at 421 in its area of operation covering 17 out of 36 districts of Maharashtra state. These branches are controlled through the 7 Regional Offices.

All 421 branches and controlling offices are under core banking solution (CBS).

Performance highlights of Maharashtra Gramin Bank for the FY 2022-23 are as under:

- MGB achieved total deposit level to **Rs 15578.76 Crore** and the **CASA is 49.33 %**.
- **MGB has crossed the milestone of Rs. 25000 Cr in total Business** and achieved the level of **Rs 25279.52 Crore** with 11.33% Y-o-Y growth.
- MGB has achieved operating profit of **Rs 221.15 Crore**

As per the DFS and NABARD guidelines, MGB had prepared DVP targets for three financial years from FY 2022-23 to FY 2024-25 and got approved from the Sponsor Bank. According to this DVP/MoU targets, achievement of the MGB under Major key parameters for the financial year 2022-23 are as under –

(Rs in Crores)

| Sr. No. | Performance Parameter | Actual as on 31/03/2022 | DVP/MoU Target 31/03/2023 | Actual as on 31/03/2023 | % Achie-vement | Y-o-Y Growth (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Total Deposits | **14677.75** | **16000.00** | **15578.76** | **97.37** | **6.14** |
| 2. | CASA deposits | 7565.05 | 8250.00 | 7684.57 | **93.15** | **1.58** |
| 3. | % of CASA Deposits | 51.54 | 51.56 | 49.33 | **95.66** | **(4.30)** |
| 4. | Total Advances | **8028.96** | **9800.00** | **9700.76** | **98.99** | **20.82** |
| 5. | Total Business | **22706.71** | **25800.00** | **25279.52** | **97.98** | **11.33** |
| 6. | Interest Income | 804.41 | 1025.00 | 1035.27 | **101.00** | **28.70** |
| 7. | Non-Interest Income | **171.39** | **175.00** | **186.66** | **106.66** | **10.56** |
| 8. | Operating Profit | 116.83 | 217.00 | 221.15 | **101.91** | **89.28** |
| 9. | Recovery in Write Off | 8.95 | 13.00 | 6.01 | **46.20** | **(32.82)** |

MGB has deployed in all 1,261 Business correspondents in rural areas to provide door step service to the customers. MGB has opened **26.82 Lakh** PMJDY accounts till 31/03/2023 and 11.38 Lakh debit cards are issued to the PMJDY account holders.

बैंक द्वारा पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई तथा एपीवाई के साथ-साथ भारत सरकार, डीएफएस द्वारा घोषित पीएमएमवाई योजना में भी सक्रियता से भाग लिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत 5.63 लाख ग्राहक कवर किए गए और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत 15.42 लाख ग्राहक कवर किए गए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 2.01 लाख ग्राहक कवर किए गए।

एपीवाई में बैंक के प्रदर्शन की सराहना पीएफआरडीए द्वारा की गई और बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न पैरामीटरों पर 5 अवार्ड प्राप्त किए।

### 8.2 मेटको का कार्य-निष्पादन

वर्ष 1946 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 100 % अनुषंगी कंपनी दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. (मेटको) की स्थापना निम्नलिखित बैंकिंग सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हुई:

- वसीयत: वसीयतों का मसौदा तैयार करना और निष्पादन करना, परामर्श देना।
- निजी और सार्वजनिक न्यास : जिसमें चैरिटी कमिशनर, आयकर विभाग से विभिन्न अनुपालन शामिल हैं।
- मुख्तारनामा: मुख्तारनामा धारक के रूप में निवेशों एवं आवास संपत्तियों का प्रबंधन।
- संरक्षक : कोर्ट द्वारा नियुक्त अवयस्क की संपत्ति के लिए कानूनी संरक्षकता।
- संपत्ति की खरीदी/ बिक्री के लिए परामर्श देना।

कंपनी ने अपने 77 साल पूरे कर लिए हैं। कंपनी का प्रधान कार्यालय पुणे में स्थित है जिसकी पुणे, मुंबई, ठाणे और नागपुर में शाखाएँ हैं। यह लगभग 1037 सार्वजनिक और निजी ट्रस्टों का प्रबंधन कर रहा है प्रबंध ट्रस्टी के रूप में वर्ष के दौरान, अतिरिक्त 92 वसीयतें जोड़ी गईं, जिससे कुल 1186 वसीयतें निष्पादन के लिए इसकी हिरासत में थीं। वर्तमान में कंपनी पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत 21 ग्राहकों की चल और अचल दोनों संपत्तियों का प्रबंधन करती है। कंपनी विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के तहत 99 पॉलिसियों के संबंध में ट्रस्टी के रूप में भी कार्य करती है और 2 मामलों में न्यायालय द्वारा नाबालिग की संपत्ति का संरक्षक नियुक्त किया गया है। कंपनी, अपने 1037 ट्रस्टों के प्रबंध न्यासी के रूप में गरीब लोगों की सहायता कर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करती है।

कंपनी ने अपने ट्रस्टों के माध्यम से 976 लाभार्थियों को रु.177 लाख दान किया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मेटको का निवल लाभ आयकर प्रावधानों के बाद रु.75.70 लाख रहा।

कंपनी बैंकों/ वित्तीय संस्थानों को प्रदान की जाने वाली कॉरपोरेट डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और रिकवरी एजेंट सेवाओं के अतिरिक्त व्यावसायिक वर्टिकल पेश करके अपनी सेवाओं में विविधता ला रही है भा.रि.बैंक से अनुमोदन के बाद और सरकारी सुरक्षा योजनाएं यथा पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई, एससीएसएस, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि के कार्यान्वयन में मूल्यवर्धन भी करेगी।

## 9. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की :

i. राजभाषा हिंदी के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए हमारे बैंक को राजभाषा का सर्वोच्च सम्मान ''राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'' प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दो अलग-अलग श्रेणियों - ''राजभाषा का बेहतर कार्यान्वयन'' और ''सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका'' के लिए 14 सितंबर, 2022 को सूरत, गुजरात में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया। श्री अमित शाह, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। श्री ए. एस. राजीव,

MGB is actively participating in PMJJBY, PMSBY and APY as well as the PMMY scheme declared by the GoI, DFS. During FY 2022-23, 5.63 Lakh customers are covered under PMJJBY scheme and 15.42 Lakh customers are covered under PMSBY scheme. 2.01 Lakh customers are covered under Atal Pension Yojana (APY).

PFRDA has appreciated the work done by the bank in the APY and the Bank has received 5 awards in the different parameters during FY 2022-23.

### 8.2 Performance of METCO

The Maharashtra Executor & Trustee Company Pvt. Ltd., the 100% subsidiary of Bank of Maharashtra was established in 1946 with an aim to provide services auxiliary to banking such as:

- Wills: Consultation, Drafting, Safe Custody & Execution of Will.
- Public and Private Trusts: Consultation, Drafting and Management of Private Trusts / Public Trusts including various compliances to Charity Commissioner, Income Tax Dept.
- Power of Attorney: Management of Investments & immovable properties as Power of Attorney holder.
- Guardianship: Court appointed Legal Guardianship of minor's property.
- Consultation for sale/purchase of property

The Company has completed its 77 years. The company's Head office is located at Pune having its branch units at Pune, Mumbai, Thane and Nagpur. It is managing about 1037 public & private Trusts. During the year as the Managing Trustee, additional 92 wills were added making total 1186 wills in its custody for execution. At present the company manages properties both movable & immovable of 21 clients under the power of attorney. The company also act as the trustee in respect of 99 policies under Married Women's Property Act and as court appointed Guardian of Minor's property in 2 cases. The company, as Managing Trustee of its 1037 trusts catalysts its social responsibility by extending help to poor people.

The Company has also donated through its trusts Rs. 177 lacs to 976 beneficiaries.

The net profit of METCO for FY 2022-23 stood at Rs. 75.70 lakhs.

The Company is also diversifying its services by introducing additional business verticals of Corporate Direct Selling Agent, Corporate Business Correspondent and Recovery Agent services to be provided to Banks/ Financial Institution and will also give value addition in implementation of Govt. Security Schemes like PMJJBY, PMSBY, APY, SCSS, Sukanya Samriddhi Yojna, etc. after the approval from the RBI.

## 9. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

During the year 2022-23, the Bank has achieved various remarkable achievements in the field of Official Language implementation:

i. Bank was awarded "Rajbhasha Kirti Puraskar" for better implementation of Rajbhasha Hindi, which is the highest award for Rajbhasha. The award was given in two different categories viz. "Better Implementation of Official Language" and "Best House Magazine" in a grand function on 14th September, 2022, held at Surat, Gujarat. Shri Amit Shah, Hon'ble Minister of Home Affairs and Cooperation, Govt. of India, was the chief guest for the event. Shri A. S. Rajeev, Managing Director & CEO, Bank of Maharashtra felicitated

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने समारोह के दौरान माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का सम्मान किया। श्री के. राजेश कुमार, महाप्रबंधक, मा.सं.प्र. व राजभाषा तथा डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) भी इस समारोह में उपस्थित थे।

ii. बैंक को बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु ''स्कॉच गोल्ड अवार्ड'' से सम्मानित किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन के लिए यह अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला बैंक बना।

iii. बैंक को वर्ष के दौरान हिंदी के बेहतर प्रयोग के लिए मुंबई स्थित प्रतिष्ठित संस्था ''आशीर्वाद'' द्वारा ''विशेष पुरस्कार'' और ''राजभाषा रत्न पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया। राजभवन, मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में महाराष्ट्र राज्य के माननीय राज्यपाल के कर-कमलों से श्री के. राजेश कुमार, महाप्रबंधक, मा.सं.प्र. व राजभाषा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

iv. अन्य बैंकों द्वारा संयोजित विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु हमारे बैंक के लखनऊ, हैदराबाद, पटना और जयपुर अंचल कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

v. बैंक की ई-पत्रिका ''महाबैंक संवाद सरिता'' और तिमाही गृह पत्रिका ''महाबैंक प्रगति'' नियमित रूप से प्रकाशित की गई। एक नई पहल के रूप में दिव्यांग कर्मचारियों के लाभ हेतु ''महाबैंक संवाद सरिता'' का ब्रेल लिपि में भी प्रकाशन किया गया।

vi. बैंक मुंबई, पुणे, सोलापुर, लातूर और जलगांव में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) का संयोजक बैंक है। वर्ष के दौरान इन समितियों की बैठक और विभिन्न गतिविधियां नियमित रूप से निर्धारित अनुसूची के अनुसार संपन्न की गई।

vii. प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को बैंक की सभी शाखाओं व कार्यालयों में ''हिंदी कार्य दिवस'' मनाया जाता है। इस दिन सभी कर्मचारी अपना अधिकतम कार्य हिंदी में करते हैं।

viii. ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक के नए मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म महा-मोबाइल का हिंदी संस्करण उपलब्ध कराया गया है.

## 10. सुरक्षा

बैंक द्वारा बैंक की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक सुरक्षा नीति बनाई गई है। नीति के अंतर्गत निम्नलिखित का समावेश किया गया है :-

- शाखाओं, प्रशासनिक कार्यालयों, करंसी चेस्ट, डेटा सेंटर, अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों पर बैंक की संपत्तियों जैसे नकदी, स्वर्ण, दस्तावेज व मूल्यवान वस्तुओं की रक्षा करना तथा नकदी व मूल्यवान वस्तुओं हेतु सुरक्षा के उपाय करना।
- बैंकिंग व्यवसाय को सहज व सामान्य रूप से चलाने के लिए स्टॉफ, भेंटकर्ताओं तथा ग्राहकों के लिए सुरक्षित, संरक्षित तथा अनुकुल वातावरण का निर्माण करना।
- मानव निर्मित तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उपाय।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आनेवाले खतरे, वर्तमान अपराधिक परिदृश्यों, अपराध पैटर्न, बैंक डकैती के तौर तरीकों व सुरक्षा भंग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक में भौतिक सुरक्षा आवश्यकताओं हेतु सक्रिय कदम उठाए गए तथा आगजनी की घटनाओं से बचाव तथा सुरक्षा कर्मचारियों और अन्य बैंक कर्मचारियों को किसी भी संभावित घटना से बचाव हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

## 11. निदेशकों और बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन :

सेबी एलओडीआर, 2015 के विनियम 25 के संदर्भ में, 28 मार्च, 2023 को आयोजित एक अलग बैठक में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा पूरे समय के निदेशकों सहित पूरे और गैर-स्वतंत्र निदेशकों के रूप में बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया था।

Hon'ble Minister of Home Affairs and Cooperation during the function. Shri K. Rajesh Kumar, General Manager, HRM & Rajbhasha and Dr. Rajendra Shrivastava, DGM (Rajbhasha) were also present in the function.

ii. Bank was awarded "Skoch Gold Award" for Better Implementation of Rajbhasha and became the first bank to receive this award for implementation of Official language.

iii. Bank was awarded "Vishesh Puraskar" and "Rajbhasha Ratna Award" by the Mumbai based prestigious institution 'Aashirwad' for better use of Hindi during the year. Shri K. Rajesh Kumar, General Manager, HRM & Rajbhasha received the award at the hands of Hon'ble Governor of Maharashtra State at a grand function arranged at Rajbhawan, Mumbai.

iv. Various Town Official Language Implementation Committees (TOLIC) convened by other banks awarded our Lucknow, Hyderabad, Patna & Jaipur Zonal Offices for excellent implementation of Official Language.

v. Bank's E-Magazine 'Mahabank Samvad Sarita' and Quarterly House Magazine 'Mahabank Pragati' are being regularly published. As a new initiative Mahabank Samvad Sarita in Braille script is also published for the benefit of visually challenged employees of the Bank.

vi. Our bank is the convener Bank for Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) in Mumbai, Pune, Solapur, Latur & Jalgaon. Meetings of these committees were held regularly during the year and various activities of the committees were organized throughout the year as per schedule.

vii. "Hindi Karya Diwas" (Hindi Working Day) is being observed by all the branches & offices of the Bank on the third Saturday of every month. All the staff are doing their maximum work in Hindi on this day.

viii. Hindi version of Bank's new mobile banking platform Maha-Mobile has been made available for the convenience of the customers.

## 10. SECURITY

The Bank has put in place a comprehensive Security Policy covering the entire Security arrangements in the Bank. The policy covers the following:

- Protect the Bank's assets such as cash, gold, documents and valuables at branches, administrative offices, currency chests, data centre, other critical centres and security measures for cash and valuables.
- Create a secure, safe and conducive environment for, Staff, visitors and customers to conduct smooth and normal banking business.
- Measures to counter manmade disasters and natural calamities.

During FY 2022-23, proactive steps were taken on the physical security requirements in the Bank after analysis of the threat perception, current crime scenario, crime pattern, modus operandi of bank robberies, breaches of security and fire incidents besides equipping and training the security personnel and other bank staff to counter any eventuality.

## 11. PERFORMANCE EVALUATION OF THE DIRECTORS AND THE BOARD:

In terms of Regulation 25 of SEBI LODR, 2015, the performance of the Board as a whole and non-independent directors including Whole Time Directors were evaluated by the Independent Directors in a separate Meeting held on 28th March, 2023.

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए बोर्ड की समिति द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी निदेशकों/ शेयरधारक निदेशकों का प्रदर्शन वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

**12. वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा:**

बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह पुष्टि करते हुए घोषणा प्रस्तुत की है कि वे सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

**13. बोर्ड और इसकी उप-समितियां:**

सेबी (एलओडीआर) विनियमों, भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित होने के लिए आवश्यक बोर्ड और इसकी उप-समितियों की संरचना और उसमें आयोजित बैठकों का उल्लेख कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में किया गया है।

**14. सचिवीय लेखा परीक्षा :**

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 24ए तथा सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2019 के परिपत्र क्र.परी./सीएफडी/सीएम डी1/27/2019 के अनुसरण में बैंक ने मेसर्स डीवीडी एंड एसोसिएट्स (प्रोपराइटर श्री देवेन्द्र वी. देशपांडे), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, पुणे को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षा करने हेतु सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

**सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों पर प्रबंधन का अभ्यावेदन**

| सं. क्र. | लेखा परीक्षकों का अवलोकन | प्रबंधन का जवाब |
|---|---|---|
| 1 | सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 द्वारा अपेक्षानुसार बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है। | बैंक के निदेशक मंडल का गठन और कार्य बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक योजना, 1970, भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित हैं।<br><br>बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 के अनुसार, शेयरधारक निदेशक को छोड़कर महिला निदेशक / स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है। भारत सरकार विनियामक अनुपालनों और अन्य व्यवसाय आवश्यकताओं के अनुसरण में बैंक के बोर्ड में निदेशक (निदेशकों) की नियुक्ति करती है।<br><br>चूंकि बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, अत: सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार इस पर लागू होने वाले दिशा-निर्देश उस सीमा तक लागू होते हैं, जब तक कि यह संविधियों/ आरबीआई दिशानिर्देशों/ एमओएफ दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है। |
| 2 | सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 द्वारा अपेक्षानुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के 50% से कम रही। | |

Further, the performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for Performance Evaluation on the basis of guidelines prescribed by Government of India. Further, Performance of non-official Directors/ Shareholder Director is done by Board of Directors on annual basis.

**12. DECLARATION BY INDEPENDENT DIRECTORS DURING THE YEAR:**

All the Independent Directors of Bank have submitted the declaration confirming that they meet the criteria of independence as provided under Regulation 25 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

**13. BOARD AND ITS SUB-COMMITTEES:**

The composition of the Board and its Sub-committees as required to be constituted as per the SEBI (LODR) Regulations, Government of India / Reserve Bank India Guidelines and the meetings held therein are mentioned in the Corporate Governance Report.

**14. SECRETARIAL AUDIT:**

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019, Bank had appointed M/s. DVD & Associates (proprietor Mr. Devendra V. Deshpande), Practicing Company Secretaries, Pune as a Secretarial Auditor to undertake Secretarial audit of Bank for the financial year 2022-23. The Secretarial Audit Report is annexed to this Report.

**Management's representation on observations given by Secretarial Auditor**

| Sr. No. | Auditor's Observation | Management Reply |
|---|---|---|
| 1 | There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank as required by SEBI LODR Regulations, 2015. | The composition and functions of Board of Directors of the Bank are governed by the provisions of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act, 1970, Banking Regulation Act 1949 & Nationalized Banks Scheme, 1970, RBI / GOI Guidelines.<br><br>As per Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act, 1970, the power to appoint Directors including Woman Director/ Independent Director except Shareholder Director is vested with the Government of India. The Government of India appoints the director(s) on the Board of the Bank in accordance with the regulatory compliances and other business requirements.<br><br>As the Bank is a Public Sector Bank established under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (LODR) Regulations, 2015 are applicable to it to the extent it does not violate the statutes / RBI guidelines / MOF guidelines applicable to it. |
| 2 | Number of Independent Directors was less than 50% of its total strength of Board members as required by SEBI LODR Regulations, 2015 | |

| सं. क्र. | लेखा परीक्षकों का अवलोकन | प्रबंधन का जवाब |
|---|---|---|
| 3 | सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 19 (3 ए) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई, जिसे वर्ष में एक बार आयोजित करना आवश्यक है। | चूंकि बैठक के लिए कोई कार्यसूची (एजेंडा) नहीं थी, अत: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं हुई। |
| 4 | सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 25 (10) के अनुसार बैंक ने अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई निदेशक और अधिकारी बीमा पॉलिसी नहीं ली है। | चूंकि बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, अत: सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार इस पर लागू होने वाले दिशा-निर्देश उस सीमा तक लागू होते हैं, जब तक कि यह संविधियों/ आरबीआई दिशानिर्देशों/ एमओएफ दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है। समग्रत: बैंक उक्त बीमा लेने की प्रक्रिया में है। |
| 5 | राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 के नियम 3 के अनुसार प्रत्येक निकाय कॉर्पोरेट को कंपनी नहीं होने के कारण फॉर्म एनएफआरए-1 और एनएफआरए-2 फाइल करना चाहिए, जिसका बैंक द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है। | बैंक आवश्यक फॉर्म दर्ज करने की प्रक्रिया में है। |

**15. निदेशकों की जिम्मेदारी का कथन :**

निदेशक पुष्टि करते हैं कि दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खाते तैयार करते समय:

(क) यदि कोई महत्वपूर्ण विचलन हुआ है तो उसका उचित स्पष्टीकरण देने के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लेखा नीतियां तैयार की गई और उनका पालन किया किया गया तथा निदेशकों द्वारा इन लेखा नीतियों का चयन किया गया एवं सतत आधार पर लागू किया गया और वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्यकलापों और उस अवधि के लिए बैंक की लाभ व हानि की सही और सत्य स्थिति दर्शाने के लिए उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए।

(ग) निदेशकों ने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी की पहचान करने व उससे तथा अन्य अनियमितताओं से बचने के लिए बैंक हेतु लागू प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

(घ) निदेशकों द्वारा सतत आधार पर वार्षिक खाते तैयार किए गए।

(ड) निदेशकों ने सुनिश्चित किया है कि बैंक द्वारा पालन किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं और यह आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा उचित रूप से कार्य कर रहे हैं।

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं यह प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा उचित रूप से कार्य कर रही है।

| Sr. No. | Auditor's Observation | Management Reply |
|---|---|---|
| 3 | There was no meeting of the nomination and remuneration committee during the Financial year which is required to be held once in a year as per Regulation 19 (3A) of SEBI LODR Regulations, 2015. | Since there was no agenda for the meeting, therefore, no such meeting held during the Financial Year 2022-23. |
| 4 | The bank has not taken any Directors and Officers insurance policy for their independent directors as required by Regulation 25 (10) of SEBI LODR Regulations, 2015. | As the Bank is a Public Sector Bank established under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (LODR) Regulations, 2015 are applicable to it to the extent it does not violate the statutes / RBI guidelines / MOF guidelines applicable to it.<br>Overall, Bank is in the process of taking the said insurance. |
| 5 | As per the Rule 3 of National Financial Reporting Authority Rules, 2018 every Body Corporate not being a Company should file form NFRA-1 and NFRA-2 the same has not been complied by the Bank | The Bank is in the process of filing the necessary form. |

**15. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:**

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the Financial Year ended March 31, 2023:

a) The applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of RBI were followed and the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws to the Bank for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e) The directors had ensured that internal financial controls followed by the Bank are in accordance with guidelines issued by RBI in this regard and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

**16. निदेशक मंडल में परिवर्तन :**

वर्ष 2022-23 के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

- श्री ललित कुमार चंदेल को 17.08.2021 से केंद्र सरकार द्वारा भारत सरकार के बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, वे 15.12.2022 को सेवानिवृत्त हुए।
- श्री प्रशांत कुमार गोयल को श्री ललित कुमार चंदेल के स्थान पर दिनांक 15.12.2022 से केंद्र सरकार द्वारा बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

**17. लाभांश वितरण नीति:**

सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएँ और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के खंड 43ए के अनुसरण में बैंक द्वारा लाभांश वितरण नीति बनाई गई और वह बैंक की वेबसाइट अर्थात www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

**18. व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट:**

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट तैयार की गई है और यह बैंक की वेबसाइट यानी www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध है।

**19. आभार :**

निदेशक मंडल ने निवर्तमान निदेशकों द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनकी सराहना को अभिलेखित किया।

बैंक के सर्वांगीण विकास हेतु भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बैंक संघ तथा स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन, दिशानिर्देश एवं समर्थन के लिए तथा ग्राहकों व हितधारकों द्वारा दिए गए प्रश्रय, प्रतिनिधियों और सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग और ''महाबैंक परिवार'' के सभी कर्मचारियों की समर्पित प्रतिबध्दता और बैंक के समग्र विकास में उनके योगदान के प्रति निदेशक मंडल कृतज्ञता व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

स्थान : पुणे
दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

**(ए. एस. राजीव)**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**16. CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS:**

During FY 2022-23, the following changes took place in the Board of Directors:

- Shri Lalit Kumar Chandel retired from the Board of the Bank w.e.f 15.12.2022 who was appointed as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank by the Central Government of India on 17.08.2021.
- Shri Parshant Kumar Goyal was appointed as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank by the Central Government of India w.e.f 15.12.2022 in place of Shri Lalit Kumar Chandel.

**17. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY:**

In terms of Clause 43A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

**18. BUSINESS RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY REPORT:**

As per the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, business responsibility and sustainability report for the year 2022-23 has been prepared and is available on the Bank's website i.e. www.bankofmaharashtra.in.

**19. ACKNOWLEDGEMENT:**

The Board of Directors place on record their appreciation for the contribution made by the outgoing Directors.

The Board of Directors wishes to express sincere gratitude to the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority, Indian Banks' Association, Stock Exchanges and Depositories for their valuable advice, guidance and support; to the Customers and Stakeholders for their patronage; to the correspondents and associates for their co-operation and to all the members of staff of "Mahabank Family" for their unstinted commitment and contribution to the overall development of the Bank.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Pune
Date: 24th April, 2023

**(A.S. RAJEEV)**
Managing Director and CEO

## फॉर्म नंबर एमआर-3

**सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट**

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
ढधारा 204 (1) कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनियां
नियम, 2014 के नियम क्र.9 (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) के अनुसरण में
और सेबी के दिनांक 08 फरवरी, 2019 के परिपत्र
परि/सीएफडी/सीएमडी1/ 27/2019 के अनुसार

**सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट**

**31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए**

प्रति,
सदस्य,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
''लोकमंगल"", 1501, शिवाजीनगर,
पुणे - 411005

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और मे. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (इसके पश्चात **''बैंक''** कहा गया है) द्वारा श्रेष्ठ कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई थी जिससे हमें कॉरपोरेट आचार /सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हुआ।

बैंक द्वारा रखी गई बैंक की बहियां, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और फाईल की गई विवरणियां व अन्य अभिलेख और बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष को समाप्त अवधि के दौरान निम्नलिखित में उल्लिखित सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही बैंक के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र इस सीमा तक मौजूद हैं, जिसके आधार पर इसके पश्चात निम्नानुसार रिपोर्टिंग की गई है :

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु बैंक की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाएं, प्रपत्र और दर्ज की गई विवरणियों व अन्य अभिलेखों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, लागू सीमा तक;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआर') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और विनियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए उप नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित हैं: -

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियम, 2015 (**'सेबी एलओडीआर विनियम, 2015"**)

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018; (**'सेबी एलओडीआर विनियम, 2018"**)

(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अप्रत्यावर्तनीय तथा प्रतिदेय अधिमानी शेयरों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) विनियम, 2013; (**वर्ष के दौरान लागू नहीं**)

(छ) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; (**वर्ष के दौरान लागू नहीं**)

(झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति पुनर्खरीद) विनियम, 1998; (**वर्ष के दौरान लागू नहीं**)

(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994;

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंकर्स) विनियम, 1992;

(ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018;

(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993;

(ढ) विशेष रूप से बैंक के लिए लागू अन्य कानून:

(i) बैंकिंग कंपनियॉं (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ पढ़ा गया।

(ii) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

(iii) बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर और बैठकें) विनियम, 2004

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

(v) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949

(vi) बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, 1891

(vii) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006

(viii) बैंकिंग कंपनियॉं (अभिलेखों के संरक्षण की अवधि) नियम, 1985

(ix) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी)तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002

(x) धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 तथा धनशोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005

(xi) दिवाला व दिवालियापन कोड, 2016

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है :

(i) दी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचीवीय मानक - **लागू नहीं**

(ii) बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ बैंक द्वारा किए गए सूचीबद्धता करार।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर ऊपर उल्लिखित यथालागू अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

क) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।

ख) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या निदेशक मंडल के सदस्यों की कुल संख्या के 50% से कम थी।

ग) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 19 (3ए) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी, जिसे वर्ष में एक बार आयोजित करना आवश्यक है।

घ) बैंक ने सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 25 (10) के अनुसार अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई निदेशक और अधिकारी बीमा पॉलिसी नहीं ली है।

ड) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 के नियम 3 के अनुसार प्रत्येक निकाय कॉर्पोरेट को कंपनी नहीं होने के कारण एनएफआरए-1 और एनएफआरए-2 फॉर्म दाखिल करना चाहिए, जिसका बैंक द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

**हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि**

जैसा कि ऊपर बताया गया है, को छोड़कर, कार्यपालक निदेशकगण, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन के साथ बैंक का निदेशक मंडल विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसरण में निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन किए गए।

साथ ही, निदेशक मंडल की बैठकों के आयोजन हेतु सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट आवश्यकता के अनुसार अग्रिम रूप से भेजे गए जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के अंतर्गत अपेक्षित है और बैठक में सार्थक सहभागिता हेतु तथा बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मंगाने व प्राप्त करने हेतु समुचित प्रणाली विद्यमान है।

अधिकांश निर्णयों का कार्यान्वयन किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं। बैंक के पास धोखाधड़ी का पता लगाने और निगरानी करने की एक मजबूत प्रणाली विद्यमान है और ऊपर वर्णित लागू कानूनों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को इसकी रिपोर्ट करने में नियमित है। इससे संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

बैंक की शाखाओं की मात्रा और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानूनों के अनुपालन का परीक्षण नमूना जांच के आधार पर किया गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने:

(i) वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार बॉण्ड्स जारी व आबंटित किए गए हैं:

| क्र. | आईएसआईएन क्र. | बॉण्ड्स का प्रकार | आवंटन का दिनांक | जारीकरण की राशि (करोड़ में) | ब्याज दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INE457A08188 | AT 1 SERIES 2 | 08.09.2022 | रु. 710 | 8.74 % |
| 2 | INE457A08134 | AT 1 SERIES 3 | 26.12.2022 | रु. 880 | 8.74 % |
| 3 | INE457A08126 | TIER II SER 5 | 07.12.2022 | रु. 348 | 8.00 % |

(ii) 18 अप्रैल 2019 को सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी शेयर खरीद योजना 2018 (बीओएम ईएसपीएस 2018) के तहत पूर्णतः प्रदत्त रु.10 के 32,398 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए गए हैं, जो सोमवार, 10 अक्टूबर, 2022 से स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध और व्यापार करने हेतु अनुमत हैं।

(iii) 18 अप्रैल 2019 को सेबी आईसीडीआर विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी शेयर खरीद योजना 2018 (बीओएम ईएसपीएस 2018) के तहत पूर्णतः प्रदत्त रु.10 के 80,151 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए गए हैं, जो शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2022 से स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध और व्यापार करने हेतु अनुमत हैं।

(iv) मोचन की शर्तों के अनुसार बैंक ने 1 दिसंबर 2022 को बैंक ने रु.1000 करोड़ की राशि का मोचन किया है और मोचन पर लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।

**कृते डीवीडी एंड एसोसिएट**
कंपनी सचिव

**देवेंद्र वी. देशपांडे**
प्रोपराइटर
एफसीएस: 6099CP 6515
पीआर क्र.: 1164/2021
यूडीआईएन: F006099E000177371

**स्थान: पुणे**
**दिनांक: 24.04.2023**

# Form No. MR-3

## SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2023

*[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014 and as per SEBI Circular No CIR/CFD/CMD1/27/2019 dated February 08, 2019]*

## SECRETARIAL AUDIT REPORT

## FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2023

To,
The Members,
Bank of Maharashtra
"Lokmangal"
1501, Shivaji Nagar,
Pune- 411005.

We have conducted the Secretarial Audit of the Compliance of applicable statutory provisions and the adherence to Good Corporate Practices by M/s. Bank of Maharashtra (hereinafter called "**the Bank**"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the Corporate Conduct/Statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the Financial Year ended on March 31, 2023 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms, and returns filed, and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended on March 31, 2023 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, to the extent applicable;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA") and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Byelaws framed thereunder;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act"): -

- (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
- (b) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**SEBI LODR Regulations,2015**");
- (c) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- (d) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("**SEBI ICDR Regulations**, **2018**");
- (e) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
- (f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013;**(Not applicable during the year)**
- (g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client as far as applicable;
- (h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; **(Not applicable during the year)**
- (i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;**(Not applicable during the year)**
- (j) The Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994;
- (k) The Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992;
- (l) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018;
- (m) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustee) Regulations, 1993;
- (n) other laws applicable specifically to the Bank:
  - (i) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with The Banking Regulation Act, 1949;
  - (ii) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970;
  - (iii) The Bank of Maharashtra (Shares and Meeting) Regulations, 2004;
  - (iv) The Reserve Bank of India Act, 1934;
  - (v) The Banking Regulations Act, 1949;
  - (vi) The Banker's Book Evidence Act, 1891;
  - (vii) The Banking Ombudsman Scheme, 2006;
  - (viii) The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985;
  - (ix) The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest ("SARFAESI") Act, 2002 and The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
  - (x) The Prevention of Money Laundering Act, 2002 and The Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005;
  - (xi) The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. - **Not Applicable**

(ii) The Listing Agreements entered by the Bank with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited;

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as far as applicable, mentioned above with following observations:

a) There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank as required by SEBI LODR Regulations, 2015.

b) Number of Independent Directors was less than 50% of its total strength of Board members as required by SEBI LODR Regulations, 2015.

c) There was no meeting of the nomination and remuneration committee during the Financial year which is required to be held once in a year as per Regulation 19 (3A) of SEBI LODR Regulations, 2015.

d) The bank has not taken any Directors and Officers insurance policy for their independent directors as required by Regulation 25 (10) of SEBI LODR Regulations, 2015.

e) As per the Rule 3 of National Financial Reporting Authority Rules, 2018 every Body Corporate not being a Company should file form NFRA-1 and NFRA-2 the same has not been complied by the Bank.

**We further report that**

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, and Independent Directors except as mentioned above.The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the applicable provisions of the Act.

Further, adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent in advance as required under SEBI LODR Regulations, 2015, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through, while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable Laws, Rules, Regulations, and Guidelines. The bank has a robust system of detection and monitoring of the frauds and has been regular in reporting the same to the Reserve Bank of India as required by the applicable laws mentioned above. The provisions of Companies Act regarding this are not applicable to the Bank.

The Compliance of the laws have been audited based on the test check basis considering the quantum and geographical locations of the branches of the Bank.

We further report that during the audit period, the Bank has:

(i) Issued and allotted bonds as per the following details during the financial year: .

| Sr No | ISIN No | Type of Bonds | Date of Allotment | Amount of Issue (In Cr) | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INE457A08188 | AT 1 SERIES 2 | 08.09.2022 | Rs 710 | 8.74 % |
| 2 | INE457A08134 | AT 1 SERIES 3 | 26.12.2022 | Rs 880 | 8.74 % |
| 3 | INE457A08126 | TIER II SER 5 | 07.12.2022 | Rs 348 | 8.00 % |

(ii) Issued and allotment of 32,398 Equity shares of Rs.10/- each fully paid up under Bank of Maharashtra Employee Share Purchase Scheme 2018 (BOM ESPS 2018) in accordance with provisions of SEBI ICDR Regulations, 2018 on 18th April 2019 , are listed and permitted to trade on Stock Exchanges with effect from Monday, October 10, 2022.

(iii) Issued and allotment of 80,151 Equity shares of Rs.10/- each fully paid up under Bank of Maharashtra Employee Share Purchase Scheme 2018 (BOM ESPS 2018).in accordance with provisions of SEBI ICDR Regulations, 2018 on 18th April 2019 are listed and permitted to trade on Stock Exchanges with effect from Friday, December 22, 2022

(iv) The Bank has redeemed an amount of Rs. 1000 crores on 1st December 2022 as per the terms of issue and has complied with the provisions applicable to the redemption.

**For DVD & Associates**
Company Secretaries

**Devendra V Deshpande**
Proprietor
FCS: 6099CP 6515
PR No. 1164/2021
UDIN: F006099E000177371

Place: Pune
Date: 24.04.2023

अनुलग्नक - क

प्रति,
सदस्यगण,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
''लोकमंगल'',
1501, शिवाजी नगर,
पुणे- 411005

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वह हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

**कृते डीवीडी एंड एसोसिएट**
कंपनी सचिव

**देवेंद्र वी. देशपांडे**
प्रोपराइटर
एफसीएस: 6099सीपी 6515
पीआर क्र.: 1164/2021
यूडीआईएन: F006099E000177371

**स्थान: पुणे**
**दिनांक: 24.04.2023**

Annexure - A

To,
The Members,
Bank of Maharashtra
"Lokmangal"
1501, Shivaji Nagar,
Pune- 411005.

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Book of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management Representation about the Compliance of Laws, Rules and Regulations and happening of events, etc.
5. The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable Laws, Rules, Regulations, Standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedure on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

**For DVD & Associates**
Company Secretaries

**Devendra V Deshpande**
Proprietor
FCS: 6099CP 6515
PR No. 1164/2021
UDIN: F006099E000177371

Place: Pune
Date: 24.04.2023

## वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

**1. कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन:**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) की संकल्पना व महत्व को मान्यता देता है और बैंक न केवल संवैधानिक आवश्यकताओं का पालन करता है, अपितु स्वैच्छिक रूप से सुदृढ़ कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पद्धतियों को तैयार कर उनका पालन करता है। शेयरधारकों, ग्राहकों, सरकार और समग्र रूप से समाज सहित सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक हमेशा हरसंभव प्रयास करता है। कंपनी अभिशासन (कार्पोरेट गवर्नेन्स) पर बैंक का दर्शन है कि सभी स्तरों पर पारदर्शिता, जिम्मेदारी और न्यायसंगतता के उत्कृष्ट मानक स्थापित करना और व्यवसायिकता, सामाजिक कार्यों के प्रति प्रतिसाद, ठोस व्यापारिक पद्धतियां और परिचालनगत कुशलता के द्वारा अधिकतम गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। ये कार्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकाधिक संवर्धित करने और शेयरधारकों के हितों की रक्षा करने हेतु बैंक को कारोबार के उच्च मानक बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

बैंक का इक्विटी शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध हैं। तथापि, बैंक एक कंपनी नहीं है, बल्कि बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत एक कॉर्पोरेट निकाय है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित है। बैंक सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के प्रावधानों का अनुपालन करता है जबतक कि वह बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश, निर्देश आदि के प्रावधानों का उल्लंघन न करे।

**2. निदेशक मंडल :**

2.1. निदेशक मंडल का संमिश्र बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 तथा भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार शासित होता है।

बैंक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है। शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति को छोड़कर निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन और नियुक्ति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा की जाती है। बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति (स्वतंत्र महिला निदेशक सहित) के लिए बैंक द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग से समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

बैंक के बोर्ड में 31 मार्च, 2023 तक कार्यपालक और गैर- कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संयोजन है। 31 मार्च 2023 को निदेशक मंडल में 08 निदेशक शामिल थे, जिनमें से 03 कार्यपालक निदेशक तथा 05 गैर-कार्यपालक निदेशक थे, जिसमें 03 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (बोर्ड के अध्यक्ष) और दो कार्यपालक निदेशक पूर्णकालिक निदेशक हैं। स्वतंत्र निदेशक बोर्ड की कुल संख्या का 38% हैं।

बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक

## Report of the Board of Directors on Corporate Governance for the year 2022-23

1. **Bank's philosophy on Corporate Governance:**

Bank of Maharashtra recognizes the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also has voluntarily formulated and adhered to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank has always strived hard to best serve the interest of all its stakeholders including Shareholders, Customers, Government and Society at large. The Bank's philosophy on Corporate Governance is to bestow high standard of transparency, fairness and accountability for performance at all levels and to ensure and achieve excellence through professionalism, social responsiveness, sound business practices and optimum efficiency. This in turn enables the Bank to maintain a high level of business ethics to maximize the shareholders' value and to protect their interest.

The equity Shares of the Bank are listed at Bombay Stock Exchange Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE). However, the Bank is not a company but a body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by the Reserve Bank of India. The Bank complies with the provisions of corporate governance norms as specified in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the guidelines, directives, etc. issued by Government of India and Reserve Bank of India in this regard.

2. **Board of Directors:**

2.1. The Composition of the Board is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India, Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. The nomination and appointment of all categories of Directors are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director. Bank has requested Department of Financial Services for the appointment of requisite number of Independent directors (including the Woman Independent Director) on the Board of Bank from time to time.

The Bank's Board has an optimum combination of Executive and Non-Executive Directors as on 31st March, 2023. The Board of Directors as on 31st March 2023, comprised of 08 Directors, out of which 03 were Executive Directors and 05 were Non-Executive Directors, which includes 03 Independent Directors. Managing Director & CEO (Chairman of the Board) and two Executive Directors are the whole time directors. The Independent Directors constitute 38% of the total Board strength.

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Banking Regulation Act, 1949 and Government of India / Reserve Bank of India

के दिशानिर्देश बैंक के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति के लिए अपेक्षित निम्नलिखित कौशल, विशेषज्ञता या सक्षमता विनिर्दिष्ट करते हैं।

(i) लेखांकन, (ii) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (iii) बैंकिंग, (iv) सहकारिता, (v) अर्थशास्त्र, (vi) वित्त, (vii) विधि, (viii) लघु उद्योग, (ix) सूचना प्रौद्योगिकी, (x) सार्वजनिक नीति आदि, अथवा किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव जो कि रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा।

बैंक के निदेशक मंडल को बैंकिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों का विशेषज्ञ ज्ञान, कौशल तथा अनुभव है, जिससे सतत व्यवसाय वृद्धि के माध्यम से मूल्य सृजन हेतु सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा।

दिनांक 31.03.2023 के अनुसार बैंक के किसी भी निदेशक का कोई परस्पर संबंध नहीं है।

2.2 बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 7(2) की शर्तों के अनुसार बैंक के कारोबार के सामान्य पर्यवेक्षण, निदेशन और प्रबंधन का अधिकार निदेशक मंडल के पास होता है। निदेशक मंडल के उत्तरदायित्वों में शामिल है- नीतियां तैयार करना, नई पहल करना, कार्य निष्पादन की समीक्षा करना और बैंक द्वारा किए गए विनियामक व संविधिक अनुपालन का पर्यवेक्षण करना, बैंक के विभिन्न प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रत्यायोजन करना और बैंक के विभिन्न कार्यस्थ प्राधिकारियों को वित्तीय अधिकारों के बाहर दी गई वित्तीय मंजूरियों का अनुमोदन कर समग्र पर्यवेक्षण करना। बैंक का निदेशक मंडल बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेबी (लिस्टिंग) के (दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 तथा समय-समय पर जारी भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कार्य करता है।

31 मार्च 2023 को बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

guidelines prescribes the following skills, expertise or competencies required for appointment of Directors on the Board of Bank:

(i) Accountancy, (ii) Agriculture and Rural Economy, (iii) Banking, (iv) Co-operation, (v) Economics, (vi) Finance, (vii) Law, (viii) Small-scale industry, (ix) Information Technology (x) Public Policy etc., or any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank

The Board of the Bank consists of experienced persons, who have rich and varied experiences, knowledge and business acumen in Banking and other related fields and have made significant contribution towards the progress of the bank.

None of the Directors of the Bank have any relationships inter-se as on 31.03.2023.

2.2 In terms of Section 7(2) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, the general superintendence, direction and management of the business of the Bank vests with the Board of Directors. The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review, supervision over Regulatory and Statutory compliances of the Bank, delegating financial powers to various functionaries and exercising overall supervision, according financial sanctions beyond the powers delegated to various functional authorities of the Bank. The Board of Directors of Bank function in accordance with the powers delegated under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, Banking Regulation Act, 1949, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Government of India / Reserve Bank of India guidelines issued from time to time.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2023 was as under:

| क्र. Sr. No. | निदेशक का नाम, पदनाम और श्रेणी Name, Designation and Category of Director | विशेषज्ञता का क्षेत्र Area of Expertise | 31.03.2023 को धारित ईक्विटी बैंक शेयरों/परिवर्तनीय लिखतों की संख्या No. of equity shares/ convertible instruments of the Bank held as on 31.03.2023 | बैंक की उप-समितियों की सदस्यता संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank | सूचीबद्ध इकाइयों (बैंक सहित) की एसी/एसआरसी# में अध्यक्ष/सदस्यता की संख्या No. of Chairman/ membership in ACB/SRC# of listed entities (including Bank) | (बैंक/अन्य कंपनियों में निदेशक की नियुक्ति का स्वरूप) Nature of appointment in the Bank/Directorship in other Companies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री ए. एस. राजीव<br>प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (कार्यपालक)<br>Shri A.S. Rajeev<br>Managing Director & CEO (Executive) | वित्त, बैंकिंग, विदेशी मुद्रा और व्यवसाय प्रशासन<br>Finance, Banking, Forex and Business Administration | 29907 | 10 | दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड:<br>एसीबी- अध्यक्ष<br>एसआरसी- सदस्य<br>The New India Assurance Company Limited:<br>ACB -Chairman<br>SRC- Member | केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 02.12.2018 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए और उसके बाद 1.12.2023 तक आगामी 2 वर्षों के लिए एक्सटेंशन प्रदान किया गया।<br>**अन्य कंपनियों में निदेशक:**<br>(i) दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सूचीबद्ध कंपनी)<br>(ii) भारतीय निर्यात आयात बैंक (गैर सूचीबद्ध कंपनी)<br>Appointed as the Managing Director and CEO of the Bank w.e.f. 02.12.2018 by the Central Government and got further extension for another 2 years upto 1.12.2023.<br>**Directorship in other Companies:**<br>i) The New India Assurance Company Limited (Listed Company)<br>ii) Export Import Bank of India (Unlisted Company). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | श्री ए. बी. विजयकुमार<br>कार्यपालक निदेशक<br>(कार्यपालक)<br>Shri A.B. Vijayakumar<br>Executive Director<br>(Executive) | बैंकिंग, विधि, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन<br>Banking, Law, Business Administration | Nil<br>शून्य | 12 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र :<br>एसआरसी- सदस्य<br>Bank of Maharashtra:<br>SRC- Member | केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 10.03.2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।<br>**अन्य कंपनियों में निदेशक:** शून्य<br>Appointed as the Executive Director w.e.f 10.03.2021 by the Central Government of India.<br>**Directorship in other Companies:** Nil |
| 3 | श्री आशीष पाण्डेय<br>कार्यपालक निदेशक<br>(कार्यपालक)<br>Shri Asheesh Pandey<br>Executive Director<br>(Executive) | बैंकिंग, वित्त, विपणन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन<br>Banking, Finance, Marketing, Business Administration | Nil<br>शून्य | 12 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र :<br>एसआरसी- सदस्य<br>Bank of Maharashtra:<br>SRC- Member | केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।<br>**अन्य कंपनियों में निदेशक:**<br>i) दि महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी)<br>Appointed as the Executive Director w.e.f 31.12.2021 by the Central Government of India.<br>**Directorship in other Companies:**<br>i) The Maharashtra Executor and Trustee Company Private Limited (wholly owned subsidiary of the Bank) |
| 4 | श्री प्रशांत कुमार गोयल<br>सरकार द्वारा नामित निदेशक<br>(गैर-कार्यपालक)<br>Shri Parshant Kumar Goyal<br>Government Nominee Director<br>(Non-Executive) | प्रशासन (आईएएस)<br>Administration (IAS) | Nil<br>शून्य | 08 | युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड<br>एसीबी- सदस्य<br>United India Insurance Company Limited<br>ACB- Member | केन्द्र सरकार द्वारा 15.12.2022 से निदेशक के रूप में नामित किए गए।<br>**अन्य कंपनियों में निदेशक:**<br>I. युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड<br>Nominated as a Director w.e.f. 15.12.2022 by the Central Government.<br>**Directorship in other Companies:**<br>I. United India Insurance company Ltd |
| 5 | श्री एम. के. वर्मा<br>आरबीआई नामित निदेशक<br>(गैर - कार्यपालक)<br>Shri M. K. Verma<br>RBI Nominee Director<br>(Non-Executive) | बैंकिंग, वित्त<br>Banking, Finance | Nil<br>शून्य | 03 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र<br>एसीबी- सदस्य<br>Bank of Maharashtra<br>ACB- Member | दिनांक 13.08.2019 से बैंक के निदेशक मंडल में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त<br>**अन्य कंपनियों में निदेशक:** शून्य<br>Appointed as RBI Nominee Director on the Board of the Bank w.e.f. 13.08.2019.<br>**Directorship in other Companies:** Nil |
| 6 | श्री राकेश कुमार<br>शेयरधारक निदेशक<br>(स्वतंत्र गैर- कार्यपालक)<br>Shri Rakesh Kumar<br>Shareholder Director<br>(Independent Non-Executive) | बीमा, प्रशासन, विपणन<br>Insurance, Administration, Marketing | 100 | 07 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र<br>एसीबी- सदस्य<br>Bank of Maharashtra<br>ACB- Member | दिनांक 30.06.2021 से बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित<br>**अन्य कंपनियों में निदेशक:** शून्य<br>Elected as Shareholder Director of Bank w.e.f. 30.06.2021<br>**Directorship in other Companies:** Nil |
| 7 | श्री शशांक श्रीवास्तव<br>अंशकालिक गैर- आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र गैर- कार्यपालक)<br>Shri Shashank Shrivastava<br>Part time non-official Director (Independent Non-Executive) | वित्त, ऑडिट<br>Finance, Audit | Nil<br>शून्य | 07 | शून्य | केन्द्र सरकार द्वारा 21.12.2021 से बैंक के निदेशक के रूप में नामित किए गए।<br>**अन्य कंपनियों में निदेशक:** शून्य<br>Appointed as a Director of Bank w.e.f. 21.12.2021 by the Central Government of India<br>**Directorship in other Companies:** Nil |
| 8 | श्री एस. बलजीत सिंह<br>अंशकालिक गैर- आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र गैर- कार्यपालक)<br>Shri S. Baljit Singh<br>Part time non-official Director (Independent Non-Executive ) | वित्त, ऑडिट<br>Finance, Audit | Nil<br>शून्य | 08 | बैंक ऑफ महाराष्ट्र<br>एसआरसी- अध्यक्ष<br>एसआरसी- अध्यक्ष<br>Bank of Maharashtra<br>ACB- Chairman<br>SRC- Chairman | केन्द्र सरकार द्वारा 21.12.2021 से बैंक के निदेशक के रूप में नामित किए गए।<br>i) **अन्य कंपनियों में निदेशक:** बलिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज<br>Appointed as a Director of Bank w.e.f. 21.12.2021 by the Central Government of India<br>**Directorship in other Companies:**<br>i) Ballia Chamber of Commerce and industries |

# एसीबी अर्थात निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति और एसआरसी अर्थात हितधारक संबंध समिति
# ACB means Audit Committee of the Board and SRC means Stakeholder Relationship Committee

**2.3 वर्ष 2022-2023 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन:**

- श्री ललित कुमार चंदेल को 17.08.2021 से केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार के बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, वे 15.12.2022 को सेवानिवृत्त हुए।
- श्री प्रशांत कुमार गोयल को 15.12.2022 से श्री ललित कुमार चंदेल के स्थान पर केन्द्र सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा बैंक के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

**2.4 निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल (31.03.2023 को)**

**श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

श्री ए. एस. राजीव ने 2 दिसंबर, 2018 से बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। श्री ए.एस. राजीव, आयु 59 वर्ष, भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के फेलो मेंबर हैं और वे आईसीएआई से इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में डिप्लोमा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बैंकिंग और वित्त) में मास्टर डिग्री प्राप्त हैं। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। वर्तमान कार्यभार संभालने से पहले, वे इंडियन बैंक में ढाई साल से अधिक समय तक कार्यपालक निदेशक थे। उन्होंने विजया बैंक (तत्कालीन) के महाप्रबंधक और सीएफओ के रूप में भी कार्य किया है।

उनका 40 से अधिक वर्षों का बैंकिंग करियर है, इस दौरान उन्होंने बैंक के वित्त, लेखा और टैक्सेशन, आयोजना और विकास, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग/ ट्रेजरी, सतर्कता, ऋण निगरानी और पर्यवेक्षण विभाग में कार्य किया है। उन्होंने विजया बैंक (तत्कालीन) के चेन्नई और बैंगलोर उत्तर क्षेत्र का भी नेतृत्व किया। उन्होंने भारत/ विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों/ संगठनों में विभिन्न सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभाग लिया है।

**श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक**

श्री ए. बी. विजयकुमार को 10 मार्च 2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक रूप में नियुक्त किया गया। वे वाणिज्य में स्नातक हैं और वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट और एलएलबी भी हैं। उन्होंने वर्ष 1984 में बैंक ऑफ इंडिया से अपना बैंकिंग करियर शुरू किया और महाप्रबंधक के स्तर तक पहुंचे। इससे पहले वे इंडियन ओवरसीज बैंक में मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। उनके पास बैंकिंग क्षेत्र में 36 से अधिक वर्षों का विपुल अनुभव है, उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट, रिटेल बैंकिंग, प्राथमिकता क्षेत्र, विदेशी विनिमय परिचालन, अनुपालन, बोर्ड सचिवालय, मानव संसाधन और सतर्कता मेकैनिज्म आदि सहित बैंकिंग परिचालनों में काम किया है।

**श्री आशीष पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक**

श्री आशीष पाण्डेय को 31 दिसंबर 2021 से बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वे एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनके पास वित्त और विपणन में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री भी है। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान - बेंगलूर के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने अपना करियर वर्ष 1998 में कॉर्पोरेशन बैंक से शुरू किया। वर्तमान पदभार ग्रहण करने से पहले, उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य किया। उनके पास बैंकिंग में 25 से अधिक वर्षों का विपुल अनुभव है, जिसमें उन्होंने ऋण, ऋण निगरानी, ट्रेजरी और मर्चेंट बैंकिंग, विदेशी संव्यवहार और संयुक्त उद्यम, विपणन और ग्राहक संबंध तथा बैंकिंग परिचालन जैसे विविध पोर्टफोलियो को संभाला है। टेक-सैवी बैंकर के रूप में उन्होंने आयडिएशन और नवाचारों को अपनाकर सफल डिजिटल बैंकिंग रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ई-आंध्र बैंक और ई-कॉर्पोरेशन बैंक के समामेलन के दौरान री-इंजीनियरिंग, सामंजस्य, ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 30.12.2021 तक चुनिंदा

**2.3 Changes in Composition of Board of Directors of Bank took place during the year 2022-23:**

- Shri Lalit Kumar Chandel retired from the Board of the Bank w.e.f 15.12.2022 who was appointed as Government of India Nominee Director on the Board of the Bank by the Central Government of India on 17.08.2021.
- Shri Parshant Kumar Goyal was appointed as Government of India Nominee Director of Bank by the Central Government of India w.e.f 15.12.2022 in place of Shri Lalit Kumar Chandel.

**2.4 Brief Profile of the Directors (as on 31.03.2023)**

**Shri A S Rajeev, Managing Director and Chief Executive Officer**

Shri A S Rajeev has taken over charge as Managing Director & CEO of the bank with effect from 2nd December, 2018. Shri A.S. Rajeev, aged 59 years is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India and holds Diploma in Information System Audit from ICAI, MBA (Banking & Finance). He is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers. Prior to assuming the current assignment, he was Executive Director at Indian Bank for more than two and half years. He also worked as General Manager & CFO of Vijaya Bank (erstwhile).

His banking career spanning of more than 40 years, wherein he has handled Finance, Accounts & Taxation, Planning & Development, International Banking / Treasury, Vigilance, Credit Monitoring & Supervision of the Bank. He has also headed Chennai & Bangalore North Regions of Vijaya Bank (erstwhile). He has attended various seminars and training programmes at well reputed Institutions / organizations in India / Abroad.

**Shri A B Vijayakumar Executive Director**

Shri A B Vijayakumar was appointed as Executive Director of the bank since 10th March 2021. He is a Commerce graduate and also completed LLB & Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He started his banking career in Bank of India in the year 1984 and rose to level of General Manager. Earlier, he was working as Chief Vigilance Officer at Indian Overseas Bank. He has also served as Chairman of Madhya Pradesh Grameen Bank. He has more than 36 years of rich experience in banking field, having worked in banking operations including Large Corporate, Retail Banking, Priority Sector, Forex operations, Compliance, Board secretariat, HR and Vigilance mechanism etc.

**Shri Asheesh Pandey, Executive Director**

Shri Asheesh Pandey was appointed as Executive Director of our bank on 31st December 2021. He is a Mechanical Engineer and also holds Post Graduation degree in Management with specialization in Finance & Marketing. He is an alumni of Indian Institute of Management – Bangalore. He started his career in Corporation Bank in 1998. Prior to assuming the current position, he worked as Chief General Manager & Chief Operations Officer at Union Bank of India, Mumbai. He has more than 25 years of experience in diverse portfolio ranging from Credit, Credit Monitoring, Treasury & Merchant Banking, Foreign Transactions & Joint Ventures, Marketing & Customer Relationships and Banking Operations. Being a Tech-Savvy banker, he has played a key role in successful digital banking transformation by adopting ideations and innovations. He also played an important role in the re-engineering, harmonization, automation and digitization during amalgamation of e-Andhra Bank and e-Corporation Bank with Union Bank of India. He

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ आईबीए द्वारा गठित पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड में नामित निदेशक थे। वर्तमान में वे बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी ''द महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एण्ड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड'' के निदेशक मंडल में निदेशक हैं।

**डॉ. प्रशांत कुमार गोयल, भारत सरकार के नामित निदेशक**

श्री प्रशांत कुमार गोयल को 15.12.2022 से बैंक में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया। डॉ. प्रशांत कुमार गोयल ने वर्ष 2000 में एमबीबीएस पूरा किया। वे त्रिपुरा बैच के 2007 कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यरत हैं। उन्हें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में भी निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

**श्री मनोज कुमार वर्मा, आरबीआई नामित निदेशक**

श्री मनोज कुमार वर्मा को केन्द्र सरकार द्वारा 13 अगस्त, 2019 को बैंक के निदेशक मंडल में आरबीआई निदेशक के रूप में नामित किया गया, वे एम.ए., एमबीए (वित्त) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट हैं। वे आरबीआई में कार्यरत थे और क्षेत्रीय निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनके पास भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों यथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के विनियमन और पर्यवेक्षण, मौद्रिक नीति का निर्माण, वित्तीय मार्केट का विनियमन और पर्यवेक्षण, बैंकों का अभिशासन, मुद्रा प्रबंधन आदि में तीन दशकों से अधिक का कार्य अनुभव है।

**श्री राकेश कुमार, बैंक के शेयरधारक निदेशक**

श्री राकेश कुमार को 30 जून, 2021 से बैंक के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया। उन्होंने भारतीय एलआईसी के कार्यपालक निदेशक (बैंक और एश्योरेंस चैनल) के रूप में काम किया। वे एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक और निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनके पास बीमा और बैंकिंग, विपणन, रणनीति, प्रशासन और मानव संसाधन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 36 वर्षों का अनुभव है।

**श्री शशांक श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक**

श्री शशांक श्रीवास्तव को 21 दिसंबर 2021 को बैंक के अंशकालिक गैर- आधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर हैं और उनके पास अकाउंट्स, ऑडिट, कराधान, कॉर्पोरेट परामर्श और संबंधित क्षेत्रों में 31 वर्षों से अधिक का विपुल अनुभव है। वे चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं और मध्य प्रदेश के कटनी में स्थित मेसर्स शशांक प्रेमचंद एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के वरिष्ठ भागीदार हैं।

**श्री एस. बलजीत सिंह, अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक**

श्री एस. बलजीत सिंह को 21 दिसंबर 2021 को बैंक के अंशकालिक गैर- आधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया। वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर हैं और उनके पास लेखा, जीएसटी ऑडिट, शाखा ऑडिट, सांविधिक लेखापरीक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राजस्व लेखापरीक्षा, वित्तीय समावेशन आयकर, कॉर्पोरेट कन्सलटेंसी आदि के क्षेत्र में 16 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वे चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित मेसर्स पी कृष्णा अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के वरिष्ठ भागीदार हैं।

**2.5 आचार संहिता:**

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों अर्थात सभी महाप्रबंधकों वाली कोर प्रबंधन टीम हेतु आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा सेबी

was Nominee Director on the Board of PSB Alliance Pvt Ltd, floated by IBA with select Public Sector Banks till 30.12.2021. Presently he is the Director on the Board of "The Maharashtra Executor and Trustee Company Ltd.", a wholly owned subsidiary of the bank.

**Dr. Parshant Kumar Goyal, Government of India Nominee Director**

Shri Parshant Kumar Goyal, was nominated as Government of India Nominee Director on the bank w.e.f. 15.12.2022. Dr. Parshant Kumar Goyal has completed MBBS in the year 2000. He is 2007 cadre IAS officer of Tripura batch and presently working in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. He is also a director on the board of United India Insurance Company Ltd

**Shri Manoj Kumar Verma, RBI Nominee Director**

Shri Manoj Kumar Verma was nominated as RBI Director on the Board of Bank on August 13, 2019 by Central Government of India. He is M.A., MBA (Finance) and Certified Associate of Indian Institute of Bankers. He served and retired as regional director at RBI. He is having more than three decades of work experience in Reserve Bank of India (RBI) in various areas of Central Banking such as Regulation and Supervision of Banks and Financial Institutions, Formulation of Monetary Policy, Regulation and Supervision of Financial Markets, Governance of Banks, Currency Management etc.

**Shri Rakesh Kumar, Shareholder Director of Bank**

Shri Rakesh Kumar was nominated as Director on the Board of Bank w.e.f. June 30, 2021. He worked as Executive Director (Bank & Assurance Channel), LIC of India. He retired as Chief Executive and Director of LIC Cards Services Limited. He is having 36 years of experience in various areas such as Insurance & Banking, Marketing, Strategy, Administration and Human Resources etc

**Shri Shashank Shrivastava , Part Time Non Official Director**

Shri Shashank Shrivastava was nominated as Part Time Non Official Director of the bank on 21st December 2021. He is a Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India and is having a vast experience of more than 31 years in the field of Accounts, Audit, Taxation, Corporate consultancy and related areas. He is Practicing Chartered Accountant and is Senior Partner of M/s Shashank Premchand & Company, Chartered Accountants Firm, based in Katni, Madhya Pradesh.

**Shri S. Baljit Singh, Part Time Non Official Director**

Shri S. Baljit Singh was nominated as Part Time Non Official Director of the bank on 21st December 2021. He is Fellow Member of the Institute of Chartered Accountants of India and is having experience of more than 16 years in the field of Accounts, GST Audit, Branch Audit, Statutory Audit, Revenue Audit of Public Sector Banks & Regional Rural Banks, Financial inclusion, Income Tax, Corporate consultancy etc., He is Practicing Chartered Accountant and is Senior Partner of M/S. P Krishna Agrawal & Associates, Chartered Accountants Firm based in Varanasi, Uttar Pradesh.

**2.5 Code of Conduct:**

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management team comprising all General Managers of the Bank has been

(लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में अनुमोदित की गई है। उक्त आचारसंहिता बैंक की वेबसाईट https://bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

**2.6 स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता के संबंध में बोर्ड द्वारा पुष्टि:**

सभी स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त प्रकटन के आधार पर, बोर्ड ने कहा कि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ-साथ सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा किया और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

**2.7 स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक:**

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संबंध में, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 28 मार्च, 2023 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग से बैठक आयोजित की, जो बैंक प्रबंधन और बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक है। इस बैठक में सांविधिक आवश्यकताओं जैसे गुणवत्ता, मात्रा और सूचना के समय पर प्रवाह का आकलन इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में बैंक के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

**2.8 बोर्ड सदस्यों का मूल्यांकन निष्पादन :**

भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए निदेशक मंडल की समिति द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, गैर-आधिकारिक निदेशकों का कार्य-निष्पादन वार्षिक आधार पर निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

**2.9** बैंक के पास अपने निदेशकों के लिए बैंक में उनकी भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेदारी के संबंध में परिचय कार्यक्रम है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के निदेशकों द्वारा भाग लिए गए इन परिचय/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा बैंक की वेबसाइट https://bankofmaharashtra.in/corporate_governance पर उपलब्ध है।

**3. वार्षिक साधारण बैठक:**

बैंक के शेयरधारकों की 19 वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 28 जून, 2022 को बैंक के प्रधान कार्यालय से विडियो कॉन्फरेंस/ अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से संपन्न हुई, जिसमें निम्नांकित निदेशक उपस्थित थे:

| क्र. | निदेशक का नाम | पदनाम |
|---|---|---|
| 1 | श्री ए. बी. विजयकुमार | कार्यपालक निदेशक |
| 2 | श्री आशीष पाण्डेय | कार्यपालक निदेशक |
| 3 | श्री एम. के. वर्मा | आरबीआई नामित निदेशक |
| 4 | श्री राकेश कुमार | शेयरधारक निदेशक (हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष) |
| 5 | श्री शशांक श्रीवास्तव | गैर-आधिकारिक निदेशक (लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष) |
| 6 | श्री एस. बलजीत सिंह | गैर-आधिकारिक निदेशक |

**4. बोर्ड बैठकें :**

बैंक के बोर्ड की बैठक अन्य व्यवसायों के अलावा बैंक की व्यापार नीति और रणनीति पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती

approved by the Board of Directors in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said Code of Conduct is available on the Bank's website https://bankofmaharashtra.in/policies. All the Board Members and Senior Management Personnel of Bank have affirmed the compliance of the code.

**2.6 Confirmation by the Board with respect to Independence of Independent Directors:** Based on the disclosures received from all the Independent Directors, the Board opined that all the Independent Directors fulfilled the criteria of independence as specified in Companies Act, 2013 as well as in SEBI (LODR) Regulations, 2015 and are independent of the management.

**2.7 Separate meeting of Independent Directors:**

In terms of SEBI (LODR) Regulations, 2015 , the Bank has conducted a separate meeting of Independent Directors on 28th March, 2023 during the financial year 2022-23 to discuss the matters as per the statutory requirements such as assessing the quality, quantity and timely flow of information between the Bank management and the Board that is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties. The meeting was attended by all Independent Directors of the Bank.

**2.8 Performance Evaluation of Board Members:**

The performance evaluation of Whole Time Directors is carried out by Committee of Board for performance Evaluation on the basis of guidelines prescribed by Government of India. Further, Performance of non-official Directors is done by Board of Directors on annual basis.

**2.9** The Bank has the familiarization programme for its Directors with regard to their roles, rights and responsibilities in the Bank. The details of familiarization/ training programmes attended by the Directors of the Bank during the financial year 2022-23 are available on the Bank's website https://bankofmaharashtra.in/corporate_governance

**3. Annual General Meeting:**

The 19th Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on the 28th June, 2022 at Head office of Bank through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means (OAVM), where following Directors attended the meeting.

| Sr. No. | Name of the Director | Designation |
|---|---|---|
| 1 | Shri A.B. Vijayakumar | Executive Director |
| 2 | Shri Asheesh Pandey | Executive Director |
| 3 | Shri M.K. Verma | RBI Nominee Director |
| 4 | Shri Rakesh Kumar | Shareholder Director (Chairman of Stake-holder Relationship Committee) |
| 5 | Shri Shashank Shrivastava | Non-Official Director (Chairman of Audit Committee) |
| 6 | Shri S. Baljit Singh | Non-Official Director |

**4. Board Meetings:**

The Board of bank meets at regular intervals to discuss and decide Bank's business policy and strategy apart from other

है। बोर्ड अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक नीतियों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। बोर्ड ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है।

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर पुणे में बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। निदेशक मंडल/ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक मंडल की निम्नलिखित दिनांकों पर कुल 17 बैठकें संपन्न हुई जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 12 के अधीन न्यूनतम 6 बैठकें और सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के अंतर्गत न्यूनतम 04 (चार) बैठकें निर्धारित हैं।

businesses. The Board oversees implementation of business polices for achieving its objectives. The Board has constituted various committees/sub committees to facilitate the smooth and efficient flow in decision-making process.

The meetings of the Board of Directors are generally held at the Bank's Head office at Pune. Directors are also provided with video conferencing facility so as to participate in Board / Committee meetings.

During the Financial Year 2022-23, 17 meetings of Board of Directors were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and minimum of 04 meetings stipulated under SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2022 | 06.05.2022 | 25.05.2022 | 04.06.2022 | 28.06.2022 | 18.07.2022 | 26.08.2022 |
| 16.09.2022 | 17.10.2022 | 17.11.2022 | 16.12.2022 | 23.12.2022 | 16.01.2023 | 08.02.2023 |
| 13.03.2023 | 24.03.2023 | 28.03.2023 | | | | |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की अपनी कार्य अवधि के दौरान उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं :
The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure is given as under:

| निदेशक का नाम | Name of the Director | अवधि Period | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें Meetings held during their tenure | बैठकों में उपस्थिति Meetings attended |
|---|---|---|---|---|
| श्री ए. एस. राजीव | Shri A.S. Rajeev | 01.04.2022 से/to 31.03.2023 | 17 | 16 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 से/to 31.03.2023 | 17 | 17 |
| श्री आशीष पाण्डेय | Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 से/to 31.03.2023 | 17 | 17 |
| श्री ललित कुमार चंदेल | Shri Lalit Kumar Chandel | 01.04.2022 से/to 15.12.2022 | 10 | 06 |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल | Shri Parshant Kumar Goyal | 15.12.2022 से/to 31.03.2023 | 07 | 05 |
| श्री एम. के. वर्मा | Shri M.K. Verma | 01.04.2022 से/to 31.03.2023 | 17 | 17 |
| श्री राकेश कुमार | Shri Rakesh Kumar | 01.04.2022 से/to 31.03.2023 | 17 | 17 |
| श्री शशांक श्रीवास्तव | Shri Shashank Shrivastava | 01.04.2022 से/to 31.03.2023 | 17 | 17 |
| श्री एस. बलजीत सिंह | Shri S. Baljit Singh | 01.04.2022 से/to 31.03.2023 | 17 | 17 |

**5. निदेशक मंडल की समितियां:**

बैंक के बोर्ड ने भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न समितियों/ उप समितियों का गठन किया है। बोर्ड ने प्रभावी निर्णय, निगरानी सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न कार्यशील क्षेत्रों में अपनी उप-समितियों को प्रत्यायोजित शक्तियाँ प्रदान की हैं। बोर्ड की विभिन्न समितियों का विवरण निम्नानुसार है:

**5.1 प्रबंधन समिति:**

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशक मंडल के पांच निदेशकों की प्रबंधन समिति (एमसी) का गठन किया गया है। प्रबंधन समिति के कार्य और कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

क) ऋण और निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देना

ख) ऋण समझौता/ बट्टे खाते में डालने के प्रस्तावों को मंजूरी देना

ग) परिसर/ क्वार्टर्स को अधिग्रहित करने व अन्य खरीद से संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन करना

घ) निदेशक मंडल द्वारा संदर्भित कोई अन्य विषय

एमसीबी के अंतर्गत इसके अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक, आरबीआई नामित निदेशक और अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

**5. Committees of Board:**

The Board of Bank has constituted various committees/ sub committees as per the guidelines of Government of India, Reserve Bank of India and SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Board has delegated powers to its sub-committees in different functional areas with a view to ensure effective decision making, monitoring and focus on critical areas. Details of the various committees of the board are as under:

**5.1 Management Committee:**

The Management Committee (MC) of the Board is constituted with five Directors as its members as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. Functions and duties of the Management Committee are as under:

a) Sanction of credit and investment proposals,

b) Sanction of loan, compromise/ write off proposals,

c) Approve proposals relating to acquiring of premises /quarters and other procurements,

d) Any other matter referred by the Board.

The MC comprises of Managing Director & Chief Executive Officer as its Chairman, Executive Directors, RBI Nominee Director and Part-time Non-Official Director as its members.

समीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित दिनांकों को समिति की 23 बैठकें हुईं:
The Committee met 23 times during the period under review on the following dates:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2022 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | 04.6.2022 | 15.06.2022 | 28.06.2022 | 16.07.2022 |
| 28.07.2022 | 12.08.2022 | 25.08.2022 | 16.9.2022 | 23.09.2022 | 01.11.2022 | 17.11.2022 |
| 08.12.2022 | 22.12.2022 | 31.12.2022 | 17.1.2023 | 07.02.2023 | 27.02.2023 | 13.03.2023 |
| 23.03.2023 | 28.03.2023 | | | | | |

**समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:**

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री ए. एस. राजीव | 01.04.2022 से 31.03.2023 | 23 | 22 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 | 23 | 23 |
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 | 23 | 23 |
| श्री एम. के. वर्मा | 01.04.2022 से 31.03.2023 | 23 | 23 |
| श्री राकेश कुमार | 01.04.2022 से 08.02.2023 | 19 | 19 |
| श्री शशांक श्रीवास्तव | 08.02.2023 से 31.03.2023 | 04 | 04 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही :

| | | |
|---|---|---|
| i | श्री ए. एस. राजीव | अध्यक्ष |
| ii | श्री ए. बी. विजयकुमार | सदस्य |
| iii | श्री आशीष पाण्डेय | सदस्य |
| iv. | श्री एम. के. वर्मा | सदस्य |
| v | श्री शशांक श्रीवास्तव | सदस्य |

**5.2 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति:**

भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया गया है जिसमें तीन निदेशक उसके सदस्य होंगे।

समिति के प्रत्यायोजित कार्य निम्नानुसार हैं:

क) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्य संचालन की देखरेख के साथ-साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। समग्र लेखा परीक्षा कार्यप्रणाली के अंतर्गत बैंक का आंतरिक निरीक्षण एवं आंतरिक लेखा परीक्षा का गुणवत्ता नियंत्रण, संचालन तथा संगठन सहित भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरीक्षण तथा बैंक की बाह्य/ सांविधिक लेखा परीक्षा का अनुवर्तन शामिल है।

ख) आंतरिक लेखा परीक्षा के विषय में निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति बैंक में अनुवर्तन की दृष्टि से आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता-प्रणाली की पर्याप्तता, गुणवत्ता और प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है। निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति विशेषज्ञ व अति विस्तृत शाखाओं सहित सभी असंतोषजनक योग्यताक्रम वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा भी करती है।

ग) विशेष रूप से यह समिति अंतर-शाखा समायोजन खातों, नॉस्ट्रो खातों और अंतर-बैंक खातों में समाधान न की गई व लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों, विभिन्न शाखाओं में लेखा बहियों के मिलान की स्थिति, धोखाधड़ी और गृहवेक्षण के अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुवर्तन करती है।

घ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति अनुपालन अधिकारी से भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही रिपोर्टें प्राप्त कर उनकी समीक्षा करती है।

The details of attendance of the Directors at the aforesaid meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri A.S. Rajeev | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 23 | 22 |
| Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 23 | 23 |
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 23 | 23 |
| Shri M.K .Verma | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 23 | 23 |
| Shri Rakesh Kumar | 01.04.2022 to 08.02.2023 | 19 | 19 |
| Shri Shashank Shrivastava | 08.02.2023 to 31.03.2023 | 04 | 04 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

| | | |
|---|---|---|
| i | Shri A.S. Rajeev | Chairman |
| ii. | Shri A.B. Vijayakumar | Member |
| iii. | Shri Asheesh Pandey | Member |
| iv. | Shri M.K. Verma | Member |
| v | Shri Shashank Shrivastava | Member |

**5.2. Audit Committee of the Board:**

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India and Regulation 18 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Audit Committee of Board of Directors (ACB) is constituted with three Directors as its members. The delegated functions of the Committee are as under:

a) ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization, quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up on the statutory and external audit of the Bank and inspection conducted by RBI.

b) As regards internal audit, ACB reviews the internal inspection and audit function in the Bank – adequacy of the system, its quality and effectiveness in terms of follow up. ACB also reviews inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings.

c) It specifically focuses on the follow up of Inter-Branch Adjustment Accounts, Un-reconciled long outstanding entries in Inter-Bank Accounts and Nostro Accounts, Position of balancing of books at various branches, frauds and all other major areas of housekeeping.

d) ACB obtains and reviews quarterly reports from the Compliance Officer relating to implementation of various Government and RBI guidelines.

ड) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति संगामी लेखा परीक्षा के अंतर्गत रिपोर्टों पर निगरानी रखती है और सांविधिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के अवलोकनों का अनुपालन करती है।

च) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति का अनुमोदन करती है और वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा भी करती है। यह समिति लॉग फार्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) में उठाए गए सभी मुद्दों का भी अनुवर्तन करती है।

छ) निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अधीन सौंपे गए अन्य मुद्दों पर भी कार्य करती है।

e) ACB monitors the reports under concurrent audit, compliance of observations of statutory audit and RBI inspection.

f) ACB approves the appointment of Statutory Central Auditors and also interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of the annual, half-yearly, quarterly accounts and reports. It also follows up all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

g) ACB to take care of other issues entrusted to it under SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति की 14 बैठकें हुईं। बैठकों के दिनांक निम्नानुसार हैं:
During the year, the ACB met 14 times and the dates of the meetings are as under:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2022 | 25.05.2022 | 27.06.2022 | 18.07.2022 | 25.08.2022 | 15.09.2022 | 03.10.2022 |
| 17.10.2022 | 16.11.2022 | 22.12.2022 | 16.01.2023 | 07.02.2023 | 24.03.2023 | 27.03.2023 |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री ए. बी. विजयकुमार * | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 14 | 14 |
| श्री आशीष पाण्डेय * | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 14 | 14 |
| श्री एम. के. वर्मा | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 14 | 14 |
| श्री राकेश कुमार | 08.02.2023 से 31.03.2023 तक | 02 | 02 |
| श्री शशांक श्रीवास्तव | 01.04.2022 से 08.02.2023 तक | 12 | 12 |
| श्री एस. बलजीत सिंह | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 14 | 14 |

* कार्यपालक निदेशकों ने आमंत्रित सदस्य के रूप में एसीबी की बैठकों में भाग लिया।

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों ने तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार करने हेतु आयोजित समिति की बैठकों में भाग लिया।

कंपनी सचिव, एसीबी के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री एस. बलजीत सिंह — अध्यक्ष
ii. श्री एम. के. वर्मा — सदस्य
iii. श्री राकेश कुमार — सदस्य

### 5.3 निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 21 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सदस्य के रूप में पांच निदेशकों के साथ निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। समिति बैंक के विभिन्न जोखिमों से युक्त समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां और रणनीतियां तैयार करती है, जिसमें बैंक के विभिन्न जोखिम एक्सपोजर की जांच करना, आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए फ्रेमवर्क और जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि शामिल होते हैं। अधिक परिचालनात्मक दृष्टिकोण से, यह बैंक के जोखिम प्रोफाइल की समीक्षा भी करेगी और जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने के लिए संबंधित विभाग (विभागों) को निर्देश/दिशानिर्देश जारी करेगी। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण भी करता है।

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri A.B. Vijayakumar* | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 14 | 14 |
| Shri Asheesh Pandey* | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 14 | 14 |
| Shri M.K. Verma | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 14 | 14 |
| Shri Rakesh Kumar | 08.02.2023 to 31.03.2023 | 02 | 02 |
| Shri Shashank Shrivastava | 01.04.2022 to 08.02.2023 | 12 | 12 |
| Shri S. Baljit Singh | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 14 | 14 |

**Executive Directors have attended the ACB Meetings as invitee member.*

The representatives of Statutory Central Auditors attended the committee meetings in which quarterly financial results were considered.

Company Secretary, acts as the Secretary to the ACB.

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

i. Shri S. Baljit Singh — Chairman
ii. Shri M.K. Verma — Member
iii. Shri Rakesh Kumar — Member

### 5.3 Risk Management Committee of the Board:

The Risk Management Committee of the Board is constituted with five Directors as its members as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and Regulation 21 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The Committee devise the policies and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the Bank, framework for identification of internal and external risks and to monitor and oversee implementation of the risk management policy etc. From a more operational perspective, it will also review the risk profile of the Bank and issue instructions/ guidelines to the concerned department (s) to better manage the risk. It also supervises and monitors the functioning of the Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 08 बैठकें हुईं।
The Committee met 08 times during the year as under.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2022 | 27.06.2022 | 25.08.2022 | 15.09.2022 | 16.11.2022 | 22.12.2022 |
| 07.02.2023 | 27.03.2023 | | | | |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री राकेश कुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 08 | 08 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 08 | 08 |
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 08 | 08 |
| श्री ए. एस. राजीव * | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 08 | 06 |
| श्री शशांक श्रीवास्तव | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 08 | 08 |
| श्री एस. बलजीत सिंह | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 08 | 08 |

* प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने आमंत्रित सदस्य के रूप में आरएमसी की बैठकों में भाग लिया।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री राकेश कुमार — अध्यक्ष
ii. श्री ए. बी. विजयकुमार — सदस्य
iii. श्री आशीष पाण्डेय — सदस्य
iv. श्री शशांक श्रीवास्तव — सदस्य
v. श्री एस. बलजीत सिंह — सदस्य

### 5.4 हितधारकों की संबंध समिति:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अंतर्गत बैंक के शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों के निवारण, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश वारंट आदि की गैर-प्राप्ति के पर्यवेक्षण के लिए सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 03 बैठकें हुईं:

| | | |
|---|---|---|
| 27.06.2022 | 16.09.2022 | 28.03.2023 |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री राकेश कुमार | 01.04.2022 से 08.02.2023 तक | 02 | 02 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 03 | 03 |
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 03 | 03 |
| श्री एस. बलजीत सिंह | 08.02.2023 से 31.03.2023 तक | 01 | 01 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री एस. बलजीत सिंह — अध्यक्ष
ii. श्री ए. बी. विजयकुमार — सदस्य
iii. श्री आशीष पाण्डेय — सदस्य

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri Rakesh Kumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 08 | 08 |
| Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 08 | 08 |
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 08 | 08 |
| Shri A.S.Rajeev* | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 08 | 06 |
| Shri Shashank Shriv-astava | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 08 | 08 |
| Shri S. Baljit Singh | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 08 | 08 |

**MD & CEO has attended the RMC Meetings as invitee member*

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

i. Shri Rakesh Kumar — Chairman
ii. Shri A B Vijayakumar — Member
iii. Shri Asheesh Pandey — Member
iv Shri Shashank Shrivastava — Member
v Shri S. Baljit Singh — Member

### 5.4 Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholders Relationship Committee is constituted/ formed with three Directors as its members in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 to oversee the grievances / redressal of Shareholders/ Investors of the Bank, non-receipt of annual report, dividend warrants etc.

The Committee met 03 times during the year as under:

| | | |
|---|---|---|
| 27.06.2022 | 16.09.2022 | 28.03.2023 |

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri Rakesh Kumar | 01.04.2022 to 08.02.2023 | 02 | 02 |
| Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 03 | 03 |
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 03 | 03 |
| Shri S. Baljit Singh | 08.02.2023 to 31.03.2023 | 01 | 01 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

i. Shri S. Baljit Singh — Chairman
ii Shri A.B. Vijayakumar — Member
iii. Shri Asheesh Pandey — Member

वर्ष के दौरान शेयरधारकों के संबंध में प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार हैं:

| | |
|---|---|
| 01.04.2022 को लंबित शिकायतों की संख्या | 0 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | 95 |
| वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या | 95 |
| 31.03.2023 को लंबित शिकायतों की संख्या | 0 |

बैंक के निवेशकों की शिकायतों और स्टॉक एक्सचेंज के अनुपालन के संबंध में श्री चंद्रकांत भागवत, कंपनी सचिव को बैंक का अनुपालन अधिकारी पदनामित किया गया। श्री चंद्रकांत भागवत ने 17.02.2023 को इस्तीफा दे दिया। इसके अतिरिक्त, बैंक ने सुश्री नेहल रावत को 23.02.2023 से बैंक के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

### 5.5 शेयर अंतरण समिति:

निदेशक मंडल ने ''हितधारकों की संबंध समिति'' के साथ ही ''शेयर अंतरण समिति'' का गठन किया जो कि शेयरों के अंतरण, ट्रान्समिशन, नाम हटाए जाने के आवेदन इत्यादि का अनुमोदन करती है। समिति में चार सदस्य हैं।

निम्नलिखित तारीखों को समिति की 02 बैठकों का आयोजन किया गया:

| | |
|---|---|
| 08.12.2022 | 28.03.2023 |

बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री ए. एस. राजीव | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 02 | 02 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 02 | 02 |
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 02 | 02 |
| श्री राकेश कुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 02 | 02 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री ए. बी. विजयकुमार — सदस्य
iii. श्री आशीष पाण्डेय — सदस्य
iv. श्री राकेश कुमार — सदस्य

### 5.6 बड़ी राशि वाली जालसाजियों की निगरानी हेतु विशेष समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार यह समिति गठित की गई है। समिति में 5 निदेशक सदस्य हैं जो उच्च मूल्य वाली जालसाजियों की निगरानी करते हैं। समिति का मुख्य कार्य रु.1.00 करोड़ एवं उससे अधिक की सभी जालसाजियों की निगरानी एवं समीक्षा करना है।

वर्ष के दौरान समिति की 04 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25.05.2022 | 25.08.2022 | 16.11.2022 | 17.01.2023 |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में अपनी कार्य अवधि के दौरान निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री ए. एस. राजीव | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 03 |

The position of complaints in respect of Shareholders received and resolved during the year is as under:

| | |
|---|---|
| Number of complaints pending as on 01.04.2022 | 0 |
| Number of complaints received during the year | 95 |
| Number of complaints resolved during the year | 95 |
| Number of complaints pending as on 31.03.2023 | 0 |

Shri Chandrakant Bhagwat, Company Secretary was designated as the Compliance Officer of the Bank in respect of compliance to the Stock exchanges and investor grievances of the Bank. Mr. Chandrakant Bhagwat resigned on 17.02.2023. Further, bank has appointed Ms. Nehal Rawat as the Company Secretary & Compliance Officer of the Bank w.e.f. 23.02.2023.

### 5.5 Share Transfer Committee:

Besides the Stakeholders' Relationship Committee, the Board has formed "Share Transfer Committee" to approve/ note applications of transfer, transmission and name deletion etc., in respect of shares. The Committee consist of four members.

The Committee met 02 times on following dates as under:

| | |
|---|---|
| 08.12.2022 | 28.03.2023 |

The details of attendance of the Directors at the meetings was as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri A.S. Rajeev | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 02 | 02 |
| Shri A. B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 02 | 02 |
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 02 | 02 |
| Shri Rakesh Kumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 02 | 02 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii Shri A.B. Vijayakumar — Member
iii Shri Asheesh Pandey — Member
iv Shri Rakesh Kumar — Member

### 5.6 Special Committee to Monitor Large Value Frauds:

As per the directions of Reserve Bank of India, the Committee is constituted with five Directors as its members to monitor large value frauds. The major functions of the Committee include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above.

The Committee met 04 times during the year as under:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25.05.2022 | 25.08.2022 | 16.11.2022 | 17.01.2023 |

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri A.S. Rajeev | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |
| Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 03 |

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री एस. बलजीत सिंह | 01.04.2022 से 08.02.2023 तक | 02 | 02 |
| श्री शशांक श्रीवास्तव | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री राकेश कुमार | 08.02.2023 से 31.03.2023 तक | 00 | 00 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
iii. श्री आशीष पाण्डेय सदस्य
iv. श्री शशांक श्रीवास्तव सदस्य
v. श्री राकेश कुमार सदस्य

**5.7 निदेशकों की पदोन्नति समिति :**

निदेशकों की एक समिति जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शामिल हैं। समिति में 5 निदेशक शामिल हैं, यथा- प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक। वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नति कार्य देखने के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा भी करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.06.2022 | 15.09.2022 | 08.12.2022 | 28.03.2023 |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री ए. एस. राजीव | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 03 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री ललित कुमार चंदेल | 01.04.2022 से 15.12.2022 तक | 03 | 01 |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल | 15.12.2022 से 31.03.2023 तक | 01 | 01 |
| श्री एम. के वर्मा | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव अध्यक्ष
ii. श्री ए. बी. विजयकुमार सदस्य
iii. श्री आशीष पाण्डेय सदस्य
iv. श्री प्रशांत कुमार गोयल सदस्य
v. श्री एम. के वर्मा सदस्य

**5.8 ग्राहक सेवा समिति:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में सदस्य के रूप में चार निदेशक हैं। बैंक की ग्राहक सेवा की गुणवत्ता पर प्राप्त प्रति-सूचनाओं का पुनरीक्षण करने और बैंक की कार्यविधियों और प्रणालियों में सतत आधार पर सुधार लाकर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता सुधारने हेतु नवोन्मेषी उपाय अपनाने के लिए समिति का गठन किया गया है।

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |
| Shri S. Baljit Singh | 01.04.2022 to 08.02.2023 | 02 | 02 |
| Shri Shashank Shrivastava | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |
| Shri Rakesh Kumar | 08.02.2023 to 31.03.2023 | 00 | 00 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev Chairman
ii Shri A.B. Vijayakumar Member
iii Shri Asheesh Pandey Member
iv Shri Shashank Shrivastava Member
v Shri Rakesh Kumar Member

**5.7 Directors' Promotion Committee:**

The Committee comprised of 5 directors viz., Managing Director and CEO, Executive Directors and nominee Director from Government of India and Reserve Bank of India. The Committee has been constituted for dealing with the promotions at senior level. The Committee also deals with review of like Vigilance and Displinary cases and departmental enquiries.

The Committee met 04 times during the year as under:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.06.2022 | 15.09.2022 | 08.12.2022 | 28.03.2023 |

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri A.S. Rajeev | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 03 |
| Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |
| Shri Lalit Kumar Chandel | 01.04.2022 to 15.12.2022 | 03 | 01 |
| Shri Parshant Kumar Goyal | 15.12.2022 to 31.03.2023 | 01 | 01 |
| Shri M. K. Verma | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev Chairman
ii Shri A.B. Vijayakumar Member
iii Shri Asheesh Pandey Member
iv Shri Parshant Kumar Goyal Member
v Shri M.K. Verma Member

**5.8 Customer Service Committee:**

As per the directions of the RBI, the Committee is constituted with four Directors as its members. The Committee review a feed-back on quality of customer service in the Bank and to have innovative measures for enhancing the quality of customer service by bringing about on-going improvements in the systems and procedures of the Bank.

वर्ष के दौरान समिति की 05 बैठकें निम्नानुसार हुईं:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2022 | 15.09.2022 | 11.10.2022 | 17.01.2023 | 28.03.2023 |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री ए. एस. राजीव | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 05 | 04 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 05 | 05 |
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 05 | 05 |
| श्री एस. बलजीत सिंह | 01.04.2022 से 08.02.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री शशांक श्रीवास्तव | 08.02.2023 से 31.03.2023 तक | 01 | 01 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री ए. बी. विजयकुमार — सदस्य
iii. श्री आशीष पाण्डेय — सदस्य
iv श्री शशांक श्रीवास्तव — सदस्य

### 5.9 आईटी रणनीति समिति:

निदेशक मंडल की आईटी रणनीति समिति का गठन पांच निदेशकों के सदस्यों के रूप में किया गया है। समिति की बैठक में 03 (तीन) बाहरी आईटी विशेषज्ञ ने भी सहयोग लिया। समिति उचित आईटी रणनीति का चयन सहित आईटी प्रशासन, प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित मामलों के सभी पहलुओं को देखती है और सभी रणनीतिक आईटी योजनाओं, साइबर सुरक्षा और अन्य आईटी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 08 (आठ) बैठकें हुईं:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2022 | 26.08.2022 | 16.09.2022 | 16.11.2022 | 08.12.2022 | 22.12.2022 |
| 08.02.2023 | 27.03.2023 | | | | |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री शशांक श्रीवास्तव | 08.02.2023 से 31.03.2023 तक | 01 | 01 |
| श्री ए. एस. राजीव | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 08 | 07 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 08 | 08 |
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 08 | 08 |
| श्री ललित कुमार चंदेल | 01.04.2022 से 15.12.2022 तक | 05 | 03 |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल | 15.12.2022 से 31.03.2023 तक | 03 | 02 |
| श्री राकेश कुमार | 01.04.2022 से 08.02.2023 तक | 07 | 07 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री शशांक श्रीवास्तव — अध्यक्ष
ii. श्री ए. एस. राजीव — सदस्य
iii. श्री ए. बी. विजयकुमार — सदस्य
iv. श्री आशीष पाण्डेय — सदस्य
v. श्री प्रशांत कुमार गोयल — सदस्य

बाह्य विशेषज्ञ : 03 सदस्य

The Committee met 05 times during the year as under:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27.06.2022 | 15.09.2022 | 11.10.2022 | 17.01.2023 | 28.03.2023 |

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri A.S. Rajeev | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 05 | 04 |
| Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 05 | 05 |
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 05 | 05 |
| Shri S. Baljit Singh | 01.04.2022 to 08.02.2023 | 04 | 04 |
| Shri Shashank Shrivastava | 08.02.2023 to 31.03.2023 | 01 | 01 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii Shri A. B. Vijayakumar — Member
iii Shri Asheesh Pandey — Member
iv Shri Shashank Shrivastava — Member

### 5.9 IT Strategy Committee:

The IT Strategy Committee of the Board is constituted with five Directors as its members. The meeting of committee is also attended by 03 outside IT Experts. The Committee deal with all aspects of matters relating to technology upgradation, IT Governance including choosing the right IT strategy and monitoring implementation of all strategic IT plans, Cyber Security and other IT initiatives.

The Committee met 08 times during the year as under:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2022 | 26.08.2022 | 16.09.2022 | 16.11.2022 | 08.12.2022 | 22.12.2022 |
| 08.02.2023 | 27.03.2023 | | | | |

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri Shashank Shrivastava | 08.02.2023 to 31.03.2023 | 01 | 01 |
| Shri A.S. Rajeev | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 08 | 07 |
| Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 08 | 08 |
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 08 | 08 |
| Shri Lalit Kumar Chandel | 01.04.2022 to 15.12.2022 | 05 | 03 |
| Shri Parshant Kumar Goyal | 15.12.2022 to 31.03.2023 | 03 | 02 |
| Shri Rakesh Kumar | 01.04.2022 to 08.02.2023 | 07 | 07 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

i. Shri Shashank Shrivastava — Chairman
ii. Shri A.S.Rajeev — Member
iii. Shri A.B. Vijayakumar — Member
iv. Shri Asheesh Pandey — Member
v. Shri Parshant Kumar Goyal — Member

Outside Experts : 03 Members

### 5.10 ऋण अनुमोदन समिति:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में संशोधन के अनुसरण में निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति का गठन दिनांक 10 फरवरी, 2012 को किया गया। प्रावधानों के अनुसार समिति की संरचना निम्नानुसार है:

i. प्रबंध निदेशक एवं सीईओ — अध्यक्ष

ii. कार्यपालक निदेशकगण — सदस्य

iii. महाप्रबंधक, ऋण — सदस्य

iv. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन — सदस्य

v. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा — सदस्य

वर्ष के दौरान निम्नानुसार दिनांकों को समिति की 26 बैठकें आयोजित हुईं:

| क्र. | दिनांक | क्र. | दिनांक | क्र. | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18.04.2022 | 11 | 23.09.2022 | 21 | 24.01.2023 |
| 02 | 18.05.2022 | 12 | 30.09.2022 | 22 | 09.02.2023 |
| 03 | 03.06.2022 | 13 | 18.10.2022 | 23 | 01.03.2023 |
| 04 | 17.06.2022 | 14 | 01.11.2022 | 24 | 20.03.2023 |
| 05 | 29.06.2022 | 15 | 23.11.2022 | 25 | 24.03.2023 |
| 06 | 16.07.2022 | 16 | 08.12.2022 | 26 | 29.03.2023 |
| 07 | 28.07.2022 | 17 | 20.12.2022 | | |
| 08 | 12.08.2022 | 18 | 23.12.2022 | | |
| 09 | 03.09.2022 | 19 | 30.12.2022 | | |
| 10 | 12.09.2022 | 20 | 12.01.2023 | | |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री ए. एस. राजीव | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 26 | 26 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 26 | 25 |
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 26 | 25 |

इन बैठकों में निम्नलिखित कार्यपालक भी शामिल हुए:

i. महाप्रबंधक, ऋण

ii. महाप्रबंधक, समन्वित जोखिम प्रबंधन

iii. महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा

iv. महाप्रबंधक, ऋण प्राथमिकता - आवश्यकतानुसार

v. महाप्रबंधक, वसूली - आवश्यकतानुसार

### 5.11 मानव संसाधन संचालन समिति :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, समिति का गठन इसके सदस्यों के रूप में चार निदेशकों और 02 बाहरी मानव संसाधन विशेषज्ञों के साथ किया गया है। समिति का गठन मानव संसाधन से संबंधित विभिन्न मामलों/ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया गया है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 03 बैठकें हुई :

| | | |
|---|---|---|
| 27.06.2022 | 17.11.2022 | 28.03.2023 |

### 5.10 Credit Approval Committee:

The Credit Approval Committee of the Board is constituted on 10th February 2012 following the amendment to Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. In terms of the provisions, the constitution of the Committee is as follows:

i. Managing Director & CEO- Chairman

ii. Executive Directors- Members

iii. General Manager, Credit- Member

iv. General Manager, Integrated Risk Management- Member

v. General Manager, Financial Management & Accounts - Member

The Committee met 26 times during the year on the dates given below:

| Sr. No | Date | Sr. No | Date | Sr. No. | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 18.04.2022 | 11 | 23.09.2022 | 21 | 24.01.2023 |
| 02 | 18.05.2022 | 12 | 30.09.2022 | 22 | 09.02.2023 |
| 03 | 03.06.2022 | 13 | 18.10.2022 | 23 | 01.03.2023 |
| 04 | 17.06.2022 | 14 | 01.11.2022 | 24 | 20.03.2023 |
| 05 | 29.06.2022 | 15 | 23.11.2022 | 25 | 24.03.2023 |
| 06 | 16.07.2022 | 16 | 08.12.2022 | 26 | 29.03.2023 |
| 07 | 28.07.2022 | 17 | 20.12.2022 | | |
| 08 | 12.08.2022 | 18 | 23.12.2022 | | |
| 09 | 03.09.2022 | 19 | 30.12.2022 | | |
| 10 | 12.09.2022 | 20 | 12.01.2023 | | |

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri A.S. Rajeev | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 26 | 26 |
| Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 26 | 25 |
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 26 | 25 |

The meetings were also attended by the following executives:

i. General Manager, Credit

ii. General Manager, Integrated Risk Management

iii. General Manager, Financial Management & Accounts

iv. General Manager, Credit Priority – As per requirement

v. General Manager, Recovery- As per requirement

### 5.11 Steering Committee on HR:

As per the guidelines of Government of India, the Committee is constituted with four Directors as its members and 02 outside HR Experts. The Committee is constituted to discuss various matters/issues related to Human Resources.

The Committee met 03 times during the year as under:

| | | |
|---|---|---|
| 27.06.2022 | 17.11.2022 | 28.03.2023 |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री ए. एस. राजीव | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 03 | 02 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 03 | 03 |
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 03 | 03 |
| श्री ललित कुमार चंदेल | 01.04.2022 से 15.12.2022 तक | 02 | 00 |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल | 15.12.2022 से 31.03.2023 तक | 01 | 01 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री ए. बी. विजयकुमार — सदस्य
iii. श्री आशीष पाण्डेय — सदस्य
iv. श्री प्रशांत कुमार गोयल — सदस्य
v. श्रीमती एस. ए. पानसे — आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ
vi. श्रीमती गीतिका कपूर — आमंत्रित बाह्य विशेषज्ञ

**5.12 एनपीए वसूली पर निगरानी हेतु बोर्ड की समिति :**

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, सदस्य के रूप में पांच निदेशकों के साथ समिति का गठन किया गया है। समिति बैंक में एनपीए वसूली की समीक्षा और निगरानी करती है, संग्रहण प्रणाली का पर्यवेक्षण करती है और ऋण तथा अग्रिमों की वसूली करती है और बड़े मूल्य के एनपीए खातों में वसूली के प्रदर्शन की निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठकें हुईं :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25.05.2022 | 25.08.2022 | 16.11.2022 | 07.02.2023 |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री ए. एस. राजीव | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री ललित कुमार चंदेल | 01.04.2022 से 15.12.2022 तक | 03 | 03 |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल | 15.12.2022 से 31.03.2023 तक | 01 | 01 |
| श्री शशांक श्रीवास्तव | 01.04.2022 से 08.02.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री एस. बलजीत सिंह | 08.02.2023 से 31.03.2023 तक | 00 | 00 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

i. श्री ए. एस. राजीव — अध्यक्ष
ii. श्री ए. बी. विजयकुमार — सदस्य
iii. श्री आशीष पाण्डेय — सदस्य
iv. श्री प्रशांत कुमार गोयल — सदस्य
v. श्री एस. बलजीत सिंह — सदस्य

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri A.S. Rajeev | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 03 | 02 |
| Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 03 | 03 |
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 03 | 03 |
| Shri Lalit Kumar Chandel | 01.04.2022 to 15.12.2022 | 02 | 00 |
| Shri Parshant Kumar Goyal | 15.12.2022 to 31.03.2023 | 01 | 01 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii. Shri A.B.Vijayakumar — Member
iii. Shri Asheesh Pandey — Member
iv. Shri Parshant Kumar Goyal — Member
v Mrs. S.A. Panse — Invitee outside expert
vi Mrs. Geetika Kapoor — Invitee outside expert

**5.12 Committee of Board for monitoring NPA Recovery:**

As per the guidelines of Government of India, the Committee is constituted with five Directors as its members. The Committee reviews and monitors NPA Recovery in the Bank and provides oversight on collection system and recovery of loans & advances and monitors recovery performance in large value NPA accounts.

The Committee met 04 times during the year as under:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25.05.2022 | 25.08.2022 | 16.11.2022 | 07.02.2023 |

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri A.S. Rajeev | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |
| Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |
| Shri Lalit Kumar Chandel | 01.04.2022 to 15.12.2022 | 03 | 03 |
| Shri Parshant Kumar Goyal | 15.12.2022 to 31.03.2023 | 01 | 01 |
| Shri Shashank Shrivastava | 01.04.2022 to 08.02.2023 | 04 | 04 |
| Shri S. Baljit Singh | 08.02.2023 to 31.03.2023 | 00 | 00 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

i. Shri A.S. Rajeev — Chairman
ii. Shri. A.B. Vijayakumar — Member
iii. Shri Asheesh Pandey — Member
iv. Shri Parshant Kumar Goyal — Member
v. Shri S. Baljit Singh — Member

**5.13 भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की पुनरीक्षा और निगरानी हेतु समिति:**

इस समिति का गठन सदस्य के रूप में चार निदेशकों के साथ किया गया है। समिति भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करती है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.06.2022 | 15.09.2022 | 16.11.2022 | 07.02.2023 |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री ए. बी. विजयकुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री आशीष पाण्डेय | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री ललित कुमार चंदेल | 01.04.2022 से 15.12.2022 तक | 03 | 02 |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल | 15.12.2022 से 31.03.2023 तक | 01 | 01 |
| श्री एस. बलजीत सिंह | 01.04.2022 से 08.02.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री राकेश कुमार | 08.02.2023 से 31.03.2023 तक | 00 | 00 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

| | | |
|---|---|---|
| i. | श्री ए. बी. विजयकुमार | अध्यक्ष |
| ii. | श्री आशीष पाण्डेय | सदस्य |
| iii. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | सदस्य |
| iv. | श्री राकेश कुमार | सदस्य |

**5.14 इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति :**

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया है। समिति इरादतन चूक के मामलों की अवलोकन करती है और बैंक के इरादतन चूककर्ताओं की पहचान और घोषणा करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 04 बैठक हुई:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25.08.2022 | 16.11.2022 | 07.02.2023 | 28.03.2023 |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री ए. एस. राजीव | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 04 | 04 |
| श्री ललित कुमार चंदेल | 01.04.2022 से 15.12.2022 तक | 02 | 02 |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल | 15.12.2022 से 31.03.2023 तक | 02 | 02 |
| श्री शशांक श्रीवास्तव | 01.04.2022 से 08.02.2023 तक | 03 | 03 |
| श्री एस. बलजीत सिंह | 08.02.2023 से 31.03.2023 तक | 01 | 01 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

| | | |
|---|---|---|
| i. | श्री ए. एस. राजीव | अध्यक्ष |
| ii. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | सदस्य |
| iii. | श्री एस. बलजीत सिंह | सदस्य |

**5.13 Committee to monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India:**

The Committee is constituted with four Directors as its members. The Committee monitor and review the progress of financial inclusion schemes of the Government of India.

The Committee met 04 times during the year as under:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28.06.2022 | 15.09.2022 | 16.11.2022 | 07.02.2023 |

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri A.B. Vijayakumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |
| Shri Asheesh Pandey | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |
| Shri Lalit Kumar Chandel | 01.04.2022 to 15.12.2022 | 03 | 02 |
| Shri Parshant Kumar Goyal | 15.12.2022 to 31.03.2023 | 01 | 01 |
| Shri S. Baljit Singh | 01.04.2022 to 08.02.2023 | 04 | 04 |
| Shri Rakesh Kumar | 08.02.2023 to 31.03.2023 | 00 | 00 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

| | | |
|---|---|---|
| i. | Shri A.B. Vijayakumar | Chairman |
| ii. | Shri Asheesh Pandey | Member |
| iii. | Shri Parshant Kumar Goyal | Member |
| iv. | Shri Rakesh Kumar | Member |

**5.14 Committee for identification of Wilful defaulters:**

This Committee is constituted as per RBI guidelines with three Directors as its members. The Committee looks after the wilful default cases and identify and declare the wilful defaulters of the Bank.

The Committee met 04 times during the year as under:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25.08.2022 | 16.11.2022 | 07.02.2023 | 28.03.2023 |

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri A.S. Rajeev | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 04 | 04 |
| Shri Lalit Kumar Chandel | 01.04.2022 to 15.12.2022 | 02 | 02 |
| Shri Parshant Kumar Goyal | 15.12.2022 to 31.03.2023 | 02 | 02 |
| Shri Shashank Shriv-astava | 01.04.2022 to 08.02.2023 | 03 | 03 |
| Shri S. Baljit Singh | 08.02.2023 to 31.03.2023 | 01 | 01 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

| | | |
|---|---|---|
| i | Shri A.S. Rajeev | Chairman |
| ii | Shri Parshant Kumar Goyal | Member |
| iii | Shri S. Baljit Singh | Member |

### 5.15 कार्य-निष्पादन मूल्यांकन हेतु समिति :

वित्त मंत्रालय के दिनांक 30.08.2019 के सम्प्रेषण क्र.एफ.क्र. 9/5/2009-आईआर के अनुसार इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया। समिति बैंक के आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी कार्यपालक निदेशकगण, प्रबंध निदेशक और सीईओ और आंतरिक नियंत्रण कार्यों (जोखिम, अनुपालन और लेखा परीक्षा) के प्रभारी महाप्रबंधकों के कार्य-निष्पादन की मूल्यांकन प्रक्रिया करती है।

वर्ष के दौरान समिति की निम्नानुसार 02 (दो) बैठक हुई:

| | |
|---|---|
| 18.07.2022 | 16.01.2023 |

समिति की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

| निदेशक का नाम | अवधि | उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकें | बैठकों में उपस्थिति |
|---|---|---|---|
| श्री एस. बलजीत सिंह | 08.02.2023 से 31.03.2023 तक | 00 | 00 |
| श्री ललित कुमार चंदेल | 01.04.2022 से 15.12.2022 तक | 01 | 01 |
| श्री प्रशांत कुमार गोयल | 15.12.2022 से 31.03.2023 तक | 01 | 01 |
| श्री शशांक श्रीवास्तव | 01.04.2022 से 08.02.2023 तक | 02 | 02 |
| श्री राकेश कुमार | 01.04.2022 से 31.03.2023 तक | 02 | 02 |

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

| | | |
|---|---|---|
| i. | श्री एस. बलजीत सिंह | अध्यक्ष |
| ii. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | सदस्य |
| iii. | श्री राकेश कुमार | सदस्य |

### 5.16 अपीलीय और पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वरूप निदेशक मंडल समिति :

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया है। यह समिति भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांच की समीक्षा करती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इस समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

| | | |
|---|---|---|
| i. | श्री प्रशांत कुमार गोयल | अध्यक्ष |
| ii. | श्री शशांक श्रीवास्तव | सदस्य |
| iii. | श्री एस. बलजीत सिंह | सदस्य |

### 5.17 नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 02.08.2019 के मास्टर परिपत्र के दिशानिर्देशों के अनुसार इस समिति का गठन सदस्य के रूप में तीन निदेशकों के साथ किया गया है। यह समिति बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की ''उपयुक्त और उचित'' स्थिति के निर्धारण की समुचित प्रक्रिया करती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

31 मार्च, 2023 को समिति की संरचना निम्नानुसार रही:

| | | |
|---|---|---|
| i. | श्री शशांक श्रीवास्तव | अध्यक्ष |
| ii. | श्री राकेश कुमार | सदस्य |
| iii. | श्री एस. बलजीत सिंह | सदस्य |

### 5.15 Committee for Performance Evaluation:

This Committee has been constituted as per Ministry of Finance communication no. F. No. 9/5/2009-IR dated 30.08.2019 with three Directors as its members. The Committee undertakes the process of Performance Evaluation of Managing Director & CEO, Executive Directors in charge of Internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) and General Managers in charge of Internal Control Functions (Risk, Compliance and Audit) of the Bank.

The Committee met 02 times during the year as under:

| | |
|---|---|
| 18.07.2022 | 16.01.2023 |

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Committee meetings are as under:

| Name of the Director | Period | Meetings held during their tenure | Meetings Attended |
|---|---|---|---|
| Shri S. Baljit Singh | 08.02.2023 to 31.03.2023 | 00 | 00 |
| Shri Lalit Kumar Chandel | 01.04.2022 to 15.12.2022 | 01 | 01 |
| Shri Parshant Kumar Goyal | 15.12.2022 to 31.03.2023 | 01 | 01 |
| Shri Shashank Shrivastava | 01.04.2022 to 08.02.2023 | 02 | 02 |
| Shri Rakesh Kumar | 01.04.2022 to 31.03.2023 | 02 | 02 |

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

| | | |
|---|---|---|
| i. | Shri S. Baljit Singh | Chairman |
| ii | Shri Parshant Kumar Goyal | Member |
| iii | Shri Rakesh Kumar | Member |

### 5.16 Committee of Board as Appellate and Reviewing Authority:

The Committee is constituted with three Directors as its members as per the guidelines of Government of India. This Committee deals with review of vigilance, non-vigilance disciplinary cases and departmental enquiries in line with Government of India guidelines.

No meeting of this Committee was required to be held during the financial year 2022-23.

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

| | | |
|---|---|---|
| i | Shri Parshant Kumar Goyal | Chairman |
| ii | Shri Shri Shashank Shrivastava | Member |
| iii | Shri S. Baljit Singh | Member |

### 5.17 Nomination & Remuneration Committee:

This Committee is constituted with three Directors as its members as per RBI Master Circular dated 02.08.2019. This Committee undertakes the process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as Directors under Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. No meeting of Committee was required to be held during the financial year 2022-23.

The composition of the Committee as on 31st March, 2023 is as under:

| | | |
|---|---|---|
| i | Shri Shashank Shrivastava | Chairman |
| ii | Shri Rakesh Kumar | Member |
| iii | Shri S. Baljit Singh | Member |

**6. अन्य समितियां :**

विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा और परिचालनगत मार्गदर्शन/ मंजूरियों हेतु कार्यपालकों की कुछ अन्य समितियां भी हैं, जैसे बोर्ड की निर्गम समिति, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), परिसर समिति, प्रणाली एवं क्रियाविधि समिति, निवेश समिति, ऋण समितियां तथा कार्यपालकों की लेखा परीक्षा समिति इत्यादि।

**7. निदेशकों का पारिश्रमिक :**

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के अधीन बैंक का अभिशासन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिटिंग फीस और वास्तविक यात्रा खर्च को छोड़कर बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों को किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं देता है।

भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों के अनुसार अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ एमडी एवं सीईओ और दो कार्यपालक निदेशकों (3 पूर्णकालिक निदेशकों) को वेतन के माध्यम से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है।

क) वर्ष 2022-23 के दौरान अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक/ एमडी एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को अदा किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है :

(रू. लाख में)

| क्र. | नाम | पदनाम | राशि (रु. में)* |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री ए. एस. राजीव | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 47.81 |
| 2 | श्री ए. बी. विजयकुमार | कार्यपालक निदेशक | 36.60 |
| 3 | श्री आशीष पाण्डेय | कार्यपालक निदेशक | 32.42 |

*** पीएलआई राशि सहित**

ख) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशकों ने परफार्मेंस लिंक्ड इनसेन्टिव भी प्राप्त किया।

(रू. लाख में)

| क्र. | नाम | पदनाम | राशि (रु. में) |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री ए. एस. राजीव | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ | 10.72 |
| 2 | श्री ए. बी. विजयकुमार | कार्यपालक निदेशक | 4.81 |
| 3 | श्री आशीष पाण्डेय | कार्यपालक निदेशक | 1.00 |

ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक के कर्मचारियों और बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को स्टॉक विकल्प का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया।

घ) सिटिंग शुल्क: भारत सरकार के दिनांक 18 जनवरी, 2019 के संप्रेषण के अनुसार निदेशक मंडल और इसकी उप-समितियों की बैठकों में सहभाग हेतु सिटिंग शुल्क को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

1. निदेशक मंडल (बोर्ड) बैठक : रू. 40,000/- प्रति बैठक
2. समिति बैठक : रू. 20,000/- प्रति बैठक
3. निदेशक मंडल (बोर्ड) की बैठक की अध्यक्षता: (क) के अतिरिक्त रू. 10,000/- प्रति बैठक
4. समिति की बैठक की अध्यक्षता : (ख) के अतिरिक्त रू.5,000/- प्रति बैठक

**6. Other Committees:**

There are also other Committees of executives viz., Issue Committee of the Board, Asset Liability Management Committee (ALCO), Premises Committee, System & Procedure Committee, Investment Committee, Credit Committees and Audit Committee of Executives for reviewing functioning in various specific areas and giving operational directions/ sanctions.

**7. Remuneration of Directors:**

The Bank is governed by the Banking Regulations Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The Bank does not pay any remuneration to the Non-Executive Directors apart from sitting fees as fixed by the Government of India and travel expenses, on actual basis.

The Chairman and Managing Director/ MD & CEO and two Executive Directors (3 Whole Time Directors) are being paid remuneration by way of salary /incentive as per rules framed by the Govt. of India.

A) The details of salaries paid to MD & CEO and Executive Directors during the year 2022-23 are as under:

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Name | Designation | Amount (in Rs.)* |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri A.S. Rajeev | Managing Director & CEO | 47.81 |
| 2 | Shri A.B. Vijayakumar | Executive Director | 36.60 |
| 3 | Shri Asheesh Pandey | Executive Director | 32.42 |

*inclusive of PLI amount

B) Performance linked Incentive was also received by the Directors during the Financial Year 2022-23:

(₹ in Lakhs)

| Sr. No. | Name | Designation | Amount (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri A.S. Rajeev | Managing Director & CEO | 10.72 |
| 2 | Shri A.B. Vijayakumar | Executive Director | 4.81 |
| 3 | Shri Asheesh Pandey | Executive Director | 1.00 |

C) No stock option was offered to Bank's Employees and Whole Time Directors of Bank during the FY 2022-23.

D) Sitting fees: Government of India vide its communication dated 18th January, 2019 has revised sitting fees for attending meetings of Board and its sub-committees as under:

a. Board meeting: Rs. 40,000/- per meeting
b. Committee meeting: Rs. 20,000/- per meeting
c. Chairing Board meeting: Rs. 10,000/- per meeting in addition to (a).
d. Chairing Committee meeting: Rs, 5,000/- per meeting in addition to (b).

वर्ष 2022-23 के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त कुल सिटिंग फीस का विवरण निम्नानुसार है: (पूर्णकालिक निदेशकों, भारत सरकार के प्रतिनिधि निदेशक और भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक निदेशकों को कोई सिटिंग शुल्क देय नहीं है)।

| क्र. | निदेशक का नाम | प्रदत्त राशि (रु.) |
|---|---|---|
| 01 | श्री एम. के. वर्मा | 15,00,000.00 |
| 02 | श्री राकेश कुमार | 15,00,000.00 |
| 03 | श्री शशांक श्रीवास्तव | 15,00,000.00 |
| 04 | श्री एस. बलजीत सिंह | 14,70,000.00 |
| | **कुल** | **59,70,000.00** |

इसके अतिरिक्त मानव संसाधन पर निदेशक मंडल की स्टीयरिंग समिति की दिनांक 27.06.2022, 17.11.2022 और 28.03.2023 की बैठकों में सहभागिता हेतु बाह्य विशेषज्ञ श्रीमती एस. ए. पानसे और श्रीमती गीतिका कपूर को क्रमशः रु.40,000/- और रु.60,000/- सिटिंग शुल्क का भुगतान किया गया।

**8. सर्वसाधारण बैठकें:**

**8.1** पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित बैंक के शेयरधारकों की सर्वसाधारण बैठकों के विवरण निम्नानुसार हैं:

| ब्यौरा | दिनांक व समय | स्थान | पारित संकल्प |
|---|---|---|---|
| सत्रहवीं वार्षिक साधारण बैठक | 11 अगस्त, 2020 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ओएवीएम के माध्यम से | पुणे स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय | i) वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना।<br>ii) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर बैंक के प्रत्येक रू.10/- के ईक्विटी शेयर जारी करना (विशेष संकल्प)<br>iii) एफपीओ/ राईट इश्यू / क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प)<br>iv) 31.03.2020 तक बैंक के संचयी घाटे का समंजन करना (विशेष संकल्प)। |
| अट्ठारहवीं वार्षिक साधारण बैठक | 24 जून, 2021 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ओएवीएम के माध्यम से | पुणे स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय | i) वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना।<br>ii) एफपीओ/ राईट इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प) |
| उन्नीसवीं वार्षिक साधारण बैठक | 28 जून, 2022 को प्रातः 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ ओएवीएम के माध्यम से | पुणे स्थित बैंक का प्रधान कार्यालय | i) वर्ष 2021-22 के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों को अपनाना।<br>ii) बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश की घोषणा (साधारण संकल्प)<br>iii) एफपीओ/ राईट इश्यू/ क्यूआईपी/ अधिमानी इश्यू आदि द्वारा पूंजी उगाहना (विशेष संकल्प) |

The total Sitting Fees paid to the Non-Executive Directors during the year 2022-23 is as under: (No sitting fee is payable to Whole Time Directors and Director representing Government of India).

| Sr. No. | Name of the Director | Amount Paid (₹) |
|---|---|---|
| 01 | Shri M.K. Verma | 15,00,000.00 |
| 02 | Shri Rakesh Kumar | 15,00,000.00 |
| 03 | Shri Shashank Shrivastava | 15,00,000.00 |
| 04 | Shri S. Baljit Singh | 14,70,000.00 |
| | **TOTAL** | **59,70,000.00** |

Besides this, sitting fees of Rs.40,000/- & Rs.60,000/- was paid to External experts i.e. Mrs.S.A. Panse and Mrs. Gitika Kapoor for attending the meeting of Steering Committee of the Board on HR held on 27.06.2022, 17.11.2022, 28.03.2023 respectively.

**8. General Body Meetings:**

**8.1** Details of General Body Meetings of shareholders held during the last three financial years are given below:

| Particulars | Date & Time | Venue/Deemed Venue | Resolutions passed |
|---|---|---|---|
| Seventeen Annual General Meeting | At 11.00 a.m. on 11th August, 2020 through VC / OAVM | Head office of Bank located at Pune | i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2019-20.<br>ii) Issue of Equity shares of Rs.10/- each of the Bank to Government of India on preferential basis (Special Resolution).<br>iii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution).<br>iv) Set off the accumulated losses of Bank as of 31.03.2020. (Special Resolution). |
| Eighteen Annual General Meeting | At 11.00 a.m. on 24th June, 2021 through VC / OAVM | Head office of Bank located at Pune | i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2020-21.<br>ii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). |
| Nineteenth Annual General Meeting | At 11.00 a.m. on 28th June, 2022 through VC / OAVM | Head office of Bank located at Pune | i) Adoption of Audited Annual accounts of Bank for the year 2021-22<br>ii) Declaration of dividend on the equity share capital of the bank (Ordinary Resolution)<br>iii) To raise capital through FPO/ Right issue/ QIP/ Preferential issue etc., (Special Resolution). |

**8.2** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि बैंक की साधारण बैठकों में भाग लेने के लिए भेजा जाता है।

**9. पोस्टल बैलेट :**

**9.1** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने पोस्टल बैलेट प्रक्रिया नहीं की।

**9.2 प्रस्तावित पोस्टल बैलट के ब्यौरे :**

आगामी वार्षिक साधारण बैठक में या उससे पूर्व पोस्टल बैलट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

**10. संप्रेषण के साधन:**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (एलओडीआर) विनियमावली 2015 की सांविधिक आवश्यकताओं के तहत, बैंक के तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है तथा कम से कम एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक तथा एक स्थानीय दैनिक में मराठी में प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त सांविधिक आवश्यकता के अतिरिक्त बैंक ने वित्तीय परिणाम हिन्दी दैनिक में भी प्रकाशित किए। वित्तीय परिणामों को बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी प्रदर्शित किया गया और शेयर बाजारों को प्रस्तुत किया गया। बैंक के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद बैंक, विश्लेषकों/ संस्थागत निवेशकों/संवाददाताओं के सम्मेलन, भी आयोजित करता है। बैंक की प्रेस विज्ञप्तियां और प्रस्तुतियाँ भी बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं।

वर्ष के दौरान बैंक के तिमाही/ अर्ध-वार्षिक/ वार्षिक परिणामों को निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया।

| को समाप्त अवधि | समाचार पत्र का नाम | | प्रकाशन का दिनांक |
|---|---|---|---|
| | अंग्रेजी संस्करण | मराठी संस्करण | |
| जून 2022 | फाइनांशियल एक्सप्रेस | लोकसत्ता | 19.07.2022 |
| सितंबर 2022 | फाइनांशियल एक्सप्रेस | लोकसत्ता | 19.10.2022 |
| दिसंबर 2022 | फाइनांशियल एक्सप्रेस | लोकसत्ता | 17.01.2023 |
| मार्च 2023 | फाइनांशियल एक्सप्रेस | लोकसत्ता | 25.04.2023 |

**निवेशकों के साथ संप्रेषण के चैनल :**

सभी आवधिक अनुपालन फाइलिंग जैसे कि शेयरधारिता पद्धति, कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, कार्पोरेट घोषणाएं, मीडिया विज्ञप्तियां इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक रूप से बीएसई कार्पोरेट कम्पलायन्स एंड लिस्टिंग सेंटर (द लिस्टिंग सेंटर) और एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) प्रसार हेतु दर्ज किए गए।

**11. सामान्य शेयरधारकों का ब्यौरा:**

**11.1 बीसवीं वार्षिक साधारण बैठक के विवरण:**

| वित्तीय वर्ष | 2022-2023 |
|---|---|
| 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखापरीक्षित खातों (एकल व समेकित) पर विचार करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक | 24 अप्रैल, 2023 |
| 20वीं वार्षिक साधारण बैठक का स्थान, दिनांक और समय | वीडियो कॉन्फरेंस या अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों से दिनांक 09 जून, 2023 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) |
| वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण | 16 से 18 मई, 2023 |

**11.2 लाभांश का भुगतान और रिकॉर्ड तिथि:**

बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रदत्त शेयर पूंजी पर रु. 1.30 प्रति शेयर (अर्थात 13%) के लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। कंपनी ने अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में 23 मई, 2023 तय की है। इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, का भुगतान 30 दिनों के

**8.2** The Ministry of Finance, Government of India nominates their authorized representative to attend the General Meetings of the Bank from time to time.

**9. Postal Ballot:**

**9.1** During the year under review, the Bank has not conducted postal ballot process.

**9.2 Details of Proposed Postal Ballots:**

No special resolution through Postal Ballot is proposed to be conducted on or before the ensuing Annual General Meeting.

**10. Means of Communication:**

The quarterly, half yearly and annual financial results of the Bank are duly approved by the Board and published in at least one national Daily in English and one local daily in Marathi as per the statutory requirements of SEBI (LODR) Regulations, 2015. In addition to the statutory requirement as above Bank has also published the results in Hindi Daily. The financial results are also displayed on the Bank's website www.bankofmaharashtra.in and submitted to the Stock Exchanges. Bank also organizes Press meets/ Analysts / Institutional Investor meets after announcing Bank's financial results. Press Releases and presentations made by the Bank are also displayed on the Bank's website.

During the year, quarterly /half yearly /annual results of the Bank were published in the following newspapers.

| Period Ended | Name of the Newspaper | | Date of publication |
|---|---|---|---|
| | English Edition | Marathi Edition | |
| June 2022 | Financial Express | Loksatta | 19.07.2022 |
| September 2022 | Financial Express | Loksatta | 19.10.2022 |
| December 2022 | Financial Express | Loksatta | 17.01.2023 |
| March 2023 | Financial Express | Loksatta | 25.04.2023 |

**Channels of Communication with the investors:**

All periodical compliances /filings like Shareholding pattern, Corporate Governance Report, Corporate announcements, media releases etc., are filed electronically on the BSE Corporate Compliance & Listing Centre (the 'Listing Centre') and NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) for dissemination.

**11. General Shareholder Information:**

**11.1 Particulars of the Twentieth Annual General Meeting:**

| Financial Year | 2022-23 |
|---|---|
| Board Meeting for considering Annual Audited Accounts (Standalone & Consolidated) for Financial year ended 31st March, 2023 | 24th April, 2023 |
| Date, Time and Venue of Twentieth AGM. | On 9th June, 2023 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conference or Other Audio Video Means |
| Posting of Annual Report | 16th to 18th May, 2023 |

**11.2 Payment of Dividend & Record date:**

The Board of Directors of the Bank has recommended payment of Dividend of Rs.1.30 per share (i.e.13%) on the paid-up share capital, for the financial year ended 31st March, 2023. The Bank has fixed 23rd May, 2023 as the record date for payment of dividend. The dividend on equity shares, if declared at the Annual General Meeting,

अंदर उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में रिकॉर्ड तिथि पर दिखाई देंगे।

**11.3 वित्तीय कैलेंडर 2023-24 (अनंतिम):**

| निम्न को समाप्त अवधि के लिए तिमाही वित्तीय परिणामों का अनुमोदन | अनंतिम समय |
|---|---|
| 30 जून 2023 | 14 अगस्त 2023 को या इससे पूर्व |
| 30 सितंबर 2023 | 14 नवंबर 2023 को या इससे पूर्व |
| 31 दिसंबर, 2023 | 14 फरवरी 2024 को या इससे पूर्व |
| 31 मार्च, 2024 (वार्षिक) | 18 मई 2024 को या इससे पूर्व |

**11.4 स्टॉक एक्सचेजों पर सूचीबद्ध शेयरों के ब्यौरे:**

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किए गए हैं:

| स्टॉक एक्सचेंज का नाम | स्क्रिप कोड |
|---|---|
| **बीएसई लिमिटेड (बीएसई):** पता : फिरोज जीजीभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- 400001 | 532525 |
| **नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (एनएसई)** पता : एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट क्र. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 | MAHABANK EQ |

| | |
|---|---|
| इंटरनैशनल सिक्युरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर (ISIN): | INE457A01014 |

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को किया गया है।

**11.5 बाजार मूल्य डाटा / बैंक के शेयरों का मूल्य निष्पादन:**

(बाजार मूल्य डाटा रुपए में तथा मात्रा शेयरों की संख्या में)

will be paid within 30 days to the Members whose names appear in the Bank's Register of Members on record date.

**11.3 Financial Calendar 2023-24 (Tentative):**

| Approval of Quarterly Results for period ending | Tentative Time |
|---|---|
| 30th June 2023 | On or Before 14th August 2023 |
| 30th September 2023 | On or Before 14th November 2023 |
| 31st December 2023 | On or Before 14th February 2024 |
| 31st March 2024 (Annual) | On or Before 18th May 2024 |

**11.4 Details of listing of shares on Stock Exchanges:**

The Bank's shares are listed on following Stock Exchanges:

| Name of Stock Exchange | Scrip code |
|---|---|
| **BSE Limited (BSE):** Address: Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 | 532525 |
| **National Stock Exchange of India Limited (NSE)** Address: Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 | MAHABANK EQ |

| | |
|---|---|
| International Security Identification Number (ISIN): | INE457A01014 |

The annual listing fees for the financial year 2022-23 has been paid to the Stock Exchanges.

**11.5 Market Price data / price performance of Bank's Shares:**

(Market Price data in Rupees and Volume in number of Shares):

| माह Month | बीएसई BSE | | | एनएसई NSE | | | सेंसेक्स SENSEX | निफ्टी NIFTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | उच्च High | न्यून Low | मात्रा Volume | उच्च High | न्यून Low | मात्रा Volume | समापन मूल्य Closing price | समापन मूल्य Closing price |
| अप्रैल, 2022 April, 2022 | 19.40 | 16.85 | 281499711 | 18.85 | 17.35 | 71170155 | 57,060.87 | 17102.55 |
| मई, 2022 May, 2022 | 18.00 | 15.00 | 193058263 | 17.70 | 15.50 | 55737511 | 55,566.41 | 17464.65 |
| जून, 2022 June, 2022 | 19.00 | 15.00 | 112667593 | 17.65 | 15.15 | 34065552 | 53,018.94 | 15,780.25 |
| जुलाई, 2022 July, 2022 | 17.65 | 15.45 | 118701167 | 17.50 | 15.60 | 53174756 | 57,570.25 | 17,158.25 |
| अगस्त,2022 August, 2022 | 18.50 | 16.80 | 137848186 | 18.05 | 16.98 | 57387627 | 59,537.07 | 17,759.30 |
| सितंबर, 2022 September, 2022 | 20.20 | 16.95 | 260303028 | 19.60 | 17.20 | 95358033 | 57,426.92 | 17,094.35 |
| अक्तूबर, 2022 October, 2022 | 21.50 | 17.45 | 327231684 | 21.00 | 17.55 | 143979723 | 60,746.59 | 18,012.20 |
| नवंबर, 2022 November, 2022 | 30.10 | 20.05 | 2014858782 | 28.80 | 20.20 | 709711125 | 63,099.65 | 18,758.35 |
| दिसंबर, 2022 December, 2022 | 36.25 | 25.35 | 4736770803 | 34.35 | 26.10 | 1793088170 | 60,840.74 | 18,105.30 |
| जनवरी, 2023 January, 2023 | 34.40 | 26.95 | 1740505488 | 33.05 | 27.75 | 769978008 | 59,549.90 | 17,662.15 |
| फरवरी, 2023 February, 2023 | 31.00 | 24.65 | 672675083 | 31.05 | 24.85 | 258358556 | 58,962.12 | 17,303.95 |
| मार्च, 2023 March, 2023 | 28.62 | 22.80 | 694371945 | 28.60 | 22.80 | 254442700 | 58,991.52 | 17,359.75 |

**11.5 प्रति शेयर डाटा :**

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| अंकित मूल्य (रु.) | 10/- | 10/- |
| प्रति शेयर आय (रु.) | 3.87 | 1.72 |
| लाभांश (%) | 13% | 5% |
| बही मूल्य (रु.) | 18.97 | 15.12 |
| निवल लाभ के % के रूप में लाभांश पे-आउट (लाभांश कर को छोड़कर) | 33.59% | 29.07% |

**11.5 Per Share Data:**

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Face Value (Rs.) | 10/- | 10/- |
| EPS (Rs.) | 3.87 | 1.72 |
| Dividend (%) | 13% | 5% |
| Book Value (Rs.) | 18.97 | 15.12 |
| Dividend Payout (excluding dividend tax) as % of net profit | 33.59% | 29.07% |

**11.6 बैंक द्वारा समय-समय पर विभिन्न बॉण्ड (टीयर I और टीयर II पूंजी) तथा इंफ्रा बॉण्ड जारी किए गए। 31.03.2023 को बकाया बॉण्ड्स और उनकी क्रेडिट रेटिंग के ब्यौरे निम्नानुसार हैं: The Bank has issued various bonds (Tier I and II) and Infra bonds from time to time. The details of outstanding Bonds along with their credit ratings as on 31.03.2023 are given as below:**

| क्र. सं. Sr. No. | सीरीज Series | प्रकार Type | आईएसआईएन सं ISIN No | आंबटन/ जारी करने का दिनांक Date of Allotment / Issue | अवधि (माह में) Tenure (Months) | राशि (रु. करोड़ में) Amount (Rs in Cr) | कूपन दर (प्रतिशत) Coupon Rate (in %) | रेटिंग Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III | I पर बेसल III (सीरीज -3) Basel III AT I (Series-3) | INE457A08134 | 26.12.2022 | सतत Perpetual | 880.00 | 8.74 | 'AA' (S) by Acuite 'AA' (S) by Infomerics |
| 2 | II | I पर बेसल III (सीरीज -2) Basel III AT I (Series-2) | INE457A08118 | 08.09.2022 | सतत Perpetual | 710.00 | 8.74 | 'AA' (S) by Acuite 'AA' (S) Infomerics |
| 3 | I | I पर बेसल III (सीरीज -1) Basel III AT I (Series-1) | INE457A08100 | 24.03.2022 | सतत Perpetual | 290.00 | 8.75 | 'AA' (S) by Acuite 'AA (S) Infomerics |
| 4 | V | बेसल III टीयर 2 (सीरीज -5) Basel III Tier II (Series-5) | INE457A08126 | 07.12.2022 | 120 | 348.00 | 8.00 | 'AA+' (S) by Acuite 'AA+' (S) by Infomerics |
| 5 | IV | बेसल III टीयर 2 (सीरीज -4) Basel III Tier II (Series-4) | INE457A08092 | 21.10.2021 | 120 | 1000.00 | 7.86 | 'AA' (S) by CARE 'AA' (S) by Brickwork |
| 6 | III | बेसल III टीयर 2 (सीरीज -3) Basel III Tier II (Series-3) | INE457A08084 | 23.03.2021 | 120 | 100.00 | 8.00 | 'AA+' (S) by Acuite 'AA' (S) by Brickwork |
| 7 | II | बेसल III टीयर 2 (सीरीज -2) Basel III Tier II (Series-2) | INE457A08076 | 11.02.2021 | 120 | 205.00 | 8.00 | 'AA+' (S) by Acuite 'AA (S)' by Brickwork |
| 8 | I | बेसल III टीयर 2 (सीरीज -1) Basel III Tier II (Series-1) | INE457A08068 | 14.12.2020 | 120 | 200.70 | 7.75 | 'AA+' (S) Acuite 'AA (S)' by Brickwork |
| 9 | I | बेसल III टीयर 2 (मार्च 20) Basel III Tier II (March.20) | INE457A08050 | 06.03.2020 | 120 | 600.00 | 8.70 | 'AA' (S) by CARE 'AA' (S) by ICRA |
| 10 | I | बेसल III टीयर 2 Basel III Tier II | INE457A08035 | 27.06.2016 | 123 | 500.00 | 9.20 | 'AA' (S) by CARE 'AA (S)' by ICRA |

**11.7 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों एवं शेयरधारकों को सहयोग :**

बैंक ने एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में नियुक्त किया है, जो शेयरों/बांडों के हस्तांतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोधों की रिकॉर्डिंग, निवेशकों की शिकायतों के समाधान के साथ-साथ अन्य गतिविधियों से जुड़े हैं। शेयर/बांड जारी करने के साथ। निवेशक अपने ट्रांसफर डीड/ अनुरोध/शिकायत आरटीए के पास निम्नलिखित पते पर दर्ज करा सकते हैं।

| **रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट :** | **निवेशक सेवाएं विभाग :** |
|---|---|
| एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,<br>(इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)<br>3बी3- तीसरी मंजिल, गुंडेचा ओनक्लेव,<br>खेरानी रोड, साकी नाका,<br>अंधेरी (पूर्व),<br>फोन: 022 - 28516021-22<br>वेबसाइट : www.mcsregistrars.com<br>ईमेल: helpdeskmum@mcsregistrars.com<br>mparase@mcsregistrars.com | बैंक ऑफ महाराष्ट्र<br>निवेशक सेवाएं विभाग<br>लोकमंगल, 1501,<br>शिवाजीनगर<br>पुणे - 411 005<br>फोन : 020 25511360<br>ईमेल : investor services@mahabank.co.in |

निजी तौर पर रखे गए बॉण्डों के लिए बैंक ने निम्नानुसार डिबेंचर ट्रस्टी को भी नियुक्त किया है:

| | |
|---|---|
| डिबेंचर ट्रस्टी का नाम | कैटेलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड (पहले जीडीए ट्रस्टीशिप लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) |
| पता | जीडीए हाउस, सर्वे नं 94/95, प्लॉट क्र. 85, भुसारी कॉलोनी (राइट) कोथरूड, पुणे 411038, महाराष्ट्र, भारत |
| फोन नंबर | 020-25280081 |
| फैक्स नंबर | 020-25280275 |
| ई-मेल | dt@gdatrustee.com |

**11.7 Share Transfer System and assistance to the Investors and Shareholders:**

The Bank has appointed MCS Share Transfer Agent Limited a SEBI Registered Category I intermediary as its Registrars and Share Transfer Agent (RTA) with a mandate to process transfer of shares / bonds, dividend / interest payments, recording of shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of shares / bonds. The investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the RTA at following address:

| **Registrar & Transfer Agent:** | **Investor Services Department:** |
|---|---|
| MCS Share Transfer Agent Limited,<br>(Unit: Bank of Maharashtra)<br>3B3 3rd Floor Gundecha Onclave<br>Kherani Road Sakinaka Andheri (E)<br>Tel : 022-28516021-22<br>Website : www.mcsregistrars.com<br>Email: helpdeskmum@mcsregistrars.com<br>mparase@mcsregistrars.com | Bank of Maharashtra,<br>Investor Services Department<br>Lokmangal, 1501, Shivajinagar<br>Pune 411 005<br>Tel: 020 25511360<br>Email: investor_services@mahabank.co.in |

For privately placed Bonds, the Bank has also appointed Debenture Trustee as follows:

| | |
|---|---|
| Name of the Debenture Trustee | Catalyst Trusteeship Limited (Formerly known as GDA Trusteeship Limited |
| Address | GDA House, S.N.o 94/95, Plot No 85, Bhusari Colony (Right) Kothrud, Pune - 411038, Maharashtra, India. |
| Tel | 020-25280081 |
| Fax Number | 020-25280275 |
| E-mail | dt@gdatrustee.com |

| डिबेंचर ट्रस्टी का नाम | एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लि. |
|---|---|
| पता | एक्सिस हाउस, तल मंजिल, वाडिया इंटरनैशनल सेंटर, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई - 400 025, महाराष्ट्र, भारत |
| फोन नंबर | 022- 62260054/ 50 |
| ई-मेल | debenturetrustee@axistrustee.com |

| डिबेंचर ट्रस्टी का नाम | एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड |
|---|---|
| पता | चतुर्थ मंजिल, मिस्त्री भवन, 122, दिनशॉ वच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई- 400020. |
| फोन नंबर | 022- 43025566 |
| ई-मेल | ardhendu.mukhopadhyay@ sbicaptrustee.com |

| डिबेंचर ट्रस्टी का नाम | आयडीबीआय ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड |
|---|---|
| पता | यूनिवर्सल इन्श्योरेंस बिल्डिंग, भूतल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 |
| फोन नंबर | 022 - 40807000 |
| ई-मेल | itsl@idbitrustee.com |

बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, पुणे में निवेशक सेवाएं विभाग की भी स्थापना की है। शेयरधारक अपने किसी अनुरोध/ शिकायत के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

**कंपनी सचिव**
**निवेशक सेवाएं विभाग**
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर
पुणे - 411 005
**फोन :** 020 25511360
**ईमेल :** investor_services@mahabank.co.in

उपर्युक्त ई-मेल आईडी सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधान 6(2)(डी) के अनुसरण में केवल निवेशकों की शिकायतों के लिए बनाई गई है।

### 11.8 शेयरधारिता का वितरण :

31.03.2023 को बैंक की शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

| शेयरों की संख्या | शेयरधारकों की संख्या | कुल का % | शेयरों की संख्या | कुल का % |
|---|---|---|---|---|
| 500 तक | 362868 | 82.1738 | 41863440 | 0.62 |
| 501-1000 | 34378 | 7.7851 | 29060170 | 0.43 |
| 1001-2000 | 18915 | 4.2834 | 29672323 | 0.44 |
| 2001-3000 | 7243 | 1.6402 | 18932005 | 0.28 |
| 3001-4000 | 3448 | 0.7808 | 12542667 | 0.19 |
| 4001-5000 | 4043 | 0.9156 | 19502044 | 0.29 |
| 5001-10000 | 5824 | 1.3189 | 45776435 | 0.68 |
| 10000*से अधिक | 4867 | 1.1022 | 6533147363 | 97.07 |
| **कुल** | **441586** | **100.0000** | **6730496447** | **100.00** |

| Name of the debenture Trustee | Axis Trustee Services Ltd |
|---|---|
| Address | Axis House, Ground Floor, Wadia International Centre, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India. |
| Tel | 022- 62260054/50 |
| E-mail | debenturetrustee@axistrustee.com |

| Name of the debenture Trustee | SBICAP Trustee Company Limited, |
|---|---|
| Address | 4th Floor. Mistry Bhavan, 122, Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai- 400020.. |
| Tel | 022- 43025566 |
| E-mail | ardhendu.mukhopadhyay@ sbicaptrustee.com |

| Name of the debenture Trustee | IDBI Trusteeship Services Limited., |
|---|---|
| Address | Universal Insurance Building, Ground Floor, Sir P.M. Road, Fort, Mumbai - 400001 |
| Tel | 022 - 40807000 |
| E-mail | itsl@idbitrustee.com |

The Bank has also established Investor Services Division at its Head Office, Pune. The Shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Department for any of their requests / complaints:

**Company Secretary**
**Investor Services Department**
Bank of Maharashtra,
Lokmangal, 1501, Shivajinagar
Pune 411 005
**Tel:** 020 25511360
**Email:** investor_services@mahabank.co.in

The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6(2)(d) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

### 11.8 Distribution of shareholding:

The distribution of shareholding of Bank as on 31.03.2023 is as under:

| No.of Shares | No.of Shareholders | % to Total | No of Shares | % to Total |
|---|---|---|---|---|
| Up to 500 | 362868 | 82.1738 | 41863440 | 0.62 |
| 501 - 1000 | 34378 | 7.7851 | 29060170 | 0.43 |
| 1001 - 2000 | 18915 | 4.2834 | 29672323 | 0.44 |
| 2001 - 3000 | 7243 | 1.6402 | 18932005 | 0.28 |
| 3001 - 4000 | 3448 | 0.7808 | 12542667 | 0.19 |
| 4001 - 5000 | 4043 | 0.9156 | 19502044 | 0.29 |
| 5001 - 10000 | 5824 | 1.3189 | 45776435 | 0.68 |
| Above 10000 | 4867 | 1.1022 | 6533147363 | 97.07 |
| **TOTAL** | **441586** | **100.0000** | **6730496447** | **100.00** |

### 11.9 शेयरधारिता का स्वरूप :

दिनांक 31.03.2023 तथा 31.03.2022 को बैंक के शेयरों का शेयरधारिता का स्वरूप निम्नानुसार रहा :

| शेयरधारक की श्रेणी | 31.03.2023 तक | | 31.03.2022 तक | |
|---|---|---|---|---|
| | धारित शेयरों की संख्या | कुल शेयर धारण का % | धारित शेयरों की संख्या | कुल शेयर धारण का % |
| भारत सरकार | 6122627927 | 90.97 | 6122627927 | 90.97 |
| भारतीय निवासी व्यक्ति | 340118693 | 5.05 | 313135901 | 4.65 |
| बीमा कंपनियां | 207428181 | 3.08 | 207823394 | 3.09 |
| बैंक/ वित्तीय संस्थान | 1424842 | 0.02 | 37599598 | 0.56 |
| घरेलू कंपनियां | 17100941 | 0.25 | 24789148 | 0.37 |
| अनिवासी भारतीय व्यक्ति | 8759295 | 0.13 | 9462280 | 0.14 |
| विदेशी संस्थागत निवेशक | 17580014 | 0.26 | 8843392 | 0.13 |
| म्युचुअल फंड/ यूटीआई | 15362099 | 0.23 | 5952272 | 0.09 |
| न्यास (ट्रस्ट) | 94455 | 0.00 | 262435 | 0.00 |
| विदेशी निगमित निकाय | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| **कुल** | **6730496447** | **100.00** | **6730496447** | **100.00** |

### 11.10 शेयरों का डीमैटरलाइजेशन और तरलता:

बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से डीमैट स्वरूप में ही क्रय-विक्रय होता है। बैंक के शेयरों के डीमैटरलाइजेशन के लिए बैंक ने दोनों डिपॉजिटरियों यथा नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरीज लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ समझौते किए हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों को आबंटित आईएसआईएन कोड INE457A01014 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार डिपाजिटरी को भुगतान कर दिया गया है।

31.03.2023 को शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

| श्रेणी | शेयरधारकों की संख्या | | शेयरों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| | शेयरधारकों की संख्या | प्रतिशत | शेयरों की संख्या | प्रतिशत |
| भौतिक रूप में | 42538 | 9.63 | 630142 | 0.10 |
| डीमैट: | | | | |
| 1. एनएसडीएल | 131537 | 29.79 | 398201882 | 5.92 |
| 2. सीडीएसएल* | 267511 | 60.58 | 6325990423 | 93.98 |
| **उप जोड़** | 399048 | 90.37 | 6724192305 | 99.90 |
| **कुल** | **441586** | **100.00** | **6730496447** | **100.00** |

(*भारत सरकार द्वारा धारित 6122627927 इक्विटी शेयरों सहित, जो कुल शेयरधारिता का 90.97% है)

### 11.11 नामांकन और पैन, केवायसी, बैंक विवरण प्रस्तुत करने के मानदंड:

सेबी के 3 नवंबर 2021 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/परि./2021/655 के अधिक्रमण में सेबी ने 16 मार्च 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआर एसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी-1/पी/परि/2023/37 के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अन्य शब्दों में, सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने संबंधित फोलियो नंबरों के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें।

### 11.9 Shareholding Pattern:

The shareholding pattern of the Bank as on 31.03.2023 and 31.03.2022 was as under:

| Category of shareholder | As on 31.03.2023 | | As on 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | No. of shares held | % to total holding | No. of shares held | % to total holding |
| Govt. of India | 6122627927 | 90.97 | 6122627927 | 90.97 |
| Resident Individuals | 340118693 | 5.05 | 313135901 | 4.65 |
| Insurance Companies | 207428181 | 3.08 | 207823394 | 3.09 |
| Banks/Financial Institutions | 1424842 | 0.02 | 37599598 | 0.56 |
| Domestic Companies | 17100941 | 0.25 | 24789148 | 0.37 |
| Non Resident Individuals | 8759295 | 0.13 | 9462280 | 0.14 |
| Foreign Institutional Investors | 17580014 | 0.26 | 8843392 | 0.13 |
| Mutual Fund/UTI | 15362099 | 0.23 | 5952272 | 0.09 |
| Trust | 94455 | 0.00 | 262435 | 0.00 |
| Overseas Corporate Bodies | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 |
| **Total** | **6730496447** | **100.00** | **6730496447** | **100.00** |

### 11.10 Dematerialisation of shares and Liquidity:

Shares of the Bank are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of the Bank's shares. The ISIN code allotted to the Bank's equity shares is INE457A01014. The Annual Custody fees for the financial year 2022-23 have been paid to the depositories as per SEBI guidelines.

Particulars of shares held by the shareholders of Bank as on 31.03.2023 are as under:

| Category | No. of shareholders | | No. of shares | |
|---|---|---|---|---|
| | Number of shareholders | Percentage | Number of shares | Percentage |
| Physical | 42538 | 9.63 | 630142 | 0.10 |
| Demat: | | | | |
| 1. NSDL | 131537 | 29.79 | 398201882 | 5.92 |
| 2. CDSL* | 267511 | 60.58 | 6325990423 | 93.98 |
| **Sub-total** | 399048 | 90.37 | 6724192305 | 99.90 |
| **Total** | **441586** | **100.00** | **6730496447** | **100.00** |

(* Including 6122627927 equity shares held by the Government of India which constitutes 90.97% of total shareholding )

### 11.11 Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide circular No. SEBI/ HO/ MIRSD/ MIRSD-PoD-1/ P/ CIR /2023/ 37 dated 16.03.2023 in supersession of SEBI circular no. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/ CIR/2021/655 dated 3rd November 2021 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. In other words, it shall be mandatory for all holders of physical securities in listed companies to furnish PAN, Nomination, Contact details, Bank A/c details and Specimen signature for their corresponding folio numbers.

उपरोक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वैध पैन, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण नीचे दिए गए प्रपत्रों में तुरंत आरटीए को प्रस्तुत करें:

| क्र.सं | प्रपत्र | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 1 | प्रपत्र आईएसआर-1 | पैन, केवाईसी विवरण रजिस्टर/नवीनीकृत करने के लिए |
| 2 | प्रपत्र आईएसआर -2 | बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए |
| 3 | प्रपत्र आईएसआर -3 | नामांकन से आप्ट-आउट के लिए घोषणा पत्र |
| 4 | प्रपत्र एसएच-13 | नामांकन प्रपत्र |
| 5 | प्रपत्र एसएच-14 | नामांकन का रद्दीकरण या परिवर्तन (यदि कोई हो) |

उपरोक्त सभी फॉर्म [फॉर्म आईएसआर -1, आईएसआर -2, आईएसआर -3, एसएच-13, एसएच -14] और उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर उपलब्ध हैं। फोलियो जिसमें उद्धृत विवरण/दस्तावेजों में से कोई एक (अर्थात पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन) हमारे पास 1 अक्तूबर 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, को सेबी के पूर्वोक्त परिपत्र के अनुसार फ्रीज कर दिया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द नीचे दिए गए पते पर बैंक के आरटीए को सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरे हुए निवेशक सेवा अनुरोध फॉर्म जमा करें:

**पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन के बिना फोलियो को फ्रीज करना।**

1 जिन फोलियो में उपर्युक्त पैरा में दिए गए दस्तावेज़/विवरण में से कोई भी 01 अक्टूबर, 2023 को या उसके बाद उपलब्ध नहीं है, उन्हें आरटीए द्वारा फ्रीज कर दिया जाएगा।

2 प्रतिभूति धारक जिनके फोलियो फ्रीज कर दिए गए हैं, निम्नलिखित अनुसार पात्र होंगे

- उपरोक्त पैरा में उल्लिखित पूर्ण दस्तावेज/विवरण प्रस्तुत करने के बाद ही आरटीए से शिकायत दर्ज करने या किसी सेवा अनुरोध का लाभ उठाने के लिए।
- ऐसे फ्रीज हुए फोलियो के संबंध में लाभांश, ब्याज या मोचन भुगतान सहित किसी भी भुगतान के लिए, 01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से बैंक द्वारा प्रतिभूति धारक को एक सूचना भेजी जाएगी कि ऐसा भुगतान देय है और इस परिपत्र के पैरा 4 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुपालन पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया जाएगा।
- फ्रीज हुए फोलियो को आरटीए/सूचीबद्ध कंपनी द्वारा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और/या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रशासन प्राधिकारी को संदर्भित किया जाएगा, यदि वे 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रीज रहते हैं।
- उपरोक्त पैरा के अनुसार सभी दस्तावेज/विवरण प्राप्त होने पर आरटीए फ्रीज हुए फोलियो को सामान्य स्थिति में कर देगा

**आरटीए का विवरण:**
**एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,**
**(यूनिट: बैंक ऑफ महाराष्ट्र)**
पता: 3बी3 तीसरी मंजिल गुंदेचा ऑनक्लेव,
खेरानी रोड, साकीनाका अंधेरी (ई), मुंबई - 400072
दूरभाष- 022 - फोन: 022-28516021-22
ईमेल: helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com
वेबसाइट: www.mcsregistrars.com

Pursuant to above SEBI circular, the shareholders are requested to furnish valid PAN, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

| Sr. No | Form | Purpose |
|---|---|---|
| 1 | Form ISR-1 | To register/update PAN, KYC details |
| 2 | Form ISR-2 | To Confirm Signature of securities holder by the Bank |
| 3 | Form ISR-3 | Declaration Form for opting-out of Nomination |
| 4 | Form SH-13 | Nomination Form |
| 5 | Form SH-14 | Cancellation or Variation of Nomination (if any) |

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website www.bankofmaharashtra.in. Folios wherein any one of the cited details / documents (i.e. PAN, KYC, Bank Details and Nomination) are not available with us, on or after 1st October 2023, shall be frozen as per the aforesaid SEBI circular.

In view of the above, we request the shareholders to submit the duly filled-in Investor Service Request forms along with the supporting documents to Bank's RTA.

**Freezing of Folios without PAN, KYC details and Nomination.**

1 The folios wherein any one of the cited document/details as in para above are not available on or after October 01, 2023, shall be frozen by the RTA.

2 The security holder(s) whose folio(s) have been frozen shall be eligible

- To lodge grievance or avail any service request from the RTA only after furnishing the complete documents / details as mentioned in para above.
- For any payment including dividend, interest or redemption payment in respect of such frozen folios, only through electronic mode with effect from April 01, 2024. An intimation shall be sent by the Bank to the security holder that such payment is due and shall be made electronically only upon complying with the requirements stated in para 4 of this Circular.
- Frozen folios shall be referred by the RTA / listed company to the administering authority under the Benami Transactions (Prohibitions) Act, 1988 and/ or Prevention of Money Laundering Act, 2002, if they continue to remain frozen as on December 31, 2025.
- The RTA shall revert the frozen folios to normal status upon receipt of all the Documents/details as in para above.

**Details of the RTA:**
**MCS Share Transfer Agent Limited,**
**(Unit: Bank of Maharashtra)**
Address: 3B3 3rd Floor Gundecha Onclave,
Kherani Road , Sakinaka Andheri (E) , Mumbai - 400072
Tel. 022 – Phone : 022-28516021-22
E-mail : helpdeskmum@mcsregistrars.com / mparase@mcsregistrars.com
Website : www.mcsregistrars.com

**इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों की होल्डिंग**

उन शेयरधारकों के संबंध में जो डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं और अपने पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन को अपडेट करना चाहते हैं, उनसे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

**11.12 शेयरों का डीमैटरलाइजेशन - प्रक्रिया:**

जिन शेयरधारकों ने अब भी अपने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं उन्हें सुझाव है कि अपने शेयरों को शीघ्र डीमैटरलाइजेशन कर लें और डीमैट फॉर्म में शेयरों में व्यवहार करने का लाभ उठाएं। शेयरधारकों की सुविधा के लिए शेयरों को डीमैटरलाइजेशन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

क) डीमैट खाता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के पास खोला जा सकता है।

ख) शेयरधारक अपने डीपी को डीमैटरलाइजेशन अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) मूल शेयर सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत करें।

ग) डीपी डीआरएफ को प्रोसेस करेंगे और डीमैटरलाइजेशन अनुरोध क्रमांक (डीआरएन) निर्मित करेंगे।

घ) डीपी डीआरएफ तथा मूल शेयर प्रमाणपत्र पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) को प्रस्तुत करेगा जो कि एमसीएस शेयर ट्रान्सफर एजेंट लिमिटेड है।

ङ) आरटीए डीआरएफ को प्रोसेस करेगा और डीपी/ डिपॉजिटरी के अनुरोध की पुष्टि करेगा अथवा निरस्त करेगा।

च) अनुरोध की पुष्टि होने पर शेयरधारक को डीपी के पास रखे अपने डीमैट खाते में शेयरों की समरूपी संख्या का जमा प्राप्त होगा।

तथापि, दिनांक 08 जून, 2018 की सेबी अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/24 के अनुसार आगे संशोधित तथा दिनांक 30 नवंबर, 2018 की अधिसूचना क्रमांक सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/49 द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण प्रभावी करने के लिए अनुरोध 01 अप्रैल, 2019 से प्रोसेस नहीं किए जाएंगे जब तक कि जमाकर्ताओं के पास प्रतिभूतियां डीमैटरलाइज्ड रूप में धारित न हों। अत: शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के इक्विटी शेयरों को तत्काल रूप से डीमैटरलाइजेशन करने हेतु कार्रवाई करें।

**11.13 शेयरों के डीमैटरलाइजेशन के लाभ**

क) शेयर प्रमाणपत्र के खोने और कटने-फटने का कोई खतरा नहीं,

ख) प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका,

ग) प्रतिभूतियों का तत्काल हस्तांतरण,

घ) प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिए कम कागजी कार्रवाई,

ङ) कम लेनदेन लागत,

**11.14 फोलियो का समेकन:**

वैसे निवेशक, सदस्य जिनके पास एक ही नाम के क्रम में एक से अधिक फोलियो हैं, उनसे अनुरोध है कि सेवाएं प्रदान के लागत और प्रयासों के दोहराव को कम करने के लिए बैंक को सक्षम बनाने हेतु अपनी धारिताओं को एक ही फोलियो के अंतर्गत समेकित करें। सदस्य समेकित किए जाने वाले फोलियो क्रमांकों के साथ ही मूल शेयर प्रमाणपत्रों की सूचना देते हुए पंजीयक और अंतरण एजेंटों को लिखें।

**11.15 शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान :**

सेबी द्वारा निर्धारित किए अनुसार, बैंक की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) तथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के पास कुल प्रविष्ट पूंजी के समाधान हेतु एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, सचिवीय (सेक्रेटेरियल) लेखा परीक्षा करता है। यह लेखा परीक्षा प्रत्येक तिमाही में की जाती है और उसकी रिपोर्ट उन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत की जाती है जहां बैंक के शेयर

**Holding of shares in Electronic Form**

In respect of shareholders who hold shares in the dematerialized form and wish to update their PAN, KYC, Bank Details and Nomination are requested to contact their respective Depository Participants.

**11.12 Dematerialization of Shares – Process:**

Shareholders who continue to hold shares in physical form are advised to dematerialize their shares at the earliest and avail the benefits of dealing in shares in demat form. For convenience of shareholders, the process of getting the shares dematerialized is given hereunder:

a) Demat account should be opened with a Depository Participant (DP).

b) Shareholders should submit the Dematerialization Request Form (DRF) along with share certificates in original, to their DP.

c) DP will process the DRF and will generate a Dematerialization Request Number (DRN).

d) DP will submit the DRF and original share certificates to the Registrar and Transfer Agents (RTA), which is MCS Share Transfer Agent Limited.

e) RTA will process the DRF and confirm or reject the request to DP/ depositories.

f) Upon confirmation of request, the shareholder will get credit of the equivalent number of shares in his demat account maintained with the DP.

However, as per SEBI Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 dated June 8, 2018 and further amendment vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/49 dated November 30, 2018, requests for effecting transfer of securities (except in case of transmission or transposition of securities) shall not be processed from April 1, 2019 unless the securities are held in the dematerialised form with the depositories. Therefore, Shareholders are requested to take action to dematerialize the Equity Shares of the Bank promptly.

**11.13 Benefits of Dematerialization of Shares:**

a) No threat of loss and wear and tear of share certificate,

b) Easy and convenient way to hold securities,

c) Immediate transfer of securities,

d) Reduced paperwork for transfer of securities,

e) Reduced transaction cost,

**11.14 Consolidation of Folios:**

In order to enable the Bank to reduce costs and duplicity of efforts for providing services to investors, members who have more than one folio in the same order of names, are requested to consolidate their holdings under one folio. Members may write to the Registrars & Transfer Agents indicating the folio numbers to be consolidated along with the original shares certificates to be consolidated.

**11.15 Reconciliation of Share Capital Audit Report:**

As stipulated by SEBI, a Practicing Company Secretary carries out Audit to reconcile the total admitted capital with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and the total issued and listed capital of Bank. This audit is carried out every quarter and the report thereon is submitted to the Stock Exchanges where the Bank's shares are listed. The audit confirms that the total Listed Capital and Paid-up Capital is in agreement with the

सूचीबद्ध हैं। यह लेखा परीक्षा पुष्टि करती हैं कि कुल सूचीबद्ध पूंजी और प्रदत्त पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या तथा डीमैटरलाइजेशन रूप (एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास धारित) में शेयरों की कुल संख्या के अनुरूप है।

**11.16 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (एनईसीएस) :**

नैशनल इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) लाभांश/ ब्याज इत्यादि के भुगतान करने की अनूठी प्रणाली है, जिसके अंतर्गत निवेशक को देय राशि सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को सीधे अपने खाते में लाभांश जमा कराने हेतु यह सुविधा लेने का विकल्प प्रदान करता है। तथापि, शेयरधारक का खाता केंद्रीयकृत/ कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

एनईसीएस अधिदेश फॉर्म एजीएम नोटिस के साथ संलग्न है, जिसे उन शेयरधारकों द्वारा पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जा सकता है, जिन्होंने शेयर भौतिक रूप में धारित किए हुए हैं। जिन शेयरधारकों ने अपने शेयर डीमैटरलाइजेशन रूप में धारित किए हुए हैं, वे अपने बैंक खातों के ब्यौरों का अद्यतन करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें।

**11.17 अदत्त लाभांश :**

ऐसे शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश वारंट का नकदीकरण न किया हो, वे वारंटों के पुनर्वैधीकरण तथा इसके भुगतान हेतु आवश्यक सहायता के लिए आरटीए/ बैंक से उक्त पते पर संपर्क कर सकते हैं।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 बी और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 (जो 16.10.2006 से प्रभावी हुआ) की शर्तों के अनुसार लाभांश की कोई भी राशि जो अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई है और इस प्रकार के अंतरण के दिनांक से सात वर्षों की अवधि के लिए बिना भुगतान/ बिना दावे के खाते में पड़ी है, तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी (1)/ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अधीन गठित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा।

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्व अदत्त/ दावा न की गई लाभांश की ऐसी सभी राशियों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित किया गया है।

अदत्त लाभांश राशि का दावा आईईपीएफ प्राधिकरण से निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ - 5 में आवेदन करके और इसकी विधिवत हस्ताक्षरित (बैंक के पास दर्ज नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) की भौतिक प्रति अपेक्षित दस्तावेजों के साथ बैंक के प्रधान कार्यालय, पुणे को भेजकर किया जा सकता है। दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा निर्धारित आईईपीएफ नियम और आवेदन पत्र आईईपीएफ-5 बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in और साथ ही एमसीए की वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

**12. अन्य विगोपन :**

**12.1** बैंक के सामान्य व्यवसाय को छोड़कर, बैंक अपने प्रवर्तकों/ निदेशकों, प्रबंधन, अपनी अनुषंगीय या रिश्तेदारों इत्यादि के साथ किसी ऐसे भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष संव्यवहारों में प्रविष्ट नहीं हुआ है, जो समग्र रूप से बैंक के हितों पर कोई सामान्यतः कोई संभावित विवाद उत्पन्न करे। संबंधित पक्ष संव्यवहारों पर बैंक की नीति बैंक की वेबसाइट https://bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध है। संबंधित पक्ष संव्यवहार इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में खातों पर टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

**12.2** पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने पूंजी बाजार संबंधी मामलों से संबंधित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

aggregate of the total number of shares in dematerialised form (held with NSDL and CDSL) and total number of shares in physical form.

**11.16 National Electronic Clearing Services (NECS):**

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of dividend/ interest etc. where the amount due to the investor can be directly credited to his/ her Bank account. The Bank offers this service to its shareholders with an option to avail the facility for the direct credit of the dividend in their bank account. However, the Bank account of the shareholders should be in Centralized/ Core Banking Solution (CBS) branch of the Bank.

The NECS mandate form is enclosed to the AGM Notice, which may be sent to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding their shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participants for updating their bank account details.

**11.17 Unpaid Dividends:**

The Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the financial year 2021-22 may contact the RTAs / Bank on the above address for revalidation of the warrants and necessary assistance for the payment thereof.

In terms of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006, (which has come into force from 16.10.2006), any amount of dividend which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid / unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) established under Section 125 of Companies Act, 2013.

In line with the above provisions, all such amounts of dividend remaining unpaid / unclaimed for the financial years till 2014-15 has been transferred to "Investor Education and Protection Fund".

The unclaimed dividend amount can be claimed from the IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF - 5 and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Bank) along with the requisite documents enumerated in Form IEPF - 5 to the Bank at the Head Office, Pune. The IEPF Rules and the application Form IEPF-5 as prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for claiming back the unclaimed dividend are available on the website of the Bank at www.bankofmaharashtra.in as well as the website of MCA at www.iepf.gov.in

**12 Other Disclosures:**

**12.1** Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant related party transactions with its Promoters / Directors, Management, their subsidiaries, or relatives, etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. The Bank's policy on Related Party transactions is available on Bank's website i.e. https://bankofmaharashtra.in/policies. The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts in compliance with RBI Guidelines in this regard.

**12.2** During the year under review, the Bank has complied with all requirements regarding capital market related matters

बैंक पर लगाया गया दंड जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के बिंदु क्र. 12 में प्रकट किया गया है, को छोड़कर सेबी, स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी कानून, दिशानिर्देशों और निर्देशों या पूंजी बाजार से संबंधित किसी अन्य मामले का अनुपालन न किए जाने के कोई दंड नहीं लगाया गया है।

**12.3** प्रबंधकीय परिचर्चा और विश्लेषण निदेशक मंडल की रिपोर्ट का एक भाग हैं।

**12.4 सीईओ तथा सीएफओ प्रमाणन :**

बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत अपेक्षानुसार 24 अप्रैल, 2023 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के आंतरिक नियंत्रणों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना प्रमाणन दिया है।

**12.5** बैंक द्वारा सार्वजनिक हित प्रकटीकरण एवं मुखबिर की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार के संकल्प पर आधारित व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी तैयार की गई है और वह बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध है। यह भी बताया गया है कि किसी भी कर्मचारी को समुचित प्राधिकारियों से संपर्क करने से मना नहीं किया गया है।

**12.6** बैंक ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध कराया गया है।

**12.7** अपने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बैंक ने आचार संहिता को अपनाया है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध कराया गया है।.

**12.8** बैंक ने मटेरियल सब्सिडियरी नीति तैयार की है और इसे बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in/policies पर उपलब्ध कराया गया है, तथापि वर्तमान में बैंक की कोई मटेरियल सब्सिडियरी नहीं है।

**12.9** बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई भी परिवर्तनीय तंत्र, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव: लागू नहीं

**12.10** कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ:

अनुसूची क्र. 18 - खातों पर टिप्पणियां में प्रकटीकरण उपलब्ध कराया गया है।

**12.11 विनियमन 32 (7 ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार पात्र संस्थानों की नियुक्ति या अधिमानी आवंटन के माध्यम से उगाही गई निधियों के उपयोग का विवरण**

बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता और अपने व्यवसाय वृद्धि निधि में सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान उगाही गई निधियों का उपयोग किया गया है।

**12.12** सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र, वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग निर्मित करता है।

**12.13 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा:**

लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के सचिवीय लेखा परीक्षा का संचालन करने के लिए मैसर्स डीवीडी एंड एसोसिएट्स(एफसीएस 6099 सीपी नं. 6515), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, पुणे के श्री सीएस देवेन्द्र वी देशपांडे को एक सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। फर्म द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में सेबी लिस्टिंग विनियम, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और बैंकिंग विनियम, 1949 के अनुपालन का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया। बैंक के सदस्यों को संबोधित सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशक मंडल की रिपोर्ट के एक अनुलग्नक के रूप में इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा निर्मित करती है।

and no penalties were imposed nor were any strictures passed against the Bank by SEBI, Stock Exchanges or any other statutory authorities for non-compliance of any law, guidelines and directives or any matter related to Capital Market during last three years except the penalty imposed by the Reserve Bank of India on Bank which is disclosed in point no.12 of Schedule 18 of the financial statements for FY 2022-23

**12.3** The Management Discussion and Analysis forms part of the Board of Directors' Report.

**12.4 CEO and CFO Certification:**

The Chief Executive Officer and the Chief Financial Officer of the Bank have given certification on financial reporting and internal controls of Bank for the financial year 2022-23 to the Board of Directors at its meeting held on 24th April, 2023 as required under regulation 17(8) of SEBI (LODR), Regulations, 2015.

**12.5** Bank had framed Whistle Blower Policy based on Government of India Resolution on Public Interest Disclosure & Protection of Informer (PIDPI) and same is available on Bank's website i.e. https://bankofmaharashtra.in/policies It is further stated that no employee has been denied access to the appropriate authorities.

**12.6** Bank had framed Dividend Distribution Policy and same is available on Bank's website i.e. https://bankofmaharashtra.in/policies.

**12.7** Bank had adopted Code of Conduct for its Directors and Senior Management and same is available on Bank's website i.e. https://bankofmaharashtra.in/policies.

**12.8** Bank had formulated Material Subsidiary Policy and same is available on Bank's website i.e. https://bankofmaharashtra.in/policies However, Bank does not have any material subsidiary at present.

**12.9** Outstanding Global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity: Not applicable

**12.10** Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:

Disclosure is provided in Schedule No. 18 - Notes to Accounts.

**12.11 Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A).**

Bank had utilized the funds raised during FY 2022-23 to improve the capital adequacy and fund its business growth.

**12.12** The Certificate issued by Practicing Company Secretary in respect of compliance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 forms part of the Annual Report.

**12.13 Secretarial Audit for Financial Year 2022-23:**

Shri CS Devendra V Deshpande of M/s DVD & Associates' (FCS 6099 CP No 6515) Practicing Company Secretaries, Pune, was appointed as the Secretarial Auditor to conduct Secretarial Audit of the Bank for the financial year ended March 31, 2023 as per the provisions of Listing Regulations. The firm has carried out an independent assessment of the compliance of Banking Regulations, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and SEBI Listing Regulations as a part of the audit. The Secretarial Audit Report addressed to the members of the Bank forms part of this Annual Report as an annexure to the Board's report.

**12.14** कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र का प्रचलन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ कारपोरेट कार्य मंत्रालय या इसप्रकार की किसी अन्य सांविधिक संस्था द्वारा बैंक के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त या पद पर बने रहने से वंचित या अयोग्य करार नहीं दिया गया है। यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

**12.15** वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई, जिसमें निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल की किसी समिति की किसी सिफारिश को नहीं माना हो ।

**12.16 सांविधिक लेखा परीक्षक जिस नेटवर्क फर्म/ नेटवर्क इकाई से संबंधित हैं, उसके सभी सांविधिक लेखा परीक्षकों और सभी इकाईयों को समेकित आधार पर सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियां द्वारा दी गई सेवाओं हेतु कुल शुल्क :**

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क से संबंधित ब्योरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 16 में दिए गए हैं।

**12.17 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासे:**

वर्ष के दौरान दायर और निपटाई गई शिकायतों की संख्या और 31 मार्च, 2023 को लंबित विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

**12.18 अनिवार्य और गैर- अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के ब्यौरे :**

बैंक ने लागू सीमा तक सूचीबद्ध विनियमों की विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (i) और विनियम 17 से 27 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया है।

बैंक वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, शेयरधारक निदेशक की नियुक्ति के अतिरिक्त बैंक के बोर्ड में निदेशकों की सभी श्रेणियों का नामांकन/ नियुक्ति भारतीय बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार द्वारा की जाती है।

कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 27 (1) के संदर्भ में नीचे निर्दिष्ट गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाया है।

| क्र. सं | गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| क. | **निदेशक मंडल**<br>सूचीबद्ध इकाई के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने के लिए एक गैर- कार्यपालक अध्यक्ष का हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति भी दी जा सकती है। | बैंक में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं होने के कारण बैंक के निदेशक मंडल की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा की जाती है। |
| ख. | **शेयरधारक के अधिकार**<br>पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय निष्पादन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारकों को प्रेषित की जा सकती है। | बैंक के तिमाही/ छमाही/ वार्षिक वित्तीय परिणाम एनएसई और बीएसई को प्रस्तुत किए जाते हैं एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाते हैं। इसलिए, शेयरधारकों को सूचना उन शेयरधारकों को भेजी जाती है, जिनकी ईमेल आईडी या तो बैंक और/या आरटीए के साथ पंजीकृत है। |

**12.14** A Certificate from Company Secretary in practice that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors by the Securities and Exchange Board of India /Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority has been obtained by the Bank. The said is Certificate annexed to this report.

**12.15** There was no such instance during FY 2022-23 wherein the Board has not accepted any recommendation of any committee of the Board.

**12.16 Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis to the Statutory Auditors and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part:**

Details relating to fees paid to the Statutory Auditors during the financial year 2022-23 are disclosed in Schedule 16 of the Standalone Financial Statements and Consolidated Financial Statements of Bank.

**12.17 Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:**

The details of number of complaints filed and disposed off during the year and pending as on 31st March, 2023 is given in the Directors' report.

**12.18 Details of compliance with mandatory and non - mandatory requirements:**

The Bank has duly complied with the requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub- regulation (2) of Regulation 46 of the Listing Regulations to the extent applicable.

Bank is a Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Finance, the nomination / appointment of all categories of Directors on the Board of Bank are done by the Government of India in accordance with provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 except the appointment of Shareholder Director.

The Bank has adopted the below specified non-mandatory requirements in terms of Regulation 27(1) of SEBI Listing Regulations:

| Sr. No. | Non-mandatory Requirements | Status of compliance |
|---|---|---|
| A. | **The Board**<br>A non-executive chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties. | The Board is chaired by MD & CEO as Bank is not having a non-executive chairperson. |
| B. | **Shareholder Rights**<br>A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders. | The Quarterly/ Half yearly / Annual Financial Results of Bank are submitted to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website. As such, information to Shareholders is sent to those shareholders whose email IDs are registered either with Bank and/ or RTA. |

| क्र. सं | गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| ग. | **ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित राय** सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखापरीक्षा राय के साथ वित्तीय विवरणों की ओर अग्रसर हो सकती है। | बैंक के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई पात्रता नहीं है। |
| घ. | **अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए अलग-अलग पद** सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है। | अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद विभक्त कर दिए गए हैं। बैंक के निदेशक मंडल में अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। |
| ड़. | **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं। | महाप्रबंधक (निरीक्षण व लेखा परीक्षा) सीधे निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा को रिपोर्ट करते हैं। |

**12.19 शेयरधारकों से संप्रेषण में हरित पहल :**

"हरित पहल" के अंतर्गत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अपने दिनांक 21.04.2011 के संप्रेषण क्र.17/95/2011 सीएल-वी/परि.क्र.17 तथा दिनांक 29.04.2011 के क्र. 18/95/2011 द्वारा शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से संप्रेषण भेजने की अनुमति दी है। इसका अनुसरण करते हुए, बैंक ने शेयरधारकों को पत्र/ मेल भेजते हुए अनुरोध किया कि वे अपने ई-मेल आईडी की बैंक को जानकारी दें/ अद्यतित करें, ताकि बैंक की ओर से शेयरधारकों को सूचना/ संप्रेषण/ दस्तावेज इलेक्ट्रानिक मोड से भेजे जा सकें। दिनांक 28 जून, 2022 को संपन्न बैंक के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना 3,07,349 शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक मोड से भेजी गई।

| Sr. No. | Non-mandatory Requirements | Status of compliance |
|---|---|---|
| C. | **Modified opinion(s) in audit report** The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion. | There is no qualification in the Auditors report of the Bank. |
| D. | **Separate posts of chairperson and chief executive officer** The listed entity may appoint separate persons to the post of chairperson and managing director or chief executive officer. | The post of Chairman and MD & CEO has been split. The Chairman on the Board of Bank will be appointed by Government of India. |
| E. | **Reporting of Internal auditor** The internal auditor may report directly to the audit committee. | General Manager (Inspection & Audit) directly reports to the Audit Committee of the Board. |

**12.19 Green Initiatives in communication to the Shareholders:**

The Ministry of Corporate Affairs, vide its communications No. 17/95/2011 CL-v/Cir No.17 dated 21.04.2011 and No. 18/95/2011, dated 29.04.2011 has allowed sending the communications to the shareholders by electronic mode, as matter of "Green Initiative". Falling in line with this, the Bank has sent letters/mails to the shareholders, requesting them to inform/ update their email Ids to enable the Bank to send the notices/ communications/ documents to the shareholders by electronic mode. The notices of the 19th Annual General Meeting of the Shareholders of the Bank held on 28th June, 2022 were sent to 3,07,349 shareholders by electronic mode.

## प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का प्रमाणपत्र / घोषणा

मैं घोषित करता हूं कि निदेशक मंडल ने सेबी (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित की गई है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि निदेशक मंडल के सभी सदस्य और बैंक के सभी वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आचार संहिता के पालन की पुष्टि की है।

**कृते बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

**दिनांक : 24 अप्रैल, 2023**
**स्थान : पुणे**

**(ए. एस. राजीव)**
**प्रबंध निदेशक एवं सीईओ**

## Certificate / Declaration of the Managing Director and CEO

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management Personnel of the Bank in compliance with SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements), Regulations, 2015. The Code of Conduct is available on the website of the Bank.

I further declare that all Board members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct during the year ended 31st March, 2023.

**For Bank of Maharashtra**

**Date: 24th April, 2023**
**Place: Pune**

**(A.S. Rajeev)**
**Managing Director and CEO**

## कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र

प्रति,
सदस्यगण,
**बैंक ऑफ महाराष्ट्र,**
लोकमंगल,
1501, शिवाजी नगर,
पुणे - 411005

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की लागू सीमा तक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र (एतदद्वारा बाद में **"बैंक"** के रूप में संदर्भित) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

**प्रबंधन की जिम्मेदारी**

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था।

**लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी**

हमारा परीक्षण कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारे मत की अभिव्यक्ति है।

**राय**

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का निम्नलिखित अभियुक्तियों सहित अनुपालन किया है :

क) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अपेक्षा के अनुसार बैंक के बोर्ड में कोई स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।

ख) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अपेक्षा के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के 50% से कम थी।

ग) वित्तीय वर्ष में नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई है जो कि सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 19 (3ए) की अपेक्षा के अनुसार वर्ष में एक बार होना आवश्यक है।

घ) सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 25 (10) के अनुसार बैंक ने अपने स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोई निदेशक और अधिकारी बीमा पॉलिसी नहीं ली है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

**कृते डीवीडी एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

**देवेंद्र वी. देशपांडे**
प्रोपराइटर
एफसीएस: 6099 CP No. 6515
पीआर क्र.: 1164/ 2021
यूडीआईएन: F006099E000177402

स्थान: पुणे
दिनांक: 24.04.2023

## AUDITORS' CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members,
**Bank of Maharashtra**
"Lokmangal"
1501, Shivaji Nagar,
Pune- 411005.

We have examined the Compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as the **"The Bank"**), for the Financial Year ended on March 31, 2023, as stipulated in Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

**Management's Responsibility**

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance.

**Auditor's Responsibility**

Our examination is limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Bank.

**Opinion**

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the following observations:

a) There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank as required by SEBI LODR Regulations, 2015.

b) Number of Independent Directors were less than 50% of its total strength of Board members as required by SEBI LODR Regulations, 2015.

c) There was no meeting of the nomination and remuneration committee during the Financial year which is required to be held once in a year as per Regulation 19 (3A) of SEBI LODR Regulations, 2015.

d) The bank has not taken any Directors and Officers insurance policy for their independent directors as required by Regulation 25 (10) of SEBI LODR Regulations, 2015.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

**For DVD& Associates**
Company Secretaries

**Devendra V Deshpande**
Proprietor
FCS No. 6099 CP No. 6515
PR NO: 1164/ 2021
UDIN: F006099E000177402

Place: Pune
Date: 24.04.2023

## सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र
## [विनियम 17(8)]

सेवा में,
निदेशक मंडल
बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
पुणे

हम प्रमाणित करते हैं कि

क. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(1) इन विवरणों में कोई गंभीर असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है.

(2) ये विवरण सम्मिलित रूप से बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं.

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो.

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण के परिचालन और उसके स्वरूप की विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं तथा उन्हें परिशोधित करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदमों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है.

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है :

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन.

(2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन और जिनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है; और

(3) हमें ज्ञात धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं और जिसमें बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण भूमिका वाले कर्मचारी या प्रबंधन, यदि कोई हो, की संलिप्तता के दृष्टांत.

वी. पी. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

ए. एस. राजीव
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

दिनांक : 24 अप्रैल 2023
स्थान : पुणे

## CEO/ CFO Certificate
## [Regulation 17(8)]

To,

The Board of Directors,
Bank of Maharashtra,
Pune

This is to certify that:

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2023 and that to the best of our knowledge and belief:

(1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.

(1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

(2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V. P. Srivastava
General Manager & CFO

A. S. Rajeev
Managing Director & CEO

Date: 24th April, 2023
Place: Pune

## निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाणपत्र

सेबी (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V परिच्छेद सी खंड 10(i) के अनुसरण में

प्रति,
सदस्यगण,
**बैंक ऑफ महाराष्ट्र,**
लोकमंगल,
1501, शिवाजी नगर,
पुणे - 411005

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता अनिवार्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V परिच्छेद सी खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (इसके बाद **'बैंक'** के रूप में संदर्भित) जिसका प्रधान कार्यालय लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411005 में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरणों, संबन्धित रजिस्टरों, रिकॉर्डों, फॉर्मों और विवरणियों की जांच की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा आवश्यक सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित, जहां भी लागू हो) और बैंक व इसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रदत्त जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मण्डल ने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए निदेशकों में से किसी को भी कंपनियों/ सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक के रूप में नियुक्त करने या निदेशक के रूप में बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

| क्र. | निदेशक का नाम | डीआईएन | नियुक्ति दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री ए. एस. राजीव | 07478424 | 02-12-2018 |
| 2 | श्री ए. बी. विजयकुमार | लागू नहीं | 10-03-2021 |
| 3 | श्री आशीष पाण्डेय | 09295107 | 31-12-2021 |
| 4 | श्री ललित कुमार चंदेल | 00182667 | 18-08-2021* |
| 5 | श्री मनोज कुमार वर्मा | लागू नहीं | 13-08-2019 |
| 6 | श्री राकेश कुमार | 08531595 | 30-06-2021 |
| 7 | श्री शशांक श्रीवास्तव | 07710385 | 21-12-2021 |
| 8 | श्री एस. बलजीत सिंह | 08797196 | 21-12-2021 |
| 9 | श्री प्रशांत कुमार गोयल | 08652921 | 15-12-2022 |

* 15-12-2022 से निदेशक के पद पर नहीं रहे

* बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं। अतः, बैंक के बोर्ड के निदेशकों के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए, डीआईएन का उल्लेख उन निदेशकों के लिए किया जाता है जिनके पास कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी डीआईएन है और उन निदेशकों के लिए जिनके पास डीआईएन नहीं है, यहाँ ऊपर 'लागू नहीं' उल्लेख किया गया है.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ पद पर बने रहने के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता का और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

**कृते डीवीडी एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

**देवेंद्र वी. देशपांडे**
प्रोपराइटर
एफसीएस: 6099 CP No. 6515
पीआर क्र.: 1164/ 2021
यूडीआईएन: F006099E000177402

स्थान: पुणे
दिनांक: 24.04.2023

## CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10) (i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members,
**Bank of Maharashtra**
"Lokmangal"
1501, Shivaji Nagar,
Pune- 411005.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Bank of Maharashtra (hereinafter referred to as **"the Bank"**) having Head Office at Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune 411005, produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in, wherever applicable) as considered necessary and explanations furnished to us by the Bank & its officers, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ending on March 31, 2023, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies/ listed entities by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority:

| Sr. No. | Name of Director | DIN | Appointment Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Shri A.S. Rajeev | 07478424 | 02-12-2018 |
| 2 | Shri A.B. Vijayakumar | Not Applicable | 10-03-2021 |
| 3 | Shri Asheesh Pandey | 09295107 | 31-12-2021 |
| 4 | Shri Lalit Kumar Chandel | 00182667 | 18-08-2021* |
| 5 | Shri Manoj Kumar Verma | Not Applicable | 13-08-2019 |
| 6 | Shri Rakesh Kumar | 08531595 | 30-06-2021 |
| 7 | Shri Shashank Shrivastava | 07710385 | 21-12-2021 |
| 8 | Shri S Baljit Singh | 08797196 | 21-12-2021 |
| 9 | Mr. Parshant Kumar Goyal | 08652921 | 15-12-2022 |

* Ceased to be a Director w. e. f. 15-12-2022

*The Bank is not a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956 / 2013 and accordingly the provisions of Companies Act, 2013 do not apply to the Bank. Thus, it is not mandatory for the Directors on the Board of the Bank to obtain DIN, therefore, DIN is mentioned for the Directors who possess DIN issued by the Ministry of Corporate Affairs and for the Directors who do not possess DIN, 'Not Applicable' is mentioned hereinabove.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these, based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

**For DVD& Associates**
Company Secretaries

**Devendra V Deshpande**
Proprietor
FCS No. 6099 CP No. 6515
PR NO: 1164/ 2021
UDIN: F006099E000177435

Place: Pune
Date: 24.04.2023

## 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

हम, डीवीडी एंड एसोसिएट्स ने निम्नलिखित का परीक्षण किया है:

(क) बैंक ऑफ महाराष्ट्र ("सूचीबद्ध इकाई") द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज और अभिलेख तथा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण । बैंक बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है।

(ख) सूचीबद्ध इकाई द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को प्रदत्त फाइलिंग/प्रस्तुतियां,

(ग) सूचीबद्धिकरण विनियमों (लिस्टिंग रेग्युलेशन्स) के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट अद्यतित की गई है ।

(घ) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष (**"समीक्षा अवधि"**) के लिए निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज /फाइलिंग, जो प्रासंगिक हो, जिस पर यह प्रमाणीकरण करने के लिए भरोसा किया गया है:

(I) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और उसके अंतर्गत जारी किए गए विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश;

(II) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("SCRA") और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा उसके अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश;

विनिर्दिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और इसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों, का परीक्षण किया गया है, जिसमें शामिल है: -

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग अनिवार्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अर्जन) विनियम, 2011;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 (**समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं**);

(ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अप्रत्यावर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धकरण) विनियम, 2021

(छ) कंपनी अधिनियम और यथा लागू ग्राहक के साथ व्यवहार संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंट के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

III. निक्षेपागार (डिपॉसिटरीज) अधिनियम, 1996 एवं उसके तहत गठित विनियम एवं उप-नियम : और उपर्युक्त जांच के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान:

(क) सूचीबद्ध इकाई ने, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, उपर्युक्त विनियमों के प्रावधानों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों का, कंपनी को यथा लागू अनुपालन किया है :-

| क्र. सं. | अनुपालन आवश्यकता (विनियम/ परिपत्र/ दिशानिर्देश विशिष्ट खंड सहित) | विनियम/ परिपत्र क्र. | विचलन | की गई कार्रवाई | कार्रवाई का प्रकार | उल्लंघन का ब्योरा | दंड की रकम | प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणियाँ / अवलोकन | प्रबंधन की प्रतिक्रिया | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | लागू नहीं | | लागू नहीं | | | | | लागू नहीं | | |

(क) सूचीबद्ध इकाई ने, पिछली रिपोर्टों में किए गए अवलोकनों के अनुपालन में निम्नलिखित कार्रवाइयां की हैं :-

| क्र. सं. | अनुपालन आवश्यकता (विनियम/ परिपत्र/ दिशानिर्देश विशिष्ट खंड सहित) | विनियम/ परिपत्र क्र. | विचलन | सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो | कार्रवाई का प्रकार | उल्लंघन का ब्योरा | दंड की रकम | प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणियाँ / अवलोकन | प्रबंधन की प्रतिक्रिया | अभ्युक्तियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | लागू नहीं | | लागू नहीं | लागू नहीं | | | | लागू नहीं | | |

स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों की आवश्यकतानुसार विभिन्न दस्तावेजों की जांच और प्राप्त जानकारी के आधार पर हम निम्नानुसार पुष्टि करते हैं:

| क्र. | ब्यौरे | अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं) | प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणियां/ अवलोकन |
|---|---|---|---|
| 1 | सचिवीय मानक:<br>सूचीबद्ध इकाई के अनुपालन भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी, लागू सचिवीय मानकों (एसएस) के अनुरूप हैं। | लागू नहीं | |
| 2 | नीतियों को अपनाना और समय पर अद्यतन करना:<br>• सेबी विनियमों के तहत सभी लागू नीतियों को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनाया जाता है<br>• सभी नीतियां सेबी विनियमों के अनुरूप हैं और सेबी द्वारा जारी विनियमों/ परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी समीक्षा की गई है और इन्हें समय पर अद्यतन किया गया है | हां | |
| 3 | वेबसाइट का रखरखाव और प्रकटीकरण:<br>• सूचीबद्ध इकाई की एक समुचित कार्यशील वेबसाइट है<br>• वेबसाइट पर एक अलग खंड के अंतर्गत दस्तावेजों/सूचना का सामयिक प्रसार<br>• वार्षिक निगमित (कॉर्पोरेट) अभिशासन रिपोर्टों में विनियम 27(2) के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए वेब-लिंक सटीक और विशिष्ट हैं, जो वेबसाइट के प्रासंगिक दस्तावेज(दस्तावेजों)/खंड पर ले जाते हैं | हां | |
| 4 | निदेशक की अयोग्यता:<br>कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत कंपनी का कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है | लागू नहीं | राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक अयोग्य नहीं हैं |
| 5 | सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों से संबंधित ब्यौरों की जांच करने के लिए:<br>(क) भौतिक सहायक कंपनियों की पहचान<br>(ख) भौतिक के साथ-साथ अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताएं | हां | |
| 6 | दस्तावेजों का संरक्षण:<br>सूचीबद्ध संस्था, सेबी विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए अनुसार, अभिलेखों का संरक्षण और रखरखाव कर रही है और सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के संरक्षण की नीति और अभिलेखीय नीति के अनुसार अभिलेखों का निपटान कर रही है। | हां | |
| 7 | कार्यनिष्पादन मूल्यांकन:<br>सूचीबद्ध इकाई ने, सेबी विनियमों में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में निदेशक मंडल, स्वतंत्र निदेशकों और समितियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है। | हां | |
| 8 | संबंधित पार्टी संव्यवहार:<br>(क) सूचीबद्ध इकाई ने सभी संबंधित पक्षों के संव्यवहार के लिए लेखापरीक्षा समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की है<br>(ख) यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, तो सूचीबद्ध इकाई इस बात की पुष्टि के साथ विस्तृत कारण प्रदान करेगी कि क्या लेखा परीक्षा समिति द्वारा, बाद में संव्यवहार अनुमोदित/परिशोधित/अस्वीकार किए गए थे। | हां<br>हां | |
| 9 | घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण:<br>सूचीबद्ध इकाई ने सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ विनियम 30 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई समय सीमा में सभी आवश्यक प्रकटीकरण उपलब्ध कराए हैं। | हां | |
| 10 | इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध:<br>सूचीबद्ध इकाई द्वारा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) व 3(6) का अनुपालन किया गया है। | हां | |

| क्र. | ब्यौरे | अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं) | प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की टिप्पणियां/ अवलोकन |
|---|---|---|---|
| 11 | <u>सेबी या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो:</u><br>सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा, सेबी विनियमों और उसके तहत जारी किए गए परिपत्रों/दिशानिर्देशों (जिसमें विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं, सहित) के अंतर्गत सूचीबद्ध इकाई/इसके प्रमोटरों/निदेशकों/सहायक कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई | हां | |
| 12 | <u>अतिरिक्त गैर-अनुपालन, यदि कोई हो:</u><br>सभी सेबी विनियम/परिपत्र/मार्गदर्शन नोट आदि के प्रति अतिरिक्त गैर-अनुपालन देखा गया।<br>1. क्या कंपनी ने 1 स्वतंत्र महिला निदेशक नियुक्त किया है<br>2. अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक होता है, और इसलिए ½ निदेशकों को स्वतंत्र होना चाहिए, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मामले में नहीं है<br>3. क्या वर्ष के दौरान एनआरसी समिति की बैठक आयोजित हुई ?<br>4. क्या सभी स्वतंत्र निदेशकों के लिए डी एंड डीओ पॉलिसी ली गई है या नहीं ? | नहीं<br>नहीं<br>नहीं<br>नहीं | सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार, बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है।<br>सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार, बैंक के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कुल संख्या के 50% से कम थी।<br>सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 19(3ए) के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति ("एनआरसी") की वर्ष में एक बैठक आयोजित की जानी अपेक्षित है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं हुई।<br>सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 (10) की अपेक्षानुसार, बैंक ने अपने स्वतंत्र निदेशकों हेतु कोई निदेशक और अधिकारी बीमा पॉलिसी नहीं ली है। |

हमारा आगे कथन है कि इस तरह का प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

**कृते डीवीडी एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

**देवेंद्र वी. देशपांडे**
एफसीएस क्र.: 6099 CP No. 6515
पीआर क्र.: 1164/ 2021
यूडीआईएन: F006099E000177391

स्थान: पुणे
दिनांक: 24.04.2023

## ANNUAL SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT OF BANK OF MAHARASHTRA FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023.

We, DVD & Associates, have examined:

(a) all the documents and records made available to us and explanation provided by Bank of Maharashtra ("the listed entity"). The Bank is listed at BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

(b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges.

(c) website of the listed entity is updated as per the provisions of Listing Regulations,

(d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification, for the year ended 31st March, 2023 ("**Review Period**") in respect of compliance with the provisions of:

I. the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued there under;

II. the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made there under and the Regulations, circulars, guidelines issued there under by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI");

The specific Regulations, whose provisions and the circulars/ guidelines issued there under, have been examined:

(a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

(b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations,2018;

(c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations,2011;

(d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **[Not applicable during the review period]:**

(e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

(f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;

(g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client as far as applicable;

(h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

III. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and By-laws framed thereunder; and based on the above examination, we hereby report that, during the Review Period:

(a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued there under which are applicable for the Company, except in respect of matters specified below: -

| Sr. No. | Compliance Requirement (Regulations/ circulars/ guidelines including specific clause) | Regulation/ Circular No. | Deviations | Action Taken by | Type of Action | Details of Violation | Fine Amount | Observations/ (Regulations/ Remarks of the Practicing Company Secretary | Management Response | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | | NA | | | | | NA | | |

(b) The listed entity has taken the following actions to comply with the observations made in previous reports:

| Sr. No. | Compliance Requirement (Regulations/ circulars/guidelines including specific clause) | Regulation/ Circular No. | Deviations | Actions taken by the listed entity, if any | Type of Action | Details of Violation | Fine Amount | Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary | Management Response | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | | NA | NA | | | | NA | | |

We further affirm on the basis of the information received and examination of various documents as required by the circulars issued by Stock Exchanges from time to time as follows:

| Sr. No. | Particulars | Compliance status (Yes/No/NA) | Observations/Remarks by PCS |
|---|---|---|---|
| 1 | Secretarial Standards:<br>The compliances of the listed entity are in accordance with the applicable Secretarial Standards (SS) issued by the Institute of<br>Company Secretaries India (ICSI) | Not applicable | |

| Sr. No. | Particulars | Compliance status (Yes/No/NA) | Observations/Remarks by PCS |
|---|---|---|---|
| 2 | Adoption and timely updation of the Policies:<br>• All applicable policies under SEBI Regulations are adopted with the approval of board of directors of the listed entities<br>• All the policies are in conformity with SEBI Regulations and has been reviewed & timely updated as per the regulations/circulars/ guidelines issued by SEBI | Yes | |
| 3 | Maintenance and disclosures on Website:<br>• The Listed entity is maintaining a functional website<br>• Timely dissemination of the documents/ information under a separate section on the website<br>• Web-links provided in annual corporate governance reports under Regulation 27(2) are accurate and specific which re-directs to the relevant document(s)/ section of the website | Yes | |
| 4 | Disqualification of Director:<br>None of the Director of the Company are disqualified under Section 164 of Companies Act, 2013 | Not Applicable | The Directors are not disqualified as per the provisions of Rule 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 |
| 5 | To examine details related to Subsidiaries of listed entities:<br>(a) Identification of material subsidiary companies<br>(b) Requirements with respect to disclosure of material as well as other subsidiaries | Yes | |
| 6 | Preservation of Documents:<br>The listed entity is preserving and maintaining records as prescribed under SEBI Regulations and disposal of records as per Policy of Preservation of Documents and Archival policy prescribed under SEBI LODR Regulations, 2015. | Yes | |
| 7 | Performance Evaluation:<br>The listed entity has conducted performance evaluation of the Board, Independent Directors and the Committees at the start of every financial year as prescribed in SEBI Regulations | Yes | |
| 8 | Related Party Transactions:<br>(a) The listed entity has obtained prior approval of Audit Committee for all Related party transactions<br>(b) In case no prior approval obtained, the listed entity shall provide detailed reasons along with confirmation whether the transactions were subsequently approved/ratified/rejected by the Audit committee | Yes<br>Yes | |
| 9 | Disclosure of events or information:<br>The listed entity has provided all the required disclosure(s) under Regulation 30 along with Schedule III of SEBI LODR Regulations, 2015 within the time limits prescribed thereunder. | Yes | |
| 10 | Prohibition of Insider Trading:<br>The listed entity is in compliance with Regulation 3(5) & 3(6) SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 | Yes | |
| 11 | Actions taken by SEBI or Stock Exchange(s), if any:<br>No Actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under SEBI Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder | Yes | |

| Sr. No. | Particulars | Compliance status (Yes/No/NA) | Observations/Remarks by PCS |
|---|---|---|---|
| 12 | Additional Non-compliances, if any:<br>Additional non-compliance observed for all SEBI regulation/circular/ guidance note etc.<br>1. Whether Company has appointed 1 Independent Woman Director<br>2. The chairman is Executive Director, and therefore ½ Directors should be Independent, which is not the case with BOM<br>3. Whether NRC Committee meeting was held during the year?<br>4. Whether D & DO policy taken for all Independent Directors or not? | <br><br>No<br>No<br>No<br>No | There is no Independent Woman Director on the Board of the Bank as required by SEBI LODR Regulations, 2015.<br>Number of Independent Directors were less than 50% of its total strength of Board members as required by SEBI LODR Regulations, 2015.<br>There was no meeting of the nomination and remuneration committee during the Financial year which is required to be held once in a year as per Regulation 19 (3A) of SEBI LODR Regulations, 2015.<br>The bank has not taken any Directors and Officers insurance policy for their independent directors as required by Regulation 25 (10) of SEBI LODR Regulations, 2015. |

We further state that such certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

**For DVD& Associates**
Company Secretaries

**Devendra V Deshpande**
Proprietor
FCS No. 6099 CP No. 6515
PR NO: 1164/ 2021
UDIN: F006099E000177391

Place: Pune
Date: 24.04.2023

# वित्तीय विवरण
# Financial Statements

## 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र
## BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023

(₹ हजार में)
( ₹ in thousands)

| | अनुसूची Schedule | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES** | | | |
| पूंजी Capital | 1 | **6730 ,49 ,64** | 6730 ,49 ,64 |
| आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus | 2 | **8879 ,76 ,80** | 7154 ,37 ,22 |
| जमाराशियां Deposits | 3 | **234082 ,68 ,37** | 202294 ,29 ,18 |
| उधारियां Borrowings | 4 | **10765 ,65 ,77** | 7746 ,74 ,19 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions | 5 | **7192 ,78 ,43** | 6685 ,46 ,28 |
| **कुल TOTAL** | | **267651 ,39 ,01** | **230611 ,36 ,51** |
| **आस्तियां ASSETS** | | | |
| नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | **18507 ,72 ,06** | 19721 ,92 ,62 |
| बैंकों में शेष , मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks , Money at call & short notice | 7 | **21 ,19 ,01** | 194 ,04 ,65 |
| निवेश Investments | 8 | **68866 ,95 ,10** | 68589 ,97 ,16 |
| अग्रिम Advances | 9 | **171220 ,67 ,12** | 131170 ,43 ,89 |
| स्थिर आस्तियां Fixed Assets | 10 | **2156 ,70 ,97** | 2241 ,65 ,51 |
| अन्य आस्तियां Other Assets | 11 | **6878 ,14 ,75** | 8693 ,32 ,68 |
| **कुल TOTAL** | | **267651 ,39 ,01** | **230611 ,36 ,51** |
| आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities | 12 | **24589 ,06 ,77** | 30613 ,56 ,04 |
| वसूली हेतु बिल Bills for Collection | | **6345 ,88 ,83** | 5819 ,51 ,14 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies | 17 | | |
| खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts | 18 | | |

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न भाग हैं।
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **एस. बलजीत सिंह**<br>निदेशक<br>**S. BALJIT SINGH**<br>Director | **शशांक श्रीवास्तव**<br>निदेशक<br>**SHASHANK SHRIVASTAVA**<br>Director | **राकेश कुमार**<br>निदेशक<br>**RAKESH KUMAR**<br>Director | **मनोज के. वर्मा**<br>निदेशक<br>**MANOJ K. VERMA**<br>Director | **प्रशांत कुमार गोयल**<br>निदेशक<br>**PARSHANT KUMAR GOYAL**<br>Director |

| | | |
|---|---|---|
| **आशीष पाण्डेय**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**ASHEESH PANDEY**<br>Executive Director | **ए. बी. विजयकुमार**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**A. B. VIJAYAKUMAR**<br>Executive Director | **ए. एस. राजीव**<br>प्रबंध निदेशक एवं सीईओ<br>**A.S. RAJEEV**<br>Managing Director & CEO |
| **केयुर तलाटी**<br>मुख्य प्रबंधक, वि. प्र. व लेखा<br>**KEYUR TALATI**<br>Chief Manager, FM&A | **मुदित अग्रवाल**<br>सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा<br>**MUDIT AGARWAL**<br>Asst. General Manager, FM&A | **वी. पी. श्रीवास्तव**<br>महाप्रबंधक व सीएफओ<br>**V. P. SRIVASTAVA**<br>General Manager & CFO |

स्थान : पुणे
दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

Place : Pune
Date : 24th April, 2023

# 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि खाता
# PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(₹ हजार में)
( ₹ in thousands)

| | अनुसूची Schedule | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|---|
| I. **आय INCOME** | | | |
| अर्जित ब्याज Interest earned | 13 | **15898 ,45 ,86** | 13019 ,21 ,99 |
| अन्य आय Other Income | 14 | **2280 ,27 ,07** | 2652 ,47 ,93 |
| **कुल TOTAL** | | **18178 ,72 ,93** | **15671 ,69 ,92** |
| II. **व्यय EXPENDITURE** | | | |
| व्यय किया गया ब्याज Interest expended | 15 | **8157 ,68 ,09** | 6974 ,82 ,31 |
| परिचालन व्यय Operating Expenses | 16 | **3921 ,83 ,56** | 3849 ,01 ,28 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies | | **3497 ,17 ,54** | 3696 ,32 ,71 |
| **कुल TOTAL** | | **15576 ,69 ,19** | **14520 ,16 ,30** |
| **लाभ / हानि PROFIT/LOSS** | | | |
| वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year | | **2602 ,03 ,74** | 1151 ,53 ,62 |
| जोड़े : आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward | | **472 ,49 ,33** | 52 ,15 ,96 |
| **कुल TOTAL** | | **3074 ,53 ,07** | **1203 ,69 ,58** |
| **विनियोग APPROPRIATIONS** | | | |
| सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve | | **650 ,50 ,94** | 287 ,88 ,40 |
| पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve | | **12 ,29 ,48** | 83 ,69 ,37 |
| राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve | | **-** | - |
| विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve | | **-** | - |
| निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve | | **-** | 23 ,10 ,00 |
| प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity) | | **874 ,96 ,46** | 336 ,52 ,48 |
| तुलनपत्र में आगे ले जाया गया शेष Balance carried over to Balance Sheet | | **1536 ,76 ,19** | 472 ,49 ,33 |
| **कुल TOTAL** | | **3074 ,53 ,07** | **1203 ,69 ,58** |
| प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाइल्यूटेड) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹) | | **3.87** | 1.72 |

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ व हानि खाते के अभिन्न भाग हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached.

**कृते मै. रोडी डबीर एंड कंपनी**
एफआरएन : 108846W
सनदी लेखाकार
**For M/s. Rodi Dabir & Co.**
FRN – 108846W
Chartered Accountants

**सीए सुधीर डबीर**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 039984
यूडीआईएन - 23039984BGZBUH5229
**CA Sudhir Dabir**
Partner
Membership No: 039984
UDIN - 23039984BGZBUH5229

**कृते मै. एस भंडारी एंड कंपनी एलएलपी**
एफआरएन : 000560C/C400334
सनदी लेखाकार
**M/s. S Bhandari & Co LLP**
FRN – 000560C/C400334
Chartered Accountants

**सीए पी. डी. बैद**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 072625
यूडीआईएन - 23072625BGXCSY8315
**CA P D Baid**
Partner
Membership No: 072625
UDIN - 23072625BGXCSY8315

**कृते मै. कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
एफआरएन : 105215W/W100057
सनदी लेखाकार
**For M/s. Kirtane & Pandit LLP**
FRN – 105215W/W100057
Chartered Accountants

**सीए संदीप वेलिंग**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 044576
यूडीआईएन - 23044576BGXPRJ1709
**CA Sandeep Welling**
Partner
Membership No: 044576
UDIN - 23044576BGXPRJ1709

**कृते मै. सुंदरम एंड श्रीनिवासन**
एफआरएन : 004207S
सनदी लेखाकार
**For M/s. Sundaram & Srinivasan**
FRN – 004207S
Chartered Accountants

**सीए पी मीनाक्षी सुंदरम**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 217914
यूडीआईएन - 23217914BGWPBV4256
**CA P Menakshi Sundaram**
Partner
Membership No: 217914
UDIN - 23217914BGWPBV4256

स्थान : पुणे
दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

Place : Pune
Date : 24th April, 2023

## अनुसूची -1 : पूंजी
## SCHEDULE- 1 :CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|
| **प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital** | | | | |
| प्रत्येक रु. 10/- के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,00,00,00,000) | | **10000,00,00** | | **10000,00,00** |
| 10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous year 10,00,00,00,000) of Rs. 10/- each | | | | |
| **जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed** | | | | |
| प्रत्येक रु. 10/- के 673,04,96,447 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 673,04,96,447) 673,04,96,447 Equity Shares (Previous Year 673,04,96,447) of Rs.10/- each | | | | |
| प्रारंभिक शेष Opening Balance | **6730 ,49 ,64** | | 6560 ,15 ,89 | |
| वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year | | **6730 ,49 ,64** | 170 ,33 ,75 | 6730 ,49 ,64 |
| **प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital** | | | | |
| क. केंद्र सरकार द्वारा धारित<br>a. Held by Central Government | **6122 ,62 ,79** | | 6122 ,62 ,79 | |
| प्रत्येक रु. 10/- के 612,26,27,927 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 612,26,27,927)<br>612,26,27,927 (Previous Year 612,26,27,927) Equity shares of Rs.10/- each | | | | |
| ख. जनता व अन्य द्वारा धारित<br>b. Held by the Public & Others | **607 ,86 ,85** | | 607 ,86 ,85 | |
| प्रत्येक रु. 10/- के 60,78,68,520 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 60,78,68,520)<br>60,78,68,520 (Previous Year 60,78,68,520) Equity Shares of Rs.10/- each | | | | |
| घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due | - | 6730 ,49 ,64 | - | 6730 ,49 ,64 |
| **कुल TOTAL** | | **6730 ,49 ,64** | | **6730 ,49 ,64** |

## अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
## SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | **सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE** | | | | |
| | i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **1775 ,08 ,50** | | 1487 ,20 ,10 | |
| | ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **650 ,50 ,94** | **2425 ,59 ,44** | 287 ,88 ,40 | 1775 ,08 ,50 |
| II. | **पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE** | | | | |
| | i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **685 ,26 ,45** | | 601 ,57 ,08 | |
| | ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **12 ,29 ,48** | | 83 ,69 ,37 | |
| | iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | - | **697 ,55 ,93** | - | 685 ,26 ,45 |
| III. | **शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM** | | | | |
| | i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **328 ,31 ,28** | | 94 ,95 ,04 | |
| | ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | - | | 233 ,36 ,24 | |
| | iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | - | **328 ,31 ,28** | - | 328 ,31 ,28 |
| IV. | **राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES** | | | | |
| | क) **राजस्व आरक्षिति** a) **REVENUE RESERVE** | | | | |
| | i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **1838 ,89 ,05** | | 1710 ,25 ,48 | |
| | ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **102 ,46 ,05** | | 128 ,63 ,57 | |
| | iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | - | **1941 ,35 ,10** | - | 1838 ,89 ,05 |
| | ख) **विशेष आरक्षितियां** b) **SPECIAL RESERVE** | | | | |
| | i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **51 ,26 ,04** | | 51 ,26 ,04 | |
| | ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | - | | - | |
| | iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | - | **51 ,26 ,04** | - | 51 ,26 ,04 |

| | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|
| ग) **पुनर्मूल्यन आरक्षितियां** c) **REVALUATION RESERVE** | | | | |
| i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **1576 ,96 ,57** | | 1172 ,62 ,32 | |
| ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **-** | | 1705 ,60 ,14 | |
| iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | **104 ,13 ,75** | **1472 ,82 ,82** | 1301 ,25 ,89 | 1576 ,96 ,57 |
| घ) **निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति खाता** d) **INVESTMENT FLUCTUATION RESERVE ACCOUNT** | | | | |
| i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **426 ,10 ,00** | | 403 ,00 ,00 | |
| ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **-** | | 23 ,10 ,00 | |
| iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | **-** | **426 ,10 ,00** | - | 426 ,10 ,00 |
| V. **लाभ व हानि खाते में शेष** **BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT** | | | | |
| i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **472 ,49 ,33** | | 52 ,15 ,96 | |
| ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **1064 ,26 ,86** | | 420 ,33 ,37 | |
| iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | **-** | **1536 ,76 ,19** | - | 472 ,49 ,33 |
| **कुल TOTAL** | | **8879 ,76 ,80** | | 7154 ,37 ,22 |

## अनुसूची - 3 : जमाराशियां
## SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|
| क A. I. **मांग जमाराशियां** **DEMAND DEPOSITS** | | | | |
| i) बैंकों से From Banks | **81 ,57 ,71** | | 107 ,03 ,26 | |
| ii) अन्यों से From others | **28219 ,17 ,32** | **28300 ,75 ,03** | 28071 ,50 ,97 | 28178 ,54 ,23 |
| II. **बचत बैंक जमाराशियां** **SAVINGS BANK DEPOSITS** | | **96660 ,19 ,76** | | 88856 ,62 ,14 |
| III. **मीयादी जमाराशियां** **TERM DEPOSITS** | | | | |
| i) बैंकों से From Banks | **933 ,76 ,23** | | 459 ,91 ,52 | |
| ii) अन्यों से From others | **108187 ,97 ,35** | **109121 ,73 ,58** | 84799 ,21 ,29 | 85259 ,12 ,81 |
| **कुल TOTAL (I, II व III)** | | **234082 ,68 ,37** | | 202294 ,29 ,18 |
| ख B. (i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches in India | | **234082 ,68 ,37** | | 202294 ,29 ,18 |
| (ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां Deposits of Branches outside India | | - | | - |
| **कुल TOTAL** | | **234082 ,68 ,37** | | 202294 ,29 ,18 |

## अनुसूची - 4 : उधारियां
## SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | **भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA** | | | | |
| | i) भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank Of India | **500 ,00 ,00** | | **500 ,00 ,00** | |
| | ii) अन्य बैंक Other Banks | **-** | | **-** | |
| | iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies | **5395 ,94 ,07** | | 3351 ,04 ,19 | |
| | iv) अन्य उधारियां Other Borrowings | | | | |
| | क) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) | **1880 ,00 ,00** | | 290 ,00 ,00 | |
| | ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds | **-** | | - | |
| | ग) गौण ऋण बांड c) Subordinated Debt Bonds | **2953 ,70 ,00** | | 3605 ,70 ,00 | |
| | घ) इंफ्रा बांड d) Infra Bonds | **-** | **10729 ,64 ,07** | - | 7746 ,74 ,19 |
| II. | भारत से बाहर उधारियां **BORROWINGS OUTSIDE INDIA** | | **36 ,01 ,70** | | - |
| | **कुल TOTAL (I व II)** | | **10765 ,65 ,77** | | 7746 ,74 ,19 |
| III. | उपर्युक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां **SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE** | | **4497 ,76 ,07** | | **3694 ,69 ,19** |

## अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
## SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | देय बिल Bills Payable | | **696 ,22 ,51** | | 809 ,96 ,29 |
| II. | अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net) | | **156 ,36 ,85** | | 749 ,26 ,05 |
| III. | उपचित ब्याज Interest Accrued | | **407 ,45 ,79** | | 272 ,87 ,88 |
| IV. | अन्य (प्रावधान सहित): Others (including provisions): | | | | |
| | i) मानक आस्तियों पर प्रावधान Provision against standard assets | **1541 ,27 ,88** | | 1635 ,62 ,85 | |
| | ii) अन्य देयताएं (प्रावधान सहित) Other liabilities (including provisions) | **4391 ,45 ,40** | **5932 ,73 ,28** | 3217 ,73 ,21 | 4853 ,36 ,06 |
| **कुल TOTAL** | | | **7192 ,78 ,43** | | 6685 ,46 ,28 |

## अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
## SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं) Cash in hand (including foreign currency notes) | | **1094 ,91 ,54** | | 1123 ,43 ,83 |
| II. | भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Balances with Reserve Bank of India | | | | |
| | i) चालू खातों में In Current Accounts | **10080 ,80 ,52** | | 9898 ,48 ,79 | |
| | ii) अन्य खातों में In other Accounts | **7332 ,00 ,00** | **17412 ,80 ,52** | 8700 ,00 ,00 | 18598 ,48 ,79 |
| **कुल TOTAL** (I व II) | | | **18507 ,72 ,06** | | 19721 ,92 ,62 |

## अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन
## SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | भारत में In India | | | | |
| | i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in | | | | |
| | (क) चालू खाते | | | | |
| | (a) Current Accounts | **6 ,00 ,45** | | 13 ,76 ,13 | |
| | (ख) अन्य जमा खाते | | | | |
| | (b) Other Deposit Accounts | **15 ,18 ,56** | **21 ,19 ,01** | 15 ,18 ,56 | 28 ,94 ,69 |
| | ii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice | | | | |
| | (क) बैंकों के पास | | | | |
| | (a) With Banks | - | | - | |
| | (ख) अन्य संस्थानों के पास | | | | |
| | (b) With Other Institutions | - | - | 139 ,05 ,27 | 139 ,05 ,27 |
| | **कुल TOTAL (i व ii)** | | **21 ,19 ,01** | | 167 ,99 ,96 |
| II. | भारत के बाहर Outside India | | | | |
| | बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in | | | | |
| | (क) चालू खाते | | | | |
| | (a) Current Accounts | - | | 26 ,04 ,69 | |
| | (ख) अन्य जमा खाते | | | - | |
| | (b) Other Deposit Accounts | - | | - | |
| | (ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन | | | | |
| | (c) Money at Call & Short Notice | - | - | - | 26 ,04 ,69 |
| **कुल TOTAL** | | | - | | 26 ,04 ,69 |
| **कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)** | | | **21 ,19 ,01** | | 194 ,04 ,65 |

## अनुसूची - 8 : निवेश
## SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| क I A.I | भारत में निवेश Investments in India in | | | | |
| | क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिलों व जीरो कूपन बांडों सहित) a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds) | | **64252 ,98 ,01** | | 63409 ,31 ,64 |
| | ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां b) Other approved securities | | | | |
| | ग) शेयर्स c) Shares | | **335 ,20 ,40** | | 274 ,40 ,56 |
| | घ) डिबेंचर्स और बांड d) Debentures and Bonds | | **3878 ,80 ,28** | | 4308 ,80 ,21 |
| | ड़) सहायक कंपनी और / या संयुक्त उद्यम e) Subsidiaries and/or Joint Ventures | | **109 ,56 ,92** | | 73,42,11 |
| | च) अन्य f) Others | | | | |
| | i) यूटीआई / म्युच्युअल फंडों / वीसीएफ के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds / VCF's etc. | **65 ,73 ,11** | | 235 ,21 ,94 | |
| | ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits | **224 ,66 ,38** | | 288 ,80 ,70 | |
| | iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers | **-** | | - | |
| | iv) पीटीसी PTCs | **-** | | - | |
| | v) अन्य Others | - | 290 ,39, 49 | - | 524 ,02 ,64 |
| | **कुल TOTAL** | | **68866 ,95 ,10** | | 68589 ,97 ,16 |
| II. | **भारत से बाहर निवेश** Investments outside India | | **-** | | - |
| | **कुल TOTAL** | | **-** | | - |
| | **कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)** | | **68866 ,95 ,10** | | 68589 ,97 ,16 |
| ख B. | क) भारत में सकल निवेश | | | | |
| | a) Gross Investments in India | **69215 ,26 ,30** | | 69092 ,68 ,45 | |
| | घटाएं : निवेश पर मूल्यह्रास Less: Depreciation on Investment | **260 ,06 ,73** | | 344 ,84 ,15 | |
| | घटाएं : निवेशों पर प्रावधान Less: Provisions on Investment | **88 ,24 ,47** | **68866 ,95 ,10** | 157 ,87 ,14 | 68589 ,97 ,16 |
| | **निवल निवेश** Net Investment | | **68866 ,95 ,10** | | 68589 ,97 ,16 |
| | ख) **भारत के बाहर सकल निवेश** b) Gross Investments outside India | **-** | **-** | | - |
| **कुल** | **TOTAL (क एवं ख) (a & b)** | | **68866 ,95 ,10** | | 68589 ,97 ,16 |

## अनुसूची - 9 : अग्रिम
## SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| क A. | i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल<br>Bills purchased and discounted | **903 ,20 ,06** | | 679 ,62 ,70 | |
| | ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण<br>Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand | **49434 ,02 ,06** | | 42528 ,16 ,13 | |
| | iii) मीयादी ऋण<br>Term Loans | **120883 ,45 ,00** | **171220 ,67 ,12** | 87962 ,65 ,06 | 131170 ,43 ,89 |
| | **कुल TOTAL** | | **171220 ,67 ,12** | | 131170 ,43 ,89 |
| ख B. | i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित)<br>Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts) | **139173 ,61 ,26** | | 109090 ,23 ,49 | |
| | ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित<br>Covered by Bank/Government Guarantees | **853 ,39 ,61** | | 866 ,87 ,40 | |
| | iii) अप्रत्याभूत Unsecured | **31193 ,66 ,25** | **171220 ,67 ,12** | 21213 ,33 ,00 | 131170 ,43 ,89 |
| | **कुल TOTAL** | | **171220 ,67 ,12** | | 131170 ,43 ,89 |
| ग C. | I. भारत में अग्रिम<br>Advances in India | | | | |
| | i) प्राथमिकता क्षेत्र<br>Priority Sector | **64251 ,20 ,74** | | 54204 ,22 ,28 | |
| | ii) सार्वजनिक क्षेत्र<br>Public Sector | **30556 ,87 ,64** | | 23366 ,24 ,69 | |
| | iii) बैंक<br>Banks | **729 ,76 ,39** | | ,8 ,93 | |
| | iv) अन्य<br>Others | **75682 ,82 ,35** | **171220 ,67 ,12** | 53599 ,87 ,99 | 131170 ,43 ,89 |
| | II. भारत से बाहर अग्रिम<br>Advances outside India | | - | | - |
| | **कुल TOTAL (ग C.I एवं ग C.II)** | | **171220 ,67 ,12** | | 131170 ,43 ,89 |

## अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
## SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | **परिसर Premises** | | | | |
| | 1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है)<br>At cost as on 31st March of the preceding Year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier Years) | **1928 ,67 ,42** | | 1704 ,12 ,63 | |
| | 2. वर्ष के दौरान वृद्धि<br>Addition during the Period | **10 ,75 ,09** | | 16 ,73 ,42 | |
| | 3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि<br>Addition on account of revaluation during the year | | | 207 ,81 ,37 | |
| | | **1939 ,42 ,51** | | 1928 ,67 ,42 | |
| | 4. अवधि के दौरान कमी<br>Deduction during the Period | **1 ,67 ,70** | | | |
| | | **1937 ,74 ,81** | | 1928 ,67 ,42 | |
| | 5 अद्यतन मूल्यह्रास<br>Depreciation to date | **314 ,49 ,11** | **1623 ,25 ,70** | 208 ,72 ,59 | 1719 ,94 ,83 |

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| II | प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in Progress | | **7 ,50 ,58** | | 205 ,22 ,63 |
| III | अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures) | | | | |
| | 1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year | **1636 ,77 ,79** | | 1528 ,44 ,77 | |
| | 2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Year | **368 ,11 ,09** | | 139 ,48 ,12 | |
| | | **2004 ,88 ,88** | | 1667 ,92 ,89 | |
| | 3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year | **396 ,81 ,21** | | 31 ,15 ,10 | |
| | | **1608 ,07 ,67** | | 1636 ,77 ,79 | |
| | 4 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date | **1082 ,12 ,98** | **525 ,94 ,69** | 1320 ,29 ,74 | 316 ,48 ,05 |
| **जोड़** | **TOTAL (I व II)** | | **2156 ,70 ,97** | | **2241 ,65 ,51** |

## अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
## SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|---|
| I. | अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net) | **-** | - |
| II. | उपचित ब्याज Interest accrued | **1283 ,95 ,55** | 1326 ,26 ,09 |
| III. | अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source | **1838 ,21 ,16** | 2019 ,96 ,60 |
| IV. | लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps | **3 ,29 ,91** | 3 ,22 ,66 |
| V. | दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims | **-** | - |
| VI. | अन्य Others * | **3752 ,68 ,13** | 5343 ,87 ,33 |
| | **कुल TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)** | **6878 ,14 ,75** | 8693 ,32 ,68 |

* नोट: निवल आस्थगित कर आस्ति सहित अन्य आस्तियां ₹ हजार में 1261,20,11 ( पिछले वर्ष निवल आस्थगित कर ₹ हजार में 2104,04,98)
* Note : Others assets include Net Deferred Tax asset of ₹ in thousands 1261,20,11 (Previous Year Net DTA ₹ in thousands 2104,04,98)

## अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
## SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts | | **1375 ,62 ,29** | | 1375 ,40 ,50 |
| II. | आंशिक चुकता निवेशों के लिए दायित्व Liability for partly paid investments | | **-** | | - |
| III. | बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण दायित्व* Liability on account of outstanding forward exchange contracts* | | **12076 ,49 ,65** | | 19718 ,99 ,45 |
| IV. | संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents | | | | |
| | (क) भारत में (a) In India | **8676,57,07** | | 7475 ,87 ,39 | |
| | (ख) भारत के बाहर (b) Outside India | **141,46,18** | **8818 ,03 ,25** | 146 ,43 ,93 | 7622 ,31 ,32 |
| V. | स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और बाध्यताएं Acceptances,endorsements and obligations | | **1474 ,35 ,53** | | 1287 ,12 ,25 |

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VI. | अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है<br>Other items for which Bank is contigently liable | | **844 ,56 ,05** | | 609 ,72 ,52 |
| | **कुल TOTAL** (I, II, III, IV, V व VI) | | **24589 ,06 ,77** | | 30613 ,56 ,04 |

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं
* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

## अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
## SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 के लिए समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 के लिए समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills | | **11485 ,81 ,53** | | 8231 ,55 ,72 |
| II. | निवेशों पर ब्याज Interest on Investments | **4481 ,76 ,49** | | 4520 ,08 ,65 | |
| | घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments | **214 ,84 ,70** | **4266 ,91 ,79** | 135 ,39 ,67 | 4384 ,68 ,98 |
| III. | भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds | | **52 ,43 ,07** | | 90 ,69 ,88 |
| IV. | अन्य Others | | **93 ,29 ,47** | | 312 ,27 ,41 |
| | **कुल TOTAL (I, II, III व IV)** | | **15898 ,45 ,86** | | 13019 ,21 ,99 |

## अनुसूची - 14 : अन्य आय
## SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 के लिए समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 के लिए समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | कमीशन विनिमय और ब्रोकरेज<br>Commission, exchange, and brokerage | | **1309 ,11 ,52** | | 1233 ,34 ,21 |
| II. | निवेशों के विक्रय पर लाभ<br>Profit on sale of investments | **130 ,15 ,81** | | 537 ,87 ,67 | |
| | घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि<br>Less : Loss on sale of Investments | **24 ,02 ,75** | **106 ,13 ,06** | 13 ,00 ,54 | 524 ,87 ,13 |
| III. | निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ<br>Profit on revaluation of Investments | **-** | | - | |
| | घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि<br>Less: Loss on revaluation of Investments | **208 ,71 ,10** | **-208 ,71 ,10** | 97 ,81 ,63 | -97 ,81 ,63 |
| IV. | भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ<br>Profit on sale of land, buildings and other assets | **3 ,69 ,04** | | 3 ,09 ,90 | |
| | घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि<br>Less : Loss on sale of land,buildings and other assets | **1 ,72 ,52** | **1 ,96 ,52** | 2 ,05 ,59 | 1 ,04 ,31 |
| V. | विनिमय संव्यवहारों पर लाभ<br>Profit on Exchange Transactions | **78 ,04 ,02** | | 129 ,05 ,30 | |
| | घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि<br>Less: Loss on Exchange Transactions | **-** | **78 ,04 ,02** | - | 129 ,05 ,30 |
| VI. | भारत / विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों और/या सहायक कंपनियों/इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय<br>Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India | | **2 ,62 ,27** | | 2 ,05 ,51 |
| VII. | विविध आय Miscellaneous Income* | | **991 ,10 ,78** | | 859 ,93 ,10 |
| | **कुल TOTAL (I, II, III, IV, V, VI व VII)** | | **2280 ,27 ,07** | | 2652 ,47 ,93 |

*विविध आय में शामिल है बट्टे खाते में वसूली ₹ हजार में 943,17,32 (642 ,12 ,70), पीएसएलसी कमीशन ₹ हजार में 4,51,50 (188 ,40 ,00)
*Misc. Income includes Recovery in W/Off ₹ In thousands 943,17,32 (642 ,12 ,70), PSLC Commission of ₹ in thousands 4,51,50 (188 ,40 ,00)

## अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
## SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 के लिए समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 के लिए समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|---|
| I. | जमाराशियों पर ब्याज<br>Interest on deposits | **7186 ,44 ,38** | 6458 ,16 ,61 |
| II. | भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज<br>Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings | **59 ,77 ,27** | 30 ,91 ,39 |
| III. | अन्य<br>Others | **911 ,46 ,44** | 485 ,74 ,31 |
| **कुल** | **TOTAL** (I, II, III) | **8157 ,68 ,09** | 6974 ,82 ,31 |

## अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
## SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 के लिए समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 के लिए समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|---|
| I. | कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान<br>Payments to and provisions for employees | **2058 ,27 ,89** | 2070 ,58 ,93 |
| II. | किराया, कर और बिजली<br>Rent,taxes and lighting | **248 ,22 ,82** | 228 ,08 ,53 |
| III. | मुद्रण और लेखन सामग्री<br>Printing and stationery | **26 ,06 ,38** | 22 ,28 ,73 |
| IV. | विज्ञापन और प्रचार<br>Advertisement and publicity | **33 ,39 ,66** | 29 ,84 ,02 |
| V. | बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास<br>Depreciation on Bank's property | **262 ,47 ,67** | 268 ,34 ,08 |
| VI. | निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय<br>Directors' fees, allowances and expenses | **1 ,36 ,18** | 52 ,02 |
| VII. | लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय<br>Auditors' fees and expenses | **15 ,75 ,35** | 17 ,19 ,83 |
| VIII. | विधि प्रभार<br>Law Charges | **59 ,11 ,82** | 39 ,38 ,71 |
| IX. | डाक, तार और टेलीफोन आदि<br>Postage, Telegrams, Telephones, etc. | **53 ,88 ,03** | 42 ,97 ,49 |
| X. | मरम्मत और अनुरक्षण<br>Repairs and maintenance | **215 ,98 ,58** | 192 ,82 ,82 |
| XI. | बीमा<br>Insurance | **235 ,51 ,24** | 224 ,34 ,53 |
| XII. | अन्य व्यय<br>Other expenditure | **711 ,77 ,94** | 712 ,61 ,59 |
| **कुल** | **TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI व XII)** | **3921 ,83 ,56** | 3849 ,01 ,28 |

## अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल खातों का भाग और अनुलग्नक)

**1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:**

1.1 ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यत: अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।

1.2 **अनुमान का उपयोग**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्तियां और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जब तक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।

1.3 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख नीचे परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

1.4 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों तथा निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

**2. विदेशी मुद्रा विनिमय संव्यवहार:**

2.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

2.2 बकाया वायदा विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और और फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा प्रकाशित लागू मायफर दर अर्थात पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए निर्दिष्ट परिपक्वता के लिए एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर त्रैमासिक आधार पर और तुलन पत्र की तारीख के अनुसार पुनर्मूल्यांकन / बाजार हेतु चिह्नित किए गए हैं। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक/ फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य आस्तियों'' और हानि के मामले में इसका प्रभाव ''अन्य देयताओं'' को प्रभारित किया गया है।

2.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

2.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

**3. निवेश :**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यन निम्नानुसार किया गया है :

3.1. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

## SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE STANDALONE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023)

**1. Basis of Preparation of Financial Statements:**

**1.1** The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

1.2 **Use of Estimates**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the year under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below.

1.4 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.

**2. Foreign Exchange Transactions:**

2.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/ loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

2.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FBIL for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. [FBIL] i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

2.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

2.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

**3. Investments:**

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

3.1 Investments are classified in the following categories:

a. Held to Maturity (HTM)
b. Available for sale (AFS)
c. Held for trading (HFT)

3.2 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म-ए की आवश्यकता के साथ अनुसारिता में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. सरकारी प्रतिभूतियां
ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
ग. शेयर्स
घ. डिबेंचर तथा बांड
ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड यूनिट इत्यादि)

3.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। ''व्यापार हेतु धारित'' (एचएफटी) से ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' (एएफएस) श्रेणी में अंतरण/ परिवर्तन को छोडकर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है। ''व्यापार के लिए धारित'' (एचएफटी) श्रेणी से निवेशों का ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' (एएफएस) श्रेणी में अंतरण/ परिवर्तन अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढाव या बाजार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा।

**3.4 रेपो / रिवर्स रेपो / स्थायी जमा सुविधा**

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है. रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है. लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है.

3.5 भारित औसत मूल्य पद्धति के आधार पर निवेशों की लागत का निर्धारण किया जाता है।

स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज/ खंडित अवधि के लिए चुकता ब्याज को राजस्व व्यय/ आय के रूप में माना जाएगा।

निवेश की राशि से निवेश की बिक्री/ खरीद के समय प्रदत्त/ प्राप्त प्रोत्साहन राशि/ ब्रोकरेज की कटौती/ योग किया गया है।

**3.6 निवेशों का मूल्यांकन :**

**क. परिपक्वता तक धारित :**

i) परिपक्वता तक धारित प्रतिभूतियों का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया गया है। जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है। निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है।

ii) सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबद्ध किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ (लागू कर और आनुपातिक सांविधिक आरक्षिति का निवल) को '' पूंजी आरक्षित खाता''

3.2 All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

a. Government Securities
b. Other approved Securities
c. Shares
d. Debentures and Bonds
e. Subsidiaries and Joint Ventures
f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

3.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

**3.4 REPO / Reverse REPO / Standing Deposit Facility**

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5 Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/ sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

**3.6 Valuation of investments:**

**a. Held to Maturity:**

i. Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average acquisition cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.

ii. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.

iii. On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit net of applicable taxes and proportionate transfer to statutory reserve is

में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

**ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :**

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की दिनांक को बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यन फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (फिबिल) द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पद्धति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यन बाजार दर से किया गया है। अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, के ब्रेक-अप मूल्यन अर्थात तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यन रुपए 1/- प्रति कंपनी/ शेयर किया गया है।

बट्टागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यन, रखाव लागत पर किया गया है। म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।

''विक्रय हेतु उपलब्ध'' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

(i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(ii) यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान (एएफएस) में जमा किया गया है।

बशर्ते, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) के कार्यान्वयन के परिणामी आबंटित इक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, तो उसे ऋण के इक्विटी में परिवर्तन की तारीख से सीधी लाइन पद्धति के आधार पर अधिकतम 4 कैलेंडर तिमाहियों से अधिक के लिए प्रदान किए जाएंगे।

(iii) जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित (एमटीएम) प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

**ग. व्यापार हेतु धारित :**

i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह एवं प्रत्येक तुलन पत्र की दिनांक को इन्हें बाजार को अंकित किया जाता है। राज्य/ केन्द्र सरकार के प्रतिभूतियों का मूल्यन एफबीआईएल द्वारा घोषित बाजार दरों के अनुसार किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां और डिबेंचर तथा बॉन्डों का मूल्यन आय कर्व, औसत ऋण अंतर रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझायी गई पद्धति से किया गया है। कोट किए गए शेयरों का मूल्यांकन बाजार दर पर किया गया है।

ii. बट्टाकृत लिखतों में निवेश अर्थात खजाना बिल, जमा का प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक प्रपत्र, जीरो कूपन बॉन्ड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युचुअल फंड लिखतों का मूल्यांकन उनकी उपलब्धता के आधार पर बाजार दरों या पुनर्खरीदी मूल्य या निवल आस्ति मूल्य के आधार पर किया गया है। प्रतिभूति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ पीटीसी में निवेश को वित्तीय आस्ति के प्रतिदान मूल्य और निवल बहीमूल्य (अर्थात बहिमूल्य (-) धारित प्रावधान) में से कम पर आगे लाया गया है।

appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

**b. Available for Sale:**

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis and on each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FBIL. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break-up value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) /Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held) of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

i. If it results in appreciation, the same is ignored.

ii. If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.

Provided that, depreciation, if any, on equity shares allotted consequent to implementation of Strategic Debt Restructuring (SDR) shall be provided for over a maximum of 4 calendar quarters on straight line basis from the date of conversion of debt into equity.

iii. The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.

iv. Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

**c. Held for Trading:**

i. The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month and each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FBIL. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.

ii. Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs / PTCs issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

iii. निवल समूहवार मूल्यह्रास, यदि कोई है, को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है और दायित्व पक्ष में निवेश पर मूल्यह्रास (एचएफटी) के अधीन रिपोर्ट को जमा किया गया है। यदि कोई निवल वृद्धि हुई है तो उसे छोड़ दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की अपेक्षा को छोड़कर पुनर्मूल्यांकन के पश्चात प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।

iv. इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर उत्पन्न लाभ या हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

**घ.** पुनर्गठित निवेशों सहित निवेशों पर प्रावधान और उनका वर्गीकरण समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों और उनके द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है।

ङ. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय उपचित लागत जैसे कि ब्रोकरेज, फीस, कमीशन, कर इत्यादि का पूंजीकरण किया गया है।

**3.7 डेरिवेटिव्ज :**

**ब्याज दर स्वैप :**

i) **मूल्यांकन :**

क) **हेजिंग स्वैप :** आस्तियां और देयताओं के लिए हेजिंग ब्याज दर स्वैप को बाजार के लिए अंकित नहीं किया गया है।

ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** ट्रेडिंग के उद्देश्य हेतु ब्याज दर स्वैप को बाजार को अंकित किया गया है।

ii) **डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन :**

क) **हेजिंग स्वैप:** आय का लेखांकन वसूली के आधार पर किया गया है। यदि कोई निश्चित किया जाने वाला खर्च है तो उसका लेखांकन संचयी आधार पर किया गया है।

ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** निपटारा दिनांक पर वसूली के आधार पर आय और खर्च का लेखांकन किया गया है।

(iii) **स्वैप समाप्ति पर आय या हानि का लेखांकन :**

क) **हेजिंग स्वैप :** समाप्त हुए स्वैप पर हुई किसी भी हानि या लाभ को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है।

ख) **ट्रेडिंग स्वैप :** स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में ही आय या खर्च के रूप में स्वीकार किया गया है।

**3.8 निवेश अस्थिर रिज़र्व:**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 25 अगस्त 2021 के परिपत्र क्रमांक आरबीआई/ डीओआर/2021-22/81डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 जो 31.03.2023 तक अद्यतन है, के अनुसार लागू आय में बढ़ोत्तरी के समक्ष बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आरक्षित बनाने के लिए निवेश अस्थिर आरक्षित (आईएफआर) निर्मित किया गया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित में से कम है -

क. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

ख. लगातार आधार पर, वर्ष के लिए निवल लाभ घटाएं अनिवार्य विनियोग, जब तक कि आईएफआर की राशि एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो की कम से कम 2 प्रतिशत हो

**4. अग्रिम:**

4.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे डाले गये खातों, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधान, ऋण गारंटी संस्थानों से निपटाए गए दावों, पुनर्भाजित बिलों और पुनर्गठित अग्रिमों के लिए उचित मूल्य में अवनति के लिए प्रावधान का निवल है।

4.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, एनपीए पर प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से अधिक किया गया है -

उप-मानक - 20%

iii. Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

iv. Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.

**d.** Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized.

**3.7 Derivatives:**

**Interest Rate Swaps:**

**i. Valuation:**

a. **Hedging Swaps:** Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

b. **Trading Swaps:** Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

**ii. Accounting of income on derivative deals:**

a. **Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

b. **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

**iii. Accounting of gain or loss on termination of swaps:**

a. **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

b. **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

**3.8 Investment Fluctuation Reserve:**

As per RBI circular number RBI/DOR/2021-22/81 DOR. MRG.42/21.04.141/2021-22 DATED AUG 25,2021 as updated till March 31,2023 Investment Fluctuation Reserve (IFR) is created to build up of adequate reserves to protect the bank against increase in yields.

Transfer to IFR is lower of the following –

a. Net profit on sale of Investments during the year or

b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis

**4. Advances:**

4.1 Advances are disclosed net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

4.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -

Sub-Standard - 20%

संदिग्ध संपत्ति एक से तीन साल - प्रत्याभूत हिस्से पर 50%

4.3 पुनर्निर्धारित मानक अग्रिमों पर प्रावधान को छोड़कर अर्जक आस्तियों पर प्रावधान को ''अन्य देयताओं व प्रावधान'' शीर्ष में दर्शाया गया है।

4.4 एसडीआर के तहत अग्रिमों के संबंध में, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिकतम चार तिमाहियो के भीतर प्रावधान किया जाता है।

4.5 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक मूल्य पर हुआ है तो अधिशेष बचाकर रखा जाता है और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय संपत्तियों की बिक्री के खाते में कमी/ हानि को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से कम मूल्य पर हुआ है, (अर्थात बकाया घटाएं धारित प्रावधान) तो कमी को लाभ और हानि खाते से नामे किया जाता है। तथापि अगर अधिशेष उपलब्ध है तो इन कमियों को अधिशेष द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। एनपीए की बिक्री के कारण किसी प्रकार की कमी को अधिशेष द्वारा अवशोषित न किए जाने पर उसे 2 वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा।

एनपीए की बिक्री के कारण किए जानेवाले अतिरिक्त प्रावधान को तभी उलटा जाता है जब प्राप्त नकदी (केवल आरंभिक प्रतिफल या एसआर/ पीटीसी के मोचन द्वारा) आस्ति के विक्रय निवल बहीमूल्य (एनबीवी) से अधिक हो। आस्तियों के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन सीमित होगा।

**5. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास:**

5.1 पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत में से मूल्यह्रास/ ऋण परिशोधन घटाकर लेखाबद्ध किया गया है।

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च शामिल हैं जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क। उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय (व्ययों) केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है।

5.2 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास नीचे दी गई दरों के लिए प्रदान किया जाता है, पुनरीक्षित संपत्ति को छोड़कर, जहां, पुनर्मूल्यांकित राशि पर संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य रुपया एक लिखा जा सके।

| अ.क्र. | आस्तियों की श्रेणी | आस्तियों का उपयोगी जीवन (वर्षों में) | मूल्यह्रास की दर (%) | मूल्यह्रास की पद्धति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | भवन और परिसर | 60 | 1.667 | एसएलएम |
| 2 | सेफ सहित सामान्य मदें | 10 | 10 | एसएलएम |
| 3 | इलेक्ट्रिकल - टेलीवीजन, मोबाइल फोन, होम थिएटर, प्रिंटर, कैमेरा | 3 | 33.33 | एसएलएम |
| 4 | इलेक्ट्रिकल उपकरण - अन्य | 10 | 10 | एसएलएम |
| 5 | ऑफिस मशीनरी | 5 | 20 | एसएलएम |
| 6 | मोटर वाहन | 8 | 12.5 | एसएलएम |
| 7 | सेफ डिपॉजिट वॉल्ट | 10 | 10 | एसएलएम |

Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion

4.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head "Other liabilities and provisions".

4.4 In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.

4.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However, if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRs/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

**5. Fixed Assets and Depreciation:**

5.1 Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability

5.2 Depreciation on fixed assets is provided for at the rates specified below, except revalued assets where, depreciation is provided over the remaining useful life of the assets on revalued amount, so as to write down value of assets to Rupee One over the residual life of the assets.

| S. N. | Category of Asset | Useful Life of Assets (In Years) | Rate of Depre-ciation (%) | Method of depre-ciation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Building & Premises | 60 | 1.667 | SLM |
| 2 | General Items including Safe | 10 | 10 | SLM |
| 3 | Electrical – Television, Mobile Phones, Home Theater, Printer, Camera | 3 | 33.33 | SLM |
| 4 | Electrical Equipment's-Others | 10 | 10 | SLM |
| 5 | Office Machinery | 5 | 20 | SLM |
| 6 | Motor Vehicles | 8 | 12.5 | SLM |
| 7 | Safe Deposit Vaults | 10 | 10 | SLM |

| अ.क्र. | आस्तियों की श्रेणी | आस्तियों का उपयोगी जीवन (वर्षों में) | मूल्यह्रास की दर (%) | मूल्यह्रास की पद्धति |
|---|---|---|---|---|
| 8 | कम्प्यूटर और लैपटॉप | 3 | 33.33 | एसएलएम |
| 9 | एटीएम | 7 | 14.29 | एसएलएम |
| 10 | यूपीएस | 5 | 20 | एसएलएम |
| 11 | बीएनए | 7 | 14.29 | एसएलएम |
| 12 | कैश-रिसाइकलर्स | 7 | 14.29 | एसएलएम |

* एसएलएम अर्थात सीधी कटौती प्रणाली

5.3 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जिनमें वर्ष के दौरान आस्तियों को उपयोग के लिए रखा गया है।

इसी तरह वर्ष के दौरान बेची / छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में, मूल्यह्रास को आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है, उतने दिनों तक जब तक कि वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किया गया हो।

5.4 हर तीन साल में एक बार पात्र अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) का स्थिर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकित हिस्सा घटाया जाता है।

लीज़ पर धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षिति को लीज़ अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

लागत के अधिक और ऊपर अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास, लाभ और हानि खाते में नामे किया जाता है। लाभ और हानि खाते के लिए नामे लागत के अधिक अचल संपत्तियों के प्रत्यावर्तित हिस्से से संबंधित मूल्यह्रास की सीमा तक पुनर्मूल्यन आरक्षिति की राशि पुनर्मूल्यन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में स्थानांतरित कर दी जाती है।

5.5 पट्टेवाली परिसरों के संबंध में, लीज प्रीमियम, यदि कोई हो, का परिशोधन पट्टा अवधि में लेखांकन मानक -19 के अनुसार सरल रेखा पद्धति (एसएलएम) पर किया गया है।

**6. राजस्व अभिनिर्धारण :**

6.1 नकदी आधार पर लेखाबद्ध निम्नांकित मदों को छोड़कर, सभी राजस्व और लागतों को संचयी आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :-

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज

ख. कमीशन से आय यथा सरकारी कारोबार, बैंक-बीमा कारोबार, म्युचुअल फण्ड व्यवसाय, जारी क्रेडिट और डेबिट कार्ड, कार्डों के वार्षिक रख रखाव प्रभार और लॉकर किराया

ग. खरीदे गए तथा भांजित बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज

घ. बीमा दावे

च. डिबेंचर न्यासी व्यवसाय पर पारिश्रमिक

छ. ऋण प्रक्रिया शुल्क

ज. व्यापारी बैंकिंग परिचालन व हामीदारी कमीशन से आय

झ. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं पर प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क

6.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 02.07.2021 से अतिदेय सावधि जमा पर देय ब्याज बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व टीडी पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, के आधार पर प्रदान किया जाता है।

| S. N. | Category of Asset | Useful Life of Assets (In Years) | Rate of Depre-ciation (%) | Method of depre-ciation |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Computers & Laptops | 3 | 33.33 | SLM |
| 9 | ATM | 7 | 14.29 | SLM |
| 10 | UPS | 5 | 20 | SLM |
| 11 | BNA | 7 | 14.29 | SLM |
| 12 | Cash Re-cycler | 7 | 14.29 | SLM |

SLM means Straight Line Method

5.3 In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

Similarly, in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year.

5.4 Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on diminishing balance method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

5.5 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis in accordance with AS 19.

**6. Revenue Recognition**

6.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms and guidelines issued by RBI, from time to time.

b. Income from commission viz., on Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued, Annual maintenance charges for cards and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Loan Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

6.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021

**7. कर्मचारी अनुलाभ:**

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/ अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

परिभाषित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एएस-15 में निर्धारित सिद्धांतों एवं कर्मचारी लाभ (संशोधित) पर आधारित हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देनदारियों को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक (एक्टुअरीज) द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही / वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकिक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

**8. खंड रिपोर्टिंग:**

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

**9. आस्तियों की हानि**

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों की हानि, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। मूल्यह्रास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

**10. प्रावधान, आकस्मिक देयतांए और आकस्मिक आस्तियां**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मानक 29 - ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक ने प्रावधान का निर्धारण केवल तब ही किया है, जब किसी पूर्व घटना के कारण उसका वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हुआ हो। यह संभव है कि दायित्व का निपटान करने हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बाहरी प्रवाह की आवश्यकता पड़ेगी जब दायित्व की रकम का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकेगा।

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण होता है, जब तक कि संसाधन संगठित अर्थव्यवस्था के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती हैं।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि इससे उस आय की पहचान हो सकती है जिसे महसूस नहीं किया जा सकता है।

**11. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :**

प्रावधान और आकस्मिकताएं करने के पश्चात निवल लाभ घोषित किए गए हैं, जिसमें निवेश का मूल्य, आशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना और कराधान हेतु प्रावधान (आस्थगित कर सहित) और धोखाधड़ी और आकस्मिक व्यय/ अन्य सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

**12. आयकर :**

वर्ष के लिए किये गये कर प्रावधानों में वर्तमान आयकर और आस्थगित कर की देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय तथा लेखा योग्य आय के बीच समय अन्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों/ देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर कर दरों में परिवर्तिन के प्रभावों को परिवर्तन की प्रभावी अवधि में लाभ और हानि खाते में निर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियां और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जो कि तुलन पत्र की तारीख द्वारा अधिनियमित या वास्तविक रूप से लागू किए गए हैं।

**7. Employees' Benefits:**

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity, Pension & Privilege Leave schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are provided based on Actuarial valuation.

**8. Segment Reporting:**

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

**9. Impairment of Assets**:

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

**10. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:**

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

**11. Net Profit, Provisions and Contingencies:**

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

**12. Income Tax:**

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

आस्थगित कर आस्तियों को प्रबंधन के निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता प्रदान की जाती और फिर से मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उनकी वसूली को उचित रूप में माना जाता है।

कराधान कानूनों के तहत असंतुलित अवमूल्यन या आगे लाई गई हानि के मामलों में, सभी आस्थगित कर संपत्ति केवल तभी पहचानी जाती है, जब इस तरह की परिसंपत्तियों की पूर्ति की आभासी निश्चितता साक्ष्य के आधार पर समर्थित होती है।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में लिया गया है जब संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

कर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग, उस पर ब्याज सहित, प्रदान की जाती है जब ऐसी मांग बैंक द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और इसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है या जब न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है और समान मुद्दे पर अन्य न्यायाधिकरण का कोई अनुकूल निर्णय नहीं होता है और बैंक उच्च न्यायालय के समक्ष जाना नहीं चाहता है या जब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है।

**13. प्रति शेयर अर्जन :**

बैंक द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) - ''प्रति शेयर अर्जन'' के अनुरूप प्रति ईक्विटी शेयर मूल और कम किए गए अर्जन की रिपोर्ट दी गई है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण निवल लाभ को अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया गया है। प्रति इक्विटी शेयर कम किए गए अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर की गई है।

इक्विटी शेयर जारी करने के लिए यदि प्रतिभूति या अन्य संविदाओं का उपयोग किया जाता है तो प्रति शेयर कम किया गया अर्जन संभावित मन्दन को प्रतिबिंबित करता है जो अर्जन में प्रदर्शित हो सकता है।

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonably certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is accepted by the bank and the same is not contested before appellate authority **OR** when such demand is upheld by jurisdictional tribunal and there is no favorable judgement of other tribunal on identical issue and bank does not prefer to go before High Court **OR** when such demand is upheld by High Court.

**13. Earnings per Share:**

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax with the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

Diluted earnings per share reflects the potential dilution that could occur in earnings per share if securities or other contracts to issue equity share are exercised or converted during the period.

## अनुसूची 18-खातों पर टिप्पणियां

(नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

(31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन खातों का भाग अनुलग्नक)

**1. विनियामक पूंजी**

**क) विनियामक पूंजी का संमिश्र** (राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| i) | सीसीबी सहित सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) | 14253.78 | 11666.61 |
| ii) | अतिरिक्त टियर 1 पूंजी | 1790.00 | 200.00 |
| iii) | टियर 1 पूंजी (i + ii) | 16043.78 | 11866.61 |
| iv) | टियर 2 पूंजी | 4379.98 | 3924.26 |
| v) | कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2) | 20423.76 | 15790.87 |
| vi) | कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) | 112617.60 | 95833.63 |
| vii) | सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) | 12.66% | 12.17% |
| viii) | टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) | 14.25% | 12.38% |
| ix) | टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) | 3.89% | 4.10% |
| x) | जोखिम भारित आस्ति अनुपात हेतु पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) | 18.14% | 16.48% |
| xi) | लिवरेज अनुपात | 5.72% | 4.91% |
| xii) | भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%) | 90.97% | 90.97% |
| xiii) | वर्ष के दौरान उगाही गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि | - | 403.70 |
| xiv) | वर्ष के दौरान उगाही गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से :<br>बेसल III अनुपालक परपेच्युअल ऋण लिखतें (एटी 1 बॉण्ड) | 1590.00 | 290.00 |
| xv) | वर्ष के दौरान उगाही गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से :<br>बेसल III अनुपालक टियर II बॉण्ड | 348.00 | 1000.00 |

• बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित बॉण्डों की उगाही की :

| श्रृंखला | प्रकार | आईएसआईएन क्र. | जारी करने का दिनांक | अवधि | राशि (₹ करोड़ में) | कूपन दर (% में) | कॉल दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | बेसल III एटी 1 | INE457A08118 | 08.09.2022 | परपेच्युअल | 710.00 | 8.74 | 08.09.2027 |
| III | बेसल III एटी 1 | INE457A08134 | 26.12.2022 | परपेच्युअल | 880.00 | 8.74 | 26.12.2027 |
| V | बेसल III टियर II | INE457A08126 | 07.12.2022 | 10 वर्ष | 348.00 | 8.00 | 07.12.2027 |

• वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित बॉण्ड का मोचन किया :

| श्रृंखला | प्रकार | आईएसआईएन क्र. | अवधि | राशि (₹ करोड़ में) | कूपन दर (% में) | मोचन दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गौण टियर II | INE457A09199 | 31.12.2012 | 10 वर्ष | 1000.00 | 9.00 | 31.12.2022 |

**ख) आरक्षितियों से आहरण**

लेखा मानक - 10 ''संपत्ति, सयंत्र और उपकरण'', के अनुसार स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर वर्ष के लिए रु. 102.46 करोड़ (रु. 128.64 करोड़) का मूल्य ह्रास लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। रु. 102.46 करोड़ (रु. 128.64 करोड़) की समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया गया।

## SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE STANDALONE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023.)

**1. Regulatory Capital**

**a) Composition of Regulatory Capital**

(Amount in ₹ crore)

| S.N. | Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| i) | Common Equity Tier 1 capital (CET 1) including CCB | 14253.78 | 11666.61 |
| ii) | Additional Tier 1 capital | 1790.00 | 200.00 |
| iii) | Tier 1 capital (i + ii) | 16043.78 | 11866.61 |
| iv) | Tier 2 capital | 4379.98 | 3924.26 |
| v) | Total capital (Tier 1+Tier 2) | 20423.76 | 15790.87 |
| vi) | Total Risk Weighted Assets (RWAs) | 112617.60 | 95833.63 |
| vii) | CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs) | 12.66% | 12.17% |
| viii) | Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs) | 14.25% | 12.38% |
| ix) | Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs) | 3.89% | 4.10% |
| x) | Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs) | 18.14% | 16.48% |
| xi) | Leverage Ratio | 5.72% | 4.91% |
| xii) | Percentage of the shareholding of Government of India (%) | 90.97% | 90.97% |
| xiii) | Amount of paid-up equity capital raised during the year | - | 403.70 |
| xiv) | Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, *of which:*<br>Basel III compliant Perpetual Debt Instruments (AT 1 Bond) | 1590.00 | 290.00 |
| xv) | Amount of Tier 2 capital raised during the year, *of which*:<br>Basel III compliant Tier II Bond | 348.00 | 1000.00 |

• The Bank has raised following bonds during the F.Y. 2022–23 as under:

| Series | Type | ISIN No | Date of Issue | Tenure | Amount (₹ in Crore) | Coupon Rate (In %) | Call date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | Basel III AT 1 | INE457A08118 | 08.09.2022 | Perpetual | 710.00 | 8.74 | 08.09.2027 |
| III | Basel III AT 1 | INE457A08134 | 26.12.2022 | Perpetual | 880.00 | 8.74 | 26.12.2027 |
| V | Basel III Tier II | INE457A08126 | 07.12.2022 | 10 Years | 348.00 | 8.00 | 07.12.2027 |

• During the FY 2022-23, Bank has redeemed following Bond:

| Type | ISIN No | Date of Issue | Tenure | Amount (₹ in Crore) | Coupon Rate (In %) | Redemption date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subordinate Tier II | INE457A09199 | 31.12.2012 | 10 Years | 1000.00 | 9.00 | 31.12.2022 |

**b) Draw down from Reserves**

In accordance with the Accounting Standard – 10 'Property, Plant & Equipment', depreciation of Rs.102.46 Crore (Rs. 128.64 Crore) for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of Rs. 102.46 Crore (Rs. 128.64 Crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

## 2. आस्ति देयता प्रबंधन Asset liability management

क) 31.03.2023 को आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2023

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| विवरण Particulars | 1 दिन 1 day | 2 से 7 दिन 2 to 7 days | 8 से 14 दिन 8 to 14 days | 15 से 30 दिन 15 to 30 days | 31 दिनों से 3 माह 31 days to 3 months | 3 महीने से अधिक 6 महीने तक Over 3 months up to 6 months | 6 महीने से अधिक 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year | 1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years | 3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years | 5 वर्षों से अधिक Over 5 years | कुल Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जमाराशियां Deposits | 1847.03 | 5260.78 | 3487.16 | 7012.35 | 28060.52 | 15364.50 | 58071.66 | 38989.26 | 16780.10 | 59209.33 | 234082.68 |
| सकल अग्रिम Gross Advances | 3691.05 | 2884.69 | 3294.03 | 4646.70 | 11446.13 | 9308.56 | 20813.17 | 39602.21 | 34106.63 | 45326.31 | 175119.49 |
| सकल निवेश Gross Investments | 0.00 | 396.70 | 0.00 | 313.90 | 4713.53 | 1586.17 | 8891.70 | 13755.64 | 10710.11 | 28847.51 | 69215.26 |
| उधारियां Borrowings | 40.23 | 3997.76 | 0.00 | 535.57 | 85.16 | 136.53 | 277.25 | 859.46 | 500.00 | 4333.70 | 10765.66 |
| विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets | 65.33 | 1791.78 | 71.25 | 972.74 | 710.37 | 1355.98 | 1811.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6779.26 |
| विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities | 418.63 | 2318.07 | 4.33 | 1068.93 | 547.87 | 958.58 | 1449.07 | 68.08 | 20.28 | 0.00 | 6853.84 |

बचत बैंक और चालू जमाराशियों का यह वर्गीकरण निदेशक मंडल/ एएलसीओ द्वारा अनुमोदित व्यवहारात्मक पद्धति पर आधारित है।
This classification of Savings Bank and Current Deposits is based on behavioral pattern approved by the Board / ALCO.

ख) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)
मात्रात्मक प्रकटन :

b) Liquidity coverage ratio (LCR)
Quantitative Disclosure:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| | | जून 2022 तिमाही Qtr. June 2022 | | सितंबर 2022 तिमाही Qtr. Sep 2022 | | दिसंबर 2022 तिमाही Qtr. Dec 2022 | | मार्च 2023 तिमाही Qtr. March 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) |
| **उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां High quality Liquid assets** | | | | | | | | | |
| 1 | कुल उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLAs) | | 51117.76 | | 44548.76 | | 43631.75 | | 48068.92 |
| **नकद बहिर्वाह Cash outflows** | | | | | | | | | |
| 2 | रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां, जिसमें से : Retail deposits and deposits from small business customers, of which: | 148499.50 | 11104.72 | 148839.73 | 11136.13 | 150471.90 | 11277.42 | 153024.59 | 11576.75 |
| (i) | स्थिर जमाराशियां Stable deposits | 74904.58 | 3745.23 | 74956.94 | 3747.85 | 75395.39 | 3769.77 | 74514.25 | 3725.71 |
| (ii) | कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits | 73594.91 | 7359.49 | 73882.79 | 7388.28 | 75076.51 | 7507.65 | 78510.35 | 7851.03 |
| 3 | अनारक्षित थोक निधियन, जिसमें से : Unsecured wholesale funding, of which: | 41200.66 | 20151.14 | 36545.52 | 17897.83 | 36470.86 | 17905.93 | 43837.81 | 19549.62 |

| | | जून 2022 तिमाही Qtr. June 2022 | | सितंबर 2022 तिमाही Qtr. Sep 2022 | | दिसंबर 2022 तिमाही Qtr. Dec 2022 | | मार्च 2023 तिमाही Qtr. March 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) |
| (i) | परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | अपरिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non-operational deposits (all counterparties) | 41200.66 | 20151.14 | 36545.52 | 17897.83 | 36470.86 | 17905.93 | 43837.81 | 19549.62 |
| (iii) | अनारक्षित ऋण Unsecured debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | प्रतिभूत थोक निधियां Secured wholesale funding | 4121.35 | 0.00 | 13452.44 | 0.00 | 13515.32 | 0.00 | 9747.92 | 0.00 |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से Additional requirements, of which: | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (i) | व्युत्पन्न विगोपन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | ऋण और तरलता उत्पाद Credit and liquidity products | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | अन्य समझौता निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations | 659.80 | 659.80 | 574.48 | 574.48 | 377.36 | 377.36 | 313.61 | 313.61 |
| 7 | अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations | 37977.57 | 2886.81 | 40202.28 | 4571.56 | 41479.99 | 5409.29 | 41464.41 | 6001.19 |
| **8** | **कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows** | | **34809.88** | | **34179.99** | | **34970.00** | | **37441.18** |
| **नकदी अंतर्वाह Cash inflows** | | | | | | | | | |
| 9 | प्रतिभूत उधारी (उदा. रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos) | 418.57 | 0.00 | 136.27 | 0.00 | 16.79 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 10 | पूर्णत: निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures | 6554.97 | 5562.74 | 6851.36 | 4369.12 | 5809.35 | 3579.59 | 5978.51 | 3676.27 |
| 11 | अन्य नकद अंतर्वाह Other cash inflows | 2246.74 | 2006.01 | 972.09 | 852.10 | 1644.63 | 1398.20 | 1156.60 | 985.51 |
| 12 | **कुल नकदी अंतर्वाह** Total Cash Inflows | | 7568.74 | | 5221.22 | | 4977.80 | | 4661.78 |
| 13 | **कुल एचक्यूएलए** Total HQLA | | 51117.76 | | 44548.76 | | 43631.75 | | 48068.92 |
| 14 | **कुल निवल नकदी अंतर्वाह** Total Net Cash Outflows | | 27241.14 | | 28958.77 | | 29992.20 | | 32779.40 |
| 15 | **तरलता कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)** | | **187.65%** | | **153.84%** | | **145.48%** | | **146.64%** |

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| | | जून 2021 तिमाही Qtr. June 2021 | | सितंबर 2021 तिमाही Qtr. Sep 2021 | | दिसंबर 2021 तिमाही Qtr. Dec 2021 | | मार्च 2022 तिमाही Qtr. March 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) |
| **उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां High quality Liquid assets** | | | | | | | | | |
| 1 | उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLAs) | | 58305.24 | | 58914.39 | | 54605.34 | | 46877.67 |
| **नकद बहिर्वाह Cash outflows** | | | | | | | | | |
| 2 | रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां, जिसमें से : Retail deposits and deposits from small business customers, of which: | 137701.90 | 11996.75 | 139269.15 | 12064.18 | 121086.36 | 10263.30 | 145334.06 | 10789.69 |
| (i) | स्थिर जमाराशियां Stable deposits | 35468.77 | 1773.44 | 37254.77 | 1862.74 | 36906.67 | 1845.33 | 74874.32 | 3743.72 |
| (ii) | कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits | 102233.13 | 10223.31 | 102014.38 | 10201.44 | 84179.69 | 8417.97 | 70459.74 | 7045.97 |
| 3 | अनारक्षित थोक निधियन, जिसमें से Unsecured wholesale funding, of which: | 31871.46 | 15564.14 | 30420.35 | 14820.65 | 51407.52 | 17606.17 | 35890.54 | 17105.47 |
| (i) | परिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Operational deposits (all counterparties) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (ii) | अपरिचालन जमाराशियां (सभी प्रतिपक्ष) Non-operational deposits (all counterparties) | 31871.46 | 15564.14 | 30420.35 | 14820.65 | 51407.52 | 17606.17 | 35890.54 | 17105.47 |
| (iii) | अनारक्षित ऋण Unsecured debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | प्रतिभूत थोक निधियां Secured wholesale funding | 1455.15 | 0.00 | 2161.56 | 0.00 | 7725.80 | 0.00 | 11765.81 | 0.00 |
| 5 | अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से Additional requirements, of which: | 4.37 | 4.37 | 1.48 | 1.48 | 22.02 | 22.02 | 48.99 | 48.99 |
| (i) | व्युत्पन्न विगोपन और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements | 4.37 | 4.37 | 1.48 | 1.48 | 22.02 | 22.02 | 48.99 | 48.99 |
| (ii) | ऋण उत्पादों पर निधियन की हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (iii) | ऋण और तरलता उत्पाद Credit and liquidity products | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | अन्य समझौता निधियन बाध्यताएं Other contractual funding obligations | 4281.51 | 4281.51 | 1324.36 | 1324.36 | 256.67 | 256.67 | 385.14 | 385.14 |
| 7 | अन्य आकस्मिक निधियन बाध्यताएं Other contingent funding obligations | 31889.63 | 2172.87 | 29062.80 | 2007.04 | 33938.33 | 2552.25 | 36870.90 | 2813.46 |
| **8** | **कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows** | | **34019.64** | | **30217.71** | | **30700.40** | | **31142.75** |
| **नकदी अंतर्वाह Cash inflows** | | | | | | | | | |
| 9 | प्रतिभूत निधियन उधारी (उदा. रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos) | 3174.57 | 0.00 | 1188.65 | 0.00 | 3085.46 | 0.00 | 1894.81 | 0.00 |

| | | जून 2021 तिमाही Qtr. June 2021 | | सितंबर 2021 तिमाही Qtr. Sep 2021 | | दिसंबर 2021 तिमाही Qtr. Dec 2021 | | मार्च 2022 तिमाही Qtr. March 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) | कुल गैर-भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value ( average) | कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value ( average) |
| 10 | पूर्णत: निष्पादक विगोपनों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures | 12634.96 | 11865.07 | 859.44 | 487.06 | 3812.47 | 3212.48 | 2915.67 | 2585.88 |
| 11 | अन्य नकद अंतर्वाह Other cash inflows | 3462.75 | 3308.77 | 636.89 | 499.55 | 1727.39 | 1490.38 | 1635.49 | 1467.74 |
| 12 | **कुल नकद अंतर्वाह** Total Cash Inflows | | **15173.84** | | **986.61** | | **4702.86** | | **4053.62** |
| 13 | **कुल एचक्यूएलए** Total HQLA | | 58305.24 | | 58914.39 | | 54605.34 | | 46877.67 |
| 14 | **कुल निवल नकद अंतर्वाह** Total Net Cash Outflows | | 18845.78 | | 29231.10 | | 25997.56 | | 27089.13 |
| 15 | **तरलता कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)** | | **309.38%** | | **201.55%** | | **210.04%** | | **173.05%** |

डाटा पिछली तिमाही पर दैनिक अवलोकनों के सामान्य औसतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है (अर्थात औसत की गणना 90 दिनों की अवधि पर की गई है)। सामान्य औसत की गणना पिछली तिमाहियों पर दैनिक अवलोकनों पर की जाती है। अंतर्वाह और बहिर्वाह के गैर-भारित मूल्य की गणना देयताओं ऑफ बैलेन्स शीट मदों या संविदात्मक प्राप्यों की विभिन्न श्रेणियों या प्रकारों के बकाया शेष के रूप में की जाती है। एचक्यूएलए के भारित मूल्य की गणना मार्जिन के पश्चात प्रभारित मूल्य के रूप में की जाती है। अंतर्वाह और बहिर्वाह के भारित मूल्य की गणना अंतर्वाह और बहिर्वाह दरों के प्रयोज्य होने के पश्चात मूल्य के रूप में की जाती है। कुल एचक्यूएलए और कुल निवल नकद बहिर्वाह को समयोजित मूल्य के रूप में प्रकट किया जाता है, जहां एचक्यूएलए का समायोजित मूल्य इस फ्रेमवर्क में सूचित किए अनुसार लेवल 2बी और लेवल 2 आस्तियों पर लागू किन्हीं सीमाओं और मार्जिन दोनो को लागू करने के पश्चात कुल एचक्यूएलए का मूल्य है। निवल नकद बहिर्वाह के समायोजित मूल्य की गणना अंतर्वाहों पर सीमा लागू होने के पश्चात की जाती है, यदि लागू हो।

**गुणात्मक प्रकटन :**

दिनांक 01 जनवरी 2015 से, बैंक ने भा.रि.बैंक के तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देश लागू किए हैं।

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी बैंक के पास भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है जिसे तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कलैंडर दिनों तक की अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहजता से और तत्काल रूप से नकद में परिवर्तित किया जाता है।

एलसीआर की गणना भाररहित उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) की राशि को दबावग्रस्त 30 कैलेंडर दिनों की अवधि पर अनुमानित निवल बहिर्वाह द्वारा भाग देकर की जाती है।

निवल नकद बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की देयताओं (जमाराशियां, भाररहित और प्रतिभूत थोक उधारियां) साथ ही अनाहरित प्रतिबद्धताओं और डेरिवेटिव संबंधित विगोपनों, 30 दिनों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्तियों से अंतर्वाह द्वारा समायोजित पर आरबीआई निर्धारित बहिर्वाह घटकों को लागू कर की जाती है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए दैनिक आधार पर औसत एलसीआर 146.64% है जो 100% की आरबीआई निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से अधिक है।

i) **एलसीआर के मुख्य संचालक:**

बैंक ने समेकित आधार पर 31 मार्च 2023 को समाप्त तीन महीनों के दौरान रुपये 480689.16 मिलियन का औसत एचक्यूएलए ( मामूली बदलाव के साथ) बनाए रखा था। एचक्यूएलए मुख्य रूप से न्यूनतम एसएलआर से अधिक सरकारी प्रतिभूतियों, अनिवार्य एसएलआर आवश्यकता के भीतर सरकारी प्रतिभूतियों, एमएसएफ के अंतर्गत भा.रि.बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक और तरलता कवरेज अनुपात के लिए तरलता प्राप्त करने की सुविधा द्वारा संचालित है। इसके अलावा,

Data is presented as simple averages of daily observations over the previous quarter (i.e. the average is calculated over a period of 90 days). The simple average are calculated on daily observations over the previous quarters. The un-weighted value of inflows and outflows are calculated as the outstanding balances of various categories or types of liabilities, off balance sheet items or contractual receivables. The weighted value of HQLA are calculated as the value after haircuts are applied. The weighted value for inflows and outflows are calculated as the value after the inflow and outflow rates are applied. Total HQLA and total net cash outflows are disclosed as the adjusted value, where the adjusted value of HQLA is the value of total HQLA after the application of both haircuts and any applicable caps on Level 2B and Level 2 assets as indicated in this Framework. The adjusted value of net cash outflows is calculated after the cap on inflows is applied, if applicable

**Qualitative Disclosure:**

From 01st January 2015, the bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the RBI.

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) aims to ensure that a bank has an adequate stock of unencumbered High-Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash easily and immediately to meet its liquidity needs for a 30 calendar day liquidity stress scenario.

The LCR is calculated by dividing the amount of High Quality Liquid Unencumbered Assets (HQLA) by the estimated net outflows over a stressed 30 calendar day period.

The net cash outflows are calculated by applying RBI prescribed outflow factors to the various categories of liabilities (deposits, unsecured and secured wholesale borrowings), as well as to undrawn commitments and derivative-related exposures, netted by inflows from assets maturing within 30 days. Average LCR on a daily basis for the quarter ended 31st March 2023 is 146.64%, above RBI prescribed minimum requirement of 100%.

i) **Main drivers of LCR:**

The Bank on a consolidated basis, during the three months ended 31st March 2023, had maintained average HQLA (after haircut) of Rs 480689.16 million. The HQLA is primarily driven by government securities in excess of minimum SLR, government securities within mandatory SLR requirement, to the extent allowed by RBI under MSF and the facility to avail liquidity for Liquidity coverage ratio. Also, cash, excess CRR maintained

आरबीआई के पास नकदी बनाए रखना अतिरिक्त सीआरआर स्तर 1 एचक्यूएलए के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं।

स्तर 2 एचक्यूएलए में मुख्य रूप से बीबीबी- और उससे ऊपर के कॉर्पोरेट बॉन्ड व वाणिज्यिक पत्र, जिसे वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी नही किया गया है, शामिल हैं।

**ii) समय के साथ-साथ अंतर-अवधि परिवर्तन:**

जनवरी 2023, फरवरी 2023 और मार्च 2023 को समाप्त होने वाले महीनों के लिए 100% की नियामक आवश्यकता के समक्ष एलसीआर 146.19%, 139.47% और 153.62% था ।

मार्च 2022 के अंत में एलसीआर 216.12% से घटकर मार्च 2023 के अंत में 157.49% हो गया है, जिसका मुख्य कारण एचक्यूएलए में शुद्ध कमी और तरलता परिदृश्य में बदलाव है। ब्याज दर में वृद्धि के कारण तरलता परिदृश्य बदल गया है। एचक्यूएलए में कमी आई है क्योंकि एनडीटीएल में वृद्धि के कारण वैधानिक आरक्षित अनुपात (एसएलआर/सीआरआर) में वृद्धि एसएलआर पोर्टफोलियो में वृद्धि की तुलना में अधिक है, फिर भी यह सहज स्तर पर है।

**iii) एचक्यूएलए की संरचना:**

- एचक्यूएलए में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

| | अभारित मूल्य | भारित मूल्य |
|---|---|---|
| स्तर 1 आस्तियां | 45501.25 | 45501.25 |
| स्तर 2 ए आस्तियां | 1078.49 | 916.72 |
| स्तर 2 बी आस्तियां | 847.65 | 423.82 |

- एचक्यूएलए की संरचना में, अतिरिक्त एसएलआर वित्तीय वर्ष 31.03.22 के अंत में 36.13% से घटकर वित्त वर्ष 31.03.23 के अंत में 19.49% हो गया है और एफएएलएलसीआर वित्त वर्ष 31.03.22 के अंत के 50% से बढ़कर वित्त वर्ष 31.03.23 के अंत में 67% हो गया है .
- स्तर 2 आस्तियां जो स्तर 1 आस्तियों की तुलना में गुणवत्ता में कम हैं, 40% के अधिकतम अनिवार्य स्तर के समक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 2.86% है।

**iv) निधियन स्त्रोतों का संकेंद्रण:**

एक महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष को एक एकल प्रतिपक्ष या संबंधित या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो समग्र रूप से बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक हैं।

दिनांक 31 मार्च 23 तक कोई महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष जमाराशि नहीं थी।

इसके अलावा महत्वपूर्ण उधारियों टीआरइपीएस के अंतर्गत रुपये 3997.76 करोड़ की उधारियां है जो कुल देनदारियों का 1.49% है जो सीसीआइएल (क्यूसीसीपी) के लिए विगोपन है।

बैंक के शीर्ष 20 जमाकर्ता (जमा प्रमाणपत्र के अलावा) हमारी कुल जमा राशि का 8.14% है जो एएलएम नीति के अनुसार 15% की सीमा के भीतर है।

बैंक के शीर्ष 10 उधार, कुल उधार का 81.54% हैं।

एक महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को समान लिखतों/उत्पादों के समूह के एकल लिखत/उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है जो कुल मिलाकर बैंक की कुल देयताओं के 1% से अधिक है। निधियन लिखतों /उत्पादों का उदाहरण- थोक जमाराशियां , जमा प्रमाणपत्र, दीर्घावधि बॉन्ड इत्यादि। 31 मार्च 2023 तक महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद थोक जमाराशियां यथा कुल देयताओं का 6.00%, रिटेल अवधि डिपॉजिट यथा कुल देयताओं का 29.32%, डिमांड डिपॉजिट यानी कुल देयताओं का 46.69% और जमा प्रमाणपत्र यानी कुल देयताओं का 5.45% थे ।

**v) डेरिवेटिव विगोपन और संभावित संपार्श्विक कॉल:**

डेरिवेटिव विगोपन को 30 दिनों के भीतर निवल डेरिवेटिव नकदी प्रवाह के रूप में दिखाया गया है। डेरिवेटिव विगोपन से आगे परिपक्वता होने के कारण अंतर्वाह उत्पन्न हुआ।

with RBI are important factors for Level 1 HQLA.

Level 2 HQLAs primarily consisted of BBB- and above rated corporate bonds and commercial papers not issued by Financial entities.

**ii) Intra-period changes as well as changes over time:**

LCR were 146.19%,139.47% and 153.62% for the months ending January 2023, February 2023 and March 2023 as against regulatory requirement of 100%.

LCR has decreased from 216.12% for year end March 2022 to 157.49% for year end March 2023 mainly due to net decrease in HQLAs and change in liquidity scenario. Liquidity scenario has changed due to increase in ROI. HQLAs have decreased since increase in statutory reserve ratios(SLR/CRR) on account of increase in NDTL is higher than increase in SLR portfolio still it is at comfortable level.

**iii) Composition of HQLAs:**

- HQLAs consists of following components:

(Amount in ₹ crore)

| | Unweighted value | Weighted value |
|---|---|---|
| Level 1 assets | 45501.25 | 45501.25 |
| Level 2 A assets | 1078.49 | 916.72 |
| Level 2 B assets | 847.65 | 423.82 |

- In composition of HQLAs, excess SLR has decreased from 36.13% for FY end 31.03.22 to 19.49% for FY end 31.03.23 and FALLCR has increased from 50% for FY end 31.03.22 to 67% for FY end 31.03.23.
- Level 2 assets which are lower in quality as compared to Level 1 assets, constitute 2.86% of total stock of HQLA against maximum mandated level of 40%.

**iv) Concentration of funding sources:**

A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counterparties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

There was no significant counterparty deposit as of 31st March 23.

Further significant borrowing is borrowings under TREPS amounting to Rs 3997.76 crore which is 1.49 % of total liabilities which is exposure to CCIL (QCCP).

Top 20 depositors (Other than Certificate of Deposit) of the Bank constitute 8.14% of our total deposits which is well within limit of 15% as per ALM Policy.

Top 10 borrowings of the bank constitute 81.54% of total borrowings.

A significant instrument/product is defined as a single instrument/ product of group of similar instruments/products which in aggregate amount to more than 1% of the bank's total liabilities. Example of funding instruments/products- wholesale deposits, certificate of deposits, long term bonds etc. Significant instrument/product as of 31st March 2023 were bulk deposits i.e. 6.00% of total liabilities, Retail term deposits i.e. 29.32 % of total liabilities, Demand deposits i.e. 46.69% of total liabilities and Certificate of deposits i.e. 5.45% of total liabilities.

**v) Derivative exposures and potential collateral calls:**

Derivative exposure is shown as Net Derivative cash inflows within 30 days. Inflows from derivative exposure arose due to maturing forwards.

vi) **एलसीआर में मुद्रा असंतुलन ;**

आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार जबकि एलसीआर मानक को एक ही मुद्रा पर प्राप्त करना आवश्यक है, संभावित मुद्रा असंतुलन को बेहतर तरीके से निपटान करने के लिए प्रत्येक मुद्रा में एलसीआर की निगरानी करने की आवश्यकता है। तदनुसार, बैंक दैनिक आधार पर भारतीय रूपए में एलसीआर बनाए रख रहा है और इसकी तुलना विनियामक आवश्यकता से की जाती है। इसके अतिरिक्त बैंक का किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्रा* में विगोपन नहीं है, इसलिए एलसीआर भारतीय रूपए मुद्रा के लिए तैयार किया गया है।

(*एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह होती है जहां कुल देयताओं को मुद्रा राशि में बैंक की कुल देयताओं के 5% या अधिक के रूप में दर्शाया जाता है)।

vii) **समूह की इकाइयों के बीच तरलता प्रबंधन और प्रभाव के केंद्रीकरण की मात्रा का विवरण:**

बैंक के लिए तरलता उद्यम व्यापक आधार पर प्रबंधन निदेशक मंडल का दायित्व है । निदेशक मंडल ने अपने दायित्व को बोर्ड की एक समिति को सौंप दिया है जिसे ''बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति'' कहा जाता है। समिति विभिन्न प्रकार के जोखिम और तरलता पर इसके प्रभाव के बीच अंतर संबंधों के अवलोकन के लिए उत्तरदायी है।

बैंक की एएलएम नीति है जो व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करती है जिसके अनुसार समूह के भीतर की सभी इकाईयां तरलता और ब्याज दर जोखिम के संदर्भ में कार्य करती हैं।

एलसीआर की गणना और निगरानी बैंक द्वारा दैनिक आधार पर की जाती है और इसे तरलता प्रबंधन के लिए ट्रेजरी/मिड ऑफिस के साथ साझा किया किया जाता है और निवेश समिति में चर्चा की जाती है।

साथ ही पिछले महीने की तुलना के साथ नवीनतम महीने के लिए एलसीआर मासिक आधार पर एल्को के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य तरलता मापदंडों के साथ एलसीआर की स्थिति को तिमाही आधार पर आरएमसी/बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

viii) **एलसीआर गणना में अंतर्वाह और बहिर्वाह जो एलसीआर कॉमन टेंपलेट में शामिल नहीं हैं, लेकिन जिन्हें संस्थान अपनी तरलता प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक मानता है, वे निम्नानुसार हैं:**

दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए आकस्मिक देनदारियों से उत्पन्न होने वाले औसत बहिर्वाह का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | अभारित मूल्य | भारित मूल्य |
|---|---|---|
| **वर्तमान में अनाहरित प्रतिबद्ध ऋण और तरलता सुविधाएं प्रदान की गई** | **27872.58** | **4288.79** |
| रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहक | 8849.03 | 442.45 |
| गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स, सोवरेन और केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और पीएसई - क्रेडिट सुविधाएं | 15749.12 | 1574.91 |
| गैर-वित्तीय कॉरपोरेट्स, सोवरेन और केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक और पीएसई - तरलता सुविधाएं | 0.00 | 0.00 |
| बैंक | 2.14 | 0.85 |
| अन्य वित्तीय संस्थान (प्रतिभूति फर्म, बीमा कंपनियों सहित) - क्रेडिट सुविधाएं | 1669.54 | 667.82 |
| अन्य वित्तीय संस्थान (प्रतिभूति फर्मों, बीमा कंपनियों सहित) - तरलता सुविधाएं | 75.91 | 75.91 |
| अन्य कानूनी इकाई ग्राहक | 1526.84 | 1526.84 |
| **अन्य आकस्मिक निधियन देयताएं** | **12408.44** | **428.43** |
| गारंटी, साख पत्र और व्यापार वित्त | 9599.77 | 287.99 |
| प्रत्यावर्तनीय ऋण और तरलता सुविधाएं | 1417.18 | 70.86 |
| अन्य कोई | 1391.48 | 69.57 |

vi) **currency mismatch in the LCR;**

As per the RBI guidelines while the LCR standard is required to be met on one single currency, in order to better capture potential currency mismatch the LCR in each currency needs to be monitored. Accordingly, Bank is maintaining LCR on daily basis in INR and the same is compared against the regulatory requirement. Further bank does not have exposure to any other significant currencies*, hence LCR is prepared for INR currency.

(*A significant currency is one where aggregate liabilities denominated in the currency amount to 5% or more of the bank's total liabilities).

vii) **A description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units:**

The liquidity management for the bank on enterprise wide basis is the responsibility of the Board of Directors. Board of Directors has delegated its responsibilities to a Committee of the Board called as the "Risk Management Committee of Board". The committee is responsible for overseeing the inter linkages between different types of risk and its impact on liquidity.

Bank has ALM policy which provides the broad guidelines under which all the entities within the group operate in terms of liquidity and interest rate risk.

LCR is computed and monitored on daily basis by the Bank and the same is shared with Treasury/ Midoffice for liquidity management and discussed in Investment committee.

Further LCR for the latest month along with comparison of previous months is placed before ALCO on monthly basis. Moreover, LCR position along with other liquidity parameters is placed before RMC/Board on quarterly basis.

viii) **The inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile are as under:**

Details of average Outflows arising from contingent liabilities for year end 31.03.2023 are as under:

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | Unweighted value | Weighted value |
|---|---|---|
| **Currently undrawn committed credit and liquidity facilities provided to** | **27872.58** | **4288.79** |
| Retail and small business clients | 8849.03 | 442.45 |
| non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs – Credit facilities | 15749.12 | 1574.91 |
| non-financial corporates, sovereigns and central banks, multilateral development banks, and PSEs – Liquidity facilities | 0.00 | 0.00 |
| banks | 2.14 | 0.85 |
| other financial institutions (including securities firms, insurance companies) – Credit facilities | 1669.54 | 667.82 |
| other financial institutions (including securities firms, insurance companies) – Liquidity facilities | 75.91 | 75.91 |
| other legal entity customers | 1526.84 | 1526.84 |
| **Other contingent funding liabilities** | **12408.44** | **428.43** |
| Guarantees, Letters of credit and Trade Finance | 9599.77 | 287.99 |
| Revocable credit and liquidity facilities | 1417.18 | 70.86 |
| Any other | 1391.48 | 69.57 |

ग) निवल स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर)
गुणात्मक प्रकटन :

c) Net Stable Funding ratio (NSFR)
Quantitative Disclosure:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| 31.03.2023 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.03.2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity | | | | भारित मूल्य Weighted Value |
| क्र. SN | विवरण Particulars | परिपक्वता नहीं * No maturity* | < 6 महीने < 6 months | 6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr | >=1 वर्ष >=1 yr | |
| | **एएसएफ मद ASF Item** | | | | | |
| 1 | पूंजी (2+3) Capital (2+3) | 14253.78 | 0.00 | 0.00 | 6369.98 | 20623.76 |
| 2 | नियामक पूंजी Regulatory Capital | 14253.78 | 0.00 | 0.00 | 6169.98 | 20423.76 |
| 3 | अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 4 | रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6) | 84787.75 | 28967.89 | 27767.11 | 16388.82 | 130643.17 |
| 5 | स्थिर जमाराशियां Stable deposits | 42950.23 | 11401.79 | 11101.82 | 7251.72 | 62181.15 |
| 6 | कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits | 41837.52 | 17566.10 | 16665.29 | 9137.10 | 68462.02 |
| 7 | थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9) | 40030.85 | 23477.23 | 10024.10 | 4430.53 | 31098.65 |
| 8 | परिचालन जमाराशियां Operational deposits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य थोक निधियन Other wholesale funding | 40030.85 | 23477.23 | 10024.10 | 4430.53 | 31098.65 |
| 10 | अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12) | 866.41 | 7700.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories | 866.41 | 7700.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10) | | | | | 182365.58 |
| | **आरएसएफ मद RSF Item** | | | | | |
| 14 | कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | | | | | 3129.29 |
| 15 | परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes | 6.00 | | | | 3.00 |
| 16 | निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23) | 151.75 | 18439.68 | 6979.89 | 107050.78 | 83594.71 |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA | 0.00 | 7332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | 0.00 | 3785.42 | 1342.76 | 0.00 | 1239.19 |
| 19 | गैर-वित्तीय कार्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which | 0.00 | 7321.35 | 5531.55 | 79064.01 | 62087.51 |
| 20 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk | 0.00 | 5344.59 | 4038.03 | 57716.73 | 42207.18 |
| 21 | निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which: | 0.00 | 0.91 | 2.03 | 18514.98 | 12036.21 |
| 22 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardized Approach for credit risk | 0.00 | 0.91 | 2.03 | 18514.98 | 12036.21 |
| 23 | प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं है और एक्सचेंज ट्रेडेड ईक्विटी सहित जो एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं है Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities | 151.75 | 0.00 | 103.55 | 9471.81 | 8231.80 |

| 31.03.2023 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.03.2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity | | | | भारित मूल्य Weighted Value |
| क्र. SN | विवरण Particulars | परिपक्वता नहीं * No maturity* | < 6 महीने < 6 months | 6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr | >=1 वर्ष >=1 yr | |
| 24 | अन्य आस्तियां : (25 से 29 पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29) | 3831.97 | 0.00 | 0.00 | 26409.56 | 25687.64 |
| 25 | भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold | 0.00 | | | | 0.00 |
| 26 | डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन के रूप में निर्धारित आस्तियां और सीसीपी की चूक निधियों हेतु अंशदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories | 3831.97 | 0.00 | 0.00 | 26409.56 | 25687.64 |
| 30 | ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items | | 92,894.65 | 1,647.85 | 0.00 | 4007.44 |
| **31** | **कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)** | | | | | 116422.07 |
| **32** | **निवल स्थिर निधियन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)** | | | | | **156.64%** |

(राशि ₹ करोड़ में)(Amount in ₹ crore)

| 31.12.22 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.12.2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity | | | | भारित मूल्य Weighted Value |
| क्र. SN | विवरण Particular | परिपक्वता नहीं * No maturity | < 6 महीने < 6 months | 6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr | >=1 वर्ष >=1 yr | |
| | **एएसएफ मद ASF Item** | | | | | |
| 1 | पूंजी (2+3) Capital (2+3) | 12395.83 | 0.00 | 0.00 | 6268.99 | 18664.82 |
| 2 | विनियामक पूंजी Regulatory Capital | 12395.83 | 0.00 | 0.00 | 6068.99 | 18464.82 |
| 3 | अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |
| 4 | रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6) | 85843.51 | 40290.18 | 29439.19 | 18177.17 | 159305.75 |
| 5 | स्थिर जमाराशियां Stable deposits | 37630.55 | 7653.48 | 7144.25 | 6158.98 | 55149.02 |
| 6 | कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits | 48212.96 | 32636.70 | 22294.93 | 12018.19 | 104156.74 |
| 7 | थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9) | 24589.10 | 4643.58 | 3371.92 | 3384.60 | 8839.39 |
| 8 | परिचालन जमाराशियां Operational deposits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य थोक निधियन Other wholesale funding | 24589.10 | 4643.58 | 3371.92 | 3384.60 | 8839.39 |
| 10 | अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12) | 870.80 | 15546.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories | 870.80 | 15546.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13** | **कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)** | | | | | **186809.97** |
| | **आरएसएफ मद RSF Item** | | | | | |
| 14 | कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | | | | | 2682.97 |
| 15 | परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में भारित जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes | 14.99 | | | | 7.49 |
| 16 | निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23) | 83.13 | 16091.13 | 6015.79 | 96236.51 | 81518.09 |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA | 0.00 | 6282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 31.12.22 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 31.12.2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity | | | | भारित मूल्य Weighted Value |
| क्र. SN | विवरण Particular | परिपक्वता नहीं * No maturity | < 6 महीने < 6 months | 6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr | >=1 वर्ष >=1 yr | |
| 18 | गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | 0.00 | 3391.38 | 1025.65 | 0.00 | 1021.53 |
| 19 | गैर-वित्तीय कार्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which | 0.00 | 6417.16 | 4762.72 | 69889.67 | 61222.12 |
| 20 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0.00 | 1732.63 | 1285.93 | 18870.21 | 13774.92 |
| 21 | निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which: | 0.00 | 0.59 | 2.22 | 16525.21 | 10742.79 |
| 22 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0.00 | 0.59 | 2.22 | 16525.21 | 10742.79 |
| 23 | प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक्सेंज ट्रेडेड ईक्विटी जो एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं है Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities | 83.13 | 0.00 | 225.21 | 9821.63 | 8531.65 |
| 24 | अन्य आस्तियां : (25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29) | 3794.04 | 0.00 | 0.00 | 25620.21 | 24723.25 |
| 25 | भौतिक व्यवसाय कमोडिटी, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold | 0.00 | | | | 0.00 |
| 26 | डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन के रूप में निर्धारित आस्तियां और सीसीपी की चूक निधियों हेतु अंशदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories | 3794.04 | 0.00 | 0.00 | 25620.21 | 24723.25 |
| 30 | ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items | | 84,861.81 | 1,647.85 | 0.00 | 3613.13 |
| 31 | कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30) | | | | | 112544.93 |
| 32 | निवल स्थिर निधियन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%) | | | | | 165.99% |

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| 30.09.22 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.09.2022 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity | | | | भारित मूल्य Weighted Value |
| क्र. SN | विवरण Particular | परिपक्वता नहीं * No maturity | < 6 महीने < 6 months | 6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr | >=1 वर्ष >=1 yr | |
| | एएसएफ मद ASF Item | | | | | |
| 1 | पूंजी (2+3) Capital (2+3) | 12181.33 | 0.00 | 0.00 | 3977.93 | 17069.26 |
| 2 | विनियामक पूंजी Regulatory Capital | 12181.33 | 0.00 | 0.00 | 3877.93 | 16969.26 |
| 3 | अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6) | 86383.58 | 30523.77 | 31283.96 | 19553.76 | 152408.82 |

| | 30.09.22 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.09.2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity | | | | भारित मूल्य Weighted Value |
| क्र. SN | विवरण Particular | परिपक्वता नहीं * No maturity | < 6 महीने < 6 months | 6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr | >=1 वर्ष >=1 yr | |
| 5 | स्थिर जमाराशियां Stable deposits | 34281.67 | 6651.69 | 6424.44 | 5591.70 | 50332.06 |
| 6 | कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits | 52101.91 | 23872.08 | 24859.52 | 13962.06 | 102076.75 |
| 7 | थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9) | 21211.30 | 4213.98 | 2346.39 | 1186.03 | 7306.52 |
| 8 | परिचालन जमाराशियां Operational deposits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य थोक निधियन Other wholesale funding | 21211.30 | 4213.98 | 2346.39 | 1186.03 | 7306.52 |
| 10 | अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12) | 839.11 | 20740.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories | 839.11 | 20740.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13** | **कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)** | | | | | **176784.60** |
| | **आरएसएफ मद RSF Item** | | | | | |
| 14 | कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | | | | | 2795.72 |
| 15 | परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes | 102.20 | | | | 51.10 |
| 16 | निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23) | 107.20 | 11514.43 | 4666.6 | 84815.52 | 71577.01 |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA | 0.00 | 2950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | 0.00 | 2078.77 | 714.92 | 0.00 | 669.27 |
| 19 | गैर-वित्तीय कार्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which | 0.00 | 6482.84 | 3724.29 | 58048.54 | 51310.20 |
| 20 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0.00 | 1750.37 | 1005.56 | 15673.11 | 11565.48 |
| 21 | निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which: | 0.00 | 2.82 | 2.22 | 16803.13 | 10924.55 |
| 22 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0.00 | 2.82 | 2.22 | 16803.13 | 10924.55 |
| 23 | प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड इक्विटी समेत एचक्यूएएल के रूप में अर्हक नहीं है Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities | 107.20 | 0.00 | 225.17 | 9963.85 | 8672.98 |
| 24 | अन्य आस्तियां : (25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29) | 5475.79 | 0.00 | 0.00 | 21950.14 | 22580.93 |
| 25 | भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold | 0.00 | | | | 0.00 |
| 26 | डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन के रूप में निर्धारित आस्तियां और सीसीपी की चूक निधियों हेतु अंशदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | 30.09.22 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.09.2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity | | | | भारित मूल्य Weighted Value |
| क्र. SN | विवरण Particular | परिपक्वता नहीं * No maturity | < 6 महीने < 6 months | 6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr | >=1 वर्ष >=1 yr | |
| 28 | परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गईं अन्य आस्तियां All other assets not included in the above categories | 5475.79 | 0.00 | 0.00 | 21950.14 | 22580.93 |
| 30 | ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items | | 87304.68 | 1647.85 | 0.00 | 3744.49 |
| **31** | **कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)** | | | | | 100749.24 |
| 32 | निवल स्थिर निधियन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%) | | | | | 175.47% |

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| | 30.06.22 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.06.2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity | | | | भारित मूल्य Weighted Value |
| क्र. SN | विवरण Particular | परिपक्वता नहीं * No maturity | < 6 महीने < 6 months | 6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr | >=1 वर्ष >=1 yr | |
| | **एएसएफ मद ASF Item** | | | | | |
| 1 | पूंजी (2+3) Capital (2+3) | 11805.78 | 0.00 | 0.00 | 4030.38 | 16036.16 |
| 2 | विनियामक पूंजी Regulatory Capital | 11805.78 | 0.00 | 0.00 | 3930.38 | 15936.16 |
| 3 | अन्य पूंजी लिखत Other capital Instrument | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | रिटेल जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमाराशियां : (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6) | 81726.77 | 27697.50 | 27686.56 | 17671.70 | 142439.52 |
| 5 | स्थिर जमाराशियां Stable deposits | 34652.84 | 6442.19 | 6325.27 | 5525.83 | 50391.43 |
| 6 | कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits | 47073.93 | 21255.32 | 21361.30 | 12145.87 | 92048.09 |
| 7 | थोक निधियन : (8+9) Wholesale funding: (8+9) | 32553.20 | 5515.64 | 3574.51 | 1134.50 | 6548.79 |
| 8 | परिचालन जमाराशियां Operational deposits | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | अन्य थोक निधियन Other wholesale funding | 32553.20 | 5515.64 | 3574.51 | 1134.50 | 6548.79 |
| 10 | अन्य देयताएं : (11+12) Other liabilities: (11+12) | 850.76 | 18501.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | उपरोक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी देयताएं और इक्विटी All other liabilities and equity not included in the above categories | 850.76 | 18501.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13** | **कुल एएसएफ (1+4+7+10) Total ASF (1+4+7+10)** | | | | | 165024.46 |
| | **आरएसएफ मद RSF Item** | | | | | |
| 14 | कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA) | | | | | 2991.53 |
| 15 | परिचालन उद्देश्य के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियां Deposits held at other financial institutions for operational purposes | 102.20 | | | | 51.10 |
| 16 | निष्पादक ऋण और प्रतिभूतियां : (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23) | 113.44 | 11296.33 | 8247.00 | 93024.61 | 79476.95 |
| 17 | स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA | 0.00 | 3478.10 | 0.00 | 0.00 | 17.61 |
| 18 | गैर स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों हेतु निष्पादक ऋण और वित्तीय संस्थानों हेतु अप्रतिभूत निष्पादक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions | 0.00 | 2603.68 | 3642.49 | 0.00 | 2211.80 |

| | 30.06.22 को एनएसएफआर प्रकटन टेम्पलेट NSFR Disclosure Template as on 30.06.2022 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | शेष परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य Unweighted Value by residual maturity | | | | भारित मूल्य Weighted Value |
| क्र. SN | विवरण Particular | परिपक्वता नहीं * No maturity | < 6 महीने < 6 months | 6 महीने से <1 वर्ष 6 m to <1 yr | >=1 वर्ष >=1 yr | |
| 19 | गैर-वित्तीय कार्पोरेट ग्राहकों के लिए निष्पादक ऋण, रिटेल और लघु व्यवसाय ग्राहकों के लिए ऋण तथा सोवरेन, केन्द्रीय बैंकों और पीएसई हेतु ऋण, जिसमें से Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which | 0.00 | 5211.92 | 4377.12 | 66609.30 | 57815.53 |
| 20 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0.00 | 1407.22 | 1181.82 | 17984.51 | 12984.45 |
| 21 | निष्पादक निवासी बंधक, जिसमें से : Performing residential mortgages, of which: | 0.00 | 2.63 | 2.22 | 16162.08 | 10507.78 |
| 22 | ऋण जोखिम के लिए बेसल II मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% से कम या उसके बराबर जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk | 0.00 | 2.63 | 2.22 | 16162.08 | 10507.78 |
| 23 | प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक्सेंज ट्रेडेड इक्विटी समेत एचक्यूएल के रूप में अर्हक नहीं है Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities | 113.44 | 0.00 | 225.17 | 10253.22 | 8924.25 |
| 24 | अन्य आस्तियां : (25 से 29 का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29) | 5688.88 | 0.00 | 0.00 | 26463.91 | 24665.95 |
| 25 | भौतिक रूप से व्यापारित वस्तुएं, स्वर्ण सहित Physical traded commodities, including gold | 0.00 | | | | 0.00 |
| 26 | डेरिवेटिव संविदाओं के लिए आरंभिक मार्जिन के रूप में निर्धारित आस्तियां और सीसीपी की चूक निधियों हेतु अंशदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | परिवर्तित मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल न की गई अन्य सभी आस्तियां All other assets not included in the above categories | 5688.88 | 0.00 | 0.00 | 26463.91 | 24665.95 |
| 30 | ऑफ-बैलेन्स शीट मदें Off-balance sheet items | | 71027.20 | 1647.85 | 0.00 | 2919.33 |
| **31** | **कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)** | | | | | **110104.86** |
| **32** | **निवल स्थिर निधियन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)** | | | | | **149.88%** |

* 'परिपक्वता नहीं' टाइम बकेट में रिपोर्ट की गई मदों की कोई निर्धारित परिपक्वता नहीं होती। इनमें मदें किंतु उन तक ही सीमित नहीं, यथा बेमीयादी परिपक्वता के साथ पूंजी, गैर-परिपक्वता जमाराशियां, लघु स्थिति, मुक्त परिपक्वता स्थिति और गैर-एचक्यूएलए इक्विटियां शामिल हैं।

* Items reported in the 'no maturity' time bucket do not have a stated maturity. These includes, but are not limited to, items such as capital with perpetual maturity, non-maturity deposits, short positions, open maturity positions and non-HQLA equities.

**एनएसएफआर के गुणात्मक प्रकटन :**

एनएसएफआर पर दिशानिर्देश 01.10.2021 से प्रभावी हैं।

एनएसएफआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी आस्तियों और ऑफ-बैलेन्स शीट गतिविधियों के संमिश्र के संबंध में स्थिर निधियन प्रोफाईल बनाए रखता है। एक स्थायी फंडिंग संरचना का उद्देश्य बैंक के फंडिंग के नियमित स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति में ह्रास की संभावना को कम करना है, जो इसकी विफलता के जोखिम को बढ़ाएगा और संभावित रूप से व्यापक चरणबद्ध दबाव की ओर ले जाएगा। एनएसएफआर, अल्पावधि थोक निधियन पर अधिक निर्भरता को सीमित करती है, सभी ऑन तथा ऑफ-बैलेन्स शीट मदों के बीच निधियन जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को बढ़ावा देती है और निधियन स्थिरता को प्रोत्साहित करती है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधियन की राशि से संबंधित उपलब्ध स्थिर निधियन की राशि के रूप में पारिभाषित किया गया है। 'उपलब्ध स्थिर निधियन' (एएसएफ) को एनएसएफआर द्वारा निर्धारित समय अवधि पर निर्भर होने वाली अपेक्षित देयताओं और पूंजी

**Qualitative Disclosure around NSFR:**

Guidelines on NSFR has become effective from 01.10.2021.

The objective of NSFR is to ensure that bank maintains a stable funding profile in relation to the composition of its assets and off-balance sheet activities. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a bank's liquidity position due to disruptions in a bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress. The NSFR limits overreliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on- and off-balance sheet items, and promotes funding stability.

The NSFR is defined as the amount of available stable funding relative to the amount of required stable funding. "Available stable funding" (ASF) is defined as the portion of capital and liabilities expected to be reliable over the time horizon considered by the NSFR, which extends

के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जाता है। बैंक के आवश्यक स्थिर निधियन की राशि ('उपलब्ध स्थिर निधियन') (आरएसएफ) तरलता विशेषताओं और बैंक द्वारा धारित विभिन्न आस्तियों की शेष परिपक्वताओं और साथ ही इसके ऑफ-बैलेन्स शीट (ओबीएस) विगोपनों का एक कार्य है।

**एनएसएफआर के मुख्य संचालक :**

31 मार्च 2023 को बैंक का 'उपलब्ध स्थिर निधियन' (एएसएफ) रु.182365.58 करोड़ है। एएसएफ में कम स्थिर गैर-परिपक्वता जमाराशियों व रिटेल और छोटे व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमाराशियों से 38% तथा रिटेल और छोटे व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सावधि जमाराशियों और स्थिर गैर-परिपक्वता (मांग) जमाराशियों से 34% शामिल हैं।

आरएसएफ में, वित्तीय संस्थानों को एक वर्ष या उससे अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ और 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार की रेखा मद के साथ दिए गए ऋणों को छोड़कर, अन्य भार रहित मानक ऋण शामिल हैं, जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं ।

31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एनएसएफआर 156.64% है, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक 100% से अधिक है।

एनएसएफआर 31.12.22 के 165.99% से घटकर 31.03.2023 को 156.64% हो गया है, जिसका कारण समग्र बाजार ब्याज दरों में वृद्धि और परिणामस्वरूप सिस्टम में समग्र तरलता में कमी होना है।

to one year. The amount of stable funding required ("Required stable funding") (RSF) of Bank is a function of the liquidity characteristics and residual maturities of the various assets held by Bank as well as those of its off-balance sheet (OBS) exposures.

**Main drivers of NSFR:**

The Bank as on 31st March 2023, had maintained Available Stable Funding (ASF) of Rs 182365.58 cr. ASF consists of 38% from less stable non-maturity deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers and 34% from Stable non-maturity (demand) deposits and term deposits with residual maturity of less than one year provided by retail and small business customers.

RSF consists of 32% from "Other unencumbered 'standard' loans not included in the above categories, excluding loans to financial institutions, with a residual maturity of one year or more and with a risk weight of less than or equal to 35%" line item.

NSFR for the quarter ended 31st March 2023 is 156.64%, above RBI prescribed minimum requirement of 100%.

NSFR has decreased from 165.99% as of 31.12.22 to 156.64% as of 31.03.2023 due to increase in overall market interest rates and resultant decrease in overall liquidity in the system.

## 3. निवेश Investments

बैंक द्वारा निवेश पोर्टफोलियो को तीन वर्गों में यथा ''परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)'' ''बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)'', तथा ''व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)'' में वर्गीकृत किया गया है, तथा इन निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity (HTM)", "Available for Sale (AFS)", and "Held for Trading (HFT)" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India (RBI) guidelines.

### *a)* निवेश पोर्टफोलियो का संमिश्र *Composition of Investment Portfolio*

(राशि ₹ करोड़ में) **(Amount in ₹ crore)**

| विवरण Particulars | भारत में निवेश Investments in India | | | | | | | | | | | | | | भारत के बाहर निवेश Investments outside India | | कुल निवेश Total Investments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities | | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities | | शेयर्स Shares | | डिबेंचर व बांडस् Debentures and Bonds | | अनुषंगी इकाईयां और / व संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures | | अन्य Others | | भारत में कुल निवेश Total investments in India | | | | | |
| | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 |
| **परिपक्वता तक धारित Held to Maturity** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सकल Gross | 51192.83 | 46687.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 471.14 | 494.68 | 109.57 | 73.42 | 70.37 | 30.82 | 51843.90 | 47286.08 | 0.00 | 0.00 | 51843.90 | 47286.08 |
| घटाएं: अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान (एनपीआई) Less: Provision for nonperforming investments (NPI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **निवल Net** | **51192.83** | **46687.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **471.14** | **494.68** | **109.57** | **73.42** | **70.37** | **30.82** | **51843.90** | **47286.08** | **0.00** | **0.00** | **51843.90** | **47286.08** |
| **बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सकल Gross | 13182.79 | 16902.06 | 0.00 | 0.00 | 388.62 | 442.34 | 3447.20 | 4027.84 | 0.00 | 0.00 | 352.74 | 569.05 | 17371.36 | 21941.29 | 0.00 | 0.00 | 17371.36 | 21941.29 |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI | 122.64 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 53.42 | 169.65 | 39.54 | 213.72 | 0.00 | 0.00 | 132.72 | 75.83 | 348.31 | 502.71 | 0.00 | 0.00 | 348.31 | 502.71 |
| **निवल Net** | **13060.15** | **16858.55** | **0.00** | **0.00** | **335.20** | **272.69** | **3407.66** | **3814.12** | **0.00** | **0.00** | **220.03** | **493.22** | **17023.05** | **21438.58** | **0.00** | **0.00** | **17023.05** | **21438.58** |
| **व्यापार के लिए धारित Held for Trading** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| सकल Gross | 0.00 | -136.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -134.69 |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **निवल Net** | **0.00** | **-136.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-134.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **-134.69** |
| **कुल निवेश Total Investment** | **64375.62** | **63452.82** | **0.00** | **0.00** | **388.62** | **444.05** | **3918.34** | **4522.52** | **109.57** | **73.42** | **423.11** | **599.87** | **69215.26** | **69092.68** | **0.00** | **0.00** | **69215.26** | **69092.68** |
| घटाएं: अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान Less: Provision for nonperforming investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.94 | 23.95 | 213.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.18 | 23.95 | 344.84 | 0.00 | 0.00 | 23.95 | 344.84 |
| घटाएं: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI | 122.64 | 43.51 | 0.00 | 0.00 | 53.42 | 54.71 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.72 | 59.65 | 324.36 | 157.87 | 0.00 | 0.00 | 324.36 | 157.87 |
| **निवल Net** | **64252.98** | **63409.31** | **0.00** | **0.00** | **335.20** | **274.40** | **3878.80** | **4308.80** | **109.57** | **73.42** | **290.39** | **524.04** | **68866.95** | **68589.97** | **0.00** | **0.00** | **68866.95** | **68589.97** |

**ख) मूल्यह्रास तथा निवेश अस्थिर आरक्षिति के लिए प्रावधानों का संचलन**

(राशि ₹ करोड़ में)

| ब्योरे | | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| i) | निवेशों पर धारित प्रावधानों का संचलन (मूल्य ह्रास सहित) | | |
| | क) आरंभिक शेष | 502.71 | 535.05 |
| | ख) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान | 723.70 | 187.63 |
| | ग) घटाएं : बट्टे खाते/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन | 878.10 | 219.97 |
| | घ) अंतिम शेष | 348.31 | 502.71 |
| ii) | निवेश उतार-चढाव आरक्षिति का संचलन | | |
| | क) आरंभिक शेष | 426.10 | 403.00 |
| | ख) जोड़े : वर्ष के दौरान अंतरित राशि | - | 23.10 |
| | ग) घटाएं : आहरण | - | - |
| | घ) अंतिम शेष | 426.10 | 426.10 |
| iii) | एएफएस/ एचटीएफ श्रेणी में निवेशों के अंतिम शेष के प्रतिशत के अनुसार आईएफआर में अंतिम शेष | 2.43% | 2.00% |

ग) **एचटीएम श्रेणी में/ से स्थानांतरण एवं बिक्री**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत निवेश के विक्रय पर लाभ के रूप में करों और विनियामक आरक्षितियों का निवल **रु.12.29 करोड़** (**रु.83.69 करोड़**) की राशि पूंजी आरक्षिति में अंतरित की गई है।

बैंक ने वर्ष के दौरान 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत **रु. 112.94 करोड़** (**रु.123.95 करोड़**) की प्रतिभूतियों का परिशोधन किया और संबंधित प्रतिभूति के मूल्य को उस सीमा तक कम करते हुए रकम को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एचटीएम श्रेणी को/ से प्रतिभूतियों के अंतरण और विक्रय का मूल्य, जो निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ एकबारगी अंतरण को छोड़कर है, पूर्वघोषित ओएमओ नीलामियों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुसार, वित्तीय वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

**i. एचटीएम श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ के पूंजी आरक्षिति में अंतरण की गणना**

(राशि ₹ करोड़ में)

| ब्योरे | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ | 21.90 | 149.12 |
| एचटीएम पर हानि | - | - |
| एचटीएम प्रतिभूतियों की बिक्री पर निवल लाभ | 21.90 | 149.12 |
| घटाएं: आयकर | 5.51 | 37.53 |
| **उप- जोड़** | 16.39 | 111.59 |
| घटाएं: सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण समानुपातिक 25.00% | 4.10 | 27.90 |
| **पूंजी आरक्षिति में निवल अंतरण** | 12.29 | 83.69 |

**ii.** एएफएस और एचएफटी में निवेश पर एमटीएम मूल्यह्रास के कारण प्रतिलेखन के निवेश आरक्षिति को अंतरण की गणना

(राशि ₹ करोड़ में)

| ब्योरे | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2021-22 | पिछले वर्ष की तुलना में अंतर |
|---|---|---|---|
| एमटीएम मूल्यह्रास एएफएस | 260.07 | 103.17 | 156.90 |
| एमटीएम मूल्यह्रास एचएफटी | - | - | - |
| एमटीएम मूल्यह्रास एनपीआई | 3.40 | 3.63 | -0.22 |
| एसडीआर/ एस4ए के अंतर्गत एमटीएम मूल्यह्रास | 60.89 | 51.08 | 9.81 |
| **कुल** | **324.36** | **157.88** | **166.49** |

**b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve**

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| i) | Movement of provisions held (includes depreciation) on investments | | |
| | a) Opening balance | 502.71 | 535.05 |
| | b) Add: Provisions made during the year | 723.70 | 187.63 |
| | c) Less: Write off / write back of excess provisions during the year | 878.10 | 219.97 |
| | d) Closing balance | 348.31 | 502.71 |
| ii) | Movement of Investment Fluctuation Reserve | | |
| | a) Opening balance | 426.10 | 403.00 |
| | b) Add: Amount transferred during the year | - | 23.10 |
| | c) Less: Drawdown | - | - |
| | d) Closing balance | 426.10 | 426.10 |
| iii) | Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category | 2.43% | 2.00% |

**c) Sale and transfers to/from HTM category**

As per RBI guidelines, an amount of **Rs.12.29 crore (Rs 83.69 Crore)** net of taxes and statutory reserves being profit on sale of investment in 'Held to Maturity' category is transferred to Capital Reserve.

The Bank has amortized **Rs. 112.94 crore during the year (Rs 123.95 Crore)** for securities classified under 'Held to Maturity' category, and the amount has been charged to Profit & Loss account by reducing value of the respective securities to that extent.

The value of the sales and transfer of securities to / from HTM category during the financial year 2022-23, excluding one-time transfer with the approval of the Board, sales to RBI under pre announced OMO auctions and as permitted by RBI does not exceed 5 percent of the book value of investments in HTM category at the beginning of financial year

i. Computation of Transfer of Profit on Sale of Investment in HTM Category to Capital Reserve

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| Profit on sale of HTM Securities | 21.90 | 149.12 |
| Loss on HTM | - | - |
| Net Profit on sale of HTM Securities | 21.90 | 149.12 |
| **Less**: Income Tax | 5.51 | 37.53 |
| **Sub- Total** | 16.39 | 111.59 |
| **Less**: 25.00% proportionate to Transfer to Statutory Reserves | 4.10 | 27.90 |
| **Net Transfer to Capital reserve** | 12.29 | 83.69 |

ii. Computation of Transfer of Write Back on account of MTM Depreciation on Investment in AFS & HFT to Investment Reserve

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | F.Y. 2022-23 | F.Y. 2021-22 | Diff. over prev. year |
|---|---|---|---|
| MTM Depreciation AFS | 260.07 | 103.17 | 156.90 |
| MTM Depreciation HFT | - | - | - |
| MTM Depreciation NPI | 3.40 | 3.63 | -0.22 |
| MTM Depreciation under SDR/S4A | 60.89 | 51.08 | 9.81 |
| **Total** | **324.36** | **157.88** | **166.49** |

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अंतर्गत किए गए निवेश के लिए आवश्यक मूल्यह्रास के कारण निवेश आरक्षिति खाते से शून्य आहरण हुआ है, क्योंकि 31.03.2022 तक निवेश आरक्षित खाते में शून्य शेष बकाया है।

iii. वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लिए एचएफटी से एएफएस श्रेणी में तथा एएफएस एवं एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण से संबंधित विवरण :

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| एचएफटी से एएफएस | शून्य | शून्य |
| एएफएस से एचटीएम | शून्य | 693.03 |

वर्ष के दौरान बैंक ने 'विक्रय हेतु उपलब्ध' श्रेणी से 'परिपक्वता हेतु धारित' श्रेणी में रु.0.0 करोड़ (रु.5.28 करोड़) और 'परिपक्वता हेतु धारित' श्रेणी से 'विक्रय हेतु उपलब्ध' श्रेणी में रु.0.0 करोड़ (रु.0.0 करोड़) निवेशों के अंतरण के कारण मूल्य में कमी के लिए निवेशों पर मूल्य ह्रास प्रदान किया है।

**iv.** वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 के लिए एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरित प्रतिभूतियों से संबंधित ब्यौरे :

(राशि ₹ करोड़ में)

| संविभाग | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2021-22 |
|---|---|---|
| एचटीएम से एएफएस | 2937.30 | 4906.71 |

**घ) गैर-एसएलआर निवेश संविभाग**

i. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | ब्योरे | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 |
|---|---|---|---|
| क) | प्रारंभिक शेष | 446.37 | 446.97 |
| ख) | 1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन | 646.70 | 199.98 |
| ग) | उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी (टीडब्ल्यूओ सहित) * | 1064.25 | 200.58 |
| घ) | अंतिम शेष | 28.82 | 446.37 |
| ड.) | **किए गए कुल प्रावधान** | 23.95 | 344.84 |

* तकनीकी बट्टाकृत खाते (टीडब्ल्यूओ) के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए क्रमश: रु. 892.05 करोड़ और रु.135.43 करोड़ की कमी।

During the current Financial Year 2022-23 there is nil drawdown from Investment Reserve Account on account of depreciation required to be made for investment held under AFS & HFT categories, since as on 31.03.2022 there is nil balance outstanding in investment reserve account.

iii. Details regarding shifting of security from HFT to AFS category and securities from AFS & HFT to HTM Category be provided for FY 2022-23 & 2021-22.

(Amount in ₹ crore)

| Portfolio | FY2022-23 | FY2021-22 |
|---|---|---|
| HFT to AFS | Nil | Nil |
| AFS to HTM | Nil | 693.03 |

During the year, Bank has provided depreciation on investment for diminution in value on account of shifting of investments from 'Available for Sale' category to 'Held to Maturity' category Rs. 0 Crore (Rs. 5.28 Crore) and from 'Held to Maturity' category to 'Available for Sale' category Rs. 0 crore (Rs. 0.0 Crore).

iv. Details regarding security transferred from HTM category to AFS category for FY 2022-23 & 2021-22

(Amount in ₹ crore)

| Portfolio | FY 2022-23 | FY 2021-22 |
|---|---|---|
| HTM to AFS | 2937.30 | 4906.71 |

**d) Non-SLR investment portfolio**

i) Non-performing non-SLR investments

(Amount in ₹ crore)

| S. N. | Particulars | FY 2022-23 | FY 2021-22 |
|---|---|---|---|
| a) | Opening balance | 446.37 | 446.97 |
| b) | Additions during the year since 1st April | 646.70 | 199.98 |
| c) | Reductions during the above period (Including TWO)* | 1064.25 | 200.58 |
| d) | Closing balance | 28.82 | 446.37 |
| e) | Total provisions held | 23.95 | 344.84 |

* Reduction on account of Technically Written off (TWO) Rs.892.05 crore and Rs.135.43 crore for FY 2022-23 for and FY 2021-22 respectively.

ii) गैर-एसएलआर निवेशों का निर्गमकर्तावार संमिश्र Issuer composition of non-SLR investments (राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र. Sr. No. | निर्गमकर्ता Issuer | राशि Amount | | निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement | | निवेश से कम ग्रेड वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities | | गैर क्रम वाली प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities | | असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| | | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 | 2022-23 | 2021-22 |
| a) | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSUs | 493.82 | 508.15 | 457.63 | 507.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) | वित्तीय संस्थाएं FIs | 868.71 | 952.27 | 828.49 | 910.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) | बैंक Banks | 268.69 | 360.36 | 264.89 | 333.81 | 5.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) | निजी निगमित निकाय Private Corporates | 1417.63 | 2129.97 | 1384.97 | 2111.27 | 163.80 | 826.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e) | सहायक / संयुक्त उद्यम Subsidiaries/ Joint Ventures | 209.68 | 173.53 | 209.68 | 173.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.11 | 100.11 |
| f) | अन्य Others | 1581.11 | 1515.58 | 1571.11 | 1505.58 | 176.03 | 191.00 | 121.03 | 121.03 | 306.82 | 337.79 |
| | **उप जोड़ Sub Total** | **4839.64** | **5639.86** | **4716.77** | **5541.88** | **344.83** | **1032.40** | **121.03** | **121.03** | **406.93** | **437.90** |
| g) | धारित प्रावधान (मूल्यह्रास सहित) Provision held (Includes Depreciation) | 225.67 | 459.20 | 227.92 | 460.91 | 24.26 | 312.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **कुल Total** | **4613.97** | **5180.66** | **4488.85** | **5080.97** | **320.57** | **719.56** | **121.03** | **121.03** | **406.93** | **437.90** |

ड) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के रूप में) **Repo transactions (in face value terms)**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया **Minimum outstanding during the year** | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया **Maximum outstanding during the year** | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया **Daily average outstanding during the year** | 31 मार्च, 2023 को बकाया **Outstanding as on March 31, 2023** |
|---|---|---|---|---|
| i) रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां<br>Securities sold under repo<br>सरकारी प्रतिभूतियां<br>Government securities | शून्य (शून्य)<br>NIL (NIL) | 1500 (4073) | 31 (7) | शून्य (शून्य)<br>NIL (NIL) |
| ii) रेपो उधारियां (एलएएफ)<br>Repo Borrowing (LAF) | | | | |
| रेपो उधारियां (मीयादी)<br>Repo Borrowing (Term) | 500(500) | 500(500) | 500(500) | 500 (500) |
| कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां<br>Corporate debt securities | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) |
| कोई अन्य प्रतिभूतियां<br>Any other securities | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) |
| iii) रिवर्स-रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां<br>Securities purchased under reverse repo | | | | |
| सरकारी प्रतिभूतिया Government securities | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | 10194 (15619) | 101 (2426) | शून्य NIL (8700) |
| कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) |
| कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) |

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में रिपोर्ट किए गए हैं।
* Previous Year Figures are reported in bracket

एलएएफ के अतिरिक्त रेपो संव्यवहार Repo transactions other than LAF

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| | वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया **Minimum outstanding during the year** | वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया **Maximum outstanding during the year** | वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया **Daily average outstanding during the year** | 31 मार्च, 2022 को **Outstanding as on March 31, 2023** |
|---|---|---|---|---|
| i) रेपो के अंतर्गत बेची गईं प्रतिभूतियां<br>Securities sold under repo | | | | |
| सरकारी प्रतिभूतियां Government securities | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | 3970 (4200) | 512 (299) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) |
| कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) |
| कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) |
| ii) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय प्रतिभूतियां<br>Securities purchased under reverse repo | | | | |
| सरकारी प्रतिभूतियां Government securities | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | 236 (237) | 56 (47) | शून्य NIL (139) |
| कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate debt securities | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) |
| कोई अन्य प्रतिभूतियां Any other securities | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) | शून्य (शून्य) NIL (NIL) |

* पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में रिपोर्ट किए गए हैं Previous Year Figures are reported in bracket

## 4. आस्ति गुणवत्ता Asset quality

### a) अग्रिमों का वर्गीकरण तथा धारित प्रावधान *Classification of advances and provisions held*

(राशि ₹ करोड़ में) **(Amount in ₹ crore)**

| | मानक Standard | | गैर-निष्पादक Non-Performing | | | | | | | | कुल Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances | | गैर मानक Sub standard | | संदिग्ध Doubtful | | हानि Loss | | कुल गैर-निष्पादक अग्रिम Total Non-Performing Advances | | | |
| | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| **सकल मानक अग्रिम व एनपीए Gross Standard Advances and NPAs** | | | | | | | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष Opening Balance | 129912.59 | 99874.08 | 1985.77 | 1790.36 | 3108.10 | 5513.23 | 233.34 | 476.09 | 5327.21 | 7779.68 | 135239.81 | 107653.76 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि Add: Additions during the year | | | | | | | | | 1629.72 | 2182.36 | | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कमी* Less: Reductions during the year* | | | | | | | | | 2622.93 | 4634.83 | | |
| समापन शेष Closing balance | **170785.50** | **129912.59** | **1466.97** | **1985.77** | **2691.87** | **3108.10** | **175.16** | **233.34** | **4334.00** | **5327.21** | **175119.49** | **135239.81** |
| *सकल एनपीए में कमी के कारण : *Reductions in Gross NPAs due to: | | | | | | | | | | | | |
| i) कोटि उन्नयन Upgradation | | | | | | | | | 199.48 | 343.48 | 199.48 | 343.48 |
| ii) वसूली (कोटि उन्नत खातों में वसूली को छोड़कर) ii) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts) | | | | | | | | | 932.87 | 1173.79 | 932.87 | 1173.79 |
| iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते iii) Technical/ Prudential Write-offs | | | | | | | | | 1311.98 | 2841.53 | 1311.98 | 2841.53 |
| iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते iv) Write-offs other than those under (iii) above | | | | | | | | | 178.59 | 276.03 | 178.59 | 276.03 |
| **प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर) Provisions (excluding Floating Provisions)** | | | | | | | | | | | | |
| धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held | 1634.29 | 1337.59 | 1328.96 | 647.77 | 2448.75 | 4081.77 | 231.17 | 475.46 | 4008.87 | 5205.00 | 5643.16 | 6542.59 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year | | | | | | | | | 2253.10 | 2710.94 | | |
| घटाएं: अतिरिक्त प्रावधान प्रत्यावर्तित / बट्टे खाते ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans | | | | | | | | | 2401.35 | *3907.07 | | |
| धारित प्रावधानों का समापन शेष Closing balance of provisions held | **1540.11** | **1634.29** | **1100.76** | **1328.96** | **2590.34** | **2448.75** | **169.53** | **231.17** | **3860.63** | **4008.87** | **5400.74** | **5643.16** |
| **निवल एनपीए Net NPAs** | | | | | | | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष Opening Balance | | | 656.81 | 1142.59 | 617.59 | 1401.10 | 2.17 | 0.63 | 1276.57 | 2544.32 | 1276.57 | 2544.32 |

| | मानक Standard | | गैर-निष्पादक Non-Performing | | | | | | | | कुल Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | कुल मानक अग्रिम Total Standard Advances | | गैर मानक Sub standard | | संदिग्ध Doubtful | | हानि Loss | | कुल गैर-निष्पादक अग्रिम Total Non-Performing Advances | | | |
| | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| जोड़ें: ईसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटान राशि<br>Add: ECGC/DICGC Settled Amount | | | | | | | | | 40.85 | 29.22 | 40.85 | 29.22 |
| सकल प्रारंभिक शेष Gross Opening Balance | | | | | | | | | 1317.42 | 2573.54 | 1317.42 | 2573.54 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान अभिवृद्धि<br>Add: Fresh additions during the year | | | | | | | | | 559.80 | 677.21 | 559.80 | 677.21 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान कमी<br>Less: Reductions during the year | | | | | | | | | 1403.84 | 1933.33 | 1403.84 | 1933.33 |
| सकल समापन शेष Gross Closing Balance | | | | | | | | | 473.38 | 1317.42 | 473.38 | 1317.42 |
| घटाएं: ईसीजीसी/डीआईसीजीसी निपटान राशि<br>Less: ECGC/DICGC Settled Amount | | | | | | | | | 38.20 | 40.85 | 38.20 | 40.85 |
| निवल समापन शेष Net Closing Balance | | | 366.22 | 656.81 | 63.33 | 617.59 | 5.63 | 2.17 | 435.18 | 1276.57 | 435.18 | 1276.57 |
| **अस्थिर प्रावधान Floating Provisions** | | | | | | | | | | | | |
| प्रारंभिक शेष Opening Balance | | | | | | | | | | | - | - |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान<br>Add: Additional provisions made during the year | | | | | | | | | | | - | - |
| घटाएं: वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि<br>Less: Amount drawn down during the year | | | | | | | | | | | - | - |
| अस्थिर प्रावधानों समापन शेष<br>Closing balance of floating provisions | | | | | | | | | | | - | - |
| **तकनीकी बट्टे खाते तथा उनमें हुई वसूली<br>Technical write-offs and the recoveries made thereon** | | | | | | | | | | | | |
| तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते का प्रारंभिक शेष<br>Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts | | | | | | | | | | | 18791.70 | 17099.71 |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान हुए तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते<br>Add: Technical/ Prudential write-offs during the year | | | | | | | | | | | 2235.24 | 3477.02 |
| घटाएं: वर्ष के दौरान पूर्व में हुए तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों में वसूली<br>Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year | | | | | | | | | | | 1330.23 | 1785.03 |
| **समापन शेष Closing balance** | | | | | | | | | | | **19696.71** | **18791.70** |

* रू.132.46 करोड़ का काउंटर साइक्लिकल बफर उपयोग किया गया

*Counter Cyclical buffer of Rs. 132.46 Crore utilized.



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

| अनुपात (प्रतिशत में) Ratios (in per cent) | वि.व. 2022-23 F.Y. 2022-23 | वि.व. 2021-22 F.Y. 2021-22 |
|---|---|---|
| सकल अग्रिम से सकल एनपीए Gross NPA to Gross Advances | 2.47% | 3.94% |
| निवल अग्रिम से निवल एनपीए Net NPA to Net Advances | 0.25% | 0.97% |
| प्रावधान कवरेज अनुपात Provision coverage ratio | 98.28% | 94.79% |

**ख) b) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए Sector-wise Advances and Gross NPAs**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amounts in ₹ crore)

| क्रमांक Sr. No. | क्षेत्र Sector | 2022-23 | | | 2021-22 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances | सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector | बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances | सकल अनर्जक आस्तियां Gross NPAs | उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों से सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector |
| **i)** | **प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector** | | | | | | |
| a) | कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities | 23400.00 | 2332.00 | 9.97% | 19701.04 | 2844.88 | 14.44% |
| b) | प्राथमिकता क्षेत्र उधारियों के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending | 9469.20 | 228.41 | 2.41% | 7749.61 | 403.04 | 5.20% |
| c) | सेवाएं Services | 23842.93 | 1045.22 | 4.38% | 19623.39 | 994.78 | 5.07% |
| d) | वैयक्तिक ऋण Personal loans | 10830.47 | 149.67 | 1.38% | 8066.11 | 187.53 | 2.33% |
| | **उप-जोड़ (i) Sub-total (i)** | **67542.60** | **3755.30** | **5.56%** | **55140.15** | **4430.23** | **8.03%** |
| **ii)** | **गैर प्राथमिकता क्षेत्र Non-priority Sector** | | | | | | |
| a) | कृषि और सहायक गतिविधियां Agriculture and allied activities | - | - | - | - | - | - |
| b) | उद्योग Industry | 26387.26 | 47.00 | 0.18% | 25439.41 | 454.32 | 1.79% |
| c) | सेवाएं Services | 46517.78 | 372.97 | 0.80% | 26787.05 | 277.09 | 1.03% |
| d) | वैयक्तिक ऋण Personal loans | 34671.85 | 158.73 | 0.46% | 27873.20 | 165.57 | 0.59% |
| | **उप-जोड़ (ii) Sub-total (ii)** | **107576.89** | **578.70** | **0.54%** | **80099.66** | **896.98** | **1.12%** |
| | **कुल (i+ii) Total (i + ii)** | **175119.49** | **4334.00** | **2.47%** | **135239.81** | **5327.21** | **3.94%** |

**ग) विदेशों में आस्तियां, अनर्जक आस्तियां व राजस्व**

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| कुल आस्तियां | *79.61 | *110.54 |
| कुल अनर्जक आस्तियां | - | - |
| कुल राजस्व | 0.35 | 0.32 |

* 31.03.2023 और 31.03.2022 को नोस्ट्रो खातों में बकाया शेष।

**घ) निपटान योजना और पुनर्संरचना के विवरण**

दबावग्रस्त आस्तियों के संशोधित फ्रेमवर्क के निपटान पर दिनांक 07.06.2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. आरबीआई/2018-19/2013 डीबीआर क्र.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के प्रभाव निम्नानुसार हैं :

**c) Overseas assets, NPAs and revenue**

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| Total Assets | *79.61 | *110.54 |
| Total NPAs | - | - |
| Total Revenue | 0.35 | 0.32 |

* Outstanding Balance in NOSTRO Accounts as on 31.03.2023 and 31.03.2022.

**d) Particulars of resolution plan and restructuring**

Impact of RBI Circular No RBI/2018-19/2013 DBR No BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated 07.06.2019 on resolution of stressed assets - Revised framework is as follows:

(राशि ₹ करोड़ में)

| भारिबैंक परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि (क) | एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि (ख) | एनपीए के रूप में वर्गीकृत (ख) में से 31.03.2023 को ऋणों की राशि (ग) | भारिबैंक परिपत्र के अंतर्गत कवर ऋणों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान (घ) | 31.03.2023 को पहले ही किए गए (घ) में से प्रावधान |
|---|---|---|---|---|
| 709.55 | - | - | - | - |

**ड.) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन**

दिनांक 11 अक्तूबर, 2022 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर. एसीसी. आरईसी. क्र.74/ 21.04.018/2022-23 के अनुसार बैंकों को वित्तीय विवरणों हेतु खातों पर अपनी टिप्पणियों में भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया हेतु अनुवर्ती आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में विचलन को प्रकट करना आवश्यक है, जहां कहीं भी निम्नलिखित में से कोई या दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण संदर्भित अवधि के लिए प्रावधानों और आकस्मिकताओं से पूर्व रिपोर्ट किए गए लाभ से 10 प्रतिशत अधिक होता है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित सकल एनपीए संदर्भाधीन अवधि के लिए प्रकाशित वृद्धिशील सकल एनपीए से 10 प्रतिशत अधिक होता है।

चूंकि विचलन ऊपर निर्दिष्ट किए अनुसार आरंभिक सीमा के भीतर हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण में कोई विगोपन कोई विचलन आवश्यक नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंगित विचलनों के लिए अपनी आरएआर रिपोर्ट प्रदान की।

**च) ऋण विगोपनों के अंतरण का प्रकटन**

i) असाइनमेंट के माध्यम से अधिग्रहीत चूक में न होने वाले ऋणों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

| विवरण | |
|---|---|
| अधिग्रहीत ऋणों की समग्र राशि (रु.करोड़ में) | 8520.20 |
| भारित औसत शेष परिपक्वता (माह में) | 27.29 |
| ओरिजिनेटर द्वारा भारित औसत धारित अवधि (महीने में) | 6.36 |
| ओरिजिनेटर द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण | 10.32% |
| मूर्त प्रतिभूति कवरेज | 27.62% |

प्राप्त किए गए ऋणों को रेट नहीं किया गया क्योंकि ये गैर-निगमित उधारकर्ताओं से संबंधित हैं।

(Amounts in ₹ crore)

| Amount of Loans impacted by RBI Circular (A) | Amount of loans to be classified as NPA (B) | Amount of Loans as on 31.03.2023, out of (B) classified as NPA (C) | Additional Provision required for loans covered under RBI circular (D) | Provision out of (D) already made by 31.03.2023 |
|---|---|---|---|---|
| 709.55 | - | - | - | - |

**e) Divergence in asset classification and provisioning**

In terms of the RBI circular no. DOR. ACC.REC. NO.74/21.04.018/2022-23 dated October 11, 2022, banks are required to disclose the divergences in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever either or both of the following conditions are satisfied:

(a) the additional provisioning for NPAs assessed by RBI exceeds 10 per cent of the reported profit before provisions and contingencies for the reference period and

(b) the additional Gross NPAs identified by RBI exceed 10 per cent of the published incremental Gross NPAs for the reference period.

As the divergences are within threshold limit as specified above, no disclosure on divergence in asset classification and provisioning for NPAs is required with respect to RBI's annual supervisory process for F.Y. 2022-23. However, the bank has provided for divergences pointed out by RBI in its RAR report for F.Y. 2021-22.

**f) Disclosure of transfer of loan exposures**

i) Details of loans not in default acquired during the year ended 31st. March 2023 through assignment are given below:

| Particulars | |
|---|---|
| Aggregate amount of loans acquired (Rs in Crore) | 8520.20 |
| Weighted average residual maturity (in months) | 27.29 |
| Weighted average holding period by originator (in months) | 6.36 |
| Retention of beneficial economic interest by the originator | 10.32% |
| Tangible security coverage | 27.62% |

The loans acquired are not rated as these are related to non-corporate borrowers.

ii) अंतरित या अधिग्रहित दबावग्रस्त ऋणों संबंधी ब्यौरे निम्नानुसार हैं : In the case of stressed loans transferred or acquired, the details are as under:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| वर्ष के दौरान अंतरित दबावग्रस्त ऋणों के ब्यौरे Details of stressed loans transferred during the Year | | | |
|---|---|---|---|
| **क) A) अंतरित अनर्जक आस्तियों के ब्यौरे Detail of Non-Performing Assets Transferred** | | | |
| **विवरण Particulars** | **एआरसी को To ARCs** | **अनुमत अंतरिती को To permitted transferees** | **अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें) To other transferees (please specify)** |
| खातों की संख्या No: of accounts | 2 | लागू नहीं NIL | लागू नहीं NIL |
| अंतरित ऋणों का समग्र मूल बकाया Aggregate principal outstanding of loans transferred | 347.35 | लागू नहीं NIL | लागू नहीं NIL |
| अंतरित ऋणों की भारित औसत शेष अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer) | शून्य 0.00 | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| समग्र प्रतिफल Aggregate consideration | 170.76 | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| पूर्व वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में भुनाए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years | लागू नहीं NIL | लागू नहीं NA | लागू नहीं NA |
| बैंक ने उपरोक्त ऋणों की बिक्री पर, ₹16.89 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान को लाभ और हानि खाते में प्रत्यावर्तित किया है। The Bank has reversed the excess provision of ₹16.89 crore to profit and loss account on sale of aforesaid loans. | | | |
| **ख) B) अंतरित एसएमए के ब्यौरे : शून्य Detail of SMA Transferred: Nil** | | | |

| ग) C) वर्ष के दौरान अधिग्रहीत ऋणों के ब्यौरे (एनपीए और एसएमए) Details of loans acquired during the year (NPA & SMA) | | |
|---|---|---|
| विवरण Particulars | आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से From SCBs, RRBs, UCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs) | एआरसी से From ARCs |
| अधिग्रहीत ऋणों का समग्र मूल बकाया Aggregate principal outstanding of loans acquired | शून्य NIL | शून्य NIL |
| चुकता समग्र प्रतिफल Aggregate consideration paid | शून्य NIL | शून्य NIL |
| अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत शेष अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired | शून्य NIL | शून्य NIL |

iii) Recovery Ratings assigned to O/s SRs as on 31.03.2023 by the credit rating agencies

iii) ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा बकाया एसआर को 31.03.2023 को प्रदत्त वसूली रेटिंग

(राशि ₹ करोड़ में)

| वसूली रेटिंग बैण्ड* | राशि |
|---|---|
| RR1 | - |
| RR2 | - |
| RR3 | - |
| RR4 | - |
| RR5 | - |
| वापस ली गई रेटिंग | - |
| अनरेटेड | 130.79 |
| **कुल** | **130.79** |

* **रिकवरी रेटिंग विभिन्न बाह्य एजेंसियों द्वारा दिए अनुसार।**

**छ) धोखाधड़ी खाते**

धोखाधडियों की संख्या और राशि के साथ ही तत्संबंधी प्रावधानीकरण के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| रिपोर्ट की गई धोखाधडियों की संख्या | 105 | 188 |
| धोखाधड़ी में शामिल राशि (₹ करोड़) | 933.27 | 1146.19 |
| ऐसी धोखाधडियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि (₹ करोड़) * | 735.85 | 502.79 |
| वर्ष की समाप्ति पर अन्य आरक्षितियों से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि (₹ करोड़) | - | - |

* 31.03.2023 को बैंक ने रु. 735.85 करोड़ (31.03.2022 को 502.79 करोड़) अर्थात 100% प्रावधान धारित किया है।

**ज) कोविड-19-संबंधी दबाव के लिए रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रकटन**

5 मई, 2021 (रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0) और 6 अगस्त, 2020 (रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क 1.0) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 31 मार्च, 2023 को कोविड-19 संबंधी दबावग्रस्त आस्तियों के लिए आरबीआई रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत कार्यान्वित रिजॉल्यूशन योजना के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

(Amount in ₹ crore)

| Recovery Rating Band* | Amount |
|---|---|
| RR1 | - |
| RR2 | - |
| RR3 | - |
| RR4 | - |
| RR5 | - |
| Rating Withdrawn | - |
| Unrated | 130.79 |
| **Total** | **130.79** |

* Recovery rating is as assigned by various external agencies.

**g) Fraud accounts**

The number and amount of frauds as well as the provisioning thereon are as under :-

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| Number of frauds reported | 105 | 188 |
| Amount involved in fraud (₹ crore) | 933.27 | 1146.19 |
| Amount of provision made for such frauds (₹ crore) * | 735.85 | 502.79 |
| Amount of Un-amortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year (₹ crore) | - | - |

* The Bank holds 100% provision i.e. of Rs. 735.85 Crore as of 31.03.2023 (Rs. 502.79 Crore as of 31.03.2022)

**h) Disclosure under Resolution Framework for COVID-19-related Stress**

Details of resolution plan implemented under the RBI Resolution Framework for COVID-19 related stressed assets as per RBI circular dated August 6, 2020 (Resolution Framework 1.0) and May 5, 2021 (Resolution Framework 2.0) at March 31, 2023 are as under :-

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| उधारकर्ता का प्रकार<br>Type of the Borrower | संकल्प योजना के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरुप मानक खातों के रूप में वर्गीकृत खातों हेतु विगोपन - 30 सितंबर, 2022 की समाप्ति पर स्थिति (क)<br>Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at the end of September 30, 2022 (A) | (क) में से, समग्र ऋण जो 31 मार्च, 2023 को समाप्त छमाही के दौरान एनपीए के रूप में अवनत हुए<br>Of (A), aggregate debt that slipped into NPA during the half-year ending March 31, 2023 | (क) में से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त छमाही के दौरान बट्टे खाते राशि<br>Of (A) amount written off during the half-year ending March 31, 2023 | (क) में से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चुकता राशि<br>Of (A) amount paid by the borrowers during the half-year ending March 31, 2023 | संकल्प योजना के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरुप मानक खातों के रूप में वर्गीकृत खातों हेतु विगोपन - 31 मार्च, 2023 की समाप्ति पर स्थिति<br>Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan – Position as at March 31, 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| वैयक्तिक ऋण Personal Loan | 2118.75 | 98.31 | 14.08 | 41.07 | 1863.09 |
| निगमित व्यक्ति *<br>Corporate Persons* | 982.33 | 0.00 | 0.00 | 152.45 | 838.68 |
| जिसमें से एमएसएमई<br>Of which MSMEs | 53.52 | 0 | 0.00 | 3.02 | 51.92 |
| अन्य Others | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल Total** | **3101.08** | **98.31** | **14.08** | **193.52** | **2701.77** |

* दिवाला और दिवालियापन कोड, 2016 की धारा 3(7) में परिभाषित किए अनुसार

* As defined in Section 3(7) of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

कोविड-19 की स्थिति के प्रभाव को देखते हुए बैंक 31 मार्च, 2023 को कोविड-19 संबंधी आकस्मिकता प्रावधान के रूप में रु.1200 करोड़ का प्रावधान रखता है।

Considering the impact of COVID-19 situation, the Bank holds COVID-19 related provision of ₹ 1200 crores as contingency provision as on 31st March 2023.

## 5. विगोपन: Exposures

### क) a) स्थावर संपदा (रियल एस्टेट) क्षेत्र में विगोपन Exposure to Real Estate Sector

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र. S N | श्रेणी Category | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| a) | प्रत्यक्ष विगोपन *Direct exposure* | 33771.02 | 24670.31 |
| i | आवासीय बंधक - Residential Mortgages – | 31129.34 | 23198.14 |
| | जिसमें से उधारकर्ता द्वारा अधिग्रहित या अधिग्रहण की जाने वाली या किराये से दी संपत्ति पर दिये गये ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः रक्षित हैं (प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र व्यक्तिगत आवास ऋणों को अलग से दर्शाया जाए)<br>*Of which* Lending fully secured by mortgage on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately. | 19504.20 | 13131.62 |
| ii | वाणिज्यिक स्थावर संपदा: Commercial Real Estate –<br>वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, रिटेल स्थान, बहुप्रयोज्य वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, अधिक किरायेदारों वाले वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भू-अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) निवेश में गैरनिधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं भी शामिल हैं<br>Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure would also include non-fund based (NFB) limits.) | 2641.68 | 1472.17 |
| iii | बंधक द्वारा प्रतिरक्षित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य रक्षित विगोपनों में निवेश-<br>Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –<br>क) आवासीय a. Residential,<br>ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा b. Commercial Real Estate. | <br><br>शून्य Nil<br>शून्य Nil | <br><br>शून्य Nil<br>शून्य Nil |
| b) | अप्रत्यक्ष निवेश *Indirect Exposure*<br>राष्ट्रीय आवास बैंक और आवासीय वित्त कंपनियों में निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश<br>Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs). | 4430.00 | 3408.52 |
| | **स्थावर संपदा क्षेत्र हेतु कुल विगोपन Total Exposure to Real Estate Sector** | **38201.02** | **28078.83** |

### ख) पूंजी बाजार का विगोपन b) Exposure to capital market

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| विवरण Particulars | | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| i) | ईक्विटी शेयर,परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचरों , ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों में जिसकी मूलनिधि का निवेश केवल संस्थागत ऋणों में नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश<br>Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt; | 64.69 | 72.45 |
| ii) | व्यक्तियों को ईक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों में निवेश करने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या किसी अन्य प्रतिभूति पर या गैर जमानती आधार पर अग्रिम<br>Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds; | - | - |
| iii) | अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंडों की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है<br>Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security; | 0.11 | 0.19 |
| iv) | अन्य किसी प्रयोजन हेतु अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति माना गया है अर्थात जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ ईक्विटी उन्मुख फंड यूनिटों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करती।<br>Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances; | - | - |
| v) | स्टॉक ब्रोकरों को जमानती और गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां<br>Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers; | 0.27 | 4.17 |

| विवरण Particulars | | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| vi) | संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान की रकम जुटाने हेतु शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या गैर जमानती आधार पर कॉर्पोरेट को मंजूर ऋण<br>Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources; | - | - |
| vii) | अपेक्षित ईक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण<br>Bridge loans to companies against expected equity flows / issues; | - | - |
| viii) | शेयरों के प्रारंभिक निर्गम या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूच्यूअल फंड की यूनिटों के सम्बंध में बैंक द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबध्दताएं<br>Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds; | - | - |
| ix) | मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण Financing to stockbrokers for margin trading; | - | - |
| x) | उद्यमी पूंजी निधियों (पंजीकृत व अपंजीकृत दोनों) में सभी विगोपन<br>All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) | 105.39 | 112.71 |
| | **पूंजी बाजार में कुल विगोपन Total exposure to capital market** | **170.46** | **189.52** |

ऋण के रणनीतिक पुनर्गठन, जो पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं/ विनियामक सीमाओं/ अंतर्समूह विगोपन और परा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश से छूट प्राप्त है, के भाग के रूप में इक्विटी में ऋण के परिवर्तन पर इक्विटी शेयरों में बैंक के प्रत्यक्ष निवेश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

The details of Bank's Direct investment in equity shares on conversion of debt into equity as a part of strategic restructuring of debt which are exempt from Capital Market Exposure limits/regulatory ceilings/investment in para-banking activities and intra-group exposure, is as under:

(राशि ₹ करोड़ में)(Amount in ₹ crore)

| विवरण Particulars | 31.03.2023 | | 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|
| | खातों की संख्या No. of accounts | राशि Amount | खातों की संख्या No. of accounts | राशि Amount |
| ऋण के ईक्विटी में अंतरण के कारण प्राप्त/आंबटित ईक्विटी शेयरों में निवेश, जिन्हें पूंजी बाजार विगोपन सीमाओं/विनियामक सीमाओं/गैर बैंकिंग गतिविधियों एवं अंतर्समूह विगोपन में निदेश से छूट प्राप्त है।<br>Investment in equity shares received/allotted on account of conversion of debt into equity which are exempt from Capital Market Exposure limits/regulatory ceilings/investment in para-banking activities and intra-group exposure | 10 | 235.81 | 13 | 286.45 |

**ग) c) जोखिम श्रेणीवार देश विगोपन Risk category-wise country exposure**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| जोखिम श्रेणी* Risk Category* | 31 मार्च 2023 को विगोपन (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2023 | 31 मार्च 2023 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2023 | 31 मार्च 2022 को विगोपन (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2022 | 31 मार्च 2022 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2022 |
|---|---|---|---|---|
| नगण्य जोखिम Insignificant | 606.51 | - | 591.96 | - |
| कम जोखिम Low | 170.71 | - | 445.28 | - |
| साधारण जोखिम Moderately Low | 110.37 | - | 36.94 | - |
| साधारणत: कम जोखिम Moderate | 30.07 | - | 14.02 | - |
| साधारणत: उच्च जोखिम Moderately High | 0.99 | - | 21.97 | - |
| उच्च जोखिम High | 28.36 | - | - | - |
| अति उच्च जोखिम Very High | 8.81 | - | - | - |
| **कुल Total** | **955.82** | **-** | **1110.17** | **-** |

* उस समय तक, जब तक कि बैंक आंतरिक रेटिंग सिस्टम पर चले जाते हैं, तब तक बैंक सात-श्रेणी के वर्गीकरण का उपयोग करेंगे, जिसके बाद निर्यात ऋण गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी) का वर्गीकरण और देश के जोखिम विगोपनों के लिए प्रावधान करना होगा। बैंकों को अनुरोध पर, ईसीजीसी उनके देश के वर्गीकरण का तिमाही अद्यतन प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश के वर्गीकरण में किसी भी अचानक बड़े बदलाव के मामले में सभी बैंकों को सूचित करेगा।

* Till such time, as banks move over to internal rating systems, banks shall use the seven-category classification followed by Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC) for the purpose of classification and making provisions for country risk exposures. ECGC shall provide to banks, on request, quarterly updates of their country classifications and shall also inform all banks in case of any sudden major changes in country classification in the interim period.

**घ) अरक्षित अग्रिम**

अग्रिमों की कुल राशि, जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकारों पर प्रभार, लाइसेन्स, प्राधिकरण इत्यादि को निम्नानुसार ऐसी अमूर्त संपार्श्विक के अनुमानित मूल्य के रूप में लिया गया है, निम्नानुसार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| बैंक के कुल अरक्षित अग्रिम | 31725.44 | 22061.78 |
| उपर्युक्त में से, अग्रिमों की राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकारों पर प्रभार, लाइसेन्स, प्राधिकरण इत्यादि को लिया गया है। | 3192.99 | 2769.42 |
| ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य | 3185.12 | 3297.45 |

**ङ) खंड विगोपन**

खंड विगोपन शून्य है।

**च) अंतर-समूह विगोपन**

बैंक के अंतर-समूह विगोपन का ब्यौरा निम्नानुसार है;

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 1 | अंतर-समूह विगोपन की कुल राशि | 750.00 | 750.00 |
| 2 | 20 शीर्ष अंतर-समूह विगोपनों की कुल राशि | 750.00 | 750.00 |
| 3 | उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल विगोपन की तुलना में अंतर-समूह का प्रतिशत | 0.43% | 0.55% |
| 4 | अंतर-समूह विगोपन की सीमाओं के उल्लंघन का ब्यौरा तथा इस संबंध में विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो | शून्य | शून्य |

**अंतर-समूह विगोपन के ब्यौरे (दिनांक 11 फरवरी, 2014 का भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र क्र. डीबीओडी क्र. बीपी.बीसी 6/21.06.102/2013-14)**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र | विवरण | 31.03.2023 को | 31.03.2022 को |
|---|---|---|---|
| 1 | उधारियां (यदि कोई हों) | | |
| क. | महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) | शून्य | शून्य |
| ख. | महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको) | शून्य | शून्य |
| 2 | उधार (यदि कोई हो) | | |
| क. | महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी)* | 750.00 | 750.00 |
| ख. | महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको) | शून्य | शून्य |
| 3 | निवेश (यदि कोई हो) | | |
| क. | महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक (एमजीबी) | **241.29** | **209.53** |
| i. | इक्विटी (अधिमानी शेयरों सहित) | 109.42 | 73.27 |
| ii. | बॉन्ड/ डिबेंचर | 100.11 | 100.11 |
| iii | कोई अन्य (एमजीबी में आंबटन होने तक निवेश) | 31.76 | 36.15 |
| ख. | महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर ट्रस्टी कं. (मेटको) | **0.15** | **0.15** |
| i. | इक्विटी (अधिमानी शेयरों सहित) | 0.15 | 0.15 |

* भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विगोपन नहीं माना जाता है।

** बैंक ने महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की इक्विटी पूंजी के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु.31.76 करोड़ का अंशदान दिया। तथापि, इक्विटी शेयर का आबंटन 31.03.2023 को लंबित है।

**d) Unsecured advances**

Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken as and also the estimated value of such intangible collateral are as under.

(Amounts in ₹ crore)

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| Total unsecured advances of the bank | 31725.44 | 22061.78 |
| Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken | 3192.99 | 2769.42 |
| Estimated value of such intangible securities | 3185.12 | 3297.45 |

**e) Factoring exposures**

Factoring exposures is Nil.

**f) Intra-group exposures**

The details of the intra-group exposures of the bank are as under;

(Amounts in ₹ crore)

| S. N. | Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 1 | Total amount of intra-group exposures | 750.00 | 750.00 |
| 2 | Total amount of top-20 intra-group exposures | 750.00 | 750.00 |
| 3 | Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers/ customers | 0.43% | 0.55% |
| 4 | Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any | Nil | Nil |

Details of Intra-Group Exposure (RBI circular no. DB OD No. BP. BC 6/21.06.102/2013-14 dated 11th. Feb 2014

(Amounts in ₹ crore)

| Sr. No. | Particulars | As of 31.03.2023 | As of 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Borrowings from (if any) | | |
| a. | Maharashtra Gramin Bank (MGB) | NIL | NIL |
| b. | Maharashtra Executor Trustee Co (METCO) | NIL | NIL |
| 2 | Lending to (if any) | | |
| a. | Maharashtra Gramin Bank (MGB)* | 750.00 | 750.00 |
| b. | Maharashtra Executor Trustee Co (METCO) | NIL | NIL |
| 3 | Investment in (if any) | | |
| a. | Maharashtra Gramin Bank (MGB) | **241.29** | **209.53** |
| *i.* | *Equity (incl Preference shares)* | 109.42 | 73.27 |
| *ii.* | *Bonds /Debentures* | 100.11 | 100.11 |
| *iii* | *Any other – Investment in MGB pending allotment*** | 31.76 | 36.15 |
| b. | Maharashtra Executor Trustee& Co (METCO) | **0.15** | **0.15** |
| *i.* | *Equity (incl Preference shares)* | 0.15 | 0.15 |

* Not considered as exposure as per extant RBI guidelines

** The bank has contributed Rs. 31.76 Crore in FY 2022-23 towards equity capital of the Maharashtra Gramin Bank. However, allotment of equity share is pending as on 31.03.2023

**छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | यूएफसीई के कारण किए गए अतिरिक्त प्रावधान | (0.01) | (3.75) |
| 2 | यूएफसीई के कारण धारित वृद्धिशील पूंजी | 3.39 | 8.14 |

बैंक ने अपने घटकों को दिए गए विगोपनों से पैदा होने वाले करेंसी प्रवृत्त ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए नीति लागू की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों (यूएफसीई) को निश्चित करने का और विगोपनों के मूल्यन और उसी प्रकार वृद्धिशील प्रावधानीकरण के द्वारा उसका शमन करने का उल्लेख किया गया है।

**अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) की राशि की गणना करने संबंधी पद्धतिः**

घटकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन राशि की गणना करने हेतु रु.10 करोड़ एवं अधिक के विगोपन वाले ग्राहकों से आवधिक आधार पर जानकारी मंगाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए अगले पांच वर्षों में परिपक्व होनेवाली मदें अथवा नकदी प्रवाह रखने वाली मदों पर ही विचार किया जाता है। इसके अलावा प्रभावी रूप से संरक्षित, वित्तीय रूप से संरक्षित और/या प्राकृतिक रूप से संरक्षित मदों को परस्पर सेट ऑफ किया गया है। (वित्तीय संविदा (अर्थात वायदा संरक्षा) के माध्यम से वित्तीय रक्षित और प्राकृतिक रूप से रक्षित संविदा पर भी विचार किया जा सकता है, जब कंपनी परिचालनों से उत्पन्न नकदी प्रवाह में से विदेशी करेंसी विगोपन की जोखिम ऑफ सेट हो गई हो। अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन (यूएफसीई) का परिकलन करने के उद्देश्य से एक विगोपन को प्राकृतिक रूप से रक्षित माना जाता है यदि उसी लेखांकन वर्ष में ऑफ सेटिंग विगोपन परिपक्व हो रहा हो/ या उसके बराबर नकदी प्रवाह हो रहा हो।)

**संभावित हानि की मात्रा के अनुमान की पद्धतिः**

विनिमय दरों में बदलाव के कारण इकाई को होने वाली हानि की गणना वार्षिक उतार-चढ़ाव पद्धति द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए पिछले दस वर्षों की अवधि के दौरान देखे गए सबसे बड़े वार्षिक उतार-चढ़ाव को विपरीत दिशा में दरों के बदलाव का आधार माना जाता है।

**अरक्षित स्थितियों के जोखिम का अनुमान लगाने संबंधी पद्धति तथा तत्संबंधी उपयुक्त प्रावधान**

इस प्रकार निकाली गई अनुमानित हानि/ ईबीआईडी के आधार पर घटकों की ओर से बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मॉडल के आधार पर समेकित अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपनों का परिकलन किया जाता है। इस प्रकार के विगोपनों पर अतिरिक्त प्रावधान करना आवश्यक है और इसके लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

साथ ही, ऐसे घटकों के मूल्यन का भी तदनुसार पुनर्मूल्यन किया गया जो कि यूएफसीई को कवर करने हेतु समुचित प्रीमियम दर्ज करने के द्वारा उधारकर्ता की जोखिम प्रोफाइल पर आधारित है।

**6. जमा, अग्रिमों, विगोपन तथा अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण**

**क) जमाराशियों का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां | 27622.20 | 19643.06 |
| बैंक की कुल जमाराशियों से बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियों का प्रतिशत | 11.80% | 9.71% |

**ख) अग्रिमों का संकेन्द्रण**

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के कुल अग्रिम | 30729.74 | 27146.76 |
| बैंक के कुल अग्रिमों से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत | 13.74% | 15.20% |

**g) Unhedged foreign currency exposure**

(Amount in ₹ crore)

| S. N. | Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Additional provisioning made on account of UFCE | (0.01) | (3.75) |
| 2 | Incremental capital held on account of UFCE | 3.39 | 8.14 |

Bank has put in place a policy for management of currency induced credit risk arising out of exposure to its constituents which inter-alia specifies the mechanism to ascertain Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) and mitigate the same by pricing the exposure as well as incremental provisioning as under –

**Method to ascertain the amount of Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE):**

The amount of UFCE of the constituents is measured by obtaining the periodical information from the clients having exposure of Rs. 10.00 crore and above. For this purpose, items maturing or having cash flows over the period of next five years only are considered. Further, items which are effective hedges, financial hedge and / or natural hedge, of each other are set off. (Financial hedge through a derivative contract (e.g. Forward Cover) and Natural hedge may be considered when cash flows arising out of the operations of the company offset the risk arising out of the Foreign Currency Exposure. For the purpose of computing UFCE, an exposure may be considered naturally hedged if the offsetting exposure has the maturity/cash flow within the same accounting year).

**Method to estimate the extent of likely loss:**

The loss to the entity in case of movement in exchange rate is calculated using the annualised volatilities. For this purpose, largest annual volatility seen in the rates during the period of last ten years is taken as the movement of the rate in the adverse direction.

**Method to estimate the riskiness of unhedged position and provide appropriately:**

The likely loss / EBID so arrived at is taken as the base, as per which consolidated UFCE on behalf of the constituents is calculated, based on the model specified by the Bank. Such exposure is subjected to additional provisioning and also incremental capital requirement.

Further, the pricing to such constituents is accordingly re-priced based on the risk profile of the borrower by loading an appropriate premium to cover the UFCE.

**6. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs**

**a) Concentration of deposits**

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Total deposits of the twenty largest depositors | 27622.20 | 19643.06 |
| Percentage of deposits of twenty largest depositors to total deposits of the bank | 11.80% | 9.71% |

**b) Concentration of advances**

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Total advances to the twenty largest borrowers | 30729.74 | 27146.76 |
| Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the bank | 13.74% | 15.20% |

ग) **विगोपनों का संकेन्द्रण**

(**राशि ₹ करोड़ में**)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों का कुल विगोपन | 30754.74 | 27329.48 |
| उधारकर्ताओं / ग्राहकों में बैंक के कुल विगोपन से कुल अग्रिमों से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल विगोपन का प्रतिशत | 12.97% | 14.17% |

(घ) **अनर्जक आस्तियों का संकेन्द्रण**

(**राशि ₹ करोड़ में**)

| **विवरण** | **31.03.2023** | **31.03.2022** |
|---|---|---|
| बीस सबसे बड़े एन पी ए उधारकर्ताओं का कुल विगोपन | **623.34** | 1214.78 |
| कुल सकल एन पी ए से बीस सबसे बड़े एन पी ए विगोपन का प्रतिशत | 14.38% | 22.80% |

**7. <u>डेरिवेटिव्ज:</u>**

क) **वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप**

(**राशि ₹ करोड़ में**)

| मदें | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| i) स्वैप करारों का कल्पित मूलधन | शून्य | शून्य |
| ii) यदि प्रतिपक्ष करारों के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा न करें तो इस स्थिति में होने वाली हानियां | शून्य | शून्य |
| iii) स्वैप करार हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक | शून्य | शून्य |
| iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम एकत्रीकरण | शून्य | शून्य |
| v) स्वैप बही का उचित मूल्य (+) प्राप्ति/(-) देय | शून्य | शून्य |

बैंक ने आईआरएस/ एफआरए हेतु नीति दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। कल्पित मूलधन के संबंध में आईआरएस/ एफआरए की अनुमोदित सीमा रु.2000.00 करोड़ है। 31 मार्च 2023 को बैंक के कोई भी बकाया स्वैप नहीं थे।

संकेन्द्रण का उदाहरण विशेष उद्योगों के लिए जोखिम या अत्यधिक सक्षम कंपनियों के साथ अदला-बदली हो सकता है।

यदि स्वैप विशिष्ट परिसंपत्तियों, देनदारियों, या प्रतिबद्धताओं से जुड़े हैं, तो उचित मूल्य वह अनुमानित राशि होगी जो बैंक बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार स्वैप समझौतों को समाप्त करने के लिए प्राप्त करेगा या भुगतान करेगा। एक ट्रेडिंग स्वैप के लिए उचित मूल्य इसका मार्क टू मार्केट मूल्य होगा।

ख) **विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्ज**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | ब्यौरे | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 1 | वर्ष के दौरान (लिखत-वार) किए गए विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन क) 6.10% GS2031 | 18.55 | 20.00 |
| 2 | 31 मार्च को बकाया (लिखत-वार) विनिमय लेन-देन ब्याज दर डेरिवेटिव का कल्पित मूलधन | शून्य | शून्य |
| 3 | एक्सचेंज के जरिए व्यापारित ब्याज दर डेरिवेटिव्ज की कल्पित मूलधन राशि जो बकाया हो किंतु ''अत्यधिक प्रभावी'' (लिखतवार) न हो। | शून्य | शून्य |
| 4 | एक्सचेंज के जरिए व्यापारित ब्याज दर डेरिवेटिव्ज का मार्क-टू-मार्केट मूल्य जो बकाया हो किंतु ''अत्यधिक प्रभावी'' (लिखतवार) न हो। | शून्य | शून्य |

**c) Concentration of exposures**

(Amount in ₹ crore)

| **Particulars** | **31.03.2023** | **31.03.2022** |
|---|---|---|
| Total exposure to the twenty largest borrowers/customers | 30754.74 | 27329.48 |
| Percentage of exposures to the twenty largest borrowers/ customers to the total exposure of the bank on borrowers/ customers | 12.97% | 14.17% |

**d) Concentration of NPAs**

(Amount in ₹ crore)

| **Particulars** | **31.03.2023** | **31.03.2022** |
|---|---|---|
| Total Exposure to the top twenty NPA accounts | 623.34 | 1214.78 |
| Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs. | 14.38% | 22.80% |

**7. Derivatives**

**a) Forward rate agreement / Interest rate swap**

(Amount in ₹ crore)

| **Items** | **31.03.2023** | **31.03.2022** |
|---|---|---|
| i) The notional principal of swap agreements | Nil | Nil |
| ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements | Nil | Nil |
| iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps | Nil | Nil |
| iv) Concentration of credit risk arising from the swaps | Nil | Nil |
| v) The fair value of the swap book (+) To receive / (-) To pay | Nil | Nil |

Bank has policy guidelines in place for IRS/ FRA's. The approved ceiling for IRS / FRAs in terms of notional principal is Rs 2000.00 crore. As on 31st March 2023, the Bank had no outstanding swaps.

Example of concentration could be exposures to particular industries or swaps with highly geared companies.

If the swaps are linked to specific assets, liabilities, or commitments, the fair value would be the estimated amount that the bank would receive or pay to terminate the swap agreements as on the balance sheet date. For a trading swap the fair value would be its mark to market value.

**b) Exchange traded interest rate derivatives**

(Amount in ₹ crore)

| S.N. | Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 1 | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) a) 6.10% GS2031 | 18.55 | 20.00 |
| 2 | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March (instrument-wise) | Nil | Nil |
| 3 | Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) | Nil | Nil |
| 4 | Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise) | Nil | Nil |

**ग) डेरिवेटिव्ज जोखिम विगोपन का प्रकटन**

**गुणात्मक प्रकटन:**

i) डेरिवेटिव नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम का मापन भी शामिल है।

ii) उक्त की निगरानी के लिए बैंक में प्रतिरक्षण (हेजिंग) व प्रोसेसेस नीतियां लागू हैं।

iii) तुलनपत्र प्रबंधन हेतु प्रतिरक्षित (हेजिंग) लेनदेन किए गए हैं। जोखिमों की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उचित प्रणाली विद्यमान है।

iv) डेरिवेटिव परिचालनों के जोखिम प्रबंधन कार्य के प्रमुख एक उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्यपालक होते हैं, जो बैंक के प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। स्वैपों की निगरानी नियमित आधार पर की जाती है।

v) महत्वपूर्ण लेखा-नीतियों की अनुसूची 17 के परिच्छेद 3.7 (ii) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार, बैंक में प्रतिरक्षित और गैर-प्रतिरक्षित व्यवहारों को अभिलेखबद्ध करने की उचित लेखा नीति विद्यमान है, जिसमें आय निर्धारण, बकाया करारों का मूल्यांकन और ऋण जोखिम को कम करना शामिल है।

vi) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और चालू विगोपन प्रक्रिया के अनुसार परिकलित संविदा डेरिवेटिव के ऋण विगोपन पर बैंक द्वारा अपेक्षित प्रावधान कर लिए गए हैं।

**c) Disclosures on risk exposure in derivatives**

**Qualitative disclosures**

i) Derivative policy is approved by the Board, which includes measurement of credit & market risk.

ii) Policy for hedging and processes for monitoring the same are in place.

iii) The hedged transactions are undertaken for Balance Sheet management. Proper system for reporting & monitoring of risks is in place.

iv) Risk Management of derivative operations is headed by a Top Management Executive who reports to Central Office. The swaps are tracked on regular basis.

v) Accounting Policy for recording hedge and non-hedge transactions is in place, which includes recognition of income, valuation of outstanding contracts and credit risk mitigation as given in para 3.7 (ii) of Schedule 17, viz., Significant Accounting Policies.

vi) The Bank has made requisite provision on credit exposure of derivative contracts computed as per current exposure method & as per RBI guidelines.

**मात्रात्मक प्रकटन Quantitative disclosures**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र.सं. S. N. | विवरण Particular | 2022-23 | | 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives | ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives | मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives | ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives |
| (i) | डेरिवेटिव्ज (कल्पित मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount) | 12076.49 | शून्य NIL | 19718.99 | शून्य NIL |
| | (क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) के लिए a) For hedging | 4636.60 | शून्य NIL | 7304.71 | शून्य NIL |
| | (ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) के लिए b) For trading | 7439.89 | शून्य NIL | 12414.28 | शून्य NIL |
| (ii) | बाजार हेतु चिन्हित स्थितियां* Marked to Market Positions* | | | | |
| | (क) आस्ति (+) a) Asset (+) | 50.90 | शून्य NIL | 45.03 | शून्य NIL |
| | (ख) देयताएं (-) b) Liability (-) | - | शून्य NIL | - | शून्य NIL |
| (iii) | ऋण विगोपन Credit Exposure | 292.43 | शून्य NIL | 333.99 | शून्य NIL |
| (iv) | ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित असर (100*पीवी 01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01) | | | | |
| | (क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives | 0.0244 | शून्य NIL | 0.00 | शून्य NIL |
| | (ख) व्यापार डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives | 0.0122 | शून्य NIL | 0.00 | शून्य NIL |
| (v) | वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 अवलोकित अधिकतम और न्यूनतम स्तर Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year | | | | |
| | (क) प्रतिरक्षण (हेजिंग) पर a) on hedging | Max: 0.052 Min: 0.024 | शून्य NIL | Max: 0.04 Min: 0.013 | शून्य NIL |
| | (ख) लेनदेन (ट्रेडिंग) पर b) on trading | Max:0.062 Min:0.0001 | Max:0.0213 Min:0.0104 | Max:0.14 Min:0.029 | Max:0.0109 Min:0.0108 |

* प्रत्येक प्रकार के डेरिवेटिव के लिए, जैसा भी मामला हो, निवल स्थिति या तो आस्ति या देयता के अंतर्गत दिखाई जाएगी।

* The net position shall be shown either under asset or liability, as the case may be, for each type of derivatives

घ) **डेरिवेटिव विगोपन पर मानक प्रावधान:**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | ऋण विगोपन (*) | 31.03.2023 को मानक अग्रिमों पर लागू प्रावधान |
|---|---|---|---|
| 1 | ब्याज दर डेरिवेटिव | शून्य | शून्य |
| 2 | विदेशी विनिमय डेरिवेटिव | 292.43 | 1.17 |
| 3 | स्वर्ण संविदा | शून्य | शून्य |
| 4 | ऋण चूक स्वैप | शून्य | शून्य |
| | **कुल** | **292.43** | **1.17** |

* ऋण विगोपन की गणना बेसल III - के जोखिम भारित आस्ति (आरड्ब्ल्यूए) दिशानिर्देशों के अनुसार।

ङ) **ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)**

वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक का कोई ऋण चूक स्वैप नहीं है या दिनांक 31 मार्च, 2023 को शून्य है।

d) **Standard provision on derivative exposure**

(Amount in ₹ crore)

| Sr. No. | Particulars | Credit Exposure* | Provision as applicable to standard advances as on 31.03.2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Interest rate derivative | NIL | NIL |
| 2 | Foreign exchange derivative | 292.43 | 1.17 |
| 3 | Gold contract | NIL | NIL |
| 4 | Credit default swaps | NIL | NIL |
| | **Total** | **292.43** | **1.17** |

* Credit Exposure calculated as per RWA guidelines of Basel III

e) **Credit Default Swaps (CDS)**

The Bank has no Credit Default Swaps during the year 2022-23 or as on March 31, 2023 is NIL.

**8. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण Disclosures relating to securitization**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क S. N. | विवरण Particulars | | 31-03-2023 (सं./ राशि) (No./ Amount) | 31-03-2022 (सं./ राशि) (No./ Amount) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **निर्माता द्वारा निर्मित प्रतिभूतिकरण के संव्यवहारों के लिए एसपीई धारित आस्तियों की संख्या (बकाया प्रतिभूतिकरण विगोपनों से संबंधित एसपीवी ही यहां रिपोर्ट किए जाने हैं)**<br>No of SPEs holding assets for securitization transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here) | | शून्य Nil | |
| 2. | **बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि**<br>Total amount of securitized assets as per books of the SPEs | | | |
| 3. | **तुलनपत्र के दिनांक को एमआरआर के पास अनुपालन के लिए निर्माता द्वारा धारित विगोपन की कुल राशि**<br>Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet | | | |
| | क) *a)* | तुलनपत्र बाह्य विगोपन Off-balance sheet exposures | | |
| | | प्रथम हानि First loss | | |
| | | अन्य Others | | |
| | ख) b) | तुलनपत्र के अंतर्गत विगोपन On-balance sheet exposures | | |
| | | प्रथम हानि First loss | | |
| | | अन्य Others | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4. | **एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण संव्यवहारों के प्रति विगोपन की राशि**<br>Amount of exposures to securitization transactions other than MRR | | | शून्य Nil |
| | क) a) | तुलनपत्र बाह्य विगोपन Off Balance Sheet Exposures | | |
| | | i) | स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to own securitizations | |
| | | | प्रथम हानि First loss | |
| | | | अन्य Others | |
| | | ii) | अन्य पक्षों के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to third party securitizations | |
| | | | प्रथम हानि First loss | |
| | | | अन्य Others | |
| | ख) b) | तुलनपत्र की मदों के अंतर्गत विगोपन On Balance Sheet Exposures | | |
| | | i) | स्वयं के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to own securitizations | |
| | | | प्रथम हानि First loss | |
| | | | अन्य Others | |
| | | ii) | अन्य पक्षों के प्रतिभूतिकरण के प्रति विगोपन Exposure to third party securitizations | |
| | | | प्रथम हानि First loss | |
| | | | अन्य Others | |
| 5 | प्रतिभूत आस्तियों हेतु प्राप्त विक्रय प्रतिफल और प्रतिभूतिकरण के कारण विक्रय पर लाभ/ हानि<br>Sale consideration received for the securitized asserts and gain/loss on sale on account of securitization | | | |
| 6 | ऋण संवर्धन, लिक्विडिटी सहयोग, प्रतिभूतिकरण पश्चात आस्ति सुधार इत्यादि द्वारा प्रदत्त सेवाओं की मात्रा और से मात्रा (बकाया मूल्य)<br>From and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post –securitization asset servicing etc. | | | |
| 7 | सुविधा का कार्यनिष्पादन प्रदान किया गया है। कृपया प्रत्येक सुविधा यथा ऋण संवर्धन लिक्विडिटी सहयोग, सुधार एजेंट इत्यादि के लिए अलग से प्रदान करें। प्रदत्त सुविधा के कुल मूल्य के रूप में प्रतिशत का उल्लेख कोष्ठक में करें।<br>Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.<br>- चुकता राशि - Amount paid<br>- प्राप्त पुनर्भुगतान - Repayment received<br>- बकाया राशि - Outstanding amount | | | |
| 8 | विगत में पाए गए पोर्टफोलियो के औसत चूक दर कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यथा आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से ब्रेक अप प्रदान करें।<br>Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc | | | |
| 9 | समान अंतर्निहित आस्ति पर प्रदत्त अतिरिक्त/ टॉप पर ऋण की राशि और संख्या कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग यथा आरएमबीएस, वाहन ऋण इत्यादि के लिए अलग से ब्रेक अप प्रदान करें।<br>Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc. | | | |
| 10 | निवेशक शिकायतें Investor complaints<br>-प्रत्यक्ष रूप से/ अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त; -Directly/Indirectly received and;<br>-बकाया शिकायतें -Complaints outstanding | | | |

**9. प्रायोजित ऑफ बैलेन्स शीट एसपीवी**

| प्रायोजित एसपीवी का नाम | |
|---|---|
| घरेलू | अंतरराष्ट्रीय |
| शून्य | शून्य |

**10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) को अंतरण**

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| डीईएएफ को अंतरित रकम का आरंभिक शेष | 610.27 | 500.85 |
| जोड़ें - वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित रकम | 239.25 | 111.99 |
| घटाएं - डीईएएफ द्वारा दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति की गई रकम | 4.39 | 2.57 |
| डीईएएफ को अंतरित रकम का अंतिम शेष | **845.13** | **610.27** |

**9. Off balance sheet SPVs sponsored**

| Name of the SPV sponsored | |
|---|---|
| Domestic | Overseas |
| Nil | Nil |

**10. Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)**

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| Opening balance of amount transferred to DEAF | 610.27 | 500.85 |
| Add: Amount transferred to DEAF during the year | 239.25 | 111.99 |
| Less: Amount reimbursed by DEAF towards claims | 4.39 | 2.57 |
| Closing balance of amount transferred to DEAF | **845.13** | **610.27** |

**11. शिकायतों के प्रकटन Disclosure of complaints**

**a)** लोकपाल के कार्यालयों और ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों की जानकारी का सारांश
**Summary information on complaints received by the bank from customers and from the Offices of Ombudsman**

| क्र. S. N. | | विवरण Particulars | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|
| | बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें Complaints received by the bank from its customers | | | |
| **1.** | | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at beginning of the year | 06 | 19 |
| **2.** | | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year | 5609 | 3236 |
| **3.** | | वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year | 5578 | 3249 |
| | 3.1 | जिनमें से बैंक द्वारा वापस की गई शिकायतें Of which, number of complaints rejected by the bank | 0 | 0 |
| **4.** | | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year | 37 | 06 |
| | लोकपाल के कार्यालय की ओर से बैंक को स्वीकार्य शिकायतें Maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman | | | |
| **5.** | | लोकपाल के कार्यालय से बैंक को स्वीकार्य शिकायतों की संख्या<br>Number of maintainable complaints received by the bank from Office of Ombudsman | 1473 | 1063 |
| | 5.1. | 5 में से, लोकपाल कार्यालय से बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या<br>Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by Office of Ombudsman | 502 | 961 |
| | 5.2 | 5 में से, लोकपाल कार्यालय से जारी परामर्श मध्यस्थता/ समाधान के माध्यम से निपटाई गई शिकायतों की संख्या<br>Of 5, number of complaints resolved through conciliation/mediation/advisories issued by Office of Ombudsman | 970 | 53 |
| | 5.3 | 5 में से, बैंक के विरुद्ध लोकपाल कार्यालय द्वारा अवार्ड पारित करने के पश्चात निपटाई गई शिकायतों की संख्या<br>Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by Office of Ombudsman against the bank | 1 | 02 |
| **6.** | | निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित न किए गए अवार्ड की संख्या (उन्हें छोड़कर जिनके विरुद्ध अपील की गई हैं)<br>Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed) | 0 | 0 |

**b) क) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के मुख्य पांच कारण Top five grounds of complaints received by the bank from customers**

| शिकायतों का कारण, (अर्थात निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें)<br>Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या<br>Number of complaints pending at the beginning of the year | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या<br>Number of complaints received during the year | पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी<br>% increase/ decrease in the number of Complaints received over the previous year | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या<br>Number of complaints pending at the end of the year | क्र. 5 में से ऐसी शिकायतें की संख्या 30 दिनों से अधिक लंबित हों<br>Of 5, number of Complaints pending beyond 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **वि.व. F. Y. 2022-23** | | | | | |
| 1-एटीएम /डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards | 2 | 1154 | 68 | 9 | 0 |

| शिकायतों का कारण, (अर्थात निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to) | वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year | वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year | पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी % increase/ decrease in the number of Complaints received over the previous year | वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year | क्र. 5 में से ऐसी शिकायतें की संख्या 30 दिनों से अधिक लंबित हों Of 5, number of Complaints pending beyond 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2-इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile /Electronic Bkg | 3 | 2300 | 53 | 13 | 0 |
| 3-खाता खोलना/खाते के संचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of account | 0 | 1094 | 85 | 6 | 0 |
| 4- ऋण और अग्रिम Loans and Advances | 0 | 564 | 83 | 8 | 0 |
| 5. वरिष्ठ नागरिकों/ दिव्यांगों हेतु पेन्शन और सुविधाएं Pension and facilities for senior citizens/ differently abled | 0 | 65 | 282 | 0 | 0 |
| अन्य Others | 1 | 432 | 243 | 1 | 0 |
| **कुल Total** | **6** | **5609** | **73** | **37** | **0** |
| **वि.व. F. Y. 2021-22** | | | | | |
| 1-एटीएम /डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards | 6 | 688 | -57 | 2 | 0 |
| 2-इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/Mobile /Electronic Bkg | 12 | 1506 | 26 | 3 | 0 |
| 3-खाता खोलना/खाते के संचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of account | 1 | 591 | 7 | 0 | 0 |
| 4- ऋण और अग्रिम Loans and Advances | 0 | 308 | 38 | 0 | 0 |
| 5. वरिष्ठ नागरिकों/ दिव्यांगों हेतु पेन्शन और सुविधाएं Pension and facilities for senior citizens/ differently abled | 0 | 17 | -73 | 0 | 0 |
| अन्य Others | 0 | 126 | - | 1 | 0 |
| **कुल Total** | **19** | **3236** | **-14** | **6** | **0** |

**12. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटन**

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए हैं:

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | दंड का विवरण / प्रकृति | राशि |
|---|---|---|
| 1 | भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत दंड | शून्य |
| 2 | बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के अंतर्गत दंड | शून्य |
| 3 | सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंस होने पर) | शून्य |
| 4 | करेंसी चेस्ट पर आरबीआई द्वारा लगाया गया दंड | 1.09 |
| 5 | अन्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए | 0.11 |

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की ओर से रिवर्स रेपो लेनदेन में कोई चूक नहीं हुई है।

**12क. वेतन संशोधन के लिए प्रावधान**

वेतन संशोधन पर द्विपक्षीय समझौते के लंबित निपटान (01 नवंबर, 2022 से देय) हेतु वेतन संशोधन के प्रति 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान अनुमानित आधार पर रु. 98.78 करोड़ प्रदान किए गए ।

**12. Disclosure of penalties imposed by the Reserve Bank of India**

During the Current Financial year following Penalties have been imposed:

(Amount in ₹ crore)

| S. N. | Particulars/nature of penalties | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Penalty under Payment & Settlement Systems Act, 2007 | NIL |
| 2 | Penalty under section 46(4) of the Banking Regulation Act,1949 | NIL |
| 3 | Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL) | NIL |
| 4 | Penalty levied by RBI on currency chests | 1.09 |
| 5 | Others levied by RBI | 0.11 |

There is no default in reverse repo transaction from bank side during the financial year.

**12A. Provision for Wage Revision**

Pending settlement of Bipartite agreement on wage revision (due from November 01, 2022) ₹98.78 Crores has been provided for on estimated basis during the year ended, March 31, 2023 towards wage revision

## 13. मानदेय का प्रकटन

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | नाम | पदनाम | मानदेय | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2022-23 | 2021-22 |
| 1 | श्री ए. एस. राजीव | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (01.12.2018 से आज तक) | 0.48 | 0.34 |
| 2 | श्री हेमन्त कुमार टम्टा | कार्यपालक निदेशक (30.12.2021 तक) | - | 0.22 |
| 3 | श्री ए. बी. विजयकुमार | कार्यपालक निदेशक (10.03.2021 से आज तक) | 0.37 | 0.36 |
| 4 | श्री आशीष पाण्डेय | कार्यपालक निदेशक (31.12.2021 से आज तक) | 0.32 | 0.07 |
| 5 | श्री वी. पी. श्रीवास्तव | मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) 03.05.2021 से | 0.32 | 0.24 |
| 6 | श्री प्रशांत आर. खटावकर | मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) 02.05.2021 तक | - | 0.02 |
| | | **कुल** | **1.49** | **1.25** |

**टिप्पणी :** मुख्य प्रबंधक, कार्मिक के रूप में सीएफओ का प्रकटन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अपनी जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में आरबीआई द्वारा सलाह किए अनुसार किया गया है।

## 14. अन्य प्रकटन

### 1) व्यवसाय अनुपात

| विवरण | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में ब्याज आय | 6.70% | 6.26% |
| कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय | 0.96% | 1.27% |
| जमाराशियों की लागत | 3.70% | 3.70% |
| निवल ब्याज मार्जिन | 3.56% | 3.15% |
| कार्यशील निधियों हेतु प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ | 2.57% | 2.33% |
| आस्तियों पर प्रतिफल | 1.10% | 0.55% |
| प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशियां + अग्रिम) अंतर्बैंक जमाराशियों को छोड़कर (₹ करोड़ में) | 31.45 | 26.49 |
| प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में) | 0.20 | 0.09 |

### 2) बैंकएश्योरेन्स व्यवसाय

**बैंक एश्योरेन्स के अधीन रु.** 36.71 **करोड़ (रु.**30.38 **करोड़) की आय अर्जित की गई। बैंक एश्योरेन्स आय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं -**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | आय का स्वरुप | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 1 | जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु | 18.45 | 15.48 |
| 2 | गैर-जीवन बीमा पॉलिसी विक्रय हेतु | 17.24 | 12.82 |
| 3 | अन्य बीमा (जैसे कृषि व अन्य) विक्रय हेतु | 0.08 | 0.20 |
| | **कुल** | **35.77** | **28.50** |

### 3) विपणन और वितरण

किए गए विपणन और संवितरण कार्यों के (बैंक एश्योरेन्स व्यवसाय को छोड़कर) संबंध में प्राप्त शुल्क/ मानदेय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं

## 13. Disclosure on remuneration

(Amount in ₹ crore)

| S. N. | Name | Designation | Remuneration | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2022-23 | 2021-22 |
| 1. | Shri A S Rajeev | MD & CEO ( from 01.12.2018 to till date) | 0.48 | 0.34 |
| 2. | Shri Hemant Kumar Tamta | Executive Director (till 30.12.2021) | - | 0.22 |
| 3. | Shri A. B. Vijayakumar | Executive Director (from 10.03.2021 to till date) | 0.37 | 0.36 |
| 4. | Shri Asheesh Pandey | Executive Director (from 31.12.2021 to till date) | 0.32 | 0.07 |
| 5. | Shri V P Srivastava | Chief Financial Officer (CFO) from 03.05.2021) | 0.32 | 0.24 |
| 6. | Shri Prashant R. Khatawkar | Chief Financial Officer (CFO) (till 02.05.2021) | - | 0.02 |
| | | **Total** | **1.49** | **1.25** |

Note: The disclosure of CFO as key management personnel has been made as advised by RBI in its risk assessment report for the year 2018-19.

## 14. Other Disclosures

### a) Business Ratios

| Particular | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|
| Interest Income as a percentage to Working Funds | 6.70% | 6.26% |
| Non-interest income as a percentage to Working Funds | 0.96% | 1.27% |
| Cost of Deposits | 3.70% | 3.70% |
| Net Interest Margin | 3.56% | 3.15% |
| Operating Profit as a percentage to Working Funds | 2.57% | 2.33% |
| Return on Assets | 1.10% | 0.55% |
| Business (deposits plus advances) per employee (in ₹ crore) excluding inter bank deposits | 31.45 | 26.49 |
| Profit per employee (in ₹ Crore) | 0.20 | 0.09 |

### b) Bancassurance business

The fee/brokerage/commission etc. income earned under Bancassurance and other third party products is Rs.36.71 Crore (Rs. 30.38 crore). The details of Bancassurance income is as under:

(Amount in ₹ crore)

| S. N. | Nature of Income | 2022-23 | 2021-22 |
|---|---|---|---|
| 1 | For selling life insurance policies | 18.45 | 15.48 |
| 2 | For selling non-life insurance policies | 17.24 | 12.82 |
| 3 | For selling other insurance (like Agriculture & Others) | 0.08 | 0.20 |
| | **Total** | **35.77** | **28.50** |

### c) Marketing and distribution

Details of fees/remuneration received in respect of marketing and distribution function (excluding bancassurance business) undertaken

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | आय की प्रकृति | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | पेमेंट गेटवे और अन्य हेतु | 0.94 | 1.88 |

(Amount in ₹ crore)

| S. N. | Nature of Income | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | For Payment Gateway & Others | 0.94 | 1.88 |

घ) **प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन**

वर्ष के दौरान खरीदी व बेची गई पीएसएलसी (श्रेणी-वार) की राशि निम्नानुसार है :

**d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)**

The amount of PSLCs (category-wise) sold and purchased during the year are as under:

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | पीएसएलसी की श्रेणी | विक्रय/ क्रय | प्रकार | राशि | कमीशन/ प्रीमियम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम | विक्रय | पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम | 500.00 | 2.15 |
| 2 | पीएसएलसी-सामान्य | विक्रय | पीएसएलसी-सामान्य | - | - |
| 3 | पीएसएलसी-कृषि | विक्रय | पीएसएलसी-कृषि | 200.00 | 2.00 |
| | **कुल** | | | **700.00** | **4.15** |

(Amount in ₹ crore)

| S. N. | Category of PSLCs | Sold/ Purchased | Type | Amount | Commission/ Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSLC-Micro Enterprises | Sold | PSLC-Micro Enterprises | 500.00 | 2.15 |
| 2 | PSLC- General | Sold | PSLC- General | - | - |
| 3 | PSLC-Agriculture | Sold | PSLC-Agriculture | 200.00 | 2.00 |
| | **Total** | | | **700.00** | **4.15** |

ड) **लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित प्रावधान व आकस्मिकताएं**

**e) Provisions and contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र. *S. N.* | विवरण *Particulars* | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | एनपीए के प्रति प्रावधान Provision towards NPA | 2253.10 | 2578.48 |
| 2 | मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान Provisions for Standard Advances | - | 296.69 |
| 3 | अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान Provision for Non Performing Investment | 476.64 | 103.35 |
| 4 | पुनर्गठित निवेश के लिए प्रावधान Provision for restructured Investment | 27.10 | - |
| 5 | पुनर्गठित अग्रिमों के लिए प्रावधान Provisions for Restructured Advances | - | 5.27 |
| 6 | अन्य संपत्तियों के लिए प्रावधान - अभिहीत Provision for other Assets – Nominal | 1.41 | 1.26 |
| 7 | धोखाधड़ी के प्रावधान (अग्रिमों को छोड़कर) Provision for fraud (other than advances) | 5.69 | - |
| 8 | आयकर के लिए प्रावधान (डीटीए के प्रत्यावर्तन सहित) Provision for income tax (Incl- Reversal of DTA) | 842.85 | 808.88 |
| 9 | अन्य प्रावधान Other Provisions | 20.14 | 57.07 |
| 10 | आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान Provision for contingent liability | 0.75 | 0.06 |
| | **उप जोड़ (क) *Sub-total (A)*** | **3627.68** | **3851.06** |
| | **घटाएं : प्रतिलेखन/ समायोजन Less: Write back /adjustments** | | |
| 1 | पुनर्संरचित अग्रिमो हेतु प्रावधान का प्रतिलेखन Write back of Provision for restructured Advances | 19.65 | - |
| 2 | धोखाधड़ी के लिए प्रावधानों हेतु प्रतिलेखन (अग्रिमों को छोड़कर) Write back of Provision for fraud (other than advances) | - | 11.42 |
| 3 | टीआईबीडी के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन एफआईटीएल/ ब्याज/ एसआर टीआईबीडी के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन Write back of Provisions for TIBD- provision for FITL/interest/SR TIBD | 16.66 | 134.74 |
| 4 | अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के लिए प्रावधानों का प्रतिलेखन Write back of provision for un-hedged foreign currency exposure | 0.01 | 3.75 |
| 5 | आयकर का प्रतिलेखन (डीटीएल के प्रत्यावर्तन सहित) Write back of Income Tax (Incl Reversal of DTL) | - | 4.82 |
| 6 | मानक अग्रिमों हेतु प्रावधान का प्रतिलेखन Write back of provision for Standard Advances | 94.18 | - |
| | **उप जोड़ (ख) Sub Total (B)** | **130.50** | **154.73** |
| | **कुल Total** | **3497.18** | **3696.33** |

च) **भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) परिवर्तित आईएफआरएस का कार्यान्वयन**

1. भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रारूप वित्तीय विवरण (पीएफएस) अर्धवार्षिक (वित्तीय वर्ष 2021-22 से) आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. निदेशक मंडल के समक्ष अनुमोदन और भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुतीकरण

**f) Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standards (Ind AS)**

1. The Proforma Financial Statement (PFS) are being submitted to RBI on Half yearly basis (from FY 2021-22).
2. Bank has appointed a consultant for vetting the Proforma

से पहले प्रारूप वित्तीय विवरण (पीएफएस) की जांच के लिए एक प्रतिष्ठित आईएनडी एएस परामर्शक की नियुक्ति की गई है।

3. जांच के अतिरिक्त परामर्शक को आईएनडी एएस के संबंध में बैंक के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कार्य प्रदान किया गया है।

**छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान**

(राशि ₹ करोड़ में)

| क्र. | विवरण | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2021-22 |
|---|---|---|---|
| i) | डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान (जीएसटी सहित) | 243.43 | 233.74 |
| ii) | डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में बकाया | - | - |

**ज) बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेन्शन में संवर्धन के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटन**

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में पारिवारिक पेन्शन में संवर्धन के कारण वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार रु.217.70 करोड़ की अतिरिक्त देयता कार्यान्वित हुई। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त देयता को पूर्ण मान्यता दी और लाभ व हानि खाते को इसे प्रभारित किया।

**झ) कार्पोरेट को व्यापार ऋण सुविधा के लिए बैंक द्वारा जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी)।**

चालू वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा रु.91.43 करोड़ की राशि के 83 व्यापार ऋण मंजूर किए गए तथा कार्पोरेट ग्राहकों को व्यवसाय ऋण के प्रबंध हेतु विभिन्न अन्य बैंकों के पक्ष में शाखाओं द्वारा कोई लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी नहीं किए गए।

31 मार्च, 2023 को, रु. 20.66 करोड़ की राशि के 22 व्यापार ऋण बकाया थे जबकि 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु.73.78 करोड़ की राशि के 43 व्यवसाय ऋण बकाया थे।

**15) स्थिर आस्तियां** :

i. एएस-10 ''संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण'' के अनुसरण में स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर वर्ष हेतु रु.102.46 (रु.128.64) करोड़ मूल्यह्रास को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया। रु.102.46(रु.128.64) करोड़ की समतुल्य राशि का पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरण किया गया।

ii. बैंकों के कुछ परिसरों को पुनरीक्षित राशि पर कहा गया है। वर्ष के अंत में परिसर में शामिल ऐसे पुनर्मूल्यांकन की सकल राशि रु.1575.28 करोड़ और पुनर्मूल्यांकन मूल्यह्रास का निवल राशि रु.1472.82 करोड़ है।

iii. कुछ ऐसे पट्टे पर परिसर के मामले लंबित हैं जहां कोई आकस्मिक देयता नहीं है, क्योंकि बैंक शाखा परिसर के जमींदारों द्वारा पट्टे की समाप्ति के कारण इन सभी के खिलाफ दायर किए गए मामलों का बचाव कर रहा है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपनी देयता का लगभग रु. 0.14 करोड़ है। अन्य सभी मामलों में जहां मकान मालिंदो ने दावा दाखिल किया हो, रकम का निर्धारण तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक न्यायालय दावों की मात्रा का निर्धारण नहीं कर देता।

iv. पूंजीगत कार्य-प्रगति में निश्चित परिसंपत्तियों की लागत शामिल है जो अभी तक रिपोर्टिंग तिथि पर उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। प्रगतिधीन पूंजी कार्य में रु. 2.00 करोड़ की राशि की गणना बिल्डिंग के निर्माण शामिल है।

**16) लेखा मानक :**

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का उनके लागू होने की सीमा तक निम्नानुसार अनुपालन किया है :

Financial Statement (PFS) before putting to Board for approval & submission to RBI.

3. In addition to vetting, Consultant has also been given assignment to conduct training for employees of the Bank in respect of IndAS.

**g) Payment of DICGC Insurance Premium**

(Amount in ₹ crore)

| S. N. | Particulars | FY 2022-23 | FY 2021-22 |
|---|---|---|---|
| i) | Payment of DICGC Insurance Premium (Incl GST) | 243.43 | 233.74 |
| ii) | Arrears in payment of DICGC premium | - | - |

**h) Disclosure on amortization of expenditure on account of enhancement in family pension of employees of banks**

The additional liability on account of enhancement in family pension in line with Government guidelines, works out to Rs. 217.70 Crore as per Actuarial valuation. The Bank has fully recognized the said liability and charged to the Profit & Loss Account during the FY 2021-22.

**i) Letter of Comfort (LOCs) issued by Bank for the purpose of Trade Credit Facility to corporate.**

During the current year, 83 Trade credits amounting to Rs. 91.43 crores were sanctioned by the Bank and No Letters of Comfort issued by the branches in favor of various other Banks for arranging trade credit to corporate clients.

As on 31st Mar 2023, 22 Trade Credits amounting to Rs 20.66 crores are outstanding as against 43 Trade Credits amounting to Rs 73.78 crores for the year ended 31st March, 2022.

**15) Fixed Assets:**

i. In accordance with the As-10 "Property, Plant and Equipment" depreciation of Rs. 102.46 Crore (Rs. 128.64 crore) for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of Rs.102.46 crore (Rs.128.64 crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

ii. Certain premises of banks are stated at revalued amount. The gross amount of such revaluation included in premises at the end of the year is Rs. 1575.28 crore and net of depreciation the revaluation amounts to Rs.1472.82 crore

iii. There are cases pending for leased premises where no contingent liability is recognized as the Bank is defending all these cases filed by landlords of Branch premises due to expiration of lease deeds. Out of these, Bank accounts for its liability to around Rs. 0.14 crore. In all other cases where landlords have filed the claim, the amount cannot be ascertained unless the court crystalizes quantum of claims.

iv. Capital work in progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to Rs. 2.00 Crore includes construction of building.

**16) Accounting Standards:**

The Bank has complied with the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

**लेखा मानक 3 - नकद प्रवाह विवरण -** बैंक अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए एएस-3 की आवश्यकताओं के अनुसरण में नकद प्रवाह विवरण तैयार करता है।

**लेखा मानक 5 - अवधि के दौरान निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मदों और लेखा नीतियों में परिवर्तन -** चूंकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मदें कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं, अत: वर्ष को दौरान उन्हें संबंधित लेखा शीर्षों में प्रभारित/ लेखाबद्ध किया है।

**लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण -** महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों की अनुसूची - 17 में दी गई लेखा नीति क्रमांक 6.2 के अनुसार दिनांक 02.07.2021 से, अतिदेय मीयादी जमा पर बचत खाते की ब्याज दर या परिपक्व सावधि जमा की ब्याज दर, दोनों में जो भी कम हो, के अनुसार ब्याज वास्तविक आधार पर प्रदान किया जाता है। 01 अप्रैल, 2022 से, साख पत्र, बैंक गारंटी और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC) की बिक्री के कारण कमीशन आय को पिछले वर्ष में नकद आधार के मुकाबले उपचय आधार पर मान्यता दी गई है। लेखांकन नीति में इस बदलाव के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य आय और कर पूर्व शुद्ध लाभ में रु.78.38 करोड़ की कमी आई है (31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 15.63 करोड़)।

**लेखा मानक 11 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव का प्रभाव**

वर्ष हेतु लाभ और हानि खाते में विनिमय अंतर जमा के कारण निवल आय रु.78.04 करोड़ (रु.129.05 करोड़) रही।

**लेखा मानक (एएस) -15 (संशोधित 2005) 'कर्मचारी लाभ'**

**(क) पारिभाषित अंशदान योजनाएं :**

(₹करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| क) भविष्य निधि | 39.44 | 45.58 |
| ख) कर्मचारी कल्याण निधि में अंशदान - कल्याण निधि आकस्मिकता | 15.00 | 15.00 |
| ग)नई पेंशन योजना में अंशदान | 87.43 | 62.03 |

**(ख) पारिभाषित लाभ योजनाएँ**

क) **पेंशन योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है, जो कि पेंशनयोग्य सेवा के अधिकतम 33 वर्षों हेतु अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत है। यह निधिगत योजना है।

ख) **उपदान योजना** - यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह उपदान संदाय अधिनियम, 1972 यथासंशोधित के अंतर्गत उपदान और कंपनी नियमों के अनुसार उपदान में से उच्चतम के रूप में संदेय है. यह निधिगत योजना है।

ग) **छुट्टी नकदीकरण/प्रतिपूरित अनुपस्थिति -** यह रोजगार पश्चात लाभ है और यह अंतिम वेतन पर आधारित संचयी छुट्टी के 240 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु संदेय है। यह निधिगत योजना है।

**Accounting Standard 3 - Cash Flow Statement**: The bank prepares cash flow statement in line with requirements of AS-3 using indirect method.

**Accounting Standard 5 - Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies**: As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts during the year.

**Accounting Standard 9 – Revenue Recognition:** As per Accounting Policy No. 6.2, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021. With effect from April 01, 2022, Commission income on account of Letter of Credit, Bank Guarantee and sale of Priority Sector Lending Certificate (PSLC) is recognized on accrual basis as against cash basis followed in the preceding year. This change in accounting policy has resulted in decrease of other income and net profit before tax by ₹ 78.38 crore during the Financial Year ended March 31, 2023 (₹ 15.63 crore for quarter ended March 31, 2023).

**Accounting Standard 11 – Effect of Changes in Foreign Exchange Rates:** Net income on account of exchange differences credited to Profit and Loss account for the year is Rs. 78.04 crore (Rs.129.05 crore).

**Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005) -** "Employee Benefits"

**A. Defined Contribution Plans**

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| a. Provident Fund | 39.44 | 45.58 |
| b. Contribution to Staff Welfare –Welfare Fund Contingency | 15.00 | 15.00 |
| c. Contribution to New Pension Scheme | 87.43 | 62.03 |

**B. Defined Benefit Plans:**

a) Pension Plan- This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

b) Gratuity Plan- This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

c) Leave Encashment/ Compensated Absences-This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an funded scheme.

**I. <u>परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में बदलाव</u>: Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र. S N | विवरण Particulars | पेंशन योजना PENSION PLANS | | उपदान योजना GRATUITY PLANS | | छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | परिभाषित लाभ दायित्वों का आरंभिक वर्तमान मूल्य Opening Present Value of Defined Benefit Obligation | 6925.37 | 6449.25 | 532.15 | 577.54 | 329.46 | 298.29 |
| 2 | ब्याज लागत Interest Cost | 493.62 | 428.27 | 36.71 | 37.39 | 23.26 | 19.74 |

| क्र. S N | विवरण Particulars | पेंशन योजना PENSION PLANS | | उपदान योजना GRATUITY PLANS | | छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 3 | चालू सेवा लागत Current Service Cost | 300.66 | 325.73 | 34.95 | 33.26 | 75.61 | 71.58 |
| 4 | पूर्व सेवा लागत Past Service Cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | प्रदत्त लाभ Benefits Paid | (634.79) | (627.17) | (86.82) | (123.72) | (39.58) | (51.98) |
| 6 | वर्ष हेतु बीकांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year | (87.51) | 349.29 | 0.27 | 7.68 | (7.80) | (8.17) |
| 7 | पारिभाषित लाभ दायित्वों का अंतिम वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation | **6997.34** | **6925.37** | **517.25** | **532.15** | **380.94** | **329.46** |

**II. योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में बदलाव:: Change in the Fair Value of Plan Assets:**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र. S N | विवरण Particulars | पेंशन योजना PENSION PLANS | | उपदान योजना GRATUITY PLANS | | छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 |
| 1 | योजनाबद्ध आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य Opening fair value of plan assets | 6875.12 | 6201.15 | 556.67 | 503.99 | 0.00 | NA |
| 2 | योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets | 513.57 | 432.84 | 41.81 | 36.54 | 0.00 | |
| 3 | किया गया अंशदान Contributions made | 227.51 | 841.22 | 0.00 | 112.00 | 270.11 | |
| 4 | प्रदत्त लाभ Benefits paid | (634.79) | (627.17) | (86.82) | (123.72) | (39.58) | |
| 5 | बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial gains/(losses) | (32.12) | 27.08 | 7.69 | 27.86 | 10.54 | |
| 6 | योजनाबद्ध आस्तियों का समापन उचित मूल्य Closing fair value of plan assets | **6949.29** | **6875.12** | **519.35** | **556.67** | **241.07** | |

**III. तुलन पत्र में निर्धारित रकम: Amount recognized in the Balance Sheet:**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र. S N | विवरण Particulars | निधिक पारिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पेंशन योजनाएं PENSION PLANS | | उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS | | छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT* | |
| | | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.23 | 31.03.22 |
| 1 | **पारिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations** | 6997.34 | 6925.37 | 517.25 | 532.15 | 380.94 | 329.46 |
| 2 | **योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets** | (6949.29) | (6875.12) | (519.35) | (556.67) | (241.07) | 0.00 |
| 3 | **निर्धारित निवल देयता Net liability to be recognized** | 48.05 | 50.25 | (2.10) | (24.51) | 139.87 | 329.46 |
| 4 | **तुलनपत्र में निर्धारित अन्य रकम Other amount recognized in the Balance Sheet** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | **तुलनपत्र में निर्धारित निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet** | 48.05 | 50.25 | (2.10) | (24.51) | 139.87 | 329.46 |

*चालू वित्तीय वर्ष से बैंक ने छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट का गठन किया है।

*From current financial year, bank has created Leave Encashment Trust.

**IV. लाभ और हानि लेखा में निर्धारित रकम:: Amount recognized in Profit and Loss Account:**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र. S N | विवरण Particulars | पेंशन योजनाएं PENSION PLANS | | उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS | | छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost | 300.66 | 325.73 | 34.95 | 33.26 | 75.61 | 71.58 |
| 2 | ब्याज लागत Interest Cost | 493.62 | 428.27 | 36.71 | 37.39 | 23.26 | 19.74 |
| 3 | योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets | (513.57) | (432.84) | (41.81) | (36.54) | 0.00 | 0.00 |
| 4 | वर्ष हेतु निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानियां Actuarial (Gains)/Losses for the year | (55.39) | 322.21 | (7.43) | (20.18) | (18.34) | (8.17) |
| 5 | सेवा पश्चात लागत Past Service Cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6 | **निर्धारित व्यय Expense to be recognized** | 225.31 | 643.37 | 22.42 | 13.93 | 80.52 | 83.16 |
| 7 | वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान/ (प्रतिलेखित) Additional provision made / (write back) during the year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 8 | **कर्मचारी लागत में शामिल और लाभ व हानि खाते में निर्धारित निवल खर्च Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost** | 225.31 | 643.37 | 22.42 | 13.93 | 80.52 | 83.16 |

**V. तुलन पत्र में निर्धारित निवल देयता का समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र SN | विवरण Particulars | पेंशन योजनाएं PENSION PLANS | | उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS | | छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | प्रारंभिक निवल देयता Opening Net Liability | 50.25 | 248.09 | (24.51) | 73.57 | 329.46 | 298.29 |
| 2 | निर्धारित व्यय Expense recognized | 225.31 | 643.37 | 22.42 | 13.93 | 80.52 | 83.16 |
| 3 | प्रदत्त अंशदान/ लाभ Contributions/ Benefits paid | (227.51) | (841.22) | 0.00 | (112.00) | (270.11) | (51.98) |
| 4 | **समापन निवल देयता** Closing Net Liability | 48.05 | 50.25 | (2.10) | (24.51) | 139.87 | 329.46 |

**VI. योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र SN | विवरण Particulars | पेंशन योजनाएं PENSION PLANS | | उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS | | छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets | 513.57 | 432.84 | 41.81 | 36.54 | 0.00 | NA |
| 2 | योजनाबद्ध आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets | (32.12) | 27.08 | 7.69 | 27.86 | 10.54 | |
| 3 | **योजनाबद्ध आस्तियों पर वास्तविक आय Actual return on plan assets** | 481.45 | 459.92 | 49.50 | 64.40 | 10.54 | |

**VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (धारित औसतों के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)**

| क्र SN | विवरण Particulars | पेंशन योजनाएं PENSION PLANS | | उपदान योजनाएं GRATUITY PLANS | | छुट्टी नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | भांजित दर Discount rate | 7.47% | 6.98% | 7.51% | 7.25% | 7.51% | 7.25% |
| 2 | योजनाबद्ध आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets | 7.47% | 6.98% | 7.51% | 7.25% | 7.51% | NA |
| 3 | वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |

**C.** अन्य दीर्घावधि लाभ: **Other Long Term Benefits:**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र SN | विवरण Particulars | लाभ व हानि खाते में मान्यता दी गई Recognized in Profit & Loss Account | |
|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | पुनर्स्थापन भत्ता Resettlement Allowance | 0.00 | 0.00 |
| 2 | छुट्टी किराया रियायत Leave Fare Concession | 13.26 | 12.35 |
| 3 | रजत जयंती पुरस्कार Silver Jubilee Award | 0.12 | 0.04 |
| | **कुल Total** | **13.38** | **12.39** |

**लेखा मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग - बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्रों का अभिनिर्धारण निम्नानुसार किया है :**

**Accounting Standard 17- Segment Reporting: Bank has identified its primary reportable segments as under:**

**भाग क : व्यवसाय खंड Part A: Business segments**

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| व्यवसाय क्षेत्र Business Segments | खजाना Treasury | | संस्थागत/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking | | खुदरा बैंकिंग Retail Banking | | अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations | | कुल Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण Particulars** | **2022-23** | **2021-22** | **2022-23** | **2021-22** | **2022-23** | **2021-22** | **2022-23** | **2021-22** | **2022-23** | **2021-22** |
| राजस्व Revenue | 4321.98 | 5094.00 | 6580.57 | 4537.40 | 7019.35 | 5438.13 | 258.83 | 602.17 | 18178.73 | 15671.70 |
| परिणाम Result | (102.37) | 1398.46 | 2068.22 | 399.01 | 1389.49 | (201.06) | 89.54 | 359.19 | 3444.88 | 1955.60 |
| अनाबंटित व्यय Unallocated expenses | | | | | | | | | - | - |
| परिचालन लाभ Operating profit | | | | | | | | | 6099.21 | 4847.87 |
| कर आस्थगित करों सहित Taxes including deferred taxes | | | | | | | | | 842.85 | 804.06 |
| असाधारण लाभ / हानि Extraordinary profit/ loss | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| निवल लाभ Net profit | | | | | | | | | 2602.03 | 1151.54 |
| **अन्य सूचना Other Information:** | | | | | | | | | | |
| क्षेत्र आस्तियां Segment assets | 77388.47 | 78679.17 | 108655.64 | 87029.25 | 65763.90 | 47398.10 | 12743.97 | 13380.83 | 264551.98 | 226487.35 |
| अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets | | | | | | | | | 3099.41 | 4124.02 |
| कुल आस्तियां Total assets | | | | | | | | | 267651.39 | 230611.37 |
| खंड देयताएं Segment liabilities | 76214.14 | 77470.27 | 101218.75 | 81883.93 | 61172.95 | 44519.17 | 12403.95 | 12103.87 | 251009.79 | 215977.23 |

| व्यवसाय क्षेत्र Business Segments | खजाना Treasury | संस्थागत/थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking | खुदरा बैंकिंग Retail Banking | अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations | कुल Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities | | | | | 1031.33 | 749.26 |
| पूंजी और अन्य प्रारक्षितियां Capital & Other Reserves | | | | | 15610.27 | 13884.88 |
| कुल देयताएं Total liabilities | | | | | 267651.39 | 230611.37 |

वित्तीय विवरण-प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर आरबीआई का मास्टर निर्देश 'खुदरा बैंकिंग' को (क) डिजिटल बैंकिंग (आरबीआई परिपत्र या 07 अप्रैल, 2022 को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना में परिभाषित किया गया है) और (ख) अन्य खुदरा बैंकिंग खंड में उप-विभाजित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, 2022-23 के लिए खुदरा बैंकिंग खंड के खण्डनुसार परिणाम नीचे दिए गए अनुसार उप-विभाजित किए गए हैं:

RBI's Master Direction on Financial Statements –Presentation and Disclosures, requires to sub divide "Retail Banking" into (a) Digital Banking (as defined in RBI circular or Establishment of Digital Banking Units dated April 07, 2022) and (b) Other Retail Banking segment. Accordingly, the segmental results for retail banking segment for FY 2022-23 is subdivided as below:

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

| क्र. S.N. | विवरण Particulars | राजस्व खंड Segment Revenue | परिणाम खंड Segment Results | संपत्ति खंड Segment Assets | देयताएं खंड Segment Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| | खुदरा बैंकिंग Retail Banking | 7019.35 | 1389.49 | 65763.90 | 61172.95 |
| I | डिजिटल बैंकिंग Digital Banking | 0.01 | (0.51) | 1.30 | 1.81 |
| Ii | अन्य खुदरा बैंकिंग Other Retails Banking | 7019.34 | 1390.00 | 65762.61 | 61171.14 |

क) खजाना क्षेत्र में निवेश, भारत के बाहर के बैंकों में शेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे होने वाली संबंधित आय शामिल हैं।

ख) संस्थागत /थोक बैंकिंग क्षेत्रों में न्यासों, भागीदारी फर्मो, कम्पनियों, सांविधिक निकायों और वैयक्तिक को प्रदत्त सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल नहीं किया गया है।

ग) खुदरा बैंकिंग क्षेत्रों में संस्था/ संबंधित को विगोपन शामिल है जहां

i) कुल औसत वार्षिक पण्यावर्त रु.50.00 करोड़ से कम है और

ii) एक प्रतिपक्ष में किया गया कुल निवेश बैंक के समग्र खुदरा संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है और

iii) एक प्रतिपक्ष में किया गया अधिकतम समग्र निवेश रु.5.00 करोड़ तक है।

घ) अन्य बैंकिंग परिचालनों के क्षेत्र में ऐसे सभी अन्य बैंकिंग व्यवहार शामिल हैं जिन्हें उपर्युक्त क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

ड) ब्याज आय को थोक बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर आवंटित किया जाता है। थोक बैंकिंग के लिए प्राप्त कुल ब्याज को रिटेल बैंकिंग परिचालन में ले लिया जाता है।

च) थोक बैंकिंग/ रिटेल बैंकिंग क्षेत्र द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर सीधे देय नहीं किए गए व्यय का आवंटन किया जाता है। खजाना परिचालनों के खर्च ट्रेजरी परिचलन से उपलब्ध विवरण के अनुसार हैं

छ) प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित खंड की आस्तियों के अनुपात में आवंटित किया गया है।

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.

b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to entity/ concern where

i. Total average annual turnover is less than Rs. 50.00 crore and

ii. Aggregate exposure to one counter party does not exceed 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to Rs. 5.00 crore.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

e) The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations

f) Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations

g) Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.

**भाग ख: भौगोलिक क्षेत्र**

चूँकि बैंक के परिचालन केवल भारत के भीतर होते हैं अतः भौगोलिक क्षेत्र लागू नहीं है।

**लेखा मानक 18- संबंधित पक्ष प्रकटन**

इस संबंध में विवरण निम्नानुसार हैं।

संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध

क) बैंक की अनुषंगी कंपनी : दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि.

ख) बैंक की सहायक संस्था : महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

ग) मुख्य प्रबंधन कार्मिक - ऊपर बिंदु क्र. 13 में ब्यौरे दिए गए हैं।

**संबंधित पक्षों से संव्यवहार -**

लेखा मानक 18 के अनुच्छेद के 9 के अनुसार ''राज्य नियंत्रित उद्यम'' को संबंधित पक्षों के संदर्भ में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं हैं। एएस 18 के पैरा 5 के संदर्भ में, बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में संव्यवहार का खुलासा नहीं किया गया है, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार शामिल हैं।

**लेखा मानक-19 - पट्टा**

**वित्तीय पट्टा :**

पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर (देय राशियों का परिशोधन के पश्चात), जो भी कम हो, पूँजीकृत किया जाता है।

**परिचालन पट्टा :**

वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के पास कोई गैर-निरस्त परिचालन पट्टे नहीं हैं। इसलिए एएस-19 के तहत अतिरिक्त खुलासा लागू नहीं है। पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है। परिचालन पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में पट्टा भुगतान की राशि वर्ष 2022-23 के लिए रू.184.68 करोड़ (पिछले वर्ष रू.171.47 करोड़) है।

**लेखा मानक 20-प्रति शेयर अर्जन**

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| मूल ई.पी.एस. | रु. 3.87 | Rs. 1.72 |
| अवमूल्यित ई.पी.एस. | रु. 3.87 | Rs. 1.72 |
| **मूल / अवमूल्यित ई.पी.एस. की गणना** | | |
| क) कर उपरांत निवल लाभ (रु. करोड़ में) | 2602.03 | 1151.54 |
| ख) ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या करोड़ में) | 673.05 | 668.06 |
| ग) प्रति शेयर मूल अवमूल्यित अर्जन [(क) विभाजित (ख) द्वारा] | रु. 3.87 | Rs. 1.72 |
| ङ) प्रति शेयर अभिहित मूल्य | रु. 10.00 | Rs. 10.00 |

**लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण**

सहायक कंपनी अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. के परिणामों को क्रमशः लेखांकन मानक 23 और लेखांकन मानक 21 के अनुपालन में मूलबैंक में समेकित किया गया है।

**लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन**

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि खराब व संदेहास्पद ऋणों एवं कर्मचारी लाभों इत्यादि के कारण उत्पन्न समय अंतराल को ध्यान में रखकर वसूला जा सकता है, बैंक ने एएस 22 का पालन करते हुए कर का लेखांकन किया है। तदनुसार, आस्थगित कर-आस्तियां और आस्थगित कर देयताएँ निम्नानुसार हैं :

**Part B: Geographical Segment**

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

**Accounting Standard 18 – Related party disclosures**

The details in this regard are as under:

Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(b) Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank

(c) Key Management Personnel- Details given in point no. 13 above

**Transactions with Related parties:**

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

**Accounting Standard 19 - Leases**

**Finance Leases:** Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or present value of the lease payments (after due amortization), whichever is lower.

**Operating Leases:** Bank has no non-cancellable Operating Leases during Financial Year. Hence additional disclosure under AS-19 is not applicable. The Lease payments under operating leases are recognized as an expense on straight line basis in Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases amount to Rs.184.68 crore for the year 2022-23 (Previous year Rs. 171.47 crore).

**Accounting Standard 20- Earnings per Share**

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Basic E.P.S. | Rs. 3.87 | Rs. 1.72 |
| Diluted E.P.S. | Rs. 3.87 | Rs. 1.72 |
| **Calculation of Basic /Diluted EPS.** | | |
| a) Net Profit after Tax (in Crore) | 2602.03 | 1151.54 |
| b) Weighted Average number of Equity Shares (in Crore) | 673.05 | 668.06 |
| c) Basic/ Diluted Earnings per share [(a) divided by (b)] | Rs. 3.87 | Rs. 1.72 |
| d) Nominal Value per Share | Rs. 10.00 | Rs. 10.00 |

**Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements:** The financial results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited have been consolidated with the parent bank in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

**Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income:** Based on the review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(राशि रु.करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर आस्तियां** | | |
| 1) संचित हानियों के कारण | शून्य | 432.68 |
| 2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधानों के रूप में | 23.68 | 106.02 |
| 3) अन्य प्रावधान जहां डीटीए बनाया गया है. | 1250.42 | 1577.77 |
| **उप जोड़ (क)** | **1274.10** | **2116.47** |
| **आस्थगित कर देयता** | | |
| 1) धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत विशेष प्रारक्षित निधि के रूप में | 12.90 | 12.42 |
| **उप जोड (ख)** | **12.90** | **12.42** |
| **निवल आस्थगित कर आस्ति (क-ख)** | **1261.20** | **2104.05** |

जैसा कि बैंक ने कर निर्धारण वर्ष 2021-22 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत अनुमत कम कर दर का विकल्प चुना है, आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

**लेखा मानक 24 - परिचालनों का समापन**

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी किसी भी व्यवसाय गतिविधियों/परिचालनों का समापन नहीं किया जिसका परिणाम आस्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटान रहा है और अपनी समग्रता में व्यवसाय गतिविधि के समापन को अंतिम रूप देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया जिसका उपर्युक्त प्रभाव पड़ेगा।

**लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन**

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त:

उपयोग अवधि - 3 वर्ष

परिशोधन दर - 33.33%

परिशोधन पद्धति - लागत पर सरल रेखा पद्धति

(राशि रु.करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर | 27.62 | 33.24 |
| वर्ष के दौरान लिये गये सॉफ्टवेयर | 125.93 | 11.01 |
| वर्ष के दौरान परिशोधन | 43.03 | 16.63 |
| वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि | 110.52 | 27.62 |

**लेखा मानक - 28 - आस्तियों का ह्रास**

जब भी कोई घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है तो परिसंपत्तियों की वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है कि किसी संपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली और उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति भविष्य की निवल रियायती नकदी प्रवाह के लिए एक परिसंपत्ति की वहन राशि के लिए एक तुलना द्वारा मापा जाता है जो संपत्ति द्वारा उत्पन्न होना अपेक्षित है। यदि इस तरह की संपत्ति को खराब माना जाता है, तो मान्यता प्राप्त होने वाली हानि और उस राशि से मापी जाती है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की वहन राशि संपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। हालांकि, बैंक के प्रबंधन की राय में, उस वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों को भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखा मानक 28 - ''आस्तियों का ह्रास'' लागू होता है।

**लेखा मानक 29 - प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां वर्ष के अंत तक ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए बैंक के खिलाफ दावे**

(राशि रु.करोड़ में)

| श्रेणी | 2022 - 23 | 2021 - 22 |
|---|---|---|
| बकाया शेष | 1375.62 | 1375.41 |
| धारित प्रावधान | 2.66 | 2.05 |

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| **Deferred Tax Assets** | | |
| 1) On account of Accumulated Losses | NIL | 432.68 |
| 2) On account of provisions for Employees benefits | 23.68 | 106.02 |
| 3) Other Provisions where DTA is created | 1250.42 | 1577.77 |
| **Sub-Total (A)** | **1274.10** | **2116.47** |
| **Deferred Tax Liability** | | |
| 1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii) | 12.90 | 12.42 |
| **Sub-Total (B)** | **12.90** | **12.42** |
| **Net Deferred Tax Asset (A-B)** | **1261.20** | **2104.05** |

As the bank has opted for lower tax rate permitted under section 115 BAA of the Income Tax Act 1961 from AY 2021-22, the provisions of section 115JB of the Income Tax Act are not applicable to the bank.

**Accounting Standard -24- Discontinuing Operations:** The Bank, during the financial year 2022-23, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

**Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets:**

Computer Software – other than internally generated:

Useful life - 3 years.

Amortization Rate - 33.33 %

Amortization Method - Straight line at cost

(Amount in ₹ crore)

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Software at the beginning of the year | 27.62 | 33.24 |
| Software acquired during the year | 125.93 | 11.01 |
| Amortization during the year | 43.03 | 16.63 |
| Net carrying amount at the end of the year | 110.52 | 27.62 |

**Accounting Standard 28- Impairment of Assets:** Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

**Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Claim against the bank not acknowledged as debt on year end**

(Amount in ₹ crore)

| Category | 2022 – 23 | 2021 – 22 |
|---|---|---|
| Balance Outstanding | 1375.62 | 1375.41 |
| Provision Held | 2.66 | 2.05 |

कुल आकस्मिक देनदारियों (अनुसूची 12 के अनुसार) में समाप्त गारंटी राशि रु.1157.12 करोड़ (पि.वाय. रु.898.43 करोड़) शामिल है, जिसे लंबित औपचारिकताओं के कारण रद्द नहीं किया गया है।

**17**) निदेशक मण्डल ने दिनांक 24 अप्रैल 2023 की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 13% की दर अर्थात रु. 1.30/- प्रति इक्विटी शेयर (प्रति शेयर रु. 10/- का अंकित मूल्य) लाभांश की सिफारिश की है, जो शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

**18**) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, उन्हें पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समूहबद्ध किया गया है।

Total Contingent liabilities (as per Schedule 12) include expired Guarantees amount Rs.1157.12 crore (P.Y. Rs. 898.43 crore), which has not been cancelled because of pending completion formalities.

**17)** The Board has proposed dividend @13% i.e. Rs. 1.30/- per equity share (Face Value of Rs. 10/- per share) for the Financial Year 2022-23 in Board Meeting dated April, 24 2023 subject to requisite approval from Shareholders.

**18)** Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure.

## 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
## STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

| विवरण Particulars | | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023 | | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | | | | |
| **A. Cash Flow From Operating Activities:** | | | | | |
| **आय Income** | | | | | |
| वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc. | | 15898 ,45 ,86 | | 13594 ,21 ,99 | |
| अन्य आय Other Income | | 2280 ,27 ,07 | 18178 ,72 ,93 | 2652 ,47 ,93 | 16246 ,69 ,92 |
| **घटाएं:व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions** | | | | | |
| वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings | | 8157 ,68 ,09 | | 6974 ,82 ,31 | |
| परिचालन व्यय Operating Expenses | | 3921 ,83 ,56 | | 3849 ,01 ,28 | |
| प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies | | 3497 ,17 ,54 | 15576 ,69 ,19 | 4271 ,32 ,71 | 15095 ,16 ,30 |
| **व्यय से आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses** | | | **2602 ,03 ,74** | | **1151 ,53 ,62** |
| **जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately** | | | | | |
| प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies | | 3497 ,17 ,54 | | 4271 ,32 ,71 | |
| अचल संपत्तियों हेतु मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets | | 262 ,47 ,67 | | 268 ,34 ,08 | |
| अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets | | -1 ,96 ,52 | | -1 ,04 ,31 | |
| बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI | | 373 ,54 ,36 | 4131 ,23 ,05 | 315 ,61 ,78 | 4854 ,24 ,26 |
| | | | 6733 ,26 ,79 | | 6005 ,77 ,88 |
| **घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)** | | | - | | 325 ,00 ,00 |
| **परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations** | **(I)** | | **6733 ,26 ,79** | | **5680 ,77 ,88** |
| **परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:** | | | | | |
| जमाराशियां Deposits | | 31788 ,39 ,19 | | 28288 ,67 ,27 | |
| बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings | | 2080 ,91 ,58 | | 3217 ,99 ,07 | |
| अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision | | -3528 ,29 ,22 | | -4209 ,85 ,26 | |
| **परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities** | | **30341 ,01 ,55** | | **27296 ,81 ,08** | |
| **घटाएं:परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets** | | | | | |
| निवेश Investments | | 276 ,97 ,94 | | 478 ,32 ,71 | |
| अग्रिम Advances | | 40050 ,23 ,23 | | 28765 ,27 ,21 | |
| अन्य आस्तियां Other Assets | | -1815 ,17 ,93 | | -3164 ,14 ,17 | |
| **कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets** | | **38512 ,03 ,24** | | **26079 ,45 ,75** | |
| **परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets** | **(II)** | | **-8171 ,01 ,69** | | **1217 ,35 ,33** |
| **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities** | **(क (A) = I+II)** | | **-1437 ,74 ,90** | | **6898 ,13 ,21** |
| **ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | | | |
| **B. Cash Flow From Investing Activities** | | | | | |
| अचल आस्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets | | 147 ,20 ,39 | | 7 ,07 ,92 | |
| अचल आस्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets | | -324 ,44 ,85 | | -309 ,05 ,16 | |
| **निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities** | **(ख) (B)** | | **-177 ,24 ,46** | | **-301 ,97 ,24** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | | |
| **C. Cash Flow From Financing Activities:** | | | | |
| i) बांडों को जारी /(मोचन) करना<br>Issue/ (Redemption) of Bonds | | 938 ,00 ,00 | 290 ,00 ,00 | |
| ii) वि.व. 2022-23 में प्रदत्त लाभांश पिछले वर्ष से संबंधित है।<br>Dividend Paid in FY 2022-23 pertains to previous year | | -336 ,52 ,48 | | |
| iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax | | | | |
| iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज<br>Interest on Bonds, PCPS and IPDI | | -373 ,54 ,36 | -315 ,61 ,78 | |
| v) ईक्विटी शेयरों को जारी करना / शेयर आवेदन राशि<br>Issue of Equity Shares / Share Apllication Money | | | 403 ,69 ,99 | |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)**<br>**Cash Flow From Financing Activities (C)** | | **227 ,93 ,16** | | **378 ,08 ,21** |
| **वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह**<br>**Total Cash Flow During The Year** | **(क+ख+ग)**<br>**(A+B+C)** | **-1387 ,06 ,20** | | **6974 ,24 ,19** |

नोट : पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुन : एकत्रित एवं पुन : वर्गीकृत किया गया है.
Note : Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ हजार में)
(₹ in Thousand)

| **ब्योरे Particulars** | **31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2023** | **31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2022** |
|---|---|---|
| द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By- | | |
| **वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समकक्ष** | | |
| **Cash and Cash equivalents at the beginning of the year** | | |
| नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अधिशेष | | |
| Cash & Balance with RBI | **19721 ,92 ,62** | 12882 ,48 ,23 |
| बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन | | |
| Balances with Banks & Money at Call & Short notice | **194 ,04 ,65** | 59 ,24 ,85 |
| | **19915 ,97 ,27** | **12941 ,73 ,08** |
| **वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समकक्ष** | | |
| **Cash and Cash equivalents at the end of the year** | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष | | |
| Cash & Balances with RBI | **18507 ,72 ,06** | 19721 ,92 ,62 |
| बैंकों के पास शेष, मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन | | |
| Balance with banks & money at call & Short notice | **21 ,19 ,01** | 194 ,04 ,65 |
| | **18528 ,91 ,07** | **19915 ,97 ,27** |
| **वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year** | **-1387 ,06 ,20** | **6974 ,24 ,19** |

**एस. बलजीत सिंह**
निदेशक
**S. BALJIT SINGH**
Director

**शशांक श्रीवास्तव**
निदेशक
**SHASHANK SHRIVASTAVA**
Director

**राकेश कुमार**
निदेशक
**RAKESH KUMAR**
Director

**मनोज के. वर्मा**
निदेशक
**MANOJ K. VERMA**
Director

**प्रशांत कुमार गोयल**
निदेशक
**PARSHANT KUMAR GOYAL**
Director

**आशीष पाण्डेय**
कार्यपालक निदेशक
**ASHEESH PANDEY**
Executive Director

**ए. बी. विजयकुमार**
कार्यपालक निदेशक
**A. B. VIJAYAKUMAR**
Executive Director

**ए. एस. राजीव**
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
**A.S. RAJEEV**
Managing Director & CEO

**केयुर तलाटी**
मुख्य प्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
**KEYUR TALATI**
Chief Manager, FM&A

**मुदित अग्रवाल**
सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा
**MUDIT AGARWAL**
Asst. General Manager, FM&A

**वी. पी. श्रीवास्तव**
महाप्रबंधक व सीएफओ
**V. P. SRIVASTAVA**
General Manager & CFO

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached.

**कृते मै. रोडी डबीर एंड कंपनी**
एफआरएन : 108846W
सनदी लेखाकार
**For M/s. Rodi Dabir & Co.**
FRN – 108846W
Chartered Accountants
**सीए सुधीर डबीर**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 039984
यूडीआईएन - 23039984BGZBUH5229
**CA Sudhir Dabir**
Partner
Membership No: 039984
UDIN - 23039984BGZBUH5229

**कृते मै. एस भंडारी एंड कंपनी एलएलपी**
एफआरएन : 000560C/C400334
सनदी लेखाकार
**M/s. S Bhandari & Co LLP**
FRN – 000560C/C400334
Chartered Accountants
**सीए पी. डी. बैद**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 072625
यूडीआईएन - 23072625BGXCSY8315
**CA P D Baid**
Partner
Membership No: 072625
UDIN - 23072625BGXCSY8315

**कृते मै. कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
एफआरएन : 105215W/W100057
सनदी लेखाकार
**For M/s. Kirtane & Pandit LLP**
FRN – 105215W/W100057
Chartered Accountants
**सीए संदीप वेलिंग**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 044576
यूडीआईएन -23044576BGXPRJ1709
**CA Sandeep Welling**
Partner
Membership No: 044576
UDIN - 23044576BGXPRJ1709

**कृते मै. सुंदरम एंड श्रीनिवासन**
एफआरएन : 004207S
सनदी लेखाकार
**For M/s. Sundaram & Srinivasan**
FRN – 004207S
Chartered Accountants
**सीए पी मीनाक्षी सुंदरम**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 217914
यूडीआईएन - 23217914BGWPBV4256
**CA P Menakshi Sundaram**
Partner
Membership No: 217914
UDIN - 23217914BGWPBV4256

स्थान : पुणे
दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

Place : Pune
Date : 24th April, 2023

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

| | |
|---|---|
| **मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी**<br>सनदी लेखाकार<br>282, कपीश हाउस, माता मंदिर रोड<br>खरे टाउन, धरमपेठ, नागपुर - 440010 | **मैसर्स एस. भंडारी एंड कंपनी एलएलपी**<br>सनदी लेखाकार<br>पी-7, तिलक मार्ग, सी-स्कीम<br>जयपुर - 302005 |
| **मैसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**<br>सनदी लेखाकार<br>पांचवी मंजिल, विंग ए, गोपाल हाउस<br>कोथरूड, पुणे - 411 038 | **मैसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन**<br>सनदी लेखाकार<br>23, सीपी रामास्वामी रोड, अलवरपेट<br>चेन्नै - 600 018 |

प्रति,

**भारत के राष्ट्रपति एवं ''बैंक ऑफ महाराष्ट्र'' के सदस्यगण**

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

**अभिमत**

1. हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एकल वित्तीय विवरणों लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 का तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण एवं लाभ और हानि विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियां शामिल हैं, इसमें उसी दिनांक को संगामी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 576 शाखाओं, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित प्रधान कार्यालय, 42 अंचल कार्यालयों और 20 शाखाओं तथा 1 खजाना व अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग की विवरणियां सम्मिलित हैं।

   हमारे द्वारा लेखा परीक्षित व अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। साथ ही, तुलन पत्र और लाभ व हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण में 1627 शाखाएं जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं, की विवरणियां भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिमों में 22.94%, जमाराशियों में 44.89%, ब्याज आय में 15.91% तथा ब्याज व्यय में 43.56% हिस्सा है।

   हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है तथा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा निम्नानुसार है:

   क. तुलन पत्र के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर यह एक पूर्ण और उचित तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और इसे उचित रूप से तैयार किया गया है ताकि 31 मार्च, 2023 को बैंक की स्थिति के विषय में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके;

   ख. लाभ व हानि खातों के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित होता है और

   ग. नकदी प्रवाह विवरण उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

**अभिमत का आधार**

2. हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वर्णन अपनी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से साथ ही भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं से स्वतंत्र हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

| | |
|---|---|
| **M/s. Rodi Dabir & Co.**<br>Chartered Accountants,<br>282, Kapish House, Mata Mandir Road, Khare Town, Dharampeth, Nagpur-440010 | **M/s. S Bhandari & Co LLP**<br>Chartered Accountants,<br>P-7, Tilak Marg,<br>C-Scheme,<br>Jaipur - 302 005 |
| **M/s. Kirtane & Pandit LLP**<br>Chartered Accountants,<br>5th. Floor, Wing A, Gopal House,<br>Kothrud, Pune- 411 038 | **M/s. Sundaram & Srinivasan**<br>Chartered Accountants,<br>23, CP Ramaswamy Road,<br>Alwarpet, Chennai-600 018 |

To,

**The President of India and Members of "BANK OF MAHARASHTRA"**

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

**Opinion**

1. We have audited the accompanying standalone financial statements of Bank of Maharashtra, which comprise the Balance Sheet as at 31st March 2023, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of the Head Office, 42 Zonal Offices and 20 branches and one Treasury and International Banking Division audited by us, and 576 branches audited by Statutory Branch Auditors of the Bank.

   The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows are the returns from 1627 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 22.94% of advances, 44.89% of deposits, 15.91% of interest income and 43.56% interest expenses.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

   a. the Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2023;

   b. the Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit for the year ended 31st March, 2023 and

   c. the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date

**Basis for Opinion**

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the ICAI, and provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India

अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

**मामले का ज़ोर**

3. हम वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 4 (एच) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जहां बैंक ने 31 मार्च 2023 को आकस्मिक प्रावधान के रूप में कोविड-19 से संबंधित रू.1200 करोड़ के प्रावधान को बनाए रखा है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

**प्रमुख लेखापरीक्षा मामले**

4. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है।

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| 1. | **अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक अनुपालन:**<br>(एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।)<br>31 मार्च 2023 को बैंक के पोर्टफोलियो में रु.171220.67 करोड़ का निवल अग्रिम शामिल है जिसमें थोक और रिटेल बैंकिंग सम्मिलित है। आईआरएसी मानदंडों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसरण में बैंक ने अग्रिमों को वर्गीकृत किया है तथा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित प्रावधान किए हैं।<br>अग्रिमों से आय, कुल आय का 63.18% बनाती है। गैर-निष्पादन आस्तियों के संबंध में प्रावधान रु.2253.10 करोड़ है जो कुल व्यय का 14.46% बनाता है।<br>आईआरएसी मानदंडों का समुचित रूप से पालन नहीं किए जाने पर इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का वहन मूल्य व्यक्तिगत या समेकित रूप में गलत हो सकता है। | हमने सिस्टम, आवेदन, अनुमोदन के ऊपर प्रक्रिया, रिकॉर्डिंग, निगरानी और ऋणों, बकायों तथा दबावग्रस्त खातों की वसूली, एनपीए की पहचान, प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समझ तथा बैंक के समग्र संगठनात्मक आईटी ढांचे एवं विभिन्न आंतरिक परिपत्रों और रिपोर्टों के माध्यम से उसके संप्रेषण पर आधारित विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच सहित एनपीए के लिए प्रावधान के महत्वपूर्ण नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जांच कर ली है।<br>हमने बैंक की नीतियों व प्रक्रियाओं तथा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुपालन में अग्रिमों की मंजूरी, निगरानी की प्रक्रिया तथा अग्रिमों पर नियंत्रण हेतु सिस्टम ओवरराइड या बाइपास के लिए खातों, पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क यथा आंतरिक लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा और प्रणाली लेखा परीक्षा के साथ-साथ ऐसे फ्रेमवर्क की आंतरिक जांच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है।<br>हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आवेदन का मूल्यांकन किया है तथा अर्जक आस्तियों के सैम्पल की व्यक्तिगत रूप से जांच की है ताकि उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, बैंक की ऋण नीति के अनुसार मंजूरियों के अनुमोदन तथा क्रेडिट मूल्यांकन व नियंत्रण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है। |

('RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Emphasis of Matter**

3. We draw attention to Note No. 4(h) in Schedule 18 of the Financial Statements where Bank continues to hold COVID-19 related provision of Rs. 1200 Crore as contingency provision as on 31st March 2023.

Our Opinion is not modified in respect of this matter.

**Key Audit Matters**

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements of the year ended March 31 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| 1. | **Classification of Advances, Provisioning and other relevant compliance of RBI Guidelines:**<br>(Refer Note No. 4 of Schedule 17 of Significant Accounting Policy to the Standalone Financial Statements)<br>The Bank's portfolio comprises of Net Advances of Rs. 171220.67 Crores as at March 31, 2023 comprising of wholesale and retail banking. As required by IRAC Norms, guidelines issued by RBI and other circulars, notification and directives issued by RBI, the Bank has classified Advances and has made appropriate provisions in accordance with such guidelines.<br>Income from Advances constitutes 63.18% of Total Income. The provision in respect of Non-Performing Asset is Rs. 2253.10 Crores which constitutes 14.46% of the total expenditure.<br>The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate the IRAC Norms, are not properly followed. The Bank has significant Credit Risk Exposure to a large number of borrowers across a wide range of borrowers, products, industries and | We have tested the design and operating effectiveness of the Key controls of the system, application, process over approval, recording, monitoring, and recovery of loans, overdue and stressed accounts, identification of NPA, Provision for NPA including verification of valuation reports of experts for primary and collateral securities based on the understanding of the prudential guidelines and overall organisational IT framework of the Bank and its communication through various circulars and reports.<br>We have evaluated the Internal Controls over sanctioning, monitoring the process and account for system overrides or bypasses to controls of advances, supervisory framework such as Internal Audit, Credit Audit, Concurrent Audit, Systems Audit, as well as Internal Check, effectiveness of such framework as per the policies and procedures of the bank and in compliance with prudential guidelines.<br>We have tested samples of Performing Assets and assessed the application of IRAC Norms, as prescribed by RBI, individually to ensure compliance of the same. Also reviewed approval of sanctions against Bank's credit Policy and performance of Credit Assessments and controls. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| | बैंक को बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं, उत्पादों, उद्योगों को दिए गए ऋणों से ऋण जोखिम एक्सपोजर है और इसमें अत्यधिक जटिलताएं, अनिश्चितता, अग्रिमों की वसूली संबंधी निर्णय, प्रावधानों का अनुमान और बट्टे खाते डाले जाने वाले खातों की पहचान शामिल है। यदि बैंक द्वारा ऐसे विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो वर्ष हेतु लाभ और निवल अग्रिमों की स्थिति उचित रूप से परिलक्षित नहीं होती। अतः हम इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा का मामला मानते हैं। | संभावित एनपीए की पहचान करने के लिए बैंक द्वारा निर्मित प्रारंभिक चेतावनी संकेत रिपोर्टों, अन्य असाधारण रिपोर्टों की जांच की गई और मूल्यांकन जोखिमों को दूर करने के लिए तथा जोखिम प्रबंधन एवं संबंधित नियंत्रणों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रेड फ्लैग वाले खातों सहित ऐसे खातों की निगरानी के लिए उठाए गए कदम उठाए गए।<br><br>हमने बैंक के बड़े विगोपनों पर ध्यान केंद्रित करने और आकलन करने के लिए तथा उभरते जोखिम के क्षेत्रों को कम करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट, समुचित सावधानी रिपोर्ट, सेवा करार, समनुदेशन विलेख, जेएलए और बाहरी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट सहित संपार्श्विक दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से कॉरपोरेट थोक (संघीय, पूल बायआउट और अन्य बड़े उधारकर्ताओं सहित) का विस्तृत सत्यापन करने का एक फ्रेमवर्क अपनाया है। हमने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की है और आंतरिक और बाह्य मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों सहित अपने अनुसार मूल्यांकन किया है और बैंक की ऋण नीतियों, आईआरएसी मानदंडों और सरकारी नीतियों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन और जोखिम ग्रेडिंग की सटीकता का परीक्षण किया है।<br><br>हमने आय निर्धारण, ऐसे ऋणों के प्रावधानीकरण सहित आईआरएसी मानदंडों की प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नमूना आधार पर बैंक के रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो का परीक्षण किया है। बैंक ने रिटेल ऋणों के लिए ऋण लाइफ साइकल प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है, जो प्रभावी रूप से बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो की निगरानी, नियंत्रण करता है तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन और कार्य-निष्पादन के लिए उसकी जांच की गई है। हमने अंतर्निहित स्रोत प्रणालियों से डेटा की पूर्णता और सटीकता का भी परीक्षण किया है, स्वचालित गणना की जांच की है और बैंक के ओवरसाइट पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया है।<br><br>हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित नियामक पैकेज के अनुसार उधारकर्ताओं को अधिस्थगन एवं पुनर्संरचना प्रदान करने के लिए बैंक की प्रक्रिया की समीक्षा की है। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियामक पैकेज के अनुरूप सामान्य प्रावधानों की गणना के लिए उपयोग किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता का परीक्षण किया है। साथ ही हमने सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित अनुसूचियों के आधार पर प्रधान कार्यालय में पुनर्रचित खातों के आंकड़ों के संकलन पर भी भरोसा किया है। |

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | there is a high degree of complexity, uncertainty, judgement involved in recoverability of Advances, estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. If such prudential guidelines are not followed by the Bank the profit for the year and the net advances position will be materially mis-stated. Hence, we consider this as a Key Audit Matter. | Examined early warning signal reports, other exceptional reports generated by the Bank for the purpose of identifying potential NPA and steps taken for monitoring of such accounts including red flagged accounts to overcome assessed risks and ensure effective implementation of risk management and related controls.<br><br>We have adopted a framework of carrying out detailed verification of corporate wholesale (including Consortium, Pool Buyout and other large borrowers) by way of review of collateral documents including valuation reports, due diligence report, servicing Agreement, deed of assignment, JLA and External Credit rating reports to assess and focus on larger exposures of the Bank and mitigating the areas of emerging risk. We have discussed with the Senior Management and performed our own assessment including internal and external macroeconomic factors and testing the timelines and the accuracy of risk assessment and risk grading against the Bank's lending policies, IRAC Norms and in accordance with Government Policies.<br><br>We have examined the Retail advances portfolio of the Bank on sampling basis to ensure effective monitoring and implementation of IRAC norms including income recognition, provisioning for such loans. The Bank has adopted Loan Life Cycle Management System for retail loans which effectively monitors, controls, the retail portfolio of the Bank and is tested for its effective implementation and performance. We have also tested the completeness and accuracy of the data from the underlying source systems, tested the automated calculation and evaluated the bank's oversight of the portfolio.<br><br>We have reviewed the Bank's process for granting moratorium and restructuring to borrowers as per the Regulatory Package announced by RBI. We tested the completeness and accuracy of data used for computing general provisions in line with regulatory package issued by RBI. Also we have relied on the compilation of the data of the restructured accounts at Head office based on the schedules audited by the statutory branch auditors. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| | | हमने एनपीए से संबंधित प्रासंगिक आरबीआई आवश्यकताओं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम एवं आरबीआई परिपत्रों के अनुसार निर्मित लागू लेखा मानकों पर प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है।<br><br>हमने अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के साथ विशिष्ट संप्रेषण कर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी निर्भरता रखी है। |
| 2. | निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण:<br><br>(एकल वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 3 का संदर्भ लें।)<br><br>खरीद के समय निवेश को व्यापार हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित किए जाने वाले निवेशों को एचटीएम निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और उसका प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित है।<br><br>भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन अनिवार्य है तथा इसमें बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल और नीति पर आधारित बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय को शामिल किया जाता है।<br><br>बैंक के वित्तीय परिणामों में अनर्जक मूल्यांकन का संपूर्णता में प्रभाव महत्वपूर्ण है।<br><br>बैंक के निवेश से आय, कुल आय का 23.47% है। इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं जिसमें गैर-निष्पादित निवेश का मूल्यांकन और प्रावधान शामिल है, को ध्यान में रखते हुए हमने इस मद को मुख्य लेखा परीक्षा विषय के रूप में माना है । | हमने बैंक के वर्गीकरण, मूल्यांकन प्रक्रिया, स्वतंत्र मूल्य सत्यापन की दिशा में प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है, जिसमें प्रमुख प्राधिकरण और डेटा इनपुट नियंत्रण सहित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन शामिल हैं।<br><br>हमने प्रासंगिक निवेश शर्तों को समझने तथा वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक किसी भी स्थिति की पहचान करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान नमूना आधार पर निवेश करार/ प्रविष्ट टर्म शीट की जांच की है।<br><br>बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं और अनुपालन तथा मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, निवेश के लिए प्रावधान एवं बैंक द्वारा अपनाई गई प्रासंगिक नीतियों व प्रक्रियाओं के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और संबद्ध प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है।<br><br>हमने प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन में सुधार करके भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और निर्देशों को अपनाने की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण किया। प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर जोखिम भारित निवेशों के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नमूने तकनीकों को अपनाया गया और बैंक के वित्तीय विवरणों में इसके वहन मूल्य के लिए परीक्षण किया गया। |

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | | We have examined the adequacy and appropriateness of disclosures against the relevant RBI requirements relating to NPA and applicable Accounting Standards required to be made in accordance with Banking Regulation Act and RBI Circulars.<br><br>We have also placed reliance on the Audit reports of the other Statutory Branch Auditors, with whom we have made specific communications. |
| 2 | **Classification and Valuation of Investments:**<br><br>(Refer Note No. 3 of Schedule 17 of Significant Accounting policies to the Standalone Financial Statements)<br><br>Investments are classified into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories at the time of purchase. Investments intended to be held till maturity are classified as HTM Investments. Classification of Investments, valuation and provisioning thereof are based on RBI guidelines.<br><br>Compliance of Investment Portfolio as per guidelines issued by RBI is mandatory and involves management judgement in determining the value of bonds, debentures and other securities based on the policy and the model adopted by the Bank.<br><br>Impact of Impairment assessment is having overall significance to the financial results of the Bank.<br><br>Interest Income from Investment of the Bank comprises 23.47% of the total income. In view of these significant points including assessment of non performing Investments and provisions we have identified this aspect as a Key Audit Matter. | We have tested the design, implementation, and operating effectiveness of management's key internal controls of the Bank towards classification, valuation process, independent price verification, including the Bank's review and approval of the estimates and assumptions used for the valuation including key authorisation and data input controls.<br><br>We have examined the investment agreement / term sheet entered during the current year, on a sample basis, to understand the relevant investment terms and identify any conditions that were relevant to the valuation of financial instruments.<br><br>Our Audit approach towards Investment Portfolio of the bank is based on compliance and requirements of RBI circulars and directives in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, Provision for Investments and relevant policies and procedures adopted by the Bank including effective implementation of Internal control system and related process.<br><br>We tested accuracy and completeness of adoption of RBI guidelines and directions by reperforming valuations for each category of the securities. Various sampling techniques were adopted to ensure coverage of risk weighted Investments based on the nature of security and were tested for its carrying value in the Financial Statements of the Bank. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| | | हमने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और मूल्यह्रास के स्वतंत्र जांच की विधि द्वारा बैंक के गैर निष्पादित निवेशों का सत्यापन किया है और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की है। हमारे द्वारा ब्याज/ मूलधन के रूपांतरण के परिणामस्वरूप निवेशों की एक अलग सूची प्राप्त की और जांच की गई कि क्या इन निवेशों को एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए चुने गए नमूनों में बैंक की आय पर भौतिक प्रभाव को कवर करने के लिए निवेश की अधिकतम श्रेणियां शामिल हैं।<br><br>हमारे द्वारा नमूना आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के निवेशों की जांच की गई और आय निर्धारण, विक्रय पर लाभ या हानि में विभिन्न विश्लेषणकारी पद्धतियों को लागू किया गया तथा लाभ व हानि में नामे/ जमा करने के जरिए बैंक द्वारा नियंत्रण रखा गया।<br><br>हमारे द्वारा परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) निवेशों का परीक्षण किया गया और परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) के क्रय/ विक्रय के संव्यवहारों की जांच की तथा लाभ और हानि खाते से लाभ/ हानि की पहचान कर टीआईबीडी द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को लागू किया तत्पश्चात पूंजीगत आरक्षित खाते को विनियोजित किया गया।<br><br>हमने निवेश की प्रत्येक श्रेणी के मूल्यह्रास और हानि की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान को फिर से दोहराया है और यह सुनिश्चित किया है कि खातों पर टिप्पणियों में पर्याप्त प्रकटन किए गए हैं। |

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | | We have verified the non performing investments of the bank by the method of independent verification of provisions and depreciation in accordance with RBI guidelines and confirmed the compliance of such guidelines. We have reviewed the application / conversion of interest / principal towards a separate List of Investments and checking whether these Investments are classified as NPI. The samples selected for the same covers the majority categories of Investments to cover the material impact on the income of the Bank.<br><br>We have verified Investment portfolio of AFS and HFT on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain / loss on sale and tracked the controls implemented by the Bank through credit / debit in the profit and loss account.<br><br>We have tested the portfolio of HTM and made detailed verification of transaction of purchase / sale of such HTM and controls implemented by the TIBD in recognizing the profit / loss to profit and loss account and subsequent appropriation to Capital Reserve Account.<br><br>We have examined the adequacy and appropriateness of depreciation and Impairment of each category of Investment and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Guidelines and ensured that adequate disclosures have been made in Notes to Accounts. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| 3. | सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा :<br><br>ऑटोमेशन व एप्लिकेशन के माध्यम से अधिक मात्रा में व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करने के लिए बैंक के मुख्य व्यवसाय उद्देश्य का निर्धारण, मूल्यांकन, नियंत्रण, निगरानी, कार्यान्वयन कंम्पलेक्स आईटी आर्किटेक्चर के माध्यम से किया जाता है, जो कि बैंकिंग व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा व्यवसाय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बुनियादी भूमिका निभाते हैं।<br><br>आय की मान्यता के संबंध में बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया, आईआरएसी मानदंडों के माध्यम से आस्तियों का वर्गीकरण तथा बैंक के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और विभिन्न एप्लिकेशन के माध्यम से वांछित आउटपुट प्रदान करने तथा अन्य आईटी सामान्य नियंत्रण आवश्यक व्यावसायिक आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए और गुणवत्ता कार्यनिष्पादन वित्तीय और लेखा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु हमारी सहायता करता है। | सूचना प्रौद्योगिकी बैंक के विभिन्न एप्लिकेशन, जनरल, सॉफ्टवेयर नियंत्रणों के माध्यम से बैंक की परिचालन आवश्यकताओं का एक अभिन्न हिस्सा है और बैंक की जोखिम आधारित और व्यावसायिक केंद्रित आवश्यकताओं के मूल्यांकन में विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समझ की आवश्यकता होती है।<br><br>हमने उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, प्रणाली सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रिया, कार्य का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित विभिन्न आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुपालन के अनुरूप है।<br><br>हमारे द्वारा विभिन्न तकनीकों को अपनाया गया जैसे कि जांच-पड़ताल; हमारे परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने लेकर विभिन्न एप्लिकेशन नियंत्रणों के दस्तावेज़ीकरण, अभिलेख, रिपोर्ट, अवलोकन और पुन: कार्यनिष्पादन की समीक्षा। हमने निगेटिव जांच तकनीक के उपयोग से वैधता की जांच का परीक्षण भी किया गया। |

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| 3. | **Information Technology Systems and Control Framework:**<br><br>The Bank's key business objective is determined evaluated, controlled, monitored, implemented through complex IT architecture to support high volume of business operation by automation and application which are significant towards Banking business and plays a major role as a backbone in achieving the Business Objective.<br><br>The Bank's financial accounting process in respect of recognition of Income, classification of Assets through IRAC Norms and evaluating the performance of the Bank and producing the desired output through various application and other IT general controls to ensure the required business Output and helps us to arrive at the Audit conclusion to ensure quality performance Financial & Accounting Processes. | Information Technology forms an integral part of operating requirements of the Bank by way of various applications, general, software controls and requires understanding of various systems and procedures in evaluating the Risk based and business centric requirements of the Bank.<br><br>We have reviewed the various IT policies and procedures including user management, change management, system security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duty, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure these are in line with business requirements of the Bank and to comply with government and RBI regulations.<br><br>We have adopted various techniques such as enquiry, review of documentation, record, reports, observation, and re performance of various application controls by taking adequate samples of instances for our test. We have also tested validation checks using negative testing technique. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| | हमने विभिन्न उत्पादों और योजनाओं को लागू करने में विभिन्न अनुप्रयोग और नियंत्रण ढांचे की पहचान की है जो बैंक व्यवसाय के अधिकांश भाग को कवर करते हैं और इसलिए हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नियंत्रण को एक मुख्य लेखा परीक्षा मद के रूप में मानते हैं। | हमारे द्वारा विभिन्न क्षतिपूर्ति नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और वैकल्पिक प्रक्रियाओं का कार्यनिष्पादन किया गया जो आवश्यक थे और बैंक द्वारा कार्यान्वित सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग परिदृश्य की व्यापक समझ एकत्रित की। इसके बाद अनुप्रयोग की मैपिंग की प्रक्रिया को समझने और लोगों, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न वित्तीय जोखिम को समझने की प्रक्रिया का पालन किया गया।<br><br>हमारे द्वारा पासवर्ड नीतियों, सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम इंटरफ़ेस जैसे एप्लीकेशन और डेटाबेस और उस व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के परिवर्तनों पर नियंत्रण का भी आकलन किया गया तथा यह नियंत्रण सुनिश्चित किया गया कि डेवलपर्स और प्रोडक्शन सपोर्ट के पास एप्लीकेशन को बदलने के लिए पहुंच नहीं है, कार्यों का समुचित पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वातावरण में ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस, एसओपी के अनुसार बनाया गया है।<br><br>हमारे द्वारा नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधन तंत्र पर साइबर सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, प्रमुख सूचना अवसंरचना के परिचालन सुरक्षा, डेटा और क्लाइंट सूचना प्रबंधन, निगरानी और आपातकालीन प्रबंधन को हमारे द्वारा आयोजित कुछ डेटा ड्रिल के माध्यम से और आवश्यक परिणामों की तुलना करने के लिए परीक्षण किया है।<br><br>हमारे द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा शुरू की गई व्यापार निरंतरता योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया गया और कोविड-19 की परिस्थितियों के अंतर्गत निरंतरता तथा वृद्धि सुनिश्चित की। हमने प्रबंधन द्वारा अधिक समग्र, व्यापक तरीके से किए गए सुरक्षा नियंत्रण के कार्यान्वयन के जोखिम का परीक्षण किया है, ताकि सुनिश्चित हो कि सभी व्यावसायिक निर्णय बैंक के उद्देश्य पर अनिश्चितताओं के समग्र प्रभाव को देखते हुए उचित जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन पर आधारित हैं। |

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | We have identified various application and control framework in implementing various products and schemes which covers majority of Bank's business and hence we consider Information Technology Systems and Control as a Key Audit Matter. | We have tested various compensating controls and performed alternate procedures which were necessary and gathered a comprehensive understanding of IT applications landscape implemented by the Bank. It was followed by process understanding mapping of application to the same and understanding financial risk posed by people, process and technology.<br><br>We have also assessed areas including password policies, security configuration, system interface controls over changes to applications and databases and that business users and controls to ensure that developers and production support did not have access to change applications, the operating systems or databases in the production environment to ensure proper segregation of duties is in place as per the SOP.<br><br>We have tested certain critical aspects of cyber security on network security management mechanism, operational security of key information infrastructure, data and client information management, monitoring and emergency management. through certain data drill conducted by the Management and scrutinised by us and comparing the required results.<br><br>We have also assessed the requirement of the implementation of Business Continuity Plan initiated by the Bank due to impact of COVID -19 pandemic and ensured sustainability and growth under COVID -19 circumstances.<br><br>We have verified the testing report carried out by the Management on risk of implementation of security control in a more holistic, comprehensive way, ensuring that all business decisions are based on proper Risk assessment and management considering the overall effect of uncertainties on the Bank's Objective. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| 4. | **प्रावधान और आकस्मिक देयताएं :**<br>अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण (अनुसूची 17 की नोट क्र.10 और अनुसूची 18 की टिप्पणी क्र.16) के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन।<br>प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।<br>हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है। | हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है।<br>मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;<br>प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। चर्चा, विचाराधीन मामले से संबंधित विषय वस्तु का संग्रहण, संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से बैंक के तर्क के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण करना।<br>महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया।<br>तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/ कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। |

**एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी**

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बेसल III प्रकटीकरण के तहत स्तंभ III प्रकटीकरण के अलावा अन्य जानकारी शामिल है।

एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के तहत पिलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या एकल वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

यदि, अन्य जानकारी पढ़ने पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक गलत बयानी है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट ''अनुशासन हेतु प्रभारित'' को करना आवश्यक है।

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| 4. | **Provisions and Contingent Liability:**<br>Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 10 of Schedule 17 and Note No. 16 of Schedule 18)<br>There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet.<br>We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law. | We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.<br>Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities / judicial forums and follow up actions thereon;<br>Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of experts. Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues.<br>Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters.<br>Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements / interpretation of law involved. |

**Information other than the Standalone Financial Statements and Auditors' Report thereon**

5. The Bank's Board of Directors is responsible for other information. The other information comprises the information other than Standalone Financial Statements and our Auditors' Report thereon and the Pillar III disclosure under the Basel III disclosure.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and Pillar 3 disclosure under the Basel III Disclosure and we do not express any form of assurance conclusion thereon

In connection with our Audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained during the course of audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information and based on the work we perform, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to report that fact to those charged with governance.

**एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारित का उत्तरदायित्व**

6. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय एकल विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जो समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण है, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उक्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

एकल वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन बैंक को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी जिम्मेदार हैं।

**वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां**

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त :

- वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जो परिस्थितियों के उपयुक्त हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना।

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements**

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Bank's Financial Reporting process.

**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements**

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of Internal Control relevant to the Audit in order to design Audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि हमारा निष्कर्ष यह होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी एकल लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करना।

  भौतिकता एकल वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

  हम अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों के साथ संवाद करते हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंधित हैं।

  हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है, जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

  अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

  हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि ऐसे किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

**अन्य मामले**

8. हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 576 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2023 को रु.63295.49 के कुल अग्रिम दर्शाती है और जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना गया है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष को रु.5151.98 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। ये शाखाएं 31 मार्च, 2023 तक 32.49% अग्रिम, 44.35% जमाराशियां, 39.64% गैर-निष्पादित आस्तियों और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 28.34% राजस्व को कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों /सूचनाओं को शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, हमारी राय, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

   इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं हुई है।

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Standalone Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Standalone Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Standalone Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Other Matters**

8. We did not audit the financial statements / information of 576 branches included in the Standalone Financial Statements of the Bank whose Financial Statements / Financial Information reflect total advances of Rs. 63295.49 crores as at March 31, 2023 and total revenue of Rs. 5151.98 crores for the year ended on that date, as considered in the Standalone Financial Statements. These branches cover 32.49% of advances, 44.35% of deposits and 39.64% of non-performing assets as at March 31, 2023 and 28.34% revenue for the year ended March 31, 2023. The Financial Statements / Information of these branches have been audited by the Branch Auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such Branch Auditors.

   Our opinion is not modified in respect of this matter.

**अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

9. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार तुलन पत्र और लाभ व हानि खाता तैयार किया गया है।

उपर्युक्त परिच्छेद 6 से 8 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

ख. बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं, और

ग. बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।

**10.** 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व' पर दिनांक 17 मार्च, 2020 को आरबीआई द्वारा जारी पत्र क्र. डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 और उसके बाद दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषणों के साथ पठित की अपेक्षाओं के अनुसार, हम उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

क. हमारी राय में, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

ख. वित्तीय संव्यवहार या मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग. चूंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती हैं।

घ. खातों और इससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ड. वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावात्मकता पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक ए** में दी गई है। हमारी रिपोर्ट, 31 मार्च, 2023 तक एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

**11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :**

क) हमारी राय में, बैंक द्वारा कानूनी रूप से अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं, जिनको हमने भेंट नहीं दी है;

ख) इस रिपोर्ट द्वारा संचलित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता तथा नकद प्रवाह के विवरण संबंधित लेखा बहियों और हमारे द्वारा भेंट नहीं दी गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसरण में हैं।

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमें बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका समुचित उपयोग किया गया है; और

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 8 above and as required by sub section 3 of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. As required by letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communications dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) As the bank is not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under the sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

e) Our audit report on the adequacy and operating effectiveness of the Bank's internal financial controls over financial reporting is given in **Annexure A** to this report. Our report expresses an unmodified opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting with reference to the Standalone Financial Statements as at March 31, 2023.

11. **We further report that:**

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached.

**कृते मै. रोडी डबीर एंड कंपनी**
एफआरएन : 108846W
सनदी लेखाकार
**For M/s. Rodi Dabir & Co.**
FRN – 108846W
Chartered Accountants
**सीए सुधीर डबीर**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 039984
यूडीआईएन - 23039984BGZBUH5229
**CA Sudhir Dabir**
Partner
Membership No: 039984
UDIN - 23039984BGZBUH5229

**कृते मै. एस भंडारी एंड कंपनी एलएलपी**
एफआरएन : 000560C/C400334
सनदी लेखाकार
**M/s. S Bhandari & Co LLP**
FRN – 000560C/C400334
Chartered Accountants
**सीए पी. डी. बैद**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 072625
यूडीआईएन - 23072625BGXCSY8315
**CA P D Baid**
Partner
Membership No: 072625
UDIN - 23072625BGXCSY8315

**कृते मै. कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
एफआरएन : 105215W/W100057
सनदी लेखाकार
**For M/s. Kirtane & Pandit LLP**
FRN – 105215W/W100057
Chartered Accountants
**सीए संदीप वेलिंग**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 044576
यूडीआईएन -23044576BGXPRJ1709
**CA Sandeep Welling**
Partner
Membership No: 044576
UDIN - 23044576BGXPRJ1709

**कृते मै. सुंदरम एंड श्रीनिवासन**
एफआरएन : 004207S
सनदी लेखाकार
**For M/s. Sundaram & Srinivasan**
FRN – 004207S
Chartered Accountants
**सीए पी मीनाक्षी सुंदरम**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 217914
यूडीआईएन - 23217914BGWPBV4256
**CA P Menakshi Sundaram**
Partner
Membership No: 217914
UDIN - 23217914BGWPBV4256

स्थान : पुणे
दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

Place : Pune
Date : 24th April, 2023

## अनुलग्नक ''ए'' स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए

| | |
|---|---|
| **मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी**<br>सनदी लेखाकार<br>282, कपीश हाउस, माता मंदिर रोड<br>खरे टाउन, धरमपेठ, नागपुर - 440010 | **मैसर्स एस. भंडारी एंड कंपनी एलएलपी**<br>सनदी लेखाकार<br>पी-7, तिलक मार्ग, सी-स्कीम<br>जयपुर - 302005 |
| **मैसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**<br>सनदी लेखाकार<br>पांचवी मंजिल, विंग ए, गोपाल हाउस<br>कोथरूड, पुणे - 411 038 | **मैसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन**<br>सनदी लेखाकार<br>23, सीपी रामास्वामी रोड, अलवरपेट<br>चेन्नै - 600 018 |

**(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 10 ई में संदर्भित) भारतीय रिजर्व बैंक (''आरबीआई'') पत्र डीओएस.एआरजी.सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) (''आरबीआई संचार'') द्वारा अपेक्षित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट**

हमने बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सहित उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ 31 मार्च, 2023 तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र (''बैंक'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

**आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी:**

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक बैंक की नीतियों का अनुपालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी व त्रुटियों का पता लगाने और रोकथाम, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय का व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

**लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी**

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक पर आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए जारी लेखापरीक्षा पर मानकों (एसए) और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन नोट'') पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और उसे बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का आकलन शामिल है।

हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, जो नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के संबंध में है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

## ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

| | |
|---|---|
| **M/s. Rodi Dabir & Co.**<br>Chartered Accountants,<br>282, Kapish House, Mata Mandir Road, Khare Town, Dharampeth, Nagpur-440010 | **M/s. S Bhandari & Co LLP**<br>Chartered Accountants,<br>P-7, Tilak Marg,<br>C-Scheme,<br>Jaipur - 302 005 |
| **M/s. Kirtane & Pandit LLP**<br>Chartered Accountants,<br>5th. Floor, Wing A, Gopal House, Kothrud, Pune- 411 038 | **M/s. Sundaram & Srinivasan**<br>Chartered Accountants,<br>23, CP Ramaswamy Road,<br>Alwarpet, Chennai-600 018 |

**(Referred to in paragraph 10 e under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date) Report on the Internal Financial Controls Over Financial Reporting as required by the Reserve Bank of India (the "RBI") Letter DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 (as amended) (the "RBI communication")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of Bank of Maharashtra ("the Bank") as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Bank for the year ended on that date which includes internal financial controls over financial reporting of the Bank's branches.

**Management's Responsibility for Internal Financial Controls:**

The Bank's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Banking Regulation Act, 1949 and the circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India.

**Auditor's Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note onAudit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the auditto obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting were established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal financial controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the branch auditors, in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraph below, is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls over financial reporting.

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है, उचित विवरण में, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और प्रकृति को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि संव्यवहारों को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करता है, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

**वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत विवरण शामिल हैं या हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की श्रेणी का ह्रास हो सकता है।

**राय**

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे थे।

**अन्य मामले**

हमारी उक्त रिपोर्ट, जहां तक यह 105 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

**Meaning of Internal Financial Controls Over FinancialReporting**

A Bank's internal financial controls over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A Bank's internal financial controls over financial reporting includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Bank; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

**Inherent Limitations of Internal Financial Controls OverFinancial Reporting**

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial controls over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

**Opinion**

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the branch auditors referred to in the Other Matters paragraph below, the Bank has, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2023, based on the criteria for internal control over financial reporting established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**Other Matters**

Our aforesaid report insofar as it relates to the operatingeffectiveness of internal financial controls over financial reporting of 105 branches is based on the corresponding reports of the respective branch auditors of those branches.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached.

**कृते मै. रोडी डबीर एंड कंपनी**
एफआरएन : 108846W
सनदी लेखाकार
**For M/s. Rodi Dabir & Co.**
FRN – 108846W
Chartered Accountants
**सीए सुधीर डबीर**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 039984
यूडीआईएन - 23039984BGZBUH5229
**CA Sudhir Dabir**
Partner
Membership No: 039984
UDIN - 23039984BGZBUH5229

**कृते मै. एस भंडारी एंड कंपनी एलएलपी**
एफआरएन : 000560C/C400334
सनदी लेखाकार
**M/s. S Bhandari & Co LLP**
FRN – 000560C/C400334
Chartered Accountants
**सीए पी. डी. बैद**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 072625
यूडीआईएन - 23072625BGXCSY8315
**CA P D Baid**
Partner
Membership No: 072625
UDIN - 23072625BGXCSY8315

**कृते मै. कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
एफआरएन : 105215W/W100057
सनदी लेखाकार
**For M/s. Kirtane & Pandit LLP**
FRN – 105215W/W100057
Chartered Accountants
**सीए संदीप वेलिंग**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 044576
यूडीआईएन -23044576BGXPRJ1709
**CA Sandeep Welling**
Partner
Membership No: 044576
UDIN - 23044576BGXPRJ1709

**कृते मै. सुंदरम एंड श्रीनिवासन**
एफआरएन : 004207S
सनदी लेखाकार
**For M/s. Sundaram & Srinivasan**
FRN – 004207S
Chartered Accountants
**सीए पी मीनाक्षी सुंदरम**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 217914
यूडीआईएन - 23217914BGWPBV4256
**CA P Menakshi Sundaram**
Partner
Membership No: 217914
UDIN - 23217914BGWPBV4256

स्थान : पुणे
दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

Place : Pune
Date : 24th April, 2023

## पिलर 3 प्रकटण - 31 मार्च 2023

31 मार्च 2023 के बेसल - III पिलर प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर ''प्रकटन'' खंड के अंतर्गत उपलब्ध किए गए हैं। ब्योरों के लिए कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट लिंक को भेंट दें -

https://bankofmaharashtra.in/basel_iii_disclosure

## Pillar 3 Disclosures - 31st Mar 2023

Basel - III Pillar 3 disclosures as on 31st March 2023 is made available on Bank's website under "Disclosure" section. For details, please visit our official website link -

https://bankofmaharashtra.in/basel_iii_disclosure

# समेकित वित्तीय विवरण

# Consolidated Financial Statements

## 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र
## CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2023

(₹ हजार में)
( ₹ in thousands)

| | अनुसूची Schedule | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं दायित्व CAPITAL AND LIABILITIES** | | | |
| पूंजी Capital | 1 | **6730 ,49 ,64** | 6730 ,49 ,64 |
| आरक्षितियां और अधिशेष Reserves & Surplus | 2 | **9059 ,73 ,71** | 7331 ,37 ,62 |
| अल्पसंख्यक हित Minority Interest | 2A | **-** | - |
| जमाराशियां Deposits | 3 | **234064 ,10 ,36** | 202275 ,25 ,42 |
| उधारियां Borrowings | 4 | **10765 ,65 ,77** | 7746 ,74 ,19 |
| अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisions | 5 | **7207 ,17 ,40** | 6699 ,59 ,47 |
| **कुल TOTAL** | | **267827 ,16 ,88** | **230783 ,46 ,34** |
| **आस्तियां ASSETS** | | | |
| नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India | 6 | **18507 ,72 ,24** | 19721 ,92 ,92 |
| बैंकों में शेष, मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Balances with Banks , Money at call & short notice | 7 | **21 ,22 ,81** | 194 ,08 ,74 |
| निवेश Investments | 8 | **69042 ,03 ,19** | 68761 ,56 ,32 |
| अग्रिम Advances | 9 | **171220 ,67 ,12** | 131170 ,43 ,89 |
| स्थिर आस्तियां Fixed Assets | 10 | **2156 ,73 ,96** | 2241 ,66 ,01 |
| अन्य आस्तियां Other Assets | 11 | **6878 ,77 ,56** | 8693 ,78 ,46 |
| **कुल TOTAL** | | **267827 ,16 ,88** | **230783 ,46 ,34** |
| आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities | 12 | **24589 ,12 ,14** | 30613 ,56 ,04 |
| वसूली हेतु बिल Bills for Collection | | **6342 ,09 ,09** | 5819 ,51 ,14 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Significant accounting policies | 17 | | |
| खातों पर टिप्पणियां Notes on Accounts | 18 | | |

अनुसूचियां 1 से 18 खातों का अभिन्न भाग हैं ।
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the Accounts.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **एस. बलजीत सिंह**<br>निदेशक<br>**S. BALJIT SINGH**<br>Director | **शशांक श्रीवास्तव**<br>निदेशक<br>**SHASHANK SHRIVASTAVA**<br>Director | **राकेश कुमार**<br>निदेशक<br>**RAKESH KUMAR**<br>Director | **मनोज के. वर्मा**<br>निदेशक<br>**MANOJ K. VERMA**<br>Director | **प्रशांत कुमार गोयल**<br>निदेशक<br>**PARSHANT KUMAR GOYAL**<br>Director |

| | | |
|---|---|---|
| **आशीष पाण्डेय**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**ASHEESH PANDEY**<br>Executive Director | **ए. बी. विजयकुमार**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**A. B. VIJAYAKUMAR**<br>Executive Director | **ए. एस. राजीव**<br>प्रबंध निदेशक एवं सीईओ<br>**A.S. RAJEEV**<br>Managing Director & CEO |
| **केयुर तलाटी**<br>मुख्य प्रबंधक, वि. प्र. व लेखा<br>**KEYUR TALATI**<br>Chief Manager, FM&A | **मुदित अग्रवाल**<br>सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा<br>**MUDIT AGARWAL**<br>Asst. General Manager, FM&A | **वी. पी. श्रीवास्तव**<br>महाप्रबंधक व सीएफओ<br>**V. P. SRIVASTAVA**<br>General Manager & CFO |

स्थान : पुणे
दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

Place : Pune
Date : 24th April, 2023

# 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि खाता
# CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023

(₹ हजार में)
( ₹ in thousands)

| | अनुसूची Schedule | 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31st March 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31st March 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|---|
| I. **आय INCOME** | | | |
| अर्जित ब्याज Interest earned | 13 | **15898 ,59 ,54** | 13019 ,30 ,87 |
| सहयोगी संस्थाओं में अर्जन-हानि का अंश Share of earnings/ loss in Associates | | **2 ,20 ,81** | 1 ,79 ,24 |
| अन्य आय Other Income | 14 | **2280 ,93 ,50** | 2652 ,85 ,90 |
| **कुल TOTAL** | | **18181 ,73 ,85** | **15673 ,96 ,01** |
| II. **व्यय EXPENDITURE** | | | |
| व्यय किया गया ब्याज Interest expended | 15 | **8156 ,78 ,78** | 6973 ,96 ,05 |
| परिचालन व्यय Operating Expenses | 16 | **3922 ,46 ,35** | 3850 ,03 ,39 |
| प्रावधान और आकस्मिकताएं Provisions & contingencies | | **3497 ,48 ,47** | 3696 ,53 ,64 |
| **कुल TOTAL** | | **15576 ,73 ,60** | **14520 ,53 ,08** |
| **लाभ / हानि PROFIT / LOSS** | | | |
| वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year | | **2605 ,00 ,25** | 1153 ,42 ,93 |
| जोड़े: आगे लाया गया लाभ Add: Profit brought forward | | **590 ,18 ,33** | 167 ,95 ,65 |
| **कुल TOTAL** | | **3195 ,18 ,58** | **1321 ,38 ,58** |
| **विनियोग APPROPRIATIONS** | | | |
| सांविधिक आरक्षिति को अंतरण Transfer to Statutory Reserve | | **650 ,50 ,94** | 287 ,88 ,40 |
| पूंजी आरक्षिति को अंतरण Transfer to Capital Reserve | | **12 ,29 ,48** | 83 ,69 ,37 |
| राजस्व आरक्षिति को अंतरण Transfer to Revenue Reserve | | **-** | - |
| विशेष आरक्षिति को अंतरण Transfer to Special Reserve | | **-** | - |
| निवेश आरक्षिति को अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve | | **-** | 23 ,10 ,00 |
| प्रस्तावित लाभांश (ईक्विटी) Proposed dividend (Equity) | | **874 ,96 ,46** | 336 ,52 ,48 |
| शेष को तुलनपत्र में आगे ले जाया गया Balance carried over to Balance Sheet | | **1657 ,41 ,70** | 590 ,18 ,33 |
| **कुल TOTAL** | | **3195 ,18 ,58** | **1321 ,38 ,58** |
| प्रति शेयर अर्जन (मूल व डाइल्यूटेड) (₹) Earning per share (Basic & Diluted) (₹) | | **3.87** | 1.73 |

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached.

**कृते मै. रोडी डबीर एंड कंपनी**
एफआरएन : 108846W
सनदी लेखाकार
**For M/s. Rodi Dabir & Co.**
FRN – 108846W
Chartered Accountants

**सीए सुधीर डबीर**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 039984
यूडीआईएन - 23039984BGZBUI9128
**CA Sudhir Dabir**
Partner
Membership No: 039984
UDIN - 23039984BGZBUI9128

**कृते मै. एस भंडारी एंड कंपनी एलएलपी**
एफआरएन : 000560C/C400334
सनदी लेखाकार
**M/s. S Bhandari & Co LLP**
FRN – 000560C/C400334
Chartered Accountants

**सीए पी. डी. बैद**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 072625
यूडीआईएन - 23072625BGXCSZ8543
**CA P D Baid**
Partner
Membership No: 072625
UDIN - 23072625BGXCSZ8543

**कृते मै. कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
एफआरएन : 105215W/W100057
सनदी लेखाकार
**For M/s. Kirtane & Pandit LLP**
FRN – 105215W/W100057
Chartered Accountants

**सीए संदीप वेलिंग**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 044576
यूडीआईएन - 23044576BGXPRK4877
**CA Sandeep Welling**
Partner
Membership No: 044576
UDIN - 23044576BGXPRK4877

**कृते मै. सुंदरम एंड श्रीनिवासन**
एफआरएन : 004207S
सनदी लेखाकार
**For M/s. Sundaram & Srinivasan**
FRN – 004207S
Chartered Accountants

**सीए पी मीनाक्षी सुंदरम**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 217914
यूडीआईएन - 23217914BGWPBW4334
**CA P Menakshi Sundaram**
Partner
Membership No: 217914
UDIN - 23217914BGWPBW4334

स्थान : पुणे
दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

Place : Pune
Date : 24th April, 2023

## अनुसूची -1 : पूंजी
## SCHEDULE- 1 :CAPITAL

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|
| **प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital** | | | | |
| प्रत्येक रु. 10/- के 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10,00,00,00,000) 10,00,00,00,000 Equity Shares (Previous year 10,00,00,00,000) of Rs. 10/- each | | **10000,00,00** | | **10000,00,00** |
| **जारी व अभिदत्त Issued & Subscribed** | | | | |
| प्रत्येक रु. 10/- के 673,04,96,447 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 673,04,96,447) 673,04,96,447 Equity Shares (Previous Year 673,04,96,447) of Rs.10/- each | | | | |
| प्रारंभिक शेष Opening Balance | **6730,49,64** | - | 6560,15,89 | - |
| वर्ष के दौरान वृद्धि Additions during the year | | **6730,49,64** | 170,33,75 | 6730,49,64 |
| **प्रदत्त पूंजी Paid Up Capital** | | | | |
| क. केंद्र सरकार द्वारा धारित<br>a. Held by Central Government | **6122,62,79** | | 6122,62,79 | |
| प्रत्येक रु. 10/- के 612,26,27,927 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 612,26,27,927)<br>612,26,27,927 (Previous Year 612,26,27,927) Equity shares of Rs.10/- each | | | | |
| ख. जनता व अन्य द्वारा धारित<br>b. Held by the Public & Others | **607,86,85** | | 607,86,85 | |
| प्रत्येक रु. 10/- के 60,78,68,520 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 60,78,68,520)<br>60,78,68,520 (Previous Year 60,78,68,520) Equity Shares of Rs.10/- each | | | | |
| घटाएं : देय आबंटन राशि Less: Allotment money due | - | 6730 49 64 | - | 6730,49,64 |
| **कुल TOTAL** | | **6730,49,64** | | **6730,49,64** |

## अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष
## SCHEDULE - 2 : RESERVES AND SURPLUS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|
| **I. सांविधिक आरक्षिति STATUTORY RESERVE** | | | | |
| i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **17,948,069** | | 15,069,229 | |
| ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **6,505,094** | **24,453,163** | 2,878,840 | 17,948,069 |
| **II. पूंजीगत आरक्षिति CAPITAL RESERVE** | | | | |
| i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **6,852,644** | | 6,015,707 | |
| ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **122,948** | | 836,937 | |
| iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | **-** | **6,975,592** | **-** | 6,852,644 |
| **III. शेयर प्रीमियम SHARE PREMIUM** | | | | |
| i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **3,283,128** | | 949,504 | |
| ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **-** | **3,283,128** | 2,333,624 | **3,283,128** |
| **IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियां REVENUE AND OTHER RESERVES** | | | | |
| **क) राजस्व आरक्षिति** a) **REVENUE RESERVE** | | | | |
| i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **18,784,827** | | 17,498,470 | |
| ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **1,024,605** | | 1,286,357 | |
| iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | **-** | **19,809,432** | **-** | 18,784,827 |
| **ख) विशेष आरक्षितियां** b) SPECIAL RESERVE | | | | |
| i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **512,604** | | 512,604 | |
| ii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | **-** | **512,604** | **-** | 512,604 |
| **ग) पुनर्मूल्यन आरक्षितियां** c) REVALUATION RESERVE | | | | |
| i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **15,769,657** | | 11,726,232 | |
| ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **-** | | 17,056,014 | |
| iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | **1,041,375** | **14,728,282** | 13,012,589 | 15,769,657 |

| | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|
| घ) **निवेश आरक्षिति खाता** d) INVESTMENT RESERVE ACCOUNT | | | | |
| i) प्रारंभिक शेष Opening Balance | **4,261,000** | | 4,030,000 | |
| ii) वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the year | **-** | | 231,000 | |
| iii) वर्ष के दौरान कमी Deduction during the year | **-** | **4,261,000** | - | 4,261,000 |
| V. लाभ व हानि खाते में शेष BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT | | | | |
| लाभ व हानि खाते का शेष Balance of Profit /Loss | **16,574,170** | **16,574,170** | 5,901,833 | 5,901,833 |
| **कुल TOTAL (I, II, III व IV)** | | **90,597,371** | | 73,313,762 |

## अनुसूची - 2क: अल्पसंख्यक हित
## SCHEDULE - 2A : MINORITY INTEREST

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|
| अल्पसंख्यक हित MINORITY INTEREST | - | - |

## अनुसूची - 3 : जमाराशियां
## SCHEDULE - 3 : DEPOSITS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| क A. | I. **मांग जमाराशियां DEMAND DEPOSITS** | | | | |
| | i) बैंकों से From Banks | **81 ,57 ,71** | | 107 ,03 ,26 | |
| | ii) अन्यों से From others | **28218 ,81 ,52** | **28300 ,39 ,23** | **28070 ,00 ,08** | **28177 ,03 ,34** |
| | II. **बचत बैंक जमाराशियां SAVINGS BANK DEPOSITS** | | **96659 ,91 ,93** | | 88856 ,24 ,34 |
| | III. **मीयादी जमाराशियां TERM DEPOSITS** | | | | |
| | i) बैंकों से From Banks | **933 ,76 ,23** | | 459 ,91 ,52 | |
| | ii) अन्यों से From others | **108170 ,02 ,97** | **109103 ,79 ,20** | 84782 ,06 ,22 | 85241 ,97 ,74 |
| | **कुल TOTAL (I, II व III)** | | **234064 ,10 ,36** | | **202275 ,25 ,42** |
| ख B. | (i) विदेश में स्थित कार्यालयो सहित भारत में अनुषंगियों की जमाराशियां, यदि कोई हो तो Deposits of subsidiaries in India including foreign offices, if any | | - | | - |
| | (ii) भारत के बाहर तथा भारत में स्थित अनुषंगियों की जमाराशियां, यदि कोई हो तो Deposits of subsidiaries outside India including Indian offices, if any | | - | | - |
| | (iii) मूल इकाई की जमाराशियां Deposits of Parent units | | 234064 ,10 ,36 | | 202275 ,25 ,42 |
| | **कुल TOTAL (I, II व III)** | | **234064 ,10 ,36** | | **202275 ,25 ,42** |

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|---|
| ग C. | (i) भारत में मूल इकाई की जमाराशियां Deposits of parent in India | **234064 ,10 ,36** | 202275 ,25 ,42 |
| | (ii) भारत में अनुषंगियों की जमाराशियां Deposits of subsidiaries in India | - | - |
| | (iii) भारत में कुल जमाराशियां (i + ii) Total Deposits in India (i + ii) | **234064 ,10 ,36** | 202275 ,25 ,42 |
| | (iv) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां Deposits of parent outside India | - | - |
| | (v) भारत से बाहर अनुषंगियों की जमाराशियां Deposits of subsidiaries outside India | - | - |
| | (vi) भारत से बाहर कुल जमाराशियां (iv + v) Total Deposits outside India (iv + v) | - | - |
| | **कुल TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)** | **234064 ,10 ,36** | 202275 ,25 ,42 |

## अनुसूची - 4 : उधारियां
## SCHEDULE - 4 : BORROWINGS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | **भारत में उधारियां BORROWINGS IN INDIA** | | | | |
| | i) भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank Of India | **500 ,00 ,00** | | **500 ,00 ,00** | |
| | ii) अन्य बैंक Other Banks | - | | - | |
| | iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां Other Institutions and Agencies | **5395 ,94 ,07** | | 3351 ,04 ,19 | |
| | iv) डिबेंचर Debentures | - | | - | |
| | v) अन्य उधारियां Other Borrowings | | | | |
| | क) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई) a) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) | **1880 ,00 ,00** | | 290 ,00 ,00 | |
| | ख) बांड के रूप में जारी संमिश्र ऋण पूंजी लिखतें b) Hybrid Debt Capital Instruments issued as Bonds | - | | - | |
| | ग) गौण ऋण बांड c) Subordinated Debt Bonds | **2953 ,70 ,00** | | 3605 ,70 ,00 | |
| | घ) इंफ्रा बांड d) Infra Bonds | - | **10729 ,64 ,07** | - | 7746 ,74 ,19 |
| II. | भारत से बाहर उधारियां **BORROWINGS OUTSIDE INDIA** | | **36 ,01 ,70** | | - |
| | **कुल TOTAL (I व II)** | | **10765 ,65 ,77** | | 7746 ,74 ,19 |
| III. | उपर्युक्त I व II में शामिल जमानती उधारियां **SECURED BORROWINGS INCLUDED IN I & II ABOVE** | | **4497 ,76 ,07** | | 3694 ,69 ,19 |

## अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं और प्रावधान
## SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2022 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | देय बिल<br>Bills Payable | | **696 ,22 ,51** | | 809 ,96 ,29 |
| II. | अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)<br>Inter-office adjustments (net) | | | | |
| | क. मूल कंपनी<br>a. Parent Company | | **156 ,36 ,85** | | 749 ,26 ,05 |
| | ख. अनुषंगी<br>b. Subsidiary | | **-** | | - |
| III. | अंतर समूह समायोजन (निवल)<br>Inter group adjustment (net) | | **-** | | - |
| IV. | उपचित ब्याज<br>Interest Accrued | | **407 ,29 ,19** | | 275 ,75 ,75 |
| V. | अन्य (प्रावधान सहित):<br>Others (including provisions): | | | | |
| | क. मानक आस्तियों पर प्रावधान<br>a. Provision against standard assets | **1541 ,27 ,88** | | 1635 ,62 ,85 | |
| | ख. अन्य देयताएं (प्रावधान सहित)<br>b. Other liabilities (including provisions) | **4406 ,00 ,97** | **5947 ,28 ,85** | 3231 ,98 ,53 | 4867 ,61 ,38 |
| **कुल** | **TOTAL** | | **7207 ,17 ,40** | | 6699 ,59 ,47 |

## अनुसूची - 6 : नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष
## SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | हाथ में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट शामिल हैं)<br>Cash in hand (including foreign currency notes) | | **1094 ,91 ,72** | | 1123 ,44 ,13 |
| II. | भारतीय रिजर्व बैंक में शेष<br>Balances with Reserve Bank of India | | | | |
| | i) चालू खातों में<br>In Current Accounts | **10080 ,80 ,52** | | 9898 ,48 ,79 | |
| | ii) अन्य खातों में<br>In other Accounts | **7332 ,00 ,00** | **17412 ,80 ,52** | 8700 ,00 ,00 | 18598 ,48 ,79 |
| **कुल** | **TOTAL** (I व II) | | **18507 ,72 ,24** | | 19721 ,92 ,92 |

## अनुसूची - 7 : बैंकों में अधिशेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन
## SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | भारत में In India | | | | |
| | i) बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in | | | | |
| | (क) चालू खाते | | | | |
| | (a) Current Accounts | **6 ,04 ,25** | | 13 ,80 ,22 | |
| | (ख) अन्य जमा खाते | | | | |
| | (b) Other Deposit Accounts | **15 ,18 ,56** | **21 ,22 ,81** | 15 ,18 ,56 | 28 ,98 ,78 |

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ii) | मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन Money at call and short notice | | | | |
| | (क) बैंकों के पास | | | | |
| | (a) With Banks | | | | |
| | (ख) अन्य संस्थानों के पास | | | | |
| | (b) With Other Institutions | | - | 139 ,05 ,27 | 139 ,05 ,27 |
| | **कुल TOTAL (i व ii)** | | **21 ,22 ,81** | | 168 ,04 ,05 |
| II. | भारत के बाहर Outside India | | | | |
| | बैंकों में अधिशेष Balances with Banks in | | | | |
| | (क) चालू खाते | | | | |
| | (a) Current Accounts | - | | 26 ,04 ,69 | |
| | (ख) अन्य जमा खाते | | | - | |
| | (b) Other Deposit Accounts | - | | - | |
| | (ग) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन | | | | |
| | (c) Money at Call & Short Notice | - | - | - | 26 ,04 ,69 |
| **कुल TOTAL** | | | - | | 26 ,04 ,69 |
| **कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)** | | | **21 ,22 ,81** | | 194 ,08 ,74 |

## अनुसूची - 8 : निवेश
## SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| क I | **भारत में निवेश** | | | | |
| A.I | **Investments in India in** | | | | |
| | क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिलों व जीरो कूपन बांडों सहित) | | | | |
| | a) Government Securities (inclusive of treasury bills & zero coupon bonds) | | **64255 ,24 ,89** | | 63410 ,30 ,39 |
| | ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां | | | | |
| | b) Other approved securities | | - | | - |
| | ग) शेयर्स | | | | |
| | c) Shares | | **335 ,20 ,40** | | 274 ,40 ,56 |
| | घ) डिबेंचर्स और बांड | | | | |
| | d) Debentures and Bonds | | **3878 ,80 ,28** | | 4308 ,80 ,21 |
| | ड़) सहायक कंपनियों में निवेश | | | | |
| | e) Investment in Associates | | **282 ,38 ,13** | | 244 ,02 ,52 |
| | च) अन्य | | | | |
| | f) Others | | | | |
| | i) यूटीआई / म्युच्युअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds | **65 ,73 ,11** | | 235 ,21 ,94 | |
| | ii) जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits | **224 ,66 ,38** | | 288 ,80 ,70 | |
| | iii) वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers | - | | - | |
| | iv) पीटीसी PTCs | - | | - | |
| | v) अन्य Others | - | **290 ,39 ,49** | - | 524 ,02 ,64 |
| | **कुल TOTAL** | | **69042 ,03 ,19** | | 68761 ,56 ,32 |

| | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|
| II. **भारत से बाहर निवेश** Investments outside India | | | | |
| i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities) | | - | | - |
| ii) सहायक कंपनियों में निवेश Investment in Associates | | - | | - |
| iii) अन्य निवेश (विनिर्दिष्ट किये जाएं) Other Investments (to be specified) | | - | | - |
| **कुल TOTAL** | | - | | - |
| **कुल जोड़ GRAND TOTAL (I व II)** | | **69042 ,03 ,19** | | 68761 ,56 ,32 |
| III. **भारत से बाहर निवेश** Investments in India | | | | |
| i) निवेशों का सकल मूल्य Gross Value of Investments | | **69390 ,34 ,39** | | 69264 ,27 ,61 |
| ii) मूल्यह्रास हेतु सकल प्रावधान Aggregate of Provisions for Depreciation | | **348 ,31 ,20** | | 502 ,71 ,29 |
| iii) निवल निवेश (i-ii) Net Investment (i-ii) | | **69042 ,03 ,19** | | 68761 ,56 ,32 |
| **निवेश के विवरण Details of Investments:** | | | | |
| I. सहायक कंपनियों में निवेश Investment in Associates | | **282 ,38 ,13** | | 244 ,02 ,52 |
| II. अन्य निवेश Other Investments | | **68759 ,65 ,06** | | 68517 ,53 ,80 |
| **कुल TOTAL (I व II)** | | **69042 ,03 ,19** | | 68761 ,56 ,32 |

## अनुसूची - 9 : अग्रिम
## SCHEDULE - 9 : ADVANCES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| क A. | i) बट्टाकृत व खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted | **903 ,20 ,06** | | 679 ,62 ,70 | |
| | ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts & Loans repayable on demand | **49434 ,02 ,06** | | 42528 ,16 ,13 | |
| | iii) मीयादी ऋण Term Loans | **120883 ,45 ,00** | | 87962 ,65 ,06 | |
| | iv) लीज प्राप्य Lease Receivable | - | **171220 ,67 ,12** | - | 131170 ,43 ,89 |
| | **कुल TOTAL** | | **171220 ,67 ,12** | | 131170 ,43 ,89 |
| ख B. | i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts) | **139173 ,61 ,26** | | 109090 ,23 ,49 | |
| | ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees | **853 ,39 ,61** | | 866 ,87 ,40 | |
| | iii) अप्रत्याभूत Unsecured | **31193 ,66 ,25** | **171220 ,67 ,12** | 21213 ,33 ,00 | 131170 ,43 ,89 |
| | **कुल TOTAL** | | **171220 ,67 ,12** | | 131170 ,43 ,89 |
| ग C. | I. भारत में अग्रिम Advances in India | | | | |
| | i) प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector | **64251 ,20 ,74** | | 54204 ,22 ,28 | |
| | ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector | **30556 ,87 ,64** | | 23366 ,24 ,69 | |
| | iii) बैंक Banks | **729 ,76 ,39** | | ,8 ,93 | |
| | iv) अन्य Others | **75682 ,82 ,35** | **171220 ,67 ,12** | 53599 ,87 ,99 | 131170 ,43 ,89 |

| | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|
| II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India | | | | - |
| i) बैंकों से देय Due from banks | - | | - | |
| ii) अन्यों से देय Due from others | - | | - | |
| क) खरीदे गए व बट्टाकृत बिल a) Bills purchased and discounted | - | | - | |
| ख) सामूहिक ऋण b) Syndicated Loans | - | | - | |
| ग) अन्य c) Others | - | - | - | - |
| **कुल TOTAL (ग C.I एवं ग C.II)** | | **171220 ,67 ,12** | | 131170 ,43 ,89 |

## अनुसूची - 10 : स्थिर आस्तियां
## SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|
| I **परिसर Premises** | | | | |
| 1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding Year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years) | **1928 ,67 ,42** | | 1704 ,12 ,63 | |
| 2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period | **10 ,75 ,09** | | 16 ,73 ,42 | |
| 3. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year | **-** | | 207 ,81 ,37 | |
| | **1939 ,42 ,51** | | 1928 ,67 ,42 | |
| 4. अवधि के दौरान कमी Deduction during the Period | **1 ,67 ,70** | | , , | |
| | **1937 ,74 ,81** | | 1928 ,67 ,42 | |
| 5. अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date | **314 ,49 ,11** | **1623 ,25 ,70** | 208 ,72 ,59 | 1719 ,94 ,83 |
| II प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in Progress | | **7 ,50 ,58** | | 205 ,22 ,63 |
| III अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures) | | | | |
| 1. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year | **1636 ,80 ,78** | | 1528 ,45 ,27 | |
| 2. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period | **368 ,11 ,09** | | 139 ,48 ,12 | |
| | **2004 ,91 ,87** | | 1667 ,93 ,39 | |
| 3. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Year | **396 ,81 ,21** | | 31 ,15 ,10 | |
| | **1608 ,10 ,66** | | 1636 ,78 ,29 | |
| 4 अद्यतन मूल्यह्रास Depreciation to date | **1082 ,12 ,98** | **525 ,97 ,68** | 1320 ,29 ,74 | 316 ,48 ,55 |
| **जोड़ TOTAL (I व II)** | | **2156 ,73 ,96** | | **2241 ,66 ,01** |

## अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां
## SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|---|
| I. | अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net) | | |
| | क. मूल कंपनी a. Parent Company | - | - |
| | ख. सहायक कंपनी b. Subsidiary Companies | - | - |
| II. | उपचित ब्याज Interest accrued | **1284 ,00 ,04** | 1326 ,31 ,50 |
| III. | अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्त्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source | **1838 ,41 ,33** | 2020 ,17 ,43 |
| IV. | लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps | **3 ,29 ,92** | 3 ,22 ,66 |
| V. | दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims | - | - |
| VI. | अन्य *(आरआईडीएफ सहित) Others *(incl RIDF) | **3753 ,06 ,27** | 5344 ,06 ,87 |
| | **कुल TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)** | **6878 ,77 ,56** | 8693 ,78 ,46 |

* नोट: निवल आस्थागित कर सहित अन्य आस्तियां ₹ हजार में 1261,28,54 (पिछले वर्ष निवल आस्थागित कर के ₹ हजार में 2104,17,44)
* Note : Others assets include Net Deferred Tax asset of ₹ in thousands 1261,28,54 (Previous Year Net DTA ₹ in thousands 2104,17,44)

## अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं
## SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31st March, 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31st March, 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | बैंक के समक्ष दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts | | **1375 ,67 ,66** | | 1375 ,40 ,50 |
| II. | आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments | | - | | - |
| III. | बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता* Liability on account of outstanding forward exchange contracts* | | **12076 ,49 ,65** | | 19718 ,99 ,45 |
| IV. | संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां Guarantees given on behalf of constituents | | | | |
| | (क) भारत में (a) In India | **8676 ,57 ,07** | | 7475 ,87 ,39 | |
| | (ख) भारत के बाहर (b) Outside India | **141 ,46 ,18** | **8818 ,03 ,25** | 146 ,43 ,93 | 7622 ,31 ,32 |
| V. | स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और बाध्यताएं Acceptances,endorsements and obligations | | **1474 ,35 ,53** | | 1287 ,12 ,25 |
| VI. | अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which Bank is contigently liable | | **844 ,56 ,05** | | 609 ,72 ,52 |
| | **कुल TOTAL (I, II, III, IV, V व VI)** | | **24589 ,12 ,14** | | 30613 ,56 ,04 |

* वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं
* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

## अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज
## SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest/Discount on Advances/Bills | | **11485 ,81 ,53** | | 8231 ,55 ,72 |
| II. | निवेशों पर ब्याज Interest on Investments | **4481 ,89 ,99** | | 4520 ,16 ,46 | |
| | घटाएं - निवेशों का परिशोधन Less - Amortisation of Investments | **214 ,84 ,70** | **4267 ,05 ,29** | 135 ,39 ,67 | 4384 ,76 ,79 |
| III. | भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds | | **52 ,43 ,07** | | 90 ,69 ,88 |
| IV. | अन्य (आरआईडीएफ सहित) Others (incl. RIDF) | | **93 ,29 ,65** | | 312 ,28 ,48 |
| | **कुल TOTAL (I, II, III व IV)** | | **15898 ,59 ,54** | | 13019 ,30 ,87 |

## अनुसूची - 14 : अन्य आय
## SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2023 (Current Year) | | 31 मार्च 2022 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2022 (Previous Year) | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | कमीशन विनिमय और ब्रोकरेज Commission, exchange, and brokerage | | **1309 ,11 ,52** | | 1233 ,34 ,21 |
| II. | निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments | **130 ,15 ,81** | | 537 ,87 ,67 | |
| | घटाएं : निवेशों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of Investments | **24 ,02 ,75** | **106 ,13 ,06** | 13 ,00 ,54 | 524 ,87 ,13 |
| III. | निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments | **-** | | - | |
| | घटाएं : निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments | **208 ,71 ,10** | **-208 ,71 ,10** | 97 ,81 ,63 | -97 ,81 ,63 |
| IV. | भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets | **3 ,69 ,04** | | 3 ,09 ,90 | |
| | घटाएं : भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less : Loss on sale of land,buildings and other assets | **1 ,72 ,52** | **1 ,96 ,52** | 2 ,05 ,59 | 1 ,04 ,31 |
| V. | विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions | **78 ,04 ,02** | | 129 ,05 ,30 | |
| | घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions | **-** | **78 ,04 ,02** | - | 129 ,05 ,30 |
| VI. | भारत / विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों और/या सहायक कंपनियों/इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ companies and/or Joint Ventures abroad/in India | | **2 ,62 ,27** | | 2 ,05 ,51 |
| VII. | विविध आय Miscellaneous Income* | | **991 ,77 ,21** | | 860 ,31 ,07 |
| | **कुल TOTAL (I, II, III, IV, V, VI व VII)** | | **2280 ,93 ,50** | | 2652 ,85 ,90 |

*विविध आय में बट्टाकृत खातों में वसूली शामिल है ₹ हजार में 943,17,32 (642 ,12 ,70), पीएसएलसी कमीशन ₹ हजार में 4,51,50 (188 ,40 ,00)
*Misc. Income includes Recovery in W/Off ₹ In thousands 943,17,32 (642 ,12 ,70), PSLC Commission of ₹ in thousands 4,51,50 (188 ,40 ,00)

## अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज
## SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|---|
| I. | जमाराशियों पर ब्याज<br>Interest on deposits | **7185 ,55 ,07** | 6457 ,30 ,35 |
| II. | भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारियों पर ब्याज<br>Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings | **59 ,77 ,27** | 30 ,91 ,39 |
| III. | अन्य<br>Others | **911 ,46 ,44** | 485 ,74 ,31 |
| **कुल** | **TOTAL (I, II, III)** | **8156 ,78 ,78** | 6973 ,96 ,05 |

## अनुसूची - 16 : परिचालन व्यय
## SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES

(₹ हजार में)
(₹ in thousands)

| | | 31 मार्च 2023 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31st March 2023 (Current Year) | 31 मार्च 2022 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31st March 2022 (Previous Year) |
|---|---|---|---|
| I. | कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान<br>Payments to and provisions for employees | **2058 ,12 ,34** | 2071 ,36 ,31 |
| II. | किराया, कर और बिजली<br>Rent, taxes and lighting | **248 ,22 ,82** | 228 ,08 ,53 |
| III. | मुद्रण और लेखन सामग्री<br>Printing and stationery | **26 ,08 ,09** | 22 ,29 ,74 |
| IV. | विज्ञापन और प्रचार<br>Advertisement and publicity | **33 ,39 ,86** | 29 ,84 ,14 |
| V. | बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास<br>Depreciation on Bank's property | **262 ,48 ,88** | 268 ,34 ,13 |
| VI. | निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय<br>Directors' fees, allowances and expenses | **1 ,36 ,18** | 52 ,02 |
| VII. | लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय<br>Auditors' fees and expenses | **15 ,76 ,07** | 17 ,20 ,35 |
| VIII. | विधि प्रभार<br>Law Charges | **59 ,13 ,08** | 39 ,39 ,52 |
| IX. | डाक, तार और टेलीफोन आदि<br>Postage, Telegrams, Telephones, etc. | **53 ,88 ,61** | 42 ,98 ,27 |
| X. | मरम्मत और अनुरक्षण<br>Repairs and maintenance | **215 ,98 ,73** | 192 ,82 ,91 |
| XI. | बीमा<br>Insurance | **235 ,51 ,24** | 224 ,34 ,53 |
| XII. | अन्य व्यय<br>Other expenditure | **712 ,50 ,45** | 712 ,82 ,94 |
| **कुल** | **TOTAL (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI व XII)** | **3922 ,46 ,35** | 3850 ,03 ,39 |

## अनुसूची 17-महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित खातों के साथ संलग्न और उसका भाग)

**1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:**

**1.1** ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं और यह सामान्यत: अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है।

**1.2 <u>अनुमान का उपयोग</u>**

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में प्राक्कलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमान में किसी संशोधन की पहचान भविष्यलक्षी प्रभाव से की जाएगी जब तक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।

**1.3** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 - ''समेकित वित्तीय विवरण'' और लेखा मानक 23- ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन'' के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये गये किये हैं।

**1.4** ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 7.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

**1.5** बैंकिंग व्यवसाय के संदर्भ में राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों के अनुसार हैं।

**1.6** समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में सहायक और सहयोगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2023 के अनुसार बनाए गए हैं।

**2. समेकन के सिद्धांत**

**क. मूल इकाई** : वित्तीय विवरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मूल इकाई और इसके सहायक प्रतिष्ठान सहित इसके अनुषंगियों को शामिल कर निम्नानुसार समेकित किए गए हैं।

**ख. संबद्ध इकाई** : लेखा मानक 21 - ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान को समेकन में शामिल किया गया है।

| कंपनी का नाम | देश/आवास | संबंध | स्वामित्व हित |
|---|---|---|---|
| दी महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लि. (एतदद्वारा मेटको के रुप में संदर्भित) | भारत | पूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगी | 100 % |

लेखा मानक 23 - ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन'' के अनुसार इक्विटी पद्धति से निम्नलिखित सहायक प्रतिष्ठान का लेखांकन किया गया है।

## SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023)

**1. Basis of Preparation of Financial Statements:**

1.1 The financial statements are prepared under the historical cost conventions except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

1.2 **<u>Use of Estimates</u>**

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the period under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated.

1.3 The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 7.1 below.

1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances in relation to Banking Business are in conformity with the prudential norms issued by the Reserve Bank of India from time to time.

1.6 The financial statements of the subsidiary and associate considered in preparation of Consolidated Financial Statement are drawn up to 31st March 2023.

**2. Principles of Consolidation:**

A. **Parent Entity**: The Financial Statements are consolidated for Bank of Maharashtra, the parent entity and its subsidiary along with associated enterprise as follows.

B. **Related Entity:**

The following subsidiary has been consolidated as per Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statement".

| Name of the company | Country / Residence | Relationship | Ownership Interest |
|---|---|---|---|
| The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Ltd. (hereafter referred to as "METCO") | India | Wholly Owned Subsidiary | 100% |

The following associate enterprise has been accounted for under the Equity Method as per Accounting Standard 23 – "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements"

| कंपनी का नाम | देश/आवास | संबंध | मालिकाना हित |
|---|---|---|---|
| महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक(बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा प्रायोजित) | भारत | सहायक उद्यम | 35 % |

**ग. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार और उसका प्रभाव**

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्न आधार पर तैयार किए गए हैं :-

i) बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

ii) आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 - ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसार मूल के संबंधित मदों सहित और उसके सहायक प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों को अंतर्समूह शेषों/ संव्यवहारों को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए, आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय इत्यादि जैसी प्रत्येक मद को लाइन-दर-लाइन आधार पर समूहन किया गया है।

iii) आईसीएआई द्वारा जारी ''समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक प्रतिष्ठानों में निवेश हेतु लेखांकन'' लेखा मानक 23 के अनुसार (इक्विटी पद्धति) के अधीन (''सहायक प्रतिष्ठानों'') में निवेश हेतु लेखांकन। एसोसिएट में बैंक के निवेश की लागत की अधिकता को वित्तीय विवरणों में साख के रूप में मान्यता दी जाती है।

iv) सहायक इकाईयों में अपने समूह निवेश के लिए लागत तथा प्रतिष्ठानों के ईक्विटी में सामूहिक हिस्से के बीच अंतर साख/ पूंजी आरक्षिती के अनुसार वित्तीय विवरणों में स्वीकृत की गई हैं।

v) सहायक प्रतिष्ठान ने कुछ मामलों में समान परिस्थितियों और समान संव्यवहारों के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई पद्धति से अलग पद्धति को अपनाया है। समेकित वित्तीय विवरण बनाते समय जब इनका उपयोग किया गया तब सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। तथापि समेकित वित्तीय विवरणों की मद के वे भाग, जहां सहायक प्रतिष्ठान द्वारा अलग लेखांकन नीतियों का उपयोग किया गया है, महत्त्वहीन हैं।

vi) जहां कहीं आवश्यक है, वहां सहायक प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों को मूल बैंक के साथ पुन: समूहबद्ध किया गया है।

**3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :**

3.1 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

3.2 बकाया वायदा एक्सचेंज संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फायनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. द्वारा प्रकाशित मायफॉर दर अर्थात पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बट्टे डालते हुए, फेडाई द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र की दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिजर्व बैंक/ फेडाई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव 'अन्य परिसंपत्तिया' और हानि के मामले में इसका प्रभाव 'अन्य देनदारियां' को प्रभारित किया गया है।

| Name of the company | Country / Residence | Relationship | Ownership Interest |
|---|---|---|---|
| Maharashtra Gramin Bank (sponsored by Bank of Maharashtra) | India | Associate Enterprise | 35% |

**C. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements & its impact**

The Consolidated Financial Statements of the Group have been prepared on the basis of : -

i. Audited financial statement of Bank of Maharashtra.

ii. Line by line aggregation of each item of asset/ liability/ income/ expense of the subsidiary with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances/transactions in accordance with Accounting Standard 21 – "Consolidated Financial Statements" issued by ICAI.

iii. Accounting for investment in 'Associates' under the 'Equity Method' as per AS 23 "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" issued by the ICAI. The excess of carrying cost of bank's investment in associate is recognized in the financial statements as goodwill.

iv. The difference between cost to the group of its investment in the subsidiary entities and the group's portion of the equity of the subsidiaries is recognized in the financial statements as goodwill / capital reserve.

v. The subsidiary has used accounting policies other than those adopted by the Bank in certain cases for like transactions & events in similar circumstances. No adjustments have been made to the financial statements of the subsidiary, when they are used in preparing the consolidated financial statements. However, the proportion of the items in the consolidated financial statements to which the different accounting policies are applied by the subsidiary is insignificant.

vi. The financial statements of the subsidiary have been regrouped with that of the parent bank, wherever necessary.

**3. Foreign Exchange Transactions:**

3.1 The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.

3.2 Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FBIL for specified maturities by discounting the same at the applicable MIFOR rate published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. [FBIL] i.e. on PV01 basis. The resulting profit/ loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss.

3.3 विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडाई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

3.4 अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

**4. निवेश :**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

4.1 निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

क. परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)

ख. बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

ग. व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

4.2 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म-ए की आवश्यकता के अनुरूप सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क. सरकारी प्रतिभूतियां

ख. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

ग. शेयर्स

घ. डिबेंचर तथा बांड

ङ. सहायक कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम

च. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युच्युअल फंड यूनिट इत्यादि)

4.3 बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। ''व्यापार हेतु धारित'' से ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में अंतरण को छोडकर, निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरण की तारीख को अधिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, तीनों में से जो मूल्य कम हो उस पर प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण किया जाता है। ऐसे अंतरण के कारण यदि कोई मूल्यह्रास लागू होता है तो उसका प्रावधान किया जाता है और तदनुसार प्रतिभूतियों का बही मूल्य समायोजित किया जाता है। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों या उसकी अनुमति से किया जाता है। ''व्यापार हेतु धारित'' श्रेणी से निवेशों का ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' श्रेणी में अंतरण/ परिवर्तन, अपवादात्मक परिस्थितियों जैसे कठिन तरलता स्थितियों के कारण 90 दिनों में प्रतिभूतियों की बिक्री न कर पाने या अत्यधिक उतार-चढ़ाव या बाज़ार के एक ही दिशा में संचलन के कारण उत्पन्न स्थितियों में ही किया जाएगा।

4.4 **रेपो / रिवर्स रेपो / स्थायी जमा सुविधा**

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निविर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियां/ ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।

4.5 लागत भारित औसत मूल्यन पद्धति के आधार पर निवेशों का निर्धारण किया जाता है।

निर्धारित आय प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री समय खंडित अवधि हेतु किए गए ब्याज के भूगतान/ खंडित अवधि हेतु प्राप्त ब्याज राशि को राजस्व व्यय/ आय के रुप में समझा जाएगा।

निवेश की खरीद/ बिक्री के समय प्राप्त भुगतान किए गए ब्रोकरेज एवं प्रोत्साहन राशि को क्रमश: निवेश की रकम में घटाया/ जोड़ा जाएगा।

3.3 Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI.

3.4 Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

**4. Investments:**

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

4.1 Investments are classified in the following categories:

a. Held to Maturity (HTM)

b. Available for sale (AFS)

c. Held for trading (HFT)

4.2 All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

a. Government Securities

b. Other approved Securities

c. Shares

d. Debentures and Bonds

e. Subsidiaries and Joint Ventures

f. Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)

4.3 Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Shifting of securities from one category to another, other than shifting / transfer from HFT to AFS category, is done once in a year with the approval of Board of Directors, at the least of acquisition cost / book value / market value on the date of shifting. The depreciation, if any, on such shifting is provided for and the book value of the security is adjusted accordingly. The transfer of securities from one category to another is made as per permission from or guidelines of RBI. Transfer / shifting of investments from HFT to AFS category will be executed under exceptional circumstances, like not being able to sell the securities within 90 days due to tight liquidity conditions, or extreme volatility, or market becoming unidirectional.

4.4 **REPO / Reverse REPO / Standing Deposit Facility**

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

4.5 Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

4.6 **निवेशों का मूल्यांकन :**

**क. परिपक्वता तक धारित :**

i) 'परिपक्वता तक धारित' प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया गया है। जहां कहीं लागत, अंकित मूल्य से अधिक है, वहां प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की शेष अवधि में सीधी रेखा पद्धति से किया गया है। निवेशों के मामले में जहां लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम है, इस अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है।

ii) सहायक प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मामले में मूल्यों में आई स्थायी कमी को अभिनिर्धारित तथा प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

iii) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय पर (क) निवल लाभ को पहले लाभ हानि लेखे में लेखाबध्द किया गया और उसके बाद ऐसे लाभ लागू कर और सांविधिक आरक्षिति हेतु आनुपातिक अंतरण का निवल को 'आरक्षित पूंजी खाता' में विनियोजित किया गया तथा (ख) निवल हानि को लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया गया है।

**ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :**

इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क-टू-मार्केट) किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन 'फायनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. द्वारा घोषित बाजार मूल्यों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यांकन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यांकन बाजार दर से किया गया है. अनुद्धृत (अनकोटेड) शेयरों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध तुलनपत्र, अर्थात तत्काल पिछले वर्ष के तुलनपत्र से प्राप्त बही मूल्य से किया गया है तथा यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयर का मूल्यांकन रुपए 1/- प्रति कंपनी/शेयर किया गया है।

बट्टागत लिखतों में निवेश, जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यांकन, रखाव लागत पर किया गया है. म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यांकन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) में निवेशों का मूल्यांकन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य में से (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।

'बिक्री हेतु उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत छः उप-श्रेणियों के उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर :

(i) यदि आंकड़ों का परिणाम अधिमूल्यन है तो इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(ii) यदि आंकड़ों का परिणाम निवल मूल्यह्रास है तो उसे लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयता भाग में निवेशों पर मूल्यह्रास (एएफएस) हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है।

बशर्ते कि, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप आवंटित इक्विटी शेयरों पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो, ऋण के इक्विटी में रूपांतरण की तारीख से सीधी रेखा के आधार पर अधिकतम 4 कैलेंडर तिमाहियों के लिए प्रदान किया जाएगा।

(iii) जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद बाज़ार हेतु चिन्हित प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।

**4.6 Valuation of investments:**

**a. Held to Maturity:**

i. Securities under the category 'Held to Maturity' are valued at weighted average acquisition cost. Wherever the cost of security is higher than the face value, the premium is amortized over the remaining period of maturity on straight line basis. In case of investments, where the cost price is less than the face value, the difference is ignored.

ii. In case of investments in subsidiaries and joint ventures permanent diminution in value is recognized and provided for; investment in RRB is valued at carrying cost.

iii. On sale of investments in this category (a) the net profit is initially taken to profit and loss account and thereafter such profit net of applicable taxes and proportionate transfer to statutory reserve is appropriated to the 'Capital Reserve account'; and (b) the net loss is charged to the Profit & Loss Account.

**b. Available for Sale:**

The individual securities under this category are marked to market on a quarterly basis and on each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FBIL. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve, average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted shares are valued at market rates. Unquoted shares are valued at break-up value ascertained from the latest available Balance Sheet i.e. Balance Sheet of immediate preceding year and in case the latest Balance Sheet is not available, the same is valued at Re.1/- per company / scrip.

Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in Security Receipts (SRs) /Pass Through Certificates (PTCs) issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held) of the financial assets.

Based on the above valuation under each of six-sub classifications under `Available for Sale':

i. If it results in appreciation, the same is ignored.

ii. If it results in net depreciation, the same is charged to Profit & Loss account and credited to Provision for Depreciation on Investments (AFS) in the liability side.

Provided that, depreciation, if any, on equity shares allotted consequent to implementation of Strategic Debt Restructuring (SDR) shall be provided for over a maximum of 4 calendar quarters on straight line basis from the date of conversion of debt into equity.

iii. The book value of securities is not changed in respect of marked to market (MTM) except as required by the RBI guidelines.

(iv) इस श्रेणी में निवेश के विक्रय से हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में लेखाबध्द किया गया है।

**ग. व्यापार हेतु धारित** :

i. इस श्रेणी के अंतर्गत वैयक्तिक प्रतिभूतियों को मूल लागत पर धारित किया गया है और प्रत्येक माह इन्हें बाजार हेतु चिन्हित किया गया है। केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फायनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफआईबीएल) द्वारा घोषित बाज़ार दरों पर किया गया है। अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, डिबेंचर एवं बांड का मूल्यांकन प्रतिफल, औसत ऋण प्रसार रेटिंग और फिमडा द्वारा सुझाई गई पध्दति से किया गया है। उद्धृत (कोटेड) शेयरों का मूल्यांकन बाजार दरों से किया गया है।

ii. बट्टागत लिखतों में निवेश जैसे खजाना बिल, जमाराशि प्रमाणपत्र और वाणिज्यिक पेपर्स, जीरो कूपन बांड का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया गया है। म्युच्युअल फंड लिखतों का मूल्यांकन क्रमशः बाजार मूल्य पर अथवा उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनर्खरीद मूल्य या निवल आस्ति मूल्य पर किया गया है। आस्ति पुनर्गठन कंपनियों को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में आस्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी एसआर/ पीटीसी में निवेशों का मूल्यांकन वित्तीय आस्तियों के उन्मोचन मूल्य और निवल बही मूल्य (अर्थात बही मूल्य में से किया गया प्रावधान घटाकर) में से जो भी कम हो, उस कीमत पर किया जाता है।

iii. निवल श्रेणीवार मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है और इसे देयताओं के अंतर्गत निवेशों के मूल्यह्रास (एचएफटी) हेतु प्रावधान खाते में जमा किया गया है। यदि निवल अधिमूल्यन है तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ छोड़कर पुनर्मूल्यन के बाद प्रतिभूतियों के बही मूल्य को बदला नहीं गया है।

iv. निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ एवं हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

घ. पुनर्गठित निवेशों सहित निवेशों पर प्रावधान और उनका वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के समय समय पर जारी दिशानिर्देशों और निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसरण में किया गया है।

ङ. प्रतिभूतियों के अर्जन के समय उपचित लागतों यथा दलाली, फीस, कमीशन, करों इत्यादि को पूंजीकृत किया गया है।

4.7 **डेरिवेटिव :**

**च. ब्याज दर स्वैप** :

i. **मूल्यांकन** :

**क. हेजिंग स्वैप** : हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वैप, बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क्ड टू मार्केट) नहीं है।

**ख. ट्रेडिंग स्वैप** : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वैप बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्क्ड टू मार्केट) है।

(ii) **डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन**:

**क. हेजिंग स्वैप** : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया. व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है।

**ख. ट्रेडिंग स्वैप** : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबध्द किया गया है।

(iii) **स्वैप निरसन पर लाभ या हानि का लेखा**

**क. हेजिंग स्वैप** : निरस्त हुए स्वैप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वैप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

**ख. ट्रेडिंग स्वैप** : स्वैप समाप्ति पर किसी भी लाभ या हानि को स्वैप समाप्ति के वर्ष में आय या खर्च के रुप में स्वीकार किया गया है।

iv. Profit or Loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit and loss account.

**c. Held for Trading:**

i. The individual securities under this category are held at original cost and are marked to market every month and each balance sheet date. Central/ State Government securities are valued at market rates declared by FIBL. Other approved securities, debentures and bonds are valued as per the yield curve; average credit spread rating and methodology suggested by FIMMDA. Quoted Shares are valued at market rates.

ii. Investments in discounted instruments, viz. Treasury Bills, Certificate of Deposits, Commercial Papers, Zero Coupon Bonds are valued at carrying cost. Mutual Fund Instruments are valued at market rate or repurchase price or net asset value in that order depending on their availability. Investments in SRs / PTCs issued by ARCs in respect of financial assets sold to ARCs are carried at lower of redemption value and net book value (i.e. book value less provision held), of the financial assets.

iii. Net basket-wise depreciation if any, is charged to Profit & Loss Account and credited to Provision on Depreciation on Investment (HFT) under liability. Net appreciation, if any is ignored. The book value of the securities is not changed after revaluation except as required by the RBI guidelines.

iv. Profit or loss on sale of investment in this category is accounted for in the Profit & Loss Account.

d. Classification of and provisions on investments, including on restructured investments, are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time.

e. Costs such as brokerage, fees, commission, taxes etc. incurred at the time of acquisition of securities are capitalized

**4.7 Derivatives:**

**Interest Rate Swaps:**

i. **Valuation:**

**a. Hedging Swaps**: Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.

**b. Trading Swaps**: Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market.

ii. **Accounting of income on derivative deals:**

**a. Hedging Swaps:** Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable.

**b. Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date.

iii. **Accounting of gain or loss on termination of swaps:**

**a. Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.

**b. Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

4.8 **निवेश अस्थिर आरक्षिति:**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 25 अगस्त 2021 के परिपत्र क्रमांक आरबीआई/डीओआर/2021-22/81 डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141/2021-22 जो 31.03.2023 तक अद्यतन है, के अनुसार लागू आय में बढ़ोत्तरी के समक्ष बैंक की सुरक्षा के लिए पर्याप्त आरक्षित बनाने के लिए निवेश अस्थिर आरक्षित (आईएफआर) निर्मित किया गया है।

आईएफआर में अंतरण निम्नलिखित में से कम है -

क. वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

ख. लगातार आधार पर, वर्ष के लिए निवल लाभ घटाएं अनिवार्य विनियोग, जब तक कि आईएफआर की राशि एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो की कम से कम 2 प्रतिशत हो

**5. अग्रिम:**

5.1 दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खाते का निवल, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों, मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के प्रावधानों और पुनर्भांजन से निवल हैं।

5.2 प्रावधानों और अग्रिमों का वर्गीकरण भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, एनपीए पर प्रावधान भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित दर से अधिक किए गए हैं -

अवमानक - 20%

संदिग्ध संपत्ति एक से तीन साल - प्रत्याभूत हिस्से पर 50%

5.3 मानक पुनर्संरचित अग्रिमों के प्रावधानों को छोडकर अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को ''अन्य देयताएं व प्रावधान'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

5.4 एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में चार तिमाहियों की अधिकतम अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान किए जाएंगे।

5.5 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हुई है, तो अधिशेष प्रावधान को बनाए रखा जाएगा और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाए. यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम हो, (अर्थात बकाया घटाएं प्रावधान धारित) तो घाटे को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है। तथापि अधिशेष उपलब्ध है तो ऐसे घाटे को अधिशेष में अवशोषित किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न घाटे को दो वर्षों की अवधि के लिए परिशोधित किया जाएगा, यदि अधिशेष में अवशोषित नहीं किया जाए।

अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित किया जाता है जब प्राप्त नकद (एसआरएस/ पीटीसी के मोचन और / आरंभिक निर्धारण के माध्यम से) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होता है. अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन उस सीमा तक सीमित होगा जिस पर प्राप्त नकद आस्ति के एनबीवी से अधिक हो जाता है।

**6. स्थिर आस्तियां एवं मूल्यह्रास:**

6.1 पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों को लागत घटाएं मूल्यह्रास/ ऋण परिशोधन पर लेखाबद्ध किया गया है।

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च शामिल हैं जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क। उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है।

**4.8 Investment Fluctuation Reserve:**

As per RBI circular number RBI/DOR/2021-22/81 DOR. MRG.42/21.04.141/2021-22 DATED AUG 25,2021 as updated till March 31,2023 Investment Fluctuation Reserve (IFR) is created to build up of adequate reserves to protect the bank against increase in yields.

Transfer to IFR is lower of the following –

a. Net profit on sale of Investments during the year or

b. Net profit for the year less mandatory appropriations, until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis

**5. Advances:**

5.1 Advances shown are net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted.

5.2 Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -

Sub-Standard - 20%

Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion

5.3 Provision for performing assets, other than provision on standard restructured advances, is shown under the head “Other liabilities and provisions”.

5.4 In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters.

5.5 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However, if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRS/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

**6. Fixed Assets and Depreciation:**

6.1 Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability

6.2 अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास नीचे दी गई दरों के लिए प्रदान किया जाता है, पुनरीक्षित संपत्ति को छोड़कर, जहां, पुनर्मूल्यांकित राशि पर संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य रुपया एक लिखा जा सके।

Depreciation on fixed assets is provided for at the rates specified below, except revalued assets where, depreciation is provided over the remaining useful life of the assets on revalued amount, so as to write down value of assets to Rupee One over the residual life of the assets.

| क्र.सं. S.N. | आस्तियों की श्रेणी Category of Asset | आस्तियों की उपयोगिता अवधि Useful Life of Assets (Years) | मूल्यह्रास की दर (%) Rate of Depreciation (%) | मूल्यह्रास की पद्धति Method of depreciation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Building & Premises भवन एवं परिसर | 60 | 1.667 | एसएलएम |
| 2 | सेफ सहित सामान्य वस्तुएं General Items including Safe | 10 | 10 | एसएलएम |
| 3 | इलेक्ट्रिकल - टेलीविजन, मोबाइल फोन, होम थियेटर, प्रिंटर, कैमरा Electrical – Television, Mobile Phones, Home Theater, Printer, Camera | 3 | 33.33 | एसएलएम |
| 4 | इलेक्ट्रिकल उपकरण-अन्य Electrical Equipment's- Others | 10 | 10 | एसएलएम |
| 5 | कार्यालय मशीनरी Office Machinery | 5 | 20 | एसएलएम |
| 6 | मोटर वाहन Motor Vehicles | 8 | 12.50 | एसएलएम |
| 7 | सेफ डिपॉजिट वॉल्ट Safe Deposit Vaults | 10 | 10 | एसएलएम |
| 8 | कंप्यूटर तथा लैपटॉप Computers & Laptops | 3 | 33.33 | एसएलएम |
| 9 | एटीएम ATM | 7 | 14.29 | एसएलएम |
| 10 | यूपीएस UPS | 5 | 20 | एसएलएम |
| 11 | बीएनए BNA | 7 | 14.29 | एसएलएम |
| 12 | कैश रि-साइकलर Cash Re-cycler | 7 | 14.29 | एसएलएम |

* एसएलएम अर्थात सीधी रेखा पद्धति

*SLM means Straight Line Method

6.3 वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में आनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यह्रास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जिनमें वर्ष के दौरान आस्तियों को उपयोग के लिए रखा गया है। इसी तरह वर्ष के दौरान बेची /छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में, उतने दिनों तक जब तक कि वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किया गया हो, मूल्यह्रास को आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है ।

6.4 हर तीन साल में एक बार अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) का स्थिर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकित हिस्सा घटाया जाता है।

लीज़ पर धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षिति को लीज़ अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

लागत के अधिक और ऊपर अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर मूल्यह्रास, लाभ और हानि खाते में नामे किया जाता है। लाभ और हानि खाते के लिए नामे लागत के अधिक अचल संपत्तियों के प्रत्यावर्तित हिस्से से संबंधित मूल्यह्रास की सीमा तक पुनर्मूल्यन आरक्षिति की राशि पुनर्मूल्यन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में स्थानांतरित कर दी जाती है।

6.5 एएस 19 के अनुसार पट्टे पर दिए गए परिसरों के मामले में, पट्टे का प्रीमियम, यदि कोई हो, पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित है।

**सहायक प्रतिष्ठान के मामले में :**

6.6 मेटको के मामले में, स्थिर आस्तियों का मूल्यांकन लागत में से मूल्यह्रास और अनर्जक हानियों को कम करते हुए किया गया है। इस लागत में आस्ति को इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु किए गए सभी व्यय शामिल हैं। बेची गई आस्तियों को स्थिर आस्तियों से घटा दिया गया और मूल्यह्रास का प्रभाव देखते हुए लाभ/ हानि की गणना की गई। आस्तियों की उपयोगी शेष अवधि के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नए मानक लगाते हुए ह्रासमान शेष पध्दति से मूल्यह्रास लगाया गया है।

6.3 In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year. Similarly, in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year.

6.4 Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on diminishing balance method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

6.5 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis in accordance with AS 19.

**In case of the subsidiary:**

6.6 In the case of METCO, fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost includes all expenditure necessary to bring the asset to its working conditions for its intended use. Assets sold are reduced from the fixed assets and after taking effect of depreciation, profit / loss has been calculated. Depreciation is provided on the written down value basis applying new standards as per Companies Act 2013, on the basis of useful life of assets.

**7. राजस्व अभिनिर्धारण:**

7.1 निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबध्द मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबध्द किया गया है :

क. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज।

ख. कमीशन अर्थात सरकारी व्यवसाय, म्युच्युअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड, कार्ड हेतु वार्षिक रखरखाव शुल्क और लॉकर किराए से आय।

ग. खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.

घ बीमा दावे।

ङ. डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक।

च. प्रोसेसिंग शुल्क।

छ. व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय.

ज. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रोसेसिंग शुल्क।

7.2 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में दिनांक 02.07.2021 से, अतिदेय मीयादी जमा राशि पर देय ब्याज परिपक्व टीडी पर संविदा ब्याजदर या बचत खाता पर लागू ब्याज दर, जो भी कम हो, पर उपचित आधार पर प्रदत्त है।

**8. कर्मचारी अनुलाभ:**

परिभाषित अंशदान योजना : अतिदेय स्थायी ब्याजपर या अनुबधित ब्याज दर, परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

परिभाषित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की ग्रेच्युटी और पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, जो कि एएस -15 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देनदारियों को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही /वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकिक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, विशेषाधिकार अवकाश, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता, और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

**9. खंड रिपोर्टिंग**

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

**10. आस्तियों का ह्रास**

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 - आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों के ह्रास, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। मूल्यह्रास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

**11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 -''प्रावधानों, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियों'' के अनुसार बैंक केवल किसी पिछली घटना के कारण उत्पन्न वर्तमान प्रतिबध्दता के लिए प्रावधान करता है. यह संभावित है कि जब प्रतिबध्दता राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो और प्रतिबध्दताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभ सहित किसी संसाधन के बहिर्गमन की आवश्यकता पड़े।

**7. Revenue Recognition**

7.1 All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:-

a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms issued by Reserve Bank of India, from time to time.

b. Income from commission viz on Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued, Annual Maintenance Charges for cards and Locker Rent.

c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.

d. Insurance claims.

e. Remuneration on Debenture Trustee Business.

f. Processing Fees.

g. Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.

h. Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking.

7.2 Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021.

**8. Employees' Benefits:**

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity, Pension & Privilege Leave schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are provided based on Actuarial valuation.

**9. Segment Reporting:**

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI.

**10. Impairment of Assets**

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for Impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable.

**11. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:**

As per the Accounting Standard 29-"Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation for which a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो।

**12. निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:**

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान सहित) और धोखाधड़ी व आकस्मिकताओं/ अन्य के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

**13. आयकर:**

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर, संपत्ति कर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं का मापन उन कर दरों व कर कानूनों का उपयोग कर किया गया है जो तुलन पत्र के दिनांक को अधिनियमित किए गए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रबंधन निर्णय के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में मान्यता प्राप्त और पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, चाहे जैसे भी हो उनकी वसूली यथोचित रूप से निश्चित है।

अनवशोषित मूल्यह्रास या कराधान कानूनों के अंतर्गत आगे लाई गई हानि के मामले में सभी आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

कर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग, उस पर ब्याज सहित, प्रदान की जाती है जब ऐसी मांग बैंक द्वारा स्वीकार कर ली जाती है और इसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है **या** जब न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है और समान मुद्दे पर अन्य न्यायाधिकरण का कोई अनुकूल निर्णय नहीं होता है और बैंक उच्च न्यायालय के समक्ष जाना नहीं चाहता है या जब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है।

**14. प्रति शेयर अर्जन :**

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) ''प्रति शेयर अर्जन'' के अनुरूप की गई है. प्रति शेयर मूल अर्जन संबंधित अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को भागकर निकाली गई है. संबंधित अवधि के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है.

*********

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

**12. Net Profit, Provisions and Contingencies:**

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others.

**13. Income tax:**

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonable certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is accepted by the bank and the same is not contested before appellate authority **OR** when such demand is upheld by jurisdictional tribunal and there is no favorable judgement of other tribunal on identical issue and bank does not prefer to go before High Court **OR** when such demand is upheld by High Court.

**14. Earnings Per Share**

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

*********

## अनुसूची 18 : खातों पर टिप्पणियां

(नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं)
(31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित खातों के साथ संलग्न और उसका भाग)

**1. निवेश:**

बैंक ने निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों क्रमश: ''परिपक्वता धारित'' ''बिक्री हेतु उपलब्ध'' और ''विपणन हेतु धारित'' में वर्गीकृत किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया है।

बैंक ने चालू वर्ष के लाभ से निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति (आईएफआर) को रु.0.00 करोड़ (रु.23.10 करोड़) का विनियोजन किया है।

**2.** बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों का लागू सीमा तक निम्नानुसार पालन किया है:

**2.1 लेखा मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि मदें तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन**

चूंकि आय/ व्यय की पूर्व अवधि मदें वास्तविक नहीं हैं इसलिए उन्हें संबंधित लेखा शीर्ष में प्रभारित/ लेखाबद्ध किया गया है।

**2.2. लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण**

अनुच्छेद -17 में दी गई लेखांकन नीति संख्या 7.2 के अनुसार - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, 02.07.2021 से अतिदेय सावधि जमा पर देय ब्याज, बचत खाते पर लागू ब्याज दर या परिपक्व मियादी जमा पर ब्याज की अनुबंधित दर, जो भी कम हो, पर उपचित आधार पर प्रदान किया जाता है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) की बिक्री पर कमीशन, बैंक गारंटी और साख पत्र जारी करने पर कमीशन से होने वाली आय को पिछले वर्ष के नकदी आधार के स्थान पर 01 अप्रैल, 2022 से संचय आधार पर मान्यता दी गई है। लेखांकन नीति में इस बदलाव के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य आय और कर पूर्व निवल लाभ में रु. 78.38 करोड़ की कमी आई है। (31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 15.63 करोड़)।

**3. अचल संपत्ति**

i. ''संपत्ति, संयंत्र और उपकरण'' के लेखा मानक - 10 के अनुसार अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन वाले हिस्से पर वर्ष के लिए मूल्यह्रास रु. 102.46 करोड़ (रु. 128.64 करोड़) लाभ और हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं। साथ ही रु. 102.46 करोड़ रुपये (रु. 128.64 करोड़) की समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में अंतरित किया गया है।

ii. बैंकों के कुछ परिसरों को पुनर्मूल्यांकन राशि पर लिया गया है। वर्ष के अंत में परिसर में शामिल इस तरह के पुनर्मूल्यांकन की कुल राशि रु. 1575.28 करोड़ है तथा पुनर्मूल्यांकन राशि पर निवल मूल्यह्रास रु. 1472.82 करोड़ है।

iii. लीज पर लिए गए परिसर के लिए ऐसे मामले लंबित हैं जहां कोई आकस्मिक देयता नहीं है क्योंकि बैंक लीज डीड की समाप्ति के कारण शाखा परिसर के मकान मालिकों द्वारा उसके खिलाफ दायर इन सभी मामलों का बचाव कर रहा है। इनमें से, बैंक की देनदारी लगभग रु. 0.14 करोड़ है। अन्य सभी मामलों में जहां जमींदारों ने मुनाफे का दावा किया है, राशि का पता तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि अदालत मुनाफे की मात्रा को स्पष्ट न कर दे।

iv. प्रगतिधीन पूंजी कार्य में स्थिर आस्तियों (भवन) की लागत शामिल है जो रिपोर्टिंग दिनांक को उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं है। प्रगतिधीन पूंजी कार्य में भवन निर्माण सहित रु.2.00 करोड़ की राशि शामिल है।

## SCHEDULE 18: NOTES ON ACCOUNTS

(*Note: Figures in bracket relate to previous year*)

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE CONSOLIDATED ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023.)

**1. Investments:**

The Bank has classified the investment portfolio into three categories i.e. "Held to Maturity", "Available for Sale" and "Held for Trading" and valued the investments in terms of the Reserve Bank of India guidelines.

The Bank has made an appropriation of Rs. 0.00 crores (Rs. 23.10 crores) to Investment Fluctuation Reserve (IFR) out of profit of current year

**2.** The Bank has complied with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) to the extent applicable as under:

**2.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.**

As prior period items of income/expenditure are not material, the same have been charged/accounted for in respective heads of accounts.

**2.2 Accounting Standard 9 – Revenue Recognition**

As per Accounting Policy No. 7.2, given in Schedule -17 – Significant Accounting Policies, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021.

With effect from April 01, 2022, the income on account of Commission on issuance of Letter of Credit, Bank Guarantee and commission on sale of Priority Sector Lending Certificate (PSLC) is recognized on accrual basis as against cash basis followed in the preceding year. This change in accounting policy has resulted in decrease of other income and net profit before tax by ₹ 78.38 crore during the Financial Year ended March 31, 2023 (₹ 15.63 crore for quarter ended March 31, 2023).

**3. Fixed Assets**

i. In accordance with the As-10 "Property, Plant and Equipment" depreciation of Rs. 102.46 Crore (Rs. 128.64 crore) for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of Rs.102.46 crore (Rs.128.64 crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

ii. Certain premises of banks are stated at revalued amount. The gross amount of such revaluation included in premises at the end of the year is Rs. 1575.28 crore and net of depreciation the revaluation amounts to Rs.1472.82 crore.

iii. There are cases pending for leased premises where no contingent liability is recognized as the Bank is defending all these cases filed by landlords of Branch premises due to expiration of lease deeds. Out of these, Bank accounts for its liability to around Rs. 0.14 crore. In all other cases where landlords have claimed profits, the amount cannot be ascertained unless the court crystalizes quantum of profits.

iv. Capital work in progress comprises of the cost of fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date. Capital work in progress amounting to Rs. 2.00 Crore includes construction of building.

**4. लेखा मानक (एएस) 15 (संशोधित 2005) - ''कर्मचारी लाभ'' (मूल बैंक)**

**क. पारिभाषित अंशदान योजना :**

(राशि ₹ करोड़ में)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| 1. भविष्य निधि | 39.47 | 45.63 |
| 2. कर्मचारी कल्याण में अंशदान - आकस्मिकता कल्याण निधि | 15.00 | 15.00 |
| 3. नई पेंशन योजना में अंशदान | 87.43 | 62.03 |

**ख. पारिभाषित अनुलाभ योजना :**

क) **पेंशन योजना -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है, जो कि अधिकतम 33 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा हेतु अंतिम वेतन का 50% है। यह निधिगत योजना है।

ख) **उपदान योजना -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा यह कंपनी के नियमों व यथासंशोधित उपदान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्च उपदान के रूप में संदेय है। यह निधिगत योजना है।

ग) **छुट्टी नकदीकरण/क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति -** यह सेवा पश्चात अनुलाभ है तथा अंतिम वेतन पर आधारित 240 दिनों की संचयी छुट्टियों की अधिकतम सीमा के प्रति देय है। यह निधिगत योजना है।

**4. Accounting Standard (AS) 15 (Revised 2005)- "Employee Benefits" (Parent Bank)**

**A. Defined Contribution Plans:**

**(Amount in ₹ crore)**

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| a. Provident Fund | 39.47 | 45.63 |
| b. Contribution to Staff Welfare – Welfare Fund Contingency | 15.00 | 15.00 |
| c. Contribution to New Pension Scheme | 87.43 | 62.03 |

**B. Defined Benefit Plans:**

**a) Pension Plan**- This is a post-employment benefit, which is 50% of final pay for a maximum of 33 years of pensionable service. This is a funded scheme.

**b) Gratuity Plan-** This is a post-employment benefit and is payable as higher of Gratuity as per Company's Rules and Gratuity under Payment of Gratuity Act 1972 as amended. This is a funded scheme.

**c) Leave Encashment/ Compensated Absences-**This is a post-employment benefit and is payable for a maximum limit of 240 days of accumulated leave based on final pay. This is an funded scheme.

**I. पारिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन: Change in the Present value of Defined Benefit Obligations:**

(राशि ₹ करोड़ में) (**Amount in ₹ crore**)

| क्र. S N | विवरण Particulars | पेंशन योजना PENSION PLANS | | उपदान योजना GRATUITY PLANS | | छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | पारिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य खोलना Opening Present Value of Defined Benefit Obligation | 6925.37 | 6449.25 | 533.19 | 578.29 | 329.86 | 298.29 |
| 2 | ब्याज लागत Interest Cost | 493.62 | 428.27 | 36.76 | 37.43 | 23.28 | 19.74 |
| 3 | वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost | 300.66 | 325.73 | 34.97 | 33.28 | 75.62 | 71.98 |
| 4 | विगत सेवा लागत Past Service Cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | प्रदत्त लाभ Benefits Paid | (634.79) | (627.17) | (87.07) | (123.72) | (39.72) | (51.98) |
| 6 | बीमांकिक (लाभ)/हानि के लिए Actuarial (Gains)/Losses for the year | (87.51) | 349.29 | 0.01 | 7.91 | (7.78) | (8.17) |
| 7 | पारिभाषित लाभ दायित्व का समापन वर्तमान मूल्य Closing Present Value of Defined Benefit Obligation | 6997.34 | 6925.37 | 517.85 | 533.19 | 381.25 | 329.86 |

**II. योजनाबद्ध आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन : Change in the Fair Value of Plan Assets:**

(राशि ₹ करोड़ में) (**Amount in ₹ crore**)

| क्र. S N | विवरण Particulars | पेंशन योजना PENSION PLANS | | उपदान योजना GRATUITY PLANS | | छुट्टी का नकदीकरण *LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | **योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य** Opening fair value of plan assets | 6875.12 | 6201.15 | 557.62 | 504.82 | 0.00 | NA लागू नहीं |
| 2 | योजना आस्तियों से अपेक्षित आय Expected return on plan assets | 513.57 | 432.84 | 41.87 | 36.58 | 0.00 | |
| 3 | किया गया अंशदान Contributions made | 227.51 | 841.22 | 0.07 | 112.06 | 270.11 | |
| 4 | प्रदत्त लाभ Benefits paid | (634.79) | (627.17) | (87.07) | (123.72) | (39.58) | |
| 5 | बीमांकिक लाभ/ (हानि) Actuarial gains/(losses) | (32.12) | 27.08 | 7.67 | 27.88 | 10.54 | |
| 6 | **योजना आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य** Closing fair value of plan assets | **6949.29** | **6875.12** | **520.16** | **557.62** | **241.07** | |

* वर्तमान वित्तीय वर्ष से, बैंक ने छुट्टी नकदीकरण ट्रस्ट बनाया है। *From current financial year, bank has created Leave Encashment Trust.

**III. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि Amount recognized in the Balance Sheet:**

(राशि ₹ करोड़ में) (**Amount in ₹ crore**)

| क्र. S N | विवरण Particulars | वित्तपोषित पारिभाषित लाभ दायित्व FUNDED DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पेंशन योजना PENSION PLANS | | उपदान योजना GRATUITY PLANS | | छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | पारिभाषित अनुलाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य Present Value of Defined Benefit Obligations | 6997.34 | 6925.37 | 517.85 | 533.19 | 381.25 | 329.86 |
| 2 | योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets | (6949.29) | (6875.12) | (520.16) | (557.62) | (241.07) | 0.00 |
| 3 | मान्यता हेतु निवल देयता Net liability to be recognized | 48.05 | 50.25 | (2.31) | (24.42) | 140.18 | 329.86 |
| 4 | तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त अन्य राशि Other amount recognized in the Balance Sheet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता Net liability recognized in the Balance Sheet | 48.05 | 50.25 | (2.31) | (24.42) | 140.18 | 329.86 |

**IV. लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशि: Amount recognized in Profit and Loss Account:**

(राशि ₹ करोड़ में) (**Amount in ₹ crore**)

| क्र. S N | विवरण Particulars | पेंशन योजना PENSION PLANS | | उपदान योजना GRATUITY PLANS | | छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | चालू सेवा लागत Current Service Cost | 300.66 | 325.73 | 34.97 | 33.28 | 75.62 | 71.98 |
| 2 | ब्याज लागत Interest Cost | 493.62 | 428.27 | 36.76 | 37.43 | 23.28 | 19.74 |
| 3 | योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected Return on Plan Assets | (513.57) | (432.84) | (41.87) | (36.58) | 0.00 | 0.00 |
| 4 | वर्ष के लिए बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (Gains)/Losses for the year | (55.39) | 322.21 | (7.67) | (19.97) | (18.32) | (8.17) |
| 5 | पूर्व सेवा लागत Past Service Cost | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | **मान्यता हेतु व्यय** Expense to be recognized | **225.31** | **643.37** | **22.19** | **14.16** | **80.57** | **83.56** |
| 7 | **वर्ष के दौरान किया गया अतिरिक्त प्रावधान/** (**प्रतिलेखन**) Additional provision made / (write back) during the year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | **लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त तथा स्टाफ लागत में शामिल निवल व्यय** Net expense recognized in Profit & Loss Account and included in Staff Cost | **225.31** | **643.37** | **22.19** | **14.16** | **80.57** | **83.56** |

**V. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता में समाधान Reconciliation in the Net Liability recognized in the Balance Sheet**

(राशि ₹ करोड़ में) (**Amount in ₹ crore**)

| क्र. S N | विवरण Particulars | पेंशन योजना PENSION PLANS | | उपदान योजना GRATUITY PLANS | | छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | आरंभिक निवल देयता Opening Net Liability | 50.25 | 248.09 | (24.42) | 73.48 | 329.86 | 298.29 |
| 2 | मान्यताप्राप्त व्यय Expense recognized | 225.31 | 643.37 | 22.19 | 14.16 | 80.57 | 83.56 |
| 3 | अंशदान/अनुलाभ का भुगतान Contributions/ Benefits paid | (227.51) | (841.22) | (0.07) | (112.06) | (270.25) | (51.98) |
| 4 | **लेखाबंदी निवल देयता** Closing Net Liability | **48.07** | **50.25** | **(2.31)** | **(24.42)** | **140.18** | **329.86** |

**VI. योजना आस्तियों पर वास्तविक आय Actual Return on Plan Assets**

(राशि ₹ करोड़ में) (**Amount in ₹ crore**)

| क्र. S N | विवरण Particulars | पेंशन योजना PENSION PLANS | | उपदान योजना GRATUITY PLANS | | छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets | 513.57 | 432.84 | 41.87 | 36.58 | 0.00 | NA |
| 2 | योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ (हानि) Actuarial gain (loss) on plan assets | (32.12) | 27.08 | 7.67 | 27.88 | 10.54 | |
| 3 | **योजना आस्तियों पर वास्तविक आय** Actual return on plan assets | 481.45 | 459.92 | 49.54 | 64.46 | 10.54 | |

**VII. मूल बीमांकिक मान्यताएं (भारित औसत के रूप में व्यक्त) Principal Actuarial Assumptions (expressed as weighted averages)**

| क्र. S N | विवरण Particulars | पेंशन योजना PENSION PLANS | | उपदान योजना GRATUITY PLANS | | छुट्टी का नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | बट्टा दर Discount rate | 7.47% | 6.98% | 7.51% | 7.25% | 7.51% | 7.25% |
| 2 | योजना आस्तियों पर अपेक्षित आय Expected return on plan assets | 7.47% | 6.98% | 7.51% | 7.25% | 7.51% | NA |
| 3 | वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर Expected rate of salary increases | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% | 5.50% |

**ग. C. अन्य दीर्घावधि अनुलाभ : Other Long Term Benefits:**

(राशि ₹ करोड़ में) (**Amount in ₹ crore**)

| क्र. S N | विवरण Particulars | लाभ व हानि खाते में मान्यता प्राप्त Recognized in Profit & Loss Account | |
|---|---|---|---|
| | | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| 1 | पुनर्वास भत्ता Resettlement Allowance | 0.00 | 0.00 |
| 2 | छुट्टी किराया रियायत Leave Fare Concession | 13.26 | 12.35 |
| 3 | रजत जयंती अवार्ड Silver Jubilee Award | 0.12 | 0.04 |
| | **कुल Total** | **13.38** | **12.39** |

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार रु.217.70 करोड़ हुई है। बैंक ने उक्त देयता को पूरी तरह से मान्य किया है तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभ और हानि खाते को प्रभारित किया है।

The additional liability on account of enhancement in family pension in line with Government guidelines, works out to Rs. 217.70 Crore as per Actuarial valuation. The Bank has fully recognized the said liability and charged to the Profit & Loss Account during the FY 2021-22.

**5) लेखा मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग :** बैंक ने अपने प्राथमिक रिपोर्ट योग्य खंडों की पहचान निम्नानुसार की है:

**Accounting Standard 17- Segment Reporting:** Bank has identified its primary reportable segments as under:

**भाग क: व्यापार खंड Part A: Business segments**

(राशि ₹ करोड़ में) (**Amount in ₹ crore**)

| व्यवसाय खंड Business Segments | खजाना Treasury | | निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking | | रिटेल बैंकिंग Retail Banking | | अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations | | कुल Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **विवरण Particulars** | **2022-23** | **2021-22** | **2022-23** | **2021-22** | **2022-23** | **2021-22** | **2022-23** | **2021-22** | **2022-23** | **2021-22** |
| **राजस्व** Revenue | 4321.98 | 5094.00 | 6580.57 | 4537.40 | 7019.35 | 5438.13 | 259.84 | 604.43 | 18181.74 | 15673.96 |
| परिणाम Result | (102.37) | 1398.46 | 2068.65 | 399.40 | 1389.95 | (200.59) | 91.93 | 360.43 | 3448.16 | 1957.70 |
| अनाबंटित खर्च Unallocated expenses | | | | | | | | | - | - |
| परिचालनगत लाभ Operating profit | | | | | | | | | 6100.28 | 4848.17 |

| व्यवसाय खंड Business Segments | खजाना Treasury | | निगमित / थोक बैंकिंग Corporate/ Wholesale Banking | | रिटेल बैंकिंग Retail Banking | | अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations | | कुल Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आस्थगित कर सहित कर Taxes including deferred taxes | | | | | | | | | 843.16 | 804.27 |
| सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी Share in profit of Associates | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.21 | 1.79 |
| असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit/ loss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| निवल लाभ Net profit | | | | | | | | | 2605.00 | 1153.43 |
| **अन्य जानकारी : Other Information:** | | | | | | | | | | |
| खंड आस्तियां Segment assets | 77388.47 | 78679.17 | 108655.64 | 87029.25 | 65763.90 | 47398.10 | 12919.75 | 13552.92 | 264727.76 | 226659.44 |
| अनाबंटित आस्तियां Unallocated assets | | | | | | | | | 3099.41 | 4124.02 |
| कुल आस्तियां Total assets | | | | | | | | | 267827.17 | 230783.46 |
| खंड देयताएं Segment liabilities | 76214.14 | 77470.27 | 101218.75 | 81883.93 | 61172.95 | 44519.17 | 12399.76 | 12098.97 | 251005.60 | 215972.33 |
| अनाबंटित देयताएं Unallocated liabilities | | | | | | | | | 1031.33 | 749.26 |
| पूंजी और अन्य आरक्षितियां Capital & Other Reserves | | | | | | | | | 15790.23 | 14061.86 |
| कुल देयताएं Total liabilities | | | | | | | | | 267827.17 | 230783.46 |

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई का मास्टर निर्देश - प्रस्तुति और प्रकटीकरण, ''रिटेल बैंकिंग'' को (क) डिजिटल बैंकिंग (07 अप्रैल, 2022 को डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना अथवा आरबीआई परिपत्र में परिभाषित अनुसार) और (ख) अन्य रिटेल बैंकिंग खंड में उप-विभाजित करने की आवश्यकता है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रिटेल बैंकिंग खंड के खंडवार परिणाम नीचे दिए गए अनुसार उप-विभाजित किए गए हैं:

RBI's Master Direction on Financial Statements –Presentation and Disclosures, requires to sub divide "Retail Banking" into (a) Digital Banking (as defined in RBI circular or Establishment of Digital Banking Units dated April 07, 2022) and (b) Other Retail Banking segment. Accordingly, the segmental results for retail banking segment for FY 2022-23 is subdivided as below:

(राशि ₹ करोड़ में) (**Amount in ₹ crore**)

| क्र. S.N. | ब्यौरा Particulars | खंड राजस्व Segment Revenue | खंड परिणाम Segment Results | खंड आस्ति Segment Assets | खंड देयताएं Segment Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|
| | रिटेल बैंकिंग Retail Banking | 7019.35 | 1389.95 | 65763.90 | 61172.95 |
| I | डिजिटल बैंकिंग Digital Banking | 0.01 | (0.51) | 1.30 | 1.81 |
| II | अन्य रिटेल बैंकिंग Other Retails Banking | 7019.34 | 1390.46 | 65762.61 | 61171.14 |

क) खजाना खंड में निवेश, भारत के बाहर स्थित बैंकों में अधिशेष, निवेशों पर उपचित ब्याज और उनसे संबंधित आय इत्यादि को शामिल किया गया है।

ख) निगमित और थोक बैंकिंग खंड में न्यासों, भागीदारी फर्मों, कंपनियों और सांविधिक निकायों को दिए गए सभी अग्रिम शामिल हैं जिन्हें रिटेल बैंकिंग खंड में शामिल नहीं किया गया है।

ग) रिटेल बैंकिंग में वैयक्तिक व्यक्ति / व्यक्तियों अथवा ऐसे लघु व्यवसायों को विगोपन शामिल है, जहां

i. कुल वार्षिक औसत आवर्त रु.50.00 करोड़ से कम है, और

ii. किसी भी एक प्रतिपक्ष को दी गई सकल उधारियां बैंक के समग्र रिटेल संविभाग के 0.2% से अधिक नहीं है, और

iii. एक प्रतिपक्ष को प्रदान किया गया अधिकतम सकल रिटेल उधार रु.5.00 करोड़ तक है

घ) ऊपर विनिर्दिष्ट खंडों के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी बैंकिंग संव्यवहारों को अन्य बैंकिंग प्रचालन खंड में शामिल किया गया है।

a) Treasury segment includes Investment, balances with Banks outside India, Interest accrued on investments and related income there from.

b) Corporate/Wholesale Banking Segments include all advances to trusts, partnership firms, companies, statutory bodies and individuals etc. which are not included in Retail Banking Segments.

c) Retail Banking Segments include exposure to entity/concern where

i. Total average annual turnover less than Rs. 50.00 crore and

ii. Aggregate exposure to one counter party does not exceed 0.2% of the overall retail portfolio of the Bank and

iii. The maximum aggregated retail exposure to one counterpart is up to Rs. 5.00 crore.

d) Other Banking Operations segment includes all other banking transaction not covered under segments, specified above.

ड़) थोक बैंकिंग परिचालन से प्राप्त वास्तविक ब्याज के आधार पर ब्याज आय का आवंटन किया जाता है। थोक बैंकिंग के ब्याज को घटाकर प्राप्त कुल ब्याज को खुदरा बैंकिंग परिचालन में शामिल किया जाता है।

च) प्रत्यक्ष रूप से आरोपित न किए जाने वाले व्ययों को थोक बैंकिंग/खुदरा बैंकिंग खंड द्वारा अर्जित ब्याज आय के आधार पर आवंटित किए जाते हैं। खजाना परिचालनों के व्यय कोषागार परिचालनों से उपलब्ध विवरण के अनुसार हैं।

छ) प्रत्येक खंड के लिए नियोजित पूंजी को संबंधित खंड की संपत्ति के अनुपात में आवंटित किया गया है।

**भाग ख : भौगोलिक खंड**

चूंकि बैंक का परिचालन केवल भारत की सीमा के अंदर है अतः कोई भौगोलिक खंड लागू नहीं है।

**6. लेखा मानक 18- संबद्ध पक्ष प्रकटन:**

इस संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

संबंधित पक्षों का नाम और उनके संबंध:

(क) बैंक की अनुषंगी कंपनी - दि महाराष्ट्र एक्जिक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा.लिमिटेड

(ख) बैंक की सहायक संस्था - महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक

(ग) महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मी -

e) The interest income is allocated on the basis of actual interest received from wholesale banking operations. The total interest received less interest of wholesale banking is taken to retail banking operations

f) Expenses not directly attributable are allocated on the basis of Interest income earned by the wholesale banking / retail banking segment. Expenses of treasury operations are as per the details available from treasury operations

g) Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the respective segment.

**Part B: Geographical Segment**

Since the operations of the Bank are within India only, Geographical Segment is not applicable.

**6) Accounting Standard 18 – Related party disclosures**

The details in this regard are asunder:

Name of the Related Parties and their relationship:

(a) Subsidiary of the Bank –The Maharashtra Executor & Trustee Co. Pvt. Limited

(b) Associate of the Bank – Maharashtra Gramin Bank

(c) Key Management Personnel-

(राशि ₹ करोड़ में) (**Amount in ₹ crore**)

| क्र. S. N. | नाम Name | पदनाम Designation | पारिश्रमिक Remuneration | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2022-23 | 2021-22 |
| 1 | श्री ए. एस. राजीव Shri A S Rajeev | प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (दिनांक 01.12.2018 से आज तक) MD & CEO ( from 01.12.2018 to till date) | 0.48 | 0.34 |
| 2 | श्री हेमन्त कुमार टम्टा Shri Hemant Kumar Tamta | कार्यपालक निदेशक (दिनांक 30.12.2021 तक) Executive Director (till 30.12.2021) | - | 0.22 |
| 3 | श्री ए. बी. विजयकुमार Shri A. B. Vijayakumar | कार्यपालक निदेशक (दिनांक 10.03.2021 से आज तक) Executive Director (from 10.03.2021 to till date) | 0.37 | 0.36 |
| 4 | श्री आशीष पाण्डेय Shri Asheesh Pandey | कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.12.2021 से आज तक) Executive Director (from 31.12.2021 to till date) | 0.32 | 0.07 |
| 5 | श्री वी. पी. श्रीवास्तव Shri V P Srivastava | मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (दिनांक 03.05.2021 से) Chief Financial Officer (CFO) from 03.05.2021) | 0.32 | 0.24 |
| 6 | श्री प्रशांत आर. खटावकर Shri Prashant R. Khatawkar | मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (दिनांक 02.05.2021 तक) Chief Financial Officer (CFO) (till 02.05.2021) | - | 0.02 |
| | | **कुल Total** | **1.49** | **1.25** |

नोट: सीएफओ का मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रूप में प्रकटीकरण, भा.रि.बैं. द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु अपनी जोखिम आकलन रिपोर्ट में दी गई सलाह के अनुसार किया गया है।

Note: The disclosure of CFO as key management personnel has been made as advised by RBI in its risk assessment report for the year 2018-19.

**संबंधित पक्षों से संव्यवहार**

संबंधित पक्षों के संदर्भ में प्रकटीकरण आवश्यक नही है, जो लेखा मानक ( एएस 18) के परिच्छेद 9 के अनुसार ''राज्य नियंत्रित उद्यम'' हैं। साथ ही एएस 18 के परिच्छेद 5 के अनुसार बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति में संव्यवहार प्रकट नही किए गए हैं, जिनमें मुख्य प्रबंधन कार्मिक और मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के संबंधी शामिल हैं।

**Transactions with Related parties:**

No disclosure is required in respect of related parties, which are "State Controlled Enterprises" as per paragraph no 9 of Accounting Standard (AS 18). Further in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

**7) लेखा मानक 19 - पट्टा**

**वित्तीय पट्टा :** पट्टा जिसके तहत बैंक स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक मानता है, उन्हें वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया है। ऐसी उपचित आस्तियों को, आस्ति की उचित दर पर या पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य (उचित ऋण परिशोधन के बाद), जो भी कम हो, पर पूँजीकृत किया जाता है।

**परिचालन पट्टा :** वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के पास कोई रद्द करने योग्य परिचालन लीज नही है। अत: एएस 19 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है। पट्टे की अवधि के बाद लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रेट लाइन आधार पर परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान व्यय के रूप में मान्य है। वर्ष 2022-23 के लिए परिचालन

**7) Accounting Standard 19 - Leases**

**Finance Leases:** Lease under which the Bank assumes substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Such assets acquired are capitalized at fair value of the asset or present value of the lease payments (after due amortization), whichever is lower.

**Operating Leases:** Bank has no non-cancellable Operating Leases during Financial Year. Hence additional disclosure under AS-19 is not applicable. The Lease payments under operating leases are recognized as an expense on straight

पट्टों के लिए लाभ और हानि खाते में पट्टा भुगतान की राशि रू.184.68 करोड़ (पिछले वर्ष रू.171.47 करोड़) है।

**8) लेखा मानक 20 - प्रति शेयर आय**

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| मूल प्रति शेयर आय | 3.87 | 1.73 |
| डायलुटेड प्रति शेयर आय | 3.87 | 1.73 |
| मूल/डायलुटेड प्रति शेयर आय की गणना | | |
| क कर के पश्चात निवल लाभ (करोड़ में) | 2605.00 | 1153.43 |
| ख) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में) | 673.05 | 668.06 |
| ग) प्रति शेयर मूल/डायलुटेड आय (ख) द्वारा विभाजित (क) | ₹ 3.87 | ₹ 1.73 |
| घ) प्रति शेयर नाममात्र मूल्य | ₹ 10.00 | ₹ 10.00 |

9) **लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण :** सहायक इकाई अर्थात महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और अनुषंगी अर्थात महाराष्ट्र एक्सक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड के वित्तीय परिणामों का मूल बैंक के साथ क्रमशः लेखा मानक 23 तथा लेखा मानक 21 के अनुपालन में समेकन किया गया है।

**10) लेखा मानक 22 - आय पर करों का लेखांकन :**

बैंक द्वारा की गई गहन पुनरीक्षा और भविष्य की करयोग्य आय, जिसके समक्ष संचयी हानि के लिए प्रावधान के कारण समय अंतराल उत्पन्न होते हैं, की उपलब्धता की उचित निश्चितता के आधार पर खराब व संदेहास्पद ऋणों (एनपीए), कर्मचारी लाभों इत्यादि को वसूला जा सकता है और तदनुसार दौरान बैंक ने एएस-22 के अनुपालन में आय पर करों की गणना की गई है. तदनुसार, आस्थगित कर आस्तियों और आस्थगित कर दायित्वों के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं :

(**राशि ₹ करोड़ में**)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| **आस्थगित कर आस्तियां** | | |
| 1) संचित हानि के कारण | शून्य | 432.68 |
| 2) कर्मचारी अनुलाभ हेतु प्रावधान की रकम के कारण | 23.68 | 106.02 |
| 3) अन्य प्रावधान - जहां डीटीए बनाया गया है | 1250.38 | 1577.89 |
| **उप-कुल (क)** | **1274.06** | **2116.59** |
| **आस्थगित कर देयता** | | |
| 1) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों के कारण | 12.90 | 12.42 |
| **उप-कुल (ख)** | **12.90** | **12.42** |
| **निवल आस्थगित कर आस्तियां (क-ख)** | **1261.16** | **2104.17** |

जैसा कि बैंक ने निर्धारण वर्ष 2021-22 से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत अनुमत कम कर दर के विकल्प का चयन किया है, आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

**11) लेखा मानक -24- परिचालन बंद करना:** वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि/ संचालन को बंद नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप देयताओं का निर्वहन और आस्तियों की वसूली हुई है, किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए कोई अंतिम निर्णय नही लिया गया है, जिसका उपरोक्त प्रभाव होगा।

line basis in Profit and Loss over the lease term. Amount of lease payments recognized in the Profit and Loss Account for operating leases amount to Rs.184.68 crore for the year 2022-23 (Previous year Rs. 171.47 crore).

**8) Accounting Standard 20- Earnings per Share**

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Basic E.P.S. | 3.87 | 1.73 |
| Diluted E.P.S. | 3.87 | 1.73 |
| **Calculation of Basic /Diluted EPS.** | | |
| a) Net Profit after Tax (in Crore) | 2605.00 | 1153.43 |
| b) Weighted Average number of Equity Shares (in Crore) | 673.05 | 668.06 |
| c) Basic/ Diluted Earnings per share [(a) divided by (b)] | ₹ 3.87 | ₹ 1.73 |
| d) Nominal Value per Share | ₹ 10.00 | ₹ 10.00 |

**9) Accounting Standard 21 – Consolidated Financial Statements:** The financial results of the Associate viz. Maharashtra Gramin Bank and subsidiary viz. Maharashtra Executor & Trustee Company Private Limited have been consolidated with the parent bank in compliance with Accounting Standard 23 and Accounting Standard 21 respectively.

**10) Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income:** Based on the review by the bank and on reasonable certainty of availability of future taxable income against which timing differences arising on account of provision for accumulated losses, Bad & Doubtful Debts (NPA), employee benefits etc. can be realized, the bank has accounted for taxes on income in compliance with AS 22. Accordingly, Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

(**Amount in ₹ crore**)

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| **Deferred Tax Assets** | | |
| 1) On account of Accumulated Losses | NIL | 432.68 |
| 2) On account of provisions for Employees benefits | 23.68 | 106.02 |
| 3) Other Provisions where DTA is created | 1250.38 | 1577.89 |
| **Sub-Total (A)** | **1274.06** | **2116.59** |
| **Deferred Tax Liability** | | |
| 1) On account of Special Reserve u/s 36(1) (viii) | 12.90 | 12.42 |
| **Sub-Total (B)** | **12.90** | **12.42** |
| **Net Deferred Tax Asset (A-B)** | **1261.16** | **2104.17** |

As the bank has opted for lower tax rate permitted under section 115 BAA of the Income Tax Act 1961 from AY 2021-22, the provisions of section 115JB of the Income Tax Act are not applicable to the bank.

**11) Accounting Standard -24- Discontinuing Operations:** The Bank, during the financial year 2022-23, has not discontinued any of its business activities/ operations which resulted in discharging of liabilities and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue a business activity in its entirety which will have the above effects.

12) **लेखा मानक 26 - अमूर्त आस्तियों का लेखांकन**

**कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - आंतरिक रूप से निर्मित के अतिरिक्त :**

| | | |
|---|---|---|
| उपयोगी अवधि | - | 3 वर्ष |
| परिशोधन दर | - | 33.33% |
| परिशोधन पद्धति | - | लागत पर सीधी रेखा पद्धति |

(**राशि ₹ करोड़ में**)

| विवरण | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| वर्ष के आरंभ में सॉफ्टवेयर | 27.62 | 33.24 |
| वर्ष के दौरान लिए गये सॉफ्टवेयर | 125.97 | 11.01 |
| वर्ष के दौरान परिशोधन | 43.04 | 16.63 |
| वर्ष की समाप्ति पर आगे ले जाई गई निवल राशि | 110.55 | 27.62 |

13) **लेखा मानक 28-आस्तियों का ह्रास :**

वर्ष के अंत में हानि के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाएँ या परिस्थितियों में परिवर्तन यह इंगित करता हैं कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। किसी आस्ति को धारित करने या उपयोग करने की वसूली योग्यता का मापन आस्ति द्वारा विर्मित किए जाने वाले भविष्य के निवल भांजित नकदी प्रवाह के लिए किसी आस्ति की वहन राशि के लिए तुलना द्वारा किया जाता है। यदि ऐसी आस्ति को खराब माना जाता है, तो इस हानि को उस राशि द्वारा मापा व अभिनिर्धारित किया जाना है जिसके द्वारा आस्ति का वहन मूल्य आस्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। हालांकि, बैंक के प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान आस्तियों में भौतिक हानि का कोई संकेत नहीं है, जिसमें लेखा मानक 28 ''आस्तियों का ह्रास'' लागू होता है।

14) **लेखा मानक - 29 : बैंक के प्रति प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां दावे, जिन्हें वर्ष के अंत में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।**

(**राशि ₹ करोड़ में**)

| श्रेणी | 2022 – 23 | 2021 – 22 |
|---|---|---|
| बकाया शेष | 1375.62 | 1375.41 |
| धारित प्रावधान | 2.66 | 2.05 |

कुल आकस्मिक देनदारियों (अनुसूची 12 के अनुसार) में रु.1157.12 करोड़ (पिछले वर्ष रू.898.43 करोड़) की अवधि समाप्त गारंटी राशि शामिल है, जिसे लंबित औपचारिकताओं के कारण रद्द नहीं किया गया है।

15) बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 24 अप्रैल, 2023 की निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 13% की दर से अर्थात रू.1.30 प्रति इक्विटी शेयर (प्रति शेयर रु.10 का अंकित मूल्य) लाभांश की सिफारिश की है, जो शेयरधारकों के आवश्यक अनुमोदन के अधीन है।

16) पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुन: समूहबद्ध /पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

*********

12) **Accounting Standard 26—Accounting for Intangible Assets:**

**Computer Software – other than internally generated:**

| | | |
|---|---|---|
| Useful life | - | 3 years. |
| Amortization Rate | - | 33.33 % |
| Amortization Method | - | Straight line at cost |

(**Amount in ₹ crore**)

| Particulars | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Software at the beginning of the year | 27.62 | 33.24 |
| Software acquired during the year | 125.97 | 11.01 |
| Amortization during the year | 43.04 | 16.63 |
| Net carrying amount at the end of the year | 110.55 | 27.62 |

13) **Accounting Standard 28- Impairment of Assets:** Assets are reviewed for impairment at the end of the year whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of an asset to be held and used is measured by a comparison for the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such an asset is considered to be impaired, the impairment to be recognized and is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the recoverable amount of the asset. However, in the opinion of the Bank's Management, there is no indication of material impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.

14) **Accounting Standard 29- Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets Claim against the bank not acknowledged as debt on year end**

(**Amount in ₹ crore**)

| Category | 2022 – 23 | 2021 – 22 |
|---|---|---|
| Balance Outstanding | 1375.62 | 1375.41 |
| Provision Held | 2.66 | 2.05 |

Total Contingent liabilities (as per Schedule 12) include expired Guarantees amount Rs.1157.12 crore (P.Y. Rs. 898.43 crore), which has not been cancelled because of pending completion formalities.

15) The Board of the Bank has proposed dividend @ 13% i.e. of Rs. 1.30 per equity share (Face Value of Rs. 10/- per share) for the Financial Year 2022-23 in Board Meeting dated April, 24 2023 subject to requisite approval from Shareholders.

16) Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever considered necessary to make them comparable with current year's figure.

*********

## 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
## STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2023

(₹ हजार में) (₹ in Thousand)

| विवरण Particulars | | 31.03.2023 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2023 | | 31.03.2022 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:** | | | | | |
| **A. Cash Flow From Operating Activities:** | | | | | |
| **आय Income** | | | | | |
| वर्ष के दौरान अग्रिम, निवेश इत्यादि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc. | | 15898 ,59 ,54 | | 13594 ,30 ,87 | |
| एसोसिएट्स में आय/हानि का हिस्सा Share of earnings/ loss in Associates | | 2 ,20 ,81 | | 1 ,79 ,24 | |
| अन्य आय Other Income | | 2280 ,93 ,50 | 18181 ,73 ,85 | 2652 ,85 ,90 | 16248 ,96 ,01 |
| **घटाएं:व्यय व प्रावधान Less: Expenditure & Provisions** | | | | | |
| वर्ष के दौरान जमा व उधारी पर भुगतान किया ब्याज Interest Paid during the year on Deposits and Borrowings | | 8156 ,78 ,78 | | 6973 ,96 ,05 | |
| परिचालन व्यय Operating Expenses | | 3922 ,46 ,35 | | 3850 ,03 ,39 | |
| प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies | | 3497 ,48 ,47 | 15576 ,73 ,60 | 4271 ,53 ,64 | 15095 ,53 ,08 |
| **व्यय से आय अधिक होने के कारण नकदी में निवल वृद्धि Net Increase in Cash due to Increase of Income over Expenses** | | | **2605 ,00 ,25** | | **1153 ,42 ,93** |
| **जोड़ें : गैर नकदी मदें एवं अलग विचारित मदें Add : Non Cash Items & Items Considered Separately** | | | | | |
| प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies | | 3497 ,48 ,47 | | 4271 ,53 ,64 | |
| अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on Fixed Assets | | 262 ,48 ,88 | | 268 ,34 ,13 | |
| अचल संपत्ति के विक्रय पर लाभ/हानि Profit/Loss on sale of Fixed Assets | | -1 ,96 ,52 | | -1 ,04 ,31 | |
| एसोसिएट्स में आय/हानि का हिस्सा Share of Earnings/Loss in associates | | -2 ,20 ,81 | | -1 ,79 ,24 | |
| बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआईपर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI | | 373 ,54 ,36 | 4129 ,34 ,38 | 315 ,61 ,78 | 4852 ,66 ,00 |
| | | | 6734 ,34 ,63 | | 6006 ,08 ,93 |
| **घटाएं: प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल) Less: Direct Taxes Paid (Net)** | | | - | | 325 ,00 ,00 |
| **परिचालन से अर्जित नकद लाभ Cash Profit Generated From Operations** | **(I)** | | **6734 ,34 ,63** | | **5681 ,08 ,93** |
| **परिचालनगत देयताओं की वृद्धि/(कमी) : Increase / (Decrease) of Operating Liabilities:** | | | | | |
| जमाराशियां Deposits | | 31788 ,84 ,94 | | 28285 ,95 ,75 | |
| बांड उधारियों के अलावा अन्य उधारियां Borrowings other than Bond Borrowings | | 2080 ,91 ,58 | | 3217 ,99 ,07 | |
| अन्य देयताएं व प्रावधान Other Liabilities & Provision | | -3528 ,34 ,09 | | -4207 ,23 ,99 | |
| **परिचालनगत देयताओं में कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Liabilities** | | **30341 ,42 ,43** | | **27296 ,70 ,83** | |
| **घटाएं:परिचालन आस्तियों की वृद्धि/(कमी) Less: Increase / (Decrease) of Operating Assets** | | | | | |
| निवेश Investments | | 280 ,46 ,87 | | 480 ,11 ,94 | |
| अग्रिम Advances | | 40050 ,23 ,23 | | 28765 ,27 ,21 | |
| अन्य आस्तियां Other Assets | | -1815 ,00 ,90 | | -3163 ,93 ,22 | |
| **कुल परिचालन आस्तियों की कुल वृद्धि Total of Increase of Operating Assets** | | **38515 ,69 ,20** | | **26081 ,45 ,93** | |
| **परिचालनगत आस्तियों पर परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि Net Increase Of Operating Liabilities Over Operating Assets** | **(II)** | | **-8174 ,26 ,77** | | **1215 ,24 ,90** |
| **परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow From Operating Activities** | **(क (A) = I+II)** | | **-1439 ,92 ,14** | | **6896 ,33 ,83** |
| **ख निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | | | |
| **B. Cash Flow From Investing Activities** | | | | | |
| अचल संपत्तियों का विक्रय Sale of Fixed Assets | | 147 ,16 ,41 | | 7 ,07 ,92 | |
| अचल संपत्तियों का क्रय Purchase of Fixed Assets | | -324 ,44 ,85 | | -309 ,05 ,17 | |
| एसोसिएट्स में आय/हानि का हिस्सा Investment made in Associates | | 2 ,20 ,81 | | 1 ,79 ,24 | |
| **निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह Net Cash Flow From Investing Activities** | **(ख) (B)** | | **-175 ,07 ,63** | | **-300 ,18 ,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ग वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह** | | | | | |
| **C. Cash Flow From Financing Activities:** | | | | | |
| i) बांडों को जारी /(मोचन) करना<br>Issue/ (Redemption) of Bonds | | | 938 ,00 ,00 | | 290 ,00 ,00 |
| ii) विगत वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदत्त लाभांश<br>Dividend Paid in FY 2022-23 pertains to previous year | | | -336 ,52 ,48 | | |
| iii) लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax | | | , , | | , , |
| iv) बांड, पीसीपीएस व आईपीडीआई पर ब्याज<br>Interest on Bonds, PCPS and IPDI | | | -373 ,54 ,36 | | -315 ,61 ,78 |
| v) ईक्विटी शेयरों को जारी करना / शेयर आवेदन राशि<br>Issue of Equity Shares / Share Apllication Money | | | | | 403 ,69 ,99 |
| **वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)**<br>**Cash Flow From Financing Activities (C)** | | | **227 ,93 ,16** | | **378 ,08 ,21** |
| **वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह**<br>**Total Cash Flow During The Year** | **(क+ख+ग)**<br>**(A+B+C)** | | **-1387 ,06 ,61** | | **6974 ,23 ,66** |

नोट : जहां आवश्यक हुआ पिछले वर्ष के आकड़ों को पुनर्समूहित और पुन:वर्गीकृत किया गया है।
Note : Previous year figures have been regrouped and reclassified whenever necessary.

(₹ हजार में)
(₹ in Thousand)

| **ब्योरे Particulars** | **31.03.2023 को समाप्त वर्ष<br>Year Ended 31-03-2023** | **31.03.2022 को समाप्त वर्ष<br>Year Ended 31-03-2022** |
|---|---|---|
| द्वारा प्रतिनिधित्व- Represented By- | | |
| **वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी के समतुल्य**<br>**Cash and Cash equivalents at the beginning of the year** | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष<br>Cash & Balance with RBI | **19721 ,92 ,92** | 12882 ,48 ,44 |
| बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन<br>Balances with Banks & Money at Call & Short notice | **194 ,08 ,74** | 59 ,29 ,56 |
| | **19916 ,01 ,66** | **12941 ,78 ,00** |
| **वर्ष के अंत में नकदी व नकदी के समकक्ष**<br>**Cash and Cash equivalents at the end of the year** | | |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व अधिशेष<br>Cash & Balances with RBI | **18507 ,72 ,24** | 19721 ,92 ,92 |
| बैंकों के पास शेष और मांग व अल्प नोटिस पर प्राप्य धन<br>Balance with banks & money at call & Short notice | **21 ,22 ,81** | 194 ,08 ,74 |
| | **18528 ,95 ,05** | **19916 ,01 ,66** |
| **वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह Total Cash Flow During The Year** | **-1387 ,06 ,61** | **6974 ,23 ,66** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **एस. बलजीत सिंह**<br>निदेशक<br>**S. BALJIT SINGH**<br>Director | **शशांक श्रीवास्तव**<br>निदेशक<br>**SHASHANK SHRIVASTAVA**<br>Director | **राकेश कुमार**<br>निदेशक<br>**RAKESH KUMAR**<br>Director | **मनोज के. वर्मा**<br>निदेशक<br>**MANOJ K. VERMA**<br>Director | **प्रशांत कुमार गोयल**<br>निदेशक<br>**PARSHANT KUMAR GOYAL**<br>Director |
| **आशीष पाण्डेय**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**ASHEESH PANDEY**<br>Executive Director | | **ए. बी. विजयकुमार**<br>कार्यपालक निदेशक<br>**A. B. VIJAYAKUMAR**<br>Executive Director | | **ए. एस. राजीव**<br>प्रबंध निदेशक एवं सीईओ<br>**A.S. RAJEEV**<br>Managing Director & CEO |
| **केयुर तलाटी**<br>मुख्य प्रबंधक, वि. प्र. व लेखा<br>**KEYUR TALATI**<br>Chief Manager, FM&A | | **मुदित अग्रवाल**<br>सहायक महाप्रबंधक, वि. प्र. व लेखा<br>**MUDIT AGARWAL**<br>Asst. General Manager, FM&A | | **वी. पी. श्रीवास्तव**<br>महाप्रबंधक व सीएफओ<br>**V. P. SRIVASTAVA**<br>General Manager & CFO |

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **कृते मै. रोडी डबीर एंड कंपनी**<br>एफआरएन : 108846W<br>सनदी लेखाकार<br>**For M/s. Rodi Dabir & Co.**<br>FRN – 108846W<br>Chartered Accountants | **कृते मै. एस भंडारी एंड कंपनी एलएलपी**<br>एफआरएन : 000560C/C400334<br>सनदी लेखाकार<br>**M/s. S Bhandari & Co LLP**<br>FRN – 000560C/C400334<br>Chartered Accountants | **कृते मै. कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**<br>एफआरएन : 105215W/W100057<br>सनदी लेखाकार<br>**For M/s. Kirtane & Pandit LLP**<br>FRN – 105215W/W100057<br>Chartered Accountants | **कृते मै. सुंदरम एंड श्रीनिवासन**<br>एफआरएन : 004207S<br>सनदी लेखाकार<br>**For M/s. Sundaram & Srinivasan**<br>FRN – 004207S<br>Chartered Accountants |
| **सीए सुधीर डबीर**<br>भागीदार<br>सदस्यता क्र.: 039984<br>यूडीआईएन - 23039984BGZBUI9128<br>**CA Sudhir Dabir**<br>Partner<br>Membership No: 039984<br>UDIN - 23039984BGZBUI9128 | **सीए पी. डी. बैद**<br>भागीदार<br>सदस्यता क्र.: 072625<br>यूडीआईएन - 23072625BGXCSZ8543<br>**CA P D Baid**<br>Partner<br>Membership No: 072625<br>UDIN - 23072625BGXCSZ8543 | **सीए संदीप वेलिंग**<br>भागीदार<br>सदस्यता क्र.: 044576<br>यूडीआईएन -23044576BGXPRK4877<br>**CA Sandeep Welling**<br>Partner<br>Membership No: 044576<br>UDIN - 23044576BGXPRK4877 | **सीए पी मीनाक्षी सुंदरम**<br>भागीदार<br>सदस्यता क्र.: 217914<br>यूडीआईएन - 23217914BGWPBW4334<br>**CA P Menakshi Sundaram**<br>Partner<br>Membership No: 217914<br>UDIN - 23217914BGWPBW4334 |

स्थान : पुणे
दिनांक : 24 अप्रैल, 2023

Place : Pune
Date : 24th April, 2023

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

| | |
|---|---|
| **मैसर्स रोडी डबीर एंड कंपनी**<br>सनदी लेखाकार<br>282, कपीश हाउस, माता मंदिर रोड<br>खरे टाउन, धरमपेठ, नागपुर - 440010 | **मैसर्स एस. भंडारी एंड कंपनी एलएलपी**<br>सनदी लेखाकार<br>पी-7, तिलक मार्ग, सी-स्कीम<br>जयपुर - 302005 |
| **मैसर्स कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**<br>सनदी लेखाकार<br>पांचवी मंजिल, विंग ए, गोपाल हाउस<br>कोथरूड, पुणे - 411 038 | **मैसर्स सुंदरम एंड श्रीनिवासन**<br>सनदी लेखाकार<br>23, सीपी रामास्वामी रोड, अलवरपेट<br>चेन्नै - 600 018 |

प्रति,

**भारत के राष्ट्रपति एवं ''बैंक ऑफ महाराष्ट्र'' के सदस्यगण**

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

**अभिमत**

1. हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) के समेकित वित्तीय विवरणों लेखा परीक्षा की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 का समेकित तुलन पत्र और उसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण एवं समेकित लाभ और हानि विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियां शामिल हैं, इसमें निम्नलिखित शामिल है -

    1. बैंक के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण
    2. एक अनुषंगी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण
    3. एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सहयोगी) के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी

    बैंक अपनी अनुषंगी के साथ 'समूह' के रूप में संदर्भित है।

    हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, उक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (''अधिनियम''), भारतीय रिज़र्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और स्पष्ट दृष्टिकोण देता है तथा:

    क. समेकित तुलन पत्र के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2023 को बैंक की स्थिति के विषय में उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है;

    ख. समेकित लाभ व हानि खातों के मामले में, उसके ऊपर की टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का वास्तविक शेष प्रदर्शित करता है और

    ग. नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उचित और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है।

**अभिमत का आधार**

2. हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा (एसए) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा संपन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों का वर्णन अपनी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों के अनुरूप किया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से साथ ही भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं स्वतंत्र हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

| | |
|---|---|
| **M/s. Rodi Dabir & Co.**<br>Chartered Accountants,<br>282, Kapish House, Mata Mandir Road, Khare Town, Dharampeth, Nagpur-440010 | **M/s. S Bhandari & Co LLP**<br>Chartered Accountants,<br>P-7, Tilak Marg,<br>C-Scheme,<br>Jaipur - 302 005 |
| **M/s. Kirtane & Pandit LLP**<br>Chartered Accountants,<br>5th. Floor, Wing A, Gopal House, Kothrud, Pune- 411 038 | **M/s. Sundaram & Srinivasan**<br>Chartered Accountants,<br>23, CP Ramaswamy Road,<br>Alwarpet, Chennai-600 018 |

To,

**The President of India and Members of**
**"BANK OF MAHARASHTRA"**

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

**Opinion**

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of Bank of Maharashtra (the "Bank") which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31st March, 2023, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Consolidated Financial Statements including summary of Significant Accounting Policies and other explanatory information, in which following are incorporated –

    a. Audited Standalone Financial Statements of the Bank;

    b. Audited Financial Statements of one Subsidiary,

    c. Audited financial statements / financial information of 1 Regional Rural Bank (Associate),

    The Bank together with its Subsidiary are referred to as the "Group".

    In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on consideration of the reports of other auditors on separate financial statements of subsidiary and associate, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 (the 'Act') in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and:

    a. in case of Consolidated Balance Sheet, read with the notes thereon, gives true and fair view of the state of affairs of the Group as at 31st March, 2023;

    b. the Consolidated Profit and Loss Account, read with the notes thereon, shows a true balance of profit for the year ended 31st March, 2023 and

    c. the Consolidated Cash Flow Statement, gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March, 2023.

**Basis for Opinion**

2. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated financial statements prepared in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and provisions of

और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

**मामले का ज़ोर**

3. हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 में नोट संख्या 4 (एच) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जहां बैंक ने 31 मार्च 2023 तक आकस्मिक प्रावधान के रूप में रु.1200 करोड़ के कोविड-19 संबंधित प्रावधान को जारी रखा है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

**प्रमुख लेखापरीक्षा मामले**

4. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सम्प्रेषण हेतु बैंक के मुख्य लेखा परीक्षा मामलों के रूप में नीचे वर्णित मामलों को निर्धारित किया है:

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| 1. | **अग्रिमों का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अन्य प्रासंगिक अनुपालन:**<br><br>(समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 5 का संदर्भ लें।)<br><br>31 मार्च 2023 को बैंक के पोर्टफोलियो में रु.171220.67 करोड़ का निवल अग्रिम शामिल है, जिसमें थोक और रिटेल बैंकिंग सम्मिलित है। आईआरएसी मानदंडों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य परिपत्रों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसरण में बैंक ने अग्रिमों को वर्गीकृत किया है तथा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित प्रावधान किए हैं।<br><br>अग्रिमों से आय, कुल आय का 63.17% है। गैर-निष्पादन आस्तियों के संबंध में प्रावधान रु.2253.10 करोड़ है, जो कुल व्यय का 14.46% है।<br><br>आईआरएसी मानदंडों का समुचित रूप से पालन नहीं किए जाने पर इन अग्रिमों (प्रावधानों का निवल) का वहन मूल्य व्यक्तिगत या समेकित रूप में गलत हो सकता है। | हमने सिस्टम, एप्लिकेशन, अनुमोदन के ऊपर प्रक्रिया, रिकॉर्डिंग, निगरानी और ऋणों, बकायों तथा दबावग्रस्त खातों की वसूली, एनपीए की पहचान, प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समझ तथा बैंक के समग्र संगठनात्मक आईटी ढांचे एवं विभिन्न आंतरिक परिपत्रों और रिपोर्टों के माध्यम से उसके संप्रेषण पर आधारित विशेषज्ञों की मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच सहित एनपीए के लिए प्रावधान के महत्वपूर्ण नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा डिजाइन की जांच कर ली है।<br><br>हमने बैंक की नीतियों व प्रक्रियाओं तथा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुपालन में अग्रिमों की मंजूरी, निगरानी की प्रक्रिया तथा अग्रिमों पर नियंत्रण हेतु सिस्टम ओवरराइड या बाइपास के लिए खातों, पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क यथा आंतरिक लेखा परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा और प्रणाली लेखा परीक्षा के साथ-साथ ऐसे फ्रेमवर्क की आंतरिक जांच और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। |

section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI") from time to time and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

**Emphasis of Matter**

3. We draw attention to Note No. 4(h) in Schedule 18 of the Standalone Financial Statements where Bank continues to hold COVID-19 related provision of Rs. 1200 Crore as contingency provision as on 31st March 2023.

Our Opinion is not modified in respect of this matter.

**Key Audit Matters**

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended March 31, 2023. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters prescribed below to be the key audit matters to be communicated in our report.

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| 1. | **Classification of Advances, Provisioning and other relevant compliance of RBI Guidelines:**<br><br>(Refer Note No. 5 of Schedule 17 of Significant Accounting Policy to the Consolidated Financial Statements)<br><br>The Group's portfolio comprises of Net Advances of 171220.67 Crores as at March 31, 2023 comprising of wholesale and retail banking. As required by IRAC Norms, guidelines issued by RBI and other circulars, notification and directives issued by RBI, the Bank has classified Advances and has made appropriate provisions in accordance with such guidelines.<br><br>Income from Advances constitutes 63.17% of Total Income. The provision in respect of Non-Performing Asset is Rs. 2253.10 Crores which constitutes 14.46% of the total expenditure.<br><br>The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate the IRAC Norms, are not properly followed. | We have tested the design and operating effectiveness of the Key controls of the system, application, process over approval, recording, monitoring, and recovery of loans, overdue and stressed accounts, identification of NPA, Provision for NPA including verification of valuation reports of experts for primary and collateral securities based on the understanding of the prudential guidelines and overall organisational IT framework of the Bank and its communication through various circulars and reports.<br><br>We have evaluated the Internal Controls over sanctioning, monitoring the process and account for system overrides or bypasses to controls of advances, supervisory framework such as Internal Audit, Credit Audit, Concurrent Audit, Systems Audit, as well as Internal Check, effectiveness of such framework as per the policies and procedures of the bank and in compliance with prudential guidelines. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| | बैंक को बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं, उत्पादों, उद्योगों को दिए गए ऋणों से ऋण जोखिम एक्सपोजर है और इसमें अत्यधिक जटिलताएं, अनिश्चितता, अग्रिमों की वसूली संबंधी निर्णय, प्रावधानों का अनुमान और बट्टे खाते डाले जाने वाले खातों की पहचान शामिल है। यदि बैंक द्वारा ऐसे विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो वर्ष हेतु लाभ और निवल अग्रिमों की स्थिति उचित ढंग से परिलक्षित नहीं होती। अतः हम इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा का मामला मानते हैं। | हमने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार आईआरएसी मानदंडों के लागू किए जाने का मूल्यांकन किया है तथा अर्जक आस्तियों के सैम्पल की व्यक्तिगत रूप से जांच की है ताकि उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, बैंक की ऋण नीति के अनुसार मंजूरियों के अनुमोदन तथा क्रेडिट मूल्यांकन व नियंत्रण के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है।<br><br>संभावित एनपीए की पहचान करने के लिए बैंक द्वारा निर्मित प्रारंभिक चेतावनी संकेत रिपोर्टों, अन्य असाधारण रिपोर्टों की जांच की गई और मूल्यांकन जोखिमों को दूर करने के लिए तथा जोखिम प्रबंधन एवं संबंधित नियंत्रणों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रेड फ्लैग वाले खातों सहित ऐसे खातों की निगरानी के लिए उठाए गए कदम उठाए गए।<br><br>हमने बैंक के बड़े विगोपनों पर ध्यान केंद्रित करने और आकलन करने के लिए तथा उभरते जोखिम के क्षेत्रों को कम करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट, समुचित सावधानी रिपोर्ट, सेवा करार, समनुदेशन विलेख, जेएलए और बाहरी क्रेडिट रेंग रिपोर्ट सहित संपार्श्विक दस्तावेजों की समीक्षा के माध्यम से कॉरपोरेट थोक (संघीय, पूल बायआउट और अन्य बड़े उधारकर्ताओं सहित) का विस्तृत सत्यापन करने का एक फ्रेमवर्क अपनाया है। हमने वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की है और आंतरिक और बाह्य मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों सहित अपने अनुसार मूल्यांकन किया है और बैंक की ऋण नीतियों, आईआरएसी मानदंडों और सरकारी नीतियों के अनुसार जोखिम मूल्यांकन और जोखिम ग्रेडिंग की सटीकता का परीक्षण किया है। |

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | The Bank has significant Credit Risk Exposure to a large number of borrowers across a wide range of borrowers, products, industries and there is a high degree of complexity, uncertainty, judgement involved in recoverability of Advances, estimation of provisions thereon and identification of accounts to be written off. If such prudential guidelines are not followed by the Bank the profit for the year and the net advances position will be materially mis-stated. Hence, we consider this as a Key Audit Matter. | We have tested samples of Performing Assets and assessed the application of IRAC Norms, as prescribed by RBI, individually to ensure compliance of the same. Also reviewed approval of sanctions against Bank's credit Policy and performance of Credit Assessments and controls.<br><br>Examined early warning signal reports, other exceptional reports generated by the Bank for the purpose of identifying potential NPA and steps taken for monitoring of such accounts including red flagged accounts to overcome assessed risks and ensure effective implementation of risk management and related controls.<br><br>We have adopted a framework of carrying out detailed verification of corporate wholesale (including Consortium, Pool Buyout and other large borrowers) by way of review of collateral documents including valuation reports, due diligence report, servicing Agreement, deed of assignment, JLA and External Credit rating reports to assess and focus on larger exposures of the Bank and mitigating the areas of emerging risk. We have discussed with the Senior Management and performed our own assessment including internal and external macroeconomic factors and testing the timelines and the accuracy of risk assessment and risk grading against the Bank's lending policies, IRAC Norms and in accordance with Government Policies. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| | | हमने आय निर्धारण, ऐसे ऋणों के प्रावधानीकरण सहित आईआरएसी मानदंडों की प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नमूना आधार पर बैंक के रिटेल अग्रिम पोर्टफोलियो का परीक्षण किया है। बैंक ने रिटेल ऋणों के लिए ऋण लाइफ साइकल प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है, जो प्रभावी रूप से बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो की निगरानी, नियंत्रण करता है तथा उसके प्रभावी कार्यान्वयन और कार्य-निष्पादन के लिए उसकी जांच की गई है। हमने अंतर्निहित स्रोत प्रणालियों से डेटा की पूर्णता और सटीकता का भी परीक्षण किया है, स्वचालित गणना की जांच की है और बैंक के ओवरसाइट पोर्टफोलियो का मूल्यांकन किया है।<br><br>हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित नियामक पैकेज के अनुसार उधारकर्ताओं को अधिस्थगन प्रदान करने के लिए बैंक की प्रक्रिया की समीक्षा की है। हमने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियामक पैकेज के अनुरूप सामान्य प्रावधानों की गणना के लिए उपयोग किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता का परीक्षण किया है। साथ ही हमने सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित अनुसूचियों के आधार पर प्रधान कार्यालय में पुनर्रचित खातों के आंकड़ों के संकलन पर भी भरोसा किया है।<br><br>हमने एनपीए से संबंधित प्रासंगिक आरबीआई आवश्यकताओं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम एवं आरबीआई परिपत्रों के अनुसार निर्मित लागू लेखा मानकों पर प्रकटीकरण की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है।<br><br>हमने अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के साथ विशिष्ट संप्रेषण कर उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर भी निर्भरता रखी है। |

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | | We have examined the Retail advances portfolio of the Bank on sampling basis to ensure effective monitoring and implementation of IRAC norms including income recognition, provisioning for such loans. The Bank has adopted Loan Life Cycle Management System for retail loans which effectively monitors, controls, the retail portfolio of the Bank and is tested for its effective implementation and performance. We have also tested the completeness and accuracy of the data from the underlying source systems, tested the automated calculation and evaluated the bank's oversight of the portfolio.<br><br>We have reviewed the Bank's process for granting moratorium and restructuring to borrowers as per the Regulatory Package announced by RBI. We tested the completeness and accuracy of data used for computing general provisions in line with regulatory package issued by RBI. Also, we have relied on the compilation of the data of the restructured accounts at Head office based on the schedules audited by the statutory branch auditors.<br><br>We have examined the adequacy and appropriateness of disclosures against the relevant RBI requirements relating to NPA and applicable Accounting Standards required to be made in accordance with Banking Regulation Act and RBI Circulars.<br><br>We have also placed reliance on the Audit reports of the other Statutory Branch Auditors, with whom we have made specific communications. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| 2 | **निवेश का मूल्यांकन और वर्गीकरण:**<br><br>(समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति की अनुसूची 17 के नोट क्रमांक 4 का संदर्भ लें।)<br><br>खरीद के समय निवेश को व्यापार हेतु धारित (एचएफटी), बिक्री हेतु उपलब्ध (एएफएस) और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। परिपक्वता तक धारित किए जाने वाले निवेशों को एचटीएम निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेशों का वर्गीकरण, मूल्यांकन और उसका प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों पर आधारित हैं।<br><br>भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश पोर्टफोलियो का अनुपालन अनिवार्य है तथा इसमें बैंक द्वारा अपनाए गए मॉडल और नीति पर आधारित बांड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के निर्णय को शामिल किया जाता है।<br><br>बैंक के वित्तीय परिणामों में अनर्जक मूल्यांकन का संपूर्णता में प्रभाव महत्वपूर्ण है।<br><br>बैंक के निवेश से आय में कुल आय का 23.47% शामिल है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जिसमें गैर-निष्पादित निवेश का मूल्यांकन और प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें हमने इस पहलू को मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में पहचाना है। | हमने बैंक के वर्गीकरण, मूल्यांकन प्रक्रिया, स्वतंत्र मूल्य सत्यापन की दिशा में प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है, जिसमें प्रमुख प्राधिकरण और डेटा इनपुट नियंत्रण सहित मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त अनुमानों और मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन शामिल हैं।<br><br>हमने प्रासंगिक निवेश शर्तों को समझने तथा वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक किसी भी स्थिति की पहचान करने के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान नमूना आधार पर निवेश करार/ प्रविष्ट टर्म शीट की जांच की है।<br><br>बैंक के निवेश पोर्टफोलियो के प्रति हमारा लेखा परीक्षा दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं और अनुपालन तथा मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान, निवेश के लिए प्रावधान एवं बैंक द्वारा अपनाई गई प्रासंगिक नीतियों व प्रक्रियाओं के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और संबद्ध प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है।<br><br>हमने प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए मूल्यांकन में सुधार करके भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और निर्देशों को अपनाने की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण किया है। प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर जोखिम भारित निवेशों के कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नमूने तकनीकों को अपनाया गया और बैंक के वित्तीय विवरणों में इसके वहन मूल्य के लिए परीक्षण किया गया।<br><br>हमने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों और मूल्यह्रास के स्वतंत्र जांच की विधि द्वारा बैंक के गैर निष्पादित निवेशों का सत्यापन किया है और ऐसे दिशानिर्देशों के अनुपालन की पुष्टि की है। हमारे द्वारा ब्याज/ मूलधन के रूपांतरण/ लागूकरण के परिणामस्वरूप निवेशों की एक अलग सूची प्राप्त की और जांच की गई कि क्या इन निवेशों को |

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| 2 | **Classification and Valuation of Investments:**<br><br>(Refer Note No. 4 of Schedule 17 of Significant Accounting policies to the Consolidated Financial Statements)<br><br>Investments are classified into Held for Trading (HFT), Available for Sale (AFS) and Held to Maturity (HTM) categories at the time of purchase. Investments intended to be held till maturity are classified as HTM Investments. Classification of Investments, valuation and provisioning thereof are based on RBI guidelines.<br><br>Compliance of Investment Portfolio as per guidelines issued by RBI is mandatory and involves management judgement in determining the value of bonds, debentures and other securities based on the policy and the model adopted by the Bank.<br><br>Impact of Impairment assessment is having overall significance to the financial results of the Bank.<br><br>Interest Income from Investment of the Bank comprises 23.47% of the total income. In view of these significant points including assessment of non performing Investments and provisions we have identified this aspect as a Key Audit Matter. | We have tested the design, implementation and operating effectiveness of management's key internal controls of the Bank towards classification, valuation process, independent price verification, including the Bank's review and approval of the estimates and assumptions used for the valuation including key authorisation and data input controls.<br><br>We have examined the investment agreement / term sheet entered into during the current year, on a sample basis, to understand the relevant investment terms and identify any conditions that were relevant to the valuation of financial instruments.<br><br>Our Audit approach towards Investment Portfolio of the bank is based on compliance and requirements of RBI circulars and directives in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments, Provision for Investments and relevant policies and procedures adopted by the Bank including effective implementation of Internal control system and related process.<br><br>We tested accuracy and completeness of adoption of RBI guidelines and directions by reperforming valuations for each category of the securities. Various sampling techniques were adopted to ensure coverage of risk weighted Investments based on the nature of security and were tested for its carrying value in the Financial Statements of the Bank.<br><br>We have verified the non performing investments of the bank by the method of independent verification of provisions and depreciation in accordance with RBI guidelines and confirmed the compliance of such guidelines. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| | | एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके लिए चुने गए नमूनों में बैंक की आय पर भौतिक प्रभाव को कवर करने के लिए निवेश की अधिकतम श्रेणियां शामिल हैं।<br><br>हमारे द्वारा नमूने आधार पर विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के निवेशों की जांच की गई और आय निर्धारण, विक्रय पर लाभ या हानि में विभिन्न विश्लेषणकारी पद्धतियों को लागू किया गया तथा लाभ व हानि में नामे/ जमा करने के जरिए बैंक द्वारा नियंत्रण रखा गया।<br><br>हमारे द्वारा परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) निवेशों का परीक्षण किया गया और परिपक्वता पर धारित (एचटीएम) के क्रय/ विक्रय के संव्यवहारों की जांच की तथा लाभ और हानि खाते से लाभ/ हानि की पहचान कर टीआईबीडी द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को लागू किया तत्पश्चात पूंजीगत आरक्षित खाते को विनियोजित किया गया।<br><br>हमने निवेश की प्रत्येक श्रेणी के मूल्यह्रास और हानि की पर्याप्तता और उपयुक्तता की जांच की है और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान को फिर से दोहराया है और यह सुनिश्चित किया है कि खातों पर टिप्पणियों में पर्याप्त प्रकटन किए गए हैं। |
| 3. | **सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली और नियंत्रण ढांचा :**<br><br>ऑटोमेशन व एप्लिकेशन के माध्यम से अधिक मात्रा में व्यवसाय परिचालन को सहयोग प्रदान करने के लिए बैंक के मुख्य व्यवसाय उद्देश्य का निर्धारण, मूल्यांकन, नियंत्रण, निगरानी, कार्यान्वयन कम्पलेक्स आईटी आर्किटेक्चर के माध्यम से किया जाता है, जोकि बैंकिंग व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा व्यवसाय लक्ष्य को प्राप्त करने में बैकबोन के समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। | सूचना प्रौद्योगिकी बैंक के विभिन्न एप्लिकेशन, जनरल, सॉफ्टवेयर नियंत्रणों के माध्यम से बैंक की परिचालन आवश्यकताओं का एक अभिन्न हिस्सा बनाती है और बैंक की जोखिम आधारित और व्यावसायिक केंद्रित आवश्यकताओं के मूल्यांकन में विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समझ की आवश्यकता होती है। |

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | | We have reviewed the application / conversion of interest / principal towards a separate List of Investments and checking whether these Investments are classified as NPI. The samples selected for the same covers the majority categories of Investments to cover the material impact on the income of the Bank.<br><br>We have verified Investment portfolio of AFS and HFT on sample basis and performed various substantive analytical procedures in determination of Income, gain / loss on sale and tracked the controls implemented by the Bank through credit / debit in the profit and loss account.<br><br>We have tested the portfolio of HTM and made detailed verification of transaction of purchase / sale of such HTM and controls implemented by the TIBD in recognizing the profit / loss to profit and loss account and subsequent appropriation to Capital Reserve Account.<br><br>We have examined the adequacy and appropriateness of depreciation and Impairment of each category of Investment and recomputed the provision to be maintained in accordance with the RBI Guidelines and ensured that adequate disclosures have been made in Notes to Accounts. |
| 3. | **Information Technology Systems and Control Framework:**<br><br>The Bank's key business objective is determined evaluated, controlled, monitored, implemented through complex IT architecture to support high volume of business operation by automation and application which are significant towards Banking business and plays a major role as a backbone in achieving the Business Objective. | Information Technology forms an integral part of operating requirements of the Bank by way of various applications, general, software controls and requires understanding of various systems and procedures in evaluating the Risk based and business centric requirements of the Bank. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| | आय की मान्यता के संबंध में बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रक्रिया, आईआरएसी मानदंडों के माध्यम से आस्तियों का वर्गीकरण तथा बैंक के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और विभिन्न एप्लिकेशन के माध्यम से वांछित आउटपुट प्रदान करने तथा अन्य आईटी सामान्य नियंत्रण आवश्यक व्यावसायिक आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए और गुणवत्ता प्रदर्शन वित्तीय और लेखा प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु हमारी सहायता करता है।<br><br>हमने विभिन्न उत्पादों और योजनाओं को लागू करने में विभिन्न अनुप्रयोग और नियंत्रण ढांचे की पहचान की है जो बैंक व्यवसाय के अधिकांश भाग को कवर करते हैं और इसलिए हम सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नियंत्रण को एक मुख्य लेखा परीक्षा के रूप में मानते हैं। | हमने उपयोगकर्ता प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, प्रणाली सुरक्षा, घटना प्रबंधन, भौतिक और पर्यावरण सुरक्षा, मानक संचालन प्रक्रिया, कार्य का पृथक्करण, बीसीपी, डीआरपी, सेवा स्तर समझौते, सुरक्षा नीतियों सहित विभिन्न आईटी नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी बैंक की व्यावसायिक आवश्यकताओं और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का अनुपालन की दिशा में है।<br><br>हमारे द्वारा विभिन्न तकनीकों को अपनाया गया जैसे कि जांच-पड़ताल; हमारे परीक्षण के लिए पर्याप्त नमूने लेकर विभिन्न एप्लिकेशन नियंत्रणों के दस्तावेज़ीकरण, अभिलेख, रिपोर्ट, अवलोकन और पुन: प्रदर्शन की समीक्षा। हमने निगेटिव जांच तकनीक के उपयोग से वैधता की जांच का परीक्षण भी किया गया।<br><br>हमारे द्वारा विभिन्न क्षतिपूर्ति नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और वैकल्पिक प्रक्रियाओं का निष्पादन किया गया जो आवश्यक थे और बैंक द्वारा कार्यान्वित सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग परिदृश्य की व्यापक समझ एकत्रित की। इसके बाद प्रयोग की मैपिंग को समझने और लोगों, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न वित्तीय जोखिम को समझने की प्रक्रिया का पालन किया गया।<br><br>हमारे द्वारा पासवर्ड नीतियों, सुरक्षा कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम इंटरफ़ेस जैसे एप्लीकेशन और डेटाबेस और उस व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के परिवर्तनों पर नियंत्रण का भी आकलन किया गया तथा यह नियंत्रण सुनिश्चित किया गया कि डेवलपर्स और प्रोडक्शन सपोर्ट के पास एप्लीकेशन को बदलने के लिए पहुंच नहीं है, कार्यों का समुचित पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन वातावरण में ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस, एसओपी के अनुसार बनाया गया है। |

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | The Bank's financial accounting process in respect of recognition of Income, classification of Assets through IRAC Norms and evaluating the performance of the Bank and producing the desired output through various application and other IT general controls to ensure the required business Output and helps us to arrive at the Audit conclusion to ensure quality performance Financial & Accounting Processes.<br><br>We have identified various application and control framework in implementing various products and schemes which covers majority of Bank's business and hence we consider Information Technology Systems and Control as a Key Audit Matter. | We have reviewed the various IT policies and procedures including user management, change management, system security, incident management, physical and environment security, standard operating procedures, Segregation of duty, BCP, DRP, service level agreements, security policies to ensure these are in line with business requirements of the Bank and to comply with government and RBI regulations.<br><br>We have adopted various techniques such as enquiry, review of documentation, record, reports, observation, and re performance of various application controls by taking adequate samples of instances for our test. We have also tested validation checks using negative testing technique.<br><br>We have tested various compensating controls and performed alternate procedures which were necessary and gathered a comprehensive understanding of IT applications landscape implemented by the Bank. It was followed by process understanding mapping of application to the same and understanding financial risk posed by people, process and technology.<br><br>We have also assessed areas including password policies, security configuration, system interface controls over changes to applications and databases and that business users and controls to ensure that developers and production support did not have access to change applications, the operating systems or databases in the production environment to ensure proper segregation of duties is in place as per the SOP. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| | | हमारे द्वारा नेटवर्क सुरक्षा प्रबंधन तंत्र पर साइबर सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं, प्रमुख सूचना अवसंरचना के परिचालन सुरक्षा, डेटा और क्लाइंट सूचना प्रबंधन, निगरानी और आपातकालीन प्रबंधन को हमारे द्वारा आयोजित कुछ डेटा ड्रिल के माध्यम से और आवश्यक परिणामों की तुलना करने के लिए परीक्षण किया है।<br><br>हमारे द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के कारण बैंक द्वारा शुरू की गई व्यापार निरंतरता योजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया गया और कोविड-19 की परिस्थितियों के अंतर्गत निरंतरता तथा वृद्धि सुनिश्चित की।<br><br>हमने प्रबंधन द्वारा अधिक समग्र, व्यापक तरीके से किए गए सुरक्षा नियंत्रण के कार्यान्वयन के जोखिम का परीक्षण किया है, ताकि सुनिश्चित हो कि सभी व्यावसायिक निर्णय बैंक के उद्देश्य पर अनिश्चितताओं के समग्र प्रभाव को देखते हुए उचित जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन पर आधारित हैं। |
| 4. | **प्रावधान और आकस्मिक देयताएं :**<br><br>अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है, के कतिपय अदालती मामलों में प्रावधानों और आकस्मिक देयताओं का मूल्यांकन (अनुसूची 17 की नोट क्र.11 और अनुसूची 18 की नोट क्र.14)<br><br>प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, अपने स्वयं के निर्णय, पिछले अनुभव और कानूनी व स्वतंत्र विशेषज्ञों से सलाह, जहां भी आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलनपत्र में प्रस्तुत किए गए मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। | हमने इस स्थिति के अनुकूल उचित लेखापरीक्षा कार्यविधियों का निर्धारण करने के लिए लेखापरीक्षा के संबद्ध आंतरिक नियंत्रणों को समझ लिया है।<br><br>मुकदमों/ कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना। विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त वर्तमान आदेशों और संप्रेषणों की जांच करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;<br><br>प्रस्तुत किए गए कारणों के संदर्भ में उपलब्ध विशेषज्ञों की राय सहित स्वतंत्र कानूनी/ कर सलाह के आधार पर विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन किया गया। चर्चा, विचाराधीन मामले से संबंधित विषय वस्तु का संग्रहण, संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह के माध्यम से बैंक के तर्क के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण करना। |

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | | We have tested certain critical aspects of cyber security on network security management mechanism, operational security of key information infrastructure, data and client information management, monitoring and emergency management. through certain data drill conducted by the Management and scrutinised by us and comparing the required results.<br><br>We have also assessed the requirement of the implementation of Business Continuity Plan initiated by the Bank due to impact of COVID -19 pandemic and ensured sustainability and growth under COVID -19 circumstances.<br><br>We have verified the testing report carried out by the Management on risk of implementation of security control in a more holistic, comprehensive way, ensuring that all business decisions are based on proper Risk assessment and management considering the overall effect of uncertainties on the Bank's Objective. |
| 4. | **Provisions and Contingent Liability:**<br><br>Assessment of Provisions and Contingent Liability in respect of certain litigations on various claims filed by other parties not acknowledged as debt (Note No. 11 of Schedule 17 and Note No. 14 of Schedule 18)<br><br>There is high level of judgement required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgement, past experience, and advice from legal and independent experts wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and state of affairs presented in Balance Sheet. | We have obtained an understanding of Internal Controls relevant to the audit in order to design our audit procedures that are appropriate in the circumstances.<br><br>Understanding the current status of the litigations / tax assessments. Examining recent orders and communications received from various tax authorities / judicial forums and follow up actions thereon;<br><br>Evaluated the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice including opinion of experts. Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues. |

| क्र. | प्रमुख लेखा परीक्षा मामले | हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया ने प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को कैसे संबोधित किया |
|---|---|---|
| | हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र का निर्धारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय को लागू करने की आवश्यकता होती है। | महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटनों को सत्यापित किया गया।<br><br>तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में विचाराधीन विषय के तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय/ कानून के विवेचन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। |

**समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी**

5. अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बेसल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पिलर III प्रकटीकरण के अलावा अन्य जानकारी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी और बेसल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पिलर III प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है, हम उस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में यह विचार किया गया कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी भौतिक रूप से असंगत हैं या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होते हैं।

यदि, हमारे कार्यनिष्पादन के आधार पर और अन्य जानकारी पढ़ने पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में भौतिक गलत बयानी है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट 'अभिशासन हेतु प्रभारित' करना आवश्यक है।

**समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन प्रभारित का उत्तरदायित्व**

6. बैंक का निदेशक मंडल, इन वित्तीय समेकित विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए जिम्मेदार है, जो समूह और इसकी सहयोगी कंपनी सहित इसकी समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकद प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है, जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानक 21 - 'समेकित वित्तीय विवरण' और लेखा मानक 23 - 'समेकित वित्तीय विवरण में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन' सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में हैं। समूह और इसके सहयोगी सहित संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख के रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की पहचान और रोकथाम, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने तथा ऐसे निर्णय और अनुमान तैयार करने जो व्यवहार्य और विवेकपूर्ण है, तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लागू करने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं जो लेखा अभिलेखों की सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालित थे जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित है जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और चाहे वह चूक या धोखाधड़ी से किसी भी भौतिक बयानी से मुक्त है जो उक्तानुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों में शामिल संबंधित कंपनियों का निदेशक मंडल समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों को लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता का आकलन करने, लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान से संबंधित मामलों का प्रकटन, लागू अनुसार, करने तथा लेखांकन के आधार पर लाभकारी व्यवसाय वाला संस्थान बने रहने का उपयोग करने

| Sl. No. | Key Audit Matters | How our Audit procedures addressed the Key Audit Matters |
|---|---|---|
| | We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to outcome of these matters which requires application of judgement in interpretation of Law. | Verified the disclosures related to significant litigations and taxation matters.<br><br>Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgements / interpretation of law involved. |

**Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditors' Report thereon**

5. The Bank's Board of Directors is responsible for other information. The other information comprises the information other than Consolidated Financial Statements and our Auditors' Report thereon and the Pillar III disclosure under the Basel III disclosures.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and Pillar III disclosures under Basel III Disclosures and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our Audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained during the course of audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Other Information and based on the work we perform, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to report that fact to 'Those charged with Governance'.

**Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements**

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the Consolidated financial position, Consolidated financial performance and Consolidated cash flows of the Group and its associate in accordance with the accounting principles generally accepted in India and in accordance with the Accounting Standard 21- "Consolidated Financial Statements", and Accounting Standard 23 - "Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the group and its associate are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and its associate's and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements by the Directors of the Bank, as aforesaid .

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective management of the entities included in the Group

के लिए ज़िम्मेदार हैं, जब तक कि प्रबंधन या तो समूह का समापन करने या परिचालनों को बंद करने का इच्छुक न हो अथवा ऐसा न करने के लिए उनके पास कोई अन्य यथार्थ परक विकल्प न हो।

समूह और इसके सहयोगियों में शामिल कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल भी, समूह और उसके सहयोगी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार है।

**समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां**

7. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण क्या समेकित वित्तीय विवरण सामग्री की गलत बयानी से मुक्त हैं और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी किए जाते हैं जिसमें हमारी राय शामिल है। यथोचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा कोई भी भौतिक गलत बयानी होने पर हमेशा उसका पता लगाएगी। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी हो सकती है और इसे व्यक्तिगत या समेकित रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को उनके द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित करना अपेक्षित हो।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के एक हिस्से के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान व्यावसायिक निर्णय लेते हैं तथा व्यावसायिक संदेह रखते हैं। हम इसके अतिरिक्त :

- समेकित वित्तीय विवरणों की मूल विसंगतियों चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना और उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार और निष्पादित करना तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो कि हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हैं। गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम गलतियों के परिणाम से ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी के अंतर्गत मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतिकरण या आंतरिक नियंत्रण को ओवरराइड करना शामिल हो सकता है।
- उपयुक्त परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की अभिकल्पना के लिए लेखा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटनों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते हैं।
- प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और लेखांकन के लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान आधार पर प्रबंधन के इनके उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या कोई ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है जो समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने की क्षमता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह तो नहीं डालता है। यदि यह हमारा निष्कर्ष होता है कि कोई महत्वपूर्ण आकस्मिकता विद्यमान है तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस पर ध्यानाकर्षण करना आवश्यक होता है या यदि ऐसा प्रकटन अपर्याप्त है तो हमारे मत को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए प्राप्त अद्यतित लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित होते हैं तथापि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां समूह और इसके सहयोगी का लाभकारी व्यवसाय वाले संस्थान बने रहने को समाप्त कर सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की सामग्री, संरचना और समग्र प्रस्तुति और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित संव्यवहारों और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण प्राप्त करते हैं, का मूल्यांकन करना।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए समूह और उसकी सहयोगी संस्थाओं या इकाइयों की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंधित पर्याप्त समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य एकत्र करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके समेकित वित्तीय विवरणों के हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य अनुषंगी इकाई और सहयोगी कंपनी, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य

and its associate are responsible for assessing the ability of the Group and its associate to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the management either intend to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of the associate are responsible for overseeing the Financial Reporting process of the Group and its associate.

**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements**

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of Internal Control relevant to the Audit in order to design Audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group and its associate's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group and its associate to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities of the Group and its associate to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the

लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और अलेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़ों को सहयोगी कंपनी के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है, के लिए ऐसे अन्य लेखा परीक्षक और सहयोगी कंपनी का प्रबंधन उनके द्वारा की गई लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और कार्यनिष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपने लेखा परीक्षा मत के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य की योजना बना रहे हैं और हमारे कार्य के परिणामों का मूल्यांकन कर रहे हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचानी गई गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम होल्डिंग कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों और इस तरह की अन्य इकाइयों के साथ संवाद करते हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं, जिसके लिए हमारी लेखा परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिनिर्धारित आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमी सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा परिणामों की योजनाबद्ध व्यवहार्यता और समय सूची और अन्य मामलों के संबंध में हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं।

हमने कंपनी के अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को बयान भी प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के संबंध में संप्रेषण दिया है जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित असर डालना संभावित है।

अभिशासन का प्रभार प्रदत्त लोगों को संप्रेषित मामलों से, हमने उन मामलों का निर्धारण किया है जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे लेखा परीक्षा के प्रमुख मामले हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम सार्वजनिक रूप से मामले के बारे में प्रकटीकरण को अलग नहीं करते हैं या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामों से ऐसे संप्रेषण के सार्वजनिक हित के लाभों को पर्याप्त रूप से दबा दिया जाना संभावित है।

**अन्य मामले**

8. हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 576 शाखाओं के वित्तीय विवरणों /जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणी /वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2023 को रु. 63295.49 करोड़ के कुल अग्रिम दर्शाती है और जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है उस दिनांक को समाप्त वर्ष को रु.5151.98 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाती है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ये शाखाएं अग्रिम का 32.49%, जमाराशियों का 44.35% और अनर्जक आस्तियों का 39.64% और 31 मार्च, 2023 को बैंक के राजस्व का 28.34% कवर करती हैं। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों /सूचनाओं को शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित किया गया है, जिनकी रिपोर्ट हमें दी गई है और हमारी राय में अब तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, जो पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इसके अलावा, हमने बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल 1627 शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2023 को कुल रु.44699.35 करोड़ के कुल अग्रिम दर्शाते हैं और प्रबंधन द्वारा विचार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता अनुसार उस दिन समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.4101.56 करोड़ दर्शाते हैं।

इसके साथ ही, हमने सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण /वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2023 को समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए अनुसार रु.21.71 करोड़ की कुल आस्तियां प्रदर्शित करती है, उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.2.30 करोड़ और कर पश्चात निवल लाभ रु.0.76 करोड़ है। समेकित वित्तीय विवरणों में एक सहयोगी कंपनी, जिसके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई है और कंपनी के सहायक प्रतिष्ठान द्वारा प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किए अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के

audit of the Financial Statements of such entity included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the Consolidated Financial Statements, which have been audited by other auditors, such other auditors are responsible for direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our Audit work and evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

We communicate with Those charged with governance of the Bank included in the Consolidated Financial Statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide Those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with Those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters.

We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**Other Matter**

8. We did not audit the Financial Statements / information of 576 branches included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose Financial Statements / financial information reflect total advances of Rs. 63295.49 Crores as at 31st March, 2023 and total revenue of Rs. 5151.98 Crores for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. These branches cover 32.49% of advances, 44.35% of deposits and 39.64% of Non-performing assets as at March 31, 2023 and 28.34% revenue of the Bank for the year ended March 31, 2023. The Financial Statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Further we did not audit the Financial Statements of 1627 branches included in the Consolidated Financial Statements of the Bank whose Financial Statements reflect total advances of Rs. 44699.35 Crores as at 31st March, 2023 and total revenue of Rs. 4101.56 Crores for the year ended on that date as considered in the Consolidated Financial Statements. These have been drawn by the management.

Also, we did not audit the Financial Statements of the subsidiary company whose Financial Statement / financial information reflects total assets of Rs. 21.71 Crores as at 31st March, 2023,

लिए रु.2.21 करोड़ के कर पश्चात निवल लाभ की समूह की साझेदारी को भी शामिल किया गया है। एक सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, जिनकी रिपोर्ट और विवरण बैंक प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं। हमारी रिपोर्ट और सहयोगी के संबंध में जहां तक कि यह रकम और प्रकटन से संबंधित है समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में हमारा मत जहां तक कि अनुषंगी और सहयोगी का संबंध है, हमारा मत पूर्णतः लेखा परीक्षक की ऐसी रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय तथा नीचे अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

**अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट**

9. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के खंड 29 के अनुसार समेकित तुलन पत्र और समेकित लाभ व हानि खाता तथा समेकित नकदी प्रवाह तैयार किया गया है।

उपर्युक्त परिच्छेद 6 से 8 में उल्लिखित लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन तथा बैंकिंग कंपनिया (उपक्रमों का अधिग्रहण व अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा अपेक्षित तथा साथ ही, उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. हमारी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिये जो स्पष्टीकरण व सूचनाएं आवश्यक थीं, वह सभी हमने प्राप्त की हैं और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

ख. बैंक के संव्यवहार, जो हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के भीतर हैं; और

ग. बैंक के कार्यालयों व शाखाओं से प्राप्त विवरणियां हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पायी गईं।

10. 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्व' पर दिनांक 17 मार्च, 2020 को आरबीआई द्वारा जारी पत्र क्र. डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/ 2019-20 और उसके बाद के दिनांक 19 मई, 2020 के अनुवर्ती संप्रेषण के साथ पठित की आवश्यकताओं के अनुसार, हम उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे की रिपोर्ट निम्नानुसार देते हैं:

क. हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

ख. वित्तीय संव्यवहार या मामलों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग. जैसा कि बैंक और उसकी सहयोगी कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बैंक के निदेशक होने की अयोग्यताएं बैंक पर लागू नहीं होती हैं। हालाँकि, सहायक (एक कंपनी) के मामले में, 31 मार्च, 2023 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2023 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं है।

घ. खातों और इससे जुड़े अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

ड़. आईसीएआई द्वारा जारी ठसार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय

Total revenue of Rs.2.30 Crores and net profit after Tax of Rs.0.76 crore for the year ended on that date, as considered in the Consolidated Financial Statements. The Consolidated Financial Statements also include the Group's share of Net Profit after tax of Rs.2.21 Crores for the year ended 31st March, 2023 as considered in the Consolidated Financial Statements, in respect of one associate, whose Financial Statements / financial information have not been audited by us. The Financial Statements/financial information of the subsidiary company and associate have been audited by the other auditor, whose reports and statements have been furnished to us by the management of the Bank. Our opinion on the Consolidated Financial Statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this subsidiary and our report, in so far it relates to the aforesaid subsidiary and associate, is based solely on the report of such auditor.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements and our report on Other Legal and Regulatory Requirements below is not modified in respect of these matters with respect to our reliance on the work done and the report of the other auditors.

**Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

9. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 6 to 8 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. As required by letter no. DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 dated March 17, 2020 on "Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs) in Public Sector Banks – Reporting obligations for SCAs from FY 2019-20", read with subsequent communication dated May 19, 2020 issued by the RBI, we further report on the matters specified in paragraph 2 of the aforesaid letter as under:

a) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards issued by ICAI, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by the RBI.

b) There are no observations or comments on financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the bank.

c) As the bank and its associate are not registered under the Companies Act, 2013 the disqualifications from being a director of the bank under the sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013 do not apply to the bank. However, in case of subsidiary (a company), on the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2023, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2023 from being appointed as a director in terms of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013.

d) There are no qualifications, reservations or adverse remarks relating to the maintenance of accounts and other matters connected therewith.

नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर तकनीकी गाइडड के अनुच्छेद 1.14 के अनुसार, आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होगी। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

**11. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि**

क) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां बैंक द्वारा रखी गई हैं, जहां तक कि उन बहियों की हमारी जांच से यह प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिनको हमने भेंट नहीं दी है;

ख) इस रिपोर्ट द्वारा संचलित समेकित तुलनपत्र और लाभ हानि खाता तथा नकद प्रवाह के विवरण संबंधित लेखा बहियों और हमारे द्वारा भेंट नहीं दी गई शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुसरण में हैं;

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अंतर्गत हमें बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका समुचित उपयोग किया गया है; और

घ) हमारी राय में समेकित तुलन पत्र, लाभ हानि खाता व नकदी प्रवाह विवरण लेखा मानकों का उस सीमा तक अनुपालन करते हैं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हों।

e) As per para 1.14 of the "Technical guide on Audit of Internal Financial Controls in case of Public Sector Banks" issued by ICAI, the reporting requirement introduced by RBI regarding Internal Financial Reporting will apply to the Standalone financial statements of public sector bank. Accordingly, reporting is not done on the Group's Internal Financial Control over financial reporting with reference to Consolidated financial statements

**11. We further report that:**

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) in our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date attached.

**कृते मै. रोडी डबीर एंड कंपनी**
एफआरएन : 108846W
सनदी लेखाकार
**For M/s. Rodi Dabir & Co.**
FRN – 108846W
Chartered Accountants
**सीए सुधीर डबीर**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 039984
यूडीआईएन - 23039984BGZBUI9128
**CA Sudhir Dabir**
Partner
Membership No: 039984
UDIN - 23039984BGZBUI9128

**कृते मै. एस भंडारी एंड कंपनी एलएलपी**
एफआरएन : 000560C/C400334
सनदी लेखाकार
**M/s. S Bhandari & Co LLP**
FRN – 000560C/C400334
Chartered Accountants
**सीए पी. डी. बैद**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 072625
यूडीआईएन - 23072625BGXCSZ8543
**CA P D Baid**
Partner
Membership No: 072625
UDIN - 23072625BGXCSZ8543

**कृते मै. कीर्तने एंड पंडित एलएलपी**
एफआरएन : 105215W/W100057
सनदी लेखाकार
**For M/s. Kirtane & Pandit LLP**
FRN – 105215W/W100057
Chartered Accountants
**सीए संदीप वेलिंग**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 044576
यूडीआईएन -23044576BGXPRK4877
**CA Sandeep Welling**
Partner
Membership No: 044576
UDIN - 23044576BGXPRK4877

**कृते मै. सुंदरम एंड श्रीनिवासन**
एफआरएन : 004207S
सनदी लेखाकार
**For M/s. Sundaram & Srinivasan**
FRN – 004207S
Chartered Accountants
**सीए पी मीनाक्षी सुंदरम**
भागीदार
सदस्यता क्र.: 217914
यूडीआईएन - 23217914BGWPBW4334
**CA P Menakshi Sundaram**
Partner
Membership No: 217914
UDIN - 23217914BGWPBW4334

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

Azadi Ka Amrit Mahotsav

FASTEST GROWING
PSU Bank
IN INDIA
2200+ branches and 2300+ ATMs

# GOVERNMENT SCHEMES

01 MUDRA

02 PMEGP

03 Stand up India

04 PM SVANidhi

05 AIF — Agriculture Infrastructure Fund

06 AHIDF — Animal Husbandry Infrastructure Development Fund

07 FIDF — Fisheries Infrastructure Development Fund

08 PMFME — Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises

09 PM KUSUM

10 ACABC — Agri Clinic and Agri Business Centres scheme

11 AMI — Agriculture Marketing Infrastructure Scheme

## SOCIAL SECURITY SCHEMES

**Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana**

- Micro Insurance with ₹ 20 per annum premium amount
- Coverage of ₹ 2 Lakh for the accidental death and permanent total disability and ₹ 1 Lakh for permanent partial disability
- Available to people in the age group 18 to 70 years

**PMSBY**
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana

**PMJJBY**
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana

**Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana**

- Micro Insurance with ₹ 436 per annum premium amount
- Available to people in the age group 18 to 50 years
- Coverage of ₹ 2 Lakh in case of death of the insured, due to any reason

आज़ादी का अमृत महोत्सव

# बैंक ऑफ महाराष्ट्र
# Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

G20 भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

*एक परिवार एक बैंक*

## वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान बैंक द्वारा संपन्न सीएसआर गतिविधियां
## CSR Activities by Bank during FY 2022-2023




Healthcare Camp arranged for Tribal Women at Amani Village, Washim District



Tree Donation & Plantation at Kajal Hipparga Village, Latur District



Tree Plantation Drive at NIBM, Pune under Environment Social Governance



Swatchta Pakhwada Awareness Campaign & distribution of hygiene kits



Executive Director of the Bank planting saplings at an event held at Aurangabad



Financial Literacy Camps held at various places



Sponsored Water Purifier-cum-Dispenser at the Sub-Registrar Office in Kukatpally, Hyderabad

## जन भागीदारी अभियान
## Jan Bhagidari Campaign



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

Azadi Ka Amrit Mahotsav

# ONE FAMILY BANK

## Fastest Growing PSU Bank in India






BoMy
Your Virtual Assistant

WHATSAPP BANKING SEND 'HI' +91 70660 36640

Follow us mahabank

# डिजिटली प्रगति पथ पर
# Going Forward DIGITALLY



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम

*एक परिवार एक बैंक*

www.bankofmaharashtra.in

Follow us @mahabank